

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका	01
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	06/07
03. Referee Board	08
04. Spokesperson	10

(Science / विज्ञान)

05. Climate Change And India's Strategy (Arvind Chouhan)	12
06. Relative Abundance Of Insect Pollinators/Visitors On Niger [<i>Guizotia Abyssinica</i> (L. F.) Cass.] ... (Rakesh Singh Marabi)	15
07. बी, एम, पी, डी प्रणाली पर आधारित नया शोध (डॉ. डी.एस. बामनिया, शिवराम मेहता)	18

(Home Science / गृह विज्ञान)

08. Effect Of Demographic Factors On Calorie Intake Of Pregnant Women In Their 2 nd Trimester (Sonal Bhargava, Prof. Meenakshi Mathur)	21
09. The Global Crisis Of Severe Acute Malnutrition (SAM) Children's (Dr. Akanksha Choudhary)	26
10. Ajark - A Fabric From Cattle Herders To Model (Dr. Shweta Sharma, Varnika Sharma)	30
11. Study On The Effect Of Organic And Inorganic Maternal Milk Insufficiency In Fine Motor Development Of Children In The Age Group Of 0-2 Year's In Rewa City (Sangita Sharma)	34
12. मोटापे से ग्रसित गृहिणी महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर पर व्यायाम के प्रभाव का अध्ययन	37
(डॉ. प्रगति देसाई, मेघा परमार)	
13. आदिवासी एवं सामान्य वर्ग की स्तनपान कराने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति संबंधी अध्ययन	41
(बड़वानी जिले के संदर्भ में) (डॉ. सुनीता अगलेचा)	
14. पोषणस्तर के निर्धारण की विधियों का अध्ययन (प्रो. दीपाली निगम)	44

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

15. A Study Of The Role Of Women Entrepreneurs In The Economic Development Of India	46
(With Special Reference To Small And Medium Enterprises) (Dr. Neha Mathur)	
16. Role Of E-Commerce In Business (Dr. Deepali Behere)	50
17. उद्यमिता विकास में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास की आवश्यकता का अध्ययन (मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में) (नीतू सूर्यवंशी, डॉ. संदीप जोशी)	53
18. Influence Of GST On Indian Economy (Dr. Anil Gupta, Sonali Ghuriyani)	56
19. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता वृद्धि	59
(डॉ. अनूप कुमार व्यास, सीमा परमार)	
20. महिला विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों का वाणिज्यिक अध्ययन (रायगढ़ जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. बसन्त कुमार पटेल)	64

21. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों की कुल प्राप्तियों में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दरों का तुलनात्मक अध्ययन (वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक) (डॉ. एल.एन. शर्मा) 70
22. भारत में बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित संपत्ति का विश्लेषण (डॉ. के. एस. पटेल, छाया शाक्य) 73
23. जिनिंग एवं प्रेसिंग मिल मालिकों एवं किसानों की समस्याओं का अध्ययन (संदर्भ धार जिला) (डॉ. प्रगति गुप्ता) 76
24. उद्यानिकी योजनाओं से खरगोन जिले के विकास में बढ़ती संभावनाएँ (ललिता वर्मा) 79
25. भारत में कृषि विपणन योजनाएँ (डॉ. ज्योति सोनी) 82
26. लघु औद्योगिक उत्पादों का विपणन एवं निर्यात (डॉ. पी. के. अग्रवाल) 85
27. विज्ञापन की वर्तमान समय में आवश्यकता व माध्यम (डॉ. दिपाली सुराना) 87
28. वनों के अप्रत्यक्ष लाभों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण (अनीता चौधरी, डॉ. दिनेश श्रीवास्तव) 89
29. भारत में पर्यटन विकास का वाणिज्यिक अध्ययन (डॉ. राकेश प्रसाद दुबे) 91
30. मध्यप्रदेश सरकार की स्वागतम् लक्ष्मी योजना का मूल्यांकन एवं विश्लेषण (सोनाली गंगराडे, डॉ. एस. सी. हर्णे) 93

(Economics / अर्थशास्त्र)

31. Rural Marketing In India - Prospects And Challenges (Dr. Archana Singhal) 95
32. ग्रामीण विकास में साप्ताहिक हाट बाजार के योगदान का अध्ययन (म.प्र. के खरगोन, बड़वानी जिलों के संदर्भ में) (डॉ. कुशल जैन कोठारी, मंजुला चौहान) 98
33. पर्यटन का पर्यावरणीय अध्ययन (वन्दना पाठक) 101

(Political Science / राजनीति विज्ञान)

34. झाँसी नगर निगम के पार्षदों की राजनीतिक सहभागिता - एक आनुभाविक अध्ययन (डॉ. संगीता विजय, प्रमिला यादव) 104
35. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी एवं चुनौतियाँ (सागर जिले के रहली तहसील के विशेष संदर्भ में) (नगरची जामरे) 109
36. स्थानीय स्वशासन पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी (बृजेश कुमार अहिरवार) 113
37. भारत में बांग्लादेशी प्रवास-शरणार्थी या घुसपैठिएँ (अली हसन) 117

(History / इतिहास)

38. नगरों की उत्पत्ति एवं विकास - प्रागैतिहासिक नगर महेश्वर के विशेष सन्दर्भ में (आमिर कुरैशी, डॉ. ओ. पी. शर्मा) 120
39. सतधर्म के प्रकाशक- गुरु घासीदास जी (अनिता बरगाह, डॉ. राजीव शर्मा) 123
40. भारत छोड़ो आंदोलन में बालाघाट जिले का योगदान (डॉ. संकेत कुमार चौकसे) 126
41. जनजातियों में प्रचलित सामाजिक मान्यताओं एवं परंपराओं का ऐतिहासिक अध्ययन (अलीराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में) (भुरबाई बघेल) 128

(Sociology / समाजशास्त्र)

42. Health & Nutritional Status Of Tribal Women - A Study On Soliga Tribes Of Karnataka 130
(Dr. Usharani B.)
43. शाजापुर मध्यप्रदेश की महिला उद्यमियों का शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में एक विश्लेषण 133
(डॉ. संतोष धुर्वे, सुनीता बाणकर)
45. भूमिज जनजाति - प्रकृति और गीत में सामंजस्य एक मानव वैज्ञानिक अध्ययन 137
(विनिता सरदार, डॉ. रँजू हासनिन साहू)
46. बुन्देलखण्ड के शासक और मराठा पेशवा के साथ संघर्ष (दीप्ती यादव) 140

(Geography / भूगोल)

47. शैक्षणिक सुविधाओं का भौगोलिक विश्लेषण : डूंगरपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में (जूली चौबीसा, डॉ. मोनिका रोट) ... 143
48. झुंझुनू जिले में गेहूँ की कृषि - एक भौगोलिक अध्ययन (सुमन कुमार) 147
49. भूमि उपयोग परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट (जबलपुर जिले के संदर्भ में) (बसंती अग्रवाल) 151

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

50. राहुल सांकृत्यायन के कथा साहित्य में सामाजिक समरसता का दृष्टिकोणात्मक अध्ययन 155
(दीपा सिंह, डॉ. आराधना सिंह)
51. श्रीलाल शुक्ल का साहित्यिक व्यक्तित्व (पुष्पा बर्डे) 158
52. डॉ. गिरिराज शरण अग्रवाल की कहानियों में समरसता का भाव (निधि पाटीदार, डॉ. चन्दा तलेरा जैन) 161
53. हिन्दी गद्य और नाथ पंथ (नाजिया सिद्दीकी) 163
54. मालती जोशी के कथा साहित्य में नारी चेतना (आशा शरण) 165
55. 'नदी के द्वीप' - उपन्यास में स्वाधीनता के मूल्यों के विविध आयाम (डॉ. अनुकूल सोलंकी) 167
56. समाचार पत्र और हिन्दी पत्रकारिता (डॉ. बिन्दु परस्ते) 170
57. मृदुला गर्ग के उपन्यासों में स्त्री विमर्श (गजेन्द्र कुंवर राणावत) 172
58. जगदीश चन्द्र माथुर व्यक्ति और नाटककार (कैलाश कचेर) 174
59. संदर्भित काल के बाल साहित्य में ग्राम्य जीवन का अंकन (डॉ. रेखा रानी सिंह) 16
60. हिन्दी पत्रकारिता की अवधारणा (संतोष कुमार) 178
61. समकालीन महिला-लेखन और स्त्री स्वातन्त्र्य (अंजली शर्मा) 180
62. हिन्दी साहित्य में चन्द्रगुप्त 'मौर्य' का चरित्रांकन (प्रेम सिंह कुम्भकार, डॉ. गणेशलाल जैन) 182
63. अस्तित्व - जीवन पर्यन्त एक तलाश (डॉ. मनीषा सिंह मरकाम) 183

(Education / शिक्षा)

64. Benchmarking The Indispensable Hygienic Behaviours Of School Children As Healthy 184
Life Skills To Be Imparted For Harnessing Future India (Dr. M.T.V. Nagaraju)

65. Role Of Value Based Education In Society (Dr. Dheeraj Verma)..... 190
66. विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति का उनकी सृजनात्मकता के संदर्भ में अध्ययन (डॉ. विष्णु शर्मा, प्रो. शुभा व्यास) 194
67. प्रशिक्षित शिक्षकों का शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्य अध्ययन 199
(राजू जांगड़े)
68. राजस्थान में 1956 से वर्तमान तक प्रारम्भिक शिक्षा के विकास का समीक्षात्मक अध्ययन 203
(देवराज सिंह गुर्जर, प्रो. शुभा व्यास)
69. स्वामी विवेकानन्द के स्त्री शिक्षा सम्बन्धी विचार-एक अध्ययन (डॉ. शुभ्रा श्रीवास्तव) 207
70. कामकाजी महिलाओं के प्रति असमानता एवं उत्पीड़न की स्थिति का अध्ययन (डॉ. मनीषा सक्सेना, अदिति जोशी) 210
71. भारत में बालिका शिक्षा - स्थिति एवं महत्व (शिवानी गुप्ता, डॉ. चेतना पाण्डेय) 213

(Law/ विधि)

72. Cyber Crime Against Women In India- A Birds Eye View (Dr. Neelesh Sharma) 216
73. Competition Amendment Bill 2012 VTS-A-VIS Anti Competitive Agreements (Prachi Tyagi) 219
74. लोक-अदालत - शीघ्र, सरल और निःशुल्क न्याय (रतन सिंह तोमर) 221

(Music / संगीत)

75. Effectiveness Of Raga Malkauns In Coping Anxiety (Dr. Anjana Gauttam) 223
76. A Study On, Effect Of Socio-Economic Status On Personal Values Of Adolescent 227
Music Students Of Ajmer District (Dr. Shiva Vyas)
77. तत् वाद्यों द्वारा रस निष्पत्ति (डॉ. ऋचा उपाध्याय) 230
78. लोक - संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका (बबीता यादव) 233

(Psychology / मनोविज्ञान)

79. बुद्धि परिक्षण का मानव जीवन में महत्व (प्रो. दिपाली पाटीदार) 235
80. व्यक्ति के कार्य परिणामों के लिये गुणारोपण व्यवहार के अन्तर्गत आत्ममूल्यांकन के प्रभाव का अध्ययन करना 237
(डॉली जोशी)

(Design / डिजाईन)

81. A Study On Sustainability In Interior Spaces (Sonika Jain) 240
82. A Study Based on Blue Pottery: The Local Craft of Jaipur 243
(Chhavi Mehta, Dr. Ankita Singh Rao)
83. A Review Based Study On Fresco Art In The Essence Of Jaipur Heritage (Neha Khunteta) 245
84. टोंक (राजस्थान) के नमदा हस्तशिल्पियों की पारिवारिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक 246
अध्ययन (डॉ. शर्मिला गुर्जर)
85. भारत की पारंपरिक कशीदाकारी (प्रो. देवहुती खण्डाईत) 249

86. फैशन से संबंधित आलोचनाएं एवं टिप्पणियां (प्रो. प्रियंका येशीकर)	252
(Others / अन्य)	
87. राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में उपलब्ध शैक्षिक ई-ससांधनों तक पहुंचने और उपयोग .. करते समय, पाठकों के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन (डॉ. हेमलता ठाकुर, प्रो. शुभा व्यास)	254
88. पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन एवं परीक्षण (किरण पवार, डॉ. साधना देवेश वर्मा)	259
89. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के प्रति जागरूकता का अध्ययन (मध्यमवर्गीय परिवारों के संदर्भ में) (डॉ. नीता मिश्रा)	263
90. अजन्ता एवं बाघ के भित्ति चित्रों में पशु-पक्षियों का सौन्दर्यात्मक अंकन (डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला, अनुभा)	266
91. Importance Of Yoga And Meditation In Bringing Emotional And Physical Stability	270
(Bhagwati Menaria)	
92. विकलांगता के प्रति प्रशासन का सकारात्मक विचार : एक राजनैतिक अध्ययन	272
(डॉ. गायत्री मिश्रा, सरदार कुमार चौधरी)	
93. लोक संस्कृति का संवाहक : लोक साहित्य (जयमाला वाग्दे)	274
94. बालश्रम और उसके उन्मूलन की रणनीति (डॉ. रेखा माली) (PDF)	276
95. फैजाबाद मण्डल में मलिन बस्तियों की समस्या एवं उनमें आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता का स्तर :	279
एक भौगोलिक विश्लेषण (डॉ. बृज विलास पांडे, राज कुमार यादव)	
96. मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी भारत देश के विकास में बाधक है (म.प्र.) के संदर्भ में (डॉ. दीपक जैन)...	282
97. Prevalence of Learning Disability in Indore City	284
(Sanjeev Tripathi, Dr. Apoorva Pauranik, Dr. Saroj Kothari)	
98. Indian Higher Education and Globalization (Dr. Nilesh Gangwal).....	288
99. WhatsApp and Youth (Dr. Sanjay Bhavsar)	291
100. मन्नू भंडारी के उपन्यास 'आपका बंटी' में आधुनिक भावबोध (डॉ. विनय शर्मा).....	293
101. जनपद अमरोहा के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बी0टी0सी0 एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षित	295
अध्यापकों की कार्य संतुष्टि एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन (डा. अनुराग यादव, भावना वर्मा)	
102. मौर्य कालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन (डॉ. आनन्द गोस्वामी)	300
103. समकालीन कविता : वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पक्ष में (डॉ. संजय सक्सेना)	303
104. Domestic Violence Against Women in India (Dr. Shubha Goel)	306
105. माध्यमिक स्तर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन	310
(डॉ. सतीश पाल सिंह)	
106. निःशक्तजन और मानवाधिकार : एक अध्ययन (महेश कुमार रचियता)	314
107. Gender Disparity among the Workingpopulation of Southern Rajasthan 1981 to 2011	317
(Dr. Saba Agwani)	
108. The Role of Grandparents in Indian Families (Dr. Sandhya Jaipal).....	323
109. Healthcare and Healthcare Access in India: Challenges and Solutions (Dr. Anjali Jaipal)	327
110. U.S.- Indian Diplomatic Ties, the Post- Cold War Scenarios (Anurag Pandey)	331
111. Human Centric Approach:Talent Management (Dr. Indu Arora)	334
112. Women Empowerment in India: Challenges and Future Prospects (Dr. Gouri Shanker Meena) ..	337
113. ब्रिटिश कालीन बुंदेलखण्ड की आधुनिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1761 से 1842 तक (डॉ. सुमन राठौड़)	343
114. Knowledge Management 2.0: Charting the Future Frontier (Dr. Shweta Tiwari)	346
115. दुर्ग जिले में कृषि पालन की स्थिति का विवेचनात्मक अध्ययन (आबिद हसन खान, कैशर परवीन).....	352
116. महिला सशक्तिकरण में नैतिक शिक्षा की भूमिका : चुनौतियाँ (डॉ. संगीता शर्मा)	357

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
8. Prof. Dr. P.P. Pandey - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
11. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
12. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
13. Prof. Dr. R.P. Upadhayay - Exam Controller, Govt. Kamalaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
15. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
16. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
17. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
18. Prof. Dr. Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
20. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
21. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
22. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
24. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
26. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
28. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
31. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
32. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
33. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
35. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
36. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
37. Prof. Dr. Ravi Gaur - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnood, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman, Commerce Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India

Referee Board

- Maths** - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
- Physics** - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
- Computer Science** - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
- Chemistry** - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
- Botany** - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
- Life Science** - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
- Statistics** - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
- Military Science** - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
- Biology** - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
- Geology** - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
- Medical Science** - (1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
- Microbiology Sci.** - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
- ***** Commerce *****
- Commerce** - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
(4) Naresh Kumar, Assistant Professor, Sidharth Govt. College, Nadaun (H.P.)
- ***** Management *****
- Management** - (1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
- Human Resources** - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
- Business Administration** - (1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.)
- ***** Law *****
- Law** - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandasaur (M.P.)
- ***** Arts *****
- Economics** - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
(4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- Political Science** - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandasaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
- Philosophy** - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
- Sociology** - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

- Hindi** - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(4) Prof. Dr. Jaya Priyadarshini Shukla, Vansthali Vidyapeeth (Raj.)
(5) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
(6) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- English** - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit** - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History** - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography** - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology** - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
- Drawing** - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance** - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- ***** Home Science *****
- Diet/Nutrition Science** - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development** - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management** - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- ***** Education *****
- Education** - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
- ***** Architecture *****
- Architecture** - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- ***** Physical Education *****
- Physical Education** - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
(2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
(3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- ***** Library Science *****
- Library Science** - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Gudiance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagraade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)
47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. P.G. College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. P.G. College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. P.G. College, Dhar (M.P.)
58. Prof. Dr. A. K. Pandey - Govt. Girls College, Satna (M.P.)
58. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.)
59. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhal, Distt. Sidhi (M.P.)
60. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
61. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
62. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
66. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
68. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
70. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
71. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P.)
72. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)
73. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
74. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
75. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
76. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Neapanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
77. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
78. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. P.G. College, Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
80. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
81. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College, Ashok Nagar (M.P.)
82. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.)
83. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.)
84. Prof. Dr. Ram Awadesh Sharma - M.J.S. Govt. P.G. College, Bind (M.P.)
85. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
86. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
87. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh)
88. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
89. Prof. Dr. Kavita Bhadiariya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
90. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
94. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
95. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Climate Change And India's Strategy

Arvind Chouhan *

Abstract - "The earth has enough resources to meet people's needs, but will never have enough to satisfy people's greed." Mahatma Gandhi.

The climate change is anthropogenic phenomenon refers to seasonal changes over a long period with respect to the growing accumulation of greenhouse gases in the atmosphere, which produce by fossil fuel.

According to IPCC global temperatures could rise by up to 3.4° C this century. This will drive climate change. India is faced with challenge of sustaining its rapid economic growth while dealing with the global threat of climate change. In India there are some observed changes in climate are higher surface temperature, abnormal rainfall, extreme weather events, and rise in sea level and higher melting rate of Himalayan glacier.

Recognizing that climate change is global challenges India will be establish an effective, cooperative and equitable global approach based on the principal of common but differentiated responsibilities. Maintaining a high growth rate is essential for increasing living standards of the vast majority of their people and reducing their vulnerability to the impacts of climate change. India identifies a number of steps to simultaneously advance India's development and climate change related objectives of adaptation and mitigation. These steps are National Solar Mission, National Mission for Enhanced Energy Efficiency, and National Mission on Sustainable Habitat, National Water Mission, and National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem, National Mission for a Green India, National Mission for Sustainable Agriculture, National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change.

Key Words - Climate change, IPCC, sustainable habitat, sustainable, knowledge.

Introduction - India's development path is based on social development and poverty eradication with resource endowments. Its vision is to create a prosperous and self sustain economy. Climate change may alter the distribution and quality of India's natural resources and adversely affect the livelihood of its people. India's objectives to establish an effective, cooperative and equitable global approach based on the principle of common but differentiated responsibilities and enshrined in the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). India's approach is based on a global vision inspired by Mahatma Gandhi's wise dictum-The earth has enough resources to meet people's needs, but will never have enough to satisfy people's greed.

Climate change means - The Climate system is comprised of five interacting parts, the atmosphere, hydrosphere, cryosphere, biosphere, and lithosphere. The climate system receives nearly all energy from the sun. When the incoming energy is greater than the outgoing energy, earth's climate system is warming. Human activities are presently driving climate change through global warming. Since 1850 continuing increase in average air and ocean temperatures caused mainly by emissions of greenhouse gases in the modern industrial economy. (IPCC-AR4)¹

Observed Changes in Climate and Weather Events in

India - There are some observed changes in climate parameters in India. No firm link between the below describe changes and warming due to anthropogenic climate change

I. Surface Temperature - At the national level, increase of ~0.4°C has been observed in surface air temperature over the past century². A warming trend has been observed along the west coast, in central India and the interior peninsula.

II. Precipitation - A trend of increasing monsoon seasonal rainfall has been found along the west coast and north-western India, while a trend of decreasing monsoon seasonal rainfall has been observed over eastern Madhya Pradesh, north-eastern India, and some parts of Gujarat and Kerala.

III. Rise in Sea Level - Using the records of coastal tide, Unnikrishnan and Shankar³ the sea level rise was between 1.06-1.75mm per year.

IV Himalayan Glaciers - The available monitoring data on Himalayan glaciers indicates that recession of some glaciers has occurred in some Himalayan regions.

Possible Impacts of Projected Climate Change -

I. Impact on Water Resources - A decline in run-off by more than two-thirds is anticipated for the Sabarmati and Luni basins. Due to sea level rise, the fresh water sources near the coastal regions will suffer salt intrusion.

II. Impact on Agriculture and Food Production -

Studies by Indian Agriculture Research Institute and others indicate greater expected loss in the Rabi crop. Every 1° C rise in temperature reduces wheat production by 4-5 million Tones. Small changes in temperature and rainfall have significant effects on the quality of fruits, vegetables, tea, coffee, aromatic and medicinal plants, and basmati rice. Other impacts include lower yields from dairy cattle and decline in fish breeding, migration.

III. Impacts on Health - If there is an increase of 3.8° C in temperature and a 7% increase in relative humidity the transmission windows will be open for all 12 months in West Bengal, Uttar Pradesh and Bihar, and in Rajasthan may increase by 3-5 months.

IV. Impacts on Forests - Studies conducted by NATCOM I projects an increase in the area under xeric scrublands and xeric woodlands in central India at the cost of dry savannah in these region and biodiversity also adversely affected.

V. Impacts on Coastal Areas - A projected increase in the intensity of tropical cyclones poses a threat to the heavily populated coastal zones and by the mid 21st century 15-38 cm rise mean sea level.

India's strategy - India has adopted integrated Energy Policy in 2006. Some of its key provisions are-

- Emphasis on mass transport
- Emphasis on renewable source of energy
- Focused R&D on several clean energy related technologies

Several other provisions are-

- The Bureau of Energy Efficiency has set up standards and labeling appliances.
- An Energy Conservation Building Code (ECBC) was launched in May, 2007, which addresses the design of new, large, commercial building to optimize the building's energy demand based on their location in different climatic zones.
- For clean air – introduction of compressed natural gas (CNG) in metropolitan cities, retiring old, polluting vehicles. In many cities, polluting industrial units have either been closed or shifted from residential areas.
- A mandate on Ethanol Blending of Gasoline requires 5% blending of ethanol with gasoline from 1st January, 2003, in 9 States and 4 Union Territories.

Future Strategy - To reduce hazardous impact of climate change India has taken up following various programs under the National Action Plan.

National Solar Mission - The National Solar Mission would promote the use of solar energy for electricity and other applications. Where necessary it would also promote the integration of other renewable energy technologies, such that biomass and wind, with solar energy options.

The country receives about 5,000 trillion kWh/year equivalent energy through solar radiation. It can be use in following two ways-

I. Solar Thermal Power Generation

II. Solar Photovoltaic Generation

The National Solar Mission would be responsible for- (a) the deployment of commercial solar technologies in the country; (b) establishing a solar research facility at an existing establishment to coordinate the various research, development and demonstration activities being carried out in India; (c) providing funding support.

The ultimate objective of the Mission would be to develop a solar industry in India that is capable of delivering solar energy competitively against fossil options.

National Mission for Enhanced Energy Efficiency in Industry

Following steps will enhance energy efficiency in industry-

- Various GHG mitigation technology options in respect of the Cement, Aluminum, Fertilizer, Iron, Pulp and Paper.
- There are certain cross-cutting energy efficient technological options that could be adopted in a wide range of industries. The estimated energy saving potential for a large number of plants is of the order of 5% to 15%.
- Another option is switching over from fossil fuels to producer gas from biomass fuels for various thermal applications.

National Mission on Sustainable Habitat - The mission comprises promoting energy efficiency in the residential and commercial sector, management of municipal solid waste, and promotion of urban public transport. Recycling of recoverable material at end of life of automobile would lead to substantial energy savings⁶.

National Water Mission - Under National Water Mission following steps will fruitful-

- Customizing climate change models for regional water basins
- Mapping areas likely to experience floods and developing schemes to manage floods
- Planning of watershed management in mountain ecosystems
- Mandatory water harvesting and artificial recharge in relevant urban areas
- Enhancing recharge of the sources and recharge zones of deeper groundwater aquifers
- Creating awareness among people on importance of wetland ecosystems
- Seawater desalination using Reverse Osmosis and multistage flash distillation.
- Water recycle and reuse

National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem - The National Environment Policy, 2006, provides for the following relevant measures for conservation of mountain ecosystems -

- Adopt appropriate land-use planning for sustainable development of mountain ecosystem.
- Take measures to regulate tourist inflows into mountain regions to ensure that these remain within the carrying capacity of the mountain ecology.

- Encourage cultivation of traditional varieties of crops and horticulture by promotion of organic farming

National Mission for a Green India - The proposed national program will focus on increasing the forest cover and conserving biodiversity. The elements of this program are following -

- Training on silviculture practices for fast-growing and climate hardy species.
- Enhancing public and private investments for raising plantations for enhancing the cover and density of forests⁷
- Revitalizing community based initiatives such as Joint Forest Management and Van Panchayat Committees for forest management.
- In-situ and ex-situ conservation of genetic resources, especially of threatened flora and fauna.
- Creation of biodiversity registers for documenting genetic diversity and the associated traditional knowledge.

National Mission on Strategic Knowledge for Climate Change - This mission emphasis on broad based effort that would include following key:

- Global and regional climate modeling to improve the quality
- Indigenous Regional Climate Models (RCM) are necessary to generate accurate future climate projections up to district level
- In order to meet the new challenges human resources would require to be enhanced through changes in curricula at school and college levels

Global Cooperation - As a party to the UN Framework Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol, India plays an active role in multilateral cooperation to address climate change. The Global Environmental Facility (GEF) finances implementation of projects in developing countries under the Clean Development Mechanism (CDM), which allows developed countries to meet part of their emission reduction commitments by purchasing credits from emission reduction projects in developing countries.

Suggestions - India needs to invest in Research and Development of renewable sources of energy.

- Industrial pollution need to control with strict implemen-

tation of environment related laws.

- People need to aware about clean environment and encourage their contribution in green India and biodiversity protection.
- India needs to take active participation in Conference of Parties.

Conclusion - India has introduce various reforms and proposed various steps to reduce carbon dioxide emission in atmosphere. But climate change is global phenomenon so collective efforts must.

India upholds the principle of common but differentiated responsibilities in concessional financial flows from the developed countries, and access to technology on affordable terms.

India as a largest democracy and fastest growing economy with the major challenge of achieving social development and eradicating poverty, will engage in negotiations and other actions at the international level in coming years that would lead to efficient and equitable solutions at the global level.

References :-

1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change 2007.
2. India's Initial National Communication, 2004 (NATCOM I) to UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
3. National Energy Map for India, Technology Vision 2030 by the Energy and Resources Institute (TERI).
4. India's Initial National Communication, 2004 (NATCOM I) to UN Framework Convention on Climate Change.
5. Area Sea Levels trends along the North Indian Ocean Coasts consistent with global estimates by A.S. Unnikrishnan and D. Shankar, Global and Planetary Change.
6. Recycling of Automobiles – Problem Definition and Possible Solutions in the Indian Context by Captain N.S. Mohan Ram, INAE Seminar on Recycling, September, 2007.
7. National Action Plan On Climate Change.

Relative Abundance Of Insect Pollinators/Visitors On Niger [*Guizotia Abyssinica* (L. F.) Cass.]

Rakesh Singh Marabi*

Abstract - An investigation was attempted to evaluate the relative abundance of different insect pollinators on niger crop for effective mutualism between the pollinators and pollination. Relative abundance of *A. mellifera* was recorded 29.61% at 8.00 am during early blooming period, while, it was almost similar at 9.00 am to 3.00 pm ranging from 35.04 to 39.05 and 31.73 to 42.45% during both early and full blooming stages of crop, respectively. The population abundance of *A. dorsata* was quite high 70.38 and 90.16% at 8.00 am during early and full blooming phases of crop, respectively. After this, its visit in the field reduced during the day hours and reached to nil at 5.00 pm during both blooming periods. The abundance of little bee, *A. florea* was nil at 8.00 am and this bees shown their present at 9.00 am with 7.22 and 14.42% of relative population during early and full blooming periods of crop, respectively, whereas, the syrphid flies was recorded nil at 8.00 am during early blooming period and 9.83% at this time during full blooming period. The relative dominance values did not show any consistent trend between early and full blooming phases of crop but this insect had its lesser visit in second half shift day *i.e.* after 12.00 noon to 5.00 pm.

Key Words – *Apis mellifera*, *Apis dorsata*, relative abundance, insect pollinators, niger.

Introduction - It is well established fact that visits of bees/ insects are helpful of enhance the pollination efficiency in several cross pollinated crops. Many crops are shy-seeder due to poor fertilization in nature. Sunflower, mustard and niger are valuable oilseeds and they are having the ability of poor seed setting as result of poor pollination activities. The flowers of these crops have much attraction to pollinator insects and the intensive visits of these pollinators could be certainly advantageous for improving the pollination as well as enhancement of production in such crops. Niger (*Guizotia abyssinica* Cass.) is one of the important oilseed crop of Southern and Central India which is generally cultivated in rainfed regions on poor soils of course texture, especially on hill tops and in shallow soils.

Its seeds contain about 40% oil and 20% protein with major linolenic and oleic acids as major components. Honeybees visit niger flowers for collection of both pollen and nectar, which in turn results into florets get cross pollinated. Bhambure (1958) reported that a plant visited by honeybees possessed 40 seeds per capitulum, when compared to plants without bee pollination which had only 15 seeds per capitulum. It has been estimated that in nature 5% of flowers are self pollinated and 95% of flowers cross pollinated of which, 10% depend on wind and 85% upon insects. Among the insects 90% pollination are performed by bees. Pollination efficiency may be increased in cross pollinated crops to maintaining the relative abundance of pollinator insects. Hence, keeping this view in mind the present study was conducted to confirm the relative abundance of entomophilies in the niger field.

Material and Methods – An investigation was attempted to evaluate the relative abundance of different pollinator insects on niger crop for effective mutualism between the pollinator insects for food and pollination. A local variety – JNC-1 of niger was grown in one hectare area in a field trial as a test crop during winter season 2002-03 at BSP Unit, College of Agriculture, J.N. Agricultural University, Jabalpur (MP). Six beehives (Langstroth Model) containing *Apis mellifera* were installed at different corners in the field at the beginning of blooming to full blooming period of crop. All the observations were taken pertaining to relative abundance of different kinds of pollinators (*i.e.*, *Apis mellifera*, *A. dorsata*, *A. florea* and syrphid flies) visiting on niger crop of one square meter area from seven randomly selected spots within a minute separately during early as well as full blooming period at hourly intervals starting from 8.00 to 5.00 pm. After this percentage of population of each species visiting to the crop was worked out with the help of following formula:

$$\text{Relative abundance (\%)} = \frac{\text{Population of a particular species visiting to niger crop/min./m}^2}{\text{Total population of all species of pollinators visiting niger crop/min./m}^2} \times 100$$

Results and Discussion – The period for early blooming in niger ranged from December 8 to December 14, while

* (Entomology) Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya, College of Agriculture, Tikamgarh (M.P.) INDIA

period for full blooming was from December 15 to 21, 2002 (Table 1). The population of various pollinators viz., *Apis mellifera*, *A. dorsata*, *A. florea* and syrphid flies visiting on niger fields during early blooming and full blooming phases throughout the day time in between 8.00 am to 5.00 pm at an hourly interval was counted. It is apparent from the data that population of different bees/flies visiting the fields varied during timing in the day hours. Relative abundance of *A. mellifera* was recorded 29.61% at 8.00 am during early blooming period while, did not seen any abundance during full blooming period of crop. The relative abundance of this bee was almost similar at 9.00 am to 3.00 pm ranging from 35.04 to 39.05 and 31.73 to 42.45% during both early and full blooming stages of crop, respectively. The relative population of this bee increased at 4.0 and 5.00 pm by 71.60 and 89.06 and 54.41 and 100% during early and full blooming phases of crop, respectively. Whereas, relative population of *A. dorsata* was quite high at 8.00 am i.e. 70.38 and 90.16% during early and full blooming phases of crop, respectively. After this, its visit in the field reduced during the day hours and reached to nil at 5.00 pm during both flowering stages. It means, these bees went for rest in hive after 4.00 pm, when *A. mellifera* was found most active to visit in the field during this period. The brightness of sunshine was mild and temperature trend towards lower side during second half of the day, which probably favoured to intensity the visit of *A. mellifera*. On the other hand *A. dorsata* possibly preferred much to low temperature and bright sunshine and thus, it started to visits from the beginning of the day and then gradually declined with the rise in temperature. The population of this species was slightly higher at 9.00 am to 12.00 noon than *A. mellifera* during both early and full blooming period, but trend was reversed at 1.00 pm and onwards.

The abundance of little bee, *A. florea* was nil at 8.00 am and this bees shown their present at 9.00 am with 7.22 and 14.42% of relative population, during early and full blooming stages of crop, respectively.

Table 1 (See in the next page)

The visit of this species regularly increased up to 1.00 pm 12.00 noon during early and full blooming periods, respectively, thereafter reduced up to 10.93 and 0.00% at 5.00 pm during both blooming periods of crop. It reveals that this species also went to rest after 4.00 pm. Its relative dominance values were relatively higher from 10.00 am to 2.00 pm during early blooming period than full blooming period and the trend was again reversed. Similarly, Kirtoo and Abrol (1996) also recorded maximum visit of *A. dorsata* followed by *A. mellifera* than *A. cerana* and *A. florea* in descending order on litchi. But, Abrol and Kapil (1996) found more than 70% population of *A. florea* and *A. dorsata* among total pollinator insects on sunflower. According to Sharma and Bichoo (1996), the greater number of bees of all the three species (*A. dorsata*, *A. mellifera* and *Trigona iridipennis*) visited the sunflower during peak flowering period (15-27 september) in Indore, while studying the

pollination efficiency of different bees. Further, Choudhary (2000) stated that *A. mellifera* predominated (34.97%) over all insects species followed by *A. cerana indica* (18.62%) on niger at pusa Bihar. The percentage of syrphid flies was recorded nil at 8.00 am during early blooming phases, while its relative population was 9.83% at this time during full blooming phases. The relative dominance values did not show any consistent trend between early and full blooming phases of crop but this insect had its lesser visit in second half shift day i.e. after 12.00 noon to 5.00 pm. This fly also went to rest to 5.00 pm, however its visits were minimum during second half of the day hour. These results are in close conformity with the findings of several workers (Arya et al., 1994, Thakur et al. 1997, Kannan, 2002, Kumar and Singh, 2005, Dhurve, 2008 and Painkra et al. 2015).

References :-

1. Abrol DP and Kapil RP (1996). Studies on abundance and importance of insect pollinators for oilseed production. *Journal of Insect Science* 9 (2): 172-174.
2. Arya DR, Sihag RC and Yadav PR (1994). Diversity abundance and foraging activity of insect pollinators of sunflower (*Helianthus annus* L.) at Hisar (India). *Indian Bee Journal* 56: 172-178.
3. Bhambure CS (1958). Effect of honey bee activity on niger (*Guizotia abyssinica* Cass.) seed production. *Indian Bee Journal* 20: 189-191.
4. Choudhary NK (2000). Role of honeybee pollination in increasing seed production of niger. M.Sc. (Ag.) Thesis submitted to RAU, Pusa, Samastipur, (Bihar).
5. Dhurve SS (2008). Impact of honey bee pollination on seed production of niger. M. Sc. (Ag.) Thesis submitted to UAS, Dharwad (Karnataka).
6. Kannan M (2002). Studies on foraging behavior of Italian honeybees, *Apis mellifera* Lin. and its effect on pollination of Indian rape, *Brassica campestris* var. toria. M. Sc. (Ag.) Thesis submitted to JNKVV, Jabalpur (M.P.).
7. Kirtoo A and Abrol DP (1996). Studies on pollen carrying capacity and pollination efficiency of honeybees visiting litchi flowers. *Indian Bee Journal* 58 (1): 55-57.
8. Kumar N and Singh R (2005) Relative abundance of *Apis* sp. on Rabi season sunflower (*Helianthus annus* L.). *Journal of Entomological Research* 29 (1): 65-69.
9. Painkra GP, Shrivastava SK, Shaw SS and Gupta R (2015). Succession of various insect pollinators/visitors visiting on niger crop (*Guizotia abyssinica* Cass.). *International Journal of Plant Protection* 8(1): 93-98.
10. Sharma M and Bichoo SL (1996). Studies on foraging behavior of honeybees on sunflower (*Helianthus annus* L.) sown on different dates. *Crop Research (Hisar)* 11 (1): 93-97.
11. Sinha SN and Vaishmpayan S (1995). A note of the time and frequency of bee visits on parental lines of sunflower hybrid APSH-11. *Indian Bee Journal* 57 (2):82-83.

12. Thakur SS, Mishra RC and Kumar J (1997). Bloom visiting insects and their foraging behavior on almond (*Prunus amygdalus* Batsh). Indian Bee Journal 59(3): 157-160.

Table 1 - Relative abundance of insect pollinators (% of total insect pollinators/min./m²)

Insect pollinators	Time period (hrs)									
	8.00 am	9.00 am	10.00 am	11.00 am	12.00 noon	1.00 pm	2.00 pm	3.00 pm	4.00 pm	5.00 pm
Early blooming period										
<i>A. mellifera</i>	29.61	35.04	31.17	33.84	32.68	33.97	39.05	33.36	71.60	89.06
<i>A. dorsata</i>	70.38	41.25	33.77	35.29	35.66	32.05	20.96	28.79	17.83	0.00
<i>A. florea</i>	0.00	7.22	17.52	16.89	16.79	30.20	38.11	24.22	7.03	10.93
Syrphid fly	0.00	16.47	17.52	13.96	17.85	3.76	1.86	13.60	3.51	0.00
Full blooming period										
<i>A. mellifera</i>	0.00	37.73	35.10	34.32	29.11	32.53	38.06	42.45	54.41	100.00
<i>A. dorsata</i>	90.16	42.31	43.87	37.23	41.76	31.730	29.2	19.21	25.70	0.00
<i>A. florea</i>	0.00	14.42	13.43	13.86	10.68	27.63	31.86	35.63	17.06	0.00
Syrphid fly	9.83	11.52	7.57	14.57	18.43	8.09	0.86	2.68	2.81	0.00

(Percentage of total seven observations taken on different periods)

बी, एम, पी, डी प्रणाली पर आधारित नया शोध

डॉ. डी.एस. बामनिया * शिवराम मेहता **

प्रस्तावना - गणित एक ऐसा विषय है कि प्रकृति के अनगिनत व्यवहार को गणित की सहायता से ही संभव है। चूँकि वैज्ञानिक प्रगति का मूल आधार ही गणित है। गणित कि मुख्य तीन शाखाएँ हैं- अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित इन तीनों शाखाओं के विकास का भारतीय इतिहास का योगदान है।

(1) वैदिक काल में गणित कि जानकारी कल्प नामक वेदांग में शुल्व सूत्रों के रूप में (3000 ई. पू.) में मिली है, चूँकि भारतीय गणित शास्त्र का दूसरी शताब्दी से जन्म माना जाता है। भारत में गणित शास्त्र ईसा पूर्व से रेखा गणित के अन्तर्गत न्यूनकोण, दीर्घकोण, समकोण आदि का परिचय दिया गया है। प्राचीन भारतीय गणित शास्त्र में विश्व प्रख्यात महान गणितज्ञों भारत में विश्व इतिहास का योगदान रहा।

(2) हमारे भारतीय गणितज्ञों ने जो भी शोध कार्य किए वह वर्तमान में प्रचलित है। स्व. श्री आर्यभट्ट जी (476 ई. पू.) पटना बिहार में जन्म हुआ। जिसके द्वारा क्षेत्रमिति कि खोजकर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया। प्राचीन भारतीय गणित शास्त्र में 5 वीं सदी से रेखागणित, बीजगणित तथा प्रतीकों के साथ प्राकृत संख्याओं को व्यक्त कर अन्य संख्याओं में प्रकट करने की रीति भी बनाई गई है। उसी रीति को आज मेरे द्वारा नया नाम बीएमपीडी प्रणाली दिया गया।

गणित की संरचनाएँ - गणित की संरचनाएँ बीएमपीडी से की गई है। गणित के मूल प्रतीक जैसे - (ब्रेकेट, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, डिवाइड या डेसीमल) है, यह वास्तविक में गणित के मूल प्रतीक है। मूल प्रतीक के नाम को ही बीएमपीडी प्रणाली कहते हैं। गणित में बीएमपीडी प्रणाली कि खोज की गई। चूँकि वास्तविक में भारत के एक बिन्दु से बीएमपीडी प्रणाली का जन्म हुआ। भारत के एक बिन्दु मध्यप्रदेश है। वास्तव में मध्यप्रदेश एक बिन्दुओं का प्रदेश है यह भारत के बीच सेन्टर का भाग है। उसी बिन्दु से बीएमपीडी प्रणाली की उत्पत्ति हुई। हम मध्यप्रदेश को, भारत के एक दिल कहते हैं।

बीएमपीडी से प्रमुख तीन शाखाएँ - अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित बीएमपीडी के सहायता बिना कोई निर्माण नहीं, बीएमपीडी प्रणाली विश्व गणित का मुख्य धरोहर है।

बीएमपीडी का प्रविधि -

- (1) हम प्रतिदिन सैकड़ों बार-जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग को काम में लेते हैं। उसी कार्य को बीएमपीडी प्रणाली कहते हैं।
- (2) किसी भी प्राकृत संख्याओं को मूल प्रतीकों के साथ अन्य संख्याओं में प्रकट करने की रीति बनाई गई है।

- (3) मूल प्रतीकों के सहायता से कई सूत्र विधियों का शोध के प्रचलन विधि।

उक्त बिन्दुओं के मूल प्रतीकों के सहायता से परिवर्तन करने के रीति बनाई गई। उसी रीति के कार्य को बीएमपीडी प्रणाली कहते हैं।

- (3) बीएमपीडी प्रणाली के महत्वपूर्ण नामों को दिया गया है।

(1) बीएमपीडी (भारत, मध्यप्रदेश ऑफ दिल)।

(2) बीएमपीडी (भारतीय मैथेमेटिक्स प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट) यह एक गणित के शोध संस्था एवं गणित का नाम हुआ।

(3) बीएमपीडी (ब्रेकेट, मल्टीप्लाई, प्लस ऑफ डिवाइड) यह एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र विधि एवं मूल चिन्हों के नाम है।

उक्त बीएमपीडी भारत देश व राज्य मध्यप्रदेश, रेखा गणित के त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्रविधि, एवं मूल चिन्हों के नामों को बीएमपीडी नियम कहते हैं।

बीएमपीडी का महत्व - मूल प्रतीकों और सूत्रविधियों के रीति को ही बीएमपीडी कहते हैं।

उदाहरण - रेखा गणित कि सबसे छोटी इकाई एक बिन्दु है। बिन्दु से ही रेखा गणित कि संरचनाएं की गई। चूँकि बिन्दु ही एक रेखा गणित कि जान है। उसी प्रकार से बीएमपीडी नियम भी गणित के मूल आधार है तथा बीएमपीडी नियम से ही गणित को बनाई गई। चूँकि वास्तविक में बीएमपीडी नियम एक गणित कि जान है।

शोध के उद्देश्य - गणित का मुख्य उद्देश्य, विज्ञान का विकास करना। वैज्ञानिक प्रगति का मूल आधार ही गणित है। प्रकृति के अनगिनत व्यवहार को गणित की सहायता से संभव है। गणित पूरे ब्रम्हाण्ड के रहस्यों को खोज करने का यंत्र है। गणित से ही सूत्र विधि, फिर यंत्र विधि चूँकि मनुष्यों के द्वारा मानव जीवन के भविष्य के लिए गणित के सहायता से ही विज्ञान में कई तरह-तरह की नई तकनीकों का प्रयोग किए जाते हैं। आज भी आधुनिक युग में विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिक रहस्यों को खोज किए जा रहे हैं। चूँकि गणित वैज्ञानिक प्रगति को हमेशा उन्नति का विकास को जारी रखना। यही गणित का उद्देश्य है।

- (1) विज्ञान के क्षेत्र में गणित की सहायता से एक छोटी सी सुई लेकर बड़े से बड़े वायुवान तक का आविष्कार किए गए। यदि एक मिसाइल की गति में एक मिलीमीटर भी कम या ज्यादा हो जाने पर वह असफल हो जाता है। जिस कारण मिसाइल एवं अन्य निर्माणों के लिए गणित का महत्वपूर्ण योगदान होता है।

- (2) पूरे संसार में मनुष्यों के द्वारा जो भी क्रियाकलाप जैसे - सोने से

* सहायक प्राध्यापक (गणित) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खरगोन (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, सेन्ट्रल जेल, बड़वानी (म.प्र.) भारत

लेकर उठने तक एवं उठने लेकर सोने तक तथा प्रतिदिन घण्टों से लेकर सेकण्डों तक जो भी क्रियाकलाप किये जाते हैं। उसी कार्य को हम एक गणित कहते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में गणित का सबसे बड़ा महत्व है। गणित है, तो विज्ञान है, गणित नहीं, तो कोई विज्ञान नहीं।

नोट - गणित के ज्यामिति में नये फार्मले का शोध निम्न प्रकार से है। वर्तमान में प्रचलित, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र विधि एवं वर्णित बी.एम.पी.डी. सूत्र विधि से किसी भी प्रश्न का हल करने पर दोनों का उत्तर एक समान पाया जाता है।

सूत्र निम्नानुसार वर्णित है।

वर्तमान प्रचलित सूत्र

$$(1) \text{ त्रिभुज का क्षेत्र} = \frac{1}{2} \times \text{आ.} \times \text{ऊ.}$$

$$(2) \text{ समकोण त्रिभुज का क्षेत्र} = \frac{1}{2} \times \text{आ.} \times \text{ऊ.}$$

$$(3) \text{ समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र} = \frac{1}{2} \times \text{आ.} \times \text{ऊ.}$$

(1) समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का निम्न BPMD नियम का सूत्रविधि है।

$$\text{सूत्र - क्षेत्रफल} = \frac{(3Lh+Lh)}{8}$$

$$\text{यहाँ } L = \text{लम्बाई} \\ h = \text{उचाई}$$

उदा. (1) समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल BPMD सूत्र विधि ज्ञात करें। जिसकी 5 सेंटीमीटर लम्बाई और 10 सेंटीमीटर उचाई है।

शोध किया गया BPMD सूत्र

हल:-दिया है, लम्बाई, L 5 सेंटीमीटर
ऊँचाई h 10 सेंटीमीटर उचाई
क्षेत्रफल A = ? (ज्ञात करना है।)

सूत्र - क्षेत्रफल = $\frac{(3Lh+Lh)}{8}$

$$= \frac{(3 \times 5 \times 10 + 5 \times 10)}{8}$$

$$= \frac{(150 + 50)}{8}$$

$$= \frac{200}{8}$$

$$= 25 \text{ सेंटीमीटर उत्तर}$$

उदा. (2) समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल BPMD सूत्र विधि ज्ञात करें। जिसकी 8 सेंटीमीटर लम्बाई और 6 सेंटीमीटर उचाई है।

हल- दिया है, लम्बाई, L 8 सेंटीमीटर
ऊँचाई h 6 सेंटीमीटर
क्षेत्रफल A = ? (ज्ञात करना है।)

सूत्र - क्षेत्रफल = $\frac{(3Lh+Lh)}{8}$

$$= \frac{(3 \times 8 \times 6 + 8 \times 6)}{8}$$

शोध किया गया सूत्र -
बी.एम.पी.डी.

$$\text{क्षेत्र} = \frac{(3Lh+Lh)}{8}$$

$$= \frac{(3 \times 10 \times 7 + 10 \times 7)}{8}$$

$$= \frac{(210 + 70)}{8}$$

$$= \frac{280}{8}$$

$$= 35 \text{ सेंटीमीटर उत्तर}$$

वर्तमान प्रचलित सूत्र विधि

हल:-दिया है, लम्बाई, L 5 सेंटीमीटर
ऊँचाई h 10 सेंटीमीटर
क्षेत्रफल A = ? (ज्ञात करना है।)

क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times \text{ल.} \times \text{ऊ.}$

$$= \frac{1}{2} \times 5 \times 10$$

$$= 25 \text{ सेटी. उत्तर}$$

हल-दिया है, लम्बाई, L 8 सेंटीमीटर
ऊँचाई h 6 सेंटीमीटर
क्षेत्रफल A = ? (ज्ञात करना है।)

क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times \text{ल.} \times \text{ऊ.}$

$$= \frac{1}{2} \times 8 \times 6$$

$$= \frac{(144+48)}{8}$$

$$= \frac{192}{8}$$

$$= 24 \text{ सेंटीमीटर उत्तर}$$

उदा. (3) एक त्रिभुज का क्षेत्रफल BPMD सूत्र विधि ज्ञात करें। जिसकी 10 सेंटीमीटर लम्बाई और 7 सेंटीमीटर उचाई है।

हल- दिया है, लम्बाई, L 10 सेंटीमीटर
उचाई h 7 सेंटीमीटर
क्षेत्रफल A = ? (ज्ञात करना है।)

सूत्र - क्षेत्रफल = $\frac{(3Lh+Lh)}{8}$

$$= \frac{(3 \times 10 \times 7 + 10 \times 7)}{8}$$

$$= \frac{(210 + 70)}{8}$$

$$= \frac{280}{8}$$

$$= 35 \text{ सेंटीमीटर उत्तर}$$

उदा. (4) एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेटीमीटर तथा आधार 8 सेटीमीटर है तो उचाई ज्ञात करें।

हल:-दिया है, क्षेत्रफल, A=48 सेटीमीटर
आधार b= 8 सेटीमीटर
ऊँचाई h=? ज्ञात करना है।

सूत्र - क्षेत्रफल = $\frac{(3Lh+Lh)}{8}$

$$48 = \frac{(3 \times 8 \times h + 8 \times h)}{8}$$

$$48 = \frac{(24h + 8h)}{8}$$

$$48 = \frac{32h}{8}$$

$$32h = 48 \times 8$$

$$32h = 384$$

$$h = \frac{384}{32}$$

$$h = 12 \text{ सेंटीमीटर उत्तर}$$

उदा. (5) एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 सेटीमीटर तथा आधार 7 सेटीमीटर है तो उचाई ज्ञात करें।

हल:-दिया है, क्षेत्रफल, A=35 सेटीमीटर
आधार b= 7 सेटीमीटर
ऊँचाई h=? ज्ञात करना है।

सूत्र - क्षेत्रफल = $\frac{(3Lh+Lh)}{8}$

$$35 = \frac{(3 \times 7 \times h + 7 \times h)}{8}$$

$$= 24 \text{ सेटी. उत्तर}$$

हल- दिया है, लम्बाई, L 10 सेंटीमीटर
उचाई h 7 सेंटीमीटर
क्षेत्रफल A = ? (ज्ञात करना है।)

क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times \text{ल.} \times \text{ऊ.}$

$$= \frac{1}{2} \times 10 \times 7$$

$$= 35 \text{ सेटी. उत्तर}$$

हल:- दिया है, क्षेत्रफल, A=48 सेटीमीटर
आधार b=8 सेटीमीटर
ऊँचाई h=? ज्ञात करना है।

क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times \text{ल.} \times \text{ऊ.}$

$$48 = \frac{1}{2} \times 8 \times h$$

$$8h = 48 \times 2$$

$$8h = 96$$

$$h = \frac{96}{8}$$

$$h = 12 \text{ सेंटीमीटर उत्तर}$$

हल:- दिया है, क्षेत्रफल, A=35 सेटीमीटर
आधार b=7 सेटीमीटर
ऊँचाई h=? ज्ञात करना है।

क्षेत्रफल = $\frac{1}{2} \times \text{ल.} \times \text{ऊ.}$

$$35 = \frac{1}{2} \times 7 \times h$$

$$35 = \frac{(21h+7h)}{8}$$

$$35 = \frac{28h}{8}$$

$$28h = 35 \times 8$$

$$28h = 280$$

$$h = \frac{280}{28}$$

$$h = 10 \text{ सेंटीमीटर उत्तर}$$

$$7h = 35 \times 2$$

$$7h = 70$$

$$h = \frac{70}{7}$$

$$h = 10 \text{ सेंटीमीटर उत्तर}$$

- गणित के क्षेत्रमिति में BPMD प्रणाली एक नई विधि है। इस विधि से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक तीसरा सूत्र का शोध किया गया है।
- उदाहरण - BODMAS - पहला अक्षर B- से (ब्रेकेट) दूसरा अक्षर, O- से (मल्टीप्लाई), तीसरा अक्षर D- से (डिवाइड), चौथा अक्षर M- से (मल्टीप्लाई) पाँचवाँ अक्षर A- से (एडिशन) छठा अक्षर S- से (सबट्रैक्शन) यह सूचित करता है।

अतः BODMAS से प्रश्नों का हल अक्षरों के क्रम के अनुसार ही करते हैं। सबसे पहले कोष्ठक की क्रिया करते हैं।

उसी प्रकार से मैं BODMAS प्रणाली - पहला अक्षर B- से (ब्रेकेट) दूसरा अक्षर M- से (मल्टीप्लाई) तीसरा अक्षर P- से (प्लस), चौथा अक्षर D- से (डिवाइड) यह सूचित करता है।

अतः BODMAS से प्रश्नों का हल अक्षरों के क्रम के अनुसार ही समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात के लिये एक सुत्र विधि बनाई गई है।

- बोडमास नियम, बोडमास के अक्षरों के क्रम के अनुसार ही प्रश्न का हल किए जाते हैं।

उसी प्रकार से बीएमपीडी नियम भी अक्षरों के क्रम के अनुसार ही समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र विधि द्वारा किसी भी प्रश्न का हल किए जाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लूसेंट प्राथमिक अंकगणित, ज्यामितिय, इन्टरनेट।
2. शिवराम मेहता, भारत देश पर आधारित गणित में नया शोध नवीन शोध संसार, सितम्बर 2017 Volume II, Issue XIX

Effect Of Demographic Factors On Calorie Intake Of Pregnant Women In Their 2nd Trimester

Sonal Bhargava* Prof. Meenakshi Mathur**

Abstract - Objective - This study was carried out to evaluate the calorie intake of pregnant women in their 2nd trimester and the effect of various demographic factors on it.

Method - A total of 200 pregnant women in their 2nd trimester was studied, using purposive sampling.

Results - The calorie intake of pregnant women was very less than the recommended allowance. On an average the intake was 1575 kcal/day i.e. 72.5% of RDA (ICMR 1989). Calorie intake of pregnant women depends significantly on occupation level, locale, education level, family income and meal pattern whereas religion and food habits of pregnant women does not have any significant effect on their calorie intake.

Conclusion - Pregnant women need guidance in selecting nutrient dense foods to improve maternal and foetal health status. This emphasised on requirement of a proper counselling system, so that proper nutrition counselling and education could be given.

Key Words - Dietary intake, Pregnant women, Uttar Pradesh, India.

Introduction - Pregnancy is the most crucial period of every woman's life. Pregnancy essentially consists of a series of small, continuous physiologic adjustments that affect the metabolism of all the nutrients. The increased demand of nutrients for formation of new tissue, growth of existing maternal tissues such as breast and uterus and increased energy requirements for tissue synthesis makes pregnant women more vulnerable to malnutrition and related complication. These adjustments undoubtedly vary widely from women to women depending on her pre-pregnancy nutrition, genetic determinants and lifestyle behaviour. A woman's nutritional status should be assessed prior to conception, during pregnancy and after delivery during the lactation period and then counselled accordingly.

There is a strong Association between proper energy balances and reproductive function in women. Lower BMI and increasing body weight are a serious concern, both in developed and developing countries and this has linked with reduced fertility potential of woman. Apart from age, occupation, family income, religion, educational level, locale, medical and other health problems, food habits and level of nutrition are contributing to work great extent to this problem.

Review of literature - In 2010, maternal and child undernutrition was responsible for 1.5 million mortalities in the world [1]. Malnutrition during pregnancy yield both short and long-term effects on the health of an infant by programming the infant's development [2] and associated with risk of non-communicable diseases such as obesity,

type 2 diabetes, hypertension and cardiovascular disease in later life [3]. Appropriate nutrition and weight gain benefits pregnant women to meet the demands of her offspring, her own body needs, and to prepare her body for lactation [4]. Low weight gain during pregnancy is risk factors for the delivery of infants too small for gestational age leading to neonatal mortality and morbidity [5], failure to grow, slow cognitive development and chronic diseases in adulthood [6].

In a study the nutritional status of 171 pregnant Indian woman from lower income levels were examined. There was a significant difference in the dietary intake of carbohydrate and calcium between the second and third trimester of pregnancy. The carbohydrate intake increased as pregnancy progressed ($P \leq 0.05$) and the calcium level decline ($P \leq 0.10$). Muslims and Christians tend to have similar dietary intake. The Hindus had the lower nutrition intake for protein, fat, calories and calcium [7].

Age at first marriage, meal frequency [8], educational status [9], religion [10], occupation of head of household, maternal age and marital status [9, 10], were discovered as predictors of maternal nutritional status which in turn influence dietary practices of mothers. exposure to nutrition information, attitude towards specific dietary habits and nutrition knowledge [11], attending antenatal care [12], maternal education and income [11, 12] were explored as predictors of maternal dietary practices.

Method - A comprehensive study was carried out to know the effect of demographic factors on calorie intake of

pregnant women. The present study was conducted with pregnant women visiting two maternal clinics in Agra city, Uttar Pradesh (India).

Sample selection - The sampling procedure that was adopted for the present study was purposive sampling in which respondents were chosen from the whole population based on purpose of the study, so that a good representative sample fulfilling the research objectives can be obtained. The sample size was 200 pregnant women in 2nd trimester of their pregnancy without any chronic illness for this study

Tools - A personal information questionnaire was developed in order to seek the detailed background information like Age, Religion, Occupation, Family income, Month of pregnancy, locale and educational level and calorie intake through 24-hour dietary recall method.

Procedure of data collection - After identifying the subjects and taking their consent, according to their convenience and willingness to take part in study, the subjects were asked to fill questionnaire and give measurement and data related to their nutritional status. A consent form was signed individually by the respondents

Result analysis

Table 1 - (See in the last page)

Table 1 indicate the demographic profile of the pregnant woman. Out of 200 pregnant woman 39% were under the age group of 19-28 years of age, where 10% women were under 39-48 years of age, rest 51% were under the age group 29-38 years.

Regarding month of pregnancy maximum 56.5 % woman were under fifth month of pregnancy whereas a smaller number of pregnant women were in fourth (14.5%) and sixth (29.0%) month of pregnancy. when analysing working level, it was found that most of the pregnant woman were falling under sedentary work as with pregnancy their work load was lowered by family members and occupational colleagues. The non-working pregnant (59%) woman outnumber the working (41%) pregnant women may be due to their family income, religion or locale. Around 50% respondent belonged to middle income group whereas 41% comes under lower income group. Only 9% respondents were with strong financials.

Nearly three-fourth (73.5%) of the pregnant women were Hindu and 17% pregnant woman belongs to Muslim religion. Rest 9.5% of pregnant women were Sikh or Christian. More than half of the pregnant women (58%) were graduate/ professionals, only 12% were less than primary education level. Pregnant woman who were studied out of them 69.5% were residing in urban area whereas 30.9% respondents were from rural area.

Table 2 - (See in the last page)

According to ICMR 1989, recommended dietary allowances for calorie intake of Indian pregnant woman for sedentary worker is (1875+300 kcal/day), whereas actual intake of respondents was very less than the recommended allowance. On an average the calorie intake was 1575 kcal/

day i.e. 72.5% of RDA.

Various factors affecting the calorie intake of pregnant women - Table 3 reveals that Calorie intake of pregnant women depends significantly on occupation level, locale, education level, family income and meal pattern whereas religion and food habits of pregnant women does not have any significant effect on their calorie intake. Calorie Intake of food at desirable time and

Table 3 - (See in the last page)

temperature to pregnant Housewives. In comparison to working pregnant women who have to consume cold and limited variety of food items packed in their tiffin's.

The calorie intake of Hindu pregnant women was nearly similar to Muslim pregnant women and pregnant women of other religions. Professional/graduate pregnant women consumed more calories than less educated pregnant women. Awareness and knowledge about increased requirement of calories during their pregnancy motivated professional/graduate pregnant women to consume adequate calories to meet their enhanced needs.

Calorie intake of pregnant women from middle income group was more than pregnant women from lower and higher income groups. Better food choices and capacity of buying may be a significant reason for this difference. We found that vegetarian pregnant women, egg vegetarian pregnant women and non-vegetarian women consumed nearly same number of calories. There was no significant difference in their intake. Pregnant women who were consuming 3 to 4 meals per day consumed less calories than pregnant women who consume 5 to 6 meals per day or more. Eating small in frequent meals helps them to consume more calories and other nutrients in comparison to heavy meals consumed by pregnant women, 3 to 4 times per day.

Discussion - Maternal dietary practices during pregnancy play an important role in determining the long-term health and nutritional status of both the mother and her growing fetus. Poor dietary practices of mother during pregnancy may result in increased rates of stillbirths, low birth weight, premature birth, maternal and prenatal death.

The relationship between various demographic as well as socioeconomic factors and calorie intake was analysed. The low energy intake of pregnant women is a common problem in other parts of the world^[13]. In the present study, the mean intake of calorie is around three-fourth of the RDA i.e. 72.5%. Even though government and health sectors are developing different health and nutrition policy and programs, this result have shown that poor dietary practices during pregnancy is still a major problem in India. It is also repeatedly reported that dietary practices can be influenced by culture, socioeconomic and environmental determinants^[14, 15, 16]. In the present study, calorie intake of pregnant women depends significantly on occupation level, locale, literacy, family income and meal pattern. More than 51% of pregnant women were only consuming three major meals. Importance of eating between major meals is still an

unknown fact for many them.

It is concluded from the findings of this study that pregnant women need to increase their calorie intake. The results suggest that pregnant women need guidance in selecting nutrient dense foods. Moreover, the results of this study emphasize the importance of nutritional profile of pregnant women and requirement of a proper counselling system, so that proper nutrition counselling and education could be given.

References :-

1. Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei G, Shibuya K, Adair-Rohani H, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 2012, 1990–2010: a systematic analysis for the global burden of disease study 2010. *Lancet*. 2012;380:2224–2260. doi: 10.1016/S0140-6736(12)61766-
2. Isolauri E. Diet, nutrition and nutritional status: from the mother to the infant. *The Nest*. 2011;31:2–3.
3. Koletzko B, Brands B, Poston L, et al. Early nutrition programming of long-term health. *Proceedings of the nutrition. Society*. 2012;71:371–378.
4. Taleb S, Kaibi M, Deghboudj N. Assessment of nutritional status of pregnant women attending the City Tebessa PMI. *Natl J Physiol Pharm Pharmacol*. 2011;1(2):97–105.
5. Kramer MS Determinants of low birth weight: methodological assessment and meta-analysis. *Bull World Health Organ*. 1987;65:663–737.
6. Barker DJ, Gluckman PD, Godfrey KM, Harding JE, Owens JA, Robinson JS. Fetal nutrition and cardiovascular disease in adult life. *Lancet*. 1993;341:938–941. doi: 10.1016/0140-6736(93)91224-A.
7. Matter, Sharleen L., and Lucille M. Wakefield. "Religious influence on dietary intake and physical condition of indigent, pregnant Indian women." *The American Journal of Clinical Nutrition* 24.9 (1971): 1097-1106.
8. Veronika S, Hans Konrad B, Wang Q, Elizabeth H, Bellows AC. Dietary intake and food habits of pregnant women residing in urban and rural areas of Deyang City, Sichuan Province, China. *Nutrients* . 2013;5:2933–2954. doi: 10.3390/nu5082933.
9. Teller H, Yimar G. Levels and determinants of malnutrition in adolescent and adult women in southern Ethiopia. *Ethiop J Health Dev*. 2000;14(1):57–66.
10. Central Statistical Authority [Ethiopia] and ORC macro . Ethiopia Demographic and Health Survey 2000. Addis Ababa, Ethiopia, and Calverton. Maryland: Central Statistical Authority and ORC Macro; 2001.
11. Alemayehu MS, Tesema EM. Dietary practice and associated factors among pregnant women in Gondar town north west, Ethiopia, 2014. *Int J Nutr Food Sci*. 2015;4(6):707–712. doi: 10.11648/j.ijnfs.20150406.27.
12. Nejimu BZ: Food taboos and misconceptions among pregnant women of Shashemene District, Ethiopia, 2012. *Sci J Public Health* 2015, 3(3): 410–416 ISSN: 2328–7950.
13. Arija V, Cuco G, Vila J, Iranzo R, Fernandez-Ballart J. Food consumption, dietary habits and nutritional status of the population of Reus: follow-up from pre-conception throughout pregnancy and after birth. *Med Clin*. 2004;123(1):5–11.
14. Madhavi LH, Singh HKG. Nutritional status of rural pregnant women. *People's J Sci Res*. 2011;4(2):20–23.
15. Kronold M, Coleman P. Social and biocultural determinants of food selection. *Prog Food Nutr Sci*. 1986;10:179–203.
16. Mirsanjaril M, Muda D, Ahmad A, Othman MS. Does nutritional knowledge have relationship with healthy dietary attitude and practices during pregnancy? International conference on nutrition and food sciences. IPCBEE 2012, vol. 39. Singapore: IACSIT Press.

Table 1 - Demographic profile of the pregnant women

Demographic information	No. of Respondents	Percentage (%)
Age		
19-28	78	39.0
29-38	102	51.0
39-48	20	10.0
Month of pregnancy		
Fourth	29	14.5
Fifth	113	56.5
Sixth	58	29.0
Occupation		
Working	82	41.0
Non-working	118	59.0
Family income		
<25,000	82	41.0
25,000-75,000	100	50.0
>75,000	18	9.0
Religion		
Hindu	147	73.5
Muslim	34	17.0
Others	19	9.5
Literacy		
Illiterate	0	0
Primary	24	12.0
Secondary	60	30.0
Graduate/professional	116	58.0
Locale		
Rural	61	30.5
Urban	139	69.5

Table 2 - Calorie intake of the respondents

Nutritional intake	No. of Respondents	Percentage (%)	Average intake
Calorie (kcal)			
1200-1400	30	15.0	1575 Kcal/respondent
1400-1600	85	42.0	
1600-1800	65	32.0	
1800-2000	20	10.0	

Table3 - Various factors affecting the calorie intake of pregnant women

Factors		Calorie Category-1	Category-2	Category-3	Category-4	Total	Chi square (÷2)
Occupation	House Wife	28	38	38	14	118	22.807**
	Working	2	47	27	6	82	
	Total	30	85	65	20	200	
Locale	Urban	12	69	42	16	139	19.555**
	Rural	18	16	23	4	61	
Total		30	85	65	20	200	
Religion	Hindu	26	63	46	12	147	5.776
	Muslim	3	13	12	6	34	
	Others	1	9	7	2	19	
Total		30	85	65	20	200	
Education level	Primary	12	7	5	0	24	52.385**
	Secondary	14	17	27	2	60	
	Graduate/Professional	4	61	33	18	116	
Total		30	85	65	20	200	
Family income	less than 25000	26	31	25	0	82	47.224**
	25000-75000	4	50	30	16	100	
	more than 75000	0	4	10	4	18	
Total		30	85	65	20	200	
Food Habits	Vegetarian	22	39	29	6	96	12.514
	Eggetarian	6	24	20	6	56	
	Non-Vegetarian	2	22	16	8	48	
Total		30	85	65	20	200	
Meal pattern	3-4	24	48	22	8	102	30.467**
	5-6	6	31	43	12	92	
	More	0	6	0	0	6	
Total		30	85	65	20	200	

Where, * = 5%level of significance ** = 1%level of significance

The Global Crisis Of Severe Acute Malnutrition (SAM) Children's

Dr. Akanksha Choudhary *

Introduction - Approximately 19 million youngsters less than 5 years had severe acute malnutrition (SAM) worldwide in 2011, most of whom lived in Africa and Southeast Asia. Furthermore, more than 7% of all deaths in this age group were attributable to this disorder. These alarming numbers—calculated as part of the (2013 Lancet Series) on Maternal and Child Nutrition—highlight how seriously the global problem of SAM should be taken. Therefore, the newly released WHO guidelines for the management of SAM in young children, to replace those produced in 1999, had been adopted as a step in the right direction.

Prior references stated that all children younger than 5 years with SAM (a weight-for-height Z score of less than -3 or presence of bilateral oedema) need to admit to hospital, but also, the aim is to treat maximum outpatients. This strategy is good for children as they can remain with their mothers and are not at risk of hospital-acquired infections—but it could also reduce treatment costs and the strain on care facilities. However, outpatient care should not mean that children are given the necessary treatments and never seen again; they must be followed up to ensure that their health improves. The new guidelines stress that antibiotics should be used only for children with SAM, not those with less severe under nutrition, which is notable in view of the escalating global issue of resistance. Additionally, how to identify and treat SAM in infants younger than 6 months is addressed for the first time. Finally, the guidelines now cover treatment of children with SAM who are also living with HIV infection, which is crucial because mortality is highest in this group.

Between 2003 and 2007, the nutritional status of children under five years of age was measured in Demographic and Health Surveys in the same way in 41 developing countries.

Statement of Problem and Rational for undertaking the study (See in the last page)

Data from 67 studies worldwide show that the median case fatality rate has not changed for the past five decades, and that one in four severely malnourished children died during treatment in the 1990s. In any decade, however, some centers obtained good results with fewer than 5% dying. Whereas others fared poorly with a mortality rate of

approximately 50%. This disparity is not due to difference in the prevalence of severe cases of malnutrition, but it is basic principles has been followed.

There are all-around efforts to tackle childhood under nutrition in India (New Plan to Curb Kid Malnutrition. Hindustan Times 2013). An estimated 8.1 million under five children in India are affected, and 0.6 million deaths and 24.6 million DALYs (Disability Adjusted Life Years) are attributed to severe acute malnutrition (NFHS-III 2005-2006). Malnutrition is more common in India than in Sub-Saharan Africa. One in every three malnourished children in the world lives in India. Malnutrition limits development and the capacity to learn. It also costs lives: about 50 per cent of all childhood deaths are attributed to malnutrition. In India, around 46 per cent of all children below the age of three are too small for their age, 47 per cent are underweight and at least 16 per cent are wasted. Many of these children are severely malnourished.

Prior to 2006, the nutritional status of preschool children was most often assess in relation to an International Growth Reference Population established by the U.S. National Center for Health Statistics (NCHS) and endorsed by the World Health Organization (WHO). In 2006, WHO came out with new child growth standards, which have been adopted by the Government of India. The new standards are based on properly fed children with no significant morbidity in Brazil, Ghana, India, Norway, Oman, and the United States. The new standards use the breastfed child as the normative model for growth and development.

Nutritional problems are substantial in every state in India - The proportion of children under age five years who are underweight ranges from 20% in Sikkim and Mizoram to 60% in Madhya Pradesh. In addition to Madhya Pradesh, more than half of young children are underweight in Jharkhand and Bihar. Other states where more than 40% of children are underweight are Meghalaya, Chhattisgarh, Gujarat, Uttar-Pradesh and Orissa. In Meghalaya, Madhya Pradesh, and Jharkhand, more than one in every four children is severely underweight. Although, the prevalence of underweight is relatively low in Mizoram, Sikkim, and Manipur, even in those states more than one-third of children are stunted. Wasting is most common in Madhya Pradesh

(35%), Jharkhand (32%), and Meghalaya (31%).

References :-

1. Chaudhury M. Madhya Pradesh: Epicentre of hunger. .
2. Bal Shakti Yojna. Government of Madhya Pradesh, Innovative Schemes and Programmed Interventions under NRHM, Department of Public Health and Family Welfare, Bhopal. [Last accessed on 2009 Aug .
3. Bhatnagar S, Lodha R, Choudhury P, Sachdev HP, Shah N, Narayan S, et al. IAP guidelines 2006 on hospital based management of severely malnourished children (adapted from the WHO Guidelines) Indian Pediatr. 2007;44:443–61.
4. Bal Shakti. New York, USA: UNICEF; 2008. Guidelines for Management of severely Malnourished Children at Nutrition Rehabilitation Centers. Government of Madhya Pradesh.
5. Golden M, Grellety Y. Guidelines for the Integrated Management of the severely malnourished. (Draft copy) 2008
6. Agarwal A. Social classification: The need to update in the present scenario. Indian J Community Med. 2008;33:50–1.
7. Park K. 20th ed. Jabalpur: Banarsidas Bhanot; 2009. Textbook of Preventive and Social Medicine. Preventive Medicine in Obstetrics, Pediatrics and Geriatrics: Growth Charts used in India; pp. 470–1. Chapter.
8. Secretariat health Services; Government of Madhya Pradesh: Guidelines to improve services in functioning of Nutrition Rehabilitation Centers. No R.C.H/09/5734; 30.06.09.
9. Mumbai: IIPS, ORC Macro; 2005. International Institute of Population Sciences. National Family Health Survey –3.
10. Savadogo L, Zoetaba I, Donnen P, Hennart P, Sondo BK, Dramaix M. Management of severe acute malnutrition in an urban nutritional rehabilitation center in Burkina Faso. Rev Epidemiol Sante Publique. 2007;55:265–74.




Table 1 : A stunted child has a height-for –age z-score that is at least 2 standard deviations (SD) below the median for the WHO Child Growth Standards. Chronic malnutrition is an indicators of linear growth retardation that results from failure to receive adequate nutrition over a long period and may be exacerbated by recurrent and chronic illness.




Table 2 : A wasted child has a weight-for-height z-score that is at least 2 SD below the median for WHO Child Growth Standards. Wasting represents a recent failure to receive adequate nutrition and may be affected by recent episodes of diarrhoea and other acute illnesses.





Table 3 : An underweight child has a weight-for z-score that is at least 2 SD below the median for the WHO Child Growth Standards. This condition can result from either chronic or acute malnutrition, or both.

Percentage of Children Under Five Years Who Are Underweight



Ajark - A Fabric From Cattle Herders To Model

Dr. Shweta Sharma* Varnika Sharma**

Abstract - The term archaeological textile means the textile materials which have been found from archaeological excavation. There are various evidences which say that textile was also present in prehistoric period which is very much important today also. Previously fabric was dyed with natural resources like leaves, flowers, buds, roots, stem, seeds etc. In 1856 synthetic dyes was introduced, they were successful due to low cost and less time consuming but on the other hand they are very carcinogenic. A survey was conducted to Ajarkhpur village where fabric was dyed and printed with natural colours, to see the process of natural dyes (extraction and dyeing). Ajarkhprint is eco-friendly and providing employment to many people it's a source of income to various houses

Key Words - Archaeological textile, natural dye, ajarkhprint.

Introduction - Archaeological Textile - The term archaeological textile means the textile materials which have been found from archaeological excavation. The clothing was very important in daily activities in prehistory and even today also after the development of the fibers and weaving textiles was used everywhere in the daily routine of a individual. Clothing was used to cover the body and for many various culture and social purposes, with the help of clothing we easily identify the status and sex in the society and it also tells the wealth of a user. The textile product which was found during excavation was generally preserved in many museums and forts.

Archaeology is the study of human behavior and cultural changes happened in the past through material remains like stones, bones artifacts, clay pottery, ceramic, beautiful jewellery and some time textile materials. The term textile refers to type of cloth woven or non-woven fabric was formed by interlacement or interloping of two sets of yarn warp and weft. It is very difficult to find the evidences of textiles because it gets decomposed easily due to several factors like temperature, time/years etc. In past very few remains of fabric was discovered. Silk, cotton, wool etc these are all natural fibers synthetic fibers was not discovered at that time.

Archaeological textile represents mainly spun, braided and woven structures, made from natural fibers, animals and vegetable origin: wool, hair, silk, cotton, flax, jute, hemp, nettle and grass etc. The Upper Paleolithic gives first evidence of a textile product as the carved bone figure of venus wearing cloth in the a fringe of twisted strings of fiber, dating from about 2000BC (Good 2006). The first evidence of weaving is dated from impressions of textile stamped on clay balls found in Iraq. The use of protein fibers was the

beginning of the use of dyes, because animal fiber can be dyed much easier than flax and it dated to 3000 BC dyeing techniques were well established in China this when exactly the dyeing of textile began (Good 2006). Previously a natural dye was used to dye the fabric because that time synthetic dye was not invented

Natural Dyeing - The art of dyeing is as old as our civilization. Dyed textile evidences are found during archaeological excavations at different places all over the world provide evidence to the practice of dyeing in ancient civilization. Natural dye was used only for coloring of textiles from ancient times till the 19 century. As the name suggest natural dyes are derived from natural sources such as various plants parts including flowers, dyes-fruits, rinds, hulls, husks, flower, fruit, roots, leaves, twigs, stems, heartwood, bark wood shavings, bark, insect secretions, animals, minerals and microbial origins were used for coloration of various textile materials. The first synthetic dye was discovered in 1856 Use of natural dye started to decline after the invention of synthetic dye in the second half of the 19th century (Figure 1).



Figure - 1 Black dye made of Tamarind seeds

*Asst. Professor (Home Science) R.G.P.G. College, Meerut (U.P.) INDIA

**Bachelor of Archeology (Final Year) The Maharaja Sayajirao University of Baroda (Gujarat) INDIA

Methodology

Survey - Visit was conducted to Ajarkhpur Village in Bhuj district Kachchh, Gujarat India on September 22, 2018 Saturday. The main purpose of the visit is to see the process of dyeing and printing the fabric with natural dyes. Visited to the workshop of Khatri Abdul Raheman Budha specialist in Natural Indigo Dye. Ajarkhpur is a village where artisans and craftsmen dye and print the fabric with natural resources such as indigo, Lawsonia inermis (henna), iron, majeed wood, sappan wood etc. After 2001, after earthquake large number of workshop was built by government in the village to encourage the artisans of block printing and natural dyeing.

About The Family - While during the interview Abdul Raheman Khatri says that he himself is a nine generation artisan, before partition his ancestors was in Sind region Pakistan but due to some climatic conditions and storage of water his ancestor moved from Sind to India. But still some of the members are still present in Sind region there also they used practice same art. Complete family of Abdul Raheman Khatri is linked to various types of printing like block print, rogan art, screen print, batik print, bandhej print and tie & dye both chemical and natural dye are used in Bhujpur, Mundra, Anjar and Ajarkhpur Mr. Khatri worked with his 4 son Abdul, Ibrahim, Juneid, Rashid and 1 daughter Afroz, he had about twenty labors

Process -

- Raw materials was purchased from various places after purchasing the fabric it goes for further process like washing, dyeing and printing.
- Before dyeing the fabric it is washed properly so that all the impurities has been removed, This is because if there are impurities on the surface of the fabric then printing and dyeing is not even on the surface and many times it also irritation to human skin.
- Traditional washing was done by camel dung and castor oil. The fabric was soaked overnight in a mixture of camel dung and castor oil.
- Camel dung is richest source of soda and castor oil makes the fabric soft. After dipping the fabric overnight it was washed and then the fabric was once again dipped in water overnight.
- Next morning the fabric was boiled for fifteen minutes in copper (because in copper there is no rusting and the fabric does not get any unwanted stain) container. After which it is dried on the sand as heat is good for the fabric and it acts as ironing on the fabric (figure 2).



Figure-2 Copper container in which the dye with fabric is boiled

- Nowadays they use bacteria and enzyme (Palkozyme-X) for two to three days and then the fabric is washed with running water and dried on sand (figure 3).



Figure - 3 washing of fabric

- In traditional method there used be wastage of a lot of water and at the same time it was time consuming which ultimately would increase the cost of the fabric.
- After washing they used to dip the fabric in kadukkai water (as it helps to develop the color on the fabric). The latter is done before printing and is a very important part in the process.
- The fabric is dipped in alum (alum acts as a whitening agent and fixer) water then dried. It is washed again. Printing is done before dyeing the fabric.(figure 4)



Figure.4 printing the design by using block

- For Ajarkh (traditional Gujarati print) print they used to apply a mixture of acacia gum, lime and clay on the fabric (figure.5,6,7,8,9,10,11)

- Figure. 5 Acacia gum , lime and clay is applied**
 - Figure. 6 Rust stain on the fabric**
 - Figure. 7 Acacia gum and Clay applied on the print**
 - Figure. 8 Fabric is dipped in Indigo**
 - Figure. 9 Washed Fabric**
 - Figure.10 Fabric after turmeric spray**
 - Figure.11 Finished Product**
- (Figure 5 to 11 See in the next page)

- When the fabric was dye with sappan wood the water temperature should be 80°C because boiling process fixed the color to the fabric. Fabric is boiled in copper

container as copper do not have rusting problem.

- Sappan wood gives light red color. Shades of the color on the fabric are also depending on the number of time the fabric is dipped in the dye. Only sappan wood dye was used in boiling water the other dye are used in normal temperature water.
- The fabric is put in the dye bath for eight to six days. The % of water and dye depend upon the fabric. If there are six meter clothes then it will put in five liter of water and eighty gram of dye in it.
- Yellow colors come from many thing like turmeric, kadukkai, pomegranate peel powder, buteamonasperma flower and woodfordiafruticosa (red flower species of Lythraceae family). The blue color come from indigo a white fabric is dipped in indigo for blue color.
- If green is required then the blue dye fabric is dipped in alum water and spray of turmeric is done or clothe is dipped in pomegranate peel water. The black clothe come from iron rusting as a fabric is put in the iron container for fifteen to twenty days with water so the rust stain left on the fabric and it gives black color.
- After dye process the fabric is dry on the ground as it heat of ground is good for the fabric. The copper, lime, alum used as a mordent on the fabric. Around 3000 meter of fabric is dye per month.
- In block printing firstly is printed and then dyed; when fifty - sixty pieces are ready they dry it together. Artisan print eight-ten pieces per day the working hour are 9:00 am to 4:00pm (six hours per day).
- In Abdul Raheman Khattris workshop there are 25-30 labor and their own family members. The labor is from different community some are Muslim and some are Sudra. The raw material is purchase on different price like tussar silk 1100 Rs per meter, zari (shine fabric)180 Rs per meter, cotton 35 Rs per meter, and silk 50 gram of 550 Rs and mashru fabric is 950 Rs per meter

Cost Of Final Product - The finished product is sale on 10 % of profit; cotton is sold on the prices of 150-200 Rs per meter.(Figure 12,13) They make product for Fabindia, Japan and France. They get order 6 month prior and then approval took 3 month, time for completing the order depends upon the amount of the order. Government is starting water filter plant in village during Make in India project 130 cores.

Figure.12,13 Finished Product(fig12 modal fabric) Observation (See in the next page)

The study conducted to Ajarkhpur village Bhuj district

Kachchh, Gujarat, India. The main purpose of the visit is to find out the process of natural dye.The climate of Ajarkhpur hot and humid which is good for dyeing process. Sometime dye colors are made from waste material like pomegranate peel powder (used for yellow color). The waste water of dye is used in field for agricultural purpose. Now government is making a filtrations plant for treating dye waste water. Dyeing with natural resources generated employment in Ajarkhpur village where agriculture is not a primary source of income due to climate condition. All the work is done manually due to that also it generated employment. Natural dye firms are well established business in the village. They have high demand of fabric in the market. People prefer to purchase natural dye fabric due to it benefits. The manufacture earns approx 10% of profit on the good. The process of natural dye is time consuming then synthetic dye. Natural dye doesn't cause any respiratory problem or other diseases to the labor and the wear. Natural dyes are non-toxic and non- allergic. That fabric is used to treat several skin disorders like acne and eczema. As chemical dye cause respiratory diseases, allergic reaction in eyes and skin irritation to the labor and skin problems to the wear. So it is concluded that ajarkh print is eco-friendly and providing employment to many people it's a source of income to various houses.

References :-

1. Agarwal D,P , 2007, The Indus Civilization: An Inter-disciplinary Perspective, Aryan Book International, New Delhi, India.
2. Good Irene, 2006, Archaeological Textile: A Review of Current Research, Annual Review Anthrolopology, Peabody Museum, Harvard University, and Cambridge Massachusetta 30:209-226.
3. Kulkarni,N,V 1985, Geology of Gujarat, Navnirman volume xxi-No.2.
4. Narayanayyar,V & Sivasubramanin,S, 2016, Colourful World of Human Being with Natural Dyes, International Journal of Management and Applied Science ISSN-2394-792 Volume-2 Issue-12, Dec 2016.
5. Saxena Sujata & Raja, M,S,A, 2014 Natural Sources, Chemistry, Application and Sustainability Issues, Roadmap to Sustainable Textile Science and Clothing, Textile Science and Clothing Technology Mumbai, India.
6. Williams Rushbrook. F.L,1958, The Black Hill. Kutch In History and Legend: A Study In Local Loyalties, The Shenval Press, Simson Shand LTD , Hertford And Harlow, London.



Figure. 5 Acacia gum , lime and clay is applied

Figure. 6 Rust stain on the fabric



Figure. 7 Acacia gum and Clay applied on the print



Figure. 8 Fabric is dipped in Indigo




Figure. 9 Washed Fabric




Figure.10 Fabric after turmeric spray



Figure.11 Finished Product



Figure.12,13 Finished Product(fig12 modal fabric) Observation

Study On The Effect Of Organic And Inorganic Maternal Milk Insufficiency In Fine Motor Development Of Children In The Age Group Of 0-2 Year's In Rewa City

Sangita Sharma*

Abstract - This study examined the study on insufficient breast milk mother's of children in department of pediatrics, Gandhi memorial hospital, Rewa.

The cases included would be randomly selected for the mother's attending under clinic of department of pediatrics shyam shah medical college rewa.

Three hundred sixty mothers would be interviewed during the period of study. All the mothers would be carefully interviewed and the following point would be recorded in the Performa, i.e , address and other information regarding the milk insufficiency and also children fine motor development delay. The mean was found to be organic maternal milk insufficiency 69.74 and inorganic group of milk insufficiency 70.12 with SD Organic Milk Insufficiency 8.37 and Inorganic Milk Substitutes 8.37.

The table shows the means of be Organic & Inorganic Maternal Milk of Insufficiency mean 69.74 and 70.12 was found significant by less than of the subjects mean. The difference was no significant $t= 0.44..$

Key Word - Maternal milk insufficiency, fine motor development.

Introduction - Breast-feeding is advised because human milk is species-specific nourishment for the baby, produces optimum growth and development, and provides substantial protection from illness. Good nutrition is a basic component of health; it is a prime importance on the attainment of normal growth and development and maintenance of the health throughout life. Lactation is beneficial to mother's health and biologically supports a special mother-baby relationship. It is nature's gift to baby and meant for human infant. Infant constitute about three percent of total population and in our country the malnutrition constitution one the major problem among the infant and children and responsible for mortality and young child malnutrition levels in India remain persistently and unacceptably high-with 30 % babies born with low weight and 47 % of children under three years being underweight, locked in a vicious intergenerational cycle of malnutrition. Malnutrition is directly or indirectly responsible for more than 50 % of young child death. More than two thirds of these deaths occur during the first year of life and are often related to inappropriate feeding practices around two thirds of infant death occurs in the first month of life in India. Recent research on accelerating child survival published in the lancet, clearly establishes that the universal practice of exclusive breastfeeding for the first six month is the single most effective child survival intervention – it reduces young child mortality by 13% globally and by nearly 16% in the context of India. Universal appropriate complementary feeding along with continued breastfeeding, also contributes to a

reduction of nearly 5% in young child mortality, in the context of India.

Infant constitute about three percent of total population and in our country the malnutrition constitution one of the major health problem among the infants and children and responsible for mortality and morbidity. Under any circumstances, breast milk is ideal food for the infant, no other food required by the baby less than four to five month after the birth.

Many mother experience episodes of insufficient milk supply. An insufficient supply of breast milk continues to be the major reason given by mothers worldwide for the continuation of breastfeeding during the six to eight week postpartum. This reason is also commonly given around four month of age. Whether the problem is real or perceived is addressed by a careful history and breast feeding assessment. True low milk supply can be caused by a number of factors and is often a combination of these factors (termed overlapping etiologies). Perceived low milk supply is a mother's misinterpretation of infant behaviors such as frequent feeding or apparent unsettledness after a feed .many mother reporting infant fussiness after breastfeeding will give the baby a bottle of formula to "satisfy" the infant. Supplementing the baby usually begins a downward spiral to real insufficient milk unless interrupted .the percentage of mother reporting milk in the literature varies, with many reports not differentiating between real and perceived insufficiency.

Reviews- Breast feeding is advised because human milk

is species specific nourishment for the baby, produces, optimum growth and development and provides substantial protection from illness, lactation is beneficial to mother's health and biological supports a special 'mother'-baby relationship. It is nature's gift to baby and meant for human infant.

Studies on perceived breast milk insufficiency. A prospective study in a group of Swedish women. A prospective investigation of the course of breast-feeding was carried out in a group of 51 healthy, well educated Swedish women during the period three days of 18 months after delivery. The aims were to investigate the incidence, causes and consequences of perceived breast milk insufficiency (transient lactation crises), by relating this phenomenon to the infant's breast milk consumption and growth and to the course of breast-feeding. It was found that every second mother experienced transient lactation crises on at least one occasion (the inorganic breast milk group). The crises were mostly caused by emotional disturbances in the mothers (e.g. anxiety, stress and discomfort), or by the infant's refusal to suckle, by unmotivated crying, or by illness. Within the inorganic breast milk insufficiency group no significant difference was found between the infants' intake of breast milk during the inorganic breast milk insufficiency compared with control measurements one week later. Nor had the inorganic breast milk insufficiency any immediate impact on the growth of the infants. A comparison between the mothers with inorganic breast milk insufficiency and those who did not experience any inorganic breast milk insufficiency, revealed that the breast milk consumption among the infants in the crisis group was lower throughout with significant differences at three and five months.

The infants in the inorganic breast milk insufficiency group also had a significantly lower weight at two, three, four and nine months, although both groups were above the NCHS mean. The reasons for initiating breast-feeding differed between the two groups. The inorganic breast milk insufficiency group tended to give infant-related reasons to a higher degree than the mothers in the non-crisis group who more frequently mentioned mother-related motives. The mothers with stress also showed a greater ambivalence during the lactation period and terminated the breast-feeding somewhat earlier. Consequently they also introduced taste portions and started the weaning significantly earlier. Some general findings revealed a wide variation in breast milk consumption, not only between infants but also in the same infant from one occasion to another. The total energy intake was almost the same for the partially breast-fed infants, receiving breast milk plus supplementary food and those who were exclusively breast-fed. Although most mothers in both groups initiated the weaning in accordance with general recommendations, a wide variation was also found in the length of the weaning period. In some cases it lasted for more than five months.

The World Health Organization recommends that

infants should be exclusively breastfed for the first six months of life. The American Academy of Pediatrics also recommends breastfeeding for at least 12 months (Eidelman, A.I., Schanler, R.J., 2012). Recently, the Academy of Nutrition and Dietetics reaffirms and updates their mission that exclusive breastfeeding provides optimal nutrition and health protection for the first six months of life, and that breastfeeding with complementary foods from six months until at least 12 months of age is the ideal feeding pattern for infants (Lessen, R., Kavanagh, K., 2015). In addition to its nutritional advantage, breastfeeding is convenient and inexpensive, and also is a bonding experience for the mother and infant.

Aims and objectives - To study of organic and inorganic maternal milk insufficiency of fine motor development in children.

Hypothesis - There would be significant difference between organic women's child fine motor will be increase than inorganic maternal milk insufficiency.

Tools - denver q!

the data were collected from denver development screening scale test (D.D.S.T) . it is constructed in 1967 by Frankenburg and Dodds

Material method - sample size 360.

The data were collected in 180 organic and 180 inorganic of maternal milk insufficiency mother child.

Result -

Fine motor table - (See in the next page)

Showing the significance of difference between mean of organic maternal milk insufficiency and inorganic group of milk insufficiency of Fine Motor. **(See in the next page)**

Discussion - The aims of this research were to hear from this small group of women who were milk insufficiency, to learn about their experiences of breastfeeding and to report what influenced their decision about initiation and cessation of breastfeeding. The specific exploration of difficulties with breastfeeding largely aligned with other related research. These were the challenging nature of breast feeding, which included perceived insufficient breast milk supply , and latching difficulties . so my research mostly focus in lactating mother .they are suffering from organic and inorganic maternal milk insufficiency . this study was dedicated to all mothers . i have 180 organic maternal milk insufficient mother's and 180 inorganic maternal milk insufficient mother,s . total 360 mother,s included this study and mostly compared with organic and inorganic mother,s milk of children which effaced are maternal milk insufficiency. I have cross check 180 mother,s of children on the effect of organic and inorganic maternal milk insufficiency fine motor development .

References :-


- Arora , N .D 1970 a study of locally prevalent feeding practices the first five of life .
- Anderson JW, johnstone BM, remley DH 1999 breast – feeding and cognitive development ; a meta –

analysis American journal of clinical nutrition.

- c. Lessen R, Kavanagh K. position of the academy of nutrition and dietetics ; promoting and supporting breastfeeding . J acad nutr diet 2015;155;444-449. Doi; 10.1016/j. jand. 2014.12.014
- d. Savion F, bebetti S, Lignori S A , Sorrent M, Cordero D, Montezemolo L. Advances on human milk hormones and protection against obesity, Cell . Mol bio. 2013; 59; 89-98
- e. Infant and young child nutrition (accessed on 14 november 2012) .
2. Neville MC; Anatomy and Physiology of lactation. Pediatric clinics of North America. 2001, 48(1):13-34].
3. Ingram J, Taylor H, Churchill C, Pike A, Greenwood R; Metoclopramide or Domperidone for increasing maternal breast milk output: a randomised controlled trial, Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed [Epub ahead of print], 2011.
4. Jones W, Breward S; Use of Domperidone to enhance lactation: What is the evidence?, Community Practitioner 2011; 84(6):35-37.
5. Milson S, Breier B, Gallaher BW, Cox VA, Gunn AJ, Gluckman PD et al.; .Growth hormone stimulates galactopoesis in healthy lactating woman. Acta Endocrinologica.1992; 127(4):337-343.
6. Banapurmath, S., Banapurmath, C.R., Kesaree, N. (2003). Initiation of Lactation and Establishing Relactation in Outpatients. Indian J Pediatr; 40:343-347. URL: <http://www.indianpediatrics. net/apr2003/apr- 343-347.htm> [Accessed on 12-12-11]
7. Bergerman, J.E., Misskey, E.D. (1979). Thompson DA. An overview of breastfeeding in three Saskatchewan health regions. J Canad Diet Assoc; 40: 236-240
8. Biro, M.A., Sutherland, G.A., Yelland, J.S., et al. (2011). In-hospital formula supplementation of breastfed babies: a population-based survey. Birth;38(4):302-10.
9. Bloom, G., Goldbloom, R.B., Robinson, S.C. et al. (1982). Factors affecting the continuance of breast feeding. Acta Paediatr Scand; Supple 300: 9-14.
10. Bonigla, C., Carratu, B., Chiammariol, S., Sanzini, E. (2003). Influence of maternal protein intake on nitrogen fractions of human milk. Int. J. Vitam. Nutr. Res. ;76:447–457. doi: 10.1024/0300-9831.73.6.447. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
11. Amir, L.H. (2006). Breast-feeding–Managing ‘supply’ Difficulties. Australian Family Physician;35(9):686–689.
12. Eidelman, A.I., Schanler, R.J., Johnston, M., Landers, S., Noble, L., Szucs, K., Viehmann, L. (2012). Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics. 129:e827–e841. [Google Scholar]

Fine motor table - Showing the significance of difference between mean of organic maternal milk insufficiency and inorganic group of milk insufficiency of Fine Motor.

S.No.	Subjects	N	M	SD	SED	t	P
1.	Organic group Insufficiency of D.Q.	180	69.74	8.37	0.97	0.44	>0.01
2.	Inorganic group Insufficiency of D.Q.	180	70.12	8.37			



मोटापे से ग्रसित गृहिणी महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर पर व्यायाम के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. प्रगति देसाई * मेघा परमार**

शोध सारांश - मानसिक एवं शारीरिक क्षमता बढ़ाने एवं बनाए रखने के लिए मनुष्य का व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। शरीर को चुस्त, फुर्तीला, लचकदार एवं निरोगी बनाए रखने के लिए व्यायाम किया जाता है। अतः मनुष्य को दीर्घायु स्वस्थ रहने तथा शरीर के प्रत्येक अंग को स्फूर्ति वाला बनाए रखने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में प्रतिदिन शारीरिक क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा मोटापे से ग्रसित गृहिणी महिलाओं में मोटापे के स्तर एवं मानवमीति परीक्षण पर व्यायाम के प्रभाव को जानने हेतु प्रयोगात्मक सर्वेक्षण किया गया। प्रयोगात्मक सर्वेक्षण के आधार पर व्यायाम का प्रत्यक्ष प्रभाव मोटापे से ग्रसित गृहिणी महिलाओं के वजन के स्तर पर एवं मानवमीति परीक्षण पर देखा गया।

शब्द कुंजी - मोटापा, व्यायाम, व्यायामशाला, मोटापे के स्तर, मानवमीति परीक्षण।

प्रस्तावना - वर्तमान में आधुनिकरण के इस बदलते युग में हमारा देश भी तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है, जिसके चलते नित नये-नये उपकरणों एवं मशीनों का निर्माण हो रहा है। इन नये-नये उपकरणों एवं मशीनों के निर्माण ने जहाँ मनुष्य की सुख-सुविधाओं में वृद्धि करके मनुष्य को वरदान दिया है, वहीं इसके हानिकारक प्रभावों की वजह से मनुष्य की शारीरिक क्रियाशीलता में कमी आयी, जिसकी वजह से वह कई भयानक बीमारियों जैसे- मधुमेह, मोटापा, हृदय रोग आदि से पीड़ित हो रहा है।

वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन (WOF) 2017 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में प्रतिवर्ष एक मिलियन वयस्क अधिक वजन तथा 475 मिलियन वयस्क मोटापे से ग्रसित होते हैं।

नेशनल फैमेली हेल्थ सर्वे की पहली रिपोर्ट की तुलना में दूसरी रिपोर्ट में 12.6 प्रतिशत तथा दूसरी रिपोर्ट की तुलना में तीसरी रिपोर्ट में 24.52 प्रतिशत अधिक महिलाओं (15-49 वर्ष) में अधिक मोटापा देखा गया।

विशेष रूप से गृहिणी महिलाएँ अनियमित जीवन-शैली के कारण मोटापे का शिकार हो जाती हैं। गृहिणी महिलाएँ घर के कामों एवं जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाती हैं कि इस दौरान या तो वह लम्बे समय तक खाना नहीं खती या फिर तला-भूना या अधिक मात्रा में खा लेती हैं, जिससे शरीर में कई मेटाबॉलिक परिवर्तन आते हैं और वह मोटापे से ग्रसित हो जाती हैं।

'सामान्यता शरीर में जमा होन वाली अतिरिक्त वसा मोटापा है।'

मोटापा वह स्थिति है, जिसमें वसामय ऊतकों में अधिक वसा एकत्र हो जाने के कारण, व्यक्ति का भार अधिक हो जाता है। ऊँचाई के अनुसार दिए गए मानक वजन से यदि 10 प्रतिशत वजन अधिक है, तो अधिक भारिता तथा 20 प्रतिशत से अधिक वजन हो, तो उसे मोटापा कहा जाता है।

बी.एम.आई. एवं वेस्ट-टू-हिप अनुपात के अनुसार मोटापे का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है -

वर्गीकरण	नाप (Kg/M ²)
सामान्य से कम वजन	<18.50
सामान्य वजन	18.50 - 24.90

अधिक वजन	>25.00
मोटापा	30.00
ग्रेड - I	30.34-99
ग्रेड - II	35.39-99
ग्रेड - III	>40.00

वेस्ट - टू - हिप अनुपात चार्ट -

स्वास्थ्य स्तर	महिलाएँ	पुरुष
सामान्य से कम	<0.80	<0.95
सामान्य	0.81 . 0.85	0.95 . 1.00
सामान्य से अधिक	>0.86	>1.00

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 2000 के अनुसार

मोटापे की स्थिति में शरीर में वसा का जमाव अधिक हो जाता है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक ग्रहण किए गए भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रियाशीलता न होने पर खर्च न होकर वसीय ऊतकों में संग्रहित हो जाती है, जिससे मोटापे की स्थिति उत्पन्न होती है।

मोटापे से ग्रसित गृहिणी महिलाएँ कार्य की अधिकता एवं समय की कमी के कारण व्यायाम जैसी शारीरिक क्रियाशीलता नहीं कर पाती। इसी समय की समस्या के समाधान के लिए व्यायामशाला का निर्माण किया गया। जहाँ एक ही कमरों में विभिन्न व्यायाम के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें होती हैं ताकि व्यक्ति थोड़ा समय निकाल कर एक ही स्थान पर विभिन्न व्यायाम के द्वारा वजन को सामान्य करके, स्वस्थ रह सके। अतः वर्तमान समय में मोटापा ही नहीं, बल्कि कई अन्य रोगों के उपचार के लिए भी व्यायाम का उपयोग नियमित किया जा सकता है। व्यायाम के द्वारा मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर सुखी व निरोगी जीवन जी सकता है।

उद्देश्य - मोटापे से ग्रसित गृहिणी महिलाओं में मोटापे के स्तर पर एवं मानवमीति परीक्षण पर व्यायाम के प्रभाव का अध्ययन करना।

विधि - शोध कार्य हेतु इन्दौर शहर के नन्दा नगर क्षेत्र से 40 - 60 वर्ष की मोटापे से ग्रसित 80 गृहिणी महिलाओं एवं विभिन्न व्यायामशालाओं का

* सहायक प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, किला भवन, इन्दौर (म.प्र.) भारत

चयन उद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन विधि द्वारा किया गया। जिनको 40-40 महिलाओं के दो समूहों नियन्त्रित एवं प्रयोगात्मक समूहों में विभाजित किया। समकों के संकलन हेतु अनुसूची, अवलोकन एवं प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग कर सर्वेक्षण किया। तथ्यों के सांख्यिकीय विश्लेषण एवं परिणाम हेतु प्रतिशत विधि एवं 'टी' टेस्ट परीक्षण विधि का प्रयोग किया गया।

- नियन्त्रित समूह की मोटापे से ग्रसित महिलाओं को कोई व्यायाम नहीं कराया गया।
- प्रयोगात्मक समूह की मोटापे से ग्रसित महिलाओं को व्यायामशाला में मुख्यतः ट्रेडमिल, ग्रुप साईकिलिंग बाईक, रोविंग मशीन, स्टेप मील एवं एलीप्टीकल उपकरणों पर व्यायाम कराए।
- सभी निदर्श के विभिन्न नाप जैसे वजन, बी.एम.आई., वेस्ट-टू-हिप अनुपात आदि को अध्ययन प्रारम्भ करने से पूर्व तथा अध्ययन समाप्त होने पर लिया।
- प्रयोगात्मक समूह के सभी निर्देश को 120 दिनों तक प्रतिदिन 1 घण्टा व्यायाम कराया गया।

परिणाम एवं विश्लेषण -

व्यायाम का मोटापे के स्तर एवं मानवमीति परीक्षण कर प्रभाव - शरीर को चुस्त, फुर्तीला, लचकदार व निरोगी बनाए रखने के लिए व्यायाम किया जाता है अतः मनुष्य को दीर्घायु स्वस्थ रहने के लिए एवं शरीर के प्रत्येक अंग को स्फूर्ति वाला बनाए रखने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में नियमित रूप से शारीरिक क्षमता के अनुसा, व्यायाम जरूर करना चाहिए। मोटापे की स्थिति को कम या सामान्य करने के लिए व्यायामशाला में उपस्थित उपकरणों पर व्यायाम किया जाता है, ताकि स्वस्थ जीवन जीया जा सके।

प्रस्तुत अध्ययन के द्वारा मोटापे से ग्रसित गृहिणी महिलाओं में मोटापे के स्तर एवं मानवमीति परीक्षण पर व्यायाम के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 1.1 (अ) एवं 1.1 (ब) में की गई है -

तालिका (देखे आगे पृष्ठ पर)

चित्र - 1.1 (अ) (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका एवं चित्र के अनुसार, प्रयोगात्मक समूह की 40 महिलाओं को 120 दिनों तक प्रतिदिन 1 घण्टा व्यायाम कराने के पश्चात् अधिक वजन, ग्रेड-I, II एवं III मोटापे से ग्रसित महिलाओं का पूर्व प्रतिशत क्रमशः 35, 30, 25 एवं 10 था जो प्रयोग के पश्चात् क्रमशः 30, 25, 15 एवं शून्य हो गया। पूर्व में सामान्य वजन की महिलाओं का प्रतिशत शून्य था। प्रयोग के पश्चात् 30 प्रतिशत महिलाएँ सामान्य वजन की श्रेणी में आ गई। प्रयोगात्मक समूह की सामान्य वेस्ट-टू-हिप अनुपात वाली महिलाओं का पूर्व प्रतिशत 5 था जो प्रयोग के पश्चात् बढ़कर 35 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार सामान्य से ज्यादा वेस्ट-टू-हिप अनुपात वाली महिलाओं का पूर्व प्रतिशत 95 था जो प्रयोग के पश्चात् घटकर 65 प्रतिशत रह गया। जबकि नियन्त्रित समूह की महिलाओं में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं देखे गए। अतः यह कहा जा सकता है कि मोटापा एवं अधिक वेस्ट-टू-हिप अनुपात को व्यायाम के द्वारा कम किया जा सकता है।

तालिका क्रमांक - 1.1 (ब) (देखे आगे पृष्ठ पर)

चित्र - 1.1 (ब) (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका एवं चित्र से स्पष्ट है कि प्रयोगात्मक समूह को 120 दिनों तक प्रतिदिन 1 घण्टा व्यायाम कराने के पश्चात् उनके वजन एवं वेस्ट-टू-हिप अनुपात में सार्थक अन्तर पाया गया। प्रयोगात्मक समूह के वजन का

पूर्व माध्य 83.3 कि.ग्रा., पश्चात् माध्य 80.17 कि.ग्रा. एवं वेस्ट-टू-हिप अनुपात का पूर्व माध्य 0.85 सेमी. पश्चात् माध्य 0.81 सेमी पाया गया। अर्थात् वजन के माध्य में 3.13 कि.ग्रा. एवं वेस्ट टू हिप अनुपात के माध्य में .04 सेमी. की कमी देखी गई। जबकि नियन्त्रित समूह के वजन का पूर्व माध्य 85.79 कि.ग्रा. पश्चात् माध्य 88.25 कि.ग्रा. एवं वेस्ट-टू-हिप अनुपात का पूर्व माध्य .96 सेमी. एवं पश्चात् माध्य .99 सेमी. पाया गया। अर्थात् वजन के माध्य में 2.46 कि.ग्रा. एवं वेस्ट-टू-हिप अनुपात के माध्य में .03 सेमी. की अधिकता देखी गई। इसी प्रकार प्रयोगात्मक समूह में वजन का 'टी' मान 2.15 एवं वेस्ट-टू-हिप अनुपात का 'टी' मान 2.93 पाया गया तथा नियन्त्रित समूह में वजन का 'टी' मान .72 एवं वेस्ट-टू-हिप अनुपात का 'टी' मान .80 पाया गया। अतः हमारी उपकल्पना 1 0.5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर स्वीकृत हुई। प्रयोगात्मक समूह को 120 दिनों तक नियमित व्यायाम कराया गया, जिससे उनकी मोटापे की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आए। इस विषय पर सम्बन्धित साहित्य का पुनावलोकन पूर्व में किए जा चुके हैं।

डी.पी. यादव तथा उनके साथियों ने (2010) भारत के पूना शहर में 30-60 वर्ष की 20 मोटी गृहिणी महिलाओं पर 'मोटापे पर व्यायाम के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने सभी महिलाओं को 2 समूहों में बाँटा। पहले समूह की सभी मोटी महिलाओं को व्यायामशाला में अध्यापक के निरीक्षण में 40 दिनों तक प्रतिदिन 1 घण्टा विभिन्न व्यायाम कराए। दूसरे समूह की महिलाओं को ऐसे ही रहने दिया, जैसी वह है। 40 दिनों के बाद प्राप्त परिणामों के आधार पर पहले समूह की महिलाएँ जिन्होंने 40 दिनों तक प्रतिदिन व्यायाम किया, उनके आन्तरिक एवं बाह्य अंगों की क्रियाविधि में वृद्धि हुई। जिससे उनके शरीर में संग्रहित अतिरिक्त वसा का खर्चा बढ़ा, जिसके परिणाम-स्वरूप मोटापे की स्थिति में सुधार आया। अर्थात् मोटापे की स्थिति में सार्थक कमी ($P < 0.001$) देखी गई। जबकि नियन्त्रित समूह में कोई परिवर्तन नहीं देखे गए। अतः डी.पी. यादव तथा उनके साथियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि व्यायाम शरीर के आन्तरिक एवं बाह्य अंगों की क्रियाविधि बढ़ा कर मोटापा कम करने एवं शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है।

निष्कर्ष - उपरोक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गृहिणी महिलाएँ अपनी जिम्मेदारियों एवं व्यस्ता से थोड़ा समय निकाल कर प्रतिदिन 1 घण्टे व्यायामशाला में विशिष्ट व्यायामों के माध्यमों से मोटापे को नियन्त्रित कर सामान्य व स्वस्थ जीवन व्यतित कर सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वामीनाथन एम. 'आहार एवं पोषण' एन.आर. प्रकाशन, इन्दौर (2008)
2. डॉ. वृन्दा सिंह, 'आहार एवं पोषण' पंचशील प्रकाशन, जयपुर (2003)
3. डॉ. शुल्क एस.एम. तथा डॉ. सहाय एस.पी. 'सांख्यिकीय विश्लेषण' साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा (2002)
4. Joshi Sabhangini A "Nutrition and Dietctics" Third Edition, Tota Mc. Grow Hill Education Private Limited, New Delhi (2010)
5. Srilakshmi B., "Dietitics" Fifth Edition, New Age International (P) Limited Publishes, Delhi (2005)
6. Mohan Kathleen L., Stump Sylvia Escott, "Krauses

Food and Nutrition Therapy," 12th Edition, International
— Edition (2008)

Obesity and over weight." International and Journal,
2010, Doi 1155/758506

7. Yadav D.P. Sharma H., Patel S., "Effect of Gym on

तालिका क्रमांक - 1.1 (अ)
मोटापे से ग्रसित गृहिणी महिलाओं के मोटापे के स्तर एवं
मानवमीति परीक्षण पर व्यायाम के प्रभाव का तुलनात्मक परिणाम

चर	अवस्थाएँ	समूह							
		नियन्त्रित (N=40)				प्रयोगात्मक (N=40)			
		पूर्व	प्रति%	बाद	प्रति%	पूर्व	प्रति%	बाद	प्रति%
मोटापे के स्तर	सामान्य	-	-	-	-	-	-	12	30
	अधिक वजन	18	45	-	-	14	35	12	30
	ग्रेड-1	8	20	14	35	12	30	10	25
	ग्रेड-2	14	35	16	40	10	25	6	15
	ग्रेड-3	-	-	10	25	4	10	-	-
वेस्ट-टू- हिप अनुपात	सामान्य	6	15	2	5	2	5	14	35
	सामान्य से अधिक	34	85	38	95	38	95	26	65

चित्र - 1.1 (अ)




तालिका क्रमांक - 1.1 (ब)

मोटापे से ग्रसित गृहिणी महिलाओं के मोटापे पर वजन एवं वेस्ट-टू-हिप अनुपात के अनुसार व्यायाम के प्रभाव का अध्ययन

चर	नियन्त्रित समूह (N=40)	माध्य	प्रमाप विचलन	टी वेल्यू	प्रयोगात्मक समूह (N=40)	माध्य	प्रमाप विचलन	टी वेल्यू
वजन	पूर्व	85.79	7.49	.72	पूर्व	83.3	6.53	2.15
	पश्चात्	88.25	7.89		पश्चात्	80.17	6.48	
वेस्ट-टू-हिप अनुपात	पूर्व	.96	.048	.80	पूर्व	.85	.068	2.93
	पश्चात्	.99	.056		पश्चात्	.81	.061	

चित्र - 1.1 (ब)



आदिवासी एवं सामान्य वर्ग की स्तनपान कराने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति संबंधी अध्ययन (बड़वानी जिले के संदर्भ में)

डॉ. सुनीता अगलेचा *

शोध सारांश - शोध अध्ययन का उद्देश्य : आदिवासी एवं सामान्य वर्ग की स्तनपान कराने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। उपकल्पना - आदिवासी एवं सामान्य वर्ग स्तनपान कराने वाली अंतर नहीं होगा। निदर्शन विधि : प्रस्तुत अध्ययन में बड़वानी जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से धात्री महिलाओं को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया है। अध्ययन हेतु कुल 420 महिलाएँ जिसमें 210 सामान्य वर्ग की महिलाएँ एवं 210 आदिवासी वर्ग की महिलाएँ का चयन दैव-निदर्शन विधि एवं उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा किया गया है। उपकरण - आदिवासी एवं सामान्य वर्ग की स्तनपान कराने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है। सांख्यिकीय विधि : संकलित तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण करने हेतु प्रतिशत विधि का प्रयोग किया गया है। निष्कर्ष - तथ्यों का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ है कि आदिवासी एवं सामान्य वर्ग की स्तनपान कराने वाली शिक्षित व अशिक्षित महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सार्थक अंतर पाया गया है।

प्रस्तावना - नौ महीने तक बच्चे की सुरक्षा गर्भ में होती है। इसके बाद जीवनभर बीमारियों से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी माता के दूध पर आ जाती है। माता के दूध की शायद यहीं महिमा है तभी कहा जाता है कि माँ के दूध का कर्ज कोई उतार नहीं सकता। नवजात के जन्म के साथ ही उसके लिए माता का दूध अमृत बनकर उतरने लगता है। कोलस्ट्रम यानि प्रसव तुरंत बाद निकलने वाला पीले रंग का दूध। इस दूध से शिशु को रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति मिल जाती है। इस पहले और अप्रतिम उपहार के बाद तो माता के स्तनों से जैसे आर्शावाद की नदी बह निकलती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले कुछ दशकों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं तथा पिछले कई दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि रही है। देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती, जिसमें से 90 प्रतिशत जनसंख्या कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों में जुड़ी हुई है। हमें अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकता पूर्ति सबसे पहले कृषि उपज पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मनुष्य की रोटी-कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। उसमें वह बिना वस्त्र और मकान के जीवित रह सकता परंतु के भोजन बिना नहीं।

शोध अध्ययन का उद्देश्य - आदिवासी एवं सामान्य वर्ग की स्तनपान कराने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना।

उपकल्पना - आदिवासी एवं सामान्य वर्ग की स्तनपान कराने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सार्थक अंतर नहीं होगा।

निदर्शन विधि - प्रस्तुत अध्ययन में बड़वानी जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से तीन-तीन गाँव में रहने वाली धात्री महिलाओं को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया है। अध्ययन हेतु कुल 420 महिलाएँ जिसमें से 210 आदिवासी वर्ग की महिलाएँ और 210 सामान्य वर्ग की महिलाएँ का चयन दैव-निदर्शन विधि एवं उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा किया गया है।

उपकरण - आदिवासी एवं सामान्य वर्ग की स्तनपान कराने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग

किया गया है।

तालिका क्रं. 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

ग्राफ (देखे आगे पृष्ठ पर)

प्रस्तुत अध्ययन में कुल प्रतिदर्श में से 26% महिलाएँ मजदूरी, 23% महिलाएँ खेती, 36% महिलाएँ गृहणी एवं 16% प्रतिशत महिलाएँ नौकरी करती हैं।

सामान्य वर्ग की कुल प्रतिदर्श में से 11% महिलाएँ मजदूरी, 16% महिलाएँ खेती, 56% महिलाएँ गृहणी एवं 17% महिलाएँ नौकरी करती हैं। आदिवासी वर्ग की कुल प्रतिदर्श में से 41% महिलाएँ मजदूरी, 31% मजदूरी खेती, 16% महिलाएँ, गृहणी एवं 12% महिलाएँ नौकरी करती हैं।

तालिका क्रं. 2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

ग्राफ (देखे आगे पृष्ठ पर)

निष्कर्ष - प्रस्तुत शोध अध्ययन में सामान्य वर्ग व आदिवासी वर्ग की स्तनपान कराने वाली विभिन्न महिलाओं की आर्थिक स्थिति संबंधी विवरण में पाया गया कि सामान्य वर्ग की नौकरी करने वाली महिलाएँ एवं गृहणी अपनी कुल आय में से लगभग 50% तक बचत कर लेती है तथा साथ ही पोषक तत्वों की जानकारी होने के कारण इनका पोषण स्तर उच्च पाया गया है। यही कारण इनके बच्चों की वृद्धि एवं विकास की गति तीव्र देखी गई। जबकि आदिवासी वर्ग की मजदूरी एवं कृषि करने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर पायी गई है तथा भोज्य पदार्थों एवं पोषक तत्वों की अज्ञानता के कारण इनका पोषण स्तर सामान्य वर्ग की महिलाओं की अपेक्षा निम्न स्तर का पाया गया इसी कारण इनके बच्चों में विकास एवं वृद्धि की गति भी धीमी पायी गई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जैन श्रीमती आशा (1989) पोषण एवं आहार के सिद्धांत, आगरा विनोद पुस्तक मंदिर।
2. कपिल एच.के. (2012) अनुसंधान विधियाँ, आगरा एच.पी. भार्गव

बुल हाउस कचहरी घाटा

3. उत्तलकान्त जे.पी. (2005) माँ और बच्चे की देखभाल नई दिल्ली मेडिकल पब्लिशर्स।
4. वर्मा डॉ. श्रीमती एवं पाण्डेय डॉ श्रीमती कान्ति (2002) आहार एवं पोषण विज्ञान, आगरा विनोद पुस्तक मंदिर।
5. गौर माया (1999), ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के पालन-पोषण की

पद्धतियों का अध्ययन, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर।


Internet Sites -

1. [www.google.breastfeedingroleintakingbackmarive culture.](http://www.google.breastfeedingroleintakingbackmariveculture)
2. [www.breastfeedingAcommuningresponsibility.](http://www.breastfeedingAcommuningresponsibility)
3. [www. breast feeding week kicksoffamid concern soverun law full practicesbybaby foodcompanies.](http://www.breastfeedingweekkicksoffamidconcernsoverunlawfullpracticesbybabyfoodcompanies)

तालिका क्रं. 1

धात्री महिलाओं के व्यवसाय संबंधी विवरण



क्रं.	व्यवसाय	सामान्य वर्ग की महिलाएँ	आदिवासी वर्ग की महिलाएँ	योग
1	मजदूरी	11%	41%	26%
2	कृषि	16%	31%	23%
3	गृहणी	56%	16%	36%
4	नौकरी	17%	12%	15%
	योग	100%	100%	100%
		N=210	N=210	N=420



तालिका क्रं. 2

धात्री महिलाओं की आर्थिक स्थिति संबंधी विवरण

क्रं.	व्यवसाय	सामान्य वर्ग की महिलाएँ			आदिवासी वर्ग की महिलाएँ		
		आय	व्यय	बचत	आय	व्यय	बचत
1	मजदूरी	1000-5000	84%	16%	1000-3500	94%	6%
2	कृषि	2000-3000	70%	30%	15000-20000	80%	20%
3	गृहणी	1000-3000	45%	55%	1000-2000	71%	29%
4	नौकरी	10000-25000	60%	40%	10000-20000	70%	30%



पोषणस्तर के निर्धारण की विधियों का अध्ययन

प्रो. दीपाली निगम *

प्रस्तावना – भारत जैसे विकासशील देश में कुपोषण तथा अपर्याप्त पोषण का प्रतिशत विकसित देशों की अपेक्षा काफी अधिक है। भारत के अलग अलग प्रदेश, संभाग तथा आयु के लोगों में व्याप्त पोषण के स्तर की जानकारी उपलब्ध नहीं है। अतः कोई भी कार्यक्रम जो पोषण स्तर से संबंधित है सफल नहीं हो पाता क्योंकि कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम कुपोषण की स्थिति को कम या समाप्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा हो तो उसे स्थान विशेष की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के साधन तथा मौजूदा/वर्तमान पोषण स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।

पोषण स्तर की परिभाषा –

1. पोषण स्तर व्यक्ति के स्वास्थ्य की ऐसी अवस्था है जो भोज्य तत्वों की उपयोगिता से प्रभावित हुई है।
2. पोषण स्तर शरीर के उत्तकों तथा शरीर के कार्यों की अवस्था का कुल योग है, जो भोज्य पदार्थों के उपयोग करने तथा उनका चपापचय होने से उत्पन्न तथा प्रभावित हुई है।

पोषण स्तर के निर्धारण का केवल कोई एक सरल तरीका नहीं है तथा नहीं हो सकता है। चूंकि कोई विशेष लक्षण बहुत से कारणों में से किसी एक के कारण भी हो सकती है अतः पोषण स्तर के निर्धारण के लिए बहुत से मानक निर्धारण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तियों तथा समुदाय के लोगों के पोषण स्तर के निर्धारण के लिए निम्न चार तरीकों का प्रयोग किया जाता है।

1. मानवमिति परीक्षण
2. जीवरासायनिक परीक्षण
3. लक्षण परीक्षण
4. आहार सर्वेक्षण

1. मानवमिति परीक्षण– आहार, पोषण तथा संक्रमण तथा रोग की अवस्था शरीर की वृद्धि एवं विकास को समय समय पर अवरूद्ध करती है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास अवरूद्ध होने की स्थिति का प्रतिशत, प्रकार एवं देश के अत्यधिक कुपोषण वाले स्थान को जानने हेतु शरीर की वृद्धि के आधार पर पोषण स्तर ज्ञात किया जाता है, जिसे मानवमिति परीक्षण कहते हैं।

परिभाषा – मानवमिति परीक्षण मनुष्य शरीर के विभिन्न आयु एवं विकास स्तर पर लिए गए नाप हैं। जो पोषण स्तर को दर्शाते हैं। मानवमिति परीक्षण इस विचारधारा के अन्तर्गत किया जाता है कि पोषक तत्वों के प्रभाव से शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिसमें शरीर के उतकों के आकार/प्रकार में परिवर्तन से शारीरिक नाप में परिवर्तन आता है।

मानवमिति परीक्षण हेतु विभिन्न नाप- प्रमुख नाम इस प्रकार हैं।

1. वजन
2. ऊँचाई
3. सिर का घेरा
4. सीने का घेरा
5. बांह का घेरा
6. त्वचा की झुर्रियां

2. जीव रासायनिक परीक्षण – आहार द्वारा विभिन्न भोज्य तत्वों को अलग अलग मात्रा में लिया जाना इन भोज्य तत्वों की रक्त, उत्तकों तथा मूत्र एवं मल में मात्रा तथा इन भोज्य तत्वों के चपापचय में निर्मित तत्व की मात्रा को प्रभावित करता है।

जैव रासायनिक निर्धारण मुख्यतः इस सिद्धान्त पर आधारित है कि आहार की मात्रा और संरचना में कोई भी परिवर्तन उत्तकों तथा शारीरिक द्रव्यों में पोषक तत्वों की सांद्रता और उनके यौगिकों में परिवर्तन को व्यक्त करता है। इसके साथ ही साथ किसी विशिष्ट चपापचय पदार्थ का होना या न होना भी इससे मालूम चल जाता है। अतः इन आहारिय अवयवों की मात्रा से पोषण स्तर के निर्धारण में सहायता मिलती है।

जैव रासायनिक परीक्षण में मुख्यतः निम्नांकित नाप किए जाते हैं

1. मूत्र एवं रक्त में भोज्य तत्वों की चपापचय के पश्चात के घटक/पदार्थ/तत्व की मात्रा
2. रक्त कणों में एन्जाइम, को-एन्जाइम एवं विटामिनो की क्रियाशीलता
3. शरीर से उत्सर्जन योग्य चपापचय के घटकों की मात्रा जो उत्सर्जन हेतु विटामिन या खनिज लवण युक्त एन्जाइम पर निर्भर है।

रासायनिक परीक्षणों के प्रकार –

लक्षण परीक्षण – पोषणस्तर निर्धारण में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि इस विधि से बालक/व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाये गये (4-6 सप्ताह तक) आहार का स्वास्थ्य पर प्रभाव ज्ञात किया जाता है। लक्षण परीक्षण विधि सरल अपव्ययी है इसमें केवल योग्य प्रशिक्षित सर्वेक्षणकर्ताओं एवं उचित प्रारूप की आवश्यकता होती है। आहार में पाए जाने वाले कुल चपापचयित भोज्य तत्वों की अधिकता एवं कमी का परिणाम व्यक्ति/बालक के शरीर पर देखा जा सकता है। इन परिणामों/लक्षणों को उचित प्रकार से वर्गीकृत करके व्यक्ति/बालक/समूह का पोषण स्तर निर्धारण किया जा सकता है।

सर्वेक्षण हेतु अंगों में लक्षणों की जांच –

1. **बाल**– चमकहीन, रूखे, पतले बाल, बालों का झडना।
2. **आंख**– चमक कम होना, रूखापन, कार्निआ मुलायम होना, बिटॉट्स

3. **होंठ** - होंठों का फटना, लाली आना, मुख के दोनों कोने फट जाना
4. **जीभ**- लाल होना, नरम, मैजेन्टा जीभ, छाले होना
5. **दांत**- चितकबरे होना, भूरे धब्बे पड़ना, पीले होना
6. **मसूड़े** - रक्त का बहना, सूजन आना, स्पंज जैसे हो जाना
7. **त्वचा का फटना** - सूखी व शुष्क होना, खुरदुरी होना, चकते पड़ना, फटना
8. **नाखून** - भंगुर व चम्मच के आकार के व चमकहीन होना

आहार सर्वेक्षण- पोषणस्तर को ज्ञात करने की विधियों में आहार का सर्वेक्षण अर्थात् व्यक्ति/परिवार/समाज/समूह विशेष द्वारा ग्रहण की गई भोज्य पदार्थों की मात्रा पर सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय रीति रिवाजों का प्रभाव पड़ता है।

व्यक्तियों या समूहों की खाद्य आपूर्ति तथा खाद्य उपयोग की विधिवत जांच आहार सर्वेक्षण कहलाती है। आवश्यकतानुसार देश के विभिन्न परिवारों या किसी विशेष आयु वर्ग या व्यवसाय के व्यक्तियों के आहार के आंकड़े एकत्र किये जा सकते हैं।

आहार सर्वेक्षण के प्रकार -

1. गुणात्मक सर्वेक्षण
2. मात्रात्मक सर्वेक्षण

गुणात्मक सर्वेक्षण- इस प्रकार के सर्वेक्षण में भोज्य पदार्थ के नाम, व्यंजनों के नाम, अवसर जिसमें विशिष्ट व्यंजन बनाए जाते हो के संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है।

मात्रात्मक सर्वेक्षण- इस सप्रकार के सर्वेक्षण में भोज्य पदार्थ विशेष की खायी गई मात्रा से संबंधित जानकारी एकत्र की जाती है।

आहार सर्वेक्षण की प्रमुख विधियां-

1. भोज्य संतुलन लेखा विधि
2. इनवेन्ट्री मेथड
3. भोज्य पदार्थों के वजन द्वारा
4. भोज्य पदार्थों पर व' के स्वरूप द्वारा
5. आहार की पूर्वस्थिति
6. मौखिक प्रश्नावली
7. प्रमुख भोज्य पदार्थ की डुप्लीकेट सेम्पल विधि

पोषणस्तर निर्धारण की विवेचना- पोषणस्तर निर्धारण की चारों विधियां अपने में परिपूर्ण हैं। सर्वेक्षणकर्ता की व्यक्तिगत सीमाएं, सर्वेक्षण संबंधी प्रशिक्षण, सर्वेक्षण की पूर्ण रूपरेखा, कार्य के प्रति प्रतिबद्धता इत्यादि का प्रभाव परिणाम पर पड़ता है।

प्रेषण परीक्षण के कार्य को समर्पित भाव से सम्पन्न किया गया है। सम्पूर्ण देश/प्रदेश/संभाग/जिला/तहसील/ग्रामों में उपस्थित विविध आयु, लिंग, अवस्था, क्रियाशीलता के लोगों का पोषणस्तर ज्ञान का ज्ञान हो जावेगा। पोषणस्तर रिपोर्ट्स का वर्गीकरण, एकीकरण, मूल्यांकन करने पर भारतीय स्टैण्डर्ड्स बनाने में सफल हो सकते हैं, जो आज की मांग हैं। साथ ही पोषणस्तर में भी अपेक्षित सुधार होगा

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कानगो प्रो. मंगला, पोषण एवं पोषण स्तर, रिसर्च पब्लिकेशन ।
2. बी.श्री. लक्ष्मी, डायटेटिक्स New age international Publication
3. <https://vikaspedia.in/health>
4. <https://m.prabhasakshi.com>

A Study Of The Role Of Women Entrepreneurs In The Economic Development Of India (With Special Reference To Small And Medium Enterprises)

Dr. Neha Mathur*

Abstract -It is a general belief in many cultures that the role of women is to build and maintain the homely affairs like task of fetching water, cooking and rearing children. Since the turn of the century, the status of women in India has been changing due to growing industrialization, globalization, and social legislation. With the spread of education and awareness, women have shifted from kitchen to higher level of professional activities. Entrepreneurship has been a male dominated phenomenon from the very early age, but time has changed the situation and brought women as today's most memorable and inspirational entrepreneurs. In almost all the developed countries in the world women and putting their steps at par with the men in field of business. The role of Women entrepreneur in economic development is inevitable. Now-a-days women enter not only in selected professions but also in professions like trade, industry and engineering. Women are also willing to take up business and contribute to the Nation's growth. There role is also being recognized and steps are being taken to promote women entrepreneurship. Women entrepreneurship must be moulded properly with entrepreneurial traits and skills to meet the changes in trends, challenges global markets and also be competent enough to sustain and strive for excellence in the entrepreneurial arena.

Keyword – Women entrepreneurs, Economic development, Government Policies and scheme Medium and small enterprises.

Introduction - In developing economies, the small savings of rural areas are contributing more in establishing the small and micro enterprises in India. In the light of demise of rural artisanship, entrepreneurship has been given much importance as well as empowerment too. The women empowerment has been important role of Governments and other non-governmental organizations. The women are endowed with innate power that can make them successful entrepreneurs. Women entrepreneurship is inherent and also a natural process. Entrepreneurship is considered as one of the most important factors contributing to the economic development of the society. There are evidences to believe that countries which have proportionately higher percentage of entrepreneurs in their population have developed much faster as compared to countries, which have lesser percentage of them in the society. In India, women constitute around 48 percent of the population but their participation in the economic activities is only 34 percent. As per the Human Development Report (2007), India ranks 96th on the gender related development index of 137 nations. The gender empowerment measures, which estimate the extent of women participation in the country's economic and political activities, rank India as 110th of the 166 nations, which dropped to 130 of the 190 nations in 2018. In the emerging complex social scenario, women have a pivotal role to play. Now women have taken up entrepreneurial role in order to create a meaning for

themselves The traditional roles of housewives are gradually changing into women entrepreneurs. Some of the factors responsible for these changes are better education, changing socio cultural values and need for supplementary income. When proper exposure, education and knowledge are imparted to them, Indian women will prove themselves to be highly potential productive force for the development of the nation.

Concept of Women Entrepreneurs - Women Entrepreneurs may be defined as the women or a group of women who initiate, organize and operate a business enterprise. The Government of India has defined women entrepreneurs as "an enterprise owned and controlled by women having a minimum financial interest of 51 per cent of the capital and giving at least 51 per cent of the employment generated in the enterprise to women. Women entrepreneurs engaged in business due to push and pull factors which encourage women to have an independent occupation and stands on their on legs. A sense towards independent decision-making on their life and career is the motivational factor behind this urge. Saddled with household chores and domestic responsibilities women want to get independence. Under the influence of these factors the women entrepreneurs choose a profession as a challenge and as an urge to do something new. Such a situation is described as pull factors. While in push factors women engaged in business activities due to family compulsion

and the responsibility is thrust upon them.

Review of Literature - The study by Rani (1996) found that the availability of leisure time motivated women entrepreneurs from higher income classes. Contrary to the above, women entrepreneurs are forced to take entrepreneurship in the absence of any other means of contributing to family income (D'Cruz, 2003). The study also found that, family support and encouragements are the highest facilitating factor which helped women to aspire entrepreneurship (Pillai and Anna, 1990). Traditional concept of the entrepreneurship cited the desire to self-employed, to generate income and to utilize skills according to Hookoomsing and Eshoo (2003), (Richardson et al, 2004). Women's reasons for starting business are not always often driven by positive factors but also due to negative circumstances such as low family income, lack of employment opportunities, dissatisfaction with a current job or the need for flexible work (Robinson, 2001), These factors tend to be most predominant among women within developing economies (Dhaliwal, 1998). A previous study also observed that the primary concern of women NGO founders in India is pursuing the NGO's mission than the earnings (Handy, Kassam and Ranade, 2003) Tambunan, (2009), made a study on recent developments of women entrepreneurs in Asian developing countries. The study focused mainly on women entrepreneurs in small and medium enterprises based on data analysis and review of recent key literature. This study found that in Asian developing countries SMEs are gaining overwhelming importance; more than 95% of all firms in all sectors on average per country. The study also depicted the fact that of women entrepreneurs in this region is relatively low due to factors like low level of education, lack of capital and cultural or religious constraints. However, the study revealed that most of the women entrepreneurs in SMEs are from the category of forced entrepreneurs seeking for better family incomes.

Cphoon, Wadhwa & Mitchell, (2010), present a detailed exploration of men & women entrepreneur's motivations, background and experiences. The study is based on the data collected from successful women entrepreneurs. Out of them 59% had founded two or more companies. The study identifies top five financial & psychological factors motivating women to become entrepreneurs. These are desire to build the wealth, the wish to capitalize own business ideas they had, the appeal of start-up culture, a long standing desire to own their own company and working with someone else did not appeal them. The challenges are more related with entrepreneurship rather than gender. However, the study concluded with the requirement of further investigation like why women are so much concerned about protecting intellectual capital than their counterpart. Mentoring is very important to women, which provides encouragement & financial support of business partners, experiences & well developed professional network.

Greene et.al. (2003), evaluate the research & publication contribution in the area of women entrepreneurship. The study categorized various journal & resources of research on the basis of certain parameters concerned with women entrepreneurship like gender discrimination, personal attributes, financing challenges, business unit, context and feminist perspectives.

Research Methodology and Objectives of the Study -

The study is based on secondary data which is collected from the published reports of RBI, NABARD, Census Surveys, SSI Reports, newspapers, journals, websites, etc. The study was planned with the following objectives:

1. To identify the reasons for women for involving themselves in entrepreneurial activities
2. To determine the possible success factors for women in such entrepreneurial activities.
3. To make an evaluation of people's opinion about women entrepreneurship.
4. To discuss the development of women entrepreneurs through small and medium enterprises.
5. To highlight the factors influencing the women entrepreneurs.
6. To study the major constraints faced by the women entrepreneurs.
7. To draw conclusions and suggestions.

Women Entrepreneurship in India - Women is generally perceived as home makers with little to do with economy or commerce. In Modern India, more and more women are taking up entrepreneurial activity especially in medium and small scale enterprises.

Even as women are receiving education, they face the prospect of unemployment. In this background, self employment is regarded as a cure to generate income. The Planning commission as well as the Indian government recognizes the need for women to be part of the mainstream of economic development. Women entrepreneurship is seen as an effective strategy to solve the problems of rural and urban poverty. Traditionally, women in India have been generally found in low productive sectors such as agriculture and household activities. Human Development Report 2004 ranks India 103 in Gender related Development Index (GDI). As per 2001 census; women constitute nearly half of India's population. Out of this total, 72% were engaged in agriculture, 21.7% in other non agricultural pursuits with only 6.3% in household industries.

Women entrepreneurs in India are handicapped in the matter of organizing and running businesses on account of their generally low levels of skills and for want of support system. The transition from homemaker to sophisticated business woman is not that easy. But the trend is changing. Women across India are showing an interest to be economically independent. Women are coming forth to the business arena with ideas to start small and medium enterprises. They are willing to be inspired by role models- the experience of other women in the business arena.

Top Ten Women Entrepreneur-Worldwide, businessmen,

economists and politicians today assent that, 'Women owned businesses boost the economy'. Presenting here, names who pioneer 'women entrepreneurship' and epitomize the female power globally.

1. Madame C.J. Walker (1867–1919)
2. Gabrielle Bonheur 'Coco' Chanel (1883-1971)
3. Estee Lauder (1908-2004),
4. Mary Kay Ash (1918 - 2001),
5. Lillian Vernon (1929),
6. Martha Stewart (1941),
7. Anita Roddick (1943 - 2007)
8. Vera Wang (1949),
9. Oprah Winfrey (1954),
10. Debbi Fields (1956).

Top 5 Women entrepreneur In India

1. Indu Jain –Chairperson of Benner, Coleman (TOI)
2. Indra Nooyi-Chairman of PepsiCo
3. KiranMazumdaar Shaw- Founder of Biocon ltd
4. Vandana Luthara-Founder of VLCC
5. Priya Paul- Chairperson Park hotels

Policies and Schemes for Women Entrepreneurs in India - In India, the Micro, Small & Medium Enterprises development organisations, various State Small Industries Development Corporations, the Nationalised banks and even NGOs are conducting various programmes including Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) to cater to the needs of potential women entrepreneurs, who may not have adequate educational background and skills. At present, the Government of India has over 27 schemes for women operated by different departments and ministries. Some of these are:

1. Integrated Rural Development Programme (IRDP)
2. Khadi And Village Industries Commission (KVIC)
3. Training of Rural Youth for Self-Employment (TRYSEM)
4. Prime Minister's Rojgar Yojana (PMRY)
5. Entrepreneurial Development programme (EDPs)
6. Management Development programmes
7. Women's Development Corporations (WDCs)
8. Marketing of Non-Farm Products of Rural Women (MAHIMA)
9. Assistance to Rural Women in Non-Farm Development (ARWIND) schemes
10. Trade Related Entrepreneurship Assistance and Development (TREAD)
11. Working Women's Forum
12. Indira Mahila Yojana
13. Indira Mahila Kendra
14. Mahila Samiti Yojana
15. Mahila Vikas Nidhi
16. Micro Credit Scheme
17. Rashtriya Mahila Kosh
18. SIDBIMahila Udyam Nidhi
19. SBI's Stree Shakti Scheme
20. NGO'sCredit Schemes
21. Micro & Small Enterprises Cluster Development

Programmes (MSE-CDP).

22. National Banks for Agriculture and Rural Development's Schemes
23. Rajiv Gandhi Mahila Vikas Pariyojana (RGMVP)
24. Priyadarshini Project- A programme for Rural Women Empowerment and Livelihood in Mid Gangetic Plains.
25. NABARD- KFW-SEWA Bank project Exhibitions for women, under promotional package for Micro & Small enterprises approved by CCEA under marketing support. The efforts of government and its different agencies are ably supplemented by NGOs that are playing an equally important role in facilitating women empowerment. Despite concerted efforts of governments and NGOs there are certain gaps. Of course we have come a long way in empowering women yet the future journey is difficult and demanding.

Tips and Suggestions for Women Entrepreneurs

Tips for Women Entrepreneurs

1. Start a business that works for you and your personal life
2. Research the product/ service
3. Assess the market
4. Start business with adequate funds
5. Do networking.
6. Consult with professionals.

Some suggestive measures, to solve the problems confronted by them -

1. Proper technical education to the women and opening of women development cells.
2. Improvement of identification mechanism of new enterprise.
3. Assistance in project formulation and follow up of training programmers.
4. Credit facilities, financial incentive and subsidies.
5. Adequate follow-up and support to the women enterprises.
6. Women Enterprises research and application from time to time have to be documented.

Conclusion - It can be said that today we are in a better position wherein women participation in the field of entrepreneurship is increasing at a considerable rate. Women sector occupies nearly 45% of the Indian population. At this juncture, effective steps are needed to provide entrepreneurial awareness, orientation and skill development programs to women. The role of Women entrepreneur in economic development is also being recognized and steps are being taken to promote women entrepreneurship. From these suggestions it is quite visible that for development and promotion of women entrepreneurship, in the region, there is a need for multi dimensional approach from different sector, namely from the government side, financial institutions, individual women entrepreneurs and many more, for a flexible integrated and coordinated specific approach. The principal factor in developing entrepreneurship among women is not in terms of infrastructure or financial assistance or identifying an

enterprise but it is a question of clearing the ground for their movement into entrepreneurship. For ages together they have been confined to a secondary role and confined to the homes and you have to bring out so that they become self-reliant, self-respecting enterprising people. Though there are several factors contributing to the emergence of women as entrepreneurs, the sustained and coordinated effort from all dimensions would pave the way for the women moving into entrepreneurial activity thus contributing to the social and economic development of the nation.

References :-

1. Baporikar, N. (2007) Entrepreneurship Development & Project Management-Himalaya Publication House.
2. Dhaliwal S. (1998), "Silent Contributors: Asian Female Entrepreneurs and Women inBusiness", Women's Studies International Forum, Vol. 21 (5), 469-474.
3. Langowitz N and Minniti, M (2007). 'The Entrepreneurial Propensity of Women' Entrepreneurial Theory and Practice.
4. Lalitha, I. (1991), Women entrepreneur's challenges and strategies, Frederic, New Delhi.
5. Desai, V: (1996) Dynamics of Entrepreneurial & Development & Management Himalaya publishing House - Fourth Edition, Reprint.
6. Minniti, M and Naude, W.A (2010). 'What do we know about the Patterns and Determinants of female Entrepreneurship across Countries?' The European Journal of development Research.
7. Rani D. L. (1996), Women Entrepreneurs, New Delhi, APH Publishing House.
8. Robinson S. (2001), "An examination of entrepreneurial motives and their influence on the way rural women small business owners manage their employees", Journal of Developmental Entrepreneurship, Vol. 6 (2).
9. Singh Kamala. (1992), Women entrepreneurs, Ashish publishing house, New Delhi.
10. Nussbaum M.C (2000). Women and human Development: The Capabilities Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Role Of E-Commerce In Business

Dr. Deepali Behere*

Abstract - Information Technology has been playing a vital role in the future development of financial sectors and the way of doing business in India. The growth of e-commerce and the digitalization of retail provide new opportunities for solidarity within the global labor movement. Due to digitization, e-commerce and online distribution is an ever-expanding, fast-growing industry. It is not surprising that even stores that were previously restricted to the retail trade will, in the future, sell their goods also online. The advancement of Information and Communication technology has brought a lot of changes in all spheres of daily life of human being.. High-quality e-commerce must mirror the offline world. In the international market, it is not enough to provide multilingual brochures or websites. the next few years, the Digital Natives will grow into their most affluent stage in life. The ability of a company to adapt to ever-changing demands of buyers is no longer the finishing touch, but a must-have to not be overtaken by the competition. . Today, e-commerce has changed drastically with significantly safer online transactions and super-fast checkouts. Online shopping continues to gain popularity, creating new opportunities for both established online retailers and brand new startups. But e-commerce isn't finished changing and improving. Let's take a look at some of the changes that we are likely to see in the future of e-commerce. this paper study about Role of ecommerce and digitalization in business.

Key Words - Ecommerce, digitalization, business, information technology,

Introduction - Now-a-days e-commerce is growing popular in an emerging economy. E-commerce began in 1995. It requires the digital goods for carrying out their transactions. E-commerce involves an online transaction. E-commerce provides multiple benefits to the consumers in form of availability of goods at lower cost, wider choice and saves time. The general category of ecommerce can be broken down into two parts: E-Merchandise & E-finance. Digital goods are goods that can be delivered over a digital network. E-commerce is rapidly transforming the way in which enterprises are interacting among each other as well as with consumers and Governments. As a result of changes in the landscape of ICTs, e-commerce is now growing rapidly in several emerging markets and developing economies. The technologies designed to improve commercial transactions using the Internet have evolved as quickly. However, we have not yet achieved an ideal world of painless and secure transactions utilizing the Internet, as unresolved privacy issues of the purchaser have impeded the further development of the technology. E-commerce has been hailed by many as an opportunity for developing countries to gain a stronger foothold in the multilateral trading system. E-commerce has the ability to play an instrumental role in helping developing economies benefit more from trade (WTO-2013). The growing use of the Internet, tablet devices, and smart phones coupled with larger consumer confidence will see that ecommerce will

continue to evolve and expand. With social media growing exponentially in recent years, the conversation between businesses and consumers has become more engaging, making it easier for transactional exchanges to happen online. Internet retailers continue to strive to create better content and a realistic shopping experience with technologies like augmented reality. With mobile commerce gaining speed, more users are purchasing from the palm of their hand (Miva-2011). E-commerce could deliver a significant benefit to businesses in developing countries by increasing their control over its place in the supply chain, thus improving its market efficiency. Ecommerce is showing tremendous business growth in India. Increasing internet users have added to its growth. Despite being the second largest user base in world, only behind China (650 million, 48% of population), the penetration of e-commerce is low compared to markets like the United States (266 M, 84%), or France (54 M, 81%), but is growing at an unprecedented rate, adding around 6 million new entrants every month. The industry consensus is that growth is at an inflection point. India's e-commerce market was worth about \$3.9 billion in 2009, it went up to \$12.6 billion in 2013. In 2013, the e-retail segment was worth US\$2.3 billion. About 70% of India's e-commerce market is travel related. According to Google India, there were 35 million online shoppers in India in 2014 Q1 and is expected to cross 100 million mark by end of year 2016. By 2020, India is expected to generate

\$100 billion online retail revenue out of which \$35 billion will apparel sales are set to grow four times in coming years. This paper is outcome of a review of various research studies carried out on Impact of E-commerce on Indian Commerce.

Objectives of the Study - The main objectives of the study are as follows -

1. To get a full acquaintance of the E-commerce in India.
2. To identify the benefits of E-commerce in business.
3. To know the challenges in E-commerce and digitalization in business.

Research Methodology - The paper has been written on the basis of secondary data. The secondary data were collected from published books, journals, research papers, magazines, daily newspaper, internet and official statistical documents. The study is qualitative in nature.

What is E-commerce - Electronic commerce, or e-commerce, is the buying and selling of goods and services on the Internet. Other than buying and selling, many people use Internet as a source of information to compare prices or look at the latest products on offer before making a purchase online or at a traditional store. EBusiness is sometimes used as another term for the same process. More often, though, it is used to define a broader process of how the Internet is changing the way companies do business, of the way they relate to their customers and suppliers, and of the way they think about such functions as marketing and logistics. For the purpose of this study e-commerce is taken to mean doing business electronically.

Why E-commerce - With the increasing diffusion of ICTs, more specifically the Internet, the global business community is rapidly moving towards Business-to-Business (B2B) e-Commerce. The buyers gain a clear advantage when the Internet gives them access to the global market, by which they can compare prices across regions, find out whether prices vary by order fragmentation and get awareness about substitute products. Due to transparency of the market, customer can compare the services of various e-commerce sites easily. For instant, in case of e-commerce the competitors are one click away from customer. If clients are not happy with the products, prices or services offered by a particular ecommerce site, they are able to change much more easily than in the physical. From the Sellers' point of view, they don't need to have physical existence of shop.

Benefits of E-commerce - The main benefit from the customers' point of view is significant increase and saves of time and eases access from anywhere in the globe. Customer can place a purchase order at any time. The main benefits of ecommerce for customers are as follows:

- Reduced transaction costs for participating exchange in a market.
- Quick and continuous access to information Customer will have easier to access information check on different websites at the click of a button.
- Increased comfort - transactions can be made 24 hours

a day, without requiring the physical interaction with the business organization

- Convenience-All the purchases and sales can be performed from the comfort sitting a home or working place or from the place a customer wants to.
- Time saving- Customer can buy or sell any product at any time with the help of internet
- Customer can buy a product which is not available in the local or national market, which gives customer a wider range of access to product than before.
- Switch to others companies-Customer can easily change the company at any time if the service of a company is not satisfactory.
- A customer can put review comments about a product and can see what others are buying or see the review comments of other customers before making a final buy.

The main benefits of e-commerce from sellers' point of view is increasing revenue and reducing operation and maintenance costs through internet. These include as follows -

- Reduces operation and maintenance costs.
- Increases revenue.
- Reduces purchase and procurement costs.
- Raises customer loyalty and retention.
- Reduces transportation costs.
- Develops customer and supplier relationships.
- Improves speed of the process of selling.
- Improves internal and external communication.
- Develops the company image and brand

Challenges in E-commerce - The major challenges faced by the sellers and the buyer which carrying out business transactions through internet are as follows.

- Private and public corporation is not involved jointly to grow the business of e-commerce. Private and public joint initiative is needed to develop the ecommerce business. Joint initiatives bring credibility inside people, which is needed for flourishing the ecommerce business.
- There is a lack of system security, reliability, standards, and some communication protocol. Customer loses their money if the website of ecommerce site is hacked. Most common problem of e-commerce website is not having enough cyber security
- In developing countries there is a culture of buying product by negotiating price with seller, which is not easily possible in case of e-commerce in developing countries because of lack of infrastructure facility.
- Financial institutions and intermediaries - Thus far, financial institutions and banks in developing countries are hesitant to take an active role in promoting e-commerce. However, merchants need the involvement of banks to broaden the reach and appeal of ecommerce and to help prevent fraud and potential losses attributable to credit card fraud. But beyond the credit card approach, banks and other financial service

intermediaries are challenged to develop alternative modalities for secure and reliable online transactions in environments where credit cards are not commonplace.

- Trust is the most important factor for the use of the electronic settlements. Traditional paper based rules and regulations may create uncertainties the validity and legality of e-commerce transactions. Modern laws adopted and impartiality implemented in the electronic transactions form the basis of trust in the developed world. Where legal and judicial systems are not developed e-commerce based transactions are at a disadvantage because of lack of security whether real or perceived. In many developing countries even today cash on delivery is the most accepted system, even cheques and credit cards are not readily accepted.
- One of the biggest challenges is the cutting down the price of internet. Authorities are trying to keep low the price of bandwidth low. But the high cost of spreading networks and operating expenses hinder to keep price low for internet.
- New methods for conducting transactions, new instruments, and new service providers will require legal definition, recognition, and permission. For example, it will be essential to define an electronic signature and give it the same legal status as the handwritten signature. Existing legal definitions and permissions such as the legal definition of a bank and the concept of a national border—will also need to be rethought.
- Lack of education
- Cultural tradition
- Poor concept of online marketing
- Less marketing or promote
- Political problem
- High cost of products/services comparing traditional market
- Internet coverage arena is limited
- Communication is haphazard over the country
- Lack of trustable business and enterprise and
- Lack of experience of meeting directly with merchant and customer.

Conclusions - The e-commerce industry will be a leader with popularity in electronic business world in the upcoming years. The e-commerce revolution has fundamentally changed the business of transaction by giving new opportunities and breaking borders easily In India, it has strongly impacted the traditional business system and changing the life of people by making it easier. While it gives benefits to customer and seller, e-commerce gives

challenges to traditional business for competitive position. Developing countries face many obstacles that affect the successful implementation of e-commerce with the help of comparing with developed country. When the internet cost will be low then the e-commerce will flourish easily and will make many of traditional business to run out of their business. Convenience is one of the benefits that customer gets from the e-commerce and thus increasing customer satisfaction. Impact of digitization is increasingly helping Indian GDP to grow. Along with economic benefit, the unquestionable viability of Indian internet economy is also transforming the social life of the Indians whose benefits are challenging to quantify. Economic benefit of Internet is expected to contribute 4.6% of GDP of India by 2018. This is due to customer can place a purchase an order from anywhere with internet connection. E-commerce business provider should give importance on every customer by giving smooth service and many options for payment and have more functions available online. Other benefits are expanded product offerings and expanded geographic reach. thus e-commerce play important Role in business.

References :-

1. Almeida, G. A. A. et al (2007). Promoting ECommerce in Developing Countries. www. diplomacy.edu.
2. Chavan, J. (2013). "Internet Banking- Benefits and Challenges in an Emerging Economy". International Journal of Research in Business Management, Vol. 1(1), pp. 19-26.
3. Clayton, T. et al (2002). Electronic Commerce and Business Change.
4. Hasan, A.H.M., Saidul. et al (2010). "Adoption of Ebanking in Bangladesh: An exploratory study." African Journal of Business Management, Vol. 4(13), pp. 2718-2727.
5. Harris, L. and Spence, L. J. (2002). "The ethics of Banking". Journal of Electronic Commerce Research, Vol. 3(2).
6. Laudon, K. C., and Laudon, J. P. (2013). Management Information Systems: Managing the Digital Firm. Twelve Edition. Pearson. Delhi.
7. Laudon, K. C., and Traver, C.G. Introduction to Ecommerce: business. technology. society. Fifth Edition.
8. Miva, M. and Miva, B. (2011). The History of Ecommerce: How Did It All Begin?. <http://www.miva.com/blog/the-history-of-ecommerce-how-didit-all-begin>.
9. Molla, A., and Heeks, R. (2007). "Exploring Ecommerce benefits for businesses in a developing country". The Information Societ

उद्यमिता विकास में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास की आवश्यकता का अध्ययन (मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ में)

नीतू सूर्यवंशी * डॉ. संदीप जोशी**

शोध सारांश - उद्यमिता विकास के लिए आवश्यक है कि हम अपने अंदर उद्यमी व्यक्ति के गुणों को बढ़ाए। उद्यमी एक क्रियाशील प्राणी है, जो विशेष कार्य, खासतौर पर उद्यम संबंधित कार्य को क्रियान्वित करने का पहल करता है। उद्यमी बनना एक व्यक्तिगत कौशल है, जिसका संबंध न जाति, न धर्म, न समुदाय से रहता है। उद्यमी बनने में स्वयं व्यक्ति की अहम भूमिका होती है। ऊँची उपलब्धि की चाह रखने वाला व्यक्ति उद्यमी बनने का रास्ता स्वतः खोज लेता है। उद्यमिता विकास के लिए युवाओं में उद्यमी बनने के गुणों को निखारना होगा, संवारना होगा व विकास करना होगा। इसके लिए उनमें तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास की आवश्यकता होती है।

शब्द कुंजी - उद्यमिता विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास।

प्रस्तावना - देश की विकास दर 10 प्रतिशत से ऊपर रखने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास आवश्यक है। यह देखा गया है कि राज्य की आर्थिक प्रगति तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली के विकास से सीधे जुड़ी है। ऐसे राज्य जहाँ इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति देखी गई है। उन राज्यों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में अधिक निजी निवेश आकर्षित किए हैं।

गुणवत्ता वाले रोजगार उन्मुख शिक्षा की उपलब्धता एक तरफ राज्य के लोगों की कार्यक्षमता, उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि सुनिश्चित करती है, जबकि दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए उनकी क्षमता भी बढ़ सकती है। उपरोक्त संदर्भ में राज्य में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक व्यापक तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास नीति की आवश्यकता है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य -

1. स्वरोजगार हेतु तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता का अध्ययन करना।
2. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए सरकारी प्रयासों पर प्रकाश डालना।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास की आवश्यकता - किसी भी युवा के जीवन में कौशल का क्या योगदान है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है, और जब आप रोजगार की तलाश में जाते हैं तो बाजार अप्रशिक्षित कामगार की बजाए प्रशिक्षित कामगार की मांग करता है, किस इलाके में किस तरह के कौशल की जरूरत है? रोजगार की क्या संभावनाएँ हैं? इसका चयन किस तरह से किया जाना चाहिए? इस पर अपेक्षित ध्यान देने की जरूरत है।

इसके लिए उपलब्ध कौशल की कमी (स्किल गैप एनालिसिस) युवाओं की इच्छा, उनकी अपेक्षा को ध्यान में रखकर अलग-अलग इलाकों के मद्देनजर पाठ्यक्रम का निर्धारण करने की विशेष आवश्यकता है, इतना ही नहीं युवाओं को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दाखिला देते समय उनकी कैरियर काउंसलिंग को ध्यान में रखकर, जो युवा जिस कार्य के लायक है, उन्हें उसी

तरह का प्रशिक्षण दिया जाये, अगर युवा के रुचि और कौशल को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दिया जायेगा तो रोजगार पाने के अवसर निसंदेह सत्प्रतिशत होंगे।

कौशल विकास या रोजगार परक शिक्षा प्रणाली का युवाओं को तैयार करने में क्या महत्व है? रोजगार परक शिक्षा देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए और उद्योग की जरूरत के मुताबिक कुशल श्रमिक तैयार करने के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन रोजगार परक शिक्षा की बुनियाद तभी बेहतर ढंग से तैयार होती है, जब स्कूली शिक्षा के सभी स्तर में सुधार हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक हो या फिर उच्च शिक्षा स्कूली शिक्षा के दौरान ही बच्चों के रूझान पता चलता है। अक्सर कौशल विकास के कार्यक्रमों में असफलता का मुख्य कारण होता है कि गांव में जिस तरह के कौशल की जरूरत है, उस तरह के पाठ्यक्रमों को शामिल नहीं किया जाता है, इसके कारण ग्रामीण इलाकों से प्रशिक्षित मजदूर शहरों में जाकर रोजगार प्राप्त करते हैं और गांव में बेरोजगारी जस की तस बनी रहती है। युवाओं में कौशल विकास के प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित किये जाते हैं जो कि स्कूली शिक्षा के बाद युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। जिससे की युवा रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकें।

कौशल विकास की महत्वता को समझते हुए भारत सरकार ने अलग से स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय की व्यवस्था की। आज ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के तहत भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाली, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDV-GKY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), उड़ान एवं स्टार महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसके तहत युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है।

युवा वर्ग को सीधे उत्पादकता से जोड़ने के लिए उन्हें क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, राज्य सरकारें इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। तकनीकी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण का काम भी चल रहा है। कौशल विकास को केन्द्र सरकार ने भी मिशन के तौर पर लिया है। इससे

सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी से निजात मिल सकती है। यह योजना अमीरी और गरीबी की खाई पाटने तथा नक्सलवाद और पलायन का दंश झेल रहे राज्यों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मनरेगा की योजनाओं में काम कर रहे युवाओं को भी सरकार ने ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है। कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर उन्हें भी संगठित क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। इससे उनकी आय में बढ़ोत्तरी होगी और जीवन स्तर सुधरेगा। इस मिशन की एक और खासियत होगी कि प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि वे युवकों को नियोजन दिलाने की दिशा में प्रयास भी करें। बाध्यता होगी कि कम से कम 70 फीसदी युवाओं को सीधे रोजगार मुहैया हो। सरकार परम्परागत कार्य में भी युवकों को प्रशिक्षित कर सकती है। उत्पादन, बांस से बनने वाले सामान, वन उत्पाद समेत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में राज्य में अपार संभावनाएं हैं। इससे संबंधित प्रशिक्षण और उद्योग राज्यों के विकास में मददगार साबित होंगे। एक और बड़ी समस्या पलायन को भी इसके जरिए रोकने में मदद मिलेगी। सुदूर इलाकों से युवक-युवतियां काम की तलाश में बड़े शहरों में जाते हैं। उनके शोषण की घटनाएं अक्सर सुर्खियां बनती हैं। ऐसे युवक-युवतियों को परम्परागत काम में प्रशिक्षण देकर सशक्त बनाया जाए तो उन्हें घर में ही रोजगार मिल जाएगा। 66 प्रतिशत आबादी की आय का साधन खेती है। ऐसे में नई तकनीक और कौशल विकास मिशन को धरातल पर उतारना सरकार की महती जिम्मेदारी है।

भारत में कौशल विकास की चुनौतियाँ एवं उपाय – भारत को अपनी 60 प्रतिशत जनसंख्या क्रियाशील (कार्य करने वाली) आयु में होने का जनसांख्यिकीय लाभ है। भारत के समक्ष यह युवाशक्ति विकास दर में वृद्धि करने और शेष विश्व को कुशल श्रमशक्ति प्रदान करने का सुअवसर प्रदान करती है।

यह विदित है कि कुल श्रम शक्ति का 93 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। लिहाजा कौशल विकास संबंधी कदमों की एक प्रमुख चुनौती इस विशाल जनसंख्या को रोजगारपरक कौशल प्रदान करना है, जिससे वो अपने लिए एक अच्छा कार्य सुरक्षित कर पाए और अपना जीवन स्तर उन्नत बना पाए।

कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति 2015 ने 2009 में निर्मित नीति का स्थान ले लिया है मूलरूप से इसका उद्देश्य तेजी, गुणवत्ता और निरंतरता के साथ कौशल हासिल करवाने पर है। भारत श्रम रिपोर्ट, 2012 के अनुसार प्रकल्पना की गई है कि प्रतिवर्ष 12.8 मिलियन लोग श्रम बाजार में नये आते हैं, इसकी तुलना में हमारे देश में कौशल विकास की मौजूदा क्षमता 3.1 मिलियन है।

वर्ष 2012 से 2022 की कालावधि में पूरे देश में कौशल विकास के लिए मानव संसाधन आवश्यकता 12.03 करोड़ होने की प्रकल्पना की गई है। इसलिए कौशल विकास संबंधी लक्ष्य की प्राप्ति के लिये अवसंरचना का विस्तार करने की अविलंब आवश्यकता है, जो कि वर्तमान क्षमता के चार गुने से भी अधिक है। मध्यावधि रणनीति के लिहाज से वर्ष 2015 से 2022 के मध्य श्रम शक्ति में 104.62 मिलियन नये प्रवेशकों को व्यावसायिक शिक्षा देने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में भारत सरकार के 21 मंत्रालय, विभाग कौशल विकास कार्यक्रम में संलग्न है।

भारत के युवाओं को कौशल प्रदान करने की दिशा में अनेक प्रकार की चुनौतियों की पहचान की गई है। उदाहरणार्थ मौजूदा कार्यन्तंत्र की क्षमता में वृद्धि करना ताकि सभी के लिए न्याय संगत पहुँच सुनिश्चित हो पाए और साथ ही उसकी गुणवत्ता और प्रासंगिकता भी बरकरार रहे, यह एक बड़ी

चुनौती है। इसके लिए प्रशिक्षकों के ज्ञान वर्द्धन के पर्याप्त प्रावधानों के साथ उद्योगों एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों के मध्य प्रभावी संबंध होने चाहिए। विद्यालयी शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में किए जा रहे सरकारी प्रयासों के बीच प्रभावी सम्मिलन पर भी और कार्य किया जाना चाहिए। इन सभी को श्रम बाजार सूचना तंत्र के अनुरूप होना चाहिए। शोध विकास, गुणवत्ता, आश्वासन, परीक्षा, प्रमाणन, सम्बद्धता एवं प्रत्यापन अन्य चुनौतियां हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि युवाओं को कौशल विकास अपनाने हेतु प्रेरणा देने के लिए इसको आकर्षक एवं उत्पादक बनाने की आवश्यकता है।

उपाय – उपरोक्त चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने कुछ विशेष कदम उठाए हैं, जिनमें संसृति हासिल करने एवं कौशल विकास को केन्द्र सरकार की समस्त योजनाओं का अविभाज्य हिस्सा बनाने के लिए उनका परस्परानुबंधन एवं परिमेयकरण शामिल है। जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सरकारी योजनाओं में कार्यक्रम की आवश्यकताओं के लिहाज से एक अवयव कौशल विकास का ख्याल रखाता है। देश के 21 उच्च विकास क्षेत्रों लिये एनएसडीसी की ओर से कारक कौशल संबंधी अध्ययन से वर्ष 2022 तक इस क्षेत्र की मानव संसाधन जरूरतें पता चलेगी।

निगरानी एवं मूल्यांकन किसी भी विकास योजना की रीढ़ होते हैं। चूंकि कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति एक परिणाम आधारित नीति के तौर पर संरचित की गई है, कार्यान्वयन समेत एवं विभिन्न कदमों की प्रगति की समीक्षा और नीति के अंतर्गत सुधारात्मक उपायों के लिये एक नीति कार्यान्वयन एकक (पीआईयू) का गठन किया गया है। योजना में प्रतिपुष्टि के माध्यम से सुधार करने के लिए साझेदारों के मध्य लगातार मंत्रणा का प्रावधान रखा गया है। इस मोर्चे पर इच्छित परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि देखरेख के साथ जल्द से जल्द कार्यक्रम का शीघ्र मूल्यांकन शुरू किया जाय। मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर हम प्रभावी कदम उठाकर कार्यान्वयन की प्रक्रिया में आई सभी कमियों को दूर कर पाएंगे।

निष्कर्ष – आज के युग में उद्यमिता विकास का काफी महत्व है। अतः युवा वर्ग व्यर्थ भटकने के बजाय अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उद्यमिता विकास की ओर उन्मुख हो, व्यवसायिक शिक्षा को अपनाए और अपनी आमदनी को बढ़ायें। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के योगदान का आंकलन दो स्तरों से किया जाना उचित रहता है।

प्रथम – सामान्यतया उद्यमिता विकास कार्यक्रम से प्रशिक्षित उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्यमों की संख्या को कार्यक्रम की सफलता का मुख्य मापदण्ड माना जाता है। परन्तु यह भी विचारणीय है कि एक सम्भावित उद्यमी को वास्तविक उद्यमी में परिवर्तित कराने में चार प्रमुख कारक हैं – प्रशिक्षणार्थी/ सम्भावित उद्यमी, आयोजक संस्थान की विशेषज्ञता का स्तर, सहायक संस्थाओं के सहयोग का स्वरूप एवं प्रायोजक संस्थाओं की उक्त कार्यक्रम के प्रति रूचि का स्तर इन सभी कारकों के पारस्परिक सहयोग के स्तर पर ही सफलता का प्रभाव परिलक्षित होता है।

द्वितीय – दूसरा तथ्य यह भी कि मात्र स्थापना की संख्या ही उद्यमिता विकास कार्यक्रम का सम्पूर्ण योगदान नहीं है। यद्यपि इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव भी महत्वपूर्ण हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम मुख्यतः मानव संसाधन के सर्वोपरि विकास के लिए एक माध्यम है। इस विचार के अनुसार उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र नवीन एवं प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना ही नहीं है यद्यपि समाज में उद्यमीय गुणों के विकास एवं विस्तार को व्यापक

स्वरूप प्रदान करना है। अतः मात्र रोजगार सृजन के आधार पर उद्यमिता विकास कार्यक्रम के योगदान का आंकलन नहीं किया जा सकता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि समाज में उद्यमीय गुणों का विकास एवं विस्तार करना ही उद्यमिता विकास कार्यक्रम का दीर्घकालिक एवं प्रमुख उद्देश्य है। जबकि अल्पकालिक उद्देश्यों में रोजगार के अवसरों को सृजन करके प्रशिक्षणार्थियों को उद्यम स्थापना में सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उद्यमिता विकास केन्द्र, रिपोर्ट कार्ड 2013
2. उद्यमिता समाचार पत्र, अप्रैल 2013
3. उद्यमिता विकास केन्द्र की वेबसाइट www.cedmapindia.org
4. Directorat of Skill Devlopment Mp वेबसाइट www.mpdn.nic.in
5. डॉ. जैन एवं शर्मा (2011), 'उद्यमिता के मूलाधार,' रमेश बुक डिपो, जयपुर।

Influence Of GST On Indian Economy

Dr. Anil Gupta* Sonali Ghuriyani**

Abstract - Today, when GST has changed the overall trade of India starting from retailers to companies along with every type of consumers. It has left no single individual untouched from its effects. This arises need to understand the effects and influences of Indian trade, to determine at what level did it helped India to grow, building a much better economy.

Introduction - In the year 2017 (July), GST i.e. GOODS AND SERVICE TAX law was introduced replacing all the different value-added , sales and excise taxes imposed by 29 states and the federal government. The GST was introduced less than a year after demonetization, the Government move to remove old currency from circulation and introducing new currency in its place. GST in totality changed the whole taxation system of India and came with title "ONE NATION, ONE TAX". The GST is governed by GST council. Under GST, goods and services are taxed at the following rates, 0%,5%,12%,18% and 28% respectively. 1% rate is available for those dealers who inspite of calculating goods on these rates prefer to give 1% of their sales as tax to the government leaving all the ITC and Tax laibility calculations for purchase and sales. After the launch of GST various meeting had been held of GST council each resulting in changes in GST law provisions either on small or huge basis. Shifting of items from 28% tax slab to 18% tax rate, from 5% taxable commodity to nil rated or exempted category etc are many examples describing the changes from time to time made in GST through GST council. It imprints the Indian economy in many ways.

Objectives -

1. To understand the concept of goods and service tax.
2. To find out GST effects on Indian economy.

Methodology - This is an attempt of descriptive research based on secondary data sources from journals, internet, articles, previous research paper and references including images.

Review Literature - Nitinkumar wrote in his research paper "Goods and Service Tax in India: A Step Forward" that the Goods and Service Tax (GST) is one of the Biggest taxation reforms in India. The Central Idea behind this form of taxation is to replace existing levies like VAT, service tax, excise duty, and sales tax by levying a comprehensive tax on the manufacture and consumption of Goods and Service

in the country. GST is expected to unite the country economically as it will remove various forms of taxes that are currently levied at different points.

Dr. Ambrish states in his study "Goods and Service Tax and its impact on startups" that GST is expected to unite the country economically as it willremove various forms of taxes that are currently levied at different points based on a 2015 NASSCOM report paper analyzed how the GST has impact on startup of the country and how has impact on GDP.

A Brief Overview Of GST And Its Various Tax Slabs - GST titled as 'ONE NATION, ONE TAX' was launched with 5 different tax slabs containing thousands of commodities under them -

A fitment of rates of Goods were discussed during GST council meeting held at Srinagar, Jammu and Kashmir. The council has broadly approved the GST rates for goods at 0%, nil rated, 5%, exempted, 12%, 18%, 28% to be levied at certain goods. However, this information is subjective to further vetting during the list may undergo some changes. GST Rates (**See in the end of paper**)


Though edible items like sugar, tea and coffee are included in the 5% slab, milk does not attract any tax under the new GST regime. The idea behind this is to ensure that basic food items are for everyone but instant food is kept out of this category.

- Basic household items like toothpaste and hair oil, which attracted 28% tax, will be taxed at 18% only.
- Sweets will also be taxable at 5%
- Tax rates on coal has been reduced from 11.69% to just 5% in order to relieve the pressure on power industries.
- GST also gives a major push to domestic industries as they will be able to produce seamless input credit for capital goods. Make in India campaign is set to flourish after this reform.

GST and Its Impact on Indian - GST i.e. Goods and service Tax is the biggest tax-related reform in the country and eliminating the cascading of taxes that was levied in the past. GST is classified into three types

- SGST - State GST
- CGST - Central GST
- IGST - Integrated GST

These taxes have direct impact on the revenue of the states as well as on the whole country. The impact of GST can be easily understood by the following graph.




This clearly shows the growing structure of Indian Economy after GST where the gap between GDP and investment is decreasing, exports increasing in comparison with imports, CAD increasing, and Government Debt continuously decreasing which is a good sign for the development of whole economy.

In accordance with this Economic Times of India also published an article raising Tax to GDP ratio which states that -

The tax to GDP ratio for India has inched up slightly in recent years, but remains well below the world average. The Goods and Service Tax (GST) and demonetization have helped but more measures may be needed to reduce evasion. **(See in the next page)**

Conclusion - As discussed above, GST have a major impact on the Indian economy from top to the toe nothing is left untouched with its impact, a single taxation system

has encouraged new businesses and entrepreneurs to engage in service and manufacturing sector. GST eliminate economic distortions in taxation amongst states and also helps in free movement of goods, further it also minimizes the complexity of taxation. It will also beneficial to individuals as the prices will go down due to GST and decrease in price leads to increase in consumption and directly increase the GDP. As the GST implementation applied at a time for all states lack of policy barrier will removed. Directly GST will increase the investment in FDIs which increase the foreign exchange of the country and indirectly increase the employment opportunities. In short, GST will have following effects on Indian economy:




References :-

1. Finance and Development article, June 2018, Vol.55 No.2
2. Dr. Ambrish "International journal of Arts, Humanities and management studies, Goods and Service taxes and its impact on startup.
3. 'Goods and Service Tax (GST) : A Step Forward (2013) by Nitin Kumar.
4. Dr. Namita Mishra – 'Impact of GST on Indian Economy' pragati publication November 2018 volume 8 Number 11
5. GST rate schedule for Goods (as per discussion in the GST council meeting held on 18th may 2017.
6. GST rates 2019 available at paisabazaar.
7. The Economic Times. Finance article January 22, 2019.
8. Images from published data of world bank, digitalerraetc

Internet -

1. www.indiataxes.com
2. www.goodsandservicetax.com
3. www.paisabazaar.com
4. www.articles.economicstimes.indiatimes.com
5. www.taxmanagementindia.com



GST Rates	Examples Of Commodities Falling Under The Category
0 %	Live animals, meat and edible meat offal, live trees and other plants, bulbs roots and the like, cut flowers and ornamental foliage, cereals, salt, sanitary napkins, music books etc.
5%	House necessities such as edible oil, sugar, spices, tea and coffee (except instant) are included. Coal, Mishiti /Mithai (Indian sweets) and life-saving drugs are also covered under this GST slab.
12%	This includes computers and processed food.
18%	Hair oil, toothpaste and soaps, capital goods and industrial intermediaries are covered in this slab.
28%	Luxury items such as small cars, consumer durables like ac and refrigerators , premium cars, cigarette and aerated drinks, high-end motorcycles are included here.

Note :- These rates and items in the table above are subject to change and are time - sensitive.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता वृद्धि

डॉ. अनूप कुमार व्यास * सीमा परमार **

शोध सारांश – म.प्र. शासन द्वारा कृषि को लाभ का स्वरूप प्रदाय करने हेतु उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से उद्यानिकी फसलों (फल, सब्जियाँ, मसालें, पुष्प, औषधीय पौध, सुगंधित पौधों) की खेती एवं कृषि/उद्यानिकी फसलों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

कृषि को लाभ का स्वरूप प्रदाय करने हेतु उद्यानिकी एवं कृषि आधारित उद्योग सशक्त माध्यम है। प्रदेश में उद्यानिकी के समग्र विकास हेतु कृषकों को प्रशिक्षण भ्रमण (स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय) कराकर तकनीकी ज्ञान एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु उन्नत पौध रोपण सामग्री बीज आदि हेतु अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती, टपक सिंचाई पद्धति, फसलोत्तर प्रबंधन, मौसम आधारित फसल बीमा तथा कृषि फसलों पर आधारित उद्योगों की स्थापना आदि महत्वपूर्ण योजनाओं के द्वारा प्रदेश के कृषकों तथा उद्यमियों को अनुदान सहायता प्रदाय कर प्रदेश की उन्नति हेतु विभाग महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

प्रस्तावना – देश एवं प्रदेश की उन्नति को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना होगा, ताकि किसान आर्थिक रूप से ऊपर उठे और देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाए। अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि किसी भी देश प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास की गति कृषकों के उत्थान से ही सफल हो सकती है जिसके लिये प्रदेश के विकास में उद्यानिकी एक सशक्त माध्यम है।

प्रदेश फल, फूल, सब्जी, मसाला, औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उत्पादन में आत्म निर्भर होकर देश में अग्रणी उत्पादक की भूमिका अदा करे इस हेतु राज्य शासन एवं भारत सरकार के उपक्रमों/संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश की उद्यानिकी सम्पदा में वृद्धि करने के लिए संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि प्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार के साथ-साथ उच्च प्रजाति के पौधों का उत्पादन एवं वितरण सब्जियों, मसालों, पुष्प, औषधीय एवं सुगंधित फसलों के उन्नत बीज/कन्द उपलब्ध हो सके साथ ही कृषकों को उनके उत्पादों का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट परिरक्षण एवं विपणन की जानकारी मिल सके। उद्यानिकी के क्षेत्र में विस्तार हेतु योजनाओं को आधुनिक तकनीकी को सतत् अपनाते हुए उत्पादन प्रबंधन एवं निर्यात के क्षेत्र में उपयोगी बनाने की महती आवश्यकता है।

उद्यानिकी फसलों का महत्व मनुष्य के भोजन में पौष्टिक तत्वों की पूर्ति कृषकों की नगद आय बढ़ाने एवं विदेशी मुद्रा अर्जित करने के साथ-साथ पर्यावरण में सुधार करना है। मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि करने एवं संतुलित आहार उपलब्ध कराने की दृष्टि से 12 फरवरी 1982 को राज्य शासन कृषि विभाग के अधीन उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालनालय की स्थापना की गई।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उद्यानिकी के क्षेत्र में प्रदेश को अग्रणी बनाने की दिशा में एवं कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी तथा मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम को मिलाकर कृषि विभाग से पृथक कर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का गठन किया गया है जिसकी अधिसूचना 22 दिसम्बर 2005 को जारी की गई।

अध्ययन विधि – उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से उद्यानिकी एवं बागवानी फसलों के उत्पादन पर हुए प्रभाव एवं परिवर्तनों को जानने के लिए इस विषय का चयन किया गया। आंकड़ों का संकलन और वैधता के परीक्षण हेतु परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया। परिकल्पना के बिना न तो कोई प्रयोग हो सकता है और न कोई वैज्ञानिक गति से अनुसंधान संभव है।

अध्ययन के उद्देश्य –

- (1) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का अध्ययन करना।
- (2) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से उद्यानिकी एवं बागवानी योजनाओं से फसलों में हुए प्रभावों का अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ –

- (1) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उद्यानिकी एवं बागवानी फसलों के लिए जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन सुचारु रूप से हुआ है।
- (2) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उद्यानिकी एवं बागवानी फसलों के लिए जो योजनाएँ चलाई जा रही हैं उससे उद्यानिकी एवं बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ा है।

समकों का संकलन – परिकल्पना के परीक्षण के लिए आंकड़ों के संकलन

* प्राध्यापक (वाणिज्य) श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

की आवश्यकता होती है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों से साक्षात्कार के माध्यम से प्राथमिक समंक एकत्र किए गए। द्वितीयक समंक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के वार्षिक प्रतिवेदनों एवं पत्रिकाओं से प्राप्त की गई।

उद्यानिकी विभाग की विशेषताएँ/उद्देश्य -

(1) विकास गतिविधियाँ -

- प्रदेश में उद्यानिकी सम्पदा में वृद्धि के लिए फल, सब्जी, मसाले, पुष्प एवं औषधी के रकबे एवं उत्पादन में वृद्धि करना।
- टपक सिंचाई द्वारा जल का समुचित उपयोग कर उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि करना तथा पर ड्राप मोर क्राप के सिद्धान्त की पूर्ति करना है।
- गुणवत्तायुक्त पौध उत्पादन के लिए प्रदेश में म.प्र. फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम 2010 एवं नियम 2011 लाया गया है जिसकी अधिसूचना 4 जनवरी 2011 को जारी की गई है।
- प्रदेश में स्थापित शासकीय एवं निजी क्षेत्र की रोपणियों के उन्नयन आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर किया जा रहा है।
- प्रदेश में शासकीय क्षेत्र में 307 तथा निजी क्षेत्र में 46 रोपणियाँ स्थापित है।

(2) प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता - विभागीय अमले को समय-समय पर उन्नतशील आधुनिकतम तकनीकी की जानकारी देने हेतु 3 माली प्रशिक्षण केन्द्र तथा पचमढ़ी में एक अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है जिनमें उद्यान अधीक्षक ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी एवं मालियों को उद्यानिकी के विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है, साथ ही अन्य प्रदेशों में प्रचलित विधाओं/उन्नत तकनीकी आदि के प्रशिक्षण हेतु दूसरे प्रदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु भेजा जाता है। कृषकों को उन्नत किस्म की खेती के संबंध में जानकारी देने हेतु ग्रीन हाउस तकनीक, टपक सिंचाई पद्धति जैसी उन्नत खेती की तकनीकी जानकारी हेतु कृषकों को राज्य के अन्दर तथा राज्य के बाहर भ्रमण कराकर उद्यानिकी की आधुनिक तकनीकी से अवगत कराया जाता है। कृषकों के ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रदेश के संभागों एवं जिलों में संगोष्ठी एवं प्रदर्शनियों का सतत् आयोजन किया जाता है।

(3) फसलोत्तर प्रबंधन - विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में फसलोत्तर प्रबंधन अन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज, रायपनिंग चेम्बर, प्याज भण्डार गृह एवं पैक हाउस आदि के निर्माण हेतु मापदण्डानुसार अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजनाएँ - उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उद्यानिकी एवं बागवानी फसलों के उत्पादन वृद्धि एवं गुणवत्ता के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्देशित योजनाओं का संचालन उद्यानिकी विभाग द्वारा किया जाता है, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है -

(1) फल पौध रोपण अनुदान योजना - फल पौध रोपण योजना को संशोधित कर वर्ष 2016-17 से नये स्वरूप से लागू किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश की भूमि, जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर कृषकों द्वारा ड्रिप सहित उच्च/अति उच्च घनत्व के फल पौध रोपण कराने पर इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान 3 वर्षों में 60:20:20 के अनुपात में देय है। योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 4:00 हेक्टेयर के लिए अनुदान देय है।

(2) सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना - सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना को

संशोधित कर वर्ष 2016-17 से नये स्वरूप में लागू किया गया है। सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना के अन्तर्गत (प्रमाणित उन्नत/संकर बीज) सब्जी फसलों में बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा। जड़ एवं कंद वाली व्यावसायिक फसल आलू एवं अरबी उत्पादन हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 30,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय है। योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर के लिये अनुदान देय है।

(3) मसाला क्षेत्र विस्तार योजना - बीज मसाला फसलों (मिर्च, धनिया, मैथी, करायत (क्लोजी), जीरा और अजवाइन) में बीज की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय है। जड़ एवं कंद/प्रकंद वाली व्यावसायिक फसल लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल का उत्पादन हेतु रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 50,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर जो भी कम होगा अनुदान देय है। योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2.00 हेक्टेयर के लिये अनुदान देय है।

(4) बाड़ी (किचन गार्डन) के लिए आदर्श कार्यक्रम - राज्य शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघु/सीमान्त किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस योजना के अन्तर्गत उनकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर प्रति हितग्राही संख्या को रुपये 75/- के सब्जी बीजों के पैकेट निःशुल्क वितरित किये जाते हैं।

(5) उद्यानिकी अधिकारी/कर्मचारियों का प्रशिक्षण - योजनान्तर्गत संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के अधीन पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों को कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई नई तकनीक के विषय में जानकारी से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण एवं रिफ्रेसर कोर्स आयोजित किए जाते हैं तथा राज्य के बाहर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

(6) कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम - कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु कृषकों को प्रदेश के अन्दर तथा प्रदेश के बाहर भ्रमण कराकर प्रशिक्षित किया जाता है।

(7) प्रदर्शनी, मेला एवं प्रचार-प्रसार - योजनान्तर्गत विभागीय योजनाओं एवं फल, फूल, सब्जी एवं मसाला वाली फसलों की तकनीक की जानकारी कृषकों तक पहुँचाने हेतु जिला एवं ब्लाक स्तर पर प्रदर्शनी एवं मेला आयोजित कर प्रचार-प्रसार किया जाता है।

(8) व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना - योजना का उद्देश्य संरक्षित खेती अन्तर्गत विशेष प्रकार के निर्मित पाली हाउस/शेडनेट हाउस ढांचे में गैर मौसम में भी खेती कर उच्च मूल्य की गुणवत्तायुक्त पुष्प एवं सब्जियों का अधिक उत्पादन लेकर कृषक अधिक आमदनी प्राप्त कर सके तथा गुणवत्तायुक्त पुष्प एवं सब्जियाँ वर्षभर उपभोक्ता को उपलब्ध हो सके। योजना में एकीकृत बागवानी विकास मिशन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं बागवानी में प्लास्टिक कल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन.सी.पी.ए.एच.) के द्वारा निर्धारित ड्राइंग डिजाइन के अनुसार ग्रीन हाउस, शेडनेट एवं प्लास्टिक लो-टनल इत्यादि के निर्माण हेतु कृषकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है।

(9) उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना - उद्यानिकी फसलों की खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की

इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, अतः ऐसे कृषकों को योजनान्तर्गत यंत्रवार इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान दिया जाता है।

(10) औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना – योजना के तहत कृषक को स्वेच्छा से क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल लगाने हेतु 0.25 हेक्टेयर से 2.00 हेक्टेयर तक लाभ देने का प्रावधान है। विभाग द्वारा आंवला, अष्वगंधा, बेल, कोलियस, गुडमार, कालमेघ, सफेद मूसली, सर्पगंधा, शतावर एवं तुलसी की फसलों के क्षेत्र विस्तार हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन में निर्धारित लागत मापदण्ड अनुसार अनुदान दिया जाता है।

(11) पार्क एवं स्टेशन गार्डन का सुदृढीकरण – पार्क एवं स्टेशन गार्डन की सुदृढीकरण योजना का उद्देश्य पुराने पार्क एवं स्टेशन गार्डनों का सुदृढीकरण का कार्य कराया जाना है। योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 से राजा भोज एयरपोर्ट एवं एन.एच. 12 के दोनों ओर सौंदर्यीकरण का कार्य भोपाल विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराया जा रहा है।

(12) फल सब्जी परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर की स्थापना – इन्दौर में स्थापित फल सब्जी परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र में फल एवं सागभाजी के परिरक्षित पदार्थ जैसे जेम, जैली, अचार, मुरब्बा, शरबत, केण्डी एवं अन्य परिरक्षित पदार्थ तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक सत्र में 30 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

(13) शासकीय रोपणियों एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण – विभाग द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में कुल 307 नर्सरियों संचालित की जा रही हैं। ज्यादातर नर्सरियों की स्थापना 30-35 वर्ष पूर्ण की गई थी जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है। उनके उन्नयन की महती आवश्यकता है। राज्य शासन के दृष्टि पत्र 2018 के अन्तर्गत विभाग की 100 नर्सरियों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है। प्रतिवर्ष 20 नर्सरियों के उन्नयन हेतु चयनित किया गया है। वर्ष 2016-17 में चयनित 20 नर्सरियों के उन्नयन का कार्य प्रारंभ किया गया है।

(14) मौसम आधारित फसल बीमा – प्रदेश में उद्यानिकी कृषकों की फसलों के बीमा हेतु वर्ष 2013-14 से मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत खरीफ की फसलें- बैंगन, प्याज, टमाटर, केला, पपीता, मिर्च एवं संतरा तथा रबी मौसम की फसलें- आलू, टमाटर, बैंगन, प्याज, पत्तागोभी, फूलगोभी, हरी मटर, धनिया, लहसून, आम, अंगूर एवं अनार फसलें शामिल हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016 से मौसम आधारित फसल बीमा हेतु नवीन दिशा निर्देश के अनुसार उक्त फसलों की बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक द्वारा एवं शेष प्रीमियम का 50:50 केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। योजना के मापदण्डों के अनुरूप मौसम के निर्धारित घटकों में विचलन आने पर कृषकों को क्लेम देय होता है।

(15) नर्मदा नदी के दोनों तटों पर 1-1 किलोमीटर की पट्टी तक पौधा रोपण की योजना – शासन द्वारा मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी के संरक्षण एवं प्रदूषण मुक्त करने के साथ क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नदी के दोनों तटों पर 1-1 किलोमीटर की पट्टी तक निजी भूमि में फल पौध रोपण की योजना वर्ष 2016-17 से स्वीकृत की गई है। योजनान्तर्गत प्रथम वर्ष में 5000 द्वितीय वर्ष में 20000 तथा तृतीय वर्ष में 20000 कुल 45000 हेक्टेयर में फल पौध रोपण कराने हेतु कृषकों को अनुदान हेतु

राशि रुपये 534.20 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक 40 हेक्टेयर में फल पौध रोपण कराया गया।

(16) खाद्य प्रसंस्करण – खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु नवीन नीति वर्ष 2016 में स्वीकृत कराई गई जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जावेगा। भण्डारण क्षमता में वृद्धि हेतु नश्वर उत्पादों के भण्डार क्षमता में वृद्धि हेतु 2 वर्षों में 5 लाख मी. टन शीत भण्डारण एवं कृषकों को खेत में 5 लाख मी. टन प्याज भण्डारण क्षमता वृद्धि तथा 500 कोल्ड रूम निर्माण की योजना स्वीकृत कराई गई।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का उद्यानिकी एवं बागवानी फसलों के उत्पादन क्षेत्रफल एवं उत्पादकता पर हुए प्रभाव का विवरण निम्नानुसार है -

तालिका-1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका नं. 1 में प्रदेश में उत्पादित विभिन्न फलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल का विवरण दिया गया है। अतः तालिका से स्पष्ट है कि फलों के उत्पादन एवं क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है क्योंकि जहाँ वर्ष 2012-13 में फलों का उत्पादन 5571000 टन था वही 2016-17 में बढ़कर 5916713 टन हो गया है। 6.20 प्रतिशत की वृद्धि है व फलों के उत्पादन के क्षेत्रफल में वर्ष 2012-13 में 204448 हेक्टेयर था वह वर्ष 2016-17 में बढ़कर 329359 जो कि 124911 हेक्टेयर है लगभग 6.10 प्रतिशत की वृद्धि है।

तालिका-2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका नं. 2 में प्रदेश में उत्पादित विभिन्न सब्जियों के क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता का विवरण दिया गया है, जिसमें विगत पाँच वर्षों के आंकड़े दर्शाये गये हैं। उपर्युक्त तालिका में सब्जियों के उत्पादन का क्षेत्रफल तो प्रतिवर्ष बढ़ा है किन्तु सब्जियों के उत्पादन पहले तीन वर्ष 2012713 से 2014-15 तक तो वृद्धि हुई है किन्तु 2015-16 और 2016-17 में सब्जियों की उत्पादकता में कुछ कमी आयी है।

तालिका-3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका नं. 3 में प्रदेश में उत्पादित विभिन्न प्रकार के मसालों का उत्पादन क्षेत्रफल एवं उत्पादकता का विवरण दिया गया है। अतः तालिका से स्पष्ट होता है कि विगत पाँच वर्षों में मसाला उत्पादन के क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई है तथा उत्पादकता में भी शुरू के तीन वर्षों 2012-13 से 2014-15 तक तो लगातार वृद्धि हुई है किन्तु 2015-16 में मसालों के उत्पादन में कुछ कमी आयी है परन्तु 2016-17 में मसालों के उत्पादन में पुनः वृद्धि हुई है।

तालिका-4 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका नं. 4 में मध्यप्रदेश में उत्पादित विभिन्न प्रकार के फूलों के उत्पादन क्षेत्रफल एवं उत्पादकता का विवरण दिया गया है। अतः तालिका से स्पष्ट होता है कि फूलों के उत्पादन क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई है तथा फूलों के उत्पादकता में भी लगातार वृद्धि हुई है। प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाये तो वर्ष 2012-13 में फूलों का उत्पादन 193000 टन था वह 2016-17 में बढ़कर 326162, 68 प्रतिशत की वृद्धि दर है।

तालिका-5 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका नं. 5 में प्रदेश में उत्पादित विभिन्न औषधीय फसलों का विवरण दिया गया है। अतः औषधीय फसलों के उत्पादन क्षेत्रफल में वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक तो वृद्धि हुई है किन्तु उसके बाद के वर्षों में 2015-16 और 2016-17 में कमी आयी है तथा उत्पादन में भी 2012-

13 और 2013-14 में तो वृद्धि हुई है किन्तु 2014-15 में औषधिय फसलों के उत्पादन में कमी आयी है किन्तु 2015-16 से पुनः औषधिय फसलों के उत्पादन में कुछ सुधार हुआ है एवं 2016-17 में उत्पादन कृषकों की उम्मीदों से भी परे हट कर हुआ है।

उपर्युक्त सभी तालिकाओं से स्पष्ट है कि प्रत्येक उद्यानिकी एवं बागवानी फसल का क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था रूद्र दत्ता (के. पी. एम. सुन्दरम्) रस्तोगी एण्ड कम्पनी, मेरठ 2006
2. सामान्य अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य अध्ययन भारतीय

अर्थव्यवस्था

3. उपकार मध्यप्रदेश डॉ. लाल एवं जैन उपकार प्रकाशन (प्रिंटिंग यूनिट) आगरा 2007

समाचार पत्र एवं पत्रिका -

1. प्रतियोगिता दर्पण (सामान्य अध्ययन)
2. सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन (उपकार)
3. योजना (मासिक पत्रिका)
4. दैनिक भास्कर, नईदुनिया, समसमायिकी

www.mpkrisshi.org

www.google.com

www.aicoindia.com

फलों का क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता

तालिका-1

वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादन (टन में)	उत्पादकता (टन/हेक्टेयर में)
2012-13	204448	5571000	27.25
2013-14	212076	5846935	27.57
2014-15	228784	5801962	25.36
2015-16	291411	5312184	18.23
2016-17	329359	5916713	17.96

स्रोत - उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन।

सब्जियों के क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता

तालिका-2

वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादन (टन में)	उत्पादकता (टन/हेक्टेयर में)
2012-13	603674	12453000	20.63
2013-14	625347	13119780	20.90
2014-15	666414	14121313	21.19
2015-16	756812	13743780	14.47
2016-17	864290	15801218	18.28

स्रोत - उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल के वार्षिक

मसालों का क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता

तालिका-3

वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादन (टन में)	उत्पादकता (टन/हेक्टेयर में)
2012-13	539170	4098000	7.60
2013-14	561402	4328409	7.71
2014-15	571165	4466510	7.82
2015-16	582154	2687296	4.62
2016-17	665056	4153233	6.24

स्रोत - उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन।

फूलों की फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता

तालिका-4

वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादन (टन में)	उत्पादकता (टन/हेक्टेयर में)
2012-13	16515	193000	11.62
2013-14	17081	200189	11.72
2014-15	17750	208030	11.72
2015-16	23890	228316	9.56
2016-17	26039	326162	12.52

स्रोत - उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन।

औषधीय फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन एवं उत्पादकता

तालिका-5

वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	उत्पादन (टन में)	उत्पादकता (टन/हेक्टेयर में)
2012-13	62634	393000	6.27
2013-14	63456	400365	6.26
2014-15	65617	107612	1.64
2015-16	58016	114681	1.98
2016-17	38844	503134	12.95

स्रोत - उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल के वार्षिक प्रतिवेदन।

महिला विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों का वाणिज्यिक अध्ययन (रायगढ़ जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. बसन्त कुमार पटेल *

प्रस्तावना - आर्थिक विकास से अभिप्राय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा सरकारी व्यय की बढ़ती हुई दर से लिया जाने लगा है किन्तु वास्तव में यह विकास नहीं वरन् विकास का भ्रम मात्र है। अर्थशास्त्र तथा वाणिज्यिक भाषा में कहा जाए तो विकास शब्द न केवल एक सकारात्मक परिवर्तन का सूचक है अपितु इसका संबंध मात्र कल्याण से है। जब हम किसी अर्थ व्यवस्था की विकास की बात करते हैं तो उससे हमारा तात्पर्य उसके चहुँमुखी विकास तथा उससे संबंधित प्रत्येक क्षेत्र व वर्ग के विकास से होता है। चूँकि महिलाएं अर्थ व्यवस्था के विकास की एक आवश्यक कड़ी हैं, अतः महिलाओं का विकास किए बिना अर्थ व्यवस्था के विकास की कल्पना अपूर्ण है।

इक्कीसवीं सदी पर अत्यन्त विकसित व वैज्ञानिक विश्व में भी आज तक महिलाएँ विकास शब्द के वास्तविक अर्थ से कोसों दूर हैं। महिलाएँ विश्व की लगभग आधी जनसंख्या तथा एक तिहाई श्रम-शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे पुरुष प्रधान समाज में पुरुष निर्मित नियमों के तहत किसी तरह अपना जीवन यापन करते हुए विश्व की आय का एक प्रतिशत से भी कम आय कर पाती हैं। वे कुल कार्यशील समय में से 2/3 समय तक कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं। विश्व के कुल तीन निरक्षरों में से दो महिलाएँ हैं। साक्षरता दर का दावा करने वाले भारत में महिलाओं की निरक्षरता में कुछ कमी हुई है। तृतीय विश्व के देशों में 50 प्रतिशत से अधिक खाद्यान्न उत्पादन हेतु महिलाएँ की उत्तरदायी हैं। वाणिज्यिक तथा औद्योगिक दृष्टि से भी जो राष्ट्र समृद्ध हैं वहाँ पर भी महिलाओं को पुरुषों के समान कार्यों के लिए 3/8 भाग ही प्राप्त होता है तथा उनका वर्गीकरण कम वेतन पर महिला प्रधान कार्यों हेतु कर दिया जाता है। कुल मिलाकर समूचे विश्व में ही महिलाओं की स्थिति एक ऐसे भूमिहीन कृषक की भांति है, जो अपनी पूरी लगन व मेहनत के साथ वर्ष भर में फसल तैयार कर फसल कटने के पश्चात अपने प्रतिफल की प्रतीक्षा करता है, किंतु फसल कटने का समय आते ही हमारा जमींदार रूपी समाज उसकी लागत तक चुकाए बिना सारे प्रतिफलों का हकदार स्वयं बन जाता है तथा महिलाएँ अपने ही द्वारा उत्पादित फसल को चुपचाप जमींदार के यहाँ जो हुआ ठीक है मानकर केवल खून का घूंट पीकर रह जाती हैं, किंतु हर अगली बार एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ और अधिक अच्छा करने का संकल्प लेकर उठ खड़ी होती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं के विकास हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन महिलाओं का अपेक्षित विकास दृष्टिगोचर नहीं होता है। प्रस्तुत विषय का अध्ययन हेतु चयन किए जाने का कारण इस तथ्य का पता लगाना है कि महिला विकास के विभिन्न कार्यक्रमों से महिलाओं का आर्थिक विकास कितना हुआ है? ऐसे कौन से घटक हैं, जो इनके विकास के मार्ग में बाधक है, इन सभी तथ्यों का पता लगाना ही विषय के चयन

किए जाने का कारण है।

अध्ययन का उद्देश्य - अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं -

1. महिला विकास कार्यक्रमों को चिन्हित करना।
2. विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की विभिन्न उपलब्धियों यथा- रोजगार के विभिन्न कार्यक्रमों का अध्ययन करना।
3. महिलाओं के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी आय वृद्धि का पता लगाना।
4. महिलाओं के उपभोग, जीवन-स्तर में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का पता लगाना।

परिकल्पना -

1. महिला विकास कार्यक्रम तथा महिलाओं के विकास के मध्य सीधा संबंध होता है।
2. विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति होती है।
3. महिला विकास के विभिन्न कार्यक्रम उनकी आय तथा जीवन-स्तर में वृद्धि में सहायक हैं।

शोध प्रविधि - आलेख का विषय 'पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत महिला विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों का वाणिज्यिक अध्ययन (रायगढ़ जिले के विशेष संदर्भ में) जो पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के विकास पर आधारित है। महिला विकास कार्यक्रमों के प्रभाव को जानने के लिए सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत आयुष्मति योजना, इंदिरा महिला सशक्तिकरण, आँगनबाड़ी कार्यक्रम, बालिका समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना, पोषण आहार कार्यक्रम, महिला जागृति शिविर (प्रशिक्षण), सृजनात्मक प्रशिक्षण (आँगनबाड़ी प्रशिक्षण), दत्तक पुत्री शिक्षा योजना, वात्सल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, सरस्वती साईकिल योजना, सक्षम योजना, सबला योजना, महतारी जतन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, नोनी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, छ.ग. राज्य महिला कोष व अन्य महिला विकास कार्यक्रमों का विश्लेषण विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से सामग्री का एकत्रण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़ एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ से संमक द्वितीयक संमक के रूप में प्राप्त कर विश्लेषण किया गया है। तालिका क्र.01 में महिला विकास कार्यक्रमों पर आबंटित राशि, व्यय राशि एवं लाभार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। (तालिका क्र. 01 अंतिम पृष्ठ पर)

पूर्व में किए गए शोध साहित्य का पुनरीक्षण (संबंधित साहित्य समीक्षा)-

1. बालकृष्ण बी. (1993) ने अपने अध्ययन से यह निष्कर्ष ज्ञात किया कि बहुत सी शासकीय योजनाएँ जो ग्रामीण महिलाओं के विकास के

लिए बनायी गई है, वे ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत संरचना तथा वहाँ की स्थिति पर निर्भर करती है। अपने अध्ययन में यह भी उल्लेख किया है कि जो गांव-शहर या कस्बों से दूर हैं तथा जहाँ पर व्यापारिक केन्द्र नहीं है वहाँ पर योजनाओं की सफलता में संदेह हो सकता है। क्योंकि विपणन की समस्या अपने आप में एक बहुत बड़ी बाधा है।

2. सीमा सिंह (1994) के द्वारा विषय पर शोध कार्य किया गया, जिससे यह निष्कर्ष ज्ञात हुआ कि सही मायने में विकास तभी कहा जाए, जब किसी क्षेत्र की महिलाओं तथा पुरुषों दोनों का ही समेकित विकास हुआ हो। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का विकास करना शेष है तथा उन्हें स्थायित्व विकास की तलाश है। सरकारी परियोजनाएं सही मायने में विकास को प्रभावित करने में पीछे हैं। आवश्यकता है कि शासकीय योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सम्मिलित कर विकास की सही तस्वीर लाई जा सकती है।

3. Nishi Sethi and D.N. Sharma ने women Energy in Rural domestic activities of Hissar District नामक विषय पर शोध कार्य किया जिससे निम्नांकित निष्कर्ष निकाला :-

a) वे ग्रामीण महिलाएं जो कृषि तथा पशुपालन से संबंधित कार्य करती हैं, वे अपनी ऊर्जा को अधिक खर्च करती हैं क्योंकि घरेलू कार्य की तुलना में कृषि तथा पशुपालन से संबंधित कार्यों में अधिक समय व्यय होता है।

b) गैर कृषि कार्य से संबंधित महिलाएं कम व्यस्त होती हैं तथा इनकी ऊर्जा की भी कम खपत होती है। ये छोटे-छोटे घरेलू कार्यों पर व्यस्त रहकर समय काटती हैं।

c) वे महिलाएं जो हल्का कार्य करती हैं, उनके द्वारा कम ऊर्जा व्यय की जाती है, तथा जो सुधार एवं भारी कार्य करती हैं वे अधिक ऊर्जा को व्यय करती हैं।

4. पिल्लई एल (1996) ने अपने अध्ययन में निम्न निष्कर्ष ज्ञात किए-
a) जिन महिलाओं ने महिला विकास कार्यक्रम से संबंधित योजनाओं में से किसी योजना को अपनाया उनकी आय में वृद्धि हुई। योजना को अपनाने के पूर्व इनकी आय रुपये 3600 प्रतिवर्ष थी, जबकि योजना को अपनाने के बाद इनकी आय रुपये 4800 प्रतिवर्ष हो गयी।

b) 37.75 प्रतिशत महिलाएं योजनाओं को अपनाने के पश्चात् भी अपने सामाजिक, आर्थिक दशाओं में कोई परिवर्तन नहीं कर सके।

c) अध्ययन में यह भी पाया कि बँकों तथा ग्रामीण महिला कार्यकर्ताओं के मध्य परस्पर समन्वय का अभाव है, जिससे ऋण राशि का सही समय पर नहीं मिल पाना न्यायदर्श महिलाओं की एक प्रारंभिक समस्या है।

5. डॉ. खन्ना तरुण ने शोधोपरान्त यह निष्कर्ष निकाला कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं विशेष संघटक योजना के द्वारा अनुसूचित जाति के परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की कई योजनाएं हैं, परन्तु विशेष संघटक योजना द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित करने की योजना अवश्य है परन्तु लाभार्थी के चयन में इनका कोई योगदान नहीं है। साथ ही साथ दोनों ही योजनाओं के लक्ष्यों में ओवरलैपिंग भी होती है। दोनों ही विभाग अपनी-अपनी प्रगति की व्याख्या में लाभार्थियों को अलग-अलग दर्शाते हैं जबकि लाभार्थी एक ही होता है।

अध्ययनों परांत शोधार्थी ने यह सुझाव प्रस्तुत किया कि दीन- हीन एवं अत्यंत निर्धनों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ मिले। इसके लिए सरकार ने लाभार्थियों के चयन के लिए आय सीमा 4800 रुपये रखी, जबकि गरीबी (निर्धन) रेखा आय 6400 रुपये प्रतिवर्ष थी। वर्तमान में गरीबी (निर्धन) रेखा आय-सीमा को बढ़ाकर 11000 रुपये वार्षिक कर देनी चाहिए।

शोधकार्य की प्रासंगिकता - प्रस्तावित शोध का विषय मूलतः महिला विकास कार्यक्रमों के द्वारा महिलाओं के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों से संबंधित है। वास्तव में प्रस्तावित विषय की प्रासंगिकता का पता तभी चल पाएगा, जब हम प्रस्ताव के आधार पर शोध कार्य करें और विभिन्न महिला विकास कार्यक्रमों के व्यय से लेकर जिले में न्यायदर्श महिलाओं के अद्यतन विकास पर पड़ने वाले प्रभावों को ज्ञात कर सकें। इससे विभिन्न बाधक तत्वों की जानकारी प्राप्त होगी जो विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिन्हें दूर करने के लिए एक प्रादर्श भी सुझावों की कड़ी में होगी। इससे जहां एक ओर महिलाओं के विकास में सुधार होगा वहीं दूसरी ओर विभिन्न विकास कार्यक्रमों में भी आवश्यक संशोधन होगा, जिससे महिला विकास की गति में तेजी आएगी और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए-नए अवसरों का सृजन होगा, रोजगार बढ़ेंगे और आय भी बढ़ेगी, जिससे आर्थिक विषमता का अंत होने लगेगा।

महिला विकास कार्यक्रम - महिलाओं एवं बच्चों के विकास एवं कल्याण से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने एवं गति देने के लिए महिला एवं बाल विकास का गठन किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़ द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं/ कार्यक्रम निम्नांकित हैं -

स्वयंसिद्धा (एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम) - महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना भारत शासन की स्वीकृति से प्रदेश के चयनित 17 विकासखंडों में लागू की गई है। रायगढ़ जिले में इस योजना का संचालन हेतु धरमजयगढ़ विकासखंड/ परियोजना का चयन किया गया है। योजना अंतर्गत विकासखंड/परियोजना स्तर पर 100 महिला स्व सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। समूह के 1239 महिला सदस्यों को आत्म निर्भर बनाने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है।

सक्षम योजना - ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है एवं वे जीविकोपार्जन में कठिनाई अनुभव कर रही है एवं 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं तथा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को सुलभ ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना एवं उनमें व्यावसायिक क्षमता विकसित करते हुए सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर, सम्मानजनक, स्वावलंबी व समृद्ध जीवन उपलब्ध कराना सक्षम योजना का उद्देश्य है। सक्षम योजना का लाभ गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाला परिवार न होने पर निम्न मध्यमवर्गीय आय की ऐसे हितग्राहियों को भी दिया जाता है जिनके परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रुपये प्रतिवर्ष से कम हो। पात्रता हेतु शर्तें निम्नानुसार है -

- हितग्राही को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- पति की मृत्यु होने अथवा कानूनी रूप से तलाकशुदा होने की स्थिति में हितग्राही की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- पति की मृत्यु के पश्चात् महिला ने पुनः विवाह न किया हो।
- अनुसूचित जाति, जनजाति के हितग्राहियों को सर्वोच्च प्राथमिकता

दी जाती है। हितवाहियों की संख्या अधिक होने की दशा में न्यूनतम आयु सीमा के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है।

योजनांतर्गत हितवाही को अपना घरेलू लघु व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए रुपये 1.00 लाख तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। प्रदत्त ऋण पर 6.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक दर से व्याज वसूल किया जाता है।

सबला योजना - योजना के अन्तर्गत 11 से 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी तथा 14 से 18 वर्ष की आयु की शाला जाने वाली तथा शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं में कुपोषण चक्र तोड़ने के लिए रेडी टू फुड प्रदाय किया जा रहा है। यह योजना रायगढ़ जिला सहित 10 जिलों में संचालित है जहाँ किशोरी बालिकाओं को पोषण एवं अन्य गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों के साथ नियमित रोजगार में है या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अन्तर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं। सभी गर्भवती महिलाएँ एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को योजना का लाभ प्राप्त होता है। सभी गर्भवती महिलाएँ एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को परिवार में पहले बच्चे के लिए जो 01.01.2017 या इसके बाद गर्भवती हुई हैं, लाभार्थी होते हैं। लाभार्थी योजना के अन्तर्गत केवल एक बार ही लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी महिलाओं को मजदूरी की क्षति के बदले में नकद राशि का प्रोत्साहन आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है ताकि महिलाएँ पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सकें। इस प्रोत्साहन की राशि से गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार होता है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना - इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवारों के कन्या में विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, फिजूलखर्च को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देना, निर्धनों के मनोबल तथा आत्मसम्मान में वृद्धि करना, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करना तथा सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह पर 15,000 रुपये तक की राशि विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है, जो उनके विवाह के समय कन्या के वस्त्रादि पर एवं विवाहोपरांत परिवार हेतु आवश्यक सामग्री (दहेज सामग्री) का क्रय कर प्रदान किया जाता है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना - भारत शासन द्वारा देश के 100 चयनित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना दिनांक 15 जनवरी 2015 से लागू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य में रायगढ़ जिले का चयन किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के जन्म समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना, बालिकाओं की उत्तरजीविता व सुरक्षा सुनिश्चित करना, बाल मृत्यु दर में कमी, लिंग अंतर में कमी लाना, बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार करना तथा बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें सम्मान दिलाने और अवसरों में वृद्धि करने का प्रयास करती है। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहभागिता से चलाया जा रहा है।

नोनी सुरक्षा योजना - राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए 'नोनी सुरक्षा योजना'

शीर्षक से नवीन योजना दिनांक 01.04.2014 से लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधार शिला रखना, बालिका की भ्रूण हत्या रोकने एवं बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाना एवं बाल विवाह की रोकथाम करना है। योजना की पात्रता की शर्तें निम्नानुसार है -

- (अ) बालिका का जन्म 1 अप्रैल 2014 के उपरान्त हुआ हो।
- (ब) बालिका के माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो।
- (स) बालिका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की होनी चाहिए।
- (द) योजना का लाभ दो संतानों (बालिकाओं) तक सीमित होता है।
- (इ) योजना के अन्तर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12 वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर लाभ देय होता है।

पात्र/पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम अथवा किसी भी अनुसूचित बैंक में प्रत्येक वर्ष 5000 रुपये पाँच वर्षों तक अर्थात् 25000 रुपये विनियोजित किए जाते हैं। योजना के अन्तर्गत पंजीकृत बालिका को 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रुपये अथवा तत्समय शासन द्वारा निर्धारित परिपक्वता राशि दी जाती है जो 1 लाख रुपये से कम नहीं होती। देय राशि का भुगतान लाभार्थी के नाम से उपयुक्त बैंक में खाता खोलने के पश्चात् उनके बैंक खाता में स्थानांतरित कर किया जाता है। यदि 18 वर्ष के पूर्व बालिका की मृत्यु हो जाती है, तो यह राशि राजसात कर ली जाती है।

सरस्वती साइकिल योजना - यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहभागिता से चलाया जा रहा है। इस योजना का लाभ कक्षा 9वीं में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के बालिकाओं (छात्राओं) को प्राप्त होता है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी बालिका/छात्रा को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा साइकिल का प्रदाय किया जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अध्ययनरत लाभार्थी बालिकाओं/छात्राओं को विद्यालय आने-आने में सुविधा एवं उनके समय में बचत होती है।

नवाजतन योजना - नवाजतन योजना के माध्यम से पोषण शिक्षा एवं आवश्यक प्रशिक्षण द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों में कम वजन वाले मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों के पालकों के ज्ञान एवं कौशल का स्थानीय संदर्भ में बेहतर कर उन्हें समुदाय आधारित प्रबंधन के लिए तैयार कर बच्चों की स्थिति में छः माह में सुधार लाना लक्षित किया गया है, जिसमें चतुर्थ चरण में, प्रदेश में व्याप्त कुपोषण को दूर करने तथा दिसम्बर 2015 तक सहस्राब्दि विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य किया जा रहा है।

नवा बिहान योजना - घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन हेतु संचालित की जा रही है।

महिला स्व सहायता समूह का गठन - महिलाओं में संगठन, स्वावलंबन तथा महिला सशक्तिकरण हेतु महिला स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा स्कूलों में मध्याह्न भोजन, आंगनबाड़ी केन्द्र में गर्म भोजन/नाश्ता, रेडी टू ईट एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान का संचालन आदि कार्य किए जा रहे हैं।

शासकीय संस्थाएं - विभाग द्वारा महिला एवं बच्चों को विशेष संरक्षण

प्रदान करने के लिए विशेष सुविधाओं वाली शासकीय संस्थाओं का संचालन किया जाता है, जिसमें नारी निकेतन में 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता, अविवाहित माताओं, तिरस्कृत व बेसहारा, समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय व सहारा निःशुल्क प्रदाय किया जाता है।

कुपोषण मुक्ति अभियान - कुपोषण की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों के चुनौती को स्वीकार करते हुए कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी लाने हेतु 'शासन समाज की सहभागिता को मानक सिद्धान्त बनाते हुए कुपोषण मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है।

मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना - गंभीर कुपोषण एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 6 जून 2009 से मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का शुभारंभ किया गया है, इसके तहत प्रत्येक विकासखण्ड में माह में 2 दिवस संदर्भ दिवस के रूप में चिन्हार्कित कर बच्चों में संक्रमण की पहचान एवं चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

पूरक पोषण आहार की व्यवस्था - जिले में एकीकृत बाल विकास सेवाएं अन्तर्गत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण सेवा है। इसमें 3-6 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ नाश्ता भी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को रेडी टू होम राशन के अन्तर्गत गेहूं आधारित रेडी-टू-ईट फूड प्रदाय किया जा रहा है।

आयुष्मती योजना - ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन गरीब महिलाओं एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले बीमार महिलाओं को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, खंड स्तरीय चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक सप्ताह तक उपचार हेतु भर्ती रहने पर 400 रुपये तथा एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 1000 रुपये तक की चिकित्सा सुविधा के तहत इलाज, दवा, पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराया जाता है। रायगढ़ जिले में यह योजना जिला एवं सभी विकासखण्ड में संचालित है। इस योजना के तहत बीमार (रोगी) महिला के साथ आए परिजनों के लिए अस्पताल परिसर पर आयुष्मति भवन भी निर्मित है।

बालिका समृद्धि योजना - बालिका शिशु तथा उसकी माता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार में जन्मी पहली दो बालिकाओं के जन्म पर बालिकाओं के नाम 500 रुपये की राशि का स्थायी जमा (fixed deposit) किया जाता है। बालिका के 18 वर्ष के होने पर ब्याज सहित यह राशि उसे प्रदान की जाती है।

दत्तक पुत्री शिक्षा योजना - गरीब बालिकाओं का सक्षम व्यक्तियों समाजसेवी संस्थाओं से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर उन्हें शालाओं में प्रवेश दिलाकर उनकी शिक्षा निरंतर रखने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत प्राथमिक शाला में पढ़ने वाली बालिका के लिए रुपये 300/- प्रतिवर्ष तथा माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली बालिका के लिए रुपये 400/- प्रतिवर्ष की सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जो कि नकद राशि के अलावा कपड़े, पुस्तक आदि के रूप में हो सकती है।

किशोरी शक्ति योजना - यह योजना 11-18 वर्ष की बालिकाओं के

लिए है। इसके अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं को आंगनबाड़ी से संलग्न कर मातृत्व के लिए तैयार करने हेतु स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल तथा अन्य आवश्यक विषयों पर प्रशिक्षण, पूरक पोषण आहार, रक्ताल्पता होने पर आयरन, फोलिक एसिड, टीकाकरण (टी.टी.), स्वास्थ्य जांच, आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

महिला जागृति शिविर/सूचना शिक्षा संचार शिविर - ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला स्तर पर महिला विकास विभाग द्वारा महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागृत करना, विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें जागरूक एवं सक्रिय बनाना तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, टोनही प्रथा आदि कुप्रथाओं की रोकथाम के संबंध में महिलाओं को जागृत व संगठित करना है।

महिला कोष की ऋण योजना - छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के आर्थिक सामाजिक विकास संबंधी कार्य हेतु महिला कोष का गठन छत्तीसगढ़ सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत किया गया है। महिला कोष द्वारा ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2003 से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों की बचत राशि का 4 से 10 गुना अथवा अधिकतम 5000/- रुपये तक का ऋण आय उपार्जन गतिविधियों हेतु उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों को 8 प्रतिशत एवं स्वयं सहायता समूहों को 10 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है।

महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का गठन - महिला सशक्तिकरण मिशन के माध्यम से प्रदेश में महिलाओं को संगठित करने उन्हें समूह में छोटी-छोटी बचत करने एवं अपनी छोटी-मोटी जरूरतों की पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन-देन करने के लिए सक्षम बनाने में तथा महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों का गठन एवं सुदृढीकरण प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में इस मिशन के तहत अब तक 3821 महिला एवं स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाकर 56,759 महिलाओं को संगठित किया जा चुका है। समूहों के द्वारा 11,50,000/- रुपये की राशि बचत राशि के रूप में जमा की गई है। इन समूहों में से 1,370 समूहों को बैंक लिंकेज किया जा चुका है।

अशासकीय संस्था को अनुदान - रायगढ़ जिले में विभाग के अन्तर्गत 3 स्वयं सेवी संस्थाएं मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें से श्री चक्रधर बाल सदन अनाथालय रायगढ़ को अनाथ बालक-बालिकाओं के भरण-पोषण हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुदान राशि प्रदाय की जाती है।

कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल सुविधा का संचालन - विभाग द्वारा अशासकीय संस्था श्री चक्रधर बाल सदन रायगढ़ के माध्यम से अनाथालय परिसर में 40 कमरों का 'इंदिरा महिला बालक बस्ती गृह' का संचालन किया जा रहा है। जिसमें वर्तमान में 19 कामकाजी महिलाओं को निवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ - जिला स्तर पर महिलाओं पर घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक रायगढ़ की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें महिला अपराधों में कमी लाने हेतु नियमित समीक्षा की जाती है। पीड़ित महिलाएं समिति के समक्ष सीधे सुनवाई हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं। चालू सत्र में महिलाओं

पर घटित 2 अपराध प्रकरणों का निपटारा महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ के माध्यम से किया गया।

दहेज प्रतिशोध - जिला स्तर पर जिला महिला बाल विकास अधिकारी को दहेज प्रतिशोध अधिकारी के रूप में अधिकार सौंपे गए हैं। पीड़ित महिलाएं अपना आवेदन महिला विभाग को प्रस्तुत कर सकती हैं।

समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई.सी.डी.एस.) - शासन द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास हेतु यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की आबादी पर तथा शहरी क्षेत्रों में 700 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित कर इन केन्द्रों के माध्यम से 0 से 6 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती/शिशुवती महिलाओं को छः सेवाएँ दी जाती हैं जैसे-पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, शालापूर्व अनौपचारिक शिक्षा तथा परामर्श सेवाएं। रायगढ़ जिले में इस योजना के तहत 9 विकासखण्डों में 10 एकीकृत बाल विकास परियोजना संचालित है जिसमें से 1 रायगढ़ (शहरी) परियोजना तथा 9 ग्रामीण/केयर पोषित बाल विकास परियोजनाएं हैं इन परियोजनाओं में कुल 1255 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत एवं संचालित हैं।

पोषण आहार कार्यक्रम - विभाग द्वारा रायगढ़ जिले के ग्रामीण/आदिवासी बाल विकास परियोजनाओं में स्थानीय व्यवस्था अंतर्गत दलिया तथा शहरी बाल विकास परियोजनाओं में रेडी टू ईट (ताजा ब्रेड) पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पोषण आहार के अतिरिक्त साप्ताहिक रूप से टेक होम राशन के रूप में बेबी मिक्स फूड प्रदाय किया जा रहा है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए जिले के 9 ग्रामीण परियोजनाओं में प्रतिमाह प्रतिहितग्राही 500 ग्राम लौहयुक्त आयरन फोर्टिफाइड नमक टेकहोन राशन के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। चालू सत्र में ग्रामीण क्षेत्र के कुल 81154 बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं को दलिया पूरक पोषण आहार (गुड, नमक सहित) एवं शहरी क्षेत्र में 6,690 हितग्राहियों को ताजी ब्रेड तथा 6 माह से 3 वर्ष के 3,348 बच्चों को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत टेकहोम राशन पद्धति से साप्ताहिक रेडी टू ईट फूड प्रदाय किया जा रहा है। पूरक पोषण आहार 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को 80 ग्राम प्रतिदिन तथा गर्भवती/धात्री महिलाओं को 160 ग्राम प्रतिदिन के मान से वितरण किया जाता है।

सुझाव - महिला विकास कार्यक्रमों की सफलताओं के पीछे ऐसे बहुत से घटक जिम्मेदार हैं, जिनके कारण महिलाओं का अपेक्षित आर्थिक विकास नहीं हो पाता। कुछ घटकों में प्रमुख कारक इस प्रकार हैं -

1. महिला विकास कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार नहीं हो पाता, जिससे सीमांत परिवार को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। सरकार को चाहिए कि दूरदर्शन तथा मीडिया के द्वारा इन कार्यक्रमों को सर्व जन तक प्रचारित करें।
2. विभिन्न कार्यक्रम शासकीय कार्यालयों तक ही सीमित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक रूप से लाभ लेने वाली महिलाओं को प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे योजनाओं का लाभ आसानी से लिया जा सके।
3. महिला विकास कार्यक्रमों के पीछे ऋण मुहैया कराने वाली संस्थाओं की औपचारिकताएं इतनी जटिल हैं कि अशिक्षित तथा अप्रशिक्षित महिलाएं आसानी से ऋण नहीं ले पाती, जिससे इनका आर्थिक-

सामाजिक विकास नहीं हो पाता।

4. विभिन्न कार्यक्रमों तथा न्यादर्शियों के मध्य बिचौलियों की भूमिका भी योजनाओं की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण है। अध्ययन से पता चलता है कि महिला विकास कार्यक्रमों के लिए न्यादर्शियों को मिलने वाली ऋण का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिचौलिये डकार जाते हैं, जिससे न्यादर्शियों का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता, अतः इस पर रोक लगे।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सफलता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 10 गांवों के मध्य एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हो, जहां पर ग्रामीण महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने पसंद का व्यवसाय चुन सकें।
6. न्यादर्श महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं का विक्रय बाजार केन्द्र सुलभ नहीं हो पाता, जिससे न्यादर्शियों को उचित लाभ नहीं मिल पाता।
7. योजनाओं तथा न्यादर्शियों के मध्य पारदर्शिता होना आवश्यक है, जिससे पूंजी-रिसाव से बचा जा सके।
उपरोक्त सुझावों के आधार पर महिला विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को यदि उचित दिशा देते हुए न्यादर्शियों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित किया जाए तो निःसंदेह महिलाओं का आर्थिक-सामाजिक विकास हो सकता है, जिसके आधार पर पूरा परिवार, पूरा समाज तथा पूरा राष्ट्र शनैः-शनैः खुशहाल हो सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Sethi Nishi and Sharma D.N. Women Energy input in Rural domestics Activies of Hissar District, A case study Man Power Journal 32(2), 1996, P-31.
2. Singh Seema - Tribal Rural Women Poverty and the challenge of sustainable development. Journal of social and economic studies 11(1-2) 1994 P-157.
3. Dubey K.N. (ed)- Planning and development in India Ashish Publishing House New Delhi 1990.
4. Census of India 1981 - Series 18 Rajsthan part I, directorate of census operation Rajsthan.
5. National Institute of Rural Development report of Training strategies for development of women and children in rural areas Hyderabad, 6-8 Jan. 1986.
6. Swarn jayanti Gram Swarozgar Yojana Avam Mahila Vikas. Boond Newsletter 10 (43-44), July - October 2000, P-13-16.
7. महिला एवं बाल विकास कार्यालय रायगढ़ एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी।
8. कम्प्यूटर, इंटरनेट पर उपलब्ध शोध विषयक सामग्री।
9. विभिन्न समाचार पत्रों के शासकीय महिला विकास संबंधी योजनाओं से संबंधित संपादकीय आलेख।
10. योजना, इंडिया टूडे प्रतियोगिता दर्पण आदि पत्रिकाओं से प्राप्त अध्ययन सामग्री।
11. नई दुनिया, दैनिक भास्कर, नवभारत समाचार पत्र।

तालिका- 01

महिला विकास कार्यक्रमों पर आंबटन, व्यय एवं लाभार्थियों की संख्या

स.क्र.	महिला विकास कार्यक्रम	आंबटित राशि (रूपये में)	व्यय राशि (रूपये में)	लाभार्थियों की संख्या
01.	दिशा दर्शन एवं भ्रमण कार्यक्रम	9,40,800	9,40,800	294
02.	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	41,70,000	39,86,000	278
03.	महिला जागृति शिविर	17,11,833	12,10,601	150
04.	किशोरी बालिका योजना	2,00,000	74,392	11
05.	महतारी जतन योजना	1,13,00,000	1,11,81,338	11445
06.	नवीन पूरक पोषण आहार (रेडी टू ईट फुड)	27,30,00,000	23,95,70,775	129322
07.	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना	32,33,800	19,31,506	3644
08.	मुख्यमंत्री अमृत योजना	1,01,76,000	95,44,325	44275
09.	सरस्वती साइकिल योजना	2,99,92,342	2,99,92,342	9335
10.	छ.ग. महिला कोष तथा सक्षम योजना	66,75,000	66,75,000	149
11.	सुकन्या समृद्धि योजना	86,43,000	86,43,000	8643
12.	नोनी सुरक्षा योजना	30,35,000	30,35,000	607
13.	बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान	24,50,000	12,01,836	964
14.	नवा बिहान योजना	12,69,000	11,89,364	-
15.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	52,87,000	52,87,000	5287
16.	आयुष्मती योजना	4,51,200	4,51,200	796
17.	बालिका समृद्धि योजना	4,50,000	4,50,000	900
18.	दत्तक पुत्री शिक्षा योजना	5,87,000	5,87,000	2085
19.	किशोरी शक्ति योजना	8,25,000	8,25,000	2250
20.	महिला कोष की ऋण योजना	7,05,000	7,05,000	141
21.	महिला सशक्तिकरण मिशन	11,50,000	11,50,000	3821
22.	अशासकीय संस्था को अनुदान	1,29,900	1,29,900	73
23.	आंगनबाड़ी कार्यक्रम	9,10,531	8,66,131	2250
24.	सृजनात्मक प्रशिक्षण/आंगनबाड़ी प्रशिक्षण	4,99,000	4,97,000	2426
25.	इंदिरा महिला सशक्तिकरण	-	-	1239

स्रोत - महिला एवं बाल विकास कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.) एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों की कुल प्राप्तिओं में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तिओं की वृद्धि दरों का तुलनात्मक अध्ययन (वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक)

डॉ. एल.एन. शर्मा *

प्रस्तावना - संस्कृत शब्द 'राजस्व- दो अक्षरों से बना है - 'राजन् + स्व' जिसका अर्थ होता है राजा का धन। राजनीतिक दृष्टिकोण से राजा को 'समाज' और क्षेत्र विशेष का 'मुखिया' कहते हैं। इस प्रकार राजस्व का अर्थ राजा के धन से होता है। अंग्रेजी के पब्लिक फाइनेंस शब्द का अर्थ सार्वजनिक वित्त से होता है। राजस्व शास्त्र में जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं, राज्य या राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अतः सार्वजनिक सत्ताओं के आय-व्यय संबंधी कार्यों के अध्ययन को ही 'राजस्व' कहते हैं। प्रो. हेरोल्ड ब्रोब्ज के अनुसार - राजस्व जांच अथवा खोज का वह क्षेत्र है जो सरकार के आय - व्यय से संबंध रखता है। वर्तमान में राजस्व के चार तत्व सम्मिलित किए जाते हैं - (1) सार्वजनिक आय (2) सार्वजनिक व्यय (3) सार्वजनिक ऋण (4) सम्पूर्ण रूप में राजकोषीय व्यवस्था की कुल समस्याएँ जैसे राजकोषीय प्रशासन तथा राजकोषीय नीति। अध्ययन की दृष्टि से राजस्व को छः भागों में विभाजित किया है। - 1. सार्वजनिक व्यय 2. सार्वजनिक आय 3. वित्तीय प्रशासन 4. आर्थिक संतुलन 5. संघीय वित्त

शोध का उद्देश्य - प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों के कुल प्राप्तिओं में राजस्व प्राप्तिओं एवं पूंजीगत प्राप्तिओं की कितने प्रतिशत भागीदारी है एवं किस राज्य एवं भागीदारी का प्रतिशत अधिक है तथा किस राज्य में कम है, अधिक या कमी के क्या कारण हैं। राजस्व प्राप्तिओं की विभिन्न मदों का कुल राजस्व में कितना प्रतिशत योगदान है जिसमें लगातार वृद्धि या कमी हो रही है। उसके क्या कारण हैं। इसी प्रकार कुल प्राप्तिओं में पूंजीगत प्राप्तिओं का कितना प्रतिशत योगदान है, जिनमें लगातार वृद्धि या कमी हो रही है, तो उसके क्या कारण हैं ? यह ज्ञात करना शोध का प्रमुख उद्देश्य है तथा तीनों राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन कर निष्कर्ष निकालना भी शोध का उद्देश्य है।

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र - प्रस्तुत शोध पत्र में म.प्र., छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों के कुल प्राप्तिओं में केवल राजस्व प्राप्तिओं एवं पूंजीगत प्राप्तिओं का योगदान का तुलनात्मक अध्ययन प्रकाशित द्वितीय संमकों द्वारा अध्ययन किया गया है तथा वर्ष 2012-13 से 2013-14, 2013-14 से 2014-15 तथा 201-15 से 2015-16 के बजट अनुमानों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

शोध व्याख्या - म.प्र., छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों के कुल प्राप्तिओं में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तिओं की वृद्धि दरों का तुलनात्मक अध्ययन तालिका क्रं. 1 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

शोध के निष्कर्ष इस प्रकार हैं -

1. राजस्व प्राप्तिओं में वर्ष 2012-13 से 2013-14 में मध्यप्रदेश में

14 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 19 प्रतिशत एवं राजस्थान में 22 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ से 05 प्रतिशत और राजस्थान से 8 प्रतिशत वृद्धि दर में पीछे है। वर्ष 2013-14 से 2014-15 में मध्यप्रदेश में 30 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 30 प्रतिशत एवं राजस्थान में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ की तुलना में 00 प्रतिशत व राजस्थान से 07 प्रतिशत वृद्धि दर में पीछे है तथा वर्ष 2014-15 से 2015-16 में म.प्र. में 11 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 19 प्रतिशत व राजस्थान में 05 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार म.प्र., छत्तीसगढ़ से 08 प्रतिशत वृद्धि दर में पीछे है तथा राजस्थान से 06 प्रतिशत आगे है।

2. कर राजस्व में वर्ष 2012-13 से 2013-14 में मध्यप्रदेश में 14 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में 22 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से 8 प्रतिशत वृद्धि दर में पीछे है। वर्ष 2013-14 से 2014-15 में मध्यप्रदेश में 17 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 16 प्रतिशत एवं राजस्थान में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ की तुलना में 01 प्रतिशत व राजस्थान से 00 प्रतिशत वृद्धि दर में पीछे है तथा वर्ष 2014-15 से 2015-16 में म.प्र. में 11 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 31 प्रतिशत व राजस्थान में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार म.प्र., छत्तीसगढ़ से 20 प्रतिशत तथा राजस्थान से 09 प्रतिशत पीछे है।

2.1 राज्य कर में वर्ष 2012-13 से 2013-14 में मध्यप्रदेश में 18 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 26 प्रतिशत एवं राजस्थान में 27 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ से 08 प्रतिशत और राजस्थान से 09 प्रतिशत वृद्धि दर में पीछे है। वर्ष 2013-14 से 2014-15 में मध्यप्रदेश में 17 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 17 प्रतिशत एवं राजस्थान में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ की तुलना में 00 प्रतिशत व राजस्थान से 02 प्रतिशत वृद्धि दर में पीछे है तथा वर्ष 2014-15 से 2015-16 में म.प्र. में 11 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 12 प्रतिशत व राजस्थान में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार म.प्र., छत्तीसगढ़ से 01 प्रतिशत वृद्धि दर में पीछे है तथा राजस्थान से 05 प्रतिशत पीछे है।

2.2 केन्द्रीय करों में हिस्सा में वर्ष 2012-13 से 2013-14 में मध्यप्रदेश में 10 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में 15 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस प्रकार मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ से 05 प्रतिशत और राजस्थान से 05 प्रतिशत वृद्धि दर में पीछे है। वर्ष 2013-14 से 2014-15 में मध्यप्रदेश में 17 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 15 प्रतिशत एवं राजस्थान में

प्रोत्साहन योजना लागू की जाए तो इस मद से और अधिक आय प्राप्त हो सकती है। अधिक करों की दर कर अपवंचन को प्रोत्साहित करती है। अतः न्यूनतम कर प्रणाली एवं कर वसूली की उचित नीति ही सफल हो सकती है।

- कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान राज्य के कर का होता है जबकि केंद्रीय करों का हिस्सा तुलनात्मक रूप से कम होता है। अतः राज्य के करों में वृद्धि हेतु न्यूनतम करों की दरों को निर्धारित कर अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। परंतु केंद्रीय करों के हिस्से हेतु केंद्र सरकार नीतिगत निर्णय लेकर राज्यों का हिस्सा बढ़ा सकती है। क्योंकि कर संग्रह तो राज्यों से ही होता है। अतः राज्यों के हिस्से को भी बढ़ाया जाना चाहिए।
- कर भिन्न राजस्व कुल प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है चूंकि इसका संग्रह भी जनता से ही किया जाता है। परंतु इसके बदले कुछ न कुछ सेवाएँ अवश्य जनता को प्राप्त होती हैं। अतः सरकारों को अपनी आय बढ़ाने के लिए इस मद पर विशेष जोर देना चाहिए, जिसमें अधिक करारोपण भी नहीं होगा एवं राज्य सरकारों की आय में वृद्धि भी होगी।
- केंद्र से सहायता राज्यों की आय का महत्वपूर्ण भाग है परंतु इसमें केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है तथा केंद्र राज्य संबंध भी इसे प्रभावित करते हैं। अतः केंद्र सरकार के उचित तालमेल बैठकर राज्य के विकास हेतु केंद्र से अधिक से अधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है।

- पूंजीगत प्राप्ति भी राज्यों की कुल प्राप्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जिसमें ऋण एवं अग्रिम की वसूली का हिस्सा अहम है। जब सरकारों को विकास एवं शासकीय भुगतानों हेतु वित्त की आवश्यकता पड़ती है तो सार्वजनिक ऋण, अग्रिम का लेना पड़ता है। चूंकि भविष्य में ऋणों का ब्याज सहित भुगतान करना होता है। अतः आवश्यकतानुसार ही इस मद का उपयोग होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- राजस्व एवं रोजगार के सिद्धांत - डॉ. वी.सी. सिन्हा।
- राजस्व - डॉ. जे.सी. वाष्ण्य।
- समष्टिगत अर्थशास्त्र एवं राजस्व - डॉ. वी.सी. सिन्हा।
- व्यावसायिक वित्त - डॉ. कुलश्रेष्ठ एवं डॉ. विनयशंकर सिंह।
- लोक अर्थशास्त्र - डॉ. पी.डी. माहेश्वरी, डॉ. शीलचंद्र गुप्ता।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त - अमनदीप कौर हुण्डल।
- नवीन शोध संसार (अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) ISSN 2320.8767
- द्विव्य शोध समीक्षा (अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) ISSN 2394.3807
- Research i Fance - Abdul Rehman, Ashu Bhaiwani.
- www.Finance.gov.in. MP
- www.Finance.gov.in. CG
- www.Finance.gov.in. RAJ

म.प्र., छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान सरकारों के कुल प्राप्ति में राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्ति की वृद्धि दरों का तुलनात्मक अध्ययन
तालिका क्रं. 1 (प्रतिशत में)

क्रं.	मद	मध्यप्रदेश			छत्तीसगढ़			राजस्थान		
		2012-13	2013-14	2014-15	2014-15	2015-16	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	राजस्व प्राप्ति (2+3+4)	14	30	11	19	30	19	22	37	05
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	14	17	11	22	16	31	22	17	20
	2.1 राज्य कर	18	17	11	26	17	12	27	19	16
	2.2 केंद्रीय करों में हिस्सा	10	17	10	15	15	64	15	12	27
3	कर विभिन्न राजस्व	04	-11	20	14	02	40	41	18	04
4	केंद्र से सहायता अनुदान	18	101	01	18	96	-11	05	174	-28
5	पूंजीगत प्राप्ति (6+7+8)	23	06	25	13	-8	16	29	23	20
6	विविध पूंजीगत प्राप्ति ऋण एवं अग्रिम की वसूली	26	-3	-75	0.5	-81	-25	26	-21	497
7	लोक ऋण	25	-9	26	20	17	20	24	23	16
8	लोक लेखों से शुद्ध प्राप्ति	-15	387	25	00	00	00	61	44	17
9	कुल प्राप्ति (1 से 8 तक)	15	27	12	18	24	19	24	35	08

स्रोत - बजट अनुमान वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16

भारत में बैंकिंग क्षेत्र में गैर-निष्पादित संपत्ति का विश्लेषण

डॉ. के. एस. पटेल * छाया शाक्य **

प्रस्तावना - किसी भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास के लिए, एक स्वस्थ और सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली बहुत आवश्यक है। ऋण बैंकों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वित्तीय ताकत और बैंकिंग की सुदृढ़ता ज्यादातर ऋण पोर्टफोलियों की गुणवत्ता और प्रदर्शन पर निर्भर करता है। लाभप्रदता, तरलता, मध्यवर्ती लागत, विश्वसनीयता, आय सृजन क्षमता और समग्र प्रदर्शन बैंकिंग प्रणाली के प्रदर्शन को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) को आमतौर पर निष्क्रिय संपत्ति कहा जाता है। जिसका अर्थ है कि ये संपत्ति नहीं है। बैंकों की संपत्ति जो कोई रिटर्न नहीं लाती है गैर-निष्पादित संपत्ति या बैड लोन कहलाते हैं।

आर.बी.आई. के अनुसार एक गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) है जहां -

- मूलधन का ब्याज और किस्त एक अवधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए देय रहता है।
- खरीदे गए और छूट वाले बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए देय रहता है।
- प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के संदर्भ में लेन-देन

अध्ययन के उद्देश्य -

- बैंकों के प्रदर्शन पर एनपीए के प्रभाव का विश्लेषण करना।
- पिछले पांच वर्षों में भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में एनपीए के रुझानों का अध्ययन और विश्लेषण करना।
- एनपीए को नियंत्रित करने और कम करने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए उपायों की प्रभावशीलता की जांच करना।

अनुसंधान विधि - वर्तमान अध्ययन एनपीए के विश्लेषण करने के लिए किया गया एक शोध पिछले पांच वर्षों 2013-2017 अध्ययन द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है।

निष्पादित संपत्ति (एनपीए) का वर्गीकरण - गैर निष्पादित संपत्ति को उस अवधि के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए परिसंपत्ति बनी हुई है

1. **घटिया संपत्ति** - एक घटिया संपत्ति वह होती है, जो कम अवधि के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में बनी हुई है या 12 महीने के बराबर जो ऋण के परिसमापन को खतरे में डालती।

2. **संदिग्ध संपत्ति** - एक संपत्ति को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि यह 12 महीने की अवधि के लिए एक उप-मानक संपत्ति के रूप में बनी हुई है। सभी कमजोर विशेषताओं के रूप में उप-मानक परिसंपत्तियों के लिए परिभाषित किया गया है।

3. **हानि आस्तियाँ** - हानि परिसंपत्ति वह है जहां नुकसान की पहचान बैंक या आंतरिक या बाहरी लेखा परीक्षकों या आरबीआई द्वारा की गई है।

गैर निष्पादित संपत्ति के प्रकार -

सकल एनपीए - सकल एनपीए उन सभी ऋण परिसंपत्तियों का कुल योग है, जिन्हें आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सकल एनपीए बैंकों द्वारा किए गए ऋण की इसकी गणना निम्न अनुपात की सहायता से की जा सकती है।

सकल एनपीए अनुपात = सकल एनपीए / सकल अग्रिम

शुद्ध एनपीए - शुद्ध एनपीए उन प्रकार के एनपीए है, जिनमें बैंक ने एनपीए के बारे में प्रावधान को काट दिया है। नेट एनपीए बैंकों के वास्तविक बोझ को दर्शाता है।

शुद्ध एनपीए = सकल एनपीए - प्रावधान / सकल अग्रिम प्रावधान

बैंकों के निष्पादन पर एनपीए का प्रभाव - भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनपीए की समस्या सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विकराल समस्याओं में से एक है। इससे पूरी बैंकिंग प्रणाली प्रभावित हुई। उच्च एनपीए अनुपात निवेशकों, जमाकर्ताओं के विश्वास को हिला देता है। उच्च एनपीए का स्तर बैंकों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित होती है।

1. **लाभप्रदता** - एनपीए के लाभप्रदता पर हानिकारक प्रभाव डाला क्योंकि बैंक एक तरफ आय अर्जित करने के लिए रुकते हैं और उच्च को आकर्षित करते हैं, दूसरी और मानक परिसंपत्तियों की तुलना में प्रावधान औसतन, बैंक लगभग 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत प्रदान कर रहे हैं वृद्धिशील एनपीए पर अतिरिक्त प्रावधान जिसका सीधा असर बैंकों की लाभप्रदता पर पड़ता है।

2. **तरलता** - धन अवरूद्ध हो रहा है, लाभ में कमी के कारण हाथ में पर्याप्त नकदी की कमी हो गई है, जिससे उधार लिया जा रहा है कम से कम समय के लिए पैसा जो कंपनी को अतिरिक्त लागता की और ले जाता है। कार्यों के संचालन में कठिनाई पैसे की कमी के कारण बैंक एनपीए का उक्त और कारण है।

3. **संपत्ति पर वापसी** - किसी बैंक की कार्यकुशलता केवल उसकी आर्थिक चिट्ठा के आकार से ही प्रदर्शित नहीं होती है बल्कि उसके रिटर्न का स्तर भी होता है। संपत्ति एनपीए बैंकों के लिए ब्याज आय उत्पन्न नहीं करते हैं। एनपीए का परिसंपत्तियों पर वापसी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

4. **प्रबंधन लागत** - प्रबंधन का समय और प्रयास एक अन्य अप्रत्यक्ष लागत है, जो एनपीए के कारण बैंक को वहन करना पड़ता है। समय और

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय एम.एल.बी. कन्या स्नातकोत्तर (स्वशासी), महाविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (वाणिज्य) बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

प्रयास एनपीए को संभालने और प्रबंधित करने में उपयोगी है

5. शेयरधारकों के विश्वास – आमतौर पर शेयरधारकों का उच्च लाभांश के माध्यम से अपने निवेश के मूल्य को बढ़ाने में रूचि होती है। और बाजार पूंजीकरण जो कि तभी संभव है, जब बैंक बेहतर व्यवस्था के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभ कमाए। एनपीए के स्तर में वृद्धि से बैंक व्यवसाय के साथ-साथ लाभप्रदता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। शेयरधारकों को अपनी पूंजी पर बाजार रिटर्न प्राप्त नहीं होता है और कभी कभी यह उनके निवेश के मूल्य को नष्ट कर सकता है।

भारत में वाणिज्यिक बैंकों में सकल गैर निष्पादित संपत्ति **(देखें आगे पृष्ठ पर)**

भारत में वाणिज्यिक बैंकों में शुद्ध गैर निष्पादित संपत्ति **(देखें आगे पृष्ठ पर)**

आरबीआई के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 30 सितम्बर 2017 तक सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए क्रमशः ₹. 17,33,974 करोड़ और ₹. 1,12,808 करोड़ था। इसके लिये प्रमुख कॉर्पोरेट घरानों और कंपनियों जिम्मेदार हैं, बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक के पास एनपीए की उच्चतम राशि ₹ 186 लाख करोड़ से अधिक है पंजाब नेशनल बैंक (57,630 करोड़), बैंक आफ इंडिया (49,307 करोड़), बैंक आफ बड़ौदा (46,307 करोड़), बैंक (39,164 करोड़), और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (38,286 करोड़)। निजी क्षेत्र के उधारदाताओं में आईसीआईसीआई बैंक था। उसके बाद एक्सिस बैंक (₹. 2,2,136 करोड़) और जम्मू और कश्मीर बैंक (₹. 5,938 करोड़) था।

सकल अग्रिम से सकल एनपीए अनुपात **(देखें आगे पृष्ठ पर)**

पिछले पांच वर्षों में एनपीए के आंदोलन के विश्लेषण से पता चलता है कि सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए दोनों की मात्रा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के एनपीए में साल दर साल वृद्धि होती रही है। निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है बैंकों सकल एनपीए का सकल अग्रिम अनुपात 2016-17 में बढ़कर 9.32 प्रतिशत हो गया, जबकि 2012 में यह केवल 3.23 प्रतिशत था इस प्रकार एनपीए के स्तर में निरंतर खतरनाक वृद्धि हुई है। वर्तमान परिदृश्य में एनपीए बैंकों और अर्थव्यवस्था की वित्तीय समस्या के मूल में है एनपीए का एक उच्च स्तर एक का उच्च संभावना का सुझाव देता है बड़ी संख्या में क्रेडिट डिफॉल्ट जो बैंकों की लाभप्रदता और निवल मूल्य को प्रभावित करते हैं और साथ ही मूल्य को भी मिटा देते हैं। एनपीए वृद्धि में प्रावधानों की आवश्यकता है। एनपीए लाभ और शेयरधारकों के मूल्य को कम करता है। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में चूक कर्ताओं की संपत्ति की वसूली के लिए कड़े नियम बनाए और उनका पालन किया लेकिन वे इस पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऋण वसूली और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के काम में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है।

एनपीए को नियंत्रित करने के उपाय – वर्तमान में परिदृश्य में एनपीए बैंकों की वित्तीय मूल समस्या है बैंकों को पहले प्रयास करना चाहिए कि एनपीए पर नए सिरे से बचने के लिए और दूसरा उन खातों से राशि की वसूली के लिए जो पहले ही खराब हो चुके हैं। केन्द्र सरकार और आरबीआई को मिल कर काम करना चाहिए ताजा एनपीए की घटनाओं के लिए बैंकों के मौजूदा एनपीए की वसूली को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी और नियामक इस प्रकार है।

मिशन इन्द्रधनुष – सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कामकाज को

अधिक बनाने के लिए मिशन इन्द्रधनुष शुरू किया है भविष्य में एनपीए के खतरे को रोकने के लिए पारदर्शी और पेशेवर योजनाओं को लागू करना चाहिये।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण – बैंक के उच्च मूल्य दावों के शीघ्र निपटान के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई। जनवरी 2000 में बैंकों और वित्तीय संस्थानों अधिनियम के कारण केन्द्र सरकार ने ऋणों की वसूली में संशोधन किया डीआरटी की प्रभावशीलता में वृद्धि ऋण वसूली न्यायाधिकरणों के डीआरटी नेटवर्क का विस्तार किया गया है। क्या आप वहां मौजूद हैं 2016-17 में 33 की तुलना में 39 डीआरटी है। जो लंबिता मामलों को कम करने में मदद करेंगे और साथ ही शीघ्र निपटान भी करेंगे।

लोक अदालत – लोक अदालत संस्थाएँ बैंकों को संदिग्ध और नुकसान श्रेणियों में खातों से जुड़े विवादों को निपटाने में मदद करती हैं। ये छोटे ऋणों के संबंध में बकाया के निपटान के लिए एक प्रभावी संस्थान साबित होते हैं। लोक अदालत और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों को 10 लाख ₹. के एनपीए के लिए निर्णय लेने के लिए लोक अदालत का आयोजन करने का अधिकार दिया गया है।

अधिनियम – वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्तन का उद्देश्य बैंकों का प्रतिभूतियाँ को प्राप्त करना प्रबंधित करने और बचने के लिए सुरक्षित लेनदारों के रूप में सशक्त बनाना है कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना इसका उद्देश्य सिक्वोरिटाइजेशन या पुनर्निर्माण द्वारा एसेट रिकस्ट्रक्शन करना भी इस अधिनियम के दायरे से भूमि को छूट दी गई है। बैंकों को जल्दी सक्षम करने के SARFAES अधिनियम को 2016 में संशोधन किया गया था।

संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी – बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर नरसिंहम समिति ने चिपचिपी संपत्ति के हस्तांतरण की सिफारिश की है। एक व्यापक पुनर्गठन में एक महत्वपूर्ण तत्व है कमजोर बैंकों के लिए रणनीति। आईसीआईसीआई बैंक ने देश की पहली एसेट रिकस्ट्रक्शन कंपनी को बढ़ावा दिया है। बैंक को कंपनी की वसूली और परिसंपत्तियाँ के परिसमापन में विशेषज्ञता है। एनपीए को बैंकों द्वारा एआरसी को सौंपा जा सकता है एआरसी का उद्देश्य एनपीए की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाना है। यह चिपचिपे ऋण द्वारा बैंकों की बैलेस शीट को चालू करने में सक्षम बनाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दास एम (2016), बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए-वित्तीय अक्षमता के संकेतक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय जर्नल वित्त और विपणन में अनुसंधान, 6 (12) पीपी, 132-139
2. राठौड डी.एस. मयानी एस (2016), भारतीय बैंकिंग प्रणाली के गैर निष्पादित आरिन्त्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, अर्थशास्त्र और वित्त के ISRO जर्नल 7 (6) पीपी 21-26
3. सिंह बी आर (2016), वाणिज्यिक बैंकों के गैर-निष्पादित आरिन्त्या का अध्ययन और भारत में इसकी वसूल SCMS है वार्षिक शोध पत्रिका, 4 (3) पीपी 110-125
4. केयर रेटिंग (जुलाई 2017), भारतीय बैंकिंग क्षेत्र वित्त वर्ष 2017 और आउटलुक
5. Web referebce
6. www.economitimes.india.com
7. www.rbi.org.in

भारत में वाणिज्यिक बैंकों में सकल गैर निष्पादित संपत्ति

(Amount Rs. in Million)

बैंक	31 मार्च 2013	31 मार्च 2014	31 मार्च 2015	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017
भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके सहयोगी बैंक	627785	798165	735085	1219686	1778106
राष्ट्रीयकृत बैंक	1022272	1484572	2049595	4179879	5069213
निजी क्षेत्र के बैंक	210705	245424	333610	561874	932092
विदेशी बैंक	79649	115650	107610	158052	136291

स्रोत- NPA पर RBI रिपोर्ट ।

भारत में वाणिज्यिक बैंकों में शुद्ध गैर निष्पादित संपत्ति

(Amount Rs. in Million)

बैंक	31 मार्च 2013	31 मार्च 2014	31 मार्च 2015	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017
भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके सहयोगी बैंक	281000	418151	372777	688944	969322
राष्ट्रीयकृत बैंक	619362	888197	1227226	2515681	2861567
निजी क्षेत्र के बैंक	59944	88615	136793	266774	477802
विदेशी बैंक	26626	31596	17577	27619	21406

स्रोत- NPA पर RBI रिपोर्ट ।

सकल अग्रिम से सकल एनपीए अनुपात

Year	Gross NPAs	Gross Advances	Gross NPAs to Gross Advances Ratio %
31 मार्च 2013	1927688	59718199	3.23
31 मार्च 2014	2630152	68757479	3.83
31 मार्च 2015	3229161	75606658	4.27
31 मार्च 2016	6116074	81711142	7.48
31 मार्च 2017	7902680	84767053	9.32

स्रोत- NPA पर RBI रिपोर्ट ।

जिनिंग एवं प्रेसिंग मिल मालिकों एवं किसानों की समस्याओं का अध्ययन (संदर्भ धार जिला)

डॉ. प्रगति गुप्ता *

प्रस्तावना - भारत में कृषि ग्रामीणों के जीवन का आधार है, राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस आय को बढ़ाने में कृषि उत्पादन के व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सर्वविदित है कि एक मजबूत आर्थिक विकास योजना हेतु उद्योग तथा कृषि दोनों ही क्षेत्रों का प्रगतिशील होना आवश्यक है, जो कि यथासंभव संतुलित हो।

कच्चा माल किसी भी उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है। जिनिंग-प्रेसिंग उद्योग के लिए कच्चा माल कपास होता है, किसानों से ही कपास खरीदकर जिनिंग-प्रेसिंग उद्योग चलाए जाते हैं। इसका उत्पादन करने वाले किसानों की समस्याएं हैं, जिन्हें दूर करने पर कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में हो सकेगा। कम मात्रा में कपास उत्पादन होने से सबसे ज्यादा प्रभाव जिनिंग-प्रेसिंग उद्योग पर पड़ता है, जिससे यह बन्द होने के कगार पर आ जाता है।

[I] किसानों की समस्याएं -

1. फसल का उचित मूल्य नहीं मिलना - सफेद सोना कहे जाने वाले कपास के उत्पादन में किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता। कपास के उत्पादन में किसानों की लागत मूल्य से अधिक मूल्य मिले तो उसकी किस्मत चमक सकती है, किन्तु किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। व्यापारियों एवं बिचौलियों द्वारा जिले के गरीब किसानों का वर्षों से आर्थिक शोषण किया जा रहा है और यह चक्र अब भी थमता दिखाई नहीं पड़ता है।

किसानों के लिए सबसे प्रमुख परेशानी प्रतिवर्ष बीज, खाद, दवाईयों के दाम बढ़ना है, जिससे फसल का लागत मूल्य बढ़ रहा है। उसके बाद भी फसल के मूल्यों में बढ़ोत्तरी बहुत कम हो रही है, जिससे किसान ठगा सा रहता है। खेती में हो रही मेहनत के बावजूद उन्हें उसका उचित लाभ प्राप्त नहीं होता।

2. सही जानकारी का अभाव - क्षेत्र में अधिकांश किसान अशिक्षित एवं निर्धन हैं, ये सारे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, कम जमीन एवं सिंचाई के स्रोत नहीं होने से वह सिर्फ खरीफ फसल ही ले पाते हैं। बाकि समय में वह मजदूरी पर निर्भर रहते हैं।

कृषि विभाग द्वारा चलाई जाने वाली शासन की योजनाओं की इन्हें जानकारी नहीं होती, जिसके कारण इन्हें कई अच्छी योजनाओं से वंचित रह जाना पड़ता है।

कपास की फसल आने पर अपनी फसल बाजार में बेचते हैं तो इन्हें अपनी फसल के मूल्य की जानकारी नहीं रहती है। कम माल होने व नकदी की आवश्यकता होने के कारण कई किसानों को स्थानीय स्तर पर अपना माल बेचना, उनकी मजबूरी होती है, जिसका लाभ व्यवसायी उठाते हैं।

3. वर्षा की अनिश्चितता एवं प्राकृतिक आपदाएं - धार जिले में वर्षा की अनिश्चितता बनी रहती है, कई बार सूखा होने से विशेषकर कपास उत्पादक किसानों को भारी हानि होती है। कई स्थानों पर स्थिति चिंताजनक हो जाती है।

ज्यादा मावठा गिरने पर भी कपास की फसल को अधिक नुकसान होता है, कपास गीला हो जाता है, जिससे उसकी कीमत कम मिलती है। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि इस फसल को बर्बाद कर देती है, जिससे कपास उत्पादक किसानों को भारी नुकसान हो जाता है। सरकार ऐसे दौर में मदद करती भी है, मगर ऊंट के मुंह में जीरे जैसी होती है।

4. बिजली की समस्याएं - किसी प्रदेश के विकास में पर्याप्त बिजली होना अनिवार्य शर्त होती है। विशेषकर किसानों के लिए बिजली का होना अत्यन्त आवश्यक है।

धार जिले के किसान बिजली कटौती से परेशान हैं। बिजली कटौती के कारण किसानों की कम्प टूट जाती है। अच्छी बारिश से भरपूर पानी के बाद भी किसान बिजली के अभाव में अपने खेतों में पानी नहीं दे पाता है। जिससे किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। विशेष रूप से धार जिले के किसान बिजली कटौती से त्रस्त हैं। इसी बात को लेकर भारतीय किसान संघ धरना आंदोलन भी करता है, मगर फिर भी किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

आदिवासी ग्रामीण किसान इस उम्मीद से अपने घर के जेवर गिरवी रख बैंक से कर्ज ले लेते कि अपने छोटे रकबे में बिजली पंप से सिंचाई कर अच्छा उत्पादन कर लेंगे। प्रदेश में लाखों किसान कर्ज के भारी बोझ से बेहाल हैं। वे आत्महत्याएं कर रहे हैं, कई बार कम वाल्टेज के कारण मोटरे चल नहीं पाती हैं या कई उपकरण जल जाते हैं।

5. सड़कों की स्थिति - किसान जब अपना उत्पादन बाजार में बेचता है, तो वह जिन रास्तों से माल का परिवहन करता है, उसकी हालत धार जिले में बहुत ही खराब है। जब शहरों की सपाट सड़कें नहीं हैं, तो गांव की कच्ची व धूलभरी डगर पर परिवहन सुविधा कैसे मिल सकती है। धार जिले में सड़कों की यह हालत है कि सड़क के नाम पर कई जगह सड़क के सिर्फ अवशेष ही बाकी हैं। धूल एवं बड़े-बड़े गदगदों से किसान परेशान हैं। किसानों को रोजाना किसी न किसी कार्य के लिए आसपास के गांवों में जाना पड़ता है, उनकी इन खराब सड़कों के कारण जान सांसत में पड़ी रहती है। यहाँ कई सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत होती रहती है।

क्षेत्र में अनेक ग्राम पहुंच मार्ग के अभाव में बारिश के मौसम में मुख्य मार्ग से कट जाते हैं। जिससे इन्हें बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। धार जिले में रेल सुविधा नहीं है। जिले में यात्रियों एवं माल का शत-

प्रतिशत परिवहन सड़कों के माध्यम से होता है।

6. मजदूरों का पलायन - कपास की खेती में मजदूरों का विशेष महत्व रहता है क्योंकि कपास की चुनावी मजदूर अपने हाथों से करते हैं। वर्तमान के कई आदिवासी परिवार अपने आप को आर्थिक रूप से साधन सम्पन्न बनाने के लिए भी मारवाड़ियों की तरह रोजगार के लिए बाहर निकल जाते हैं। इसके पलायन के कारण मजदूरों का इस क्षेत्र में अभाव हो जाता है। कम मजदूर होने से कपास की खेती करने वाले किसान परेशान हो जाते हैं। मजदूरों की कमी से मजदूरों की मजदूरी का दाम भी बढ़ जाता है, इसके बावजूद भी कृषि कार्यों के लिए मजदूर नहीं मिल पाते हैं। मजदूरी बढ़ने से कपास के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इस परेशानी से कई लोगों ने कपास की खेती करना कम कर दिया है।

7. अन्य समस्याएँ -

1. कपास की खेती में प्रमाणित बीजों एवं अच्छी खाद की जानकारी नहीं होने से कम उपज होती है।
2. किसानों की उपज को तौल कांटों में हेर-फेर कर किसानों को ठगा जाता है।
3. किसानों के पास कपास संग्रहण की व्यवस्था नहीं होती है, यदि वह घरों में संग्रहण करते हैं, तो आग लगने का डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि गाँवों में आज भी चुल्हे जलाए जाते हैं।
4. कपास की फसल नकदी फसल है, हमेशा चोरी का डर बना रहता है।
5. गाँवों में आज भी साहुकारों से उधार पैसा अधिक ब्याज दर पर लिया जाता है, जिससे किसान कर्ज के बोझ से दबता चला जाता है तथा परेशान होकर आत्महत्या तक का कदम उठा लेता है।

[III] मिल मालिकों की समस्याएँ -

1. **टेक्स की अधिकता की समस्या** - देश में सबसे ज्यादा रोजगार जीनर्स पैदा करते हैं फिर भी जिनिंग-प्रेसिंग उद्योग को किसी में भी नहीं गिना जाता है, जीनर्स लगभग एक करोड़ गठान निर्यात करते हैं। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली कमीडिटी कपास है, मगर यह उद्योग कई कठिनाईयों से जूझ रहा है। देश में मध्यप्रदेश राज्य कपास उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। धार जिला भी मध्यप्रदेश में ही है।

अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश का रूई उद्योग पिछड़ रहा है। हमारे पड़ोसी राज्यों गुजरात एवं महाराष्ट्र की तुलना में हमारे राज्य मध्यप्रदेश की कमजोर नीतियों का परिणाम यह है कि हम इस उद्योग में उनके मुकाबले पिछड़ रहे हैं।

मंडी टेक्स का तुलनात्मक अध्ययन -

प्रदेश	मंडी टेक्स
1. मध्यप्रदेश	1.70 प्रतिशत (0.20 प्रतिशत निराश्रित कर)
2. महाराष्ट्र	0.50 प्रतिशत
3. गुजरात	0.50 प्रतिशत (पर माफ है)

राष्ट्रीय कृषि उद्योग की अनुशंसाओं के अनुसार म.प्र. राज्य कृषि विपणन मंडल (जिसे मंडी बोर्ड के नाम से जाना जाता है।) म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत सन् 1973 में अस्तित्व में आया।

26341 अनुज्ञप्त व्यवसाई एवं प्रोसेसर्स इस से जुड़े हुए हैं, मंडी का मुख्य उद्देश्य बेहतर राजस्व प्राप्त कर कृषकों एवं व्यापारियों के मध्य श्रेष्ठ स्वभाव पैदा कर उन्हें सहयोग करना है।

कपास पर म.प्र. सरकार द्वारा जो भी मंडी शुल्क है, उसकी दर हमारे

पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र एवं गुजरात से अधिक है, हमारे यहां मंडी शुल्क 1.70 प्रति. (जिसमें 0.20 प्रतिशत निराश्रित शुल्क) है, वहीं महाराष्ट्र में 0.50 प्रतिशत एवं गुजरात में 0.50 प्रतिशत है लेकिन वहाँ की सरकार ने शुल्क माफ कर रखा है।

टेक्स की इस प्रणाली से हमारे क्षेत्र की जिनिंग प्रेसिंग अन्य पड़ोसी राज्यों से मुकाबला नहीं कर पाती। इसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ की अनेक जिनिंग प्रेसिंग बन्द होकर पड़ोसी राज्यों में चली गई।

2. अधिक समर्थन मूल्य का नतीजा/बाजार मूल्य से लागत अधिक

- जैसे की सब जानते हैं कि अब कपास व्यापार सारे विश्व के बाजार से प्रभावित होता है। विश्वव्यापी मंडी के दौर में हमारे यहाँ की जिनिंग-प्रेसिंग मिलों पर दोहरी मार पड़ती है। एक तरफ वैश्विक मंडी से कपास की खपत पर विपरीत असर होता है, तो दूसरी ओर सरकार किसानों को खुश करने के लिए कपास का समर्थन मूल्य बढ़ा देती है। बढ़े भावों से प्रति गठान की उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जबकि बाजार मूल्य कम होता है। जिससे जिनिंग-प्रेसिंग व्यापार पर बुरा असर पड़ता है व इसके कारण घाटा बढ़ जाता है और व्यापार बन्द होने के कगार पर आ जाता है।

3. जिनिंग-प्रेसिंग को अपघोड करने की आवश्यकता - प्रदेश में बीटी कपास के बढ़ते चलन की वजह से 5-6 माह में ही इसका सीजन लगभग समाप्त हो जाता है। पूर्व में कपास का सीजन सितम्बर से मई तक चलता था, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और सीजन माह फरवरी में ही पूरा हो जाता है। इससे शेष समय जिनिंग-प्रेसिंग वालों को खाली बैठना होता है। इन परिस्थितियों में अब जिनिंग-प्रेसिंग उद्योग को अपघोड करने की आवश्यकता है।

इस उद्योग में स्टॉक एवं कुशल मजदूरों को 12 माह व ओवरहेड खर्च 7 माह का है, साथ ही लागत पर ब्याज पूरे (12 महिने) या 1 वर्ष चलता है। यह 7 माह का खर्च 5 माह के व्यापार पर पड़ता है। जो उद्योग पूर्ण क्षमता से चलता भी रहे तो भी 5-6 माह से ज्यादा नहीं चल पाते।

4. वित्तीय समस्याएँ - कपास की फसल महंगी होती है, जिससे खरीदी के लिए धनराशि भी ज्यादा लगती है। कपास फसल के मूल्यों में कभी-कभी उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए व्यवसायियों को कपास का स्टॉक रखना पड़ता है, इस स्टॉक में भी भारी पूंजी अटक जाती है और उन व्यापारियों के सामने वित्त संकट पैदा होता रहता है।

मंडी की खरीदी का भुगतान नकद में ही करना होता है। जिसके लिए व्यापारियों (जिनरों) को अधिक मात्रा में वित्त की व्यवस्था करके रखना पड़ता है। कई बार वित्त की व्यवस्था न हो पाने पर व्यवसायियों को कपास का क्रय कम मात्रा में या बंद करना पड़ता है। ऐसे में अपनी कई गठानों को मजबूरी में कम दामों पर विक्रय करना पड़ती है, इससे व्यापार, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस व्यापार में जहाँ क्रय तो अधिकांश नकद में करना होता है, मगर रूई की गठानों के विक्रय से नकद धनराशि प्राप्त नहीं होती है। दलालों के माध्यम से गठानों का विक्रय होता है जिससे धनराशि प्राप्त होने में महिनो लग जाते हैं।

5. आग से हानि - जिनिंग-प्रेसिंग में प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों का नुकसान आग लगने की घटनाओं में होता है। कपास की खरीदी से लेकर उसकी जिनिंग-प्रेसिंग एवं उसके बाद उसे परिवहन द्वारा बाजार ले जाने तक भय बना रहता है, क्योंकि कपास में आग जल्दी लग जाती है, कपास जिनिंग-प्रेसिंग के प्रांगण में खुला पड़ा रहता है, जिससे आग लगने की संभावना सर्वाधिक रहती है।

जिनिंग-प्रेसिंग की प्रक्रिया में मशीनों में घर्षण से आग लगने की संभावना रहती है। मशीन के चलने के दौरान बिजली के फाल्ट से भी आग लग जाती है। कारखाने में कार्यरत मजदूरों, कर्मचारियों की कुछ छोटी-मोटी भूल भी आग का कारण बन जाती है।

म.प्र. के निमाड क्षेत्र में ज्यादा गर्मी के मौसम में तापमान सर्वाधिक होता है, इसलिए प्रतिवर्ष आगजनी की कई घटनाएं होती हैं।

6. परिवहन की समस्याएं - किसी भी देश अथवा प्रदेश के आर्थिक विकास में परिवहन के साधनों का विशेष महत्व होता है। इसके बिना व्यापार करना संभव नहीं है।

धार जिले में सड़कों की दशा बहुत दयनीय है। यहाँ पर फूटकर व्यापारियों व किसानों को थोक व्यवसायी, जिनिंग-प्रेसिंग तक माल पहुँचाने के लिए मात्र सड़क परिवहन ही एक मात्र साधन है। इसलिए मजबूरी में सारा विपणन कार्य सड़क मार्ग से ही करना होता है। ग्रामीण सड़क योजनाओं के तहत जिले में कई जगह सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, मगर गुणवत्ता अच्छी न होने से उन सड़कों की हालत कुछ ही समय में खराब हो जाती है।

7. कच्चे माल की समस्या - कच्चा माल किसी भी उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है। इस उद्योग में कच्चा माल कपास है, जो इस जिले में भरपूर पैदा होता है। मगर कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि उक्त माल का भारी अभाव हो जाता है, कभी वर्षा का अधिक या कम होना, पौधों में किसी प्रकार की बीमारी लगना, प्राकृतिक आपदाएं

होना, माल के भावों में भारी कमी आदि ऐसी बातें हैं, जो इस घटक को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की कमी के कारण कई जिनिंग-प्रेसिंग बंद करना होती है, जो आर्थिक हानि का कारण बन जाते हैं।

यह कच्चा माल एक निश्चित समय अवधि तक ही मिल पाता है। अतः जिनिंग-प्रेसिंग मालिकों को अपनी जिनिंग-प्रेसिंग लंबे समय तक चलाने के लिए इसका भंडारण करके रखना पड़ता है। कपास जिन्स अत्यन्त महंगा एवं भण्डारण में रखने पर खतरों से भरा होता है। इसके कारण भी कई जिनरों को नुकसान उठाना पड़ता है।

8. अन्य समस्याएँ -

1. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य धार जिला मादक पदार्थों ताड़ी एवं विदेशी शराब के प्रयोग के मामले में प्रदेश भर में अग्रणी है। श्रमिकों की इस लत की वजह से कई बार उत्पादन प्रक्रिया बाधित हो जाती है व प्राप्त आदेशानुसार माल का उत्पादन नहीं हो पाता है।
2. कपास का व्यवसाय मौसमी होने के कारण धार जिले के श्रमिक प्रतिवर्ष आस-पास के राज्यों में पलायन कर जाते हैं, जिससे श्रमिकों का अभाव हो जाता है।
3. धार जिले में अधिकांश श्रमिक अशिक्षित होते हैं तथा यहाँ पर श्रमिकों के संगठन का पूर्णतः अभाव है, इससे भी मिल मालिक अलग-अलग मांगों से परेशान हो जाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

उद्यानिकी योजनाओं से खरगोन जिले के विकास में बढ़ती संभावनाएँ

ललिता वर्मा *

शोध सारांश – उद्यानिकी किसी भी राष्ट्र में कृषि की मुख्य रीति होती है। यह मूलतः बगीचों या फलोद्यानों की खेती का विज्ञान है, अर्थात् इसका आशय फलों, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों की खेती करने की प्रक्रिया से है। इसमें खेती की भूमि का क्षेत्र तथा उत्पादकता बढ़ाना, कृषि में प्रौद्योगिकी को लाना, किसानों की आय तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, रोजगार के अवसर को स्रोत बढ़ाना आदि।

भारत को विविध कृषि जलवायु का वरदान प्राप्त है। जो उद्यानिकी की अनेक फसले उगाने के लिए बहुत अनुकूल है, फल, फूल, सब्जियाँ, सुगंधित तथा औषधीय पौधे, मसाले आदि। यह फलों तथा सब्जियों का दूसरा बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2015-16 में भारत ने उद्यानिकी के क्षेत्र में 286 मिलियन टन का उत्पादन किया था। जब कि वर्ष 2016-17 में यह उत्पादन बढ़कर 287 मिलियन हो गया। इसी तरह वर्ष 2016-17 फल का उत्पादन 90 मिलियन टन एवं सब्जियों का उत्पादन 169 मिलियन टन रहा है। शोध में यही जानने का प्रयास किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि के अवसरों में उद्यानिकी की क्या भूमिका है। शोध प्राथमिक एवं द्वितीयक संमकों पर आधारित है। निष्कर्ष के रूप में बताया गया है कि परिवार उद्यानिकी के संबंध में कृषकों को पर्याप्त पूरी आय कार्यक्षमताओं में भागीदारी सुनिश्चित की जाए तो उद्यानिकी कृषि क्षेत्र आधुनिकीकरण के रूप में सामने आएगा।

शब्द कुंजी – उद्यानिकी कृषक, रोजगार के अवसर, ग्रामीण आमदनी।

प्रस्तावना – उद्यानिकी के प्रति, नैसर्गिक रूचि और निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपने घर के आसपास छोटे क्षेत्र में हरे-भरे वृक्ष लगाना, फल या सब्जियाँ उगाना सजावट के लिए सुगंधित व मनमोहक पुष्प खिलाना या हरी दूब के लॉन उनके चारों ओर में हरी या अन्य प्रकार की बाढ़ लगाना, गमलों में पौधों या बेल उगाना; इन सबमें श्रम लगता है। उसमें कहीं अधिक उन्हें देखकर प्रसन्नता होती है तथा नित्य ताजी सब्जियाँ और फल खाने को मिलते हैं, उद्यानिकी कला भी है और विज्ञान भी है। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है, अपने हाथ से काम करने में व्यक्तित्व का विकास होता है। जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण विकसित होता है। खरगोन जिले में भी उद्यानिकी से फल, फूल, सब्जियाँ की खेती के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में खरगोन जिला उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में अग्रणी जिलों में से एक जिला है और यहाँ मसाला और औषधी फसलों की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। खरगोन जिले में उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत फल, फूल, सब्जियों का उत्पादन विभिन्न अंचलों में किया जा रहा है। जिले के खरगोन, बड़वाह, भीकनगाव, कसरावद, महेश्वर, सेगाँव, गोगाँव, झिरिन्या, भगवानपुरा आदि।

शोध के उद्देश्य-

1. खरगोन जिले के कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. खरगोन जिले के कृषकों की रोजगार की स्थिति का पता लगाना।
3. खरगोन जिले में उद्यानिकी के विकास से लोगों की आय एवं रोजगार में कितनी वृद्धि होती है, इस बात का अध्ययन किया गया है।

शोध प्रविधि – शोध मुख्यतय प्राथमिक एवं द्वितीयक संमकों पर आधारित है, जिन्हें उद्देश्यानुसार विभिन्न कार्यवधियों, पत्र-पत्रिकाओं व रिपोर्टों से लिया गया है। संकलित संमकों के विप्लेषणों के आधार पर शोध निष्कर्षों

एवं सुझाव दिए गए हैं। शोध विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं।

खरगोन जिले में उद्यानिकी की वर्तमान स्थिति- (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका से यह स्पष्ट होता है कि खरगोन जिले में उद्यानिकी फसलें (फलों) के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 2015-16 में कुल 19507 हेक्टेयर क्षेत्र में फल लगाये गये थे। जिससे कुल उत्पादन 826196 मैट्रिक टन फलों का हुआ। फलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई। फूलों के अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 2015-16 में कुल 816.5 हेक्टेयर क्षेत्र में फूल लगाए गए थे। जिससे कुल उत्पादन 29868.5 मैट्रिक टन फूलों का हुआ। इसके उत्पादन में वर्ष 2013-14, 2015-16 में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई। इसी प्रकार सब्जियों के कुल अंतर्गत वर्ष 2011-12 से 2015-16 में कुल 27940.9 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियाँ लगाई गई थी। जिससे कुल उत्पादन 656745 सब्जियों का हुआ। इसके उत्पादन में वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई।

उद्यानिकी विकास के लिए संचालित योजनाएँ – उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से किसानों को फल एवं सब्जी लगाने के लिए अनुदान राशि दी जाती है। जिससे किसानों का आर्थिक विकास हो और उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले व अपनी खेती से नियमित व स्थायी आय प्राप्त कर सकें।

फल बागान की योजनाएँ – इस योजना के अंतर्गत कृषकों को फलों की फसल लगाने के लिए इकाई लागत पर 40 प्रतिशत या अधिकतम 60,000 रु. प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि या छूट दी जाती है। 36,000 रु. पहले वर्ष व दूसरे, तीसरे वर्ष में 12,000 रु. पौधों के शत प्रतिशत जीवित रहने पर दिए जाते हैं। इसमें अमरूद, आम, संतरा, नींबू, अनार, आदि के लिए 40 प्रतिशत अधिकतम 75,000 रु. प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि दी जाती है।

इसमें 22,000 रु. पहले वर्ष 35,000 रु. दूसरे वर्ष , 18,000 रु. तीसरे वर्ष प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि दी जाती है।

सब्जियाँ एवं मसालों की फसल लगाने की योजनाएँ – सब्जी एवं मसालों की फसल लगाने लिए 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000 रु. प्रति हेक्टेयर उत्पादन करने के लिए अनुदान राशि दी गई। प्याज के लिए 17500 रु., आलु एवं लहसन के लिए अधिकतम 30 से 35 हजार रु. प्रति हेक्टेयर अनुदान राशि दी गई।

औषधीय एवं सुगंधित फसल के क्षेत्र विस्तार की योजनाएँ – जिले में औषधीय एवं सुगंधित फसल लगाने के लिये मिनीकीट 100 रु. एवं 150 रु. के बीज निशुल्क दिए गए हैं।

बाड़ी (किचन गार्डन) के लिये आदर्श कार्यक्रम– ‘ध्वज’ कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के शासन की प्राथमिकता वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यापन करने वाले लघु, सीमान्त किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को सब्जी लगाने के लिए उद्यानिकी विभाग से 25000 रूपए की सीमा तक बीज वितरित किये जाते हैं।

उद्यानिकी के विकास हेतु कृषि यंत्रिकरण को बढ़ावा देने की योजना– जिले में उद्यानिकी के माध्यम से इस योजना के द्वारा 20 हार्स पावर तक के ट्रैक्टर, सिंचाई ड्रिप या स्प्रिंकलर खरीदने के लिए 50 से 70 प्रतिशत अनुदान राशि कृषि संयंत्रों को खरीदने के लिए दी जाती है।

उद्यानिकी फसलों को सुरक्षित रखने के लिए प्रोत्साहन योजना – इसके माध्यम से उद्यानिकी फसलों को सुरक्षित करने के लिए कृषकों को ग्रीन हाउस, प्लास्टिक, लो-टनल ,शेडनेट आदि के लगाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान राशि दी गई। **खाद के लिए योजना** – केचुएँ की खाद (वर्मी कमपोस्ट) के लिए 50,000 रु. तक की अनुदान राशि दी जाती है। **तकनीकी मार्गदर्शन एवं अन्य सुविधाएँ** – किसानों में तकनीकी मार्गदर्शन एवं अन्य सुविधाएँ जिले में प्रत्येक विकासखण्ड पर उद्यान विभाग की नर्सरी स्थापित है। तथा मैदानी कार्यकर्ता पदस्थ हैं। नर्सरीयों में उन्नत किस्मों के फल पौधे तैयार किये जाते हैं।

उद्यानिकी विकास का महत्व –नियमित आय शुद्ध वस्तुएं

रोजगार की संभावनाएँ

विदेशी धन की प्राप्ति

सहायक उद्योगों को प्रोत्साहन

भोजनात्मक महत्व

मनोरंजनात्मक महत्व

शोध निष्कर्ष एवं सुझाव – भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कि 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं उससे जुड़े हुए व्यवसाय में कार्यरत है। अतः कृषि हमारी आय प्राप्ति का साधन ही नहीं बल्कि हमारे जीवन जीने का ढंग भी है। 1966-67 ,1967-68, 1968-69 के सुखे के कारण कृषि से मिलने वाली आय कम होने लगी। किन्तु हरित क्रान्ति के बाद से कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती आ रही है। परन्तु उद्यानिकी जैसे क्षेत्र में विकास की गति धीमी रही है। इसका मुख्य कारण कृषि में दलहनों एवं तिलहनों व मोटे दाने के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया। पिछले 30-40 वर्षों से रासायनिक दवाइयों के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होते गयी हैं और लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आती रही है। तथा दूसरी ओर किसानों को नियमित आय भी प्राप्त नहीं होती है। इस कारण उद्यानिकी को बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस की गई है। भारतवर्ष में किसान अपने आप को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित रखने के लिए उद्यानिकी का सहारा ले रहे हैं। अब किसानों के सामने कम लागत पर उत्तम किस्म के उत्पादन को तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती है और यह केवल फल, फूल, सब्जियों के उत्पादन से संभव है। क्योंकि यह किसानों की निरन्तर आय में वृद्धि करती है एवं टिकाऊ खेती करने के लिए उद्यानिकी की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग खरगोन म.प्र. ।
2. ग्राम समृद्धि (मार्च 2013) क्यों रूठा किसान, ग्रामीण प्रगति एवं मार्गदर्शन ।
3. आचार्य प्रतिभा (2001) बागवानी घर के भीतर आईएसबीएन: 978-81-8361-196
4. गुप्ता, सविता, (2004) बागवानी कैसे करे मनोज पब्लिकेशन आईएसबीएन - 8181336086

खरगोन जिले में उद्यानिकी की वर्तमान स्थिति

क्रं	उद्यानिकी फसल	वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	योग
1.	फल	फसलवार रकबा (हेक्ट.में)	2423	2628	4202	4863	5391	19507
		उत्पादन (मैट्रिक टन) वृद्धि या कमी	97755 - -	120549 (+) 23.32	184581 (+)53.11	201093 (+)8.95	222218 (+)10.51	826196
2.	फूल	फसलवार रकबा (हेक्ट.में)	175	199	119	148.50	175	816.5
		उत्पादन (मैट्रिक टन) वृद्धि या कमी	5135 -	15920 (+)210.02	3255 (-)79.55	3662 (+)12.50	1896.5 (-)48.21	29868.5
3.	सब्जियाँ	फसलवार रकबा (हेक्ट.में)	5004	5270	4559	5217	7890.9	27940.9
		उत्पादन (मैट्रिक टन) वृद्धि या कमी	102588 -	114234 (+)11.35	123130 (+)7.79	118517 (-)3.75	198276 (+)67.30	656745

स्रोत- कार्यालय उप संचालक उद्यान जिला खरगोन म.प्र.

भारत में कृषि विपणन योजनाएँ

डॉ. ज्योति सोनी *

शोध सारांश – प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान समय तक कृषि एवम् कृषक भारतीय समाज तथा अर्थव्यवस्था का आधार स्तम्भ रहे हैं। भारत में 48.9 प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है। देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने हेतु कृषि क्षेत्र का विकास नितांत आवश्यक है। इसलिए भारत सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु कई प्रकार की योजनाओं पर काम कर रही है, जिससे किसानों का आत्मबल आर्थिक और मानसिक दोनों रूपों से मजबूत होगा। इन योजनाएँ से किसानों को सुदृढ़ और मजबूत आधार मिलता है। कृषि विपणन क्षेत्र में सुगम प्रवेश व किसानों को अधिकतम लाभ देने के उद्देश्य से समूचे देश में ऑनलाईन विपणन (e-market) को प्रोत्साहन देना, कृषि भूमि को सिंचाई का संरक्षित स्रोत उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन, मृदा स्वास्थ्य में सुधार तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card योजना की शुरुआत, कृषि रसायनों का प्रयोग किए बिना परम्परागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिश्रण करते हुए जैविक खेती में उत्कृष्टता के मॉडल का विकास करने हेतु राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजनाएँ, प्रकृति पर अनवरत् निर्भरता के कारण फसल उत्पादन की जोखिमों को कम करने के प्रयोजनार्थ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभ किसानों के विकास हेतु शासन की सार्थक पहल हैं।

प्रस्तावना – भारत की गणना विश्व के महत्वपूर्ण कृषि प्रधान देशों में की जाती है। इसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत भूमि से प्राप्त उत्पादन हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक-सांस्कृतिक स्वरूप की आधारशिला है। -डॉ. आर. बी. शास्त्री

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व प्राचीनकाल से रहा है। यह कथन कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कृषि देश के लोगों का मात्र जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं है वरन् भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषक व कृषि दोनों ही अर्थव्यवस्था के मजबूत आधार स्तम्भ हैं, इसलिए कृषक को अन्नदाता कहा जाता है। भारतीय कृषि वैज्ञानिक देश में हरित क्रांति के जनक एवम् राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन ने तो यहाँ तक कहा है कि कृषि से भी ज्यादा ध्यान किसानों पर दिया जाना चाहिए। किसानों की वास्तविक आय बढ़ने पर कृषि विकास का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाता है। अतः कृषक को महत्वपूर्ण मानते हुए केन्द्र सरकार द्वारा कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ सीधे तौर पर किसानों को प्राप्त हो रहा है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (E-NAM) - राष्ट्रीय कृषि बाजार भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक आनलाईन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ई-नाम एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है, जो पूरे भारत में मौजूद कृषि उत्पाद विपणन समिति को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करती है। इसमें कृषि उत्पादों के संबंध में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तु की जानकारी, व्यापार में दिए गए ऑफर और आने वाली वस्तुओं की जानकारी और उनकी कीमत के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा 14 अप्रैल 2016 लॉन्च किया गया था। ई-नेम 16 राज्यों और 5 केन्द्र शासित प्रदेशों में 585 बाजारों के साथ जुड़ा हुआ है। जनवरी 2018 तक बाजार लेनदेन 36200 करोड़ रुपये रहा जो ज्यादातर इंट्रा-मार्केट था। यह बाजार व्यापारियों व निर्यातकों को एक ही स्थान पर थोक में गुणवत्ता वाले उत्पादों

की खरीद में मदद कर रहा है और पारदर्शी वित्तीय लेनदेन सुनिश्चित करता है। किसान बिचोलियों या दलालों के हस्तक्षेप के बिना उपज बेच पा रहे हैं। लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में ई-नेम को लागू करने की प्रमुख एजेंसी है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (SOIL HEALTH CARD SCHEME)- कृषि प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी से जुड़ी है अर्थात् किसानों की उन्नति मिट्टी पर निर्भर करती है। मिट्टी स्वस्थ तो किसान स्वस्थ, इस सोच के आधार पर भारत सरकार ने 19 फरवरी 2015 में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में किसानों के लाभ हेतु राष्ट्र व्यापी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारम्भ किया। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रति तीन वर्ष में प्रत्येक किसान को मृदा कार्ड जारी किया जाता है ताकि सभी जोत धारक फसल पैदावार लेने हेतु सिफारिश किए गए पोषक तत्व ही मिट्टी में डालें। इस कार्ड में फसल के अनुसार उर्वरकों के प्रयोग तथा मात्रा का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है ताकि भविष्य में किसानों को मृदा की गुणवत्ता संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े और फसल उत्पादन में कमी भी ना हो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को अधिक समृद्ध बनाने के लिए भारत सरकार ने कृषि विभाग के साथ मिलकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड वेब पोर्टल भी शुरू किया है। इस वेब पोर्टल का यूआरएल (www.soilhealth.dac.gov.in) है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- (PMFBY) - माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2016 को नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप फसल के प्रभावित होने पर किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना का प्रशासन कृषि एवम् किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

पहले की योजनाओं में सिर्फ कुछ फसलों और तिलहन का ही बीमा होता था लेकिन नये नियमों के अनुसार जहाँ खरीफ की सभी फसलों और तिलहन के लिलये अधिकतम 2.1 एवम् 1.5 की दर से बीमा होता है। वहीं रबी की फसलों और तिलहन के साथ ही व्यावसायिक फसलों और फल व सब्जियों के लिये 5 के वार्षिक प्रीमियम पर बीमा होता है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- (PMKSY) - भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को उक्त योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य यह खेत को पानी (Hark keht ko paani) है। मनुष्य बिना अन्न के जीवित नहीं रह सकता और अन्न की पैदावार बिना जल के संभव नहीं है। अतः खेतों में सहरी समय पर सही मात्रा में सिंचाई होना आवश्यक है। खेतों में जल के अपव्यय को रोकना जल को इस्तेमाल करने की दक्षता बढ़ाना, हर बूंद-अधिक फसल (Per drop-more crop) के उद्देश्य को पूरा करने तथा सिंचाई में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि सिंचाई का प्रारम्भ किया गया है। (PMKSY) की देखरेख व निगरानी एक अंतर मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) द्वारा की जायगी, जिसका गठन संबंधित मंत्रालयों के केन्द्रीय मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया जायेगा।

जैविक खेती- (ORGANIC FARMING) - बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न पूर्ति और अधिक आय प्राप्त करने हेतु उत्पादन में वृद्धि करने हेतु खेतों में रसायनिक कीटनाशकों व उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है जिससे जल, भूमि, वायु व वातावरण तो प्रदूषित होता ही है साथ ही खाद्य पदार्थ भी जहरीले हो रहे हैं। इसलिए इन सभी प्रकार की समस्याओं से निपटने हेतु कृषि विभाग द्वारा जैविक खेती को अपनाने पर बल दिया जा रहा है। जैविक खेती के प्रचार प्रसार हेतु चलित झांकी, पोस्टर, बैनर, साहित्य, एकल नाटक, कठपुतली प्रदर्शन आदि माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है। कृषि रसायनों का प्रयोग किए बिना परम्परागत ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का मिश्रण करते हुए जैविक खेती में उत्कृष्टता के मॉडल का विकास करने हेतु राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अंतर्गत परंपरागत कृषि विकास योजनाएँ संचालित की जा रही हैं।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण- (AGRICULTURAL TECHNOLOGY MANAGEMENT AGENCY / ATMA) - एक स्वायत्त पंजीकृत संस्था है, जो भारत के विभिन्न जिलों में कृषि एवम् सम्बद्ध तकनीकी प्रसार के लिये उत्तरदायी है। यह संस्था सीधे धनराशि प्राप्त करने - राज्य/केन्द्र सरकार, निजी संस्थान, सद्स्यता, लाभार्थी से सहयोग आदि- अनुबंध करार एवम् लेखा अनुरक्षण करने में समर्थ है। इसके द्वारा कृषक गोष्ठी, अनुसंधान-प्रसार-कृषक बाजार कड़ी के सबलीकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी कराया जाता है। इस संस्था का कृषि विकास से जुड़े सभी विभागों, संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों एवम् अभिकरणों के साथ संबंध हैं।

कृषि विपणन सूचना नेटवर्क - AGRICULTURE MARKETING INFORMATION NETWORK - (AGMARKNET) - मार्च 2000 में कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। एगमार्क नेट (<http://www.agmarknet.nic.in>) वेबसाइट एक जी 2 सी ई - शासन पोर्टल है, जो एक एकल खिड़की से कृषि विपणन से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के द्वारा विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को पूरा करता है।

किसान कॉल सेंटर के सीसी- (KISAN CALL CENTER - KCC)- कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर योजना का शुभारम्भ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य टेलीफोन

कॉल पर किसानों के प्रश्नों का जवाब देना है, कॉल सेंटर की सेवारतें सप्ताह के सातों दिन प्रातः 6 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध है। किसानों के सवालों के जवाब लगभग स्थानीय भाषाओं में दिए जाते हैं। देश व्यापी ग्यारह अंकों वाला टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 किसान कॉल सेंटर के लिए आबंटित किया गया है। कॉल सेंटर में नियुक्त एजेन्ट यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते तो उसे उच्च स्तर के विशेषज्ञों के पास भेजा जा सकता है। ये विशेषज्ञ राज्य कृषि विभाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञ होते हैं।

किसान चैनल- (KISAN CHANNEL) - किसानों व खेतिहर मजदूरों की समस्याओं पर केन्द्रित किसान चैनल की शुरुआत दूरदर्शन पर 26 मई 2015 को हुई। 24 घंटे चलने वाला यह टेलीविजन चैनल आधुनिक कृषि तकनीक के प्रसार, जल संरक्षण और जैविक खेती जैसे विषयों की जानकारी देने के साथ ही किसानों के लिए गाईड का काम कर रहा है।

एम-किसान पोर्टल- (M-KISAN PORTAL) - एम-किसान एसएमएस पोर्टल किसानों के लिए उनकी भाषा में एसएमएस, कृषि प्रथाओं और स्थान की प्राथमिकताओं के आधार पर जानकारी/सेवाओं/परामर्श किसानों हेतु उपलब्ध कराता है।

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर - (DIRECT BENEFIT TRANSFER)- भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह सबसीडी के हस्तांतरण तंत्र को बदलने का एक सार्थक प्रयास है। कृषि क्षेत्र में इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष रूप सबसीडी हस्तांतरित करना है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना- (DDUGJY) - भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 नवम्बर 2014 को प्रारम्भ की गई। यह योजना विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और बिजली की 24/7 आपूर्ति की सुविधा को सुगम बनाती है।

अन्य योजनाएँ -

1. **धान की खरीद में लेवी प्रणाली का अंत** - किसानों के हित में सरकार ने जब से बड़ा फैसला लेते हुए धान की खरीद में लेवी प्रणाली को खत्म कर दिया जिससे किसान अब अपनी उपज सीधे सरकारी केन्द्रों पर बेच सकते हैं। जहाँ धान की अच्छी कीमत मिलती है।
2. **नीम कोटिंग यूरिया से काला बाजारी पर रोक** - नाईट्रोजन की डोज यूरिया का पहले गैर कृषि कार्यों में काफी इस्तेमाल होता था जिसके चलते यूरिया की कालाबाजारी होती थी तथा किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल पाता था। इसलिए यूरिया के अंधाधुंध इस्तेमाल को सीमित करने व कालाबाजारी रोकने के लिए मई 2015 से सरकार ने सम्पूर्ण यूरिया उत्पादन को नीम लेपित करना अनिवार्य कर दिया था। अब नीम का लेप होने से यूरिया सिर्फ खेती के कार्यों के कार्यों में इस्तेमाल के लायक ही बची है।
3. कृषि उत्पादों में कीटनाशक की निगरानी तथा विश्लेषण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक निगरानी योजना का संचालन।
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) अंतर्गत विशेष कार्यक्रमों का आयोजन।
5. कृषि क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने हेतु कृषि कर्मण पुरस्कार की शुरुआत।

निष्कर्ष - भारतीय कृषि के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के उद्देश्य से संचालित व क्रियांवित योजनाओं के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने पर ही

अर्थव्यवस्था मजबूत व सृष्टि बनती है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने वर्ष 1948 में कृषि के महत्व को देखते हुए कहा था-
सब कुछ इंतजार कर सकता है पर कृषि नहीं।

(EVERYTHING ELSE CAN WAIT BUT NOT AGRICULTURE)

अतः प्रशासनिक कुशलता व सतर्कता के साथ प्राथमिकता के आधार पर कृषि विपणन योजनाओं का विस्तार व विकास आवश्यक है। तभी हम कृषि के निर्यातमुखी, विकासमुखी तथा बाजारमुखी होने की कल्पना को पूरा कर पाएंगे और प्रत्येक कृषक और उसका परिवार महाकवि घाघ के

इस कथन पर यकीन कर पायेगा
उत्तम खेती, मध्यम बान। निकृष्ट चाकरी, भीख निदान।।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दैनिक भास्कर समाचार पत्र
2. पत्रिका समाचार पत्र
3. मासिक पत्रिका प्रतियोगिता दर्पण
4. इण्टरनेट वेबसाइट से प्राप्त जानकारी

लघु औद्योगिक उत्पादों का विपणन एवं निर्यात

डॉ. पी. के. अग्रवाल *

प्रस्तावना – भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है। लघु औद्योगिक इकाइयों को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले दशकों का स्वतंत्रता प्राप्ति का इतिहास लघु औद्योगिक इकाइयों के निरंतर विकास का इतिहास रहा है। आर्थिक-सामाजिक विकास में लघु औद्योगिक इकाइयों के सकारात्मक योगदान के साथ ही, ये इकाईया बेरोजगारी जैसी विकट समस्या के समाधान में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करती है, देश के आंतरिक बाजार में इसकी सहभागिता के साथ ही साथ निर्यात बाजार में भी इसकी सहभागिता में निरंतर विकास हुआ है और आज यह कुल निर्यात का 40 प्रतिशत है। सकल औद्योगिक उत्पादन में लघु औद्योगिक इकाइयों की सहभागिता 40 से 45 प्रतिशत है। लघु औद्योगिक इकाइयों का निरंतर विकास, जो सफल विपणन नीतियों एवं योजनाबद्ध निर्यात पर निर्भर करता है पर ध्यान देने कि आवश्यकता है। लघु औद्योगिक इकाइयों के विकास हेतु किया जाने वाला प्रत्येक सकारात्मक प्रयास राष्ट्र के औद्योगिक विकास हेतु सहायक होगा। लघु उद्योग इकाइयों के उत्पादों का विपणन – प्रत्येक उत्पादित वस्तु का विपणन किया जाना एक आवश्यक प्रक्रिया है। जिससे उत्पादित वस्तु का निश्चित बाजार पाया जा सके। सफल विपणन प्रक्रिया अनेक सकारात्मक प्रयासों पर आधारित होती है। विगत 3 दशकों में उपभोक्ता बाजार में परिवर्तन एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरी हैं, जिसके द्वारा बाजार के रूप स्वरूप का निर्धारण होने लगा है, विभिन्न उत्पाद क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्विता के स्तर पर एक साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रादुर्भाव ने वितरण प्रक्रिया को अत्यंत जटिल बना दिया है ऐसी अवस्था में लघु उद्योग इकाइयों की विपणन नीतियों प्रभावी एवं लाभप्रद होनी चाहिए। प्रभावी विपणन द्वारा ही औद्योगिक इकाइयों की सफलता सुनिश्चित कि जा सकती है। इसके लिए उद्यमी की क्षमताओं को विकसित किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है।

लघु औद्योगिक उत्पादों के विपणन हेतु उपभोक्ता बाजार को संरचना एवं स्वरूप के आधार पर चार क्षेत्रों में बांटा जा सकता है।

1. स्थानीय बाजार
2. क्षेत्रीय बाजार
3. राष्ट्रीय बाजार
4. अन्तरराष्ट्रीय बाजार

लघु औद्योगिक इकाइयों अपनी स्थापना एवं प्रारंभिक उत्पादन एवं विपणन के समय स्थानीय बाजार पर निर्भर करती हैं।

क्षेत्रीय बाजार में अपनी विपणन सफलताए सुनिश्चित करने हेतु वितरण प्रणालियों के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि लघु उद्यम से जुड़े उद्यमी अपने उत्पाद से उपभोक्ता को परिचित कराने हेतु अनेक विज्ञापन

माध्यमों का भी प्रयोग करे।

लघु उद्यमी इकाईयो द्वारा उत्पादित उत्पादों में अनेक ऐसी विशेषताएं हैं। जिनका राष्ट्रीय स्तर पर विपणन किया जाना संभव है। इन उत्पादों में वनोपज, खनिज पर आधारित उत्पाद, सोया तथा औषधिय एवं सुगंधीय पौधे आदि पर आधारित ऐसी अनेक औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हैं, जिनके उत्पादों का विपणन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना संभव है।

राष्ट्र की सीमाओं के परे बाजार की खोज एक ऐसी लाभप्रद प्रक्रिया के रूप में देखी जा रही है। जिससे आधारित लाभ, बाजार विस्तार आदि कि परिकल्पनाओं को साकार किया जा सकता है। भारतीय उत्पाद का निर्यात बाजार में एक सीमित स्थान है। जिसके अतुल विस्तार की संभावनाएं हैं।

लघु उद्यमी, औद्योगिक इकाई से जुड़े उद्यमियों द्वारा निर्यात हेतु योजनाबद्ध कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। निर्यात संबंधी निर्णय लेने के लिए लघु उद्यमी हेतु निम्नलिखित मुख्य आधार हो सकते हैं।

1. विक्रय एवं लाभ की अधिकता
 2. विश्व बाजार में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना
 3. आंतरिक बाजार में आश्रितता की कमी
 4. अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों को स्वीकार कर संभावनाओं से लाभ लेना
 5. उत्पाद की विशेषताओं के आधार पर विश्व में नई संभावनाओं की तलाश
 6. प्रतिद्वंद्विता द्वारा लाभप्रदता का विस्तार
- अन्तरराष्ट्रीय बाजार के क्षेत्र में निर्यात के बढ़ते हुए आकर्षण ने अनेक औद्योगिक संगठनों को निर्यात हेतु प्रेरित किया है।

लघु उद्यमी, औद्योगिक इकाई से जुड़े उद्यमिया के लिए निर्यात के क्षेत्र में सहभागिता का विस्तार किया जाना आवश्यक है। नई षासकीय निर्यात नीतियों एवं अर्थव्यवस्था का उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरण द्वारा इस सहस्राब्दि में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक विस्तृत आधार प्रदान किया जा चुका है। आवश्यकता इस बात कि है कि उद्यमी यह सुनिश्चित करें कि किन उत्पादों का चयन किस प्रकार कि अर्थव्यवस्था में निर्यात किए जाने हेतु किया जाए।

तैयार सूती वस्त्र एवं सूट भारत द्वारा निर्यात किए जा रहे उत्पादों का 20 से 30 प्रतिशत है। इसमें अभी भी विकास की संभावनाएं हैं। भारतीय जैम एवं ज्वेलरी के क्षेत्र में जहां 16 प्रतिशत निर्यात इस क्षेत्र से ही किए जाते हैं, अभी भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर मांग की पूर्ति किये जाने की आवश्यकता है। लगभग 20 प्रतिशत कि विकास दर सिर्फ जैम एण्ड ज्वैलरी के निर्यात क्षेत्र में है। सोने पर आधारित भारतीय परम्परागत जेवरों कि मांग लगभग

50 विलियन अमेरिकन डालर की हैं। पर बाजार अभी भी भारतीय उत्पादों द्वारा निर्यातित किया जाना बाकी है। इन सबके अलावा डिब्बा बंद फल एवं सब्जी, आयुर्वेदिक एवं हर्बल कास्मेटिक्स, परम्परागत हस्तशिल्प उत्पाद आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां उत्पाद अभी भी अमेरिका, कनाडा एवं यूरोपीय राष्ट्रों

में निर्यात की विपुल संभावनाओं के साथ निर्यात में प्रतिद्वंद्विता के साथ एक सफल विपणन प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आकड़े लघु उद्योग समाचार से साभार।

विज्ञापन की वर्तमान समय में आवश्यकता व माध्यम

डॉ. दिपाली सुराना *

प्रस्तावना - आधुनिक युग विज्ञापन का युग कहा जाता है क्योंकि इसके बिना किसी भी वस्तु या सेवा को बेचना असंभव होता है न केवल वस्तुओं व सेवाओं के बेचने के लिए बल्कि राजनैतिक आर्थिक समाजिक विचारों, नीतियों कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए भी विज्ञापन का सहारा जिया जाता है। इस प्रकार विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा नवीन वस्तु या सेवा के लिए मांग में वृद्धि की जाती है और निर्माता की ख्याति को व्यवसाय में स्थापित किया जाता है।

विज्ञापन से उपभोक्ता, उत्पादक समाज व राष्ट्र सभी को समान रूप से लाभ मिलता है क्योंकि इन सभी की आवश्यकता जरूरते विज्ञापन के माध्यम से पूरी होती है। विज्ञापन बेरोजगारी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

विज्ञापन का वर्तमान समय में महत्व - विज्ञापन का महत्व सार्वभौमिक है। विश्व में निर्माताओं के मध्य बढ़ती हुई दूरी से विज्ञापन का महत्व और अंतर्राष्ट्रीय मांग की पूर्ति हेतु विशाल मात्रा में उत्पादन किए जाने से विज्ञापन की उपयोगिता में दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। वर्तमान में विभाजन के अंतर्गत उन समस्त साधनों का समावेश किया जाता है। जिनके द्वारा उपभोक्ताओं को नव - निर्मित वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है वस्तुओं की मांग में कमी नहीं आने पाती, विक्रय में निरंतर वृद्धि होती है तथा व्यवसाय की साख में भी वृद्धि होती है।

जो निर्माता वृहत पैमाने पर उत्पादन करते हैं, उनकी विज्ञापन लागत कम आती है तथा निर्माताओं को मध्यस्थ आसानी से मिल जाता है, जो वितरण का कार्य पूर्वक करते हैं जिसमें निर्माता को लाभ होता है।

बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति में निर्माता विज्ञान द्वारा उनका सामना करते हैं तथा विज्ञापित वस्तुओं को बेचने में विक्रेताओं को ज्यादा कठिनाई नहीं आती है एवं विज्ञापन के कारण ग्राहकों की वस्तु में रूचि बनी रहती है। उपभोक्ताओं को विज्ञापन देखते रहने से उन्हें कम मूल्य पर श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं की जानकारी दी जाती है। जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। तथा वस्तु विशेष के संबंध में उसका नाम गुण डिजाइन , शैली , गारंटी आदि के बारे में बहुमूल्य सूचनाएं प्राप्त होती है। विज्ञापन से राष्ट्र व समाज को भी बहुत लाभ होता है। विज्ञापन, बेरोजगारी, अशिक्षित आदि को दूर करता है तथा बाजार में स्वस्थ प्रतियोगिता की स्थिति निर्मित करता है।

विज्ञापन के वर्तमान समय में साधन विज्ञापन एजेंसियां आ गई हैं जो न सिर्फ जमीन पर अपितु आकाश तक में हवाई जहाज और रॉकेट के माध्यम से पर्चे गिराने से लेकर गैस से आकाश की छती पर लिखने तक काम करती हैं।

अखबार आकाशवाणी, दूरदर्शन, विज्ञापन पर जीवित है। संसार का

सबसे पहला विज्ञापन मध्यप्रदेश में स्थित प्राचीन दशपुर (मंदसौर) के कुमार गुप्तकालिन मंदीर की शिलाओं पर अंकित करवाया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञापन करने के साधन समय के साथ परिवर्तित होते गए।

वर्तमान में विज्ञापन के लिए निम्न साधनों का प्रयोग किया जाता है। -

1. **प्रेस विज्ञापन** - इस में समाचार पत्र एवं पत्रिका के माध्यम से विज्ञापन किया जाता है।
2. **बाह्य विज्ञापन** - इसके अंतर्गत दिवारों, बोर्डों, पोस्टरों, साइन बोर्ड आदि के द्वारा विज्ञापन किया जाता है।
3. **डाक द्वारा विज्ञापन** - इसके अंतर्गत संभावित ग्राहकों के पास डाक से विज्ञापन साहित्य भेजा जाता है।
4. **क्रय बिन्दु विज्ञापन** - इसके अंतर्गत व्यापार ग्रह के विक्रय स्थल पर ग्राहकों को आकर्षित करने व माल को क्रय करने हेतु प्रेरित किया जाता है। ये सामान्य: फुटकर व्यापार ग्रह के द्वारा किए जाते हैं।
5. **रेडियो - आकाशवाणी देश** - विदेश के संवाद करने के लिए तथा मधुर संगीतमय कार्यक्रम के बीच उपयोगी वस्तुओं के विज्ञापन करने का सशक्त साधन है।
6. **दूरदर्शन** - टी.वी विज्ञापन की लोकप्रियता दिन पर बढ़ती जा रही है। टी.वी में दर्शक के समक्ष नाटक दंग से नाच गाने द्वारा विज्ञापन सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है। जिससे दर्शक के मन मस्तिष्क में विज्ञापन बैठ जाता है। अतः वर्तमान में सबसे सफल माध्यम टी.वी के द्वारा विज्ञापन प्रस्तुत करना है।
7. **सिनेमा** - सिनेमा से विज्ञापन को स्लाइड्स के द्वारा या विज्ञापन फिल्मों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
8. **अभिनव विज्ञापन** - विशिष्ट विज्ञापन में संभावित ग्राहकों को कोई वस्तु प्रदान की जाती है जिस पर विज्ञापन का संदेश अंकित होता है।
9. **सोशलमिडिया** - आज के दौर में सोशलमिडिया के द्वारा भी विज्ञापन किये जा रहे।

विज्ञापन की वर्तमान समय में प्रभावशीलता - विज्ञापन इस उद्देश्य से किया जाता है की नई व पुरानी वस्तुओं की बाजार में मांग में निरंतर वृद्धि होती रहे। इस हेतु यह जानना आवश्यक है कि विज्ञापन कितना प्रभावोत्पादक है तथा अपने उद्देश्यों के लिए ही विज्ञापन कि प्रभावशीलता का मुल्यांकन किया जाता है।

वर्तमान में प्रत्येक उत्पादक अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा विज्ञापन पर खर्च कर देता है इसलिए अनेक विद्वानों कि यह मान्यता है कि विज्ञापन पर व्यय किए गए धन का अधिकांश हिस्सा व्यर्थ हो जाता है। किन्तु आधुनिक

औद्योगिक व प्रतिस्पर्धात्मक युग में यह व्यय अनिवार्य बन गया है अर्थात् किसी निर्माता द्वारा अपने उत्पाद का विज्ञापन खर्चीला कार्यक्रम मानकर बंद कर देना या किया जाना लगभग असम्भव है। अतः विज्ञापन कि सार्थकता तभी सिद्ध होगी जबकि विज्ञापन उचित माध्यम से किया जाए। जिससे वह अधिक से अधिक लोगों तक वस्तु की जानकारी बता सके व अपनी छाप छोड़ सके। अब प्रश्न यह उठता है कि यह कैसे पता लगाया जाए तो विज्ञापन प्रभावी है? अतः अच्छे विज्ञापन माध्यम का पता लगाने व उसके प्रभाव को जानने के लिए विज्ञापन का मूल्यांकन अति आवश्यक है।

निष्कर्ष – आज का युग विज्ञापन का युग हो गया है या यह कहे कि आधुनिक युग विज्ञापन का युग है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी प्रारंभ काल में विज्ञापन को संदेश की दृष्टि से देखा जाता था। किन्तु आधुनिक काल में व्यवसायियों का दृष्टिकोण बदल चुका है, आज हर उत्पादक छोटी

से छोटी जैसे माचिस, आलपीन, स्याही आदि का भी विज्ञापन करता है। यदि यह कहा जाए की आधुनिक काल में विज्ञापन व्यवसाय का जीवन रक्त बन गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सुझाव – विज्ञापन के माध्यम से व्यवसाय का अपना उत्पाद बेचने में सहयोग हो रहा है किन्तु सही वस्तु का चयन करने में उपभोक्ता में असमंजस उत्पन्न हो रहा है यहां सही है की विज्ञापन के माध्यम से वस्तु की जानकारी उपभोक्ता तक पहुँच रही है पर क्या वह वस्तु सही मायनों में उतनी ही उपयोगी है जितना विज्ञापन में बताई जा रही है क्या समझ पर इसका सही प्रभाव हो रहा है वस्तु की पूर्ण जानकारी के पश्चात ही उसका विज्ञापन करना ही विज्ञापन प्रसारित करने वाले माध्यमों को इसका ध्यान रखते हुए ही विज्ञापन करने की आज्ञा देना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

वनों के अप्रत्यक्ष लाभों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण

अनीता चौधरी * डॉ. दिनेश श्रीवारतव **

शोध सारांश - भगवान बुद्ध ने कहा है - 'वन असीम दया और उपकार की वर्षा करने वाली विधाता की ऐसी अनोखी रचना है, जो स्वयं के पोषण के लिए किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखती, बल्कि अपने जीवन की अकर्मण्यता के प्रतिफलों को खुले हाथों से बिखेरती है।'

शब्द कुंजी - वनों के अप्रत्यक्ष लाभ, जनजागरूकता।

प्रस्तावना - भारत प्राकृतिक संसाधनों से ओत-प्रोत एक विकासशील राष्ट्र है। पर्यावरण और आर्थिक संवर्धन की दृष्टि से भारत में वनों की महत्ता अद्वितीय है। अरबकाल से ही वन लोगों की निष्ठा, प्रेरणा और आय का माध्यम रहे हैं। अनेक लोगों ने वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं, जैसे- ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी, फल-फूल, जड़ी-बूटी इत्यादि को अपने रोजगार का माध्यम बनाया है। वनों की महत्ता इस बात से ही स्पष्ट हो जाती है कि देश में वनों पर आधारित कई उद्योगों की स्थापना की जा चुकी है और वर्तमान में भी की जा रही है। इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का माध्यम वन ही हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली कई वस्तुएं, जैसे- शहद, गोंद, बीड़ी के पत्ते, लकड़ी आदि हमें वनों से ही प्राप्त होती है।

वनों की महत्ता का प्रथम दृष्टतया अवलोकन करने के पश्चात् निश्चित रूप से वनों से प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभों का विश्लेषण हमें वनों की उपलब्धता के प्रति गंभीर बना देता है। किन्तु यदि हम वनों से प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभों का मूल्यांकन करें, तो वनों के प्रति हमारी श्रद्धा निश्चित रूप से न केवल बढ़ जाती है अपितु हमें इस शाश्वत सत्य को भी स्वीकार करना होता है कि 'जब तक वन हैं तब तक ही जीवन है'।

उद्देश्य - वनों से प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभों का विश्लेषण कर जनमानस में पर्यावरण के प्रति जनचेतना जागृत करना ही इस शोधपत्र का उद्देश्य है। आज मनुष्य की मुख्य आवश्यकताएं केवल रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त हमारी बुनियादी आवश्यकताएं जैसे- वायु, जल, मिट्टी तथा वनस्पतियां हैं, जिनसे मिलकर एक संतुलित पर्यावरण का निर्माण होता है। संतुलित पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है। जब जीवन ही नहीं रहेगा, तब रोटी, कपड़ा और मकान की क्या आवश्यकता रहेगी? वनों से अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले प्रभाव, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाली वन उपजों से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। वायुमंडल में प्राणवायु की मात्रा को सुतुलित करना, स्थानीय जलवायु को संयत करना, भूक्षरण को रोकना, नदी-नालों के बहाव को नियमित करना, वर्षा में वृद्धि करना, बाढ़ कम करना, पर्यावरण संरक्षित करना आदि कार्यों में वनों का अत्यधिक योगदान है। आज यह विचारणीय प्रश्न है कि वन अधिक लाभकारी हैं अथवा वे गतिविधियां जिनके लिए वनों का विनाश किया जा रहा है।

वनों के अप्रत्यक्ष लाभों का विश्लेषण - वनों से प्राप्त होने वाले अप्रत्यक्ष लाभों का विश्लेषण निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है -

1. ऑक्सीजन का निर्माण तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण - हम जानते हैं कि ऑक्सीजन समस्त जीवधारियों की अनिवार्यता है। श्वसन क्रिया में मनुष्य तथा अन्य जीवधारी ऑक्सीजन ग्रहण करके बदले में विषाक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, जो वायुमंडल में मिल जाती है। यदि केवल यही प्रक्रिया रहती तो वायु मंडल में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा धीरे-धीरे कम होकर समाप्त हो जाती और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती। किन्तु हरे वृक्ष सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग कर स्वयं के भोजन का निर्माण करते हैं और प्राणदायिनी गैस बाहर छोड़ते हैं, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का संतुलन बना रहता है। सामान्यतः मनुष्य प्रतिदिन औसतन 22 हजार बार सांस लेता है और इस दौरान लगभग 16 किलोग्राम ऑक्सीजन ग्रहण करता है जबकि एक औसत आकार का वृक्ष प्रतिदिन लगभग 3.5 किलोग्राम ऑक्सीजन पैदा करता है।

2. वायु प्रदूषण नियंत्रण - उद्योगों, वाहनों तथा ताप विद्युत गृहों द्वारा निष्काशित विशैली गैसों जैसे- सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनाऑक्साइड, क्लोरीन, धातुओं के कण, सूक्ष्म जीवाणु इत्यादि को वृक्ष अपनी पत्तियों द्वारा सोखकर वायु प्रदूषण को कम करते हैं। यदि किसी औद्योगिक क्षेत्र के चारों ओर वृक्षों की 500 मीटर चौड़ी पट्टी लगा दी जाए, तो वह 70 प्रतिशत तक सल्फर डाइऑक्साइड और 65 प्रतिशत तक नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम कर सकती है। वृक्षों में धूल छानने की भी अद्भुत क्षमता है। धूल युक्त वायु जब वनों से गुजरती है, तब उसकी गति कम हो जाती है तथा धूल के कण वृक्षों की पत्तियों, तनों की शाखाओं इत्यादि पर जमा हो जाते हैं। वृक्षों की पत्तियां धूल को अपनी सतह पर लपेट लेती हैं और रात में ओस के कारण यह धूल घुलकर भूमि में मिल जाती है। इस प्रकार वृक्ष वायुमंडल की तनों धूल अपने ऊपर रोककर मनुष्यों की श्वास नलियों में जाने तथा आंखों में पड़ने की संभावना को कम करते हैं। प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है कि एक हेक्टेयर अच्छा सघन वन लगभग 60 टन धूल के कण रोक सकता है।

* शोधार्थी (वाणिज्य) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

** (वाणिज्य) शासकीय नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

3. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण - औद्योगिकीकरण, मशीनीकरण तथा नगरीकरण की गति में लगातार वृद्धि होने से शहरों में शोरगुल की मात्रा बढ़ जाती है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में वृक्ष तथा वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि वृक्षों को घनी पंक्ति में रोपित कर दिया जाये तो उनकी पत्तियां ध्वनि को सोखकर ध्वनि प्रदूषण को बहुत कम कर देती हैं। जिन वृक्षों की पत्तियां मोटी, गुदगुदी तथा लम्बे इंठल वाली होती हैं, वे ध्वनि प्रदूषण रोकने में अधिक प्रभावी होती हैं। शहरों में ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए सड़क किनारे वृक्षों तथा झाड़ियों की 7 मीटर चौड़ी पट्टी पर्याप्त होती है। वृक्ष एवं झाड़ियां हानिकारक गैसों के घोषण के साथ-साथ ध्वनि तीव्रता में भी 60 प्रतिशत तक की कमी कर सकती हैं।

4. जल प्रदूषण नियंत्रण - जल प्रदूषण नियंत्रण में भी वृक्षों का बहुत अधिक योगदान है। गंदे पानी में उपलब्ध अधिकतर हानिकारक रसायनों को वृक्ष अवशोषित करके उनके विषैले प्रभाव को कम करते हैं तथा शुद्ध जल को भू-गर्भ में जाने देते हैं, जो पुनः मनुष्य के उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाता है।

5. वातावरण अनुकूलन - वन अपने छत्र के नीचे तथा आसपास के वातावरण के तापक्रम, नमी तथा वायु प्रवाह को नियंत्रित करके जलवायु में समानता बनाए रखते हैं। वृक्षों की पत्तियां सूर्य की तेज गर्मी को सीधे पृथ्वी पर पड़ने से रोकती हैं, जिससे अत्यधिक गर्मी में भी वृक्षों के आसपास का तापमान अनुकूल बना रहता है। इसी प्रकार वृक्ष धूल भरी हवाओं और अत्यधिक गर्म हवाओं को अनुकूल बनाते हैं। वृक्षों की केवल 50 मीटर चौड़ी कतार वायुमंडल का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है।

6. वर्षा में सहायक - जिस क्षेत्र में पर्याप्त वन होते हैं, वहाँ समय पर पर्याप्त वर्षा होती है। पर्याप्त वर्षा अच्छी फसल का संकेत होती है, जिससे जनजीवन सुखी तथा सम्पन्न होता है। लेकिन जहाँ वन नष्ट हो गए हैं, वहाँ अपर्याप्त एवं अनियमित वर्षा होती है, जिसके फलस्वरूप कृषि फसल की हानि होती है एवं पीने के जल की भी कमी हो जाती है। वृक्ष भूजल अवशोषित कर अपनी पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा एक वृक्ष एक दिन में 400 लीटर तक जल वातावरण में वाष्प के रूप में फेंकने की शक्ति रखता है। अतः पर्याप्त मात्रा में पानी वाष्प के रूप में ऊपर जाकर बादल का रूप धारण कर लेता है। बाद में वन, बादल को आकर्षित कर वर्षा होने में मदद करते हैं, इसीलिए वनों को वर्षा का सहायक कहा जाता है।

7. भूमि की उर्वरता बनाए रखने में सहायक - एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 2500 करोड़ टन मिट्टी कट कर बह जाती है, जिससे पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बंजर और बेकार होता जा रहा है। साथ ही जैसे-जैसे पृथ्वी पर वन घटते जा रहे हैं, वैसे-वैसे भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम होती जा रही है। यदि भूमि पर वृक्षों की संख्या अधिक रहे तो वर्षा का जल मात्र 2

से 8 प्रतिशत ही बह पाता है तथा शेष जल को वृक्ष रोककर उसे भूमि में प्रविष्ट होने के लिए बाध्य कर देते हैं एवं नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ के प्रकोप को कम कर देते हैं, फलस्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति कम नहीं होने पाती।

8. भूमि संरक्षण - वन मिट्टी की रक्षा के लिए त्रिस्तरीय मोर्चा बनाते हैं। सबसे ऊपर वृक्षों की पत्तियां, शाखाएं आदि वर्षा की बूंदों को भूमि पर सीधे आघात करके मृदा-क्षरण करने से रोकती हैं। इसके नीचे धरती पर पड़ी पत्तियां, टहनियां आदि वर्षा के जल को सोखकर उसे बहने से रोकती हैं, ताकि वह मृदा-क्षरण की गति प्राप्त न कर सके। सबसे नीचे भूमि में वृक्षों की जड़ें मृदा को बांधकर मृदा-क्षरण की संभावना को बिल्कुल कम कर देती हैं। इसी प्रकार सूखे क्षेत्रों में भी वृक्ष वायु के वेग को कम करके मृदा-क्षरण को नहीं होने देते। इसके विपरीत जहाँ वन नहीं हैं, वहाँ मृदा-क्षरण तीव्र गति से होता है।

9. बाढ़ नियंत्रण - वनों से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। मृदा-क्षरण कम होने से नदियों एवं बांधों में मिट्टी का भारव नहीं होता है और बाढ़ की संभावना कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त वन-वृक्ष वर्षा के जल को स्पंज की भांति सोख लेते हैं, जिससे बाढ़ का भय कम रहता है।

10. रेगिस्तान के फैलाव पर नियंत्रण - रेगिस्तान की यह विशेषता होती है कि वह अपने फैलाव को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि रेत के कारण वहाँ का तापमान अधिक होता है। जब वहाँ से गर्म हवाएं चलती हैं, तब हवाओं के साथ रेत के कण उड़ते हैं, अतः रेगिस्तान बढ़ता जाता है। रेगिस्तान के फैलाव को वनों द्वारा ही रोका जा सकता है।

निष्कर्ष - वनों के उपर्युक्त अप्रत्यक्ष लाभों का मुद्दा में मूल्यांकन करना एक अत्यंत ही कठिन कार्य है। उपर्युक्त विश्लेषण सिद्ध करता है कि वन, जीवन की निर्भरा शक्ति है, जिसे शब्दों में बांधकर कहा जा सकता है कि 'वन ही जीवन है'। वन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से न केवल मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपितु मानव जाति को एक साथ अनेक आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक लाभ प्रदान करते हैं। मानव जाति को अनंत जीवंत विस्तार देने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उपलब्ध वनों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए। यदि आज हमने वनों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किए, तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी क्षमा नहीं करेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शीलभद्र, वन विधि संग्रह, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
2. शीलभद्र, वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
3. पर्यावरण चेतना, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।
4. वार्षिक प्रतिवेदन, वन विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।

भारत में पर्यटन विकास का वाणिज्यिक अध्ययन

डॉ. राकेश प्रसाद दुबे *

प्रस्तावना - पर्यटन वर्तमान में सबसे बड़ा तथा तीव्रता से विकसित होने वाला उद्योग है। पर्यटन उद्योग कई सहायक उद्योगों पर निर्भर करता है। पर्यटन के शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पक्षों के अतिरिक्त आर्थिक पक्ष भी है। पर्यटन का आर्थिक पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। पर्यटन उद्योग एक विशाल व्यवसाय और उद्योग का रूप ले चुका है, जिनमें लाखों लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रोजगार मिल रहा है। सड़कें, हवाई अड्डे, सुविधाजनक रेलगाड़ियाँ, आरामदेह होटल, गेस्ट हाउस बड़े-बड़े मॉल जैसी सुविधाएँ पर्यटन का अनिवार्य अंग बन चुकी है। यह देश की अर्थ व्यवस्था का अभिन्न अंग और विदेशी मुद्रा के अर्जन का प्रमुख साधन बन चुका है।

पर्यटन विकास के साथ मानव संसाधन विकास में 'अतिथि देवो भवः' तथा 'वासुधैव कुटुम्बकम्' जैसे अदभुत आदर्श की भूमिका रही है। गोस्वामी तुलसी दास जी ने लिखा है - तीथटिन साधन समुदायी, विद्या विनय विवेक बढाई।

जहँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी॥

तीर्थ यात्रा करने के बाद मन में पवित्रता, संयम, नियम, दया प्रेम आदि गुणों का विकास होने लगता है।

पर्यटन उद्योग विश्व में कम्प्यूटर के बाद सबसे बड़ा उद्योग तथा विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग है। भारत में हीरा जवाहरात व तैयार कपड़ों के बाद औद्योगिक रूप से पर्यटन उद्योग का स्थान आता है। कुल विश्व निर्यात में पर्यटन का हिस्सा 13 प्रतिशत है। वैश्विक रोजगार में पर्यटन का हिस्सा 3.2 प्रतिशत है। वर्ष 2005 में प्रकाशित वर्ल्ड ट्रवल एण्ड टूरिज्म काउंसिल के आकलन में भारत को विश्व का दूसरा तेज गति से बढ़ने वाली पर्यटन अर्थव्यवस्था वाला देश बताया गया है। वर्ष 2002-03 के दौरान 95.85 मिलियन रुपये की आय पर्यटन से हुई, जबकि वर्ष 2001-02 में 76.63 अरब रुपये विदेशी मुद्रा पर्यटन से प्राप्त हुई। वर्ष 2005 के पहले 9 माह में 40 लाख से अधिक विदेशी पर्यटन भारत में आ चुके थे। ये आकड़े गत वर्ष की तुलना में 15.02 प्रतिशत की वृद्धि के साथ और विदेशी मुद्रा में 20.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

पर्यटन के महत्व को देखते हुये स्वतंत्रता के उपरांत सरकार ने 1952 में पर्यटन हेतु प्रथम समुद्र पार कार्यालय न्यूयार्क में खोला। सन् 1957 में फ्रेंक फर्ट में दूसरा पर्यटन कार्यालय खोला गया। टूरिज्म ट्रेफिक ब्रांच के स्थान पर परिवहन एवं संचार मंत्रालय के अधीन पर्यटन विभाग की स्थापना की गई।

भारत में पर्यटन का वर्तमान परिदृश्य - सन् 1961 में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या 139804 थी, जो भारत चीन युद्ध के कारण 1962 में कम होकर 134036 रह गई। सन् 1965 में झा समिति की सिफारिशों को

क्रियान्वित करने के लिए एक उच्च अधिकार समन्वय समिति की स्थापना की गई। जिससे तीन निगमों की स्थापना का प्रावधान किया गया।

1. इंडिया टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2. होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. इंडिया टूरिज्म ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग लिमिटेड

इन निगमों में सामंजस्य की कमी को दूर करने के लिए एक नये निगम भारतीय पर्यटन विकास की स्थापना की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी ने पर्यटन की वृद्धि एवं विकास के लिए एक पृथक मंत्रालय पर्यटन और नागरिक उड्ययन मंत्रालय की स्थापना 13 मार्च 1967 को की।

भारत में पर्यटन की वर्तमान स्थिति - भारत की विदेशी मुद्रा आय में पर्यटन का एक महत्वपूर्ण अंशदान है, जो वर्ष 2004 में 6.17 मिलियन अमरीकी डालर (27944 करोड़) से बढ़कर वर्ष 2007 में अनुमानित 11.96 मिलियन अमरीकी डालर (49413 करोड़) हो गई। पर्यटन से विश्व आय में भारत का हिस्सा वर्ष 2004 में 0.98 प्रतिशत से बढ़कर 2006 में 1.21 प्रतिशत दर्ज किया गया स्वदेशी में चमत्कारिक वृद्धि हुई है। भारत में स्वदेशी पर्यटकों की संख्या वर्ष 2004 में 366.23 मिलियन से बढ़कर 2006 में 462 मिलियन हो गई है।

पिछले लगभग तीन दशकों से पर्यटन के आर्थिक विकास मूलक महत्त्व और राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ करने में योगदान को पहचानते हुए सरकार विकास पर खास ध्यान दे रही है। पंचवर्षीय योजनाओं और केंद्र तथा राज्यों के वार्षिक बजट प्रावधानों में पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन प्रयासों में पर्यटकों के रहने, ठहरने, घूमने-फिरने और खाने-पीने की सुविधाएं बेहतर बनाने के साथ-साथ पर्यटन केंद्रों और पर्यटकों को आकर्षित करने वाली इमारतों, दुर्गों, स्मारकों, नदियों, समुद्र तटों आदि की सुंदरता व भव्यता बढ़ाने के उपाय भी शामिल हैं। इसके फलस्वरूप भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों और देश के अंदर भ्रमण करने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

भारत के मुख्य पर्यटन स्थल - भारत के मुख्य पर्यटन आकर्षण केंद्र गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश और उड़ीसा है। काश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है आतंकवाद की चपेट में है। पूर्वोत्तर भारत के भविष्य पर्यटन स्थल है। कन्याकुमारी का सूर्योदय तथा सूर्यास्त, दार्जिलिंग की स्वर्णिम कंचनजंगा चोटी, असम का कांजीरंगा अभयारण्य, बिहार में बौद्ध परिपथ, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, डल एवं वूलर झीलें, गोवा का सतरंगी समुद्रतटीय भू-दृश्य विश्व पर्यटकों के मुख्य आकर्षण केंद्र है।

अधिकांश पर्यटक स्थलों का विकास कार्य पिछड़ा है। संकटपन्न विरासत को तजोवत न देकर उनका काया कल्प कर जीवन संचार करना पर्यटन उद्योग के लिए आवश्यक है। साहसियों को इस उद्योग में लाभार्जन के पर्याप्त अवसर हैं। इससे हमारी अनोखी संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन होता है। पर्यटन से प्राप्त राजस्व विदेशी मुद्रा का अर्थव्यवस्था के विभिन्न पक्षों पर गुणक की तरफ प्रभाव पड़ता है। पर्यटन उद्योग को अन्य उद्योग की तरह विकसित करने पर रोजगार के अवसर, राजस्व एवं आर्थिक विकास पर स्फूर्ति जनक प्रभाव दृष्टिगोचर हो सकते हैं।

पर्यटन विकास की रणनीति ही अपने आप में आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए एक कार्यसूची है। संस्कृति, प्रथाओं, विरासत, प्रकृति, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक के मूल्यों में वृद्धि द्वारा पर्यटन इनका परिक्षण और संरक्षण करता है जो कि समुचित विकास के लिये अपेक्षित है। सरकार प्राइवेट इन्टरप्राइजेज के आगे लाने और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने के लिए उन्हें उत्प्रेरित करने जैसी पहलों के द्वारा उपसंरचना और कौशल विकास के लिये प्रावधान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

धार्मिक पर्यटन में भारत की विश्व में अद्वितीय पहचान है। भारत विश्व का तीर्थ स्थान है। भारत में सर्वाधिक पर्यटन होता है। लगभग 8 करोड़ घरेलू पर्यटक प्रतिवर्ष धार्मिक स्थलों में जाते हैं। जिसमें 10531 करोड़ रुपये की धार्मिक पर्यटन से आय होती है। ये आंकड़े डोमेस्टिक टूरिज्म स्टडी (डी.टी.एस. 2002) पर आधारित हैं।

ग्रामीण पर्यटन का उद्देश्य देश के गावों की संस्कृति, कला, कौशल के विपुल भण्डार को पर्यटन के लिए प्रयोग करना है। गावों में सदियों पुराने हस्तशिल्प, लूपकलाओं और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के उपाय किये जा रहे हैं। पर्यावरण पर्यटन के अंतर्गत स्थिर जल के क्षेत्र, वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पर्वतों की तलहटियों, नौकायान, प्राकृतिक छटाओं का आनन्द आदि समाहित है।

पर्यटन के इन नये आयामों के विकास के फलस्वरूप भारत के स्वरूप में आ रहे बदलाव से विश्व में पर्यटन में भारत की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय

बढ़ती होगी। तथा इस उद्योग के माध्यम से रोजगार के और अधिक अवसर बढेंगे।

पर्यटन विकास में मुख्य बाधाएँ और निदान -

- रेलगाड़ियों, वायुयानों आदि का समय से न चलना।
- प्रशिक्षित गाइड एवं टूर ऑपरेटर्स का न होना।
- प्रचार-प्रसार विज्ञापन आदि का अभाव।
- महंगे होटल।
- उचित परिवहन सुविधाओं का अभाव।
- आतंकवाद का न रुक पाना।
- आवासीय सुविधाओं की कमी।
- होटल मालिकों द्वारा ठगी।
- करों की दर अधिक होना।
- कानून व्यवस्था की खस्ता हालत।

निदान -

- कानून और शांति व्यवस्था
- आधारभूत सुविधाओं का विकास
- यात्रा परिपथ गंतव्य स्थानों आदि का विवरण
- टैक्सी एवं आर्टो चालकों की सुविधा
- अतिथि देवो भव की मानता का आचरण
- सस्ती एवं उच्च स्तरीय आवासीय व खान-पान सेवायें

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पृथ्वी में जीवन - डॉ. हेमलता ।
2. पर्यटन प्रबंध - अनुपम पाण्डेय ।
3. पर्यावरणीय शिक्षा ।
4. नव-भारत टाइम्स ।
5. पर्यावरण संरक्षण - श्यामाचरण ।
6. शोध प्रबंध ।

मध्यप्रदेश सरकार की स्वागतम् लक्ष्मी योजना का मूल्यांकन एवं विश्लेषण

सोनाली गंगराडे * डॉ. एस. सी. हर्षे **

शोध सारांश - समाज के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, उनके सम्मान एवं गरिमा की रक्षा करना तथा समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मध्यप्रदेश सरकार की स्वागतम् लक्ष्मी योजना इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। महिला सशक्तिकरण की इस योजना का जनमानस में प्रचार करना तथा समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच का वातावरण निर्मित करना ही इस शोधपत्र का उद्देश्य है।

शब्द कुंजी - सामाजिक कुरीतियां, महिला सशक्तिकरण, योजना, विकास।

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी 2014 को भोपाल में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के विकास में महिलाओं की समान भागीदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करते हुए महिलाओं की गरिमा एवं सम्मान को स्थापित करना तथा समाज में उनके प्रति हो रहे असंवेदनशील व्यवहारों में परिवर्तन लाना इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

योजना के उद्देश्य - इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं -

1. समाज द्वारा बालिकाओं को जन्म से पूर्व से लेकर जन्म के पश्चात तक समान रूप से स्वीकार करना।
2. समाज में बालिकाओं तथा महिलाओं से सम्बंधित भ्रान्तियों एवं कुप्रथाओं को समाप्त करना।
3. प्रत्येक समुदाय एवं वर्ग के लोगों की सोच में परिवर्तन लाते हुए महिलाओं की गरिमा और सम्मान को बनाए रखना।
4. समाज में बालिकाओं तथा महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना।
5. महिलाओं के प्रति सम्मानजनक एवं समानता के व्यवहार हेतु सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना।

योजना का लक्ष्य समूह - योजना के लक्ष्य समूह में निम्न शामिल हैं -

1. माता के गर्भ में पल रहा शिशु एवं नवजात बालिकाएं।
2. विद्यालय अथवा महाविद्यालय जाने वाली प्रत्येक बालिका।
3. विद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र।
4. घरेलू कामकाजी एवं श्रमिक महिलाएं।
5. विभिन्न शासकीय/अशासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में कार्यरत महिलाएं।
6. पुरुष समुदाय एवं महिला समुदाय।
7. ग्राम पंचायत, नगर पंचायत एवं स्थानीय प्रशासन के समस्त

जनप्रतिनिधि।

8. विभिन्न समुदाय, समितियां एवं दल।

योजना की रणनीति - योजना का क्रियान्वयन करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बनाई गई रणनीति के निम्न प्रमुख बिन्दु हैं -

1. पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994, जो भारतीय संसद द्वारा भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिये एक संघीय कानून के रूप में पारित किया गया है, के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये जिले के चिकित्सकों, न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, स्वयं सेवी संगठनों एवं धर्मगुरुओं की सहभागिता सुनिश्चित करना।
2. चिकित्सालयों में बालिका के जन्म पर चिकित्सक दल द्वारा जच्चा-बच्चा का स्वागत करना।
3. घर में बालिका के जन्म पर ग्राम पंचायत सदस्यों अथवा वार्ड के सदस्यों द्वारा जच्चा-बच्चा का स्वागत करना।
4. बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति होने वाले असामान्य व्यवहार एवं हिंसा का विरोध करने के लिए महिलाओं एवं पुरुषों को संगठन के रूप में जोड़ना।
5. समाज के सभी वर्गों में बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का निर्माण करना एवं दृश्य, श्रव्य व मुद्रण सामग्री की सहायता से उनका प्रचार-प्रसार करना।

योजना का क्रियान्वयन - स्वागतम् लक्ष्मी योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिनके माध्यम से लक्षित समूहों तक पहुँचा जा सकता है। प्रदेश में स्वागतम् लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2017-18 में महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 10 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वागतम् लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन के मुख्य बिन्दु म्निानुसार हैं -

1. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से परिचर्चा, विज्ञापन, फिल्म आदि

* अतिथि विद्वान (वाणिज्य) स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय, हरदा (म.प्र.) भारत

** विभागाध्यक्ष (वाणिज्य) शासकीय नर्मदा महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

का प्रचार-प्रसार।

2. समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं में योजना की गतिविधियों का प्रकाशन।
3. सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर, ब्रोशर आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार।
4. प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों पर माह के तृतीय मंगलवार को बालिका जन्मोत्सव का आयोजन।
5. योजनांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं का सम्मान।

योजना के अपेक्षित परिणाम - योजना के समग्र क्रियान्वयन से महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच का वातावरण तैयार होगा, जिससे समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की गरिमा व सम्मान की स्थापना होगी एवं उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त हो सकेगा।

सुझाव एवं निष्कर्ष - स्वागतम लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति हो रहे असामान्य व्यवहारों को परिवर्तित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यापक स्तर पर विभिन्न समुदायों एवं व्यक्ति समूहों के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रमों

का संचालन किए जाने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए विभिन्न समुदायों के व्यवहार एवं उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना का अध्ययन किया जाना एक बड़ी चुनौती है। इस सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना के अध्ययन के पश्चात् समुदाय विशेष हेतु कार्यक्रमों का निर्माण भी एक कठिनाई भरा कार्य हो सकता है, क्योंकि इसमें सामाजिक समूहों की प्रतिक्रियाएं गतिरोधपूर्ण हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त योजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शासन के विभिन्न विभागों में सहयोग एवं समन्वय भी एक चुनौती भरा कार्य है। चूंकि यह योजना सामाजिक व्यवहार परिवर्तन से सम्बंधित है, अतः इस योजना के परिणाम एक लम्बे समय के पश्चात् ही दृष्टिगोचर हो सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण, 2017-18, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय।
2. मध्यप्रदेश की महिला नीति 2015, महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र.शासन।
3. वार्षिक प्रतिवेदन, 2017-18, महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र.शासन।

Rural Marketing In India - Prospects And Challenges

Dr. Archana Singhal*

Abstract - "The Future of India lies in its villages" – Mahatma Gandhi

There was a time when the whole world thought that the rural India was a land of snakes and holy men with magical powers. Rural India was thought of as poor, victimized burden dragging down the rising urban India. A part of India that was neglected, abandoned and sometimes mistreated. Maybe it's time to re-acquaint ourselves with the true identity of the rural side of our country. India a country rich in its heritage has the maximum potential to develop as an epicentre of commerce and trade. Indian economy is a blend of rural and urban economy, wherein 68.84% of population residing in 638000 villages clasp the maximum attention of all the marketers. 'Go rural' is the marketer's new slogan. Indian marketers as well as multinationals, such as Colgate-Palmolive, Godrej and Hindustan Lever have focused on rural markets. Entrepreneurship in rural areas is finding a unique combination of resources, from agriculture. Unfortunately the economic growth of the country continue to be limited by the general constraints of the small business sector, due to challenges of skills like managerial skills, lack of global competition and the weak entrepreneurial performance. Rural Marketing is now a days a play a role major opportunity for the people who migrate from rural areas or semi - urban areas to Urban areas. This paper deals with the opportunities and challenges associated with this lucrative sector of Indian economy.

Introduction - Rural markets are gaining importance in emerging economies. A large number of businesses are involved in the marketing of various products in the rural areas of India and elsewhere. The rural market of India started showing its potential growth in 1960's ,the 70's and 80's witnessed its steady development and current picture reveals that rural economy of India is flourishing. Marketing in the rural areas has become the key strategy of marketers, which in turn is collectively known as rural marketing. In India it has its existence from so long, rural marketing has been sailing into the river of many phases and now is an ocean to be explored.

Before (1960) rural marketing was considered similar to agricultural marketing managed by banyas and mahajans. During 1960 -1990 prosperity of rural market attain attention of manufacturers. After (1990) Indian economy opened up and allowed foreign companies to enter rural market which accelerated the flow of consumables goods in rural sector, since then Indian rural economy had gained its strength and maturity. Rural marketing is now a two-way marketing process. There is inflow of products into rural markets for production or consumption and there is also outflow of products to urban areas. The urban to rural flow consists of agricultural inputs, fast-moving consumer goods (FMCG) such as soaps, detergents, cosmetics, textiles, and so on. The rural to urban flow consists of agricultural produce such as rice, wheat, sugar, and cotton.

There is also a movement of rural products within rural areas for consumption.

Objectives of Study - The study also concentrates on the problems faced by rural markets and finally offering suggestions to overcome the problems and tapping the potentiality of the rural markets at maximum level. The present study mainly attempts to examine the following issues -

- To study the rural market of India.
- To identify the opportunities available.
- To evaluate the major challenges.
- To gain an understanding of rural Marketing.

Scope - The study is undertaken to assess the challenges & opportunities for Rural Marketing role of institution in developing the rural Marketing and contributing towards to the economic development of India.

Research Methodology - Type of Research of study is exploratory & descriptive in nature. The data is collected from Questionnaire & Secondary Data is collected from the books, publication, Records of the companies, Websites.

Need for the Study - Most of us having being learnt paradigms to urban markets with reasonable success, and urban markets are becoming competitive, perhaps saturated. Thus, Indian rural market has caught the attention of many corporations and marketers. The tempo of development is accelerating in rural India coupled with increase in purchasing power, increasing literacy level,

social mobility, and improved means of communication. These factors contribute to change the pattern of rural demands. Earlier, the general impression was that the rural markets have potential for agricultural inputs. There is a growing market for consumer goods.

Opportunities of Rural Marketing -

- The Government of India has planned various initiatives to provide and improve the infrastructure in rural areas which can have a multiplier effect in increasing movements of goods, services and thereby improve earnings potential of rural areas subsequently improving consumption.
- E-commerce players like Flipkart, Snapdeal, Infibeam and mobile wallet major Paytm have signed Memoranda of Understanding (MoUs) with the government to reach rural areas by connecting with the government's common service centres (CSCs) being setup in villages as part of the „Digital India initiative.
- With the increasing demand for skilled labour, the Indian government plans to train 500 million people by 2022, and is looking out for corporate players and entrepreneurs to help in this venture. Corporate, government, and educational organisations are joining in the effort to train, educate and produce skilled workers.
- The Union Cabinet has cleared the Pradhan Mantri Krishi Sinchae Yojana (PMKSY), with a proposed outlay of Rs 50,000 crore (US\$ 7.5 billion) spread over a period of five years starting from 2015-16.
- The scheme aims to provide irrigation to every village in India by converging various ongoing irrigation schemes into a single focused irrigation programme. The Government of India aims to spend Rs 75,600 crore (US\$ 11.34 billion) to supply electricity through separate feeders for agricultural and domestic consumption in rural areas. This initiative is aimed at improving the efficiency of electricity distribution and thereby providing uninterrupted power supply to rural regions of India.
- To promote agriculture-based businesses, the Government of India has started „A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship (ASPIRE). Under this scheme, a network of technology centres and incubation centres would be set up to accelerate entrepreneurship and to promote start-ups for innovation and entrepreneurship in agro-industry.
- The Government of India seeks to promote innovation and technology development in the remote rural and tribal areas. The government plans to form a committee to study various innovations and submit their reports to the concerned Department or Ministry. The programme called the „Nav Kalpana Kosh aims to improve rural areas at various levels, such as governance, agriculture and hygiene.

- Banks are working to set up rural ATMs, which will dispense smaller denomination currency notes. “We have encouraged banks to find a solution for bringing in rural ATMs.
- The rural market has been growing gradually over the past few years and is now even bigger than the urban market. The saving to income percentage in rural area is 30% higher than urban area. At present 53% of all FMCGs and 59% of consumers durables are being sold in rural area. Major opportunities available in rural market are as follow.

Challenges - Although the rural market does offer a vast untapped potential, it should also be recognized that it is not that easy to operate in rural market because of several problems. The major issues faced by companies are as follows -

Low Literacy - It is difficult to educate the potential consumers in rural market about products due to low level of literacy.

Seasonal Demand - Monsoon being the harvesting season in India and agriculture being the primary occupation of majority of the rural population the demand for goods is majorly restricted in during the monsoons when the income is comparatively high

Availability of duplicate and cheap brands - Customers in rural India are very cost sensitive. Therefore the existence of duplicate brands, which are quite common in rural parts, at lesser prices gives considerable competition to the firms.

Transportation - Transportation is an important aspect in the process of movement of products from urban production centers to remote villages. The transportation infrastructure is extremely poor in rural India. Due to this reason, most of the villages are not accessible to the marketing man.

Communication - Marketing communication in rural markets suffers from a variety of constraints. The literacy rate among the rural consumers is very low. Print media, therefore, have limited scope in the rural context.

Branding - The brand is the surest means of conveying quality to rural consumers. Day by day, though national brands are getting popular, local brands are also playing a significant role in rural areas. This may be due to illiteracy, ignorance and low purchasing power of rural consumers.

Packaging - As far as packaging is concerned, as a general rule, smaller packages are more popular in the rural areas. At present, all essential products are not available in villages in smaller packaging. The lower income group consumers are not able to purchase large and medium size packaged goods.

Financial Problem - Lack of availability of finance to rural entrepreneurs is one of the biggest problems which they are bearing. Major difficulties faced by entrepreneurs includes low level of purchasing power of rural consumer, lack of finance to start business, reduced profits due to competition, pricing of goods and services, maintenance of financial statements, stringent tax laws, lack of guarantees, dependence on small money lenders for

loans for which they charge discriminating interest rates and huge rent and property cost.

Procurement of Raw Materials - Procurement of raw materials is really a tough task for rural entrepreneur. They may end up with poor quality raw materials, may also face the problem of storage and warehousing.


Lack of Technical Knowledge - Rural entrepreneurs suffer a severe problem of lack of technical knowledge. Lack of training facilities and extension services create a hurdle for the development of rural entrepreneurship.

Conclusion - Indian Rural Market play a pivotal role as it provides great opportunities to the corporations to stretch their reach to nearly seventy percent of population. Rural market also benefits the rural economy by providing infrastructure facilities, uplifting the standard, and quality of life of the people resides in rural area. Though the rural market has become a favourite destination for every marketers but it's important to realize that it has lot of challenges and risk, therefore corporations should assess the obstructions as vigilantly as possible. A thorough understanding of rural markets and systematic move towards are necessary to penetrate rural market. In order to develop marketing strategies and action plans, the corporations need to taken into account the complex factors that influence the rural consumers buying behaviour. Gandhiji believed that India's future lay in her villages and those among us who can bring innovative marketing to rural

markets are the ones to take away the "fortune at the bottom of the pyramid".

References :-

1. Babu, S. Dhineshet al (2008), Emerging Trends in Rural Marketing,
 - a. www.bmsgroup.blog.co.in/files/2008/07/final-pro.doc.
2. Del Castello, Ricardo, Maul Braun (2006), Framework for Effective Rural Communication for Development.
3. Goswami, Rahul (2009), Making Sense of the Rural Rush",Kashay, P., & Raut, S. (2008). Rural Marketing Book. Biztantra.
4. Kavitha, T. C. (2012). A Comparative Study of Growth, Challenges and Opportunities in FMCG of Rural Market. *Inter science Management Review*, 2(3).
5. Kotlar, P. (2010). Marketing for Non-Profit organization. Prentice Hall of India, New Delhi Management.
6. G.R.Basotia, K.K.Sharma, "handbook of entrepreneurship Development",
7. <http://www.preservearticles.com/201101143354/need-for-rural-entrepreneurship.html>.
8. <http://www.yourarticlelibrary.com/essay/rural-marketing-in-india-definition-and-features-of-rural-marketing/32335/>.
9. <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijms/article/view/23573/16443>.
10. <http://shodhganga.inflibnet.ac.in/simple-search?query=rural+marketing>.



ग्रामीण विकास में सामाहिक हाट बाजार के योगदान का अध्ययन (म.प्र. के खरगोन, बड़वानी जिलों के संदर्भ में)

डॉ. कुशल जैन कोठारी * मंजुला चौहान **

प्रस्तावना - भारत गाँवों का देश है, यहाँ की कुल जनसंख्या का 68.8 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण विकास से ही देश का विकास सम्भव है। गाँवों का विकास अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके किया जा सकता है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सामाहिक बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाहिक बाजार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता का हिस्सा है। आर्थिक क्रियाओं के केन्द्र के रूप में सामाहिक बाजार का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि दूर-दराज के छोटे-छोटे गाँवों में बसे ग्रामीण लोग बाजार स्थल पर आकर अपने उत्पादन का विक्रय करते हैं और दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का क्रय कर ले जाते हैं। इस प्रकार ग्रामीण आर्थिक विकास करने में सामाहिक बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से भी सामाहिक बाजार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण नागरिकों द्वारा इस बाजार में अपने विचारों, सांस्कृतिक कार्यों, रीति-रिवाजों, परम्पराओं, समस्याओं आदि का आदान-प्रदान किया जाता है।

शोध अध्ययन की प्रासंगिकता एवं महत्व - भारत जैसे विकासशील देश में सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण विकास अति आवश्यक है। ग्रामीण विकास के लिए सामाहिक बाजार महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ये बाजार व्यापार के प्रमुख केन्द्र होते हैं। अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन में वह जानने का प्रयास किया जाएगा कि गाँवों के आर्थिक विकास में सामाहिक बाजार का क्या योगदान है जाना जायेगा।

शोध अध्ययन के उद्देश्य - ग्रामीण आर्थिक विकास में सामाहिक बाजार के योगदान का अध्ययन

शोध अध्ययन की उपकल्पना -

1. नल परिकल्पना (H1)- 'सामाहिक बाजार में 5 वर्ष पूर्व व पत्तत् में कृषिगत नाशवान व टिकाऊ वस्तुओं के विक्रय में कोई अंतर नहीं है।'

2. नल परिकल्पना (H0)- 'सामाहिक बाजार से 5 वर्ष पूर्व की तुलना में 5 वर्ष पत्तत् ग्रामीण विक्रेताओं की सामाहिक मौद्रिक आय नहीं बढ़ी है।'

शोध अध्ययन की विधि - प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए उद्देश्यपूर्ण निदर्शन प्रणाली का चयन किया गया जिसमें मध्यप्रदेश के खरगोन, बड़वानी जिलों की 17 तहसीलों में से 4 तहसील का चयन किया गया। प्रत्येक तहसील से 2-2 सामाहिक बाजार का चयन किया गया कुल 08 बाजार का अध्ययन किया गया। प्रत्येक सामाहिक बाजार से 25-25 ग्रामीण क्रेता, विक्रेता का चयन किया गया। 200 ग्रामीण क्रेता व 200 ग्रामीण विक्रेता को लिया गया। प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक समकों का प्रयोग किया गया।

सामाहिक हाट बाजार का ग्रामीण आर्थिक विकास में योगदान- कृषि में नाशवान (अल्पकालीन) उत्पाद का विक्रय करने की स्थिति: सामान्य रूप से हाट बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं में अल्पकालीन (नाशवान) व टिकाऊ दोनों ही प्रकार की होती हैं। अल्पकालीन (नाशवान) वस्तुएं वह होती हैं, जो दैनिक आवश्यकता को पूरा करती हैं, जिसमें सब्जी, फल, मसाले आते हैं। टिकाऊ वस्तुओं में अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, घरेलु उपयोग की वस्तुएं इत्यादि शामिल हैं। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 6.4.1.2 में स्पष्ट है-

नल परिकल्पना (H1) - 'सामाहिक बाजार में 5 वर्ष पूर्व व पत्तत् में कृषिगत नाशवान व टिकाऊ वस्तुओं के विक्रय में कोई अंतर नहीं है।'

तालिका क्र. - 1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

हाट बाजार में नाशवान उत्पाद का विक्रय 5 वर्ष पूर्व तथा 5 वर्ष पत्तत् की तुलना की गई है जिससे स्पष्ट है कि 5 वर्ष पूर्व 33 प्रतिशत विक्रेता के अनुसार नाशवान उत्पाद का विक्रय करते थे तथा 67 प्रतिशत विक्रेता के अनुसार टिकाऊ उत्पाद का विक्रय करते थे। जबकि 5 वर्ष पश्चात् 75 प्रतिशत विक्रेता के अनुसार नाशवान उत्पाद का विक्रय करते हैं तथा 25 प्रतिशत क्रेता के अनुसार टिकाऊ उत्पाद का विक्रय करते हैं।

इस संबंध में तय परिकल्पना 'सामाहिक बाजार में 5 वर्ष पूर्व व पत्तत् में कृषिगत नाशवान व टिकाऊ वस्तुओं के विक्रय में कोई अंतर नहीं है। इस परिकल्पना के परीक्षण हेतु काई वर्ग परीक्षण (X^2) का उपयोग किया गया। जिसमें .05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर X^2 का परिकल्पित मान 10.398 आया है एवं X^2 का तालिका मान 3.841 है, अर्थात् तालिका मान से परिकल्पित मान अधिक होने से नल परिकल्पना (H_0) अस्वीकार की जाती है, अर्थात् 5 वर्ष पश्चात् सामाहिक बाजार में अल्पकालीन वस्तुओं का विक्रय बढ़ा है तथा टिकाऊ वस्तुओं का विक्रय कम हुआ है।

निष्कर्ष रूप में हाट बाजार में कृषि में नाशवान उत्पाद का विक्रय 5 वर्ष पूर्व की तुलना में 5 वर्ष पत्तत् बढ़ गया है। 5 वर्ष पूर्व हाट बाजार में टिकाऊ वस्तुएं अर्थात् अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, घरेलु उपयोग की वस्तुएं हाट बाजार में विक्रय होती थी परंतु 5 वर्ष पश्चात् टिकाऊ वस्तुओं को मण्डी में विक्रय किया जाता है तथा अल्पकालीन (नाशवान) वस्तुओं का हाट बाजार में विक्रय बढ़ गया है और टिकाऊ वस्तुओं का विक्रय कम हो गया है। इस प्रकार कृषि में नाशवान उत्पाद का विक्रय बढ़ने से ग्रामीण विक्रेताओं की आमदनी बढ़ेगी, जिससे उनका जीवनस्तर में सुधार आयेगा।

तालिका क्र.-2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि हाट बाजार से नाशवान उत्पाद का क्रय 5 वर्ष

* शोध निर्देशक, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (अर्थशास्त्र) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

पूर्व तथा 5 वर्ष पत्त की तुलना की गई हैं, जिससे स्पष्ट है कि 5 वर्ष पूर्व 27.5 प्रतिशत क्रेता के अनुसार हाट बाजार से नाशवान उत्पाद का क्रय करते थे तथा 56 प्रतिशत क्रेता के अनुसार हाट बाजार में नाशवान व टिकाऊ उत्पाद का क्रय करते थे, 16 प्रतिशत क्रेता के अनुसार हाट बाजार में टिकाऊ उत्पाद का क्रय करते थे। जबकि 5 वर्ष पश्चात् 64 प्रतिशत क्रेता के अनुसार हाट बाजार से नाशवान उत्पाद का क्रय करते हैं, 23 प्रतिशत क्रेता के अनुसार हाट बाजार में नाशवान व टिकाऊ उत्पाद का क्रय करते हैं, 13 प्रतिशत क्रेता के अनुसार हाट बाजार में टिकाऊ उत्पाद का क्रय करते हैं। इस संबंध में तय परिकल्पना 'साप्ताहिक बाजार में 5 वर्ष पूर्व व पत्त में कृषिगत नाशवान व टिकाऊ वस्तुओं के क्रय में कोई अंतर नहीं है। इस परिकल्पना के परीक्षण हेतु काई वर्ग परीक्षण (X^2) का उपयोग किया गया। जिसमें .05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर X^2 का परिकलित मान 10.758 आया है एवं X^2 का तालिका मान 9.488 है, अर्थात् इस प्रकार नल परिकल्पना (H_0) अस्वीकार की जाती है, अर्थात् 5 वर्ष पश्चात् साप्ताहिक बाजार में अल्पकालीन वस्तुओं का क्रय बढ़ा है। निष्कर्ष रूप में हाट बाजार से नाशवान उत्पाद का क्रय 5 वर्ष पूर्व की तुलना में 5 वर्ष पत्त बढ़ गया है। 5 वर्ष पूर्व हाट बाजार में टिकाऊ वस्तुएं अर्थात् अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, अन्य वस्तुएं हाट बाजार में विक्रय होती थी परंतु 5 वर्ष पश्चात् टिकाऊ वस्तुओं को मण्डी में विक्रय होने लगी। इसलिए हाट बाजार में कम मिलती हैं, जिसके कारण क्रय नहीं करते हैं। कृषि में नाशवान उत्पाद का क्रय बढ़ने से ग्रामीण विक्रेताओं की आमदनी बढ़ेगी और आसपास के ग्रामीण लोगों को सस्ती व ताजी सब्जियां, फल, अण्डा, मांस, मछली मिलेगी जिससे उनके जीवनस्तर में सुधार आयेगा तथा गाँव का पैसा गाँव में ही रहेगा।

अध्ययन में पाया गया है, कि हाट बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं में ज्यादातर उपभोक्ता तथा आवश्यकता पर आधारित अर्थात् अल्पकालीन वस्तुएं होती हैं, जो उपभोक्ताओं के समाह्वर की आवश्यकता को पूरा करते हैं। अर्थात् हाट बाजार नाशवान वस्तुओं (सब्जियां, फल) का बिक्री का 59 प्रतिशत है, जिससे स्पष्ट है कि अल्पकालीन अर्थात् नाशवान वस्तुओं का उत्पादन गाँवों में किसानों द्वारा किया जाता है। इससे ग्रामीण विक्रेताओं की आमदनी में वृद्धि होगी व ग्रामीण विकास होगा।

साप्ताहिक बाजार से मौद्रिक आय में वृद्धि - साप्ताहिक बाजार में आने वाले विक्रेता किसी न किसी लाभ के उद्देश्य से ही आते हैं, बिना लाभ के कोई भी विक्रेता विक्रय करने नहीं आते। लाभ जिसमें विक्रय का बढ़ना बिक्री बढ़ने से आय का बढ़ना जिससे कि आर्थिक स्थिति में सुधार आता है व उनके जीवन-स्तर में भी सुधार आता है। ग्रामीण हाट बाजार मूल आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं, जिसके कारण महत्वपूर्ण होते हैं। विक्रेताओं द्वारा साप्ताहिक बाजार में वस्तु विक्रय से आय में भी वृद्धि होती है। जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 6.19 में स्पष्ट किया गया है - नल परिकल्पना (H_0) - 'साप्ताहिक बाजार से 5 वर्ष पूर्व की तुलना में 5 वर्ष पत्त ग्रामीण विक्रेताओं की साप्ताहिक मौद्रिक आय नहीं बढ़ी है।' तालिका क्र.-3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि हाट बाजार में वस्तुओं के विक्रय से साप्ताहिक मौद्रिक आय में वृद्धि की स्थिति को 5 वर्ष पूर्व तथा 5 वर्ष पत्त की तुलना की गई है जिससे स्पष्ट है कि 5 वर्ष पूर्व 37 प्रतिशत विक्रेता के अनुसार साप्ताहिक मौद्रिक आय में वृद्धि हुई तथा 63 प्रतिशत विक्रेता के अनुसार साप्ताहिक मौद्रिक आय में वृद्धि नहीं हुई। जबकि 5 वर्ष पश्चात् 84 प्रतिशत

विक्रेता के अनुसार साप्ताहिक मौद्रिक आय में वृद्धि हुई तथा 16 प्रतिशत विक्रेता के अनुसार साप्ताहिक मौद्रिक आय में वृद्धि नहीं हुई।

तालिका क्र.-4 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

इस संबंध में तय परिकल्पना 'साप्ताहिक बाजार से 5 वर्ष पूर्व की तुलना में 5 वर्ष पत्त ग्रामीण विक्रेताओं की साप्ताहिक मौद्रिक आय नहीं बढ़ी है। इस परिकल्पना के परीक्षण हेतु काई वर्ग का उपयोग किया गया। जिसमें .05 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर X^2 का परिकलित मान 6.056 आया है एवं तालिका मान 3.841 है। तालिका मान से परिकलित मान अधिक होने से नल परिकल्पना (H_0) अस्वीकार की जाती है। अर्थात् 5 वर्ष पूर्व की तुलना में 5 वर्ष पत्त साप्ताहिक बाजार से विक्रेताओं की साप्ताहिक मौद्रिक आय में वृद्धि हुई है। साप्ताहिक हाट बाजार से 84 प्रतिशत ग्रामीण विक्रेताओं की मौद्रिक आय बढ़ी है, जिसकी विवेचना तालिका क्रमांक 6.4.3.3 में स्पष्ट किया गया है -

निष्कर्ष - शोध अध्ययन में पाया गया है कि साप्ताहिक बाजार में अधिकांश अल्पकालीन वस्तुओं (सब्जियां, फल) का क्रय-विक्रय होता है अर्थात् आसपास के ग्रामीण उपभोक्ताओं को ताजी व सस्ती वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं तथा नाशवान वस्तुओं का उत्पादन गाँवों में किसानों द्वारा किया जाता और किसान ही विक्रेता के रूप में बाजार आते हैं इस प्रकार ग्रामीण विक्रेताओं की आमदनी में भी वृद्धि होगी तथा ग्रामीण आर्थिक विकास होगा।

समस्या -

1. हाट बाजार में शहरी व्यापारियों द्वारा सस्ती वस्तुएं क्रय करना व महंगी बेची जाती थी व नापतोल में भी गड़बड़ी की जाती है।
2. हाट-बाजार में पर्याप्त बाजार स्थान का अभाव, पीने के पानी की अनुपलब्धता, सफाई की कमी पाई गयी।
3. सुरक्षा व्यवस्था का अभाव पाया गया व पशुओं का पूरे बाजार में घूमना जिससे विक्रेताओं का नुकसान होता है।
4. नगरपालिका या ग्राम पंचायतों की ओर से विक्रेताओं के लिए दुकान लगाने हेतु स्थान का आवंटन नहीं किया जाना आदि।

सुझाव -

1. हाट बाजार में शहरी व्यापारियों द्वारा वस्तुओं के क्रय-विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की एक निश्चित किमत निर्धारित करना चाहिए व नापतोल भी सही होना चाहिए।
2. पंचायत को हाट बाजार ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ पर बाजार के लिए पर्याप्त स्थान हो, वहाँ पर पीने के पानी की उपलब्धता भी हो व साफ-सफाई भी करवाना चाहिए।
3. नगरपालिका या ग्राम पंचायतों को सुरक्षा व्यवस्था करना चाहिए व पशुओं को बाजार में खुला नहीं छोड़ने हेतु प्रतिबंधित करना चाहिए।
4. नगरपालिका या ग्राम पंचायतों की ओर से विक्रेताओं के लिए दुकान लगाने हेतु उचित स्थान का आवंटन किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हसनैन नदीम (1997) 'जनजातीय भारत' रवि मजुमदार जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स नई दिल्ली पृ.क्र.63-64
2. शर्मा पीयूष (2001) सेंधवा तहसील के हाट बाजारों का आर्थिक विश्लेषणात्मक अध्ययन पृ.क्र.20-21
3. शर्मा कालुराम (2004) आदिवासी बाहुल्य बड़वानी जिले के ग्रामीण विपणन केन्द्रों का विश्लेषणात्मक अध्ययन पृ.क्र.1-3

तालिका क्र.- 1

हाट बाजार में नाशवान उत्पाद विक्रय की स्थिति का वर्गीकरण

5 वर्ष पूर्व हाट बाजार में नाशवान उत्पाद विक्रय की स्थिति	5 वर्ष पश्चात् हाट बाजार में नाशवान उत्पाद विक्रय की स्थिति		कुल	काई वर्ग
	नाशवान	टिकाऊ		
नाशवान	26(19%)	19(14%)	45(33%)	10.398 .001
टिकाऊ	75(56%)	15(11%)	90(67%)	
कुल	101(75%)	34(25%)	135(100%)	

स्रोत-प्राथमिक समंक

तालिका क्र.-2

हाट बाजार से नाशवान उत्पाद क्रय की स्थिति का वर्गीकरण

5 वर्ष पूर्व हाट बाजार से नाशवान उत्पाद क्रय की स्थिति	5 वर्ष पश्चात् हाट बाजार से नाशवान उत्पाद क्रय की स्थिति			कुल	काई वर्ग
	केवल नाशवान	केवल टिकाऊ	नाशवान व टिकाऊ दोनों		
केवल नाशवान	27(13.5%)	12(6%)	16(8%)	55(27.5%)	10.758
केवल टिकाऊ	23(11.5%)	6(3%)	9(4.5%)	38(19%)	
नाशवान व टिकाऊ दोनों	78(39%)	8(4%)	21(10.5%)	107(53.5%)	
कुल	128(64%)	26(13%)	46(23%)	200(100%)	

स्रोत-प्राथमिक समंक

तालिका क्र.-3

हाट बाजार से साप्ताहिक मौद्रिक आय में वृद्धि की स्थिति

क्रमांक	5 वर्ष पूर्व साप्ताहिक मौद्रिक आय में वृद्धि की स्थिति	5 वर्ष पश्चात् साप्ताहिक मौद्रिक आय में वृद्धि की स्थिति		कुल	काई वर्ग
		हाँ	नहीं		
1	हाँ	56(28%)	18(9%)	74(37%)	6.056
2	नहीं	112(56%)	14(7%)	126(63%)	
	कुल	168(84%)	32(16%)	200(100%)	

स्रोत-प्राथमिक समंक

तालिका क्र.-4

काई वर्ग सारणी

Calculate value	Df	Table value 0.05	Result
6.056	1	3.841	H ₀ Rejected

पर्यटन का पर्यावरणीय अध्ययन

वन्दना पाठक *

शोध सारांश - प्रस्तुत लेख में हमने पर्यटन के पर्यावरणीय अध्ययन को चार भागों- प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक में बांटा है। इन चारों प्रकार के क्षेत्र में पर्यटक पर्यावरण को जो क्षति पहुंचाते हैं, वह भावी पीढ़ी के लिए एक चिन्ता का विषय है। आज हम अपनी प्राचीन धरोहरों, प्राकृतिक स्थलों व वन्य जीव अभयारण्य को नुकसान पहुंचाते हैं, तो भविष्य में इसका धीरे-धीरे नामो-निशान मिट जाएगा और स्मारक चिन्ह आदि धूमिल हो जायेंगे। पर्यटक अपने आपको तरोताजा व स्फूर्तिवान करने के लिए खुले प्राकृतिक वातावरण या ऐतिहासिक स्थलों पर जाते हैं वहां जाकर वह आनन्द की अनुभूति प्राप्त करते हैं लेकिन इसके पश्चात् वे अपने व्यवहार सहित सारी क्रियाएँ ऐसी करते हैं, जिसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण को लेकर हमारा यह कर्तव्य बनता है कि पर्यटक स्थल जैसा हमें साफ सुथरा मिलता है वैसा ही हम अपनी आने वाली पीढ़ी को दे। पर्यावरण की सुरक्षा व संरक्षण करना हमारा प्रथम कर्तव्य है।

प्रस्तावना - पर्यावरण तथा पर्यटन दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं। जिस स्थान विशेष का पर्यावरण उत्तम होगा वहां का पर्यटन स्थल विकसित होगा तथा पर्यटकों की संख्या अधिक होगी। आवागमन के साधन विकसित होंगे, आय का स्तर उच्च होगा इसके विपरीत जिस स्थान पर पर्यावरण उत्तम नहीं होगा वहां पर्यटकों की संख्या कम होगी, वह क्षेत्र कम विकसित होगा। इस प्रकार पर्यावरण व पर्यटन में सीधा सम्बन्ध है।

उद्देश्य - प्रस्तुत लेख का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक कर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। उत्तम पर्यावरण ही उत्तम जीवन का आधार है। यह भावना केवल एक व्यक्ति में न होकर पूरी दुनिया में होनी चाहिए। अध्ययन की सुविधा से पर्यावरणीय अध्ययन को हमने चार भागों में बांटा है-

1. **धार्मिक क्षेत्र** - यदि हम धार्मिक पर्यटन की बात करें तो भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 70 प्रतिशत है। धार्मिक स्थानों की यात्रा करना भारतीयों के जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है। जिस धार्मिक स्थान विशेष का पर्यावरण अच्छा होता है। वहां पर्यटक घूमने फिरने में आनन्द की अनुभूति करते हैं। स्वस्थ पर्यावरण से पर्यटक आकर्षित होते हैं और उनकी संख्या में वृद्धि होती है। पर्यटक धार्मिक आस्था को लेकर आते हैं लेकिन उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य कलापों से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। मंदिरों में दर्शनार्थियों द्वारा फूल-मालाएँ, प्रसाद, पोशाक आदि देवी-देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। पूजा होने के बाद ये पूजन सामग्री निकाल कर बाहर फेंक दी जाती है। इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है साथ ही इससे पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। इसके साथ ही कई त्यौहारों पर धार्मिक स्थलों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है परिणाम स्वरूप मंदिरों में चढ़ी पूजन सामग्री आदि दूसरे दिन बाहर फेंक दी जाती है। बहुत सारे धार्मिक स्थल नदी किनारे स्थित होते हैं वहां जल प्रदूषण की गम्भीर समस्या दिखाई देती है। यह समस्या धार्मिक कारणों से बढ़ रही है। इस प्रकार नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। इसके अलावा पर्यटक पूजा-पाठ करके पूजन सामग्री को नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। कुछ भक्तगण धार्मिक

स्थलों पर दान देते हैं ताकि उस धार्मिक स्थल का विकास हो। परन्तु जब तक प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक स्वच्छता हमारे लिए एक कल्पना मात्र है। धार्मिक कारणों से व्यक्ति नदी में स्नान करते हैं और अपने पुराने कपड़े, जूते-चप्पल वही छोड़ देते हैं, जिससे नदी तो प्रदूषित होती ही है साथ ही उसका पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। स्वयं गन्दगी करके दूसरों से स्वच्छता की उम्मीद करना असम्भव सा प्रतीत होता है।

2. **सांस्कृतिक क्षेत्र**- भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, यहां की परम्परा वेश-भूषा, बोली में विविधता देखने को मिलती है। यहां की परम्परा शादी ब्याह व अन्य सांस्कृतिक आयोजन में परिलक्षित होती है। संस्कृति और परम्पराओं का पालन करना हमारे लिए जरूरी होता है। क्योंकि हम अपनी संस्कृति के वाहक हैं, विदेशी पर्यटक हमारे यहां आते हैं और हमारी संस्कृति को निहारते हैं और कुछ इसका अनुकरण भी करते हैं। हम भी विदेशियों की संस्कृति को अपनाने लगे हैं। हमारी संस्कृति अति प्राचीन है साथ ही यह पर्यावरण से जुड़ी हुई है। संस्कृति का विकास कभी पर्यावरण को नष्ट करके नहीं किया जा सकता है। पेड़-पौधों की पूजा करना, गाय की पूजा करना, गाय के गोबर से आंगन लीपना आदि हमारी संस्कृति है। परन्तु वर्तमान में पर्यटकों के अधिक आगमन से स्थानीय संस्कृति का लोप हो रहा है। साथ ही स्थानीय लोक-गीत, संगीत में हमारी संस्कृति है। अब इसके स्थान पर अंग्रेजी गाने व डी जे बजने लगे हैं। परिणामस्वरूप घर परिवार व समाज में जो सांस्कृतिक पर्यावरण था वह अब आधुनिक रूप लेकर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। दुनिया की सभी संस्कृतियां अपनी परिस्थितियों के अनुसार श्रेष्ठ है तथा हमें अपनी संस्कृति की दूसरे की संस्कृति से तुलना करने से बचना चाहिए हमें दूसरे की संस्कृतियों को जिज्ञासा व सम्मान के साथ देखना चाहिए और उनकी विभिन्नताओं को सहजता से लेना चाहिए। पर्यटक कई बार दूसरे स्थान पर जाकर वहां की संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। तथा अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताते हैं। परिणामस्वरूप पर्यावरणीय वातावरण में ठीक ढंग से सामंजस्य नहीं हो पाता है।

भारतीय मेले, पर्व व त्यौहार का तारतम्य भी बिगड़ रहा है। सांप्रदायिक

आस्था के प्रतीक मेले धीरे-धीरे अपनी नैसर्गिकता खोते जा रहे हैं। उत्सव-मेलों के माध्यम से कलाओं की तस्करी तथा कलाकारों का निर्बाध-प्रवाह हो रहा है। इससे क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ रही हैं।

3. प्राकृतिक क्षेत्र - प्राकृतिक पर्यावरण से आशय पर्वत, वन, मैदानों, भू-भाग तथा समुद्री तट से है। भारत की सम्पूर्ण धरती के लगभग 20 प्रतिशत भाग पर जंगल है, जिसमें 90,000 वर्ग कि मी क्षेत्र को जंगली प्राणियों हेतु आरक्षित किया गया है। ताकि विलुप्त होते जा रहे प्राणियों की सुरक्षित रखा जा सके। ये क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को धीरे-धीरे नष्ट किया जा रहा है, हमारे देश में वनों का क्षेत्र घट रहा है। वनों के कटाव से मौसम प्रभावित हो रहा है। कहीं वर्षा की कमी है, तो कहीं वर्षा की अधिकता पर्यटक जिस सुखद मौसम में पर्यटन स्थल पर जाना पसन्द करते हैं वहां मौसम विपरीत बदलाव की और बढ़ रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण का दूसरा महत्वपूर्ण घटक जैविक विविधता है। बढ़ते पर्यटन से जैविक विविधता विलुप्त होते जा रही है। हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विन्ध्याचल, नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं असंख्य जड़ी-बूटियों का भण्डारण गृह है, जो कि पर्यावरण के दुष्परिणाम से प्रभावित हुए हैं। जड़ी बूटियों की तस्करी के लिए पर्यावरण को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसी प्रकार जलचर, नभचर, थलचर, एवं उभयचर को संकटों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में पर्यटन स्थलों में यात्रियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है लेकिन यात्रियों के लिए अन्य कोई जरूरी सुविधाओं में वृद्धि नहीं हुई इन सुविधाओं का यहां विकास तो हुआ परन्तु पर्यटकों की संख्या के अनुसार यह विकास प्रभावशील नहीं है। इसका सबसे बुरा असर प्राकृतिक पर्यावरण पर पड़ा है। जब पर्यटक कम संख्या में आते हैं। तो पर्यावरण को कम हानि होती है। जब इन्हीं स्थानों पर पर्यटक अधिक संख्या में आने लगते हैं। तो पर्यटक के माध्यम से छोड़ा गया कूड़ा-कचरा, पालिथीन, टिन के डिब्बे आदि आसानी से नष्ट नहीं हो पाते हैं इस प्रकार यदि हमें प्रकृति को स्वस्थ रखना है तो सन्तुलित संख्या में पर्यटकों को वहां जाने की अनुमति दे।

4. ऐतिहासिक क्षेत्र - भारत ऐतिहासिक धरोहर का देश है। इसका प्रमाण यहां के विभिन्न क्षेत्रों में फैले ऐतिहासिक अवशेष, मंदिर, मस्जिद, प्राचीन किले, धार्मिक स्थान आदि से प्राप्त होता है। पर्यटन के क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी से यही तात्पर्य है कि हम अपने इतिहास को जानकर भविष्य का निर्धारण करें प्राचीन समय में अनेक ऐसे स्मारक बनाये गए थे जिसको देखकर हमारी सभ्यता; संस्कृति तथा इतिहास की सम्पन्नता की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक स्मारकों का अवलोकन करने मात्र से इनकी तत्कालीन सुन्दरता का अनुमान लगाया जा सकता है। अधिकांश प्राचीन स्मारक राजकीय संरक्षण में निर्मित हुए थे। इन स्मारकों की उत्कृष्टता, आर्थिक सम्पन्नता राजनैतिक स्थिरता तथा सामाजिक सुख-सुविधा की प्रतीक है। वर्तमान में इसी कारण ऐतिहासिक स्मारकों, इतिहास संस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे हम अपने गौरवपूर्ण इतिहास को जाने और आने वाली पीढ़ी के लिए उसे सुरक्षित रखे भारत में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अपने इतिहास को जानने के लिए पर्यटक ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करते हैं वहां कुछ दिन ठहरते हैं इससे हमारी अर्थव्यवस्था में गति तो आती है लेकिन पर्यटकों द्वारा पर्यावरण को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया जाता है ये ऐतिहासिक इमारतें हमारी सभ्यता और संस्कृति की परिचायक होती हैं लेकिन कुछ पर्यटक पत्थरों से इन प्राचीन स्मारकों को क्षति पहुंचाते हैं अपनी प्राचीन धरोहर को नष्ट कर

रहे एवं उसका जो प्राचीन अस्तित्व है, उसे खराब कर रहे हैं। आगरा में ताजमहल, दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, मध्यप्रदेश में खजुराहो के मंदिर, उड़ीसा का सूर्य मंदिर, राजस्थान के ऐतिहासिक किले, हवेलियां, जैन व बुद्ध स्थल सहित अधिकांश ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटन बढ़ा है जिसके परिणाम स्वरूप इन स्थलों को क्षति पहुंची है पर्यावरण प्रदूषण के साथ मूर्तियों को क्षति पहुंचाना तथा इनकी तस्करी का कारोबार भी बढ़ा है।

सुझाव -

1. पर्यटन स्थलों के अनुसार वहां आने वाले सभी पर्यटकों के लिए एक सुविचारित संहिता तैयार करनी चाहिए।
2. पर्यटकों के लिए पर्यटन स्थलों पर निम्न सूचनाएं उपलब्ध करानी चाहिए। क्या देखें? कैसे देखें? स्थानीय लोगों से किस प्रकार व्यवहार करें। इस सम्बन्ध में पर्चे, पुस्तिकाएं, विशेष गाइड पुस्तकें, पर्यटक सूचना केन्द्र आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. धार्मिक स्थलों से निकलने वाली सामग्री फूल-पत्तों आदि को इधर-उधर न फेंक कर इसको एक गड्ढे में डालना चाहिए ताकि यह भविष्य में खाद बन जाए।
4. पर्यटकों को स्मारकों पर अपना नाम तथा अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
5. पर्यटक स्थल पर ध्वनि विस्तारक यन्त्रों पर रोक लगानी चाहिए।
6. ईंधन व जलाऊ लकड़ी हेतु प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को रोकना चाहिए।
7. समुद्री बीच पर खाद्य, अपशिष्ट पदार्थ, नगरो से निकला कूड़ा-कचरा, मलमूत्र आदि नदियों में नहीं बहाए जाने चाहिए।
8. अपनी संस्कृति व मानवीय मूल्यों का हास नहीं होने देना चाहिए अपनी संस्कृति का संरक्षण कर उसे प्रोत्साहन देना चाहिए।
9. पर्यटन स्थल पर वन संतुलन, पशु मनुष्य संतुलन और पेड़ पौधों की सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए।
10. पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए सरकारी संगठन को जन जागरण से काम में जुटना चाहिए।
11. पर्यावरणीय गतिविधियों के प्रतिजागरूकता और जुड़ाव उत्पन्न करने में स्थानीय लोक कलाओं से लेकर वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक अहम भूमिका होनी चाहिए।

निष्कर्ष - निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि पर्यावरण व पर्यटन घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। पर्यटन से अर्थव्यवस्था का विकास होता है स्थानीय लोगों को रोजगार व परस्पर सद्भावना में वृद्धि होती है। वही दूसरी ओर पर्यटन से पर्यावरण को नुकसान होता है। हमें जरूरत है कि हम पर्यावरण व पर्यटन का आपस में सामंजस्य बनाए जिससे हमारी प्रकृति का संरक्षण हो और स्थानीय लोगों का आर्थिक व सामाजिक विकास हो। क्योंकि हमारा जीवन पर्यावरण के सानिध्य में है अच्छे पर्यावरण के बिना अच्छे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं को चलाया गया है ताकि पर्यटन पर्यावरण समस्याओं से मुक्त हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गोयल राजेश (2011), पर्यटन के सिद्धान्त, वन्दना पाब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
2. राव बालकृष्ण (2007), मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ पर्यटन, अजय प्रकाशन जयपुर-3

3. संजयकांत भारद्वाज (2013) , भारत में पर्यटन विकास, हेमन्त पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली।
 4. धस्माना मंगतराम(2005), भारत में पर्यटन, अनुराग प्रकाशन, नई दिल्ली- 110030
 5. गुप्ता शिवसहाय (2011), पर्यटन के विविध स्वरूप मोहित बुक्स इंटरनेशनल, नई दिल्ली- 110002
 6. रावत ताज (2011) , प्राकृतिक पर्यटन विकास और बदलाव, आकाशदीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
 7. दर्शक हंसराज (2007), भारत देशाटन, विश्व पुस्तक केन्द्र, नई दिल्ली।
 8. सिंह सत्येन्द्र प्रताप (2013), भारत की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर, आदि बुक्स शक्तिनगर, दिल्ली।
 9. दोरियाल के. एस. (2010) पर्यटन विकास और प्रभाव, दिल्ली।
 10. गुप्त अयोध्याप्रसाद कुमुद (2010) मध्यप्रदेश मे मेले और तीज त्यौहार, आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
 11. योजना मई 2015
 12. कुरुक्षेत्र - दिसम्बर 2017
- Website -**
1. <http://www.mp.gov.in>
 2. <http://www.tourismindia.com>
 3. <http://www.wikipedia.com>

झाँसी नगर निगम के पार्षदों की राजनीतिक सहभागिता - एक आनुभाविक अध्ययन

डॉ. संगीता विजय * प्रमिला यादव **

शोध सारांश - आधुनिक युग में लोकतंत्रात्मक शासन सबसे अधिक प्रचलित शासन पद्धति है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक नागरिक राजशक्ति के प्रयोग में अधिक से अधिक भागीदारी होने का अधिकार रखता है। भारत में भी संविधान द्वारा लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को संघ से लेकर स्थानीय स्तर तक अपनाया गया है। भारत में स्थानीय शासन को ग्रामीण एवं नगरीय स्तर पर सुगठित किया गया है। जिसे 73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन द्वारा सुसंगठित, सुदृढ़ एवं कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में बढ़ते औद्योगिकरण, शिक्षा के प्रसार, विज्ञान एवं तकनीकी प्रसार से नगरीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। जिससे नगरीय शासन एवं प्रशासन की आवश्यकता एवं महत्व भी बढ़ गया है। नगरीय स्थानीय शासन संस्थाओं में पार्षदों की राजनीतिक सहभागिता पर ही इन संस्थाओं की सफलता, संचालन एवं गतिशीलता निर्भर करती है। अतः प्रस्तुत शोधपत्र में झाँसी नगर निगम के पार्षदों की राजनीतिक सहभागिता का अध्ययन किया गया है।

शब्द कुंजी - स्थानीय स्वाशासन, नगर निकाय, नगरपालिका, राजनीतिक सहभागिता

प्रस्तावना - लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जनआधारित सम्प्रभु शक्ति राजनीतिक प्रतिनिधियों के माध्यम से ही व्यावहारिक बनती है। ए. एच. बिर्च ने अपनी पुस्तक 'रिप्रेजेन्टेशन' में बताया है कि राजनीतिक प्रतिनिधि एक ऐसा व्यक्ति है, जो परम्परागत या कानून द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि की भूमिका निभाता है। भारतीय लोकतंत्र में भी प्रतिनिधि के रूप में राजनीतिक सहभागिता के कई स्तर हैं। संघीय शासन एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के कारण-संघ, राज्य तथा स्थानीय स्तर-जिसमें ग्रामीण स्थानीय तथा नगरीय स्थानीय शासन सम्मिलित है। प्रस्तुत अध्ययन नगरीय स्थानीय शासन में राजनीतिक सहभागिता पर केन्द्रित किया गया है। नगरीय स्थानीय शासन में नगर निगम, नगरपालिकाएँ, नगर पंचायत होती हैं जिनके निर्वाचित सदस्य पार्षद कहलाते हैं।

प्रस्तुत शोधपत्र मुख्य रूप से आनुभाविक, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक अध्ययन है। आनुभाविक अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार के स्रोतों से तथ्यों को एकत्रित किया गया है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची एवं अवलोकन विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन झाँसी जिले के नगर निकायों के पार्षदों की राजनीतिक सहभागिता पर आधारित है। प्रस्तुत अध्ययन झाँसी नगर निगम (निर्वाचन-2012) के पार्षद प्रतिनिधियों 21 महिला एवं 39 पुरुषों की राजनीतिक सहभागिता से संबंधित आनुभाविक एवं तुलनात्मक अध्ययन है।

राजनीतिक सहभागिता का अर्थ राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेना है। अर्थात् व्यवहार में किसी कार्य का हिस्सा बनना है। नॉर्मन एच. पाई. एवं सिडनी वर्बा ने अपने लेख 'पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन' में राजनीतिक सहभागिता को जनता की वे विधि सम्मत गतिविधियाँ माना हैं, जिनका उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारियों के चयन और उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना है। इस प्रकार राजनीतिक सहभागिता में

राजनीतिक निर्णय निर्माण प्रक्रिया संबंधी सभी राजनीतिक गतिविधियाँ सम्मिलित होती हैं। राजनीतिक सहभागिता एक बहुआयामी एवं बहुस्तरीय प्रक्रिया है। अतः पार्षद प्रतिनिधियों की राजनीतिक भागीदारी एवं सक्रियता के अध्ययन हेतु प्रश्न किए गए जो इस प्रकार हैं -

राजनीति में रूचि - प्रतिनिधि स्तर पर पहुँच जाने के बाद राजनीति में उसकी रूचि के अनुपात और प्रकृति के अनुरूप ही राजनीतिक सहभागिता होती है। अतः पार्षदों से प्रश्न किया गया कि क्या आपकी राजनीति में रूचि है-

सारणी संख्या - 1 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

परिवार की परम्परागत रूप से राजनीति में सक्रियता - परिवार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार के सदस्यों के राजनीति में होने से अन्य सदस्यों की भी सक्रियता बनी रहती है एवं अधिक से अधिक राजनीति भागीदारी होती है। अतः पार्षद प्रतिनिधियों से पारिवारिक परम्परागत के रूप से संबंधित प्रश्न किया गया -

सारणी संख्या - 2 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

राजनीतिक विचार विमर्श पर मत - विचार-विमर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करता है। जिससे नागरिक द्वारा राजनीतिक दृष्टिकोण एवं व्यवहार का निर्धारण होता है। अतः पार्षद प्रतिनिधि उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि आप समाचार सुनने के बाद विचार-विमर्श करते हैं।

सारणी संख्या - 3 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

सक्रिय राजनीति में प्रवेश - व्यक्ति समाज में रहकर ही अपने जीवन को दिशा देता है, जिसमें उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य; क्रिया-प्रतिक्रिया, व्यवहार सब किसी न किसी गतिविधि का हिस्सा होता है। व्यक्ति की राजनीति में रूचि एवं महत्वाकांक्षा राजनीतिक जानकारी एवं अभिमुखीकरण के कारण होती है। अतः पार्षद प्रतिनिधियों से सक्रिय राजनीति में प्रवेश

* एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, 511, रामानुज आवास, वनस्थली विद्यापीठ (राज.) भारत

** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) वनस्थली विद्यापीठ (राज.) भारत

तथा भागीदारी के संदर्भ में प्रश्न किए गए हैं -

सारणी संख्या - 4 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

चुनाव में सहभागिता - लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था में चुनाव में भागीदारी राजनीतिक सहभागिता का सक्रिय रूप होती है। अतः उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि आप चुनाव में कब खड़े हुए -

सारणी संख्या - 5 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

राजनीति में आने का लक्ष्य - लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था में अनेक आधारों के आधार राजनीतिक पर सहभागिता करने वाले व्यक्ति को राजनीतिक नेता के लक्ष्यों का निर्धारण करना होता है जिसमें उसकी सहभागिता को दशा एवं दिशा प्राप्त होती है। अतः उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया कि आपके राजनीति में आने पर क्या - क्या लक्ष्य रहे हैं-

सारणी संख्या - 6 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

बैठकों में सहभागिता - राजनीति व्यवस्था की संस्थाओं एवं संगठनों में बैठकों के माध्यम से विचार-विमर्श के आधार पर निर्णय तक पहुँचा जाता है। बैठकों में भागीदारी से ही राजनीति प्रतिनिधियों द्वारा नीति निर्माण क्रियान्वयन, तथा परिणाम तक पहुँचाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। अतः उत्तरदाताओं से नगर निगम की बैठकों में भागीदारी के संदर्भ में प्रश्न किये गए।

सारणी संख्या - 7 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी - राजनीति व्यवस्था के कार्य संचालन प्रक्रिया में निर्णय की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। चूँकि निर्णयन द्वारा ही। नीति निर्माण, क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति संभव हो सकता है। अतः नगर निगम के प्रतिनिधियों द्वारा निगम के निर्णय निर्माण में भागीदारी के संदर्भ में प्रश्न किए गए।

सारणी संख्या - 8 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

सार्वजनिक कार्य के लिए जनता से सम्पर्क के संबंध में - भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें प्रतिनिधि जनता के सामने अपनी विचार धारा, सिद्धांत व नीतियाँ रखते हैं और उसी आधार पर जनता से समर्थन व वैधता जुटाने का प्रयत्न करते हैं। अतः उत्तरदाताओं से इस संदर्भ में प्रश्न किया गया-

सारणी संख्या - 9 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

जनप्रतिनिधि के रूप में किए गए कार्य के प्रति संतुष्टि - लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता द्वारा निर्वाचन के माध्यम से हुए प्रतिनिधि सत्त का प्रयोग एवं शासन के संचालन करते हैं एवं निगम राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में उनके द्वारा अपने क्षेत्र का विकास हेतु स्वच्छता, बिजली सड़क, पानी, नालियों का निर्माण, पार्क, आदि के निर्माण संबंधी कार्य सम्पन्न किए जाते हैं, जो उनकी सक्रिय राजनीतिक सहभागिता को अभिव्यक्त करते हैं अतः उत्तरदाताओं से उनके द्वारा जनप्रतिनिधि के कराए गए कार्यों के संबंध में प्रश्न किये गए -

सारणी संख्या - 10 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

राजनीति में पुनः सक्रिय सहभागिता - भारत में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधियों को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। सक्रिय राजनीति में सहभागिता के पश्चात् उनकी पुनः चुनाव में भागीदार होने तथा एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने की महत्वाकांक्षा से उनकी राजनीतिक भागीदारी के प्रति सकारात्मकता उजागर होगी और इसके विपरीत होने पर नकारात्मकता। अतः इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से प्रश्न किया गया -

सारणी संख्या - 11 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

निष्कर्षतः झांसी नगर निगम के पार्षदों की राजनीतिक सहभागिता के अध्ययन से स्पष्ट है कि राजनीतिक गतिविधियों में पार्षदों की रुचि होती है, किन्तु पुरुषों की तुलना में महिलाओं की रुचि अंशतः कम होती है। नगरीय संस्थाओं में पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रखने वाले महिला एवं पुरुषों की भी सहभागिता बढ़ रही है। समाचार सुनने के बाद विचार-विमर्श करने में पुरुष पार्षद महिला पार्षद की अपेक्षा अधिक सक्रियता रखते हैं।

पार्षद प्रतिनिधि वर्ष 2012 के चुनाव में पहली बार उम्मीदवार के रूप में राजनीति में प्रवेश किया। कुछ पार्षद पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर प्रवेश करते हैं। राजनीति में आने के मत पर-अपने क्षेत्र का विकास, शिक्षा का प्रसार, बेरोजगारी दूर करना, समाज सेवा, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना रहा। जिसमें महिला पुरुष पार्षद दोनों की सक्रिय भागीदारी पायी गई। निगम की बैठकों में भागीदारी पार्षद अधिकांशतः नियमित भागीदारी करते हैं। कार्य संचालन एवं निर्णय निर्माण में पार्षद सक्रिय रहते हैं। सार्वजनिक कार्य में जनता से सम्पर्क सभी पार्षद करते हैं। पुनः चुनाव लड़कर सक्रिय राजनीति में भागीदारी के सन्दर्भ में, पार्षद रुचि रखते हैं। जिसमें महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की पुनः भागीदार होने की महत्वाकांक्षा अधिक रखते हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन महिला-पुरुष पार्षदों की राजनीतिक सहभागिता की मात्रा को अभिव्यक्त करता है। इससे स्पष्ट होता है कि सक्रियता और सहभागिता की दृष्टि से महिला पार्षदों की भागीदारी पुरुष पार्षदों की अपेक्षा कम होती है। पारिवारिक परिस्थितियाँ, जानकारी का अभाव, प्रशिक्षण की कमी आदि अनेक कारण हैं। जिनकी वजह से राजनीति में भागीदारी होते हुए भी महिलाएं, पुरुष पार्षदों की अपेक्षा कम सक्रिय भागीदार होती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वर्वा सिडनी व नॉर्मन एच.पाइ. (1978) - पॉलिटिक्स एंड पोलिटिकल इवालिटी यूके0 कैम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस।
2. लिपसेट एसएम0 (1973) - पोलिटिकल मैन, नई दिल्ली: अर्नोल्ड हेल्डमैन पृ.सं. 196
3. ईस्टन, डेविड एण्ड डेनिस् जैक, (1969) - इन दी पोलिटिकल सिस्टम: न्यूयार्क : मेकमिलन।

सारणी संख्या - 1

राजनीतिक गतिविधियों में रुचि पर मत

क्र.सं.	उत्तर	महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	15	71.5	39	100	54	90
2.	नहीं	2	9.5	-	-	2	3.3
3.	कोई उत्तर नहीं	4	19.0	-	-	4	6.7
	योग	21	100	39	100	60	100

सारणी संख्या - 2

परिवार की परम्परागत रूप से राजनीति में सक्रियता पर मत

क्र.सं.	उत्तर	महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	9	42.8	17	43.5	26	43.3
2.	नहीं	9	42.8	22	56.4	31	51.7
3.	कोई उत्तर नहीं	3	14.2	-	-	3	5
4.	योग	21	100	39	100	60	100

सारणी संख्या - 3

समाचार सुनने के बाद विचार-विमर्श पर मत

क्र.सं.	उत्तर	महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	12	57.2	28	71.8	40	66.6
2.	कभी-कभी	5	23.8	2	5.2	7	11.7
3.	नहीं	-	-	-	-	-	-
4.	कोई उत्तर नहीं	4	19.0	9	23.0	13	21.7
5.	योग	21	100	39	100	60	100

सारणी संख्या - 4

राजनीति में प्रवेश का रूप

क्र.सं.	वर्ग	महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	दल के सदस्य	12	57.2	21	53.9	33	55.0
2.	पदाधिकारी	-	-	-	-	-	-
3.	चुनाव प्रचारक	2	9.5	5	12.9	7	11.7
4.	उम्मीदवार	7	33.3	13	33.3	20	33.3
5.	योग	21	100	39	100	60	100

सारणी संख्या - 5

चुनाव में खड़े होने से संबंधी प्रश्न

क्र.सं.		महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	1995	1	4.7	1	2.5	2	3.3
2.	2000	1	4.7	4	10.2	5	8.3
3.	2006	4	19.0	7	17.9	11	18.3
4.	2012	21	100	39	100	60	100

सारणी संख्या - 6

राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी का लक्ष्य संबंधी मत

क्र.सं.	मुद्दे	उत्तर	महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	अपने क्षेत्र का विकास	हाँ	20	95.3	37	94.8	57	95
		नहीं	-	-	-	-	-	-
		कोई उत्तर नहीं	1	4.7	2	5.2	3	5
2.	शिक्षा का प्रसार	हाँ	20	95.3	37	94.8	57	95
		नहीं	-	-	-	-	-	-
		कोई उत्तर नहीं	1	4.7	2	5.1	3	5
3.	बेरोजगारी दूर करना	हाँ	14	66.6	29	74.3	43	71.6
		नहीं	2	9.5	-	-	2	3.4
		कोई उत्तर नहीं	5	23.8	10	25.6	15	25
4.	समाज सेवा	हाँ	18	85.7	37	94.8	55	91.6
		नहीं	-	-	-	-	-	-
		कोई उत्तर नहीं	3	14.2	2	5.1	5	8.4
5.	सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना	हाँ	18	85.7	35	89.7	53	88.3
		नहीं	1	4.7	-	-	1	1.7
		कोई उत्तर नहीं	2	9.5	4	10.2	6	10
6.	अन्य	हाँ	5	23.8	12	30.7	17	28.4
		नहीं	-	-	-	-	-	-
		कोई उत्तर नहीं	16	76.1	27	69.2	43	71.6

सारणी संख्या - 7

नगर निगम की बैठकों में भागीदारी

क्र.सं.	भागीदारी	महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	नियमित	16	76.2	35	89.8	51	85
2.	अनियमित	3	14.3	1	2.6	4	6.6
3.	कोई उत्तर नहीं	2	9.5	3	7.6	5	8.4
4.	योग	21	100	39	100	60	100

सारणी संख्या - 8

निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी पर मत

क्र.सं.	भूमिका	महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	सक्रिय	18	85.7	37	94.8	55	91.7
2.	कम सक्रिय	3	14.3	-	-	3	5.0
3.	निष्क्रिय	-	-	-	-	-	-
4.	कोई उत्तर नहीं	-	-	2	5.2	2	3.3
	योग	21	100	39	100	60	100

सारणी संख्या - 9

सार्वजनिक कार्य के लिए जनता से सम्पर्क

क्र.सं.	उत्तर	महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	16	76.1	35	89.7	51	85
2.	नहीं	-	-	-	-	-	-
3.	कोई उत्तर नहीं	5	23.8	4	10.2	9	15
4.	योग	21	100	39	100	60	100

सारणी संख्या - 10

क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण हेतु कराये गए कार्यों पर मत

क्र.सं.	कार्य	महिला	पुरुष	योग
1.	पार्कों का निर्माण	6	12	18
2.	रोड़ व नाली का निर्माण	15	30	45
3.	राशन कार्ड/आधार कार्ड	17	28	45
4.	अतिक्रमण को हटाना	10	21	31
5.	साफ - सफाई	20	32	52
6.	बिजली संबंधी	19	25	44
7.	पानी की व्यवस्था	10	16	26

सारणी संख्या - 11

पुनः चुनाव लड़कर सक्रिय राजनीति में सहभागिता के संदर्भ में

क्र.सं.	उत्तर	महिला	प्रतिशत	पुरुष	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	15	71.5	36	92.3	51	85
2.	नहीं	6	28.5	3	7.7	9	15
3.	कोई उत्तर नहीं	-	-	-	-	-	-
4.	योग	21	100	39	100	60	100

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी एवं चुनौतियाँ (सागर जिले के रहली तहसील के विशेष संदर्भ में)

नगारची जामरे *

शोध सारांश - प्रस्तुत अध्ययन पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी एवं उनके सम्मुख आने वाली प्रमुख बाधाओं एवं चुनौतियों पर आधारित है। अध्ययन में सागर जिले के रहली तहसील की 91 ग्राम पंचायतों में से 10 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को अध्ययन के समग्र के रूप में चुना गया था। तथा निर्वाचित 60 जनप्रतिनिधियों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया था। अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होने मात्र से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो सकता है, जब तक कि उनके सशक्तिकरण के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं एवं चुनौतियों का समाधान न किया जाए। आज भी अधिकांश निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी परम्परागत समाज व्यवस्था की रूढ़िगत मान्यताएँ, पुरुषों की प्रधानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं, जिन्हें दूर किए बिना पंचायती राज संस्थाओं का उद्देश्य एवं महिला सशक्तिकरण की महत्वाकांक्षा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है।

प्रस्तावना - भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और भारत पुरातन काल से ग्राम पंचायतों के देश के रूप में जाना जाता रहा है। सभ्य समाज की स्थापना के बाद से ही जब मनुष्य ने समूह में रहना सीखा, इस तरह पंचायती राज के आदर्श एवं मूल सिद्धांत उनकी चेतना में विकसित होते आए हैं। इस व्यवस्था को विभिन्न कालों में भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता रहा है। कभी वे गणराज्य तो कभी नगर शासन व्यवस्था और कभी 'संग्रहण' 'स्थानीय' इत्यादि नामों से इन प्राचीन स्थानीय संस्थाओं की पहचान हुई है।¹ यद्यपि भारतीय राजनीतिक चिंतन प्राचीन समय से आधुनिक समय के बीच विविध धाराओं में प्रवाहित हुआ है। भारतीय दर्शन परम्परा में गणतांत्रिक संस्थाओं को बहुत महत्व दिया गया है। परिणामतः आज भारत में स्थानीय स्वशासन/पंचायती राज व्यवस्था की सफलता प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अमूल्य देन है। यद्यपि आज पंचायती राज संस्थाएं, अपने त्रिस्तरीय स्वरूप में प्रत्येक राज्य, जिलों, तहसीलों एवं ग्रामों में विद्यमान हैं। जो ग्रामीण भारत को एक संस्थागत तंत्र प्रदान कर रहा है। एक ऐसा तंत्र जो ग्रामीण विकास एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, देश की दशा को सुधारने तथा राष्ट्रीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करने हेतु 2 अक्टूबर, 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारम्भ करने की घोषणा की गई तथा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तत्पश्चात् 1977 में अशोक मेहता समिति, 1985 में पी.के.राव समिति, 1986 में एल.एम.सिंघवी समिति तथा 1989 में पी.के.थंगुन समिति बनाई गई, ताकि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की कमियों को दूर कर उसे और भी अधिक सशक्त एवं जवाबदेयी बनया जा सके। यद्यपि बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तथापि प्रस्तुत रिपोर्ट एवं सिफारिशों के आधार पर ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के

नागौर जिले में तात्कालीन प्रधानमंत्री पं.जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया।² जो प्राचीन भारतीय स्थानीय स्वशासन की संकल्पना को मूर्तरूप देने का अद्वितीय व अविस्मरणीय पल था।

वसुधा पर मनुष्य प्रकृति की अनमोल देन है। प्रकृति ने मनुष्य को दो भिन्न रूपों में विभक्त किया है, वह है महिला और पुरुष। किन्तु भारतीय समाज की प्रारम्भ से ही यह विडम्बना रही है कि कभी भी महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर नहीं दिया गया।³ पुरुष-प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों एवं निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं से वंचित रखना, पुरुषों द्वारा महिलाओं पर अपना दबदबा तथा आधिपत्य बहाल करना व उन्हें दोगुना दर्जा प्रदान करने की जीवंत परम्परा भारतीय समाज में प्रचलित रही है। परिणामस्वरूप सार्वजनिक जीवन में महिलाएं पुरुषों की तुलना में पिछड़ गईं। आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न सर्वैधानिक प्रावधान किए ताकि महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया जिसमें मुख्यतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(घ)⁴ में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को विनिर्दिष्ट किया गया है।⁴ कालान्तर में मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखण्ड जैसे राज्यों में एक-तिहाई आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है, परिणामस्वरूप आज महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में 50 फीसदी से भी अधिक स्थानों पर निर्वाचित हुई हैं। किन्तु आज भी उनके सम्मुख अनेक समस्याएं एवं चुनौतियां विद्यमान हैं।

मध्यप्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का प्रारम्भ और विकास - 15 अगस्त, 1947 के बाद देश के विकास की सम्पूर्ण प्रक्रिया में गांवों को केन्द्र में रखा गया है। चूंकि हमारे नीति निर्माताओं का मानना था कि गांव के विकास के बिना देश के विकास की अकांक्षा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है।

वस्तुतः 1 नवम्बर सन् 1956 को मध्यप्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। मध्यप्रदेश में प्रारंभिक पंचायते उसी तरह से अस्थिर थी, जैसे देश के अन्य भागों में थी। पंचायतों का पारंपरिक प्रतिरूप जाति पंचायत एवं ग्राम पंचायत के रूप में था। प्रदेश में जनजातियों की पंचायते, बहुत ही सशक्त, पारंपरिक पंचायते थी और ये पंचायते उनके जीवन की पारंपरिक रीति को शासित करती थी। सर्वप्रथम 1962 में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया। इसके अन्तर्गत 1965 में चुनाव भी सम्पन्न कराए गए, लेकिन कई कारणवश जनपद एवं जिला पंचायतों के चुनाव सम्पन्न नहीं हो सके, यद्यपि वर्ष 1970 में ग्राम पंचायतों के द्वितीय सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हुए तथा 1971 में विकासखण्ड स्तर पर जनपद पंचायतों का गठन कर निर्वाचन सम्पन्न कराया गया। तथा 1981 में प्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम के रूप में स्वीकृत हुआ। इसके अन्तर्गत प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को जारी रखने की बात स्वीकार की गई। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुरूप पुनः 29 दिसम्बर, 1993 को राज्य विधानसभा में मध्यप्रदेश पंचायती राज विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे विधानसभा द्वारा 30 दिसम्बर, 1993 को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात पंचायतो व नगरीय प्रशासन का चुनाव सम्पन्न कराने के लिए 19 जनवरी 1994 को मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और 15 अप्रैल 1994 को पंचायतो के चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई।⁸ इस प्रकार मध्यप्रदेश, देश में नई संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों व नगर प्रशासनों के चुनाव कराने वाला, देश में प्रथम राज्य होने का गौरव प्राप्त किया।

73वां संविधान संशोधन और महिला आरक्षण - आजादी के बाद अपना देश, अपना शासन तथा अपना कानून की मतएकता की भावना से सरोकार होकर भारतीयों ने एक सम्प्रभु, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और संघीय संविधान को अंगीकार, अधिनियमित और आत्मार्पित किए। भारतीय संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए और साथ-ही जाति, धर्म, वर्ग, जन्मस्थान, शैक्षणिक या संपत्ति के आधार पर भेदभाव के बिना सभी भारतीय नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया।⁷ यद्यपि बदलते वैश्विक परिवेश में आधुनिक राष्ट्र राज्य के उदय व विकास के साथ-साथ भारतीय समाज में कष्ट पितृसत्तात्मक विचारों ने महिलाओं की स्थिति को प्रभावित किया है। 'आधुनिक राष्ट्र राज्य की विचारधारा उदारवाद तथा व्यक्तिवाद पर जोर देती है। इसमें व्यक्ति की स्वायत्ता को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्वायत्ता को व्यक्ति के अधिकार, आर्थिक न्याय व समान अवसरों की उपलब्धता संरक्षित करती है।'⁸ लेकिन आज भी यह उदारवाद पुरुष व महिला में लिंग के आधार पर भेदभाव करता रहा है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तकों ने भी अपने उदारवादी सिद्धांतों से महिलाओं को परे ही रखा। इन्होंने नारी को पूर्ण नागरिक नहीं माना। हॉब्स और लॉक ने भी नारी को कुछ अधिकार तो दिए परन्तु उनको पुरुषों के अधीन ही रखा। रूसों का भी विश्वास था कि नारी में राजनीतिक क्षेत्र में नीति निर्धारण जैसे कार्यों की योग्यता नहीं होती है।⁹ ऐसी नियोग्यताएँ महिलाओं पर थोप दी गईं और समाज में महिलाओं के अधिकार शून्य-शून्य क्षिण होते गए। जिसकी भरपाई आज भी 21वीं सदी का भारत नहीं कर पाया है।

भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। लोकतंत्र की सफलता राष्ट्र के नागरिकों एवं पुरुषों तथा महिलाओं के मध्य परस्पर समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और सभी को समान अवसर पर निर्भर करता है। इस लिए हमारे नीति-

निर्माताओं ने स्थानीय स्वशासन के विकास हेतु गठित समितियों में भी महिला आरक्षण की वकालत की।

इन सिफारिशों को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243'घ' (4) में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षित स्थान विनिर्दिष्ट किया गया है।¹⁰ किन्तु आज मध्यप्रदेश त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में संविधान द्वारा प्रदत्त एक-तिहाई आरक्षण की सीमा को आगे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। जिसके परिणामस्वरूप सत्र 2014-15 में सम्पन्न हुए, पंचायत आम चुनाव में 391066 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में से 189565 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं, जो कुल जनप्रतिनिधियों का 48.47 प्रतिशत भाग है।¹¹ यह परिवर्तन सिर्फ महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था का ही परिणाम है।

अध्ययन के उद्देश्य - 'पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मुख आने वाली प्रमुख बाधाओं एवं चुनौतियों का अध्ययन करना।

शोध-प्रविधि एवं तकनीक -

- अध्ययन का क्षेत्र** - अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के सागर जिले के रहली तहसील को चुना गया था।
- अध्ययन का समग्र** - सागर जिले के रहली तहसील की ग्राम पंचायतों में निर्वाचित समस्त महिला जनप्रतिनिधियों को अध्ययन का समग्र माना गया।
- अध्ययन की इकाई** - ग्राम पंचायत में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि को अध्ययन की इकाई के रूप में निरदिष्ट किया गया।
- निर्दर्शन का आकार** - सागर जिले के रहली तहसील में कुल 91 ग्राम पंचायते हैं। 91 ग्राम पंचायतों में से दैवनिर्दर्शन विधि से 10 ग्राम पंचायतों को चुना गया था। तथा चयनित 10 ग्राम पंचायतों में से 60 महिला जनप्रतिनिधियों को अध्ययन हेतु चुना गया था।
- निर्दर्शन पद्धति** - समंको की सूची उपलब्ध होने के कारण अध्ययन में दैव निर्दर्शन विधि का प्रयोग किया गया।

समंकों का संकलन - प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार, साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन एवं द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु मुख्यतः रिसर्च जर्नलस, संबंधित साहित्य, पत्र-पत्रिकाएँ, शासकीय अभिलेख, शोध प्रबंध तथा इंटरनेट का प्रयोग किया गया।

निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मुख आने वाली प्रमुख बाधाओं एवं चुनौतियों की स्थिति का विश्लेषण - भारतीय समाज का स्वरूप पुरातन काल से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भारत में महिलाओं को नीति-निर्माण, नेतृत्व और निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया एवं गतिविधियों से वंचित रखा गया। परिणामस्वरूप परम्परागत सामाजिक मान्यताओं एवं बाध्यताओं के कारण महिलाएं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं नेतृत्विक दृष्टि से महिलाएं पुरुषों की तुलना में पिछड़ गईं। आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने महिलाओं की स्थिति को सशक्त बनाने हेतु विभिन्न संवैधानिक प्रावधान भी किये तथा स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हुई किन्तु आज भी उनके सम्मुख अनेक समस्याएं एवं चुनौतियां विद्यमान हैं। जिन्हें दूर किए बिना महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। निम्नांकित तथ्यों एवं सारणीयों के द्वारा उनकी समस्याओं एवं चुनौतियों को समझा जा सकता है-

तालिका-01

महिला जनप्रतिनिधियों की शैक्षणिक स्थिति से संबंधित जानकारी -

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	20	33.33
2.	प्राथमिक	18	30
3.	माध्यमिक	12	20
4.	हाईस्कूल	8	13.33
5.	स्नातक	2	3.33
6.	स्नातकोत्तर	-	-
योग		60	100

तालिका क्रमांक-01 से यह ज्ञात होता है कि 33.33 प्रतिशत जनप्रतिनिधि अशिक्षित, 30 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त, 20 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा प्राप्त, 13.33 प्रतिशत हाई स्कूल तथा स्नातक स्तर पर 3.33 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि शिक्षित है। अतः यह स्पष्ट होता है कि आज भी सर्वाधिक 33.33 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि अशिक्षित है। तथा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त महिला जनप्रतिनिधियों का अभाव है।

तालिका-02

महिला जनप्रतिनिधियों की पारिवारिक व्यवसायिक स्थिति

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	कृषि	23	38.33
2.	मजदूरी	35	58.33
3.	नौकरी	-	-
4.	व्यवसाय	02	03.33
5.	अन्य कार्य	-	-
योग		60	100

तालिका क्रमांक-02 में महिला जनप्रतिनिधियों की पारिवारिक व्यवसायिक स्थिति का वर्णन किया गया है, जिसमें 38.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तथा 58.33 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि मजदूरी कार्य से जुड़े हुए हैं। तथा 3.33 प्रतिशत जनप्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्य व्यवसाय करते हैं। अतः उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिला जनप्रतिनिधियों का मुख्य कार्य मजदूरी है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आज भी अधिकांश परिवार गरीबी एवं बेरोजगारी के शिकार हैं।

तालिका क्रमांक-03

उत्तरदाताओं की ग्राम पंचायत में निर्वाचित होने के अवसर का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पहली बार	48	80
2.	दूसरी बार	12	20
3.	तीसरी बार	-	-
योग		60	100

तालिका क्रमांक-03 से यह स्पष्ट होता है कि 80 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत में पहली बार चुनी गई है। 20 प्रतिशत उत्तरदाता दूसरी बार चुनी गई है। किन्तु 60 महिला उत्तरदाताओं में से, तीसरी बार किसी को भी जनता ने अवसर नहीं दिया है। अतः यह विदित होता है कि जनता नये-नये प्रतिनिधियों को ज्यादा मौका देती है और जिनका नेतृत्व या कार्य अच्छा होता है उन्हें जनता पुनः चुन लेती है। यह स्थिति जनता की

राजनीतिक जागृति का प्रतीक है।

तालिका क्रमांक-04

महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मूख आने वाली कठिनाइयों एवं चुनौतियों का विवरण -

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	गृह कार्य एवं पारिवारिक जिम्मेदारियां	27	45
2.	पति एवं पारिवारिक सदस्यों का दबाव	03	05
3.	अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी	18	30
4.	पुरुषों के मध्य बैठने व बात करने में लज्जा	02	03.33
5.	कृषि तथा मजदूरी कार्य	10	16.66
योग		60	100

तालिका क्रमांक-04 में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मूख आने वाली प्रमुख बाधाओं एवं चुनौतियों की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 45 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि गृह कार्य एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अपने अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाती है। तथा 05 प्रतिशत पति एवं पारिवारिक सदस्यों के दबाव के कारण, 30 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी के कारण, 3.33 प्रतिशत जनप्रतिनिधि पुरुषों के मध्य बैठने व बातचीत में लज्जा आने के कारण तथा 16.66 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि यह मानती है कि कृषि एवं मजदूरी कार्य के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त व्यक्त समस्याओं के कारण उन्हें पंचायती उत्तरदायित्व के निर्वहन में कठिनाइयों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

तालिका क्रमांक-05

महिला जनप्रतिनिधियों के अनुसार, उनके सशक्तिकरण के मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधक तत्वों का विवरण

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी	30	50
2.	परम्परागत मान्यताएं एवं रूढ़ियां	07	11.66
3.	पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था	05	08.33
4.	गरीबी एवं बेरोजगारी	08	13.33
5.	व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी	10	16.66
योग		60	100

तालिका क्रमांक-05 में महिला सशक्तिकरण के मार्ग उत्पन्न होने वाली बाधक तत्वों का विवरण किया गया है। सर्वाधिक 50 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि यह मानते हैं कि अशिक्षा एवं जागरूकता की कमी उनके सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे, बड़ी-बाधा है। तथा 11.66 प्रतिशत जनप्रतिनिधि परम्परागत सामाजिक मान्यताएं एवं रूढ़ियों को सशक्तिकरण में बाधक तत्व मानती है, 8.33 प्रतिशत पुरुष-प्रधान समाज व्यवस्था को, 13.33 प्रतिशत जनप्रतिनिधि गरीबी एवं बेरोजगारी को तथा 16.66 प्रतिशत जनप्रतिनिधि यह मानते हैं कि महिलाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी के कारण उनका सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। अतः यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त व्यक्त कमियां उनके सशक्तिकरण के मार्ग में बाधक हैं, जिन्हें दूर किये बिना महिलाएं सशक्त नहीं हो सकती हैं।

तालिका क्रमांक-06

पंचायती राज संस्थाओं में महिला जनप्रतिनिधियों की चुनावी भूमिका न होने के कारणों का विवरण-

क्र.	विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	पुरुषों का वर्चस्व	30	50
2.	आर्थिक निर्भरता	08	13.33
3.	राजनीतिक गुटबाजी	03	05
4.	अशिक्षा एवं जागृति हीनता	15	25
5.	पर्दाप्रथा	04	06.66
	योग	60	100

तालिका क्रमांक-06 में पंचायती राज संस्थाओं में महिला जनप्रतिनिधियों की चुनावी भूमिका न होने के कारणों का विश्लेषण किया गया है। तालिका से यह विदित होता है कि पुरुषों के वर्चस्व के कारण 50 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि चुनावी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाती है। तथा 13.33 प्रतिशत जनप्रतिनिधि आर्थिक निर्भरता के कारण, 05 प्रतिशत जनप्रतिनिधि गांवों में राजनीतिक गुटबाजी के कारण, 25 प्रतिशत जनप्रतिनिधि अशिक्षा एवं जागृति हीनता के कारण तथा 06.66 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि यह मानती है कि पर्दाप्रथा होने के कारण वह सामने आकर चुनावी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाती है। अतः यह स्पष्ट होता है कि आज महिलाएं भारत की कुल आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, किन्तु परम्परागत समाज व्यवस्था की पुरुष प्रधान मानसिकता, आर्थिक निर्भरता, अशिक्षा एवं पर्दाप्रथा जैसे कारणों से वह चुनावी भूमिका नहीं निभा पाती है।

निष्कर्ष - पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक कारगर कदम रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप ही स्थानीय राजनीतिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकी है। वस्तुतः पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी एवं चुनौतियों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज जीवन में महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखा गया, उन्हें शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों से दूर रखा गया परिणामस्वरूप वह सार्वजनिक जीवन में पुरुषों की तुलना में पिछड़ गईं। महिलाओं के इसी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आजादी के बाद हमारे नीति-निर्माताओं ने विभिन्न अतिरिक्त सवैधानिक प्रावधान किए ताकि महिलाएं सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दृष्टि से सशक्त हो सकें। इसी प्रकार उनकी राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित करने तथा उन्हें राजनीतिक दृष्टि से सशक्त बनाने हेतु स्थानीय स्वशासन की इकाईयों में एक-तिहाई आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। फलस्वरूप वह आज 50 प्रतिशत से भी अधिक स्थानों पर निर्वाचित हो रही हैं किन्तु जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, वह अब गृहकार्य एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों, पति एवं पारिवारिक सदस्यों का दबाव, अशिक्षा गरीबी, बेरोजगारी, परम्परागत रूढ़िगत मान्यताएं, जागरूकता की कमी एवं महिलाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी के कारण लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सफलता एवं महिलाओं का सशक्तिकरण बाधित एवं प्रभावित हो रहा है। उक्त व्यक्त समस्याओं के समाधान किये बिना महिलाओं का सशक्तिकरण संभव नहीं हो सकता है।

सुझाव - प्रस्तुत अध्ययन जो कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी एवं चुनौतियों पर आधारित है। अध्ययन में मुख्यतः निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मुख आने वाली प्रमुख चुनौतियों एवं बाधाओं

के कारकों का अध्ययन किया गया है। उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं-

1. आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं में शिक्षा की कमी एवं जागरूकता का अभाव है। अतः उनकी अशिक्षा को दूर करने हेतु वैज्ञानिकता पर आधारित गुणात्मक शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए तथा जागरूकता बढ़ाने हेतु निरंतर जनजागृति अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है।
2. ज्यादातर महिला जनप्रतिनिधि गरीबी एवं बेरोजगारी के कारण कृषि व मजदूरी कार्य में लिप्त रहती हैं। इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु सरकार को उनका मासिक मानदेय की राशि बढ़ानी चाहिए ताकि वह कृषि एवं मजदूरी कार्यों में न उलझकर अपने कर्ताव्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकें।
3. समाज को भी मानवीय मूल्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को दबाव देने के बजाए उनका सहयोग करना चाहिए ताकि वह पुरुषों की भांति सशक्त भूमिका का निर्वहन कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिसोदिया, यतीन्द्र (2003), मध्यप्रदेश की ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, पूर्व देवा सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, उज्जैन, अंक 33 एवं 34 संयुक्त, पृष्ठ संख्या-20।
2. Aslam, M. (2010), Panchayati Raj in India, National Book Trust, India, New Delhi, Pp.20-21.
3. सिंह, रूपेश कुमार (2003), महिला सशक्तिकरण एवं पंचायती राज, पूर्व देवा सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, उज्जैन, अंक 33 एवं 34 संयुक्त, पृष्ठ संख्या-40
4. भारत का संविधान, 9 नवम्बर, 2015 को यथाविद्यमान, भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) राजभाषाखण्ड, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 147-148
5. सक्सेना, आलोक (2015), मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज, अधिनियम, इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी, इन्दौर, पृष्ठ-22
6. भदौरिया, जितेन्द्रसिंह एवं गौतम, राकेश (2019), मध्यप्रदेश एक परिचय, एम.सी.ग्रिव हिल ऐजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई, पृष्ठ 19-51
7. एजाज, तनवीर (2006), महिलाओं के लिए आरक्षण, आर्य साधना, मेनन निवेदिता, लोकनीता, जिनी (संपा.), नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली पृष्ठ- 342-441
8. जोशी, गोपा (2015), भारत में स्त्री असमानता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृष्ठ-37
9. मुखर्जी, सुब्रत एवं रामास्वामी, सुशीला (2015), पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृष्ठ 170-222
10. भारत का संविधान, 9 नवम्बर, 2015 को यथा विद्यमान, वही, पृष्ठ 147-148
11. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, आम निर्वाचन पंचायत, 2014-15

स्थानीय स्वशासन पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी

बृजेश कुमार अहिरवार *

शोध सारांश – देश की शासन व्यवस्था में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीयकरण शासन व्यवस्था के तहत पंचायती राज ने स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देकर ग्रामीण नेतृत्व से लेकर जिला स्तर तक का राजनैतिक गलियारा खोल दिया है। ब्रिटिश काल में तथा स्वतंत्रता के बाद भी महिलाओं को पंचायती राज ने नेतृत्व देने में लंबा समय लगाया है। लेकिन आज यह पंचायती राज एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभर रही है। चूंकि सरकार की ओर से योजनाएँ जो भी चलाई जाएं तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका पंचायत की ही होती है। इस प्रकार से स्थानीय शासन में तो महिलाओं को भागीदारी मिली है। लेकिन अब इसी के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार में भी महिलाओं को हिस्सेदारी मिलना चाहिए। तभी इस देश के समग्र विकास में महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध होगा।

प्रस्तावना – प्राचीन काल में भारत में स्थानीय स्तर पर शासन संचालन के लिए पंचायतों का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन इनका स्वरूप पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक स्तर का नहीं लगता। वैदिक काल में भी पंचायतों की जगह सभा व समितियाँ होती थी, जो लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करती थी अर्थात् गाँव की समस्या को स्थानीय स्तर पर गाँव के व्यक्ति व समिति के सदस्यों द्वारा हल करने का प्रयास किया जाता था। गाँव की स्थानीय समस्या पर गाँव के वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति व उसकी समिति, सभा के सदस्य उक्त समस्या पर गंभीरता से गहन विचार करके ही किसी ठोस निर्णय पर जाते थे। इस प्रकार से यह प्राचीनकाल, मध्यकाल व आधुनिक काल में सभा व समिति की परंपरा ने पंचायतों का स्वरूप धारण कर लिया। मुगल काल में तो इसका स्वरूप जागीरदारी (सामंती) व्यवस्था का प्रचलन था। इस काल में गाँव का एक मुखिया (सामंत) जागीरदार हुआ करता था। यह सामंत प्रायः मनमानी व अत्याचार किया करते थे। जनता यदि उनकी मनमर्जी से नहीं चलती थी, तो यह (सामंत) प्रताड़ित करते थे।

पंचायत शब्द जाना-माना लगता है। परन्तु इसका स्वरूप पुराना है, इस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द 'पंचायतन' से हुई है, जिसका अर्थ है पाँच व्यक्तियों का समूह। महात्मा गाँधी ने भी पंचायत का शाब्दिक अर्थ गाँव के लोगों द्वारा चुने हुए पाँच व्यक्तियों की सभा से लिया है। वैदिक काल में भी सभा व समितियों का उल्लेख मिलता है, यह सभा व समितियाँ लोगों की भलाई के लिए काम करती थी तथा गाँव के लोगों के प्रति ही उत्तरदायी होती थी।¹

ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन और महिला – धीरे-धीरे ब्रिटिश काल आ गया, ब्रिटिश सरकार स्थानीय स्तर पर भारतीयों को शक्ति व अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, उनका मानना था कि भारतीयों को शासन चलाना नहीं आता वे अयोग्य होते हैं। परन्तु कुछ समय के बाद इस काल में पंचायत का स्वरूप उभरकर सामने आया, इसका फिर से उदय हुआ। 28 सितम्बर, 1687 को क्राउन की अनुमति से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में कर लगाने के लिए कारपोरेशन गठित करने का प्रारूप तैयार किया लेकिन लोगों के विरोध के कारण वह लागू नहीं हो सका। 14 दिसम्बर, 1870 को

लार्ड मेयो ने सत्ता के विकेन्द्रीयकरण और स्वायत्तशासी संस्थाओं के गठन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जिसका उद्देश्य था। लोगों की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना। इसके बाद लार्ड रिपन का प्रस्ताव आया जो स्वायत्त शासन की संस्थाएँ स्थापित करने में मील का पत्थर साबित हुआ। अब यह सिलसिला रुका नहीं लगातार चलता रहा, 13 मार्च 1912 को गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि यह जो स्वायत्तशासी संस्थाएँ हैं, वहीं की वहीं है जो 30 साल पहले लार्ड रिपन के शासन काल में थी। सन् 1919 में ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया इसे मांटैग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इससे छोटे स्तर पर जैसे फौजदारी मामले व दीवाने मामलों को स्थानीय स्तर पर हल करने का प्रयास शुरू हुआ, ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम के माध्यम से स्थानीय मामलों को राज्य स्तर पर शक्ति देने का एक प्रस्ताव तैयार किया।²

लेकिन इन सबके बावजूद प्राचीन काल, मध्यकाल, मुगलकाल या फिर ब्रिटिश काल हो स्थानीय स्तर पर स्वशासन पद्धति में फेर-बदल तो होता रहा। परन्तु उसमें महिलाओं को कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया। गाँव के शासन की बात हो या फिर ऊपरी स्तर की सत्ता हो महिलाओं को उसमें भागीदार नहीं बनाया जाता था। वह जहाँ थी उसी स्थान पर जस की तस बनीं रही।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पंचायती राज और महिला – स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था में महिला को प्राचीन काल से लेकर 20वीं शताब्दी के अर्धशतक तक भारतीय राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी नाममात्र की रही। भारतीय समाज के इस ताने-बाने ने महिलाओं को राजनैतिक व सामाजिक अधिकार से वंचित कर दिया था। महिला को प्रशासनिक स्तर पर कार्य करने के योग्य नहीं माना जाता था हिन्दू धर्म की परम्पराओं ने महिला के बौद्धिक विकास को अवरुद्ध कर दिया था, वह पुरुष के लिए एक वस्तु के समान कार्य करने की मशीन बन गई थी। 'लिंग आधारित समानता का अधिकार, जो हमारे संविधान में मूल अधिकार है, को सामान्य परिस्थितियों में महिला के लिए भारतीय समाज मान्यता नहीं देता। सामान्य स्थिति में उसकी लिंग आधारित असमानता से समाज तथा राज्य दोनों को कोई

परेशानी नहीं रहती।³ शायद इसी कारण से मानवीय जीवन में मानव ने जब से शासन संचालन सीखा तो उसमें महिलाओं को पीछे धकेल दिया। लेकिन जैसे ही भारत देश को 1947 में आजादी मिली। उसी के बाद 1952 में सामुदायिक विकास योजना के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई, कि महिलाओं को शासन सत्ता में भागीदारी बनाया जाये परंतु यह योजना पूर्णरूप से सफलता की सीढ़ी तक नहीं पहुँच पाई इसकी असफलता के बारे में यह निष्कर्ष निकला कि गाँव के लोगों को इसमें भागीदार नहीं बनाया जाता था केवल प्रशासन के कर्मचारी ही इसमें शामिल रहते थे। गाँव के लोगों को निर्णय प्रक्रिया व नेतृत्व में शामिल नहीं किए जाने से ग्रामीणों के मन में यह भाव आया कि सरकार के द्वारा थोपे गए नियम कानून हम कब तक ढोते रहेंगे, हमें अपने गाँव का शासन स्वयं चुनने का अधिकार मिलना चाहिए।

इसके बाद तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार योजना में बदलाव करते हुए 1957 में केन्द्र सरकार के द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का चयन किया गया।⁴ जिसमें यह उल्लेख आया कि ग्रामीण शासन में जनसहभागिता आवश्यक है, इसके बगैर शासन को चलाना यानि ग्रामीणों की समस्या को नजरअंदाज करना है। अतः मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव प्रस्तुत किया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का वर्णन किया गया, इसके साथ इनमें परस्पर तालमेल और सहयोग का ताना-बाना बना रहे इसके लिए सुझाव दिए गए। समिति की रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने 02 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करके नया सूत्रपात किया।

पंचायती राज व्यवस्था में धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीतता गया नये-नये सुझाव व संशोधन आने लगे। अशोक मेहता समिति ने 1978 में पंचायती राज को द्वि-स्तरीय करने का सुझाव दिया इन सबके बावजूद इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति 1990 के दशक तक विशेष नहीं सुधरी। आजाद भारत में महिलाओं को चार दीवारी के बीच रहने को मजबूर किया गया उनकी शिक्षा व्यवस्था तथा राजनीतिक नेतृत्व में नगण्य स्थिति रही। इसके बाद 1989 में एक नया अध्याय बनाया गया। स्व. राजीव गाँधी के प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा में एक बिल पेश किया गया पंचायती राज से संबंधित। यह संविधान में 64वें संशोधन के तहत था।⁵ लेकिन यह बिल राज्य सभा में पास नहीं हो सका और पंचायती राज में सुधार की प्रक्रिया असफल रही, हालांकि केन्द्र सरकार के द्वारा पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए जमीनी स्तर पर निरन्तर प्रयास जारी रहा है।

इसके बावजूद देश के समग्र विकास में महिलाओं की भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। इसके साथ ही जब हमारे देश में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास किया गया तो इसमें महिलाओं को भागीदारी मिलना शुरू हुई। हालांकि इसके लिए लंबा वक्त जरूर लगा, यह कार्य केन्द्र सरकार ने पंचायती राज में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया। जो कि आज महिला ग्राम सरपंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर असीन है।

73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति- पंचायती राज का असली स्वरूप 73वां संविधान संशोधन के बाद सामने आया यह संशोधन महिला कल्याण के लिए उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुधारने का सार्थक प्रयास था। जिसके माध्यम से महिलायें भी पुरुषों के बराबर स्थानीय शासन में अपनी भागीदारी को

निभा सकें। इसमें संदेह नहीं कि महिला को सशक्त बनाने के लिए उसमें आत्मविश्वास और उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में तथा उसे समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए 73वें संविधान संशोधन ने अहम भूमिका का निर्वहन किया है। अब महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में पंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर पहुँचकर अपनी नेतृत्व क्षमता को विकसित कर रही है व रूढ़िगत सोच, रीति-रिवाज व परम्पराओं से बाहर निकलकर राजनीतिक शक्ति संरचना में महिला सशक्तिकरण के द्वारा अपनी जिम्मेदारी का पालन करने में मजबूती के साथ कार्य कर रही हैं। जो कार्य पुरुष कर सकता है, वह कार्य महिला भी कर सकती है, वही बुद्धि, विवेक, ज्ञान व क्षमता महिला में है, जो एक पुरुष में है। आज यदि देखा जाए तो महिलायें आर्मी, वायुसेना, नौ सेना में बड़ी तादाद में भर्ती होकर जोखिम भरे कार्य करने में भी पीछे नहीं हैं।

जब ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पंचायती राज में शामिल किया गया यह गतिविधि आगे तभी बड़ी जब 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज अधिनियम को मजबूत किया गया। 'महात्मा गाँधी ने जिस ग्राम स्वराज की कल्पना की थी उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि गाँव के लोगों की समस्याओं को गाँव में हल करना था'।⁶ यह कार्य अपने मूलरूप में तभी देखने को मिला जब 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज ग्रामीण और 74वां संशोधन 01 जून 1993 को नगर परिषद शहरी पारित कर दिया गया। इसके द्वारा सभी पंचायतों में पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देने के साथ एक तिहाई स्थान 33 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षित कर दिए गए।⁷ यह विधेयक महिलाओं को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुँचाता है, इसके बाद से ही पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना शुरू हो गई।

सन् 2000 एवं 2004 के चुनावों में महिलाओं की हिस्सेदारी **तालिका 1 - (देखें आगे पृष्ठ पर)**

तालिका से स्पष्ट है कि स्थानीय स्वशासन पंचायती राज के तीनों स्तरों में महिलाओं की स्थिति सन् 2000 में लगभग 31 प्रतिशत थी। वह सन् 2004 में बढ़कर 42 प्रतिशत तक पहुँच गई। अतः महिलाओं की स्थानीय स्तर के शासन में भागीदारी बढ़ी है, वह अपने निर्धारित स्थान 33 प्रतिशत से आगे निकल गई, जहाँ 73वां संविधान संशोधन 33 प्रतिशत की अलख जगाता है। वही देखा जाए तो आज महिला स्थानीय स्वशासन पंचायती राज में बराबरी से भूमिका निभा रही है।

73वां संविधान संशोधन में महिलाओं को आरक्षण मिलने से उनकी उत्तरोत्तर उन्नति में बदलाव देखने को मिल रहा है, यह आरक्षण महिला को आगे बढ़ाने में धीरे-धीरे कारगर साबित हुआ है। केन्द्र की यूपीए सरकार ने 2009 में महिलाओं को पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव में 50 फीसदी आरक्षण की सहमति दे दी, परंतु यदि देखा जाये तो बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने यह 50 फीसदी आरक्षण सन् 2005 में ही लागू कर दिया था।⁹

मध्यप्रदेश में यह मार्च 2007 में पंचायत मंत्री रूस्तम सिंह द्वारा ग्राम-स्वराज संशोधन विधेयक के नाम से पारित किया गया। इस विधेयक ने मध्यप्रदेश में महिलाओं को पंचायत व नगरीय निकाय में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की जो आज वर्तमान में लागू है।¹⁰ देश में यदि देखा जाये तो पंचायतों के 22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में से करीब 12 लाख महिलाएँ हैं, तथा तीन स्तरों वाली पंचायत प्रणाली में 59000 से अधिक

महिला अध्यक्ष है।¹¹ पंचायती राज व्यवस्था भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्ला देश में भी है, वहां भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। पाकिस्तान में यह व्यवस्था सन् 2001 से लागू है।¹²

महिलाओं को निचले स्तर के पायदान पर तो हिस्सेदारी मिल गयी है लेकिन ऊपरी स्तर पर जहाँ से पूरे देश की सरकार का संचालन होता है वह है संसद वहां पर महिलाओं का प्रतिशत यूनिसेफ 2001 और 2004 के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व इस प्रकार से है। कुछ देशों के आधार पर आँकड़े दिए जा रहे हैं।

तालिका 2 –(देखे आगे पृष्ठ पर)

प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व देने में 8.3 प्रतिशत है। वहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमसे आगे 21.3 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहा है। 2014 की स्थिति के अनुसार भी लें तो यह लोकसभा में 61 महिला सांसद है जो कि 11.3 प्रतिशत है। राज्यसभा में 28 महिला सांसद है, जो 11.2 प्रतिशत है, जो कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम दर्शाता है।

भारत देश में जिस प्रकार से पंचायत स्तर पर महिला आरक्षण लागू किया गया है यदि उसको लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में भी लागू कर दिया जाये तो भारतीय राजनीतिक में अमूल-चूल परिवर्तन हो सकता है। आज भी 'भारत महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में 111वें पायदान पर है'।¹⁴ पिछड़े अफ्रीकी देश भी हमसे अच्छी स्थिति में है हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। 'यहाँ पर 76 करोड़ मतदाता है'।¹⁵ अतः यहाँ पर लोकतंत्र को सही रूप में लागू करना है तो महिलाओं को राजनीतिक व्यवस्था में शासन प्रशासन में तथा निजी क्षेत्रों में भी ऊपर से लेकर नीचे तक बराबरी की हिस्सेदारी देनी होगी।

निष्कर्ष – आज महिला निचले स्तर पर स्थानीय स्वशासन पंचायती राज में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य व जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर तो आसीन है। इस स्थानीय सरकार की गतिविधियों में तो अपनी भूमिका बराबरी से निभा रही हैं। लेकिन केन्द्रीय स्तर की राजनीति में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में इनकी संख्या नगण्य है।

इस ऊपरी सत्ता में भी महिलाओं को बराबर का स्थान मिलना चाहिए। तभी हमारा लोकतंत्र धरातल पर मजबूत हो सकता है। यह जो निचले स्तर पर स्थानीय स्वशासन के पदों पर प्रतिनिधित्व कर रहीं महिलाओं का जब ऊपरी सत्ता के राजनैतिक पदों पर बैठी महिलाओं से संपर्क होगा तो निश्चित ही राजनीतिक सहभागिता बढ़ेगी तथा सत्ता के गलियारे में पुरुषों की भाँति महिलाएँ भी अपनी भूमिका को बखूबी निभा पाएंगी। इस व्यवस्था को तभी कामयाब बनाया जा सकता है जब महिला आरक्षण केन्द्रीय स्तर पर भी लागू किया जाए। तभी इस देश की राजनीति में महिलाओं को आत्मसम्मान और गौरवपूर्ण जीवन प्राप्त हो सकता है और यह लोकतंत्र भी समृद्धि की और आगे बढ़ेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महीपाल (2015), पंचायती राज चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूटशनल एरिया, फेज-II वसंत कुंज नई दिल्ली, ISBN 978-81-237-4293-9 पृ. क्र. 03
2. वही, पृ. क्र. 06, 07, 09
3. जोशी गोपा (2015), भारत में स्त्री असमानता एक विमर्श, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ. क्र. 331
4. महीपाल (2015), पंचायती राज चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूटशनल एरिया, फेज-II वसंत कुंज नई दिल्ली, ISBN 978-81-237-4293-9, पृ. क्र. 14
5. शर्मा राकेश निशीथ, (2016), पंचायती राज तब और अब, प्रकाशन: जाहन्वी प्रकाशन ए-71, विवेक विहार फेज-2, दिल्ली-110092, पृ.क्र.1021
6. बंसल वंदना (2004), पंचायती राज में महिला भागीदारी, कल्पाज पब्लिकेशन्स सी-30 सरस्वती नगर, दिल्ली-110052, ISBN 81-7835-347-4, पृ. क्र. 041
7. शर्मा राकेश निशीथ, (2016), पंचायती राज तब और अब, प्रकाशन: जाहन्वी प्रकाशन ए-71, विवेक विहार फेज-2, दिल्ली-110092, पृ.क्र.VI
8. कोडान आनंद सिंह, विमल एवं सिंह नरेन्द्र, कुरुक्षेत्र जून-2010, पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण, प्रकाशक: ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली, पृ. क्र.141
9. Dr. Sachchianand Ke Lekh, Friday 04 Oct. 2013, Snsamaj.blogspot.com.
10. खान फिरदौस 10 जूलाई 2011, मुस्लिम औरत दहलीज से सियासत तक Shahroznaama.blogspot.com.
11. शर्मा राकेश निशीथ, (2016), पंचायती राज तब और अब, प्रकाशन: जाहन्वी प्रकाशन ए-71, विवेक विहार फेज-2, दिल्ली-110092, पृ.क्र.186
12. वही, पृ.क्र. VI
13. खान फिरदौस, 10 जुलाई, 2011, मुस्लिम औरत दहलीज से सियासत तक, Shahroznaama.blogspot.com.
14. खान जाहिद, Oct. 2017, महिला आरक्षण विधेयक अब पास होना ही चाहिए, स्वत्वाधिकार, प्रकाशक एवं मुद्रक, मीरासिंह द्वारा डी. के. 3122912 कोलार रोड, भोपाल (मध्यप्रदेश) से प्रकाशित, पैठ 2395-082X, RNI MPHIN/2005/16820, डाक पंजीयन 706/15-17
15. वही, पृ. क्र. 20

तालिका 1 - सन् 2000 एवं 2004 के चुनावों में महिलाओं की हिस्सेदारी

स्तर	सन् 2000		सन् 2004	
	ग्राम पंचायत में निर्वाचित महिला सदस्य	2455036 (100)	772677 (31.47)	2065882 (100)
पंचायत समिति जनपद पंचायत में महिला जनपद सदस्य	130309 (100)	38412 (29.47)	109324 (100)	47455 (42.04)
जिला परिषद में जिला पंचायत सदस्य (महिला)	12338 (100)	4088 (31.84)	11708 (100)	4923 (42.04)

(कुरुक्षेत्र जून 2010)⁸

तालिका 2

देश का नाम	प्रतिशत	देश का नाम	प्रतिशत
नाइजीरिया	6.4	बांग्लादेश	14.8
ब्राजील	8.6	यू.एस.ए.	15.2
भारत	8.3	चीन	20.3
इंडोनेशिया	11.3	पाकिस्तान	21.3

(फिरदौस खान 10 जुलाई 2011)¹³

भारत में बांग्लादेशी प्रवास-शरणार्थी या घुसपैठिऐं

अली हसन*

शोध सारांश - वर्तमान परिदृश्य में अवैध प्रवास की समस्या एक महत्वपूर्ण ज्वलंत समस्या के रूप में है, मानव आपसी संघर्ष, विवाद या गरीबी के खतरायुक्त जीवन से एक अच्छे जीवन की खोज करता है, जिससे वह एक स्थान से दूसरे को गमन करता है। सन् 1947 का विभाजन विश्व इतिहास का अजीबो गरीब विभाजन था, जिसे बिना जमीनी हकीकत के सिर्फ नक्शों में खींच दिया गया था। किसी परिवार के घर की रसोई भौगोलिक रूप से भारतीय सीमा में तो शयनकक्ष पूर्वी पाकिस्तान की सीमा में था, जो पूर्वी पाकिस्तान से भारतीय सीमा में अवैध प्रवास को गति देने का प्रमुख कारण था। भारत-बांग्लादेश सीमा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से आपसी परिस्थितियों के कारण स्वतंत्रतापूर्वक सीमा आवागमन के लिए आसान था। बांग्लादेश के अल्प विकसित होने के कारण बांग्लादेशियों को रोजी-रोटी के लिए चोरी छिपे भारत आना एक मुख्य कारण था। एक अनुमान के मुताबिक करीब 150 लाख अवैध बांग्लादेशी नागरिक भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं, ये शरणार्थी हैं या घुसपैठिऐं। अभी हाल में केवल असम में एन.आर.सी. (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन) का अंतिम मसौदा जारी होने के बाद राज्य में 40 लाख अवैध प्रवासियों का पता चला है। भारत में अवैध प्रवासन भारत-बांग्लादेश संबंधों को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है।

शब्द कुंजी-भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिऐं, भारत में अवैध प्रवासन, भारत में शरणार्थी समस्या।

प्रस्तावना - भारत में अवैध प्रवासन की समस्या सन् 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के साथ प्रारंभ होती है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर समुचित प्रबंधन होने के कारण यह समस्या बढ़ती चली गई, बांग्लादेश के उदय से पूर्व 1948 से 1952 के समय में वृहद रूप से शरणार्थी को भारतीय सरकार द्वारा वैध मान लिया गया था। 15 अगस्त 1975 के मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद तात्कालिक अवैध प्रवास समस्या विस्तारित रूप में देखने को मिली सन् 1971 के बाद अधिकतर शरणार्थियों के आने का मुख्य कारण -

1. सन् 1971 की बांग्लादेश स्वतंत्रता संघर्ष के समय राजनीतिक अस्थिरता।
2. मुख्यतः हिन्दु परिवारों को युद्ध के समय असुरक्षित होने की भावना।
3. शरणार्थियों को भारतीय सीमा में रह रहे रिश्तेदारों और दोस्तों द्वारा आश्रय देना।
4. बांग्लादेश में आर्थिक अस्थिरता।

सन् 1981 में बांग्लादेश में हिन्दुओं का प्रतिशत कुल आबादी का 12.13% था जो 2011 में घटकर 8.96% हो गया इसका कारण मुस्लिम कट्टरपंथी ज्यादा शक्तिशाली हो गए जो हिन्दुओं को डराते धमकाते थे, जिससे असुरक्षा से भारतीय सीमा में अवैध प्रवास बढ़ गया। सन् 1990 के बाद शरणार्थी आने का मुख्य कारण आर्थिक था। हिन्दू और मुस्लिम दोनों ही शरणार्थी भारत आये। खालिदा जिया (1991-96) के शासन काल में उनकी सरकार में मुस्लिम कट्टरपंथी ज्यादा शक्तिशाली हो गए जो हिन्दुओं को डराते धमकाते थे, जिससे भय एवं असुरक्षा से भारतीय सीमा में अवैध प्रवास बढ़ा कुछ प्रवासियों का आना-जाना लगातार होता रहता था, जिससे भारतीय सीमा क्षेत्रों में मकान या सम्पत्ति की खरीददारी भी करते थे। भारत-बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता शर्तें न होने के कारण अवैध बांग्लादेशी

लोग भारत में आते गये। बांग्लादेश कहता रहता है कि भारत में कोई बांग्लादेशी नहीं है, लम्बे समय तक बांग्लादेश चकमा शरणार्थियों की बात को इन्कार करता रहा है। जैसे बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जनरल एम. इरशाद के अगस्त 1983 के कथन से स्पष्ट है कि 'हमने अपनी आजादी

महानतम बलिदानों से प्राप्त की है, हमारे लोग पूरी शान्ति और मजहबी संतुलन में जीते हैं। हम पूरी तरह से सुरक्षित होते हुए अपने लोगों की सारी सुविधाओं की अच्छी व्यवस्था करते हैं। इसलिए यह सवाल कि हमारे लोग दूसरे देश में अवैधानिक तरीकों से प्रवास करते हैं, जैसा कि आरोप है, गलत है' इस तरह से शुरू से ही बांग्लादेशी रातनेता इन्कार करते रहे हैं। आँकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल की सरकार के अनुसार अवैध अप्रवासियों की संख्या लगभग 4.4 मिलियन की है, जो आज लगभग 5 मिलियन के आस-पास है। आसाम में 2.2 मिलियन और इसी तरह त्रिपुरा, बिहार, मणिपुर, नागालैण्ड के साथ-साथ पूरे भारत में इनका तेजी से विस्तार हो रहा है, जिनकी पूरी संख्या 15 मिलियन आंकी गई है। केन्द्र सरकार ने 12-18 मिलियन अवैध बांग्लादेशी स्वीकार किया है। यद्यपि सामाजिक और शारीरिक समानता के कारण ये लोग स्थानीय लोगों में आसानी से घुल मिल जाते हैं, जिससे कि इनके चिन्हीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सन् 1971 के बाद भारत में बहुत अधिक संख्या में प्रवासन हुआ, बांग्लादेश से भारत में प्रवासन को हम दो समूहों में बाट सकते हैं, जिसमें प्रथम समूह में हिन्दू बांग्लादेशी जो मुख्यतः शरणार्थी के रूप में भारत आए क्योंकि मुस्लिम कट्टरपंथी हिन्दुओं को डराते धमकाते थे। जिससे असुरक्षा से भारतीय सीमा में अवैध प्रवास हुआ द्वितीय समूह में वे मुस्लिम शरणार्थी जो अपने आर्थिक आवश्यकता हेतु प्रवास का सहारा लेते हैं। जिन्हें हम तीन भागों में बांटते हैं इनमें प्रथम ऐसे समूह जो मुस्लिम बाहुल्य सीमावर्ती जिलों में बस गए हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। द्वितीय ऐसे समूह जो

दैनिक मजदूर, रिक्शा चालक, कामगार आदि हैं जो भारत-बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य करते हैं और सामान्य रूप से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तृतीय समूह में वे लोग जो भारतीय नगरों में जैसे दिल्ली, कोलकाता, रांची एवं पटना शहरों में पुर्णतः बस गए हैं।

भारतीय सीमा में अवैध प्रवास हिन्दू और मुस्लिम बांग्लादेशी दोनों का हुआ और सभी सरकारों ने दोनों समुदाय के लोगों को प्रवासी माना है पर इस सम्बन्ध में हिन्दू राष्ट्रवादी दल यह बताते हैं कि कौन शरणार्थी है? और कौन घुसपैठी? राष्ट्रवादी धर्म एवं जाति के आधार पर घुसपैठी और शरणार्थी में भेद करते हैं। एक सामान्य दृष्टि से देखा जाये तो यह स्पष्ट है ये दोनों ही घुसपैठी हैं पर राष्ट्रवादी हिन्दू बांग्लादेशी को शरणार्थी एवं मुस्लिम बांग्लादेशी को घुसपैठी बताते आए हैं। सन् 1990 के बाद राष्ट्रवादी का चेहरा बनी भारतीय जनता पार्टी इन मुस्लिम प्रवासियों को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताकर इन्हें वापस बांग्लादेश भेजने की बात करती रही है और अन्य राजनीतिक दल जैसे टी.एम.सी. कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आदि पर यह आरोप लगाती रही है कि ये इनका इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में कर रहे हैं और इन्हें वापस बांग्लादेश भेजने के प्रश्न पर मौन है। राष्ट्रवादी पार्टी मुस्लिम बांग्लादेशियों पर यह आरोप लगाती है कि ये पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा आदि सीमावर्ती राज्यों में जनसांख्यिकी असमानता पैदा कर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों का निर्माण कर रहे हैं और इस काम के लिए आई. एस. आई. भी मदद कर रही है और ये बंगाल का एक और विभाजन हेतु पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। अवैध प्रवास भारत-बांग्लादेश के बीच सबसे समस्यात्मक मुद्दा रहा है। सन् 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ और लाखों बांग्लादेशी प्रवासी भारत में आकर बस गए हालांकि भारत सरकार ने कुछ अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने का प्रयास किया लेकिन इनकी बढ़ी संख्या और दोनों देशों के बीच खुला बार्डर पर्याप्त चौकसी का अभाव, सरकार के प्रयास को नाकाम कर दिया। सन् 1971 से अब तक बांग्लादेश ने इन अवैध प्रवासियों को अपना नहीं माना अभी हाल में बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसनूल हक ने कहा कि 'अवैध प्रवासियों की समस्या भारत की है हमारी नहीं और वे लोग बांग्लादेशी भी नहीं हैं। ये भारतीय राज्यों के प्रवासी हो सकते, दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि पिछली जनगणना में बांग्लादेश से 1 करोड़ लोग गायब हो गए हैं। इस तरह ये रिपोर्ट यह बताती है कि बांग्लादेश से भारत कि ओर लगातार घुसपैठ हो रहे हैं। 22 जनवरी 2014 को लोक सभा चुनाव के दौरान नरेन्द्र मोदी ने सिलचर में सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि 'बांग्लादेश से दो तरह के लोग भारत आये हैं एक शरणार्थी है और जबकि दूसरे घुसपैठी अगर हमारी सरकार बनती है तो बांग्लादेश से आये सभी हिन्दू लोगों को नागरिकता दी जाएगी और मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर किया जायेगा' इसके बाद सत्ता में आने के बाद 19 जुलाई 2016 को राजनाथ सिंह ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पेश किया जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले हिन्दू, सिख, जैन, फारसी, ईसाई लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा इसका अर्थ यह हुआ कि बांग्लादेशियों को नागरिकता प्रदान कि जाएगी इसका विरोध आल असम स्टूडेंट युनियन (आसु) कर रहा है, उसने केन्द्र सरकार पर हिन्दू घुसपैठियों को मान्यता देने का विरोध कर रहा है उसका कहना है कि चाहे हिन्दू हो या मुस्लिम जितने घुसपैठी हैं। सब को बाहर निकाला जाय। इस प्रकार बांग्लादेश से आये प्रवासियों को अपने अनुसार शरणार्थी या घुसपैठी शब्द का प्रयोग होता रहा है।

बांग्लादेश से शरणार्थियों का भारत आना, जिसे अवैधानिक

बांग्लादेशी प्रवास में काफी हद तक समानता दिखती है। कानून के अभाव में शरणार्थियों और अवैध अप्रवासियों में अंतर कर पाना काफी मुश्किल है। ऐसे लोग जो बांग्लादेश से भागकर भारत में आश्रय तलाशते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के साथ जब वहाँ आर्थिक समस्याएँ बढ़ी, तो यह चकमा आदिवासी क्षेत्र के शोषण का शिकार हो गया। इस क्षेत्र के चकमा आदिवासियों के शोषण के कारण वे मजबूर होकर भारत की सीमा में प्रवेश मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों में इन चकमा आदिवासियों की संख्या लगभग 56,000 तक पहुंच गयी। चकमा शरणार्थी विगत सैकड़ों वर्षों से चिटगांव पहाड़ी पर रहते आये हैं, जहां पर उनकी एक अलग भाषायी और सांस्कृतिक पहचान है। सन् 1964 में चकमा शरणार्थी एक बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) में आकर बसे हुए हैं। ये चकमा शरणार्थी अस्थायी तौर पर बसेरा करने आये थे उस समय यहाँ के स्थानीय लोगों की धारणा थी कि कुछ समय बाद ये लोग वापस चले जाएंगे। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण से ही अस्थायी शरण दिया जाता रहा है। इन शरणार्थियों की वजह से त्रिपुरा की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति असंतुलित हो गयी है। वर्ष 1964 में त्रिपुरा में चकमा शरणार्थियों के मात्र 57 परिवार आये थे। इस समय इनकी संख्या पचास हजार के ऊपर हो गयी है। इससे स्थानीय जनजाति अल्पसंख्यक की स्थिति में पहुंच गयी है यद्यपि नई दिल्ली भारत में स्थायी निवास को हमेशा मना करती रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. नरसिमहाराव ने कहा था कि इन शरणार्थियों को, जो चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र से आये हैं, उन्हें वापस जाना ही होगा। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने शीघ्रता से यह आश्वासन दिया था कि शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा की भावना से वापस जाने का उचित वातावरण पैदा किया जायेगा।

इसी क्रम में सन् 1994 में भारत-बांग्लादेश वार्ता के परिणामस्वरूप त्रिपुरा से चकमा शरणार्थियों का चिटगांव पर्वतीय क्षेत्र में वापस भेजना तय हुआ। अगस्त, 1994 तक 5200 शरणार्थी भेजे जा चुके थे। शेष 50,000 शरणार्थियों के प्रश्न पर 1996 के अंत तक बात चल रही थी, उनमें से अधिकांश शरणार्थी के शिविरों में वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यद्यपि कि वापसी केवल स्वेच्छा के आधार पर थी। दिसम्बर 1997 में चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र में शांति अभियान राजनीतिक अधिवास की ओर भारत की तरफ से शांति वाहिनी के माध्यम से बांग्लादेश पर दबाव बनाया गया। 2 दिसम्बर, 1997 में शान्ति अभियान के निष्कर्ष स्वरूप बांग्लादेशी सरकार और चकमा नेतृत्व के बीच सम्पन्न हुआ, जिसमें यह आशा बांधी गई कि त्रिपुरा के शरणार्थी कैम्पों में रह रहे लगभग 50 हजार शरणार्थी अपने घर वापस लौट सकेंगे। जिससे यह समस्या तो कम हुयी, लेकिन पूर्णयता समाप्त नहीं हुयी। सन् 1997 में शांति स्थापना ने चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र की ओर चकमा शरणार्थियों की वापसी मार्ग प्रशस्त किया, जो 80 के दशक से भारत की ओर पलायन कर रहे थे।

यह समस्या निश्चित रूप से भारत-बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। अतः दोनों देशों को सही मन से साथ-साथ शरणार्थियों की समस्याओं का वास्तविक हल ढूँढना होगा, ताकि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनावों को कम किया जा सके, क्योंकि यह व्यापक रूप से अप्रमाणिक शरणार्थी समस्या हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक समरसता और आर्थिक समानता के लिये एक गंभीर खतरा है। अवैध प्रवासियों ने देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रत्यक्ष रूप से खतरा उत्पन्न करने के साथ-साथ भारत के पूर्वोत्तर में सामाजिक निर्माण पर भी असर डाला है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Bhasin , Avtar Singh. India-Bangladesh Relations: Documents, 1971-2002. New Delhi : Geethika Publishers , 1996.
2. Gujral , I.K., A Foreign Policy for India : External Publicity Division . Ministry of External Affairs , Government of India , New Delhi, 1998.
3. Hazarika , Sanjay . Rites of Passage : Border Crossings. India – s East and Bangladesh . New Delhi : Penguin Books , 2000.
4. Ghosh , Partha . Migrants and Refugees in South Asia : Political and Security Dimensions. Shillong : North – Eastern Hill University Publications, 2011.
5. Ray , Jayanta Kumar & Mamoon , Muntassir . India – Bangladesh Relations Current : Perspectives . New Delhi : Knowledge World Publication (Pvt) Ltd, 2011.
6. Singh , K. Deepak . Stateless In South Asia The Chakmas between Bangladesh and India. New Delhi : Sage Publications, 2010.
7. Shamsad,Rizwana. Bangladeshi Migrants in India. . New Delhi : Oxford University Press , 2017.
8. दत्त, बी.पी. बदलती दुनियां में भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय 2011,
9. पाण्डे ,संजय. कुशवाहा मोनू एवं कुमार अक्षय.भारत – बांग्लादेश संबंध, नई दिल्ली : मोहित पब्लिकेशन 2016,
10. Ministry of External Affairs.India Foreign Relation with Bangladesh.08 Feb 2019.Web 22 Mar 2019

नगरों की उत्पत्ति एवं विकास - प्रागैतिहासिक नगर महेश्वर के विशेष सन्दर्भ में

आमिर कुरैशी * डॉ. ओ. पी. शर्मा **

शोध सारांश - नगर निर्माण की प्रथम घटना मानव की सभ्यता और संस्कृति की नींव मानी जाती है, जो उसके पौरुष सहकार, चातुर्य तकनीकी विकास, बौद्धिकता और विशिष्ट जीवन शैली को चरितार्थ करती है। वह मानव समाज सभ्यता और सांस्कृतिक विकास का अग्रणी बन सका जो ग्रामीण अधिवासों के निर्माण से ऊपर उठकर नगर बसाने में सफल हुआ। इस तरह के अधिवासों की उत्पत्ति ईसा से 7000 से 6000 वर्ष पूर्व होने लगी थी। नगरों की उत्पत्ति के संबंध में कालिक पक्ष महत्वपूर्ण होता है। जब कोई अधिवास नगर बन जाता है तो वह उसका उत्पत्ति का समय होता है। महेश्वर भारत के उन कुछ भाग्यशाली नगरों में से एक है जिनका आधुनिक काल से लेकर ईसवीय युग के आरम्भ तक सुप्रमाणित इतिहास उपलब्ध है। महाभारत में महेश्वरपुर, महेश्वरपद तीर्थ तथा महेश्वर स्थान का उल्लेख है। मत्स्य पुराण तथा पद्मपुराण जैसे कुछ पुराणों में भी नर्मदा पर स्थित जालेश्वर या ज्वालेश्वर नामक तीर्थ का उल्लेख मिलता है। उसी नदी पर स्थित महेश्वर स्थान को उसका मूल कहा गया है। महाभारत तथा कुछ पुराणों में पतंजलि, कालीदास, दण्डि, राजशेखर और मुरारी की कृतियों में तथा कुछ शिलालेखों में माहिश्मति नामक नगर का उल्लेख है जबकि बौद्ध ग्रंथों प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के सिक्कों और उसी काल के साँची के स्तूपों के दान अभिलेखों में माहिश्मति नामक नगर का उल्लेख है।

शब्द कुंजी- प्रागैतिहासिक, वैदिक, पौराणिक, पुरापाषाण, माहिश्मति

प्रस्तावना - नगर निर्माण की प्रथम घटना मानव की सभ्यता और संस्कृति की नींव मानी जाती है, जो उसके पौरुष सहकार, चातुर्य तकनीकी विकास, बौद्धिकता और विशिष्ट जीवन शैली को चरितार्थ करती है। वह मानव समाज सभ्यता और सांस्कृतिक विकास का अग्रणी बन सका जो ग्रामीण अधिवासों के निर्माण से ऊपर उठकर नगर बसाने में सफल हुआ। ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ विश्व के कृषि प्रधान नदी घाटी के क्षेत्रों में सबसे पहले उदित हुईं। जहाँ ग्रामीण अधिवासों से भिन्न कुछ विशेष गैर कृषि कार्यों के संपादन के लिए कुछ बड़े अधिवास अस्तित्व में आए। कालांतर में इन्हीं को नगर का नाम दिया गया। इस तरह के अधिवासों की उत्पत्ति ईसा से 7000 से 6000 वर्ष पूर्व होने लगी थी। इसके पश्चात् नगरों की उत्पत्ति और विकास का सिलसिला निरंतर चलता रहा लेकिन कुछ देशों में इनकी उत्पत्ति और विकास विशेष परिस्थितियों में तीव्र गति से हुए।

प्रारंभ से लेकर आज तक नगरों की उत्पत्ति और विकास की गतिविधि समान नहीं रही। पूर्व ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक काल तक नगरों की उत्पत्ति और विकास की विश्व स्तरीय दशा और दिशा समान नहीं रही। हमारा भारत देश नगर रचना की दृष्टि से अग्रणी देश माना जाता है। यहाँ 6000 वर्ष पूर्व से ही व्यवस्थित नगर बसाए जाने लगे थे जो सतत् रूप से आज भी बस रहे हैं लेकिन आधुनिक सन्दर्भ में नगरों की उत्पत्ति और विकास के सन्दर्भ में देखा जाए तो पश्चिमी देश अग्रणी बन गए हैं। उत्तरी अमेरिका में 300 वर्ष पूर्व एक भी नगर नहीं था लेकिन अब नगरों का देश बन गया है।

नगरों की उत्पत्ति के संबंध में कालिक पक्ष महत्वपूर्ण होता है। जब कोई अधिवास नगर बन जाता है, तो वह उसका उत्पत्ति का समय होता है। नगर की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। कुछ अधिवास छोटी बस्ती के रूप में

बसाए जाते हैं जो अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर अपने क्रिया-कलाप बढ़ाकर नगर का आकार ले लेते हैं। यह अवस्था उनके उद्भव का प्रतीक है। अधिकांश नगरों की उत्पत्ति इसी प्रकार होती है। दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत नगरों की उत्पत्ति प्रयोजनों हेतु निर्मित होते हैं। जैसे राजधानी, व्यापार, उद्योग, प्रशासन आदि के प्रयोजन हेतु नगर बसाए जाते हैं। इस प्रकार कुछ नगर बनते हैं और कुछ बनाए जाते हैं।

नगरों के विकास का स्थानिक पक्ष भी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे नगर जिनका धरातलीय विन्यास पूर्व नियोजित होता है। ऐसे अधिवास विकसित होकर नगर बन जाते हैं और कुछ नगर प्राकृतिक या कृत्रिम स्वरूप में जन्म लेते हैं। जैसे नदी की तंग घाटी, सर्पिल मोड़, कृत्रिम खाई, चाहर दीवारी आदि। ऐसे नगर धरातलीय विन्यास के रूप में विशिष्टता ले लेते हैं जबकि बाधा रहित समतल धरातल पर जन्मे नगर सहजता से फैल जाते हैं। प्राचीनकालीन नगरों की तुलना में आधुनिक नगरों का धरातलीय फैलाव भिन्न होता है।

नगरों के उद्भव और विकास का कालिक पक्ष- नगरों के उद्भव और विकास का इतिहास बहुत लम्बा है। इस दौरान भौतिक परिस्थितियों की तुलना में सांस्कृतिक परिस्थितियों में भारी बदलाव आया जिसके कारण नगरों की उत्पत्ति और विकास की प्रक्रिया प्रभावित होती रही। भारत में पहले कृषि और पशु पालन का विकास हुआ और ऐसे क्षेत्रों में नगर अस्तित्व में आए। नगरों की उत्पत्ति और विकास को चार कालखण्डों में रखा जा सकता है।

1. पुराऐतिहासिक कालीन नगर (ईसा पूर्व 7000-ईसा पूर्व 550 वर्ष तक)
2. प्राचीन ऐतिहासिक कालीन नगर (ईसा पूर्व 550-450 ई. तक)

3. मध्य युगीन नगर (450 ई. से 1700 ई. तक)
4. आधुनिक कालीन नगर (1700 ई. के बाद)

पुरा ऐतिहासिक कालीन नगर (ई.पू. 7000-ई.पू. 550 वर्ष)- प्रागैतिहासिक काल में नगरों के समान अधिवासों का उद्भव नदी घाटियों में कृषि और पशुपालन तथा अनुकूल भौतिक स्थितियों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए। नदी घाटियों में निवासित मानव द्वारा अतिरिक्त उत्पादन के संरक्षण और वितरण के लिए खास किस्म के अधिवासों का निर्माण किया जाने लगा। ऐसे अधिवास सुविधाजनक स्थलों पर बसाए जाने लगे। प्रायः ऐसे नगर नदियों के तटों पर मिलते हैं। जहाँ जल यातायात पेयजल और सुरक्षा सुविधा होती थी। जब इनकी उपयोगिता बढ़ने लगी। अतः नियोजित तरीके से इन्हें बसाया जाने लगा। पूर्व के नगरों का आकार छोटा रहा होगा क्योंकि परिवहन के कारण इनका सेवित क्षेत्र सीमित रहा होगा। इन नगरों की जनसंख्या लगभग 5000 से 15000 के मध्य रही होगी।¹ नदी घाटी के प्रधान कृषि क्षेत्रों में सामन्ती व्यवस्था रही होगी और उनकी सुरक्षा और आर्थिक आवश्यकता के अनुसार नगर रचना होती होगी। राजधानी नगरों का महत्व रहा होगा।

भारत में नगर निर्माण की कला वैदिक काल में विकसित रूप धारण कर चुकी थी। यह प्रमाणित हो चुका है कि रोपड़, लोथल, कुनाल तथा धौलावीरा आदि वैदिक कालीन नगर हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 35 से अधिक स्थानों पर वैदिक कालीन नगरों के अवशेष प्राप्त हुए। भारत में वैदिक संस्कृति का विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा उत्तरप्रदेश तक था। पौराणिक काल तक ऐसे सैकड़ों नगर उत्तर भारत में अस्तित्व में आ चुके थे। आर्यों के अतिरिक्त अनार्यों द्वारा भी राजधानी नगरों की स्थापना की गई। ऐसे अनार्य नगर उत्तरी भारत के पूर्वी भाग और दक्षिणी भारत में अधिक स्थापित हुए।²

हड़प्पा और मोहनजोदड़ों की खुदाई से यह पता चला है कि ये नगर 1500 ईसा पूर्व भारत में आक्रमणकारी आर्यों के प्रवेश के पूर्व यहाँ के मूल निवासियों द्वारा स्थापित किए गए थे, जिनको आक्रमणकारी आर्यों ने नष्ट कर मूल निवासियों को दक्षिण की ओर भगाकर उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। दक्षिण भारत के प्रवास में इनका पत्थर और लौह युग बीत चुका था। फलतः जब वे हिमयुग के बाद उत्तरी मैदान में आए तो सुविधाजनक क्षेत्र की खोज में बढ़ते हुए सिन्धु के मैदान में ठहर गये। नदी जल, उपजाऊ भूमि, समतल मैदान और पर्याप्त वनस्पति के कारण यह क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त रहा होगा। साथ लाए पत्थर और लौहे के औजारों से कृषि करना सुविधाजनक होगा। कृषि और पशुपालन की उन्नति से यह समाज अलग पहचान बना चुका होगा। इस कारण प्रगतिशील समाज को आदरपूर्वक आर्य कहा जाने लगा और जो विकास में पीछे रहा वह अनार्य कहलाया।³ इसी वर्ग ने वेदों की रचना की जिसका समय ईसा से 6000 से 5000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया।⁴ भारत में ऐसा विकसित वर्ग बलुचिस्तान, सिन्ध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विस्तृत भूखण्ड पर फैला था जिनकी बस्तियों के अवशेष ढूँढ़ निकाले गए हैं। इस संस्कृति को वैदिक संस्कृति या सिन्धु घाटी संस्कृति के नाम से जाना जाता है।

हड़प्पा और मोहन जोदड़ों नगरों की खोज के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिन्धु घाटी में 2500 से 2200 ईसा पूर्व नगर रचना काफी विकसित हो चुकी थी तथा हड़प्पा कालीन अन्य नगरों की खोज के बाद इसे हड़प्पा कालीन संस्कृति का नाम दिया गया। इस सभ्यता का अवसान ईसा

से 1500 वर्ष पूर्व माना जाता है। पश्चिमोत्तर के अन्य नगरों रोपड़, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, बानावली, कुनाल आदि की खोज के बाद इस सभ्यता के सम्बन्ध में अनेक नई जानकारीयों उपलब्ध हुई हैं। इस कालखण्ड में सबसे अधिक नगरों का उद्भव और विकास नदियों के किनारे हुआ जिसमें सिन्धु, सरस्वती और यमुना प्रमुख थी। हाल में राजस्थान और पंजाब मैदान में कुंआ, ट्यूबवेल आदि के लिए खुदाई करते समय एक सीध में अधिवासों में प्रयोग होने वाली अनेक सामग्री पाई गई है, जो प्रमाणित करती है कि वैदिक युग के नगर अवसाद में ढबे पड़े हैं।

वैदिक कालीन नगरों के सम्बन्ध में प्राप्त जानकारीयों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये नगर व्यापार, कुटीर उद्योग, कृषि यंत्र निर्माण यातायात के साधनों के निर्माण करने वाले अधिवास थे। इनको सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। वैदिक कालीन नगर नियोजित ढंग से बसाए गए थे। पक्की ईंटों से बने भवन और चहार दिवारी इनकी सामान्य बाते थी। नगरों का ज्यामितीय विन्यास वेदों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार था। वैदिक कालीन नगरों में पेयजल के लिए कुंआ, सड़के, नालियाँ और आवास पक्की ईंटों के बने पाए गए हैं। यातायात के साधन के रूप में प्रयुक्त बैलगाड़ी और नाव के अवशेष पाए गए हैं। मृदभांड, खिलौना आदि भी पक्की मिट्टी के पाए गए हैं।

उत्तर वैदिक या पौराणिक कालीन नगर- उत्तर वैदिककाल में आर्यों की उन्नति अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति तक पहुँच गई थी। इस युग में स्थल मार्ग के वाहन दूरियों को कम कर दिए थे और नौकायन का विकास समुद्री दूरियों को लांघने में सक्षम हो गया था। सिन्धु मैदान में जलवायविक परिवर्तन, सरस्वती नदी में जल की कमी, बढ़ती जनसंख्या और गंगा घाटी का बढ़ता आकर्षण जनसंख्या फैलाव के कारण बन गए। इसी समय गंगा के जल की भौतिक गुणवत्ता ने गंगा के प्रति आकर्षण बढ़ा दिया। यहाँ उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु एवं उन्नत कृषि औजारों के कारण कृषि उत्पादन अधिकाधिक होने से भरण पोषण आसान हो गया। इस प्रकार गंगा मैदान की महत्ता बढ़ती गई जिससे आर्यावर्त सम्पूर्ण उत्तरी मैदान तक विस्तृत हो गया। इसी दौरान ईक्ष्वाकु क्षत्रिय योद्धाओं द्वारा सरयू तट पर अयोध्या नामक राजधानी नगर की स्थापना की गई। सूर्य के उपासक होने के कारण इनको सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया। सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी सरयू तट पर स्थापित होने के बाद नगर निर्माण की कला अपनी पहचान बनाने में सफल हुई। अयोध्या परकुटा के अन्दर बसा भारत में एक विख्यात नगर था। सूर्यवंशी राजाओं द्वारा नगरों की स्थापना मध्य गंगा मैदान में की गई। जिनमें राम ग्राम, श्रीबस्ती, मथुरा, कुशस्थली और पुष्करवटी का उल्लेख अनेक ग्रन्थों में मिलता है। रामायण कालीन इन नगरों के अलावा भी भारत के विभिन्न भागों में राजधानी नगरों के रूप में अधिवासों का निर्माण किया गया।

महाभारत कालीन भारत जिसकी अवधि ईसापूर्व 3100 मानी गई है। सूर्यवंशी राजाओं के पराभय के कारण गंगा की ऊपरी घाटी में चंद्रवंशी क्षत्रिय राजाओं का प्रभुत्व बढ़ गया और सत्ता का केन्द्र अयोध्या से हटकर हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में स्थापित हो गया। कुछ समय बाद यदुवंशियों के उत्थान के परिणामस्वरूप मथुरा एक शक्तिशाली नगर के रूप में अस्तित्व में आया लेकिन कालांतर में यदुवंशियों ने अपनी राजधानी मथुरा से हटाकर द्वारिका बना ली। महाभारत काल में नगर निर्माण की कला उत्कर्ष रूप धारण कर चुकी थी। हस्तिना एक श्रेष्ठ नगर माना जाता था। इससे भी उत्कर्ष नगर इंद्रप्रस्थ था और सर्वश्रेष्ठ नगर के रूप में द्वारिका नगरी बसाई गई।

महाभारत काल के पश्चात् ये नगर उजड़ गए। भयंकर अराजकता के कारण सांस्कृतिक विकास अवरूद्ध हो गया और सामाजिक संगठन छिन्न-भिन्न हो गया। मालवा प्रदेश में इस काल के नगरों में महेश्वर तथा मण्डलेश्वर का नाम उल्लेखनीय हैं-

महेश्वर- यह नगर जिला मुख्यालय खरगोन के उत्तर में सड़क से लगभग 38 कि.मी. दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन नगर नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर बसा है। महेश्वर भारत के उन कुछ भाग्यशाली नगरों में से एक है जिनका आधुनिक काल से लेकर ईसवी युग के आरम्भ तक सुप्रमाणित इतिहास उपलब्ध है।⁵ महाभारत में महेश्वरपुर, महेश्वरपद तीर्थ तथा महेश्वर स्थान का उल्लेख है। मत्स्य पुराण तथा पद्मपुराण जैसे कुछ पुराणों में भी नर्मदा पर स्थित जालेश्वर या ज्वालेश्वर नामक तीर्थ का उल्लेख मिलता है। उसी नदी पर स्थित महेश्वर स्थान को उसका मूल कहा गया है।⁶ महाभारत तथा कुछ पुराणों में पतंजलि, कालीदास, दण्डि, राजशेखर और मुरारी की कृतियों में तथा कुछ शिलालेखों में माहिष्मति नामक नगर का उल्लेख है जबकि बौद्ध ग्रंथों प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के सिक्कों और उसी काल के साँची के स्तूपों के दान अभिलेखों में माहिष्मति नामक नगर का उल्लेख है। पौराणिक अनुश्रुतियों के अनुसार माहिष्मति की स्थापना यदु पुत्र राजा कुंद अथवा यदु के एक पुत्र है के प्रपुत्र राजा महिष्मत ने की थी। उनके अनुसार यह नगर अत्यन्त महत्वपूर्ण था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के काल में अर्थात् ईसवी पूर्व ⁶ वीं शताब्दी में माहिष्मति जनपद अवंति की राजधानी था। उस समय यह नगर सुप्रसिद्ध व्यापार तथा वाणिज्य का केन्द्र था। कालांतर में उज्जैनी का एक महान नगर के रूप में उभर आने के कारण माहिष्मति की ख्याति कम हो गयी। दोनों प्रकार के स्रोतों से निःसंदेह एक ही नगर का संकेत मिलता है कि वह प्राचीन नगर कौन सा है। इस विषय में विवाद है। कनिधम ने मण्डला को माहिष्मति माना था। जबकि फिलीट तथा राय चौधरी ने ओमकार मानधाता को और दीक्षित, सांकल्या, डिकसलकर, बिल्फोर्ड, पण्ड्या तथा कर्ंधीकर ने महेश्वर को ही माहिष्मति माना है। माहिष्मति को ही महेश्वर मानते हुए विद्वानों ने अंवेक्षण कर वहाँ उत्खनन किया जिसमें उन्हें प्रारंभिक पाषाणकाल से लेकर ईसा की अठारहवीं शताब्दी तक की संस्कृतियों के संबंध में स्थूल अनुक्रम प्राप्त हुए। प्रावस्था 3 और 4 से लिए गए 5 नमूनों के कार्बन 14 काल के आधार पर यह कहा जाता है कि इस स्थल पर पहला अधिवास लगभग ईसा पूर्व द्वितीय सहस्राब्दी के प्रारम्भ का रहा होगा।⁷ 1952-53 ईसवी से लेकर बाद के वर्षों में महेश्वर प्रदेश के सर्वेक्षण से 400 से अधिक पुरापाषाण औजार एकत्रित किए ये औजार प्रागैतिहासिक अथवा प्रारम्भिक पाषाणकाल के हैं। इस स्थान पर इस काल के बाद के भी औजार प्राप्त हुए हैं।

प्रारम्भिक ऐतिहासिक काल औपदार भाण्डों में कई प्रकार की प्रारंभिक ढाली गई आहत रजक और ताम्र मुद्राएँ और काले तथा लाल भाण्ड आदि भी पाए गए हैं। इन वस्तुओं से ईसवी सन् 500 तक इस प्रदेश की फलती फूलती संस्कृति का पता चलता है। परमार तथा उत्तर हर्षकाल की और प्रारंभिक मुस्लिम आधिपत्य की कोई आधार सामग्री यहाँ प्राप्त नहीं हुई लेकिन उत्खनित क्षेत्रों के ऊपर सतह में इस्लामी चमकीले मृदभाण्ड तथा अन्य मध्यकालीन और मुस्लिमकालीन पुरा अवशेषों के प्रभाव मिले हैं। महेश्वर उत्खनन में पायी जाने वाली वस्तुओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि मण्डला और मांधाता दोनों ही माहिष्मति नहीं हो सकते। अतः महेश्वर

को ही प्राचीन माहिष्मति माना जा रहा है।

पुरातत्वीय, मुद्राशास्त्रीय तथा पुरालेखीय प्रमाणों से अब तक सम्भवतः अकाट्य रूप से प्रमाणित हो चुका है कि यदि नर्मदा पर आज कोई ऐसा ज्ञात स्थान हैं, जहाँ टीलों की शृंखला है जो दोनों तटों पर प्राचीन नगर के स्थल की उद्घोषणा करते हैं, उज्जैन से पैठण जाने वाले राजमार्ग पर स्थित है, जिसके निकट और चारों ओर बौद्ध स्तूप हैं जहाँ अनेक शिवालय तथा विष्णु मंदिर हैं। जिसकी प्राचीनता उत्पन्नों द्वारा आद्य ऐतिहासिक काल से लेकर प्रागैतिहासिक काल तक की समुचित जानकारी है वह स्थान महेश्वर ही है। दुर्ग क्षेत्र का पूर्वी भाग ईसवी 8 वीं शताब्दी से एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान व दार्शनिक मण्डल मिश्र से संबंध रहा है। इसलिए मण्डल रवो कहलाता है। एक अनुश्रुति के अनुसार दार्शनिक शास्त्रार्थ में अपने समकालीन वेदांती दार्शनिक शंकराचार्य से महेश्वर में पराजित हुए थे।⁸ यहाँ गुफा में धंसा एक मंदिर भी है।⁹ उसे भूत हरि गुफा भी कहा जाता है। इस गुफा में परमार कालीन शिलाकृतियों के नमूने पाए जाते हैं। यहाँ अनेक मंदिर हैं। अंतिम दो मंदिर में दो शिलालेख हैं, जिन पर क्रमशः ईसवी सन् 1565-1570 अंकित है। अधिकांश मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है जो दसवीं से लेकर तेरहवीं शताब्दी के हैं। इस स्थान के किले का निर्माण अकबर के समय हुआ। तब तक यह उपेक्षित नगर रहा। सन् 1767 से पूरे वर्ष अहिल्या बाई होल्कर यहाँ रही उन्होंने नदी के तट पर पत्थर के घाट बनवाए और उनकी स्मृति में नदी की ओर एक छत्री भी निर्मित की गई। इंदौर का होल्कर राजपरिवार इस स्थान को पवित्र मानता था। उनके राजपरिवार के मृतकों की स्मृति में अन्य छत्रियाँ भी बनाई गई। इन क्षत्रियों की शिल्प कला प्राचीन मंदिरों जैसी है।¹⁰ मस्जिदों में लगे हुए कुछ फारसी शिलालेख यहाँ के मुस्लिम स्मारकों में उल्लेखनीय है।

एक लम्बे समय तक महेश्वर हाथ से बनी साड़ियों और पीतल से बने घरेलू बर्तनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध रहा है। यह एक शासकीय विद्युत चालित करघों का कारखाना है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र है। प्रति मंगलवार यहाँ साप्ताहिक बाजार लगता है। यहाँ व्यावहारिक एवं दाण्डिक न्यायालय है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार की संपूर्ण सुविधाएँ हैं। महेश्वर की नगर पालिका गठन 1915 में किया गया था तथा 1901 में जनसंख्या 7042 थी। अब यहाँ 24411 जनसंख्या निवास करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जोर्डन, व्ही.सी. व्हाट हेपण्ड इन हिस्ट्री, लंदन, 1946
2. राव, बी.पी. भारत की ऐतिहासिक विरासत और आर्य, 30 मा.भू. पत्रिका 1994
3. राव, बी.पी. भारत की भौगोलिक समीक्षा, गोरखपुर, 1994
4. शर्मा, रामविलास पश्चिमी एशिया एवं ऋग्वेद, दिल्ली, 1994
5. सांकलिया, एच.डी. एक्सकैवेशन्स एट महेश्वर एण्ड नावदाटोली, पृ. 2
6. वही, पृ. 3, 5, 8
7. इंडियन ऑर्कियालॉजी, ए रिव्यू, 1958-59, पृ. 311
8. पाटिल, डी.आर. कल्चर हेरिटेज ऑफ मध्यभारत पृ. 131
9. सांकलिया, एच.डी. पूर्वोत्खित ग्रन्थ, पृ. 17
10. पाटिल, डी.आर. पूर्वोत्खित ग्रन्थ, 132

सतधर्म के प्रकाशक - गुरु घासीदास जी

अनिता बरगाह * डॉ. राजीव शर्मा **

शोध सारांश - संत परम्परा में गुरु घासीदास जी इस अंचल के सर्वाधिक पूज्य महान संत हुए हैं। ज्ञानमार्गीय संतो की परम्परा को आलोकित करने वाले गुरु घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ में संत साहित्य और साधना के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है। उन्होंने आध्यात्मिक एवं सामाजिक विकास का शुभारंभ किया और अदभूत काम कर दिखाये। उन्होंने अपने सत्य संदेशों में ऐसे लाखों लोगों में, जो पीड़ित, शोषित, दलित और अपमानित थे, एक नया आत्मविश्वास जागृत किया और स्वाभिमान पैदा किया। उन्होंने समस्त मानवों को जीवन का नया सच्चा मार्ग दिखाया, सतधर्म और सतकर्म की चेतना दी, एकता, प्रेम, अहिंसा, दया करुणा, परोपकार और सम्मान का नया प्रकाश दिया, जिसे पाकर मनुष्य समुदाय धन्य हो गया। गुरु घासीदास जी सत्य, अहिंसा, मानवता और समानता के प्रतीक थे। उनका सारा जीवन दया प्रेम और करुणा आदि दिव्य मानवीय गुणों से परिपूर्ण था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सेवा में गुजार दिया। एकता, प्रेम, त्याग, परोपकार और भाईचारा, यही उनके जीवन का आदर्श था।

प्रस्तावना - छत्तीसगढ़ की पावन माटी में कई संत महात्माओं ने जन्म लिया। इसी धरा में महान मानवतावादी, सामाजिक आंदोलन एवं सामाजिक क्रांति के जनक, सतनाम पंथ के संस्थापक संत गुरु घासीदास जी ने भी जन्म लिया। बाबा गुरु घासीदास ने मानवता, समानता, प्रेम, भाई-चारे, विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण, सद्भावना, समरसता और सत्य अहिंसा का संदेश मानव कल्याण के लिए दिया। इस पथ पर चलकर और सत्य का अनुकरण कर सभी मानव अपने परिवार में ही रहकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं को जानो, आत्मा ही ईश्वर है, अपने शरीर को मंदिर के समान स्वच्छ सुन्दर रखो। शरीर का सुख मिलेगा तो आत्मा प्रसन्न होगी बाबा जी के उपदेश का सार है।

पंथी गीत -

मंदिरवा म का करे जइबो,
अपन घट के देव ल मनइबो।
पथरा के देवता ह हालत ए
न डोलत अपन मन ल
काबर भरमईबो।
मंदिरवा म का करे जाइबो।¹

सतनाम पंथ के संस्थापक समाज सुधारक गुरु घासीदास का जन्म गिरौधपुरी ग्राम में 18 दिसंबर 1756 को हुआ।² बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि और प्रारंभिक तपोभूमि गिरौधपुरी तथा कर्मभूमि भण्डारपुरी रहा है। गुरु घासीदास ने समाज को नई दिशा, नई चेतना, जागृति और प्रज्ञा का संदेश देकर सतनाम पंथ का प्रवर्तन किया।³

उन्होंने बाराबंकी जिला उत्तरप्रदेश में जन्में श्री जगजीवन दास से प्रेरणा लेकर छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ को विकसित करने का कार्य किया था।⁴ सतनामी शब्द सतनाम में 'ई' प्रत्यय लगाकर तद्धित के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ हुआ सतनाम को मानने वाला अथवा उसके अनुसार आचरण करने वाला। वास्तव में सतनाम सत्यता और पवित्रता इन दो भावों को समेटता

है। उसके अनुयायी यह मानते हैं कि ईश्वर का नाम ही सतनाम है, और यही एकमात्र सत्य है।⁵ कुछ लोगों की मान्यता है कि सतखोजन दास सतनाम धर्म के प्रवर्तक थे उत्तर भारत में करनाल, नारनौल और मेवात में धर्म के अनुयायी रहते थे।⁶

सतनाम पंथ पर गुरु घासीदास प्रभाव दृष्टव्य है। सतनाम पंथ की विचार शैली और विधाएँ कबीर और रैदास का अनुगमन करती हैं। छत्तीसगढ़ अंचल में सतनाम पंथ की स्थापना के पूर्व कवर्धा और दामाखेड़ा में कबीर पंथ के पीठ की स्थापना हो चुकी थी जिसका गुरु घासीदास और उसके सतनाम पंथ पर व्यापक प्रभाव पड़ा था।⁷

सतनाम धर्म अनादि युग से चला आ रहा है। इस शब्द का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में मिलता है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब संसार में कुछ नहीं था तो भी 'सत' विश्व में विद्यमान था। घासीदास का सतनाम तो उपनिषद का 'सत' है जो 'बहुत' के ही समतुल्य है।⁸ सत् स्वयं नित्य एवं शाश्वत है। गुरु घासीदास का मानना है कि 'सत्' ही ईश्वर है, 'सत' ही पृथ्वी व आकाश है, 'सत्' सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है। 'सत्' के आधार पर समस्त सृष्टि व्याप्त है।

गुरु घासीदास ने ईश्वर का साक्षात्कार अद्वैतवाद के अनुसार किया है वे कहते हैं वह परमपिता परमेश्वर निर्गुण, निराकार और निर्विकार है। वह सीमित नहीं असीमित है, इसलिए वह न किसी मूर्ति में समाहित हो सकता है न किसी देवालय में ही उसे आबद्ध कर रखा जा सकता है। मूर्ति स्थल सीमित व प्रतीकात्मक होती है जबकि 'ब्रह्म' की सत्ता असीमित है। वे पूछते हैं कि उस निराकार पर ब्रह्म की मूर्ति गढ़ना कैसे संभव है?

ओखर कइसे मूरत गढ़वे?

ओखर कइसे सूरत गढ़वे?

निराकार निरंजन कहिबे?

संत के कैसे सूरत गढ़वे?

उनके विचारों में ईश्वर एक है और वह सबमें है वे एकेश्वरवादी हैं और

* शोधार्थी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) भारत

** विभागाध्यक्ष (इतिहास) शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) भारत

उपनिषद्कार के इस कथन पर विश्वास रखते हैं कि - 'एकोडह द्वितियों नारितो' सबका ईश्वर एक है, उनके अनेक नाम हैं, पर वह एक है। विश्व के सभी प्राणियों में उसका वास है। उसे केवल अनुभूति से पाया जा सकता है।⁹ सतनामियों का न तो कोई सार्वजनिक पूजा-गृह होता है और न कोई मंदिर। उनके धार्मिक सिद्धांत अलिखित हैं। यद्यपि उनके सामाजिक व्यवहार में हिन्दुत्व से समानता है तथापि वे हिन्दू त्यौहारों को नहीं मानते। उनमें भक्ति प्रदर्शन का एकमात्र तरीका प्रातः और सायंकाल सूर्य को दण्डवत् प्रणाम करना है। आलोच्य-काल में सतनामियों में विवाह के समय 'सतलोक' नामक उत्सव की प्रथा प्रचलित थी। इस समय भोज होता था और विवाहित व्यक्ति के गले में गुरु के द्वारा कंठी बांधी जाती थी। लेकिन यह प्रथा अब समाप्त सी हो रही है।¹⁰

ब्रिटिश सरकार के समक्ष सतनामियों से संबंधित विषम समस्याएँ उत्पन्न हो गईं। सतनामी किसानों में अपनी भूमि के प्रति अधिक महत्व था। अतः सवर्ण हिन्दुओं ने उनको जो जमीन दे रखी थी यदि उससे बेदखल करा दिया जाता था या यदि मुकदमें में उनके विरुद्ध फैसला भी हो, जाता था तो भी वे उसकी अवहेलना कर देते थे। इसके कारण हिन्दू मालगुजारों के समक्ष असमंजस्य पूर्ण स्थिति निर्मित हो जाती थी। घासीदास जी के उद्देश्य संगठित शक्ति प्रभाव के कारण छत्तीसगढ़ के सतनामी अपने एक इकाई के रूप में मानने लगे थे और अपने सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष भी करते थे। इस प्रकार यह आन्दोलन धार्मिक न रहकर सामाजिक हो गया था।¹¹

गुरु घासीदास जी के उपदेश संगठन शक्ति तथा प्रभाव से प्रथम बार छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने को एक इकाई के रूप में महसूस किया। हम एक हैं, हमारा धर्म एक है, हम भी भारतीय गुणों के विकास से उन्नत हो सकते हैं। ऐसा अनुभव किया गया। सन् 1880 तक छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास के उपदेश से सतनामी सम्प्रदाय ने अपना व्यापक प्रभाव डाले हुए अपने सामाजिक अधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ किया। उस समय के ब्राह्मणवाद ने इसका विरोध किया तब सतनामी सम्प्रदाय उनसे हर क्षेत्र पर टकर लेने की स्थिति में पहुँच चुका था।¹²

गुरु घासीदास का जन्म युग की मांग थी जब-जब धर्म की हानि होती है और अत्याचार का आतंक का परवान बढ़ता है, तब-तब अलौकिक पुरुष या अवतारी मनुष्य का अभ्युदय होता है। बड़े वे नहीं होते जो बड़ी संभावनाओं के देखकर आगे आते हैं, बल्कि बड़े वे होते हैं, जो छोटे-छोटे अवसरों में बड़प्पन खोज लेते हैं। गुरु घासीदास ऐसे ही कोटि के महात्मा रहे हैं। उन्होंने अपने घर, परिवार, समाज और परिवेश की स्थिति को देखा और उनमें जो अंधविश्वास और अशिक्षा से उत्पन्न विषमताएँ थी, उसमें जुझने के लिए पूरा जीवन दान पर लगा दिया, उन्होंने दलित वर्ग के दमन और शोषण को खुले आँखों से देखा था। अतः उन्होंने इस माटी पुत्रों के लिए सामाजिक क्रांति का शंखनाद किया।¹³

ऐसा महान सतनाम संदेश देने वाले गुरु घासीदास साहेब ने 80 वर्ष की लंबी आयु तक घूम-घूम कर प्रचार किया जो इस संत परंपरा की एक ऐतिहासिक और सामाजिक मिसाल है। गुरु घासीदास जी ने अपने सद्धर्म के प्रचारार्थ छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर यात्राएँ कीं वे सभी स्थान सतनामी समाज के धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक तीर्थ स्थल बन गए हैं। उन्होंने सतनाम के महत्व का प्रचार-प्रसार किया।¹⁴ गुरु घासीदास ने सतनाम का प्रचार-प्रसार दूर-दूर तक किया, वे पैदल ही बालाघाट, लाजी, मण्डला, जबलपुर, अमरकंटक, बस्तर तथा दंतेवाड़ा तक गए रास्ते में वे कई रोगियों को अपनी शक्ति से चंगा किए, भटकते हुए को राह बताए। बाबा गुरु

घासीदास, घुमते हुए बस्तर गए वहाँ पर इन दिनों दंतेश्वरी देवी में बली होती थी। गुरु घासीदास को लोग पकड़कर मंदिर में बलि के लिए ले गए। बलि की तैयारी हो गई बाबा घासीदास बलि के लिए देवी के सम्मुख लाए गए उसी समय देवी विकराल रूप में आ गई। राजा और देवी मंदिर के पुजारी कांपने लगे गुरु घासीदास के पैर में गिर पड़े उसी दिन से वहाँ नरबलि बन्द हो गई तथा बाबा के सतनाम धर्म के प्रचार के लिए बस्तर का पूरा राज्य खुल गया।¹⁵

छत्तीसगढ़ में यह आन्दोलन 1820 और 1830 ई. में फैला। उन्होंने कहा ईश्वर एक है और उसका नाम 'सतनाम' (सत्यनाम) है।¹⁶ जुल्मी सत्ता, अन्यायकारी प्रशासन, अमानुष और क्रूर, रूढ़ियों आदि का डटकर विरोध करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, बल्कि वह उसका नैतिक दायित्व बन जाता है। गुरु घासीदास और महात्मा गांधी की सीख थी कि नीति-अनिति का मसला उत्पन्न होने पर सद्विवेक की आवाज को प्रमाण माना जाए। सत्यान्वेशी घासीदास पाखण्डता के विरोधी थे -

जिस तरह तू सोचता है उस तरह तू दिख,

जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख।

उपरोक्त पंक्तियाँ दर्शाती हैं कि घासीदास जी कथनी और करनी में भेद वाले नहीं थे। 'उन्होंने युगों से प्रताड़ित, दमित, शोषित, उत्पीड़ित और अपमानित लाखों लोगों को समाज में प्रतिष्ठा दिलाकर उनमें नया आत्मविश्वास जगाया तथा शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाने की नई शक्ति दी।'¹⁷

निष्कर्ष - छत्तीसगढ़ के क्षितिज में घासीदास सुबह के तारे बन कर उदित हुए। धर्म के नाम पर फैली हुई कु-प्रथाओं और कुरीतियों की निरर्थकता को उन्होंने सबसे पहले समझा और उन्हें दूर करने के लिए आजीवन प्रयत्न किया।¹⁸ घासीदास का अंतिम लक्ष्य था जाति प्रथा को समाप्त करना घासीदास के दैवी सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह थी कि वे मानते थे कि सभी जीवन समान है और सभी समान रूप से मूल्यवान हैं।

गुरु घासीदास जी एक महान ज्ञानी पुरुष थे। उनके ज्ञान और उपदेशों का असर छत्तीसगढ़ के लोगों पर पड़ा। अतः लोगों में जागृति आई। लोग प्रभावित हुए और उनका आदर किए। यह उन्ही का प्रभाव है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ आज निष्ठावान, अहिंसात्मक एवं स्वाभिमानी बना, यही कारण है कि आज संपूर्ण समुदाय बड़ी श्रद्धा एवं लगन के साथ गुरु घासीदास जी का आदर कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सोनी, जे. आर. सतनाम दर्शन स्मारिका 2002, पृ.5
2. शुक्ला, सुरेश चंद्र, शुक्ला अर्चना, छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास, शिक्षादूत, सतनाम दर्शन स्मारिका रायपुर (2003) पृ. 225
3. सोनी, जे. आर. सतनाम दर्शन स्मारिका, 2002, पृ.5
4. शुकला, सुरेश, शुक्ला, अर्चना, छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास शिक्षादूत ग्रंथवार प्रकाशन रायपुर, (2003), पृ. 225
5. ठाकुर, भगवान सिंह वर्मा, छत्तीसगढ़ का इतिहास, सेन्द्रल बुक हाउस सदर बाजार, रायपुर (1986), पृ. 144
6. निराला, भागवत प्रसाद, गुरु घासीदास और उसका सतनाम धर्म (लघु-शोध प्रबंध), 1994-95, पृ. 22
7. शुक्ला, अशोक, छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक चेतना का विकास, 1983, पृ. 9 व 19
8. शुक्ला हीरालाल, गुरु घासीदास संघर्ष समन्वय और सिद्धांत,

- (1995), पृ. 160
9. त्रिपाठी, श्याम सुंदर, सामाजिक समरसता के अग्रदूत गुरु घासीदास, (1997), पृ. 29
10. रायपुर गजेटियर, बाय नेलसन, 1909, पृ. 80
11. रायपुर गजेटियर, बाय नेलसन, 1909, पृ. 83
12. शुक्ला, सुरेश चंद्र शुक्ला, अर्चना, छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास, पृ. 228
13. पाण्डेय, मुकेश कुमार, गुरु घासीदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का ऐतिहासिक अनुशीलन, (शोध प्रबंध), 1999, पृ. 183
14. शुक्ला, प्रदीप, पाण्डेय, सीमा, शुक्ला, महेश, छत्तीसगढ़ में पर्यटन, पृ. 208
15. शुक्ला, सुरेश चंद्र, शुक्ला, अर्चना, छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास, पृ. 227
16. चंचरिक, कन्हैया लाल, आधुनिक भारत में दलित आंदोलन, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2003, पृ.96
17. बेहार, रामकुमार, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 2016, पृ. 292
18. शुक्ला, हीरालाल, संघर्ष समन्वय और सिद्धांत, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी 1995 भोपाल, पृ. 182

भारत छोड़ो आंदोलन में बालाघाट जिले का योगदान

डॉ. संकेत कुमार चौकसे *

शोध सारांश - क्रिप्स मिशन की असफलता, भारत पर जापानी आक्रमण का भय एवं ब्रिटिश सुरक्षा व्यवस्था का अभाव इत्यादि कारणों ने गांधीजी को एक और संघर्ष के लिए बाध्य किया जो भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में सामने आया। 8 अगस्त 1942 को गांधीजी द्वारा देश की जनता को 'करो या मरो' का मूलमंत्र दिया गया। 9 अगस्त 1942 को गांधीजी समेत कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इसके पश्चात एक देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ हो गया जो कि वास्तव में स्वतः स्फूर्त था। इस आंदोलन से मध्यप्रांत का बालाघाट जिला भी प्रभावित हुआ तथा वहां भी तीव्र आंदोलन संचालित किया गया। प्रस्तुत शोध पत्र में भारत छोड़ो आंदोलन में बालाघाट जिले के योगदान को बतलाने का प्रयास किया गया है।

शब्द कुंजी - भारत छोड़ो आंदोलन।

प्रस्तावना - फरवरी 1942 तक द्वितीय विश्वयुद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति अत्यंत विचारणीय हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, चीन के राष्ट्रपति च्यांगकाई शेक तथा ब्रिटेन के श्रमिक दल के नेताओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव बनाया कि वह युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करे। अतएव 11 मार्च 1942 को चर्चिल ने घोषणा की कि भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक योजना सहित स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेज रही है किंतु क्रिप्स अपने साथ जिस घोषणा पत्र का मसविदा लाये थे वह अत्यंत निराशाजनक था। इसमें भारत को पूर्ण स्वराज्य के स्थान पर औपनिवेशिक स्वराज्य देने का प्रावधान था और उसकी कोई तिथि भी निश्चित नहीं की गई थी। गांधीजी ने इन प्रस्तावों को 'दिवालिया बैंक के नाम पर भविष्य की तिथि में भुनाने वाले चैक' के समान निरूपित किया। क्रिप्स मिशन के खाली हाथ भारत से वापस जाने पर भारतीयों को अपने छले जाने का एहसास हुआ। इसके पश्चात् जापानी आक्रमण के भय और ब्रिटिश सुरक्षा व्यवस्था का अभाव तथा भारतीयों के अविश्वास ने गांधीजी को एक और संघर्ष के लिए बाध्य किया जो भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में सामने आया।

भारत छोड़ो आंदोलन पर विचार-विमर्श करने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक 14 जुलाई 1942 वर्धा में आयोजित की गई। यहाँ गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया। वर्धा की कार्यकारिणी बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए बंबई में 7 तथा 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन बुलाने का निर्णय लिया गया। अतः 7 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारत छोड़ो प्रस्ताव पर निर्णय हेतु अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी का ऐतिहासिक अधिवेशन प्रारंभ हुआ। मौलाना आजाद के उद्घाटन भाषण के बाद पं. नेहरू ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करती है, तो अहिंसात्मक प्रणाली पर आधारित एक जन आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। सरदार पटेल द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने के बाद गांधीजी का संक्षिप्त

भाषण हुआ।¹ अगले दिन 8 अगस्त को कुछ संशोधनों के साथ यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। इस ऐतिहासिक अधिवेशन के अंत में गांधीजी ने लगभग 70 मिनट का भाषण प्रस्तुत किया जिसके दौरान उन्होंने भारतवासियों को 'करो या मरो' का मूलमंत्र दिया।²

9 अगस्त 1942 को प्रातः काल ही गांधीजी, मौलाना आजाद तथा कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये। कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया, जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया एवं समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया।³ भारत की जनता शासकीय दमनात्मक कार्यवाही के समाचार सुनकर उत्तेजित हो गई और एक देशव्यापी आंदोलन प्रारंभ हो गया जो कि वास्तव में स्वतः स्फूर्त था।⁴ सरकार की दमन नीति के विरोध में संपूर्ण भारत में सार्वजनिक सभाएं एवं हड़तालें आयोजित की गईं। कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के अभाव में कई स्थानों पर आंदोलनकारियों ने सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों, डाकघरों, पुलिस स्टेशनों इत्यादि को ध्वस्त करने, शासकीय अभिलेखों को जलाने एवं टेलीफोन के तार काटने जैसे कार्य किए। अनेक प्रांतों में सार्वजनिक जीवन ठप्प हो गया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार ने दमनचक्र को तीव्र कर दिया तथा गिरफ्तारियाँ व्यापक पैमाने पर की जाने लगीं, लाठीचार्ज का उपयोग किया गया, अनेक स्थानों पर गोली चालन भी हुआ।

मध्यप्रांत ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 9 अगस्त को ही प्रांत के प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ताओं भवानी प्रसाद तिवारी, कुंजीलाल दुबे, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरसिंहदास अग्रवाल तथा नर्मदाप्रसाद मिश्र इत्यादि को गिरफ्तार कर लिया गया।⁵ जबकि प्रांत के श्रीराम शर्मा, रामानंद मिश्रा, जगन प्रसाद राउत, ठाकुर निरंजन प्रसाद, सहस्रबुद्धे तथा सत्येन्द्र प्रसाद मिश्र इत्यादि ने भूमिगत रहकर आंदोलन का संचालन किया। प्रांत में पुलिस की दमनात्मक नीति एवं अत्याचारों से जनता खुले विद्रोह पर उतर गई तथा आंदोलन ने एक हिसक मोड़ ले लिया। यह आंदोलन शीघ्र ही प्रांत के सभी प्रमुख जिलों, तहसीलों, नगरों एवं ग्रामों में फैल गया। टीकमगढ़, सागर, बैतूल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बालाघाट, मण्डला, सिवनी

* अतिथि विद्वान (इतिहास) राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

इत्यादि स्थानों में यह विलक्षण आंदोलन एक साथ ही प्रादुर्भाव हुआ तथा परस्पर सम्मत योजना न होने पर भी उसने एक सा स्वरूप धारण कर लिया।⁶

बालाघाट जबलपुर संभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। जबलपुर से निकटता के कारण कोई भी प्रांतव्यापी राजनैतिक हलचल शीघ्र ही बालाघाट जिले तक पहुँच जाती थी। अवएव इस जिले पर भी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव परिलक्षित हुआ। यहाँ की जनता ने इस आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया। संपूर्ण जिले में जुलूस और हड़तालें आयोजित की गईं टेलीफोन एवं टेलीग्राफ लाईनें काटने तथा रेलवे लाइन उखाड़ फेंकने का प्रयास किया गया। 10 अगस्त की शाम को बालाघाट नगर के गांधी चौक में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। अनेक कार्यकर्ताओं को इसी सभा के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया।⁷ इस आंदोलन का सर्वाधिक उग्र रूप जिले की वारासिवनी तहसील में दृष्टिगत हुआ। यहाँ 8 अगस्त से 20 अगस्त तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए गए तत्पश्चात् कुछ हिंसक घटनाएँ भी घटित हुईं।

20 अगस्त 1942 को बालाघाट जिले के वारासिवनी में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया जिसे स्थानीय पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तथा भीड़ को तितर-बितर करने के प्रयास में लाठीचार्ज किया। इसके उत्तर में कुछ व्यक्तियों द्वारा पुलिस पर पत्थर फेंके गए। अवएव पुलिस ने भीड़ पर गोलीचालन कर दिया जिसमें एक व्यक्ति दशराम फुलमारी शहीद हो गया।⁸ तुलसीराम सुनार एवं रमेशचंद्र जैन इस घटना में घायल हो गए।⁹ आंदोलन के दौरान वारासिवनी में धारा 144 का प्रयोग किया गया। कई स्थानों पर सेना तैनात कर दी गई।¹⁰ श्रीरामलाल शर्मा की दुकान पर जनता और पुलिस में मुठभेड़ हो गयी। फलस्वरूप श्रीमती काशीबाई तथा अन्य कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। 20 अगस्त को काशीबाई को कारघोला ग्राम में ले जाया गया। वहाँ उसे अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया गया तथा उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके आभूषण भी पुलिस द्वारा जब्त कर लिए गए। इसके उपरांत काशीबाई के पिता का बुलाकर उन्हें भी अपमानित किया गया। इस दौरान मजदूरों की दिन में तीन बार हाजिरी ली जाने लगी, स्त्रियाँ घर से निकलते ही थाने में बंद कर दी जाने लगी। वारासिवनी में 10 सितम्बर तक पुलिस के सिपाहियों ने जनता पर घोर अत्याचार किए। इस दौरान 120 गिरफ्तारियाँ की गईं तथा 3000 रु. सामुहिक जुर्माना वसूला गया।¹¹

आंदोलन में वारासिवनी के छात्र वर्ग एवं नवयुवक वर्ग ने सक्रिय भूमिका का निर्वहण किया। यहाँ के नौजवान राष्ट्रीय कांग्रेस स्वयंसेवक संघ तथा वानर सेना के माध्यम से संगठित हुए थे। इन छात्रों की गतिविधियों को ठाकुर सीताराम सिंह, धरमचंद्र सोलंकी, मुदलियार, कस्तूरचंद्र वर्मा तथा शांतिलाल जैन संचालित करते थे। सन 1942 में बालाघाट वार फंड कमेटी के एक माननीय वकील जब युद्धकोष एकत्रित करने के संबंध में वारासिवनी क्षेत्र के दौरे पर थे तब इन छात्रों ने वारासिवनी रेलवे प्लेटफार्म पर उन्हें जूतों की माला पहनाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया था।¹²

इस आंदोलन के संदर्भ में बालाघाट जिले के तात्कालीन साहित्यकारों ने यथासंभव राष्ट्रीय रचनाएँ लिखकर जनता में उनका प्रचार किया। वारासिवनी के दादूलाल जी पालीवाल 'दिनेश' द्वारा राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत अनेक गीतों की रचना स्थानीय भाषा में की गई। ये रचनाएँ प्रकाशित हुईं तथा लोकप्रिय भी हुईं। इन रचनाओं में बालाघाट के राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखा गया आल्हा तात्कालीन समय में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इसी प्रकार बालाघाट नगर से एक हस्तलिखित मासिक 'आव्हान' स्थानीय

नवयुवक साहित्य संघ द्वारा राष्ट्रीय विचारों के प्रचारार्थ निकाला जाता था। इस कार्य में दयालगिरि गोस्वामी, बृजबिहारी तिवारी, राजेन्द्र श्रीवास्तव तथा जगदीश नारायण वर्मा की मुख्य भूमिका रही। इस प्रकार की रचनाओं ने जिले के राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने की दिशा में अत्यंत प्रशंसनीय योगदान दिया।¹³

आंदोलन में संलग्न रहने के कारण अनेक व्यक्तियों को विभिन्न अवधियों के लिए कारावास का दण्ड दिया गया। सूरजलाल गुप्त को 1942 में भूमिगत रहकर रामटेक और बालाघाट में क्रांतिकारी आंदोलन के संचालन के कारण 20 जनवरी 1943 को गिरफ्तार कर आजीवन कारावास का दंड दिया गया। अमीरचंद्र जैन, घनश्याम प्रसाद ताम्रकार, धरमचंद्र सोलंकी तथा मंगल हरवंशी को 2 वर्ष 6 माह के कारावास से दण्डित किया गया। अब्दुल सत्तार, गंगाबाई चौबे, मोतीलाल, मोहनलाल तथा शिवनारायण को 2 वर्ष का कारावास दिया गया जबकि किशनलाल कलार, कोमलचंद्र, गोपीचंद्र कलार, जेटूननाथ, दुकाली कतिया, दुकाली नागपुरे, रामचरण सुखराम तथा रामचंद्र इन्दापवार को 1 वर्ष 6 माह की कैद की सजा दी गई। अमृतलाल तेली, कैलाशचंद्र शुक्ला, कोदूलाल यादव, चुन्नीलाल चिमैया, देशराज खत्री, भूमिगत कार्यकर्ता प्रेमलाल गढ़वाल, बाजीराव महार, बुचप्रसाद, भैयालाल कतिया तथा बसंत माधवसिंह आदि को 1 वर्ष की सजा हुई। इसके अतिरिक्त मोहनलाल फूलसुंगे, जुगल किशोर, रामदास सिंह, शांतिलाल जैन, शंकरपुरी, शंकरलाल तिवारी, हरिकिशन मोदी, पुरूषोत्तम, कस्तूरचंद्र वर्मा, रूपचंद्र वर्मा, रोशनलाल, बुद्धलाल मराठे, भीकू कोष्ठी, अंतूलाल, अंबर लोधी इत्यादि को 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक के कारावास का दण्ड दिया गया।¹⁴

इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए आंदोलनों में सबसे अधिक भीषण सिद्ध हुआ जिसने भारतीय जनमानस में ऐसी जागृति उत्पन्न की जिससे ब्रिटिश सरकार के लिए भारत में और अधिक समय तक रहना असंभव हो गया। इस विद्रोह की विशालता को देखते हुए अंग्रेजों को पूर्ण विश्वास हो गया कि उन्होंने शासन का वैध अधिकार खो दिया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एम्नेश - मध्यप्रांत एवं बरार में दलीय राजनीति तथा स्वाधीनता आंदोलन, पृ. 241
2. सीतारामैया पट्टाभि - द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, पृ. 398
3. चंद्र, विपिन - भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, पृ. 368
4. गुरु रामेश्वर प्रसाद तथा शुक्ल शंकरलाल - स्वतंत्रता संग्राम और जबलपुर नगर (1857 से 15 अगस्त 1947 तक), पृ. 69-70
5. मिश्र, डी.पी. - द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन एम.पी. पृ. 475
6. गुरु एस. डी. - मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन, पृ. 190
7. सहाय, गोविंद - सन 42 का विद्रोह, पृ. 283
8. मध्यप्रदेश संदेश, अगस्त 1987 पृ. 166
9. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एम्नेश - वही, पृ. 251
10. चोपड़ा, पी.एन. एवं बखशी, एस.के. - क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिश सीक्रेट डाक्यूमेंट, पृ. 131
11. सहाय, गोविंद - सन 42 का विद्रोह, पृ. 284
12. तिवारी, बृजबिहारी - बालाघाट जिले के 50 वर्ष, द्वितीय सोपान, पृ. 24
13. वही, पृ. 30
14. ठाकुर, डॉ. (श्रीमती) एम्नेश - वही, पृ. 251

जनजातियों में प्रचलित सामाजिक मान्यताओं एवं परंपराओं का ऐतिहासिक अध्ययन (अलीराजपुर जिले के विशेष संदर्भ में)

भुरबाई बघेल *

शोध सारांश - जनजातियों में मान्यताओं का संसार बढ़ा और विस्तृत होता है। मान्यताओं को जनजातीय समाज के जीवन का प्रमुख अंग कहा जा सकता है। मान्यताओं का निवारण करना प्रत्येक जनजातीय समाज के लिये अनिवार्य होता है। साथ ही पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका निवारण समाज का प्रत्येक व्यक्ति करता है। अलीराजपुर जिले में निवासरत भील, भिलाला, एवं बरेला जनजातियों की अपनी अलग-अलग मान्यता हैं। जनजातियों की मान्यता है कि अगर गलत और अनुचित कार्य करेंगे तो आत्माएं रुठ जाती हैं और वह परिवार के सभी सदस्यों को कष्ट देती हैं। इस प्रकार अगर समग्र रूप से देखा जाए तो लगभग सभी जनजातीय समाज की मान्यता के पीछे प्रकृति और प्राकृतिक शक्तियाँ प्रमुख होती हैं और उसी के अनुरूप ये लोग अपना कार्य करते हैं।

ऐसी भी मान्यता है कि जनजातियों के जीवन में सबसे प्रमुख देवता बूढादेव (बाबदेव) होता है। जो सभी जनजातियों में अलग-अलग नामों के साथ पूजे जाते हैं। यह भी मान्यता है कि भगवान शिव एवं अन्य शक्तियों की प्रारंभिक पूजा इन्हीं जनजातियों लोगो की देन है। जनजातियों में मान्यता उनके जीवन से जुड़े सभी कार्यों का आधार होता है। क्योंकि जनजातियों में प्रत्येक कार्य के पीछे उससे जुड़ी मान्यता भी होती है।

शब्द कुंजी - जनजाति, समाज, परंपरा, मान्यताएं, और रुढ़िवादी प्रथाएं।

प्रस्तावना - भारत की सभी जनजातियों में प्रचलित मान्यताओं व परंपराओं के अनुसार ही आदिवासियों की भी अपनी मान्यताएँ हैं। मध्य प्रदेश में जनजातियों की परंपराओं एवं मान्यताओं की बहुत बड़ी श्रृंखला है किन्तु उन सभी के उद्गम का इतिहास ज्ञात नहीं है।

म.प्र. की आदिवासी जनजाति पूरी तरह से हिन्दू धर्म से प्रभावित हैं, और इसी धर्म की छाप इनके सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक जीवन पर स्पष्ट दिखाई देती है।

जनजातियों में प्रमुख मान्यताएँ जादू-टोना, शकुन, अपशकुन, भूत, प्रेत, चुड़ैल आदि। ये अंधविश्वास विश्व की सभी जनजातियों एवं तथाकथित सभ्य समाजों में भी प्रचलित हैं। जादू-टोना का सबसे सरल रूप आदिवासियों के विभिन्न प्रकार के विश्वासों व मान्यताओं में मिलता है, जो उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। आज के सभ्य कहे जाने वाले समाज में भले ही यह बातें हमें हास्यस्पद अथवा अदभूत लगती हैं, परंतु इन भोले-भाले प्रकृति पुत्रों के लिए मार्ग दर्शन से कम नहीं।

इनका मानना है, कि कुछ विशेष वस्तुओं, स्थानों में विशेष शक्ति होती है। उसी विश्वास के आधार पर ये विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति, विशेष प्रकार की जड़ी-बूटी, देवी-देवताओं द्वारा स्पर्श की हुई चीजें, विशेष स्थान की मिट्टी किसी विशेष नदी, तालाब व कुओं का पानी, किसी खास पक्षी का पंख आदि। जूड़ी-बूटी को किसी बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसी प्रकार से किसी खास स्थान के देवी-देवताओं के वंश का ताबीज धारण करने से बच्चों को अनेक प्रकार के रोग नहीं होते हैं, तथा बच्चों को नजर भी नहीं लगती है। अलीराजपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान शोधार्थी के सम्मुख एक तथ्य उजागर हुआ है कि ये लोग अपनी संस्कृति, मान्यताओं और परंपराओं से मोड़ते चले आ रहे हैं। भाभरा, सोण्डवा, छकतला, उमराली क्षेत्र में भ्रमण के दौरान एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो

अपनी संस्कृति, परंपराएँ और समाज के बारे में संतोषजनक जानकारी उपलब्ध करा पाता। ये लोग अपने आपको हिन्दू बताते हैं। जो बट तहसील के ग्राम वागदी में कुछ बुजुर्ग व्यक्ति अवश्य मिले जिन्होंने अपनी मान्यताओं और परंपराओं और के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध करायी। इन्हीं तथ्यों पर आधारित आदिवासियों में प्रचलित मान्यताओं, परंपराओं और धार्मिक विश्वासों के आधार पर जानकारी नीचे दिए गए शीर्षक के आधार पर है। आदिवासियों में एक विशेष सामाजिक मान्यता है कि परिवार में बड़ों का नाम लेना भी निषेध माना जाता है तथा विवाहित पति-पत्नि आपस में एक-दूसरे का नाम से नहीं पुकारते हैं ऐसी भी मान्यता है कि पत्नि व पति दोनों आपस में नाम लेकर पुकारते हैं तो उग्र घटती है। यह आदिवासी लोगों के एक वयोवृद्ध बुजुर्ग का कहना है।

सामाजिक मान्यताएँ एवं परंपराएँ :-

पूर्वजन्म संबन्धी मान्यता - आदिवासी लोग हिन्दूओं की भाँति आवागमन (पूर्वजन्म) के सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर अच्छे कर्म किए हो अगले जन्म में एक अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, और बुरे कार्य करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में पशु-पक्षी, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों का जन्म मिलता है और उसे संसार में दुःख भोगना पड़ता है।

आदिवासी समाज में ऐसी भी मान्यता है कि मृतक के मन में अपने परिवार वालों के लिए अधिक आसक्ति होती है। इसी कारण वह पौत्र व नाती के रूप अपने बेटे या बेटी के यहाँ जन्म लेता है। अगर पौता या नाती मृतक के शरीर पर कोई विशेष चिन्ह या आदत हो तब ऐसा माना जाता है कि अमुख मृतक ने ही इस परिवार में जन्म लिया है।

जादू-टोना संबन्धी मान्यता - यह जनजातियों में प्रमुख मान्यता है- भारत के ब्रह्माण, हिन्दू और बौद्ध धर्म से अनेक प्रकार के जादू या तंत्रों की क्रियाएँ

प्राचीन काल से ही जनजातियों में आयी हैं।

आदिवासी समाज के सदस्य जीवन की अनेक समस्याएँ, बीमारियों का इलाज आदि का जादू-टोना के माध्यम से ही ठीक कराते हैं। जब किसी कार्य को पूरा करने की क्षमता व्यक्ति में नहीं होती है, तब वह जादू की सहायता लेता है। टोना करने के लिए गांव या क्षेत्र का बडवा (ओझा) जादू करने की क्षमता व्यक्ति में नहीं होती है, तब वह जादू की सहायता लेता है। टोना करने के लिए गांव या क्षेत्र का बडवा (ओझा) जादू करने वाले व्यक्ति रुपये मुर्गा, बकरा, ताड़ी एवं अन्य पूजा सामग्री की मांग करता है। सामान प्राप्ति के पश्चात बडवा (ओझा) देवी या अपनी आराध्य शक्ति को बलि देकर और अन्य सामग्री चढाकर दूसरे व्यक्ति पर जादू कर देता है।

बडवा (ओझा) अपने वश में भूत-प्रेतों, चूड़ैलों, डायनों, मसान (श्मशान घाट) आदि को किए रहते हैं जिनके द्वारा ये लोग अनिष्टकारी कार्य सम्पादित करते हैं। यह परम्परा आदिवासी समाजों में सदियों से चली आ रही है।

वयोवृद्ध बडवा (ओझा) अपनी मृत्यु से पूर्व अपने परिवार के किसी सदस्य को यह तांत्रिक विद्या सीखा देता है।

पृथ्वी (धरती) पूजा - जनजाति का मानना है कि धरती माता की नाराजगी से शराब या अन्य पेय पदार्थ जहर बन जाते हैं। इसलिये इनका सेवन करने से पहले थोड़ा सा अंश या पेय पदार्थ की बूँदे धरती पर गिरा दी जाती हैं। इसी तरह शादी-समारोह में बनने वाला भोजन भी धरती माता को चढाया जाता है। इसके बाद उसका सेवन किया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी की पूजा की भी मान्यता है।

शकुन एवं अपशकुन - जनजातियों लोगों में अनेक प्रकार के शकुन एवं अपशकुन संबंधी धार्मिक मान्यताओं का भी प्रचलन है, जिनका संबंध किसी कार्य के होने या न होने से है। किसी शुभ-अशुभ के समाचार के मिलने से यात्रा के सफल व असफल होने से है।

'कुत्तों का रोना, लोमड़ी का चिल्लाना आदि किसी व्यक्ति की मृत्यु का सूचक समझा जाता है।'

'गाय रात के समय रंभाए तो माना जाता है कि कोई शुभ समाचार मिलने वाला है।'

'शिकार पर जाते समय किसी व्यक्ति द्वारा खरगोश का नाम लौघना भी अपशकुन माना जाता है। बिल्ली के रास्ता काटने पर भी अपशकुन मानते हैं।'

मृत-आत्माएँ संबंधी मान्यताएँ - शायद ही ऐसी कोई जनजाति हो मृतक की आत्मा को सम्भाव्य आध्यात्मिक शक्ति के रूप में परिवर्तन होने में परिवर्तन होने में विश्वास न करती हो। परन्तु यह विश्वास किया जाता है कि ये आत्माएँ अपनी मान्यताएँ अपने घनिष्ठ सम्बन्धियों से सम्पर्क बनाए रखती हो। परन्तु यह विश्वास का तार्किक प्रतिफल प्रतीत होता है। जनजातिय लोग यह विश्वास करते हैं कि मृत्यु के पश्चात जीवन समाप्त नहीं होता है, तथा वह किसी रूप में विद्यमान बना रहता है। पूर्वजों की आत्माओं रोगों में तथा पूजा इसी विश्वास का फल प्रतीत होता है। पूर्वजों की आत्माएँ रोगों में या अन्य दुष्टाओं को दूर भगाने हेतु सहायता में आती हैं। ऐसी ही उनके जीवन से जुड़ी कई मान्यताएँ हैं। गुदना एक परम्परा के रूप में-गुदना एक ऐसी सार्वभौमिक परम्परा है, जिसका प्रचलन सदियों पूर्व से प्रत्येक समाज में बना रहा है। मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले की जनजाति के लोगो में

इस परम्परा का प्रचलन बड़े पैमाने पर है। गुदने के प्रति इन लोगों का विश्वास है कि गुदना एक ऐसी कला है जिसके द्वारा स्त्री व पुरुषों के विभिन्न अंगों को स्थायी आभूषण प्राप्त होते हैं। ये आभूषण जीवन भर अमिट रहते हैं। वर्तमान में इस परम्परा का अनुसरण सभ्य समाजों के द्वारा भी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है और इसका आधुनिक स्वरूप 'टैटू' नामक फैशन ने ले लिया है। मद्यपान की परम्परा-जनजातियों में पुरुष व स्त्री, बच्चे, बूढ़े सभी सामाजिक एवं धार्मिक अवसरों पर समान रूप से मद्य (शराब) का सेवन करते हैं। हालांकि मद्यपान की प्रवृत्ति में पहले की अपेक्षा काफी कमी आयी है जिसका मुख्य कारण इन लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय होना है व दूसरा जागरूकता का भी प्रभाव इन पर दिनों दिन हावी होता जा रहा है। नृत्य, गीत एवं संगीत की परम्परा-मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले के विभिन्न जनजातियों में नृत्य गीत एवं संगीत का बड़ा ही महत्व है। प्रत्येक जनजाति के अपने-अपने अलग नृत्य, गीत एवं संगीत होते हैं, जिन्हें विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों पर बड़े हर्षोल्लास से व्यक्त करते हैं। यह विभिन्न अवसरों पर विभिन्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इनमें ढोल, मांदल, बांसुरी आदि।

निष्कर्ष - इस प्रकार जनजातीय समाज का सारा जीवन मान्यताओं से भरा पड़ा है। जीवन के प्रत्येक कार्य वे अपनी मान्यताओं के अनुसार ही करते हैं। इनके लिए धार्मिक त्योहार व धार्मिक उत्सव बड़े महत्व के होते हैं। इन अवसरों पर मान्यता स्वरूप देवताओं के लिये पकवान बनाकर चढाया जाता है। कहीं-कहीं पर पशु बलि भी दी जाती है। नवीन अनाज भी पूजते हैं और देवता को चढाए बिना खाना जनजातियों में देवता के प्रति अपराध माना जाता है तथा ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से साँप काटता है या देवता कुपित हो जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'ध्रुव' तिवारी प्रदीपमणि - मध्यप्रदेश के आदिवासी एवं रीति रिवाज नमन पब्लिकेशन जयपुर - वर्ष 2006, पृ. 62-63।
2. नदीम हसनैन - जनजातीय भारत, जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 62/2 बेर सराय (जे. एन. यू. ओल्ड कैम्पस) नई दिल्ली - 16, पृ. सं. 77-78।
3. तिवारी शिवकुमार - मध्यप्रदेश की जनजातिय संस्कृति म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भेपाल (म. प्र.) वर्ष-2010, पृ. सं. 200।
4. सच्चिदानन्द, यतीश - 'सौर जनजाति का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विश्लेषणात्मक अध्ययन' (टीकमगढ जिले के विशेष संदर्भ में) पृ. सं. 186।
5. 'ध्रुव' तिवारी प्रदीपमणि - मध्यप्रदेश के आदिवासी एवं रीतिरिवाज नमन पब्लिकेशन जयपुर (राजस्थान) वर्ष - 2006, पृ. सं. 22।
6. साक्षात्कार सर्वे - सेवजो भील टेमाची (आम्बुआ)।
7. 'ध्रुव' तिवारी प्रदीप मणि - मध्यप्रदेश के आदिवासी एवं रीतिरिवाज नमन पब्लिकेशन जयपुर - 2006, पृ. सं. 59
8. नदीम हसनैन - जनजातिय भारत, जवाहर पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 62/2 बेर सराय जे. एन. यू. ओल्ड कैम्पस - नई दिल्ली, पृ. सं. 72-73।

Health & Nutritional Status Of Tribal Women - A Study On Soliga Tribes Of Karnataka

Dr. Usharani B.*

Abstract - The Position of Indian Women is a contradiction right from the Vedic period to modern times. Health is one of the important indicators of social development. Health of indigenous or tribal people is the perception and conception in their own cultural system with less awareness of the modern health care and health sources. Historically, tribals have followed traditional healing practices. But today, not only the number of those who were not attending to any healing method have decreased significantly but also their dependence on modern health practices have increased. Almost 8% of the total population in India is constituted by the tribal people, which come to about 23.58 million. There is the problem of malnutrition in India. The bottom 20% of the population does not get proper nutrition. They continue to eat roots, stale food, leaves, mango kernels and so. In India, there is the paradox of plenty and hunger. On one side, huge stocks of food grains are locked in government godowns, yet a good number of people suffer from hunger and malnutrition. This may be due to lack of health consciousness or may be due to the poverty of the poor women. This study has based on both primary and secondary data, Biligiri Rangana Hills, Chamarajanagar district of Karnataka state has selecting as research study area. This study describe the socio-demographic characteristics of the Tribal women, to identify the health problems of the Tribal women, to find out the problems faced in accessing health services by these women and also examine the NGO intervention to solve these issue and highlighting the government programmes concerning health and nutrition in tribal areas.

Key Words - Social Development, Tribal people, Malnutrition, Poverty, Poor Women.

Introduction - The Soliga is a Scheduled Tribe, lives in the hilly forest areas of Biligiri Rangana (BR) Hills and Mahadeshwara Hills of Chamarajanagar district. The Soligas are referred as Sholiga, Soliga, and Soligaru. According to 2011 Census, they were about 33,819 populations of Soliga. Soliga speak an old dialect of Kannada called 'Soliganudi'.

The Soliga women play a dominant role in agricultural operations, animal husbandry, collection of fuel and brining potable water. They also work as agricultural labourers. They participated in social functions, but do not have any role in the performance of rituals and religious activities. Women participate in modern political institutions like village panchayats, they do not find any place in the traditional mechanism of social control. Women contribute to the family income but do not have decision-making powers, though their men consult them. Three women from the Soliga tribe have scripted history by winning the Zilla and Taluk Panchayat elections, for the first time in the Chamarajanagar district. Kethamma, became the first woman from the Soliga tribe to win a Zilla Panchayat constituency. Kethamma was the Yelandur taluk panchayat president.

Health is one of the important indicators of social development. Health of indigenous or tribal people is the

perception and conception in their own cultural system with less awareness of the modern health care and health sources. The different tribal communities in India, represents a heterogeneous group. There is considerable variation in the context of socio-economic life, custom and tradition and behaviour and practices. Similarly, variations are also there in the context of demographic features. It has also been noted that among the tribals there is high incidence of communicable diseases, like: Tuberculosis, Hepatitis, Sexually Transmitted Diseases (STDs), Malaria, Filariasis, Diarrhoea and Dysentery, Jaundice, Parasitic infestation, Viral and Fungal infections, Conjunctivitis, Yaws, Scabies, Measles, Leprosy, Cough and Cold, HIV/AIDS, etc due to lack of sanitation and unhygienic living (Balgir 2004).

Though the tribal communities constitute nearly 8 per cent of the total population of India, they contribute 25 per cent of the total malaria cases and 15 per cent of the total Pf cases, leading to 30-50 per cent malaria deaths in India. A high transmission of Pf is in the forest regions because malaria control in such settlements is unattainable due to technical and operational problems. In tribal areas, the diarrhoeal/dysentery diseases including cholera occur throughout the year attaining peak during the rainy season.

The situation in India is not only different but also often

*Guest Faculty (PG Studies & Research in Social Work) Kuvempu University, Shivamogga (Karnataka) INDIA

very complex due to regional disparities and rural-urban divide. Despite rapid strides in socio-economic development, health and education, the widening economic, regional and gender disparities are posing challenges for the health sector. (Das, 2012). About 75 % of the health infrastructure is concentrated in urban areas where only 27 % of the Indian population lives. Approximately, 73 % of the Indian population accesses only 25 % of the total health infrastructure of the country. (Patil et al 2002)

In any country the state of health is measured in terms of life expectancy, mortality rate, fertility rate and many more. But it can't be ignored that all these indicators of health are dependent on other factors like per capita income, nutrition, sanitation, safe drinking water, social infrastructure, medical care facilities, employment status, poverty, etc which affect the health of every individual. There is direct relationship between health and development (Sharma, 2012 [5]).

Murty (1987) investigated the Soliga tribe in Karnataka in order to find out their fertility behaviour. The Crude Birth Rate (CBR), General Fertility Rate (GFR) and Total Fertility Rate (TFR) among the Soligas were found to be always higher in comparison to the general population of Karnataka. The unusual high fertility rate among the Soligas was influenced by their age at marriage, which was ultimately influenced by the age at menarche. The mean age of menarche among the Soligas was 13.2 years and the age of marriage was 14.2 years, which was very early. Early age of marriage and low levels of family planning acceptance seemed to be responsible for the high fertility among the Soligas.

Objectives - The objectives of the study were -

1. To study the socio-demographic characteristics of the Tribal women
2. To identify the health problems of the Tribal women
3. To examine the NGO intervention to solve these issue
4. To highlight the government programmes concerning health and nutrition in tribal areas.

Methodology - Selection of study area - The present study was carried out in Biligiri Rangana Hills of Chamarajanagar district, Karnataka using random sampling method.

Sample design - The sample consisted of 150 females belonging to the age groups between 15-65 years.

Tools of data collection -The main tool used for data collection was a semi-structured interview schedule, observation.

Results And Discussion -

Socio-demographic characteristics of Tribal Women

Sl.No.	Age Group	Per cent
1	15-25	15%
2	26-35	20%
3	36-45	38%
4	46-55	19%
5	56-65	8%
	Total	100%

The sample consisted of one fifty tribal women. Out of

this total number, 15 % of them were between the age group of 15-25 years, 20% between 26-35 years, 38% were between the age group of 36- 45 years, 19% between 46-55 years and the remaining 8% between 56-65 years. Majority of the respondents (92%) were illiterate and the rest were literate but had attended only up to Primary school. Majority of these women lived in nuclear families (96%) and remaining 4% of these women lived in joint families. Thirty two percent of them lived in rented house and the remaining 68 percent lived in their own house.

Economic Status Of Tribal Women - The Soliga are forest dwellers. The economy of Soliga is heavily dependent upon forest produce. The main occupation of Soliga is to collect minor forest produces like gum, honey, soap nuts, root and tubers, tamarind etc. The Soliga leads simple life in the forest areas. The Soligas belong to a gatherers community.

Occupational Pattern of Soligas

Occupation	Number	Percentage
Agricultural activities	61	41%
Casual labour in Agriculture	34	23%
Casual labour in non-agriculture	27	18%
Salaried employee (Govt)	0	00
Salaried employee (Pvt.)	6	4%
Unemployed	22	14%
Total	150	100%


Source - Primary Survey.

Soligas are working as casual labourers. The tribal population also depending on other occupations for livelihood like Casual labour in non-agriculture salaried employee in private sector. The share of population mainly depending on agriculture and casual labour in agriculture is highly compared to other occupations. It is important to note that a salaried employee in private sector is only 6 per cent, which is very low.

Health Status Of The Tribal Women

Figure 1

Distribution of Households with Sanitation Facility



The data presented in the figure 1 indicate that large proportion of the sample households are still depend on the open defecation and only 7.3 per cent of the households have individual toilets and no community toilets were found.

The data show that the share of households having toilets separate to house is about 17.0 per cent. Mainly due to their economic backwardness and lack of awareness, a large proportion of households are continued and depended on the open defecation. This was quite explicit in the tribal population.

Majority of 89 % of the respondents have reported that there is no drainage facility in their houses. All the respondents had health problems, the most common being diarrhoea, cough and cold and dysentery. All are agreed that during pregnancy they got proper care, medicine, ambulance facility, immunization care for their children, and regular health check-up facility in PHC. Food is a pre-requisite not only for attaining good health but also for maintaining adequate growth and body equilibrium.. However, the food habits are greatly influenced by thoughts, beliefs, notions, traditions and taboos of the society Apart from these socio-cultural barriers, the religion, education and economic factor do alter the food habits.

Ngo Interventions - Soliga tribal people over the years have become the most disadvantaged exploited and excluded community in our society. They live in the forests and they are considered as the most backward and undeveloped tribes. With the declining role of the state in social welfare and social services, NGOs are increasingly gaining attention and have looked upon as alternative agencies in promoting awareness, change and development in the society. In connection with this, many of the Developmental organizations have tried and made efforts to do something for the tribal development in their own way. Due to which some progress has been made, but still a lot needs to be done. NGOs can play an important role in the process of social transformation and tribal Development.

The VGKK (Vivekananda Grameena Kalyana Kendra) is a registered voluntary organization in the service of Soliga tribe. It is located at B.R. Hills Chamarajanagar district in Karnataka. Dr.H.Sudharshan a highly socially motivated physician is the founder of VGKK. Before establishing the VGKK Dr. Sudharshan had visited the Soligas of the Biligiri Rangana Hills. He has started providing health care services to Soligas all alone from the late 1970's. Within in the short period, his commitment and serious approach to the welfare of the Soliga people were recognized by as the Soliga leaders themselves. Further, a few socially motivated persons like physicians and surgeons of the Mysore Medical College and JSS Medical College Mysore also took part in the activities of the VGKK. These medical practitioners have taken keen interest in organizing health camps at B.R. Hills and visiting on Sundays. Thus, Soliga Podus have been opened for medical treatment of the patients. Thus, Dr. H. Sudharshan was able to organize a mobile health care

service on barefoot for few years. Dr. Sudharshan concentrated on providing medicine to healing patients among the Soliga community. By experience, he found that the medical interaction made by him and his friends from medical community from Mysore is to meet the health care needs of the Soligas. The intelligent and humanitarian Dr. Sudharshan soon felt the need for doing something more than the delivery of health care services. Dr. Sudharshan felt that Soligas needed educational facilities, opportunities for empowerment and livelihood support. This realization prompted Dr. Sudharshan and his friends to establish VGKK. Initially for few years, VGKK was able to service with voluntary social work and small donation in cash and kind made by local philanthropists from Mysore and Bangalore cities.

The state Government has taken several welfare measures to improve the lot of the Soliga. However, these have not made much impact on the people. However, tribes agreed that during pregnancy they got proper care, medicine, ambulance facility, immunization care for their children, and regular health check-up facility in PHC.

Conclusion - Tribes are characterized by a distinctive culture, primitive traits, and socio-economic backwardness. Health of indigenous or tribal people is the perception and conception in their own cultural system with less awareness of the modern health care and health sources. Historically, tribals have followed traditional healing practices. But today, not only the number of those who were not attending to any healing method have decreased significantly but also their dependence on modern health practices have increased. Government activities alone would not be adequate to accomplish this objective. Society must step up about make an atmosphere in which there is no sexual orientation segregation and women have full chances of self-basic leadership and taking part in social, political and financial existence of the nation with a feel of equity.

References :-

1. Balgir R S. (2004). Health care strategies, genetic load, and prevention of hemoglobinopathies in tribal communities in India, South Asian Anthropologist. Vol. 4, pp 189-198
2. Das k, (2012) Health as an economic indicator, kurukshetra, Volume 60 (10), P.6
3. Murthy Venka, G.B, (1987). The Soligas of B.R. Hills: A Demographic Study, Journal of Family Welfare, Vol 34, pp 154-58.
4. Patil A Vikhe, Somasundaram K. V. And Goyal R.C.(2002) Current Health Scenario in Rural India, Aust. J. Rural Health, (10), 129–135
5. Sharma A. Pal, (2012) Rural Health Scenario in India, kurukshetra, Volume 60 (10), P.9.

शाजापुर मध्यप्रदेश की महिला उद्यमियों का शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में एक विश्लेषण

डॉ. संतोष धुर्वे * सुनीता बाणकर **

प्रस्तावना - महिलाओं का कार्य क्षेत्र केवल गृहणी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब, वे तेजी से उद्योगों की स्थापना और प्रबंधन की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। महिला उद्यमी उद्यमिता के प्रमुख कारक हैं, उन्हें सफल उद्यमियों के रूप में मान्यता दी गई है क्योंकि उनके पास उद्यमशीलता विकास के लिए प्रासंगिक गुण हैं। महिला उद्यमियों की मदद से राष्ट्र का विकास किया जा रहा है। आधुनिक समय में पुरुष और महिला उद्यमी के बीच कंधे से कंधे की प्रतिस्पर्धा है। आधुनिक महिलाओं की एक भूमिका मां और गृहणी के रूप में पारंपरिक तक ही सीमित नहीं है। अब इसमें बदलाव आ रहा है। जैसे- जैसे महिलाएं शिक्षित होती हैं, वह खुद को एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में सोचना शुरू करती हैं। सरकार की उदारकृत नीति के कारण हमारे समाज के सामाजिक और आर्थिक मानदंडों में महिलाओं के ध्यान देने योग्य परिवर्तन हुए हैं, जिससे महिलाओं के शिक्षा स्तर में वृद्धि हुई है। महिलाएं व्यवसाय की जोखिम लेने वाली, नव प्रवर्तक हैं। वे व्यवसाय की बुनियादी जरूरतों और उत्पादन के अन्य कारकों की पहचान करती हैं। अब यह माना गया है कि स्व-रोजगार को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के स्वरोजगार में तेजी लाने के लिए कुछ कठोर प्रयास करने होंगे।

अध्ययन का उद्देश्य - शाजापुर जिले में महिला उद्यमी के प्रोफाइल का अध्ययन करना उन महिला उद्यमियों की पहचान करना जो शिक्षा के क्षेत्र में शामिल हैं। अध्ययन का दायरा यह शोध पत्र शैक्षिक क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र सहित शाजापुर में महिला उद्यमी इकाईयों के विकास का विश्लेषण करने पर आधारित है।

साहित्य की समीक्षा - महबूब बाशा - महिला उद्यमियों को न केवल वित्तिय सहायता, और सरकार की अनुमति और प्रतिबंधों के रूप में प्रेरणा की आवश्यकता होती है बल्कि उन्हें परिवार के सदस्यों और जीवन साथी से समर्थन की आवश्यकता भी हो सकती है। राष्ट्र की प्रगति न केवल पुरुष प्रदर्शन बल्कि महिला पर भी निर्भर करती है।

डॉ. सतीश चंद शर्मा, विकास वर्मा, ने अपने शोध में लिखा है कि महिलाएं न केवल चयनित व्यवसायों में बल्कि व्यापार, उद्योगों और इंजीनियरिंग जैसे व्यवसायों में भी प्रवेश करती हैं। महिलाएं भी व्यवसाय करने को तैयार हैं और राष्ट्र के विकास में योगदान दे रही हैं। महिला उद्यमियों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक महिला उद्यमी ने अपने संबंधित क्षेत्रों में लगातार उच्च विकास दर दर्ज की है।

डॉ. सुनील देशपांडे, सुश्री सुनीता सेठी 'भारत में महिला उद्यमिता' में यह कहा जा सकता है कि आज हम एक बेहतर स्थिति में हैं, जिसमें उद्यमिता

के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी काफी दर से बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था के साथ-साथ क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। **शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में महिलाओं का विवरण** - इस शोध पत्र में अध्ययन के लिए चुनी गई नमूना महिला उद्यमी इकाई की विशेषताओं को शाजापुर में आयोजित क्षेत्र जांच के माध्यम से एकत्र किए गए प्राथमिक आंकड़ों की मदद से वर्णित किया गया है शिक्षा क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र जैसे दो क्षेत्रों में वितरित नमूना इकाईयों के उद्यमियों की 72 महिला उद्यमियों के क्षेत्र का नमूना लिया है। प्रत्येक क्षेत्र में 36 महिला उद्यमी का अध्ययन किया है। यह आयु, वैवाहिक स्थिति, धर्म, समुदाय, शैक्षिक योग्यता, परिवार के प्रकार आदि को दर्शाता है।

आयु: नमूना महिला उद्यमी के उद्यमी का आयु वार वर्गीकरण तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1 (देखें आगे पृष्ठ पर)

तालिका 1 से पता चलता है कि 07 उत्तरदाता 30 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं और 18 उत्तरदाता 40-50 आयु वर्ग के हैं। केवल 04 उत्तरदाता 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। 43 उत्तरदाताओं के रूप में 30-40 वर्ष की आयु प्रतिक्रिया है। जबकि कि 30-40 की आयु वर्ग यानी (60%) महिला उद्यमी युवा, ऊर्जावान, उम्र में परिपक्व होती हैं।

वैवाहिक स्थिति की स्थिति - निम्न तालिका में महिला उद्यमी की वैवाहिक स्थिति शामिल हैं। यह तालिका उत्तरदाताओं के तीन वर्गीकरण प्रदान करती है जैसे विवाहित, अविवाहित और विधवा, और तलाक सहित अन्य। यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कई युवा और मध्यम वर्ग की महिलाओं ने मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं की तुलना में अपने उद्यम शुरू किए हैं। यह उद्यमी क्षेत्र में महिलाओं की समृद्धि को दर्शाता है।

तालिका 2 (देखें आगे पृष्ठ पर)

15 उत्तरदाता अविवाहित हैं और शोध 13 उत्तरदाता विधवा, तलाकषुदा हैं। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उत्तरदाताओं में से आधे से अधिक विवाहित हैं, जो दर्शाता है कि विवाहित महिलाओं को अपने उद्यम शुरू करने के लिए अधिक मौका या अधिक आवश्यकता है। यह दर्शाता है कि इस प्रकार की महिलाएं दुःख से बाहर आती हैं और अपने जीवन को एक उद्यम के रूप में शुरू करती हैं।

धर्म: धर्म द्वारा प्रतिवादी महिला उद्यमी के वर्गीकरण को दिखाती है। इसमें हिंदू, इसाई, मुस्लिम धर्म वर्ग शामिल हैं।

तालिका 3 (देखें आगे पृष्ठ पर)

तालिका 3 से पता चलता है कि 38 उत्तरदाता उद्यमी (52%) हिन्दु हैं, 20 उत्तरदाता (28%) ईसाई हैं और 20 उत्तरदाता (28%) मुस्लिम महिलाएं हैं। यह इस तथ्य का प्रतिनिधित्व करता है कि मुस्लिम महिलाओं को हिंदुओं और ईसाई महिलाओं की तुलना में कम स्वतंत्रता है। अधिकांश प्रतिवादी इसमें हिन्दू धर्म के हैं (सिख, सिंधी आदि) महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है।

तालिका 5 (देखें आगे पृष्ठ पर)

वर्ग शिक्षा का क्षेत्र व्यवसाय क्षेत्र कुल प्रतिशत निरक्षर- 111 10 वी तक- 334 12 वी तक- 10 10 14 स्नातक 12 15 27 38 स्नातकोत्तर 18 7 25 35 तालिका 5 से पता चलता है कि 25 उत्तरदाताओं (35%) ने स्नातकोत्तर किया है, 72 उत्तरदाताओं में से 27 (38%) उत्तरदाता क्रमिक हैं और 6 उत्तरदाता (8%) अपने क्षेत्र में अत्यधिक योग्य हैं। 10 उत्तरदाता (14%) 12 वीं पास तक और 3 उत्तरदाता (4%) 10 वीं पास तक हैं। और 1 उत्तरदाता (1%) निरक्षर हैं, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्नातक और स्नातकोत्तर के बाद तक शिक्षित किया है और उच्च योग्य हैं।

परिवार का प्रकार - परिवार का प्रकार या तो परमाणु, संयुक्त परिवार इस तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 6 (देखें आगे पृष्ठ पर)

यह तालिका 6 से देखा गया है कि 47 उत्तरदाता (65%) परमाणु परिवार से संबंधित हैं। इससे पता चलता है कि महिला उद्यमी परमाणु परिवार से संबंधित हैं और उनके पास व्यवसाय चलाने के लिए अधिक पहुंच है और बाकी 25 उत्तर संयुक्त परिवार के हैं (35%)।

शिक्षा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र में शाजापुर जिले में महिलाओं के संरक्षण - शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं शाजापुर में एक कदम आगे बढ़ सकती हैं। आज शिक्षा सीखने या ज्ञान कौशल, मूल्यों, में वृद्धि करने की प्रक्रिया है। शिक्षा को आमतौर पर पूर्वस्कूली या प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालयों और फिर कॉलेज विश्वविद्यालय या शिक्षुता के रूप में ऐसे चरणों में विभाजित किया जाता है।

दूसरी बात यह है कि मैं शाजापुर में ज्यादातर महिलाएं प्लेस्कूल या प्राथमिक में शामिल होती हैं। मस्तिष्क शुरूआती वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ता है। उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षक और पूर्वस्कूली छात्रों के लिए परिणामों में सुधार पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं। पूर्वस्कूली शिक्षा के विकास का क्षेत्र भिन्न होता है। शैक्षिक क्षेत्र में तीसरा और चौथा चरण प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय हैं।

प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा के रूप में भी माना जाता है। प्राथमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा आम तौर पर अनिवार्य शिक्षा का पहला चरण है। बचपन की शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बीच आ रहा है। प्राथमिक शिक्षा के बाद अगला चरण कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का मध्य विद्यालय है। मध्य विद्यालय अधिकांश प्राथमिक और मध्य विद्यालय में बच्चों को विभिन्न विषयों जैसे भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संख्यात्मक विषय आदि पढ़ाए जाते हैं।

तालिका 6.1 (देखें आगे पृष्ठ पर)

यह आंकड़ा 6.1 में दिखाया गया है कि शाजापुर में ज्यादातर महिला उद्यमी जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्लेस्कूल में शामिल हैं, जिसमें 36 में से 21 उत्तरदाता (58%) प्लेस्कूल में शामिल हैं। महिलाओं को लगता है कि वे तीन से चार साल के बच्चों के पाठ्यक्रम को आसानी से विकसित कर सकती

हैं, जैसे प्रत्येक बच्चों के लिए संतुलित बल के साथ शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक प्रकृति को उजागर करना। महिलाओं का बच्चों पर स्नेह, प्रेम होता है। ताकि बच्चे शिक्षक द्वारा आसानी से प्रबंधन और पढ़ा सकें। और 05 उत्तरदाता (14%) डे केयर में शामिल होते हैं। डे केयर एक ऐसी जगह है जहाँ शिशुओं और छोटे बच्चों की देखभाल कार्य दिवस के दौरान की जाती है 36 में से 6 उत्तरदाता प्राथमिक विद्यालयों में शामिल हैं, वे कक्षा 1 से 5 तक के कार्य बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 04 महिला उत्तरदाता मध्य विद्यालय में शामिल हैं, जिसमें कक्षा 6 से 8 वीं कक्षा के बच्चे शामिल हैं।

व्यवसाय क्षेत्र - अब एक दिन उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं का प्रवेश हुआ और समाज ने निजीकरण, वैश्वीकरण और शिक्षा की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इस आगमन का गर्मजोशी से स्वागत किया। अमेरिका, यूरोप और जापान के बाद, भारत भी, उद्यमिता क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का विस्तार हो रहा है। महिलाएं प्रभावी रूप से पुरुषों के साथ-साथ नियोजन, निर्णय लेने और नियंत्रण जैसे विभिन्न उद्यमी कार्य कर रही हैं। आमतौर पर महिलाएं किसी भी प्रकार के व्यवसाय को स्थापित और चला सकती हैं, लेकिन कुछ विशेष व्यवसाय हैं, जिनकी सफलता की अधिक संभावनाएँ हैं, जो महिलाओं द्वारा स्थापित और संचालित की जाती हैं। महिला उद्यमियों के लिए कुछ प्रकार के उपयुक्त व्यवसाय और कार्य निम्न हैं- अचार, पापड़, चटनी, जूस, जैम, जैली तैयार करना। रेडीमेड गारमेंट, होजरी, स्वेटर, सौंदर्य प्रसाधन, किराने की दुकानें, सजावटी सामानों की बिक्री, साड़ी, प्रावधान वस्तु, आभूषण, खाद्य पदार्थ, उपहार की वस्तुएं, फल, सब्जी विक्रेता, आटा चक्की आदि।

एक सफल महिला उद्यमी अपने व्यवसाय को दूसरे या तीसरे पेशे के रूप में शुरू करती है।

शाजापुर में महिला उद्यमी अपने व्यवसाय चलाए जाते हैं, जैसे कि तालिका 6.2 में दिखाया है

तालिका 6.2 (देखें आगे पृष्ठ पर)

व्यवसाय के क्षेत्र में यह आंकड़ा देखा गया है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं रेडीमेड परिधान, किराना दुकान, स्टेशनरी की दुकान, कृत्रिम आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन शामिल हैं। 36 में से, 15 उत्तरदाता रेडीमेड कपड़ों (साड़ी, सूट, अंडरगारमेंट, और महिलाओं और लड़कियों के अन्य वस्त्र) आदि में शामिल हैं। और 10 महिला उत्तरदाता कृत्रिम आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन बेचने में शामिल हैं। 6 उत्तरदाता किराने की वस्तु को बेचने में शामिल होते हैं, जिसमें वे विभिन्न प्रकार की किराने की वस्तु बेचते हैं जिसका उपयोग रसोई और अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है और 05 उत्तरदाता स्थिर दुकान में शामिल होते हैं। कुछ महिला उद्यमी अपने घरों से अपना व्यवसाय चलाती हैं और कुछ महिलाएँ दुकानों से अपना व्यवसाय चलाती हैं।

निष्कर्ष - महिलाएं आज उन गतिविधियों को लेने के लिए तैयार हैं जिन्हें कभी पुरुषों के संरक्षण के रूप में माना जाता था, और यह साबित कर दिया है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान के लिए वे किसी से पीछे नहीं हैं। महिलाओं का कार्य अधिक थकाऊ और चुनौतियों से भरा हो गया है। आइए हम सब मिलकर महिलाओं के पुनर्विकास में उनकी मदद करें। जब कोई दोहरी भूमिका निभाता है तो निश्चित रूप से परिवार के सदस्यों को तनाव से बचने के लिए समर्थन करना चाहिए। भारत में सभी पहलुओं में महिलाओं को प्रेरणा देकर और घरेलू उद्यमी की तरह दोहरी भूमिका निभाने वाली महिलाओं को हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ने की संभावना है। राष्ट्र की प्रगति न केवल पुरुषों के प्रदर्शन और महिला पर भी निर्भर करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- श्री सुधा 'नेल्लोर, एपी, इंडिया रिसर्च जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, वॉल्यूम में महिला उद्यमिता के विकास पर अध्ययन 2 (10) 1-5 अक्टूबर (2013)
- डॉ. सतीश चंद्र शर्मा, महिला उद्यमिता 'संक्रमण का एक युग' इंटरनेशनल जर्नल इन मल्टीडिसिप्लिनरी एंड एकेडमिक रिसर्च वॉल्यूम 1 (3), 1-12, सितंबर-अक्टूबर 2012 (ISSN 2278) - 5973
- मीनू गोयल, भारत में महिला उद्यमिता समस्याएं और संभावनाएँ, अनुसंधान इंटरनेशनल जर्नल, वॉल्यूम 1 (5), 1-13 सितंबर (2011)
- इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च, 2(5), 45-49, गौतम, वी. (2003)।
- पुनैया, ए. (2018)। जनजातीय शिक्षा के मुद्दे और चुनौतियां - तेलंगाना राज्य का एक अध्ययन।
- (2002) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर विशेष ध्यान देने के साथ शिक्षा और सामाजिक इक्विटी। प्रतिक्रिया समिति की रिपोर्ट, www.santiniketan.biz/pub/pratichireport.pdf सुजाता, के.
- नई दुनिया, दैनिक भास्कर - भोपाल, इंदौर
- इंटरनेट @www.wikipedia.com@www.shajapur.nic.in

तालिका 1

आयु	शिक्षा का क्षेत्र	व्यवसाय क्षेत्र	कुल	प्रतिशत
30 से कम	2	5	07	10
30-40	21	22	43	60
40-50	11	7	18	25
50 से अधिक	02	02	04	5
कुल	36	36	72	100 %

तालिका 2

वर्ग	शिक्षा का क्षेत्र	व्यवसाय क्षेत्र	कुल	प्रतिशत
वैवाहिक	21	23	44	61
अविवाहिक	10	05	15	21
अन्य	05	08	13	18
कुल	36	36	72	100 %

तालिका 3

वर्ग	शिक्षा का क्षेत्र	व्यवसाय क्षेत्र	कुल	प्रतिशत
हिन्दु	15	20	38	52
ईसाई	10	10	20	28
मुस्लिम	08	06	14	20
कुल	36	36	72	100%

तालिका 5

वर्ग	शिक्षा का क्षेत्र	व्यवसाय क्षेत्र	कुल	प्रतिशत
निरक्षर	-	1	1	1
10 वी तक	-	3	3	4
12 वी तक	-	10	10	14
स्नातक	12	15	27	38
स्नातकोत्तर	18	7	25	35

तालिका 6

वर्ग	शिक्षा का क्षेत्र	व्यवसाय क्षेत्र	कुल	प्रतिशत
संयुक्त परिवार	16	9	25	35
कुल परिवार	20	27	47	65
कुल	36	36	72	100%

तालिका 6.1

वर्ग	उद्यमी की संख्या	प्रतिशत
प्ले स्कूल	5	14
पूर्व स्कूल	21	58
प्राथमिक स्कूल	6	17
माध्यमिक स्कूल	4	77
कुल	36	100 %

तालिका 6.2

वर्ग	उद्यमी की संख्या	प्रतिशत
रेडिमेड कपड़ा	5	42
किराना दुकान	6	17
लेखन सामग्री दुकान	5	14
कृत्रिम आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन	10	27
कुल	36	100%

भूमिज जनजाति - प्रकृति और गीत में सामंजस्य एक मानव वैज्ञानिक अध्ययन

विनिता सरदार * डॉ. रंजू हासनिन साहू **

प्रस्तावना - लोक साहित्य भंडार में लोकगीतों का स्थान सर्वोपरी है, यह अत्यंत व्यापक होता है, लोक गीत जीवन की कविता है। इसमें जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों की सरलता पूर्वक गीतों के माध्यम से अभिव्यक्ति करता है। इसमें लोक जीवन का सुख-दुख माधुर्य और करुणा झॉकती है। जिसमें लय के साथ अर्थ का भी ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक गहराई रहती है।

जनजाति अपने हृदय में लोकगीतों की परम्परा को पारम्परिक रूप से स्थान दिए हुए है। लोक गीत मौखिक साहित्य का हिस्सा है, मौखिक साहित्य के अनुरूप ही प्रकृतिक सौंदर्य का वर्णन होता है। (मीणा 2013) यह अतती से प्रेरणा ग्रहण कर भविष्य में आगे बढ़ने के लिए मार्ग -दर्शन की भूमिका अदा करता है। यह गीत के माध्यम से वर्तमान के दर्द दुख को भूला कल्पना के पंखों पर बैठे अतिर और वर्तमान समय का आनंद महसूस करते हैं। क्योंकि लोक गीत युगों-युगों से गुंथे पुष्प की माला है, जिसमें जीवन की प्रत्येक रचना को सरल भावों में वर्णन है जिसमें उत्पत्ति से अन्त तक के सारे पलों को लोक -गीत जीवन का सुन्दर संगीत है तथा यह मानव समुदाय के जीवन आस-पास का वर्णन रहता है या उनके धार्मिक संस्कार और प्रकृति के साथ सम्बन्ध की झलक इन्ही गीतों के माध्यम से अभिव्यक्ति की सहजता.आलंकारिता होता है (पटेल 2012) लोकगीतों के साक्ष्य वैदिक कालीन साहित्य में स्पष्ट रूप से झलकते हैं। जिसका वर्णन ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में गीत के रूप में गाथा शब्द का उल्लेख हुआ है।

प्रकृति के रहस्यात्मक कारणों और अदृश्य शक्तियों के पलों को चित्रित करने के लिए जनजातियाँ मिथकीय और धार्मिक आदर्शों को प्रस्तुत करती हैं। जिसमें मानव के तुल्य रूप अस्तित्व को बनाये हुआ है। जो कि स्वाधीन होता है। इस प्रकार आदिम चिन्तन वस्तुओं के काल्पनिक रूपों में सम्बन्धों की खोज करता है तथा उनमें भी मानव के तुल्यरूप नातेदारी स्थापित कर लेता है जैसे मानव प्रकृति और धर्म तीनों एक जाल नुमा संरचना में बना है। शोध पद्धति- वर्तमान में मेरे द्वारा शोध तथ्यों का संकलन प्रायमरी विधि व द्वितीय विधि के माध्यम से किया गया है। जिसमें प्रमुख रूप से सामूहिक चर्चा,साक्षत्कार और अर्धसहभागी प्रमुख विधि है

● **अध्ययन क्षेत्र** - प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र उड़ीसा राज्य के मयुरभंज जिला है जिसमें भूमिज जनजाति दुरदुरा, कोंयपुर, महादेवडिह, बारुडी और गुआल डांगरी आदि गाँव में निवास करती है। यहाँ भूमिज के साथ अन्य जनजाति व जाति संधाल, मण्डारी, कोल, मुडा और जाति के अर्न्तगत घासी डोम बेहरा यादव आदि निवास करते हैं। यह क्षेत्र वनों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। 2001 एक की जनगणना के अनुसार उडसा राज्य में कुल जनसंख्या 36804,660 है। जिसमें

भूमिज जनजाति कुल जनसंख्या 240,000 निवास करती है।

- **उद्देश्य** - हमारे द्वारा भूमिज जनजाति के सम्बन्ध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर इनकी संस्कृति.जनजाति औषधि और कृषि के क्षेत्र में अध्ययन हुआ है। किन्तु उनके लोकगीत और लोक कथा के सन्दर्भ में अध्ययन नहीं के बराबर हुआ है। और मेरे अध्ययन का ध्यान में इस और आकर्षित करना चाहती हैं। मानव प्रकृति और देवता का गीत के माध्यम एक सूत्रधार किए हुए है। जो प्रकृति को संग्रहित व संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

तथ्य विश्लेषण -

हादी बोगा - हादी बोगा भूमिज भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ दो भाग में विभक्त है हादी + बोगा -हादी का अर्थ है, फूल और बोगा का अर्थ है देवता। अर्थात जिसका फूलों का देवता या प्रथम फूल को देवता का समर्पित करते है। इसके प्रथम भाग में सम्पूर्ण प्रकृति और वनस्पति फल, फूल और पेड़ है जिसके उपर इनका सम्पूर्ण जीवन निर्भर है और द्वितीय भाग में बोगा देवता जो इनकी पूरे साल अपनी इनकी हर प्रकृति की विपदा से रक्षा करता है और साथ ही प्रकृति से उत्पन्न सम्पदा उपलब्ध करता है। जिसके संदर्भ में यह हादी बोगा पूजा का आयोजन माघ माह के समय में किया जाता है। यह भूमिज तिथि के अनुसार यह वर्ष का सबसे पहला त्यौहार है। जिसका अयोजन भूमिज जनजाति के ईष्ट पेड़ साल है, जिसका सम्बन्ध भूमिज जनजाति की उत्पत्ति से माना जाता है जिसके सम्बन्ध में एक कथन है कि एक बार जब कपिल गाय गर्भवती अवस्था में जंगल में विश्राम कर रही थी तब वहाँ एक शेर आकर गाय का शिकार करने लिए उसे दौड़ाता है तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए घने जंगल में भागती है और अन्त वह एक गडडे वाले स्थान में आकर रुक जाती है उसके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है एक तरफ गडडा ओर दूसरी तरफ शेर रहता है। इस अवस्था में वह अपने को बहुत असमर्थ बेवस महसूस करती है और वह अपने गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा के लिए भगवान शिव को मन ही मन प्रार्थना करती है, कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो। यह बोलकर कपिल गाय अपने सिंग से मिटटी को उखाड़ती है तब उस मिटटी से एक मानव तीर और धनुष के साथ प्रकट होता है, यह क्रिया वह पुनः दोहराती है, जिससे एक रूरी तीर और धनुष के साथ निकलती और वह उस शेर के ऊपर तीर चलाते है, जिससे तीर एक साल वृक्ष में जाकर लगता है फिर पुनः तीर व अन्य हथियार से शेर का वध करके वह कपिल गाय की रक्षा करते हैं। जब इन्होंने प्रथम तीर चलाया था तो वह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि यह इनका प्रथम प्रकृति से परिचय था और दोनों मध्य एक सम्बन्ध स्थापित हो गया। जिससे इस पेड़ को अपना ईष्ट

* शोधार्थी (समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र) इंदिरा गाँधी जनजाति विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.) भारत

** प्रोफेसर (समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र) इंदिरा गाँधी जनजाति विश्वविद्यालय, अमरकंटक (म.प्र.) भारत

देवता मानने लगा है। यह इसी पेड़ की पूजा के उपरान्त ही यह प्रकृति के उत्पन्न वनस्पति को ग्रहण कर सकते हैं। जिससे यह परम्परा के रूप में मानकर प्रति वर्ष जब यह पेड़ परिक्रम होकर प्रथम फूल ईष्ट देवता को अर्पित करते हैं। यह प्रकृति और मानव समुदाय के जीवन की तुलना किया जाता है जिस तरह परिपक्व होने के पूर्व फूल तोड़ने से नष्ट हो जाता है। तथा फूल से फल और फल से फूल बनता है जो उसके अस्तित्व की बनाए रखता है। इसलिए एक निश्चित माह के पूर्व परिपक्व होने के उपरान्त तोड़ा जाता है। जिससे प्रकृति सम्पदा की सुरक्षित रहती है और धार्मिक संस्कार का पालन करते हुए यह हादि पर्व के उपरान्त ही नये फूलों, फल को ग्रहण करते हैं। इस तरह का पूजा का उड़ीसा के अन्य जनजाति संधाल में भी देखा गया है। (पटनायक 2016)

लोक संस्कृति व लोक गीत- हादी बोंगा -

माघ चाँडब चाबा काते बांहा चाँडब बोलो जाना
माघ महीने के बाद फागुन आया
दारु डाल दाल दाला माते नामा सेकाम सुडा जाना
पेड़ के डाली में नया पत्ता निकला
सिविक-सिविक बास आते बुडः बाघ बुसाड जाना
महकते हुए फुल खिलने लग
भूमिज जोतो हातु हादी बोंगा उडकुड जाना
भूमिज के सभी गाँव में सरहूल पत्ता आरम्भ हुआ।
नामा बाहा सेकाम जो जोम दो माना गया
नया फल फूल पत्ता फला खाना माना है।
बोंगा बुरु कोके माडाडदोडोम दारकाराया
पहले देवी-देवता को अर्पित करना होगा
ला: बो:अ हासु कारे दिनगे हासुवाया
नहीं तो सिर दर्द पेट दर्द हमेशा होते रहेगा।
विधि रेया: विधान कोदो मान्ती हुयु: गेया
विधि का नियम यात्री प्राकृति का नियम इस नियम
को हमें मानना पड़ेगा।
बोंगा जागु जायरा रेगे कोडा कोको जोम ताना
पूजा का भोग लड़का लोग जाहिरा में खा रहे है
बाहा आताड जुडी काते कडी कोको सेटर ताना
लडकियाँ एक साथ फुल लेने के लिए आ रही है।
कोडा-कुडी जोतो गेको धुती साडी काना
लडका-लडकी सभी धोती-साडी पहने हुए हैं।
सुसुन दुराड बाजना काते नाया केको दारोम ताना
नाच गीत बाजा के साथ पुजारी (लाया) को स्वागत
करके घर तक पहुँचा रहे हैं।
सुसुन दुराड. गामागुड माने रास्का चापे जाना
नाच गीत जबरदस्त दिल में खुशी भर आया
जुडा जुतुर बाहा लेगे रेबेद पेरेद जाना
जुडा में कान में फलों से भरा है
चावली होलोट सिदुर तेडी रूप रंग जाना
चावल के गुडी एवं सिदूर से
नागरा मादड साडी तेगे आखडा भुमक जाना
चेहरा रंग हुआ नागडा मादक में थाप से अखडा जम
गया।

सीमा बोंगा जोतो गेको ओयोन उतार जाना
सीमा के सभी देवी-देवता तंग गए
निदा गोठा अखडा रेको सुसुन दुराड. ताना
रात भर सब आखडा में नाचते
होने गाडा जोतो गेको माताओं चाबा कामा
बच्चे. जवान वृद्ध और सभी माताए बाजे की थाप में
सभी नाच रहे
जोतो होडो ओडा रेगे कुपुल को सेटर काला
सभी लोगों के घर में मेहमान आए हुए हैं
जोतो होडो ओडा: रेगे इकि इसिन काना
सभी लोगों के घर में ही हडियाँ पका है।
रेगेज गिरि जोतो गेको जिलु माडी ताना
अमीर हो या गरीब सभी के घर में माँस भात बन रहा
है
दुख: ज्वाला देया काते जोतो को रास्कन ताना।
दुःख-दर्द भुलकर सब लोग मस्ती कर रहे हैं।
लेखक व गीतकार-मंगल सरदार

लोकगीत का भावार्थ - प्रस्तुत गीत विशेष रूप से भूमिज जनजाति के प्रकृति त्यौहार को प्रदर्शित करता है जिस प्रकार कपिल गाय के शिशु पूर्ण रूप से बिना परिपक्व हुए ही नष्ट कर दिया जाता है। उसी तरह साल का फूल बिना सम्पूर्ण हुए इसे तोड़ना वर्जित है।

जिसका पालन सभी भूमिज समुदाय के सदस्य पालन करते हैं। इसके साथ ही यह माघ माह में ही मनाया जाता है। क्योंकि यह होली त्यौहार को नहीं मनाते हैं। इसके उपलक्ष्य में यह फूलों का एक दूसरे को सम्मान के रूप में देते हैं। क्योंकि रंगों को यदि किसी लडकी के ऊपर डाला तो उसको सिन्दूर के समान माना जाता है। यह समारोह अखडा में पूर्ण किया जा रहा है। जिसमें लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्रियों का कार्य विभाजित बोडों जनजाति खेराई नामक वार्षिक अनुष्ठान स्त्रियाँ व पुरुष वर्ग सामूहिक रूप सहयोग करती है। (मेहता 2012) जिसमें स्त्रियाँ फूल तोड़कर एकत्रित करती हैं और लडको का समूह जाहिरा पूजा करती है। वहाँ प्रकृति देव को खुश करने के लिए बकरे की बलि दे रहे हैं। जिसका प्रसाद पुरुष वर्ग खाता है। नगाडे की थाप में सभी वर्ग के बच्चे, जवान और बूढ़े व्यक्ति एक साथ मिलकर बिना किसी भेद भाव के नृत्य कर रहे हैं।

पूरी रात देवता की नृत्य के माध्यम से अपनी सुख शान्ति के लिए अराधना करते हैं। इस दिन प्रत्येक घर में कुपूल (नातेदार) आते हैं। और इसके माध्यम से परिचय होता है जो आगे चलकर विवाह सम्बंध में बंध जाते हैं। अमीर हो या गरीब सभी के घर में मांसाहारी भोजन बनाता है। सभी अपने दुख को भूलाकर नृत्य में मगन हो जाते हैं। क्योंकि लोक गीत एवं लोक नृत्य इनके जीवन का अभिन्न अंग है। जो लोक जीवन के सामाजिक, आर्थिक और नातेदारी व्यवस्था की गतिविधियों झलक इनके गीतों में प्रस्फुटित होती है।

(चौरसियसा 2009) जनजातियों में लोकगीत का मनोवैज्ञानिक महत्त्व ग्राम परिवेश के द्वारा जाना जा सकता है। जिससे धर्म व प्रकृति के समीपता को देखा जा सकता है। इनके लिए धर्म ही जादू है और जादू ही धर्म है इनकी धारणा है कि कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं जो मनुष्य के लिए शुभ-अशुभ का निर्णय करने के लिए क्षमता प्रदान करती है। (बेसरा मदन) कष्ट या देवी प्रकोप की रक्षक है जिसका प्रभाव इनके लोकगीतों में दिखाई

देता है। इनके जीवन का केन्द्र बिन्दू प्रकृति है। जिसके चारों ओर ही इनका जीवन चक्र निर्भर रहता है।

निष्कर्ष - भूमिज जनजाति की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु तक पूर्ण रूप से प्रकृति के पर निर्भर है, जिसकी झलक सामाजिक संस्कार, आर्थिक संसाधन और धार्मिक संस्कार से अवगत होता है। जिसको यह अपने मस्तिष्क में संग्रहण करना असमर्थ है, जिसे यह उन पलों को गीत का रूप दिया है। क्योंकि संगीत स्वर्य में एक केन्द्र आकर्षक का केन्द्र रहा है और आदि काल से वर्तमान तक सबसे अधिक मनोरंजन एक मात्र साधन माना जाता है, जिसमें जीवन के सभी क्षणों की व्याख्या किया जाता है, जिसमें धर्म को केन्द्र मानकर प्रकृति सम्पदा की सरक्षण, स्वदेशी ज्ञान और जीवन-चक्र को गीतों के माध्यम अवगत करता है। और यह अनमोल संस्कृति जिसे गीतों के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को परिचित रखने की एक कोशिश है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मीणा, भँवर लाल 'आदिवासी लोक गीत' अलख प्रकाशन अजमेर हाईवे जयपुर, 2013, पेज-13
2. पटनायक, नित्यानंद. 2016 'फोकलोर ऑफ ट्राईबल कम्युनिटीस', ज्ञान पब्लिसिंग हाउस नई दिल्ली. पेज-53
3. बसुमतारी फुकन चन्द्र, और अनु. एन. एम. मेहता, 2012 'आदिवासी लोक' (गाथा में बोडो समुदाय का लोकजीवन व लोकसंस्कृति) शिल्पायन वैस्ट गोरखापार्क दिल्ली. पेज-56.
4. डॉ चौरसिया विजय 2009 'प्रकृति पुत्र बैगा' हिन्दी ग्रन्थ अकादमी टैगोर मार्ग भोपाल, पेज-217-218.
5. पटेल. भगवान. दास, 2012 'भील लोकोत्सव: नाटक नृत्य के उत्सव' शिल्पायन वैस्ट गोरखापार्क दिल्ली. पेज-59.
6. <https://bhumij.com>>BHUMIJ BHASA.

बुन्देलखण्ड के शासक और मराठा पेशवा के साथ संघर्ष

दीप्ती यादव *

प्रस्तावना - बुन्देला राजधानी ओरछा के स्वप्नदृष्ट महाराजा रुद्रप्रताप थे। सन् 1531 ई. में महाराजा रुद्रप्रताप ने ओरछा की आधारशिला रखी तथा ओरछा को बुन्देला वंश की राजधानी घोषित किया। महाराजा रुद्रप्रताप बुन्देलों की प्रथम राजधानी 'कुण्डार' एवं 'ओरछा' दोनों स्थानों में समय-समय पर रहा करते थे। महाराजा रुद्रप्रताप ओरछा से कुण्डार जाते समय सिंह से गौ की रक्षा करते हुए घायल हुए तथा सन् 1531 के अन्त में उनका स्वर्गवास हो गया। उनके पश्चात् उनके पुत्र भारतीचन्द्र एवं मधुकर शाह ने क्रमशः शासन करते हुए ओरछा को पल्लवित किया।

महाराजा मधुकर शाह के पश्चात् उनके ज्येष्ठ पुत्र रामशाह शासक हुए परन्तु रामशाह योग्य प्रशासक नहीं थे यथा महाराजा वीरसिंह अपने शौर्य एवं नेतृत्व क्षमता से ओरछा का राजपद प्राप्त किया। महाराजा वीरसिंह का शासन काल बुन्देला वंश का स्वर्ण काल कहा जा सकता है। इनके शासन काल में ओरछा राज्य ने चहुँमुखी उन्नति की। ओरछा के धन, वैभव की कीर्ति समस्त भारत में फैल गयी। इनके शासन काल में ओरछा सम्पन्न एवं शक्तिशाली राज्य था।

महाराजा वीरसिंह के उपरान्त उनका ज्येष्ठ पुत्र जुझार सिंह ओरछा नरेश हुआ। महाराजा वीरसिंह के सम्बन्ध मुगल सम्राट जहाँगीर से मित्रवत सम्बन्ध थे। परन्तु महाराजा की मृत्यु के बाद जुझार सिंह के सम्बन्ध मुगल सम्राट शाहजहाँ से बिगड़ गए। दोनों एक दूसरे के प्रति शंकालु थे। संघर्ष अवश्यम्भावी था। जुझार सिंह मुगल सेना से पराजित हो दक्षिण की ओर गए। जहाँ गौड़ों ने उन्हें घेर कर मार डाला। जुझार सिंह के बाद कोई भी बुन्देला नरेश अपना स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सका। प्रबन्धक देवी सिंह के बाद पहाड़ सिंह ने अवश्य ओरछा को नियंत्रित किया था। अब बुन्देलों के मात्र बाह्य आक्रमणकारियों से ही खतरा नहीं था वरन उनके जागीरदार भी स्वतंत्र होने के लिए लालायित थे साथ ही वे ओरछा पर अपना अधिकार मानते थे। पहाड़ सिंह के बाद सुजान सिंह ओरछा के राजा हुए। इनके काल में चम्पतराय का विद्रोह, लूट का आतंक था। सुजान सिंह के बाद यशवन्त सिंह एवं इन्द्रमणि ओरछा के शासक हुये। सन् 1689 में ओरछा राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में उदोतसिंह को गोद लिया गया।

महाराजा उदोत सिंह पराक्रमी शासक थे। इन्होंने सन् 1689 से 1736 ई. तक शासन किया। इनके समकालीन मुगल बादशाहों में बहादुरशाह (1707-12), जहाँदार शाह (1712-13), फर्रुखनिसर (1713-19) एवं मुहम्मद शाह (1719-1748 ई.) हुए थे।

'महाराजा उदोत सिंह के शासन काल में ही मराठों का प्रथम आक्रमण सन् 1708 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ द्वारा कराया गया।' इस आक्रमण का महाराजा उदोत सिंह ने प्रबल प्रतिरोध किया और मराठों का आक्रमण

विफल कर दिया।

सन् 1708 से बुन्देलखण्ड पर मराठों के आक्रमण प्रारम्भ हुए। कुछ समय उदोत सिंह को स्थानीय प्रशासन सुधारने में मिल गया परन्तु इसी काल में स्थानीय जागीरदारों ने विद्रोह करना आरम्भ कर दिया। महाराजा उदोत सिंह के शासन काल में ही चम्पतराय के पुत्र छत्रसाल बुन्देला ने मुगल अधिपत्य के क्षेत्रों में लूट की वारदातें की। 'छत्रसाल ने मुगल क्षेत्र एरच एवं भाण्डेर में भारी लूट की जिस कारण मुगल सूबेदार ही नहीं अपितु स्थानीय बुन्देला जागीरदार भी छत्रसाल के विरोधी हो गए थे।' मराठे अब और आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने मालवा पर भी आक्रमण किए थे।

इसी क्रम में छत्रसाल की गतिविधियों से परेशान होकर मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने सन् 1712 में फर्रुखाबाद सूबेदार नबाव मुहम्मद खान बगंश को ऐरच एवं भाण्डेर के महाल का अधिकारी नियुक्त किया। छत्रसाल ने 1719 से 1728-29 के मध्य मुगल एवं अन्य स्थानीय जागीरदारों के इलाकों में लूट और आतंक से हाहाकार की स्थिति उत्पन्न कर दी। क्रोधित होकर बगंश ने छत्रसाल की घेराबन्दी की और जैतपुर में छत्रसाल को घेरा। इन विकट परिस्थितियों में छत्रसाल ने सन् 1729 में पेशवा बाजीराव से सहायता की माँग की। छत्रसाल ने पेशवा को लिखा था 'जो गत ग्राह गजेन्द्र की सो गत भई है आज, बाजी जाट बुन्देल की, राखी बाजी लाजा।'

छत्रसाल के आग्रह पर पेशवा बाजीराव ने महाराज छत्रसाल की सशर्त सहायता की। छत्रसाल ने बुन्देलखण्ड का एक तिहाई भाग तथा पेशवा बाजीराव को दत्तक पुत्र मानने का वचन दिया।

'पेशवा ने शाहू महाराज से अनुमति लेकर बुन्देलखण्ड सेना भेज दी। पेशवा बाजीराव की सहायता से छत्रसाल ने सन् 1730 में मुहम्मद खान बगंश को पराजित किया।' बगंश अपनी जागीर कड़ा वापस चला गया।

महाराजा छत्रसाल की स्थिति और राज्य की सुरक्षा तो हो परन्तु छत्रसाल की शर्त ने मराठों के लिए बुन्देलखण्ड का द्वार खोल दिया। इसके बाद मराठों से स्थानीय बुन्देला राज्य एवं जागीरदारों को बलात परेशान करना प्रारम्भ कर दिया। मराठों ने बलात बुन्देलों के क्षेत्र पर आक्रमण कर छीनना प्रारम्भ कर दिया।

'गोविन्द राव खैर ने सागर, राहतगढ़, खिमलासा आदि क्षेत्रों को और मल्हार राव होल्कर द्वारा चन्देरी, विदिशा, सिरोंज, मल्हारगढ़ आदि क्षेत्र अपने अधिकार में ले लिए। सन् 1733 में 1736 तक ओरछा नरेश महाराजा उदोत सिंह ने मराठों की उमड़ती भीड़ से मुकाबला किया।' के.पी. त्रिपाठी जी ने मराठे की सेना को तातारी सेना की उपमा दी है।

बुन्देलखण्ड के राजाओं एवं शासकों तथा मराठों के संघर्ष दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही गए। महाराजा उदोतसिंह की मृत्यु मराठा मल्हार राव होल्कर

से युद्ध में ही हुयी थी। मल्हार राव होल्कर एवं उदोत सिंह के युद्ध में मारे जाने का उल्लेख मआसिकल उभरा नामक ग्रन्थ में है, जिसमें उदोत सिंह को अगोटा सिंह नाम से सम्बोधित किया गया है।

महाराजा उदोत सिंह के बाद उनके पुत्र पृथ्वी सिंह ओरछा नरेश हुए। महाराजा पृथ्वीसिंह के समकालीन मुगलशासक मुहम्मद शाह (सन् 1719-1738ई.) एवं अहमद शाह (सन् 1748 से 1764ई.) थे। महाराजा पृथ्वीसिंह ने ओरछा पर सन् 1736से सन् 1752 तक शासन किया। पृथ्वीसिंह के समय मराठों का प्रभाव बढ़ता जाता था। मुगल बुन्देलों के सम्बन्ध पुनः अच्छे हो गए थे परन्तु मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख था, वे बुन्देलों की चाह कर भी मदद करने में सक्षम नहीं रह गए थे।

'मुहम्मद शाह के शासन काल में सन् 1739 में सन् 1739 में नादिर शाह ने अफगानिस्तान एवं पंजाब विजित करते हुए भारत पर आक्रमण किया। मुगल सेना एवं नादिर शाह की सेना के मध्य करनाल में भीषण युद्ध हुआ। जिसमें मुगल सेना बुरी तरह पराजित हुई।' इस युद्ध में मुगलों की सेना की बहुत हानि हुयी साथ ही मुगलों का धन-वैभव लूट किया गया। शाहजहाँ द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन भी नादिर शाह ले गया।

'महाराजा पृथ्वीसिंह के काल में मराठों ने बलपूर्वक बुन्देलखण्ड की एकता का छिन्न-भिन्न करना प्रारम्भ कर बहुत सी भूमि पर अधिकार कर लिया और मराठा राज्य स्थापित किया। इसी क्रम में सन् 1742 ई. में मराठा शासक शाहू जी ने नारायण शंकर को ओरछा पर आक्रमण करने भेजा। नारायण शंकर को नारीशंकर के नाम से भी जाना जाता है। इसने झांसी में अपने नाम से एक बस्ती बसाई थी जो आज भी मुहल्ला नारीशंकर के नाम से जानी जाती है।

नारीशंकर ने ओरछा राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकार कर लिया। 'इन राज्यों में मोठ, गयैठा, पिछोर, करैय, गढ़बई, मउरानीपुर एवं झांसी परगने सम्मिलित थे। नारायणशंकर ने झांसी को अपना मुख्यालय बनाया था। मराठों के साथ-साथ सन्यासी (गुसाई), गूजर और खंगार आदि भी ओरछा राज्य से स्वतंत्र होने एवं अपनी शक्ति विस्तार का प्रयास करने लगे थे।'

नादिरशाह के आक्रमण से मुगल सल्तनत अभी उबर न पायी थी। मुगल सम्राट ने मराठों से सुरक्षात्मक सन्धि कर ली थी। सन् 1761 में अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पानीपत में मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली का युद्ध हुआ जो पानीपत की तीसरी जंग के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए। मराठों का सत्ता का स्वप्न टूट गया। मराठा संघ बिखर गया। लुटे-पिटे मराठा पानीपत से लौटे और बुन्देलखण्ड में ओरछा एवं अन्य स्थानों पर आक्रमण कर दिया। ओरछा राज्य का निवाड़ी दुर्ग ध्वस्त किया और राज्य में भारी लूट की। मराठों ने दतिया राज्य के दवोह इलाके छीन लिए।

महाराजा सावंत सिंह (1733-1765) के शासन काल में ओरछा राज्य की सीमाएं बहुत सिमट गयी थीं। अदोत सिंह के बाद, सावंत सिंह, हरीसिंह, पजन सिंह, मानसिंह, भारतीचन्द आदि निर्बल ओरछा शासक हुए। इनके काल में मराठों ने ओरछा राज्य की अधिकांश जागीरों में लूट की तथा इन इलाकों की बहुत सी भूमि छीन ली।

महाराजा विक्रमाजीत सिंह (1776-1817 ई.) जब ओरछा के सिंहासन पर बैठे तो ओरछा राज्य की सीमायें सिमटकर ओरछा नगर तक रह गयीं थीं। दूरस्थ इलाके यथा टेहरी (टीकमगढ़), जतारा आदि इनके आधीनता में थे। राजा के पास एक हाथी, दो घोड़े तथा पचास सैनिक स्थायी

सेवा में रह गए थे। सेना वेतन न मिलने के कारण विद्रोही हो रही थी। राजा में चहुं ओर अराजकता फैल गयी थी, जिसके कारण मराठे ही थे।

महाराजा विक्रमाजीत सिंह के 'ओरछा राज्य में टहरीली, पीरोन, पलेरा, मोहनगढ़ एवं देवराहा के जागीरदार लगातार उपद्रव कर रहे थे। इसके साथ मराठा सरदारों को लूट और डाकजनी से राज्य में अव्यवस्था फैली हुई थी।'

महाराजा विक्रमाजीत सिंह ने इतना सब कुछ होने के बाद भी मराठों की आधीनता स्वीकार नहीं की और अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के प्रयास किए। उन्होंने राज्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सन् 1783 में राजधानी ओरछा से परिवर्तित कर टेहरी बनाई तथा टेहरी में एक दुर्ग का निर्माण कराया जिसका नाम भगवान श्रीकृष्ण के उपनाम 'टीकमजी के नाम पर टीकमगढ़ रखा।

महाराजा विक्रमाजीत सिंह ने सैनिक व्यवस्था सुधारने हेतु ओरछा राज्य का बरूआ सागर झांसी के मराठा सूबेदार रघुनाथ राव चिम्बालकर को देकर आर्थिक सहायता प्राप्त की एवं राज्य की आन्तरिक शान्ति व्यवस्था कायम की। मराठों के सतत आक्रमण, लूट, डाकेजनी तथा अराजकता से त्रस्त होकर विक्रमाजीत सिंह ने सन् 1812 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ सुरक्षात्मक सन्धि की थी।

ओरछा के बुन्देले मराठों द्वारा किए गए अत्याचार में बहुत दुखी थी। वह मराठों को बाहर से आए आक्रमणकारी के रूप में ही देखते थे।

महाराजा विक्रमाजीत सिंह के निधन के बाद महाराजा धर्मपाल सिंह टीकमगढ़ के राजा हुए। धर्मपाल सिंह साहसी एवं कुशल सेनानायक थे। महाराजा धर्मपाल ने सेना सुदृढ़ करने एवं राजा की सेना का आधुनिकीकरण किया। महाराजा धर्मपाल के बाद महाराज तेल सिंह टीकमगढ़ राजा दुबे इस समय अंग्रेजी का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। बुन्देले अंग्रेजों को पसन्द नहीं करते थे परन्तु अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी और यह संधि भारत की आजादी तक रही।

सन् 1857 की प्रथम क्रान्ति में जब सैनिक विद्रोह हुआ तो असन्तुष्ट बुन्देला राजाओं, जागीरदारों एवं मराठा सूबेदारों ने विद्रोह कर अपने-अपने राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया। इनमें, जैतपुर, बानपुर (मर्दनसिंह), शाहगढ़, नबाव अली बहादुर (बांदा), जालौन आदि के राजा थे। झांसी की मराठा रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी पर अपनी स्वतंत्रता घोषित कर की।

झांसी ओरछा राज्य का ही एक भाग थी। विप्लव को लाभ उठाकर ओरछा राज्य की रीजेन्ट महारानी लड़ई सरकार ने अपने महामन्त्री एवं सेनापति नन्धे को 9 अगस्त सन् 1857 के झांसी पर आक्रमण करने भेजा।

बुन्देलखण्ड के 1857 की क्रान्ति में विशेष रूप से मराठा सूबेदार एवं सरदार सक्रिय थे। बुन्देला मराठों को अपना पुराना शत्रु मानते थे। मराठे बुन्देलों के आक्रमणकारी थे साथ ही बुन्देला, बुन्देलखण्ड राजनीतिक दुर्दशा का कारण मराठों को ही मानते थे।

यही कारण था कि बुन्देलों ने अंग्रेजों से सहयोग लेकर मराठों से प्रतिशोध लिया था। महारानी लड़ई सरकार ने समस्त बुन्देला राजाओं को मराठों के विरुद्ध एकत्र होने का आह्वान किया था।

निष्कर्ष यह है कि मराठों ने बुन्देलखण्ड की अखण्डता को तोड़कर अपनी सत्ता स्थापित की थी। मराठा सूबेदारों की चौध वसूलने की तथा लूट की नीति के कारण स्थानीय शासक, राजा विशेष कर जाट, बुन्देले एवं राजपूत उन्हें अपना विरोधी मानते थे।

मराठों के शोषण और दमनकारी नीतियों के कारण पेशवा बाजीराव के समय से बुन्देलों से लगातार संघर्ष चलता रहा। मराठों ने देशी राज्यों को

कभी अपना राज्य नहीं माना और न ही जनता को। यही कारण था बुन्देलों एवं स्थानीय राजपूतों ने अंग्रेजों की सहायता की और मराठों से प्रतिशोध लिया। उन्होंने अंग्रेजों की सहायता से मराठों को बुन्देलखण्ड से निष्कासित कर प्रथम चरण की स्वतंत्रता प्राप्त की थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. के.पी. त्रिपाठी, बुंदेलखण्ड का वृहत इतिहास, समय प्रकाशन, दिल्ली 1988, पृ.55
2. वही, पृ.65
3. पाण्डेय प्रो. सुधाकर पाण्डेय, बुन्देलखण्ड का सांस्कृतिक एवं राजनीतिक इतिहास, संपादित वी.पी. झा एवं नागेश दुबे, पृ.9
4. वही, पृ.90
5. दीवान प्रतिपाल सिंह, बुन्देलखण्ड का इतिहास, आठवां भाग, प्रकाशक पृथ्वीसिंह बुन्देला, प्रतिपाल परिसर छतरपुर, 2009, पृ.09
6. वही, पृ.49
7. सत्यनारायण, दुबे, यूनिफाइड इतिहास, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, खजूरी बाग, इन्दौर, 2014, पृ.271
8. के.पी. त्रिपाठी, बुंदेलखण्ड का वृहत इतिहास, समय प्रकाशन, दिल्ली 1988, पृ.56
9. Tribes and Casts - W. Crooks.
10. A. Short Account of Bundela Rajput, Chief ship iin Central India, p.15

शैक्षणिक सुविधाओं का भौगोलिक विश्लेषण : डूंगरपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में

जूली चौबीसा * डॉ. मोनिका रोत **

शोध सारांश - शिक्षा मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा ग्रहण करना प्रत्येक काल में महत्वपूर्ण रहा है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपना व समाज का विकास कर श्रेष्ठ नागरिक बन समाज में सम्मानजनक स्थान को प्राप्त करता है। शिक्षा के विकास हेतु शिक्षा तंत्र में शैक्षणिक संस्थान केन्द्रिय भूमिका निभाते हैं। मानव अधिवासों में शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता (X_1) एवं मानव अधिवासों में आवासित ग्रामीण जनसंख्या को शैक्षणिक सुविधाओं के लाभ। उपरोक्त आधार पर प्रत्येक तहसील को कुल लाभान्वित ग्रामीण अधिवासों (X) एवं लाभान्वित जनसंख्या (Y) के कुल योग से माध्य (\bar{X}) ज्ञात करने के पश्चात् मान से मुक्त (scale free) किया जाएगा। प्रत्येक तहसील स्तर पर विकास के स्तर को आधार मानकर प्राथमिकता क्रम के आधार पर सामाजिक सुविधाओं का ढाँचा तैयार किया जाना चाहिए। भौगोलिक पृष्ठभूमि को आधार मानकर क्षेत्रीय विकास के विभिन्न सूचकांकों का निर्धारण वहाँ आवासित जनसंख्या की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए।

शब्द कुंजी - शिक्षा, शिक्षण सुविधाएँ, अधिवास, जनसंख्या।

प्रस्तावना - भौगोलिक अध्ययन में किसी भी क्षेत्र के विकास के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करने में आधारभूत सुविधाओं के वितरण एवं विकास को आधार माना जाता है। मानवीय पहलुओं में शिक्षा को प्रारम्भ से ही केन्द्र बिन्दू माना गया है। ऐसा माना गया है कि जिस प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या में जब बौद्धिक विकास हो वहाँ कल्याणकारी योजनाएँ भी सन्तुलित विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वर्तमान में शिक्षा एवं शिक्षण सुविधाओं के बेतहर विकास एवं वितरण के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाएँ हैं। जहाँ एक ओर जनसंख्या में शिक्षा के विकास को प्रथम प्राथमिकता दी है। वहीं दूसरी ओर शैक्षिक सुविधाओं के वितरण को भी प्रथम प्राथमिकता क्रम में मूल्यांकन का आधार बनाया है। शिक्षा किसी भी क्षेत्र के विकास का संदेवनशील सूचक है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं तर्कशक्ति की योग्यताओं का विकास पूर्ण होता है और इससे आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों का विकास होता है।

राजस्थान के दक्षिण में स्थित आदिवासी प्रदेश डूंगरपुर में शैक्षिक सुविधाओं के अध्ययन हेतु भौगोलिक दृष्टिकोण से उन सभी सांस्कृतिक भू-दृश्यों का अवलोकन एवं विश्लेषण आवश्यक हो जाता है। जहाँ एक सन्तुलित विकास की ओर कदम बढ़ाने के लिए एक नियोजनकर्ता अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में यह प्रयास किया गया है कि शैक्षणिक सेवाओं की विभिन्न संस्थाओं जैसे- सरकारी, अर्द्ध-सरकारी व निजी क्षेत्र आदि की सुविधाओं का विभिन्न अध्ययन इकाईयों में वितरण का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

शोध समस्या एवं उद्देश्य - डूंगरपुर जिले विकास, जल संसाधनों की उपयोगिता, सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई परियोजनाओं, कृषि जोत का आकार, नगरीय भूमि उपयोग आदि क्षेत्रों पर अनुसंधान कार्य किए गए हैं परन्तु 'डूंगरपुर जिले में शैक्षणिक सुविधाओं का विकास' के सन्दर्भ में शोध कार्य अभी तक नहीं हुआ है। इस शोध में डूंगरपुर जिले के शैक्षणिक सुविधाओं जैसे प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च शिक्षा एवं

सेवा केन्द्रों व परिसंरचनात्मक सुविधाओं इत्यादि का शोध में गहन अध्ययन किया जाएगा।

- अध्ययन क्षेत्र की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक पृष्ठभूमि का अवलोकन एवं विश्लेषण करना।
- शैक्षणिक सुविधाओं का प्रादेशिक स्तर पर नियोजन के लिए प्राथमिकता क्रम को निर्धारण करना।
- भावी विकास के लिए सुझाव एवं शोध का निष्कर्ष प्रस्तुत करना।

साहित्य समीक्षा - मेहता, बी.सी. एवं हाथरिया (1975) ने अपनी पुस्तक में बताया कि राजस्थान के जिलों में सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन है। इन्होंने अपने अध्ययन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विकास समूह में है फिर भी अलग-अलग है।

राठी, अजय सिंह (1994) ने अपनी पुस्तक में बताया है कि भारतीय जनजातियों में शिक्षा का स्तर काफी दयनीय है। जिसके कारण इनका सामाजिक स्तर भी काफी निम्न है और इसी के कारण देश की अधिकांश जनजातियाँ कष्टमय जीवन व्यतीत कर रही है और देश की मुख्य धारा से कटी हुई है। पुस्तक में शिक्षा के अभाव में यह जनजाति विकास तथा आधुनिकता का विरोध करती है और परम्परावादी जीवन जी रही है। शोध में शिक्षा-प्रचार और आधुनिकता जैसे विषय के माध्यम से इनकी शैक्षणिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है क्योंकि इनका मानना है कि राजस्थान की भील जनजाति से सम्बन्धित शिक्षा-प्रचार जैसे महत्वपूर्ण विषय पर शोध कार्य काफी कम मात्रा में हुए हैं। इनमें जनजाति में बदलती हुई परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं में शिक्षा प्रसार की भूमिका, विश्लेषण, महत्त्व और निष्कर्ष को सन्तुलित, निष्पक्ष तथा वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए क्षेत्रीय शोध प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

जोशी, हेमलता (2003) ने शैक्षिक विकास सूचकांक राजस्थान 1991-2000 स्थानिक सामयिक मूल्यांकन पंचायत समिति/ब्लाक स्तर में कार्यरत पांच संकेतकों में से संयुक्त सूचकांक के निर्माण के लिए दो

मापदण्डों का प्रयोग किया। शैक्षिक विकास में राजस्थान में जिला स्तर पर 32 क्षेत्रों की प्रवृत्तियों को कोडिंग कर उसका विश्लेषण किया।

राठी इ सिंह देवेन्द्र, ने आर्थिक विकास कई खण्डों जैसे प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों कृषि, औद्योगिक क्षेत्र आधारभूत संरचना और सामाजिक, क्षेत्रों से जुड़ा है। आज के युग में मानव संसाधनों का विकास ही वास्तविक विकास है। संतुलित विकास के लिए लोगों की आर्थिक पृष्ठभूमि मुख्यरूप से अनुसूचित जाति जनजाति लोगों में यह देखना की उनकी शिक्षा उनकी महत्वकांक्षा व प्रदर्शन को कैसे प्रभावित कर रही है। शोध के अनुसार शिक्षा की चुनौतियों के लिए नीति परिप्रेक्ष्य है। इसमें प्राथमिक, माध्यमिक प्रौढ विश्व विद्यालयी शिक्षा साक्षरता इन्डेक्स, TSP क्षेत्र में शिक्षा व शैक्षिक विकास के संकेतकों की तुलना को प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र : स्थिति एवं विस्तार - भौगोलिक दृष्टिकोण से डूंगरपुर जिला विश्व पटल पर उत्तरी-पूर्वी गोलार्द्ध में भारत देश के राजस्थान राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। कर्क-रेखा (Tropic of cancer) डूंगरपुर जिले के गलियाकोट कस्बे के मध्य से गुजरती है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति 23°20' उत्तरी अक्षांश से 20°10' उत्तरी अक्षांश और 73°21' पूर्वी देशान्तर से 74°23' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।

भौगोलिक दृष्टिकोण से डूंगरपुर जिले को 'पहाड़ियों के नगर' के नाम से जाना जाता है। जनजातिय बाहुल्य डूंगरपुर जिला दक्षिण राजस्थान के 'वागड़ प्रदेश' में अवस्थित तथा गुजरात मेवाड़ प्रदेशों का मिलन केन्द्र है। अतः इस जिले की अपनी अलग ही भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विशिष्टता देखने को मिलती है, जो बेणेश्वर में देखी जा सकती है। डूंगरपुर जिला अरावली पर्वतमाला के दक्षिणांचल में स्थित है, जिसकी सीमाएँ उत्तर में उदयपुर जिले से, पूर्व में बांसवाड़ा जिले से तथा दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य से मिलती है। सोम नदी उदयपुर जिले के साथ तथा माही नदी बांसवाड़ा जिले के साथ जिले की सीमाओं का निर्धारण करती है।

सन् 2011 की जनगणना अनुसार डूंगरपुर जिले की कुल जनसंख्या 13,88,552 व्यक्ति है, जो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 2.02 प्रतिशत है। जिसमें ग्रामीण जनसंख्या (93.61 प्रतिशत) तथा नगरीय जनसंख्या (6.39 प्रतिशत) है। कुल लिंगानुपात 995 है जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात 997 तथा नगरीय लिंगानुपात 955 है। जिले में 2011 में कुल साक्षरता 48.80 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता 59.55 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 37.99 प्रतिशत है। ग्रामीण कुल साक्षरता 47.47 तथा नगरीय साक्षरता 72.50 प्रतिशत है। डूंगरपुर जिला अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जिसमें अनुसूचित जाति जनसंख्या 4.29 प्रतिशत है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 72.88 प्रतिशत है।

परिकल्पनाएँ :

1. डूंगरपुर जिले में शैक्षणिक विकास की असमानताओं में सामाजिक, आर्थिक कारक अधिक प्रभावशाली रहे हैं।

विधि तंत्र - आधारभूत सुविधाओं का जनसंख्या एवं गाँवों के आधार पर संयुक्तक (Composite Score) ज्ञात किया गया है। विभिन्न तहसीलों में सामाजिक सुविधाओं के संयुक्तक के आधार पर स्तरों का निर्धारण किया गया है।

$$i = \frac{X}{\bar{X}}$$

i+ii+iii = Composite Indices

X = सभी सूचकांकों का विभिन्न इकाइयों के कुल मान से औसत

\bar{X} = सूचकांकों का मान (इकाई स्तर पर)

शिक्षण सुविधाएँ - सम्पूर्ण विकास एवं नियोजन की प्रक्रिया में सामाजिक सुविधाएँ एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाहन करती है। इस सन्दर्भ में 'रोडीनेली' का विचार है कि यदि आर्थिक प्रगति के साथ ही समानता एवं सन्तुलन के उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तो सामाजिक सुविधाओं, सेवाओं, उत्पादन गतिविधियों एवं अवधात्मक तत्वों का तर्क संगत तथा उत्प्रेरक वितरण प्रमुख समस्या के रूप में उभरता है। सामाजिक-सांस्कृतिक विकास स्तर के अन्तर्गत- शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, पीने का पानी, परिवहन, पोस्ट ऑफिस, विद्युत, सड़क, दूरसंचार आदि से सामाजिक विकास को गति प्रदान करने वाले ऐसे संसाधन हैं, जो ठोस आधार प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन में डूंगरपुर जिले में शैक्षणिक सुविधाओं के विकास का अध्ययन किया गया है। शिक्षा समाज में प्रचलित रूढ़ियों तथा अवमूल्यों को दूर करने में अहम भूमिका निभाती है, शिक्षा द्वारा मानव के मस्तिष्क का विकास, ज्ञान में अभिवृद्धि एवं चिन्तन शैली में परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप प्राविधिक ज्ञान, शोध कार्य आदि की परिकल्पना, शिक्षा के अभाव में गतिविहिन हो जाती हैं। इस आधारभूत शिक्षण सुविधाओं के अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सैकण्डरी, उच्चतर सैकण्डरी, महाविद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों आदि को सम्मिलित किया गया है जिसका तहसील वार विवरण निम्न है -

आधारभूत शिक्षण सुविधा - आधारभूत शिक्षण सुविधाओं के अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सैकण्डरी, उच्चतर सैकण्डरी, महाविद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों आदि को सम्मिलित किया गया है। सारणी 1 में तहसीलों में जनसंख्या एवं अधिवासों को आधार मानकर शिक्षण केन्द्रों एवं सुविधाओं के वितरण को आनुपातिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न तहसीलों में कितनी जनसंख्या एवं अधिवासों को शिक्षण सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। इस आधार पर शिक्षण सुविधाओं के वितरण के अध्ययन के पश्चात् विभिन्न स्तरों में बांटा गया है, जो निम्न प्रकार है -

सारणी 1,2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

उच्च स्तर - सारणी 1 के विश्लेषण से गाँव के आधार एवं जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक शैक्षणिक सुविधाएँ डूंगरपुर तहसील में क्रमशः 83.53 एवं 96.14 प्रतिशत पाई गई है, जबकि गाँव के आधार एवं जनसंख्या के आधार पर सबसे कम शैक्षणिक सुविधा सागवाड़ा तहसील में क्रमशः 77.08 एवं 93.96 प्रतिशत रही है।

सारणी 1 से स्पष्ट है कि जिन तहसीलों का समग्र स्कोर 2.02 से 2.06 के मध्य है, उनमें अध्ययन प्रदेश की डूंगरपुर तहसील (2.06) को सम्मिलित किया गया है। डूंगरपुर तहसील में उच्च शिक्षण सुविधा उपलब्ध होने का मुख्य कारण है कि यह क्षेत्र अन्य नगरीय एवं राज्यीय सीमा से जुड़े हुए हैं। यहां पर आवागमन के साधन अधिक हैं तथा गाँव के मध्य दूरी अधिक होने से जगह-जगह पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। जिससे गाँव एवं जनसंख्या के आधार पर शैक्षणिक सुविधाएँ अधिक उपलब्ध हैं।

डूंगरपुर तहसील में प्राथमिक शिक्षण सुविधाओं में आंगनवाड़ी केन्द्र (155), प्राथमिक विद्यालय (489), उच्च प्राथमिक विद्यालय (213), माध्यमिक विद्यालय (105), उच्च माध्यमिक विद्यालय (32) तथा उच्च शिक्षण सुविधा हेतु कॉलेज (9) तथा अन्य पॉलिटेक्निक कॉलेज व वोकेशनल कॉलेज (3) आदि हैं। जिन क्षेत्रों प्राथमिक विद्यालय मुख्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विकसित किए गए हैं। जैसे गामडी आहारा, बिच्छीवाड़ा, बलवाड़ा, पालमथुवा गामडा, पालकोल खाण्डा आदि।

मध्यम स्तर – मध्यम स्तर के लिए समग्र स्कोर 1.99 से 2.02 के मध्य में पाया गया है। मध्यम स्तर के अन्तर्गत अध्ययन प्रदेश की आसपुर तहसील (2.02) को सम्मिलित किया गया है। आसपुर तहसील में आंगनवाड़ी केन्द्र (84), प्राथमिक विद्यालय (257), उच्च प्राथमिक विद्यालय (147), माध्यमिक विद्यालय (87), उच्च माध्यमिक विद्यालय (29) तथा उच्च शिक्षण सुविधा हेतु कॉलेज (8) आदि है। आसपुर तहसील के तहसील मुख्यालय पर कॉलेज शिक्षण सुविधा तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मुख्य रूप से आसपुर, बनकोड़ा, पुंजपुर, बोडीगामा छोटा, वनवासा आदि प्रमुख है। जहाँ विद्यार्थियों को शिक्षण सुविधा मिलती है। आसपुर तहसील के अधिकांश गांवों को इन विद्यालयों से शिक्षण सुविधा प्राप्त होती है।

निम्न स्तर – प्राप्त सूचनाओं के आधार पर स्पष्ट है कि निम्न स्तर श्रेणी में जिले की दो तहसील सागवाड़ा एवं सीमलवाड़ा को सम्मिलित है, जिनका समग्र मान 1.95 से 1.99 के मध्य रहा है। जहाँ शिक्षण सुविधाओं की कमी पाई गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का बाहुल्य पाया जाना है। महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता कम है। सागवाड़ा तहसील में आंगनवाड़ी केन्द्र (117), प्राथमिक विद्यालय (367), उच्च प्राथमिक विद्यालय (222), माध्यमिक विद्यालय (98), उच्च माध्यमिक विद्यालय (38) तथा उच्च शिक्षण सुविधा हेतु कॉलेज (2) आदि है। सागवाड़ा तहसील मुख्यालय पर कॉलेज शिक्षण सुविधा तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मुख्य रूप से केशरिया, छितरी, घाटा का गांव, भीलूरा, खडगदा, अम्बारा, जेताना आदि प्रमुख है।

इसी प्रकार सीमलवाड़ा तहसील आंगनवाड़ी केन्द्र (84), प्राथमिक विद्यालय (343), उच्च प्राथमिक विद्यालय (196), माध्यमिक विद्यालय (86), उच्च माध्यमिक विद्यालय (26) तथा उच्च शिक्षण सुविधा हेतु कॉलेज (5) आदि में मुख्य रूप से सीमलवाड़ा, संसारपुर, भीनडा, झोंतरी, भेडसा, करावाड़ा, गनडवा, केशपुरा, माडली, पीठ आदि प्रमुख है।

उक्त तहसीलों भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रतिकूल परिस्थितियों में होने के कारण भी यहां शिक्षण सुविधा के स्तर निम्न मिलते हैं। जैसे पहाड़ी एवं असमतल भू-भाग, अनुपजाऊ क्षेत्र आदि।

सांराश – शैक्षणिक सुविधाओं में सबसे अधिक उच्च स्तर डूंगरपुर, मध्यम स्तर में आसपुर है। निम्न स्तर में सीमलवाड़ा तथा सागवाड़ा है। डूंगरपुर में पर्याप्त मात्रा में शिक्षण सुविधा उपलब्ध रहने के कारण शिक्षा का स्तर ऊंचा रहा है।

सुझाव – अध्ययन क्षेत्र में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के आधार पर शिक्षण सुविधाओं में वृद्धि की दृष्टि से निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं :

1. शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए महिला शिक्षा व उच्च शिक्षा को महत्व देना चाहिए। उक्त आयाम के लिए योजनाबद्ध रूप से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करनी चाहिए।
2. जनसंख्या के अनुरूप आवश्यक सुविधाओं का सुझाव-पत्र तैयार

कर सरकार को आवेदन करना चाहिए।

3. यदि किसी मध्यम आकार के ग्रामीण अधिवास में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं एक डिस्पेन्सरी उपलब्ध है लेकिन जनसंख्या का आकार अधिक है तथा आवश्यकता के अनुरूप शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाएँ नहीं है, तो वहाँ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध करने के लिए पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव प्रेषित करने चाहिए।
4. प्रत्येक तहसील स्तर पर विकास के स्तर को आधार मानकर प्राथमिकता क्रम के आधार पर सामाजिक सुविधाओं का ढाँचा तैयार किया जाना चाहिए।
5. भौगोलिक पृष्ठभूमि को आधार मानकर क्षेत्रीय विकास के विभिन्न सूचकांकों का निर्धारण वहाँ आवासित जनसंख्या की आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए।
6. विभिन्न तहसीलों में सामाजिक सुविधाओं के विकास के लिए बनाई सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हुए बनाया व क्रियान्वित करना चाहिए।
7. शिक्षा के लिए मूलभूत सुविधाओं को जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए वितरित किया जाना आवश्यक है। साथ ही गाँवों के मध्य दूरी अधिक होने पर प्राथमिक चिकित्सालय स्थापित किया जाना चाहिए।
8. साक्षरता के स्तर पर जनजाति समुदाय अन्य लोगों से पीछे है, इस दरार को शीघ्र भरना चाहिए, परन्तु शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण की और तेजी से बढ़ रहा है, आदिवासी समुदाय के लिए क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं की संख्या और धनराशि दोनों में बड़ी मात्रा में सरकार को वृद्धि करनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मेहता, बी.सी., हाथरिया (1975) : राजस्थान में प्रादेशिक असंतुलन आर्थिक विकास, जयपुर (राज.)
2. राठी इ, अजयसिंह (1994) : भील जनजाति : शिक्षा और आधुनिकीकरण, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
3. राठी इ, सिंह, देवेन्द्र (1991) : जनजाति क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं शिक्षा का अध्ययन, राजस्थान
4. जैन, प्रगति (2007) : 'प्रादेशिक विषमताएँ राजस्थान में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति का अध्ययन' अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
5. व्यास, पी. आर (1991) : सामाजिक सुविधाएँ एवं प्रादेशिक विकास मेवाड़ प्रदेश, उदयपुर रावत पब्लिकेशन, जयपुर
6. भल्ला, एल.आर. (2015) : राजस्थान का भूगोल, प्रवालिका पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
7. जनगणना सेन्सस ऑफ इण्डिया, 1981, 1991, 2001, 2011
8. जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जिला डूंगरपुर 2001, 2011

सारणी 1. : जिला डूंगरपुर : शैक्षणिक सुविधाएँ (2011)

तहसील का नाम	गाँव	X_1	X_1/\bar{X}	जनसंख्या	X_2	X_2/\bar{X}	समग्र स्कोर
डूंगरपुर	305	83.53	1.05	495423	96.14	1.01	2.06
आसपुर	174	81.29	1.02	224243	95.53	1.01	2.02
सागवाड़ा	252	77.08	0.96	343232	93.96	0.99	1.95
सीमलवाड़ा	245	77.73	0.97	325654	94.42	0.99	1.97
\bar{X}		79.91			95.01		2.00

स्रोत : जिला सांख्यिकी रूपरेखा डूंगरपुर, 2011

सारणी 2 : जिला डूंगरपुर : शिक्षण सुविधाएँ

क्र.	तहसील	आंगनवाड़ी	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	उच्च माध्यमिक विद्यालय	कॉलेज	अन्य	योग
1	डूंगरपुर	155	489	213	105	32	9	3	1006
2	आसपुर	84	257	147	87	29	8	0	612
3	सागवाड़ा	117	367	222	98	38	2	0	844
4	सीमलवाड़ा	84	343	196	86	26	5	0	740
	योग	440	1456	778	376	125	24	3	3202

झुंझुनू जिले में गेहूँ की कृषि - एक भौगोलिक अध्ययन

सुमन कुमार *

शोध सारांश - गेहूँ भारत में महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो विशेषकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में प्रमुखता से पैदा की जाती है। साथ ही साथ गेहूँ स्थानीय लोगों का प्रमुख खाद्यान्न भी है। अध्ययन क्षेत्र में गेहूँ एक प्रमुख खाद्यान्न के रूप में अपनी महत्ता भी रखता है। इस शोध पत्र में 1997-98 से 2016-17 तक 20 वर्षों की समयावधि में अध्ययन क्षेत्र में गेहूँ की खेती में आए विचलनों (कृषि क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता) का अध्ययन किया गया है। इस शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र में उपर्युक्त समय अवधि में गेहूँ की खेती के अंतर्गत सामयिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना है। इस हेतु शोधकर्ता द्वारा झुंझुनू जिले में वर्ष 1997 से 2017 तक दो दशक के गेहूँ की कृषि सम्बन्धी आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि विगत 20 वर्षों में गेहूँ फसल के बोए गए क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि के पीछे कृषि क्षेत्र में बढ़ता हुआ निवेश, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, कृषि में बढ़ता प्रबंधा आदि प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारक है।

शब्द सूची - कृषि, गेहूँ, खाद्यान्न, उत्पादन, उत्पादकता।

प्रस्तावना - गेहूँ (ट्रिटीकम) विश्वव्यापी महत्व की फसल है। भारत में इस फसल का विशेष महत्व है क्योंकि यह धान के पश्चात भारत में सबसे अधिक खाद्य उपयोग में लाई जाने वाली फसल है। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 13 प्रतिशत गेहूँ की फसल के अंतर्गत है। यह अन्य खाद्यान्नों की तुलना में अधिक पौष्टिक है। गेहूँ में ग्लूटेन की मात्रा ही इसकी गुणवत्ता को निर्धारित करती है। गेहूँ के वर्धनकाल में शीत जलवायु तथा लगभग 30 से.मी. वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए चिकायुक्त जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है। भारत में गेहूँ मुख्यतया: उन क्षेत्रों में उगाया जाता है, जहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेमी से कम होती है। इसे बोते समय मिट्टी में आर्द्रता का होना आवश्यक है। इसी कारण ही देश के बड़े भाग में तब बोया जाता है जब बुवाई से कुछ समय पहले कुछ वर्षा हो जाए। यदि वर्षा न हो तो वर्धनकाल में गेहूँ की फसल को सात सिंचाईयों की आवश्यकता होती है। फसल पकते समय चमकीली धूप से उपज बढ़ जाती है तथा गर्म मौसम गेहूँ की कटाई में सहायक होता है। अध्ययन क्षेत्र में गेहूँ साधारणतः नवंबर के प्रथम पखवाड़े में बोया जाता है, जब दैनिक औसत तापमान 26° सेल्सियस से अधिक होता है। जनवरी - फरवरी माह में वर्धनकाल के समय में तापमान 14° से 28° के बीच होता है। गेहूँ की फसल मार्च महीने में पकना शुरू हो जाती है, जब तापमान 21° सेल्सियस होता है। अप्रैल महीने में गेहूँ की फसल काट ली जाती है। जब तापमान 27° सेल्सियस होता है, गेहूँ की कृषि में सिंचाई का अत्यधिक महत्व होता है। यही कारण है कि अध्ययन क्षेत्र में गेहूँ की खेती उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई जितनी सिंचित क्षेत्रों में हुई। परंतु जैसे-जैसे अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हो रहा है वैसे-वैसे यहां की गेहूँ की कृषि में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट देखने को मिल रहे हैं।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय - अध्ययन क्षेत्र शेखावाटी प्रदेश का प्रमुख जिला है। जिले का अधिकांश भाग मरुस्थलीय ही है। राज्य के उत्तर में स्थित

है, इस जिले की उत्तरी सीमा हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ एवं भिवानी जिले से लगी हुए हैं। जिले की दक्षिण में सीकर, पश्चिम में चूरू और पूर्व में सीकर जिले अवस्थित हैं। जिले का अक्षांशीय विस्तार 27°38' से 28°31' उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरीय विस्तार 75°02' से 76°06' पूर्वी देशांतर तक है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5,926 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 2,13,70,45 है। यह क्षेत्र पूर्व में शेखावत राजपूतों के प्रभाव में था, जिस कारण इस क्षेत्र को शेखावाटी भी कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। अध्ययन क्षेत्र झुंझुनू जिले में वर्ष 2016-17 में 86,553 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूँ फसल की बोयी गयी जो की जिले के बोए गए कुल क्षेत्र 6,27,519 हेक्टेयर का 13.79 प्रतिशत है। झुंझुनू जिले का राज्य के गेहूँ फसल के अंतर्गत क्षेत्र का 2.58 प्रतिशत क्षेत्र के साथ 17वाँ स्थान है जबकि उत्पादन की दृष्टि से झुंझुनू जिला 3,50,085 मीट्रिक टन के साथ 14वें पायदान पर है, जो कि राज्य के कुल गेहूँ उत्पादन का मात्र 2.82 प्रतिशत ही है। इसी प्रकार उत्पादकता की दृष्टि से वर्ष 2016-17 में जिले में गेहूँ की उत्पादकता 4044 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी जो राज्य के औसत उत्पादकता 3712 किलोग्राम से अधिक है। राज्य में गेहूँ की उत्पादकता में अन्य जिलों की तुलना में झुंझुनू जिले का 9वाँ स्थान है।

उद्देश्य एवं विधि तंत्र - प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र झुंझुनू जिले में गेहूँ की कृषि के विभिन्न आयामों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना है। वहीं अन्य मुख्य उद्देश्यों में (1) अध्ययन क्षेत्र में गेहूँ की खेती में हो रहे सामयिक परिवर्तनों का विश्लेषण करना, (2) अध्ययन क्षेत्र में गेहूँ की कृषि के अंतर्गत व्याप्त अस्थिरता को ज्ञात करना। इन निर्धारित शोध उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शोधकर्ता द्वारा जिले में गेहूँ की कृषि से सम्बन्धी विगत 20 वर्षों के आंकड़ों का संकलन किया गया। वर्ष 1996-97 से 2016-17 तक के गेहूँ फसल के अंतर्गत क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता सम्बन्धी आंकड़ें

भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से प्राप्त किए गए। अध्ययन क्षेत्र में गेहूँ की खेती में क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि को ज्ञात करने हेतु संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate - CAGR) का प्रयोग किया गया।

$$CAGR = \left(\frac{\text{Ending Value}}{\text{Beginning Value}} \right)^{\left(\frac{1}{\# \text{ of Years}} \right)} - 1$$

वहीं जिले में गेहूँ की कृषि के अंतर्गत क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में विचलनों को ज्ञात करने हेतु विचरण गुणांक (Coefficient of Variation) का उपयोग किया गया। जिले में गेहूँ की कृषि में सामयिक परिवर्तनों व अस्थिरता मापन के लिए निम्नांकित सूत्र को प्रयोग में लाया गया।

$$\text{Coefficient of Variation (CV)} = \left(\frac{\text{Standard Deviation}}{\text{Mean}} \right) \times 100$$

विश्लेषित आंकड़ों के प्रदर्शन के लिए सारणी एवं आरेखों का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण – तालिका संख्या 1 झुंझुनू जिले में गेहूँ की फसल का क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता की 1997-98 से 2016-17 तक की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1997-98 में जहाँ गेहूँ की फसल के अंतर्गत कुल बोया गया क्षेत्र 53,400 हेक्टेयर था जो वर्ष 2000-01 में बढ़कर 65,926 हेक्टेयर हो गया। परन्तु 2001-02 में फसल के अंतर्गत क्षेत्र घटकर 55,425 हेक्टेयर रह गया जिसका असर उत्पादन पर भी पड़ा। इसी प्रकार फसल के अंतर्गत क्षेत्र में मामूली उतर-चढ़ाव के साथ यह उत्तरोत्तर यह बढ़कर वर्ष 2010-11 में 79,590 हेक्टेयर हो गया। इसके पश्चात 2011-12 में क्षेत्र में थोड़ी गिरावट को छोड़ते हुए 2016-17 तक जिले में गेहूँ के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र 86,553 हेक्टेयर तक पहुँच गया जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गयी।

तालिका संख्या - 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

इसी प्रकार यह तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1997-98 जहाँ गेहूँ का 2957 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के साथ 1,57,900 टन उत्पादन था, जो वर्ष 1999-00 में उत्पादकता (2151 किलोग्राम/हेक्टेयर) के गिरने से 1,41,818 टन रह गया। इसके पश्चात कुछ एक वर्षों को छोड़ दें तो बोलेंगे क्षेत्र एवं उत्पादकता में वृद्धि के परिणामस्वरूप गेहूँ का उत्पादन बढ़ता ही गया। वर्ष 2014-15 में फसल के अंतर्गत अधिकतम बोया गया क्षेत्र (88,802 हेक्टेयर) एवं उत्पादकता (4032 किलोग्राम/हेक्टेयर) के साथ 3,58,018 मीट्रिक टन गेहूँ का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ जो विगत 20 वर्षों में सबसे अधिक है।

अध्ययन क्षेत्र में विगत दो दशकों की समयावधि में गेहूँ की उत्पादकता पर दृष्टि डालें तो हम पाते हैं कि 1997-98 में गेहूँ की उत्पादकता 2957 किलोग्राम थी, जो 1999-00 में घटकर 2151 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रह गई। इसके पश्चात मामूली उतर चढ़ाव के साथ उत्पादकता में निरंतर वृद्धि हुई। वर्ष 2014-15 में यह पहली बार बढ़कर चार हजार के स्तर को पार करते हुए 4032 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुँच गयी एवं वर्ष 2016-17 में रिकॉर्ड उत्पादकता दर्ज की गयी जो कि 4,044 किलोग्राम प्रति

हेक्टेयर है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विगत 20 वर्षों में अध्ययन क्षेत्र में गेहूँ की खेती के अंतर्गत क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गई है।

अध्ययन क्षेत्र में गेहूँ की फसल में वृद्धि को जानने के लिए संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर की गणना वर्ष 1997-98 से 2016-17 की अवधि में गेहूँ की फसल के आंकड़ों (बोया गया क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता) के आधार पर की गयी है।

आरेख संख्या - 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

आरेख संख्या 1 के अनुसार गेहूँ की कृषि के अंतर्गत क्षेत्र की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर जहाँ 0.024 प्रतिशत है वहीं यह उत्पादन और उत्पादकता में क्रमशः 0.041 एवं 0.016 प्रतिशत है। संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर सबसे अधिक वार्षिक उत्पादन में एवं सबसे कम उत्पादकता में दर्ज की गई है। अध्ययन क्षेत्र में गेहूँ की कृषि में सामयिक परिवर्तनों के मापन के लिए अस्थिरता जाँच को प्रयोग में लाया गया है। इसके अंतर्गत विगत 20 वर्षों के गेहूँ की कृषि के आंकड़ों (बोया गया क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता) के आधार पर औसत, मानक विचलन और विचरण गुणांक की गणना की गयी है। विश्लेषण के परिणाम तालिका संख्या 2 में दर्शाए गये हैं।

तालिका संख्या: 2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

जिले में विगत 20 वर्षों (1997-98 से 2016-17) की अवधि में गेहूँ की फसल के अंतर्गत क्षेत्र का औसत 71,941 हेक्टेयर है। औसत उत्पादन और उत्पादकता क्रमशः 2,34,674 टन एवं 3202 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसी प्रकार गेहूँ के अंतर्गत बोलेंगे क्षेत्र का विचलन 11,366 हेक्टेयर, उत्पादन का 71,810 टन एवं उत्पादकता का विचलन 544 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

गेहूँ की कृषि में बोये गये क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता का विचलन गुणांक की गणना विगत दो दशकों के आंकड़ों के आधार पर की गयी है। जिले में गेहूँ के अंतर्गत क्षेत्र में विचलन गुणांक 15.80 प्रतिशत, उत्पादन में 30.60 प्रतिशत एवं उत्पादकता में 16.99 प्रतिशत पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि तुलनात्मक रूप से उत्पादन में अस्थिरता अधिक पाई गयी है, जबकि सबसे कम अस्थिरता बोलेंगे क्षेत्र में है।

निष्कर्ष - अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1996-97 से 2016-17 की दो दशक की समयावधि में गेहूँ की कृषि के अंतर्गत क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई है। अध्ययन क्षेत्र में विगत दो दशकों में उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि हुए हैं, जो कि उत्पादकता में वृद्धि के साथ-साथ बोलेंगे क्षेत्र में विस्तार का भी परिणाम है। जिले में कृषि क्षेत्र में सिंचाई क्षमताओं का विस्तार, उच्च उत्पादकता वाले उन्नत बीजों का उपयोग, कृषि में मशीनीकरण, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, निवेश का बढ़ना, बेहतर कृषि विपणन और बेहतर कृषि प्रबंध आदि के कारण ना केवल गेहूँ की उत्पादकता में वृद्धि हुए बल्कि फसल के अंतर्गत बोलेंगे क्षेत्र में भी इजाफा हुआ है, जो कि जिले में गेहूँ की कृषि में सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Chand, Shyo. (2016) Spatio temporal analysis of cotton cultivation in Sriganganagar and Hanumangarh Districts, Unpublished thesis, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan.
2. Reddy, A.R. (2013) Cotton Productivity Variations in India: An Assessment. Cotton research Journal, Vol. 5 (2)
3. Aggarwal, P.K. Hebbur, K.B. Venugopal, M.V. Rani, S.


- Bala, A. Biswal, A. and Wani. S. P. (2008) Quantification of yield gaps in rain fed rice, wheat, cotton and mustard in India. Report 43, global theme on Agro ecosystem ICRISAT, Hyderabad.
4. You, L. (2008) A tale of two Countries: Spatial and temporal patterns of rice Productivity in China and Brazil, Discussion paper 00758, International Food Policy Research Institute Washington , D.C.
5. Brooks, G.E. (1975) Peanuts and colonialism: Consequences of the commercialization of peanuts in West Africa, 1830–70. Journal of African History, **16**, 29–54. Page | 7 Shorrocks, Anthony.(1980) The Class of Ad-
ditively Decomposable Inequality Measures. Econometrica , 48: 613-25
6. <http://www.commoditiescontrol.com/eagritrader/staticpages/index.php?id=47>
7. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/104653/7/07_introduction.pdf
8. <http://www.kisanplanet.com/blog/wheat/>
9. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-0733-4_2
10. <http://www.fao.org>
11. https://aps.dac.gov.in/APY/Public_Report1.aspx

तालिका संख्या - 1. झुझुनू जिले में गेहूँ फसल का क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता
(1997-98 से 2016-17)

	क्षेत्र (हेक्टेयर)	उत्पादन (टन)	उत्पादकता (किलोग्राम/हेक्टेयर)
1997-98	53400	157900	2957
1998-99	60302	179320	2974
1999-00	65946	141818	2151
2000-01	65926	165008	2503
2001-02	55425	138029	2490
2002-03	61244	209336	3418
2003-04	63456	175314	2763
2004-05	59680	158612	2658
2005-06	69708	211993	3041
2006-07	68350	241932	3540
2007-08	75906	211838	2791
2008-09	71814	253157	3525
2009-10	79516	257934	3244
2010-11	79590	259955	3266
2011-12	73708	250190	3394
2012-13	84439	315480	3736
2013-14	86716	346467	3995
2014-15	88802	358018	4032
2015-16	88335	311096	3522
2016-17	86553	350085	4045

स्रोत- आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कृषि मंत्रालय भारत सरकार ।

आरेख संख्या - 1



तालिका संख्या - 2 झुंझुनू जिले में गेहूँ की फसल के क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता में सामयिक परिवर्तन (1997-98 से 2016-17)

	क्षेत्र (हेक्टेयर)	उत्पादन (टन)	उत्पादकता किलोग्राम/हेक्टेयर)
माध्य	71941	234674	3202
मानक विचलन	11366	71810	544
विचरण गुणांक (प्रतिशत में)	15.80	30.60	16.99

स्त्रोत - गणना आधारित

भूमि उपयोग परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट (जबलपुर जिले के संदर्भ में)

बसंती अग्रवाल *

प्रस्तावना - भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक व मौलिक संसाधन है। भूमि संसाधन धरातल पर मनुष्य द्वारा किए गए सभी विकास कार्यों को अपने में समाहित करता है, भूमि पर मानव द्वारा विभिन्न क्रियाकलाप किए जाते हैं। भौगोलिक अध्ययन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन पक्ष भूमि उपयोग है क्योंकि प्रारम्भिक काल से लेकर मानव प्रविधि विकास क्रम के अनुसार यह अब तक परिवर्तित होता रहा है। भारत के भूमि उपयोग के प्रतिरूप में महत्वपूर्ण स्थानिक व अस्थायी परिवर्तन हुए हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के वर्षों में भूमि उपयोग में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं।

पर्यावरण एक ऐसा व्यापक शब्द है, जिसमें भौतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक सभी कारक शामिल हैं। मानव की गुणवत्ता पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों पर निर्भर है। ये समस्त संसाधन पर्यावरण का अंग हैं। पर्यावरणीय संसाधनों का अधिक दोहन पर्यावरणीय संसाधनों को क्षय की ओर ले जाता है। मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि का अधिकतम उपयोग करता है, जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध पत्र में शोध विषय के स्पष्टीकरण व उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु प्राथमिक व द्वितीयक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। शोध पत्र की रोचकता और विविधता लाने तथ्यों की पहचान, विश्लेषण व व्याख्या का मार्ग प्रशस्त करने हेतु मानचित्रों व दण्डरेखों ग्राफों का उपयोग किया गया है। जिससे यथार्थता का चित्रण प्रदर्शित हो सके।

अध्ययन के उद्देश्य -

- जबलपुर जिले के भूमि उपयोग के समस्त भूमि का स्थितिकी वर्णन करना।
- जबलपुर जिले के भूमि उपयोग का अध्ययन करना।
- जबलपुर जिले विगत वर्षों में भूमि के उपयोग में आ रहे परिवर्तन का अध्ययन करना।
- जबलपुर जिले के भूमि उपयोग में आ रहे परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करना।
- जबलपुर जिले के भूमि उपयोग में आ रहे परिवर्तन का पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों का अध्ययन करना।

अध्ययन क्षेत्र - मध्यप्रदेश राज्य का जबलपुर जिला प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भू गर्भ शारिर्त्रियों के अनुसार भारत का यह केन्द्र बिन्दु जबलपुर जिले की एक तहसील सिहोरा में स्थित है, जो जबलपुर नगर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से लगभग 67 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जबलपुर जिला 22°49' से 24°08' उत्तरी अक्षांश व 79°21' से 80°53' पूर्वी देशांतर के बीच फैला है, ये लगभग समचतुष्कोण आकार का है।

यहाँ म.प्र. की 3.38 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जबलपुर

जिले के उत्तर में पन्ना व सतना जिले, पूर्व में शहडोल व मण्डला जिले, दक्षिण में नरसिंहपुर व सिवनी जिले, पश्चिम में दमोह जिला स्थित है, उत्तर से दक्षिण इस जिले की लम्बाई 120 मील (193.1 कि.मी.) है और पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई 72 मील (115.87 कि.मी.) हैं। जिले की समुद्र तल से ऊँचाई 459 मीटर है। जबलपुर जिले में 7 विकासखण्ड व 7 तहसीले हैं।

- (1) पनागर (2) कुन्डम (3) जबलपुर (4) सिहोरा
(5) मझौली (6) पाटन (7) शहपुरा

मानचित्र क्रमांक 1



परिकल्पना -

- विगत वर्षों में जबलपुर जिले के भूमि उपयोग में लगातार परिवर्तन हो रहा है।
- जबलपुर जिले के परिवर्तनशील भूमि उपयोग स्वरूप का प्रभाव पर्यावरण पर परिलक्षित हो रहा है।

भूमि उपयोग में परिवर्तन - भौतिक, सामाजिक, तकनीकी की परिस्थितियों के प्रभाव के परिणामस्वरूप भूमि उपयोग में भी समयानुकूल परिवर्तन होता रहता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अथवा तकनीकी विकास के साथ-साथ अत्याधिक भूमि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत प्रयोग में लायी जाती है परिणामस्वरूप भूमि उपयोग का प्रतिरूप परिवर्तित हो जाता है जो सारणी क्रमांक 1 में प्रदर्शित है।

अध्ययन क्षेत्र जिला जबलपुर के भूमि उपयोग के विविध-वर्गों में 1981 से 2011 की अवधि में कालिक प्रतिरूप का अध्ययन किया गया

है। जबलपुर जिले के भूमि उपयोग में विगत 30 वर्षों में विविध परिवर्तन हुए हैं, परन्तु वर्ष 1991 से 2001 के मध्य जिले के भूमि उपयोग में सर्वाधिक परिवर्तन देखा गया है जिसका एकमात्र कारण कटनी को स्वतंत्र जिले के रूप में गठित करना था व जबलपुर जिले का विभाजन हो गया।

सारणी क्रमांक-1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

1. वनाच्छादित भूमि में परिवर्तन - जबलपुर जिले में विगत 30 वर्षों से वन भूमि क्षेत्रफल कमी 1981 में वन भूमिक्षेत्रफल 174450 था जो 2011 में 69097 हेक्टेयर हो गया। वन भूमि क्षेत्रफल में वर्ष 1981 से 1991 में 36 व वर्ष 2001 से 2011 में 2.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वनों की कमी का मुख्य कारण कृषि भूमि की वृद्धि व आवास क्षेत्र में वृद्धि मुख्य है।

2. बंजर घास एवं मैदानी भूमि में परिवर्तन - बंजर एवं घास एवं मैदानी भूमि क्षेत्र में निरंतर कमी हुई है, बंजर भूमि का क्षेत्रफल 1988 में 28848 हेक्टेयर था जो 2001 में 27275 हो गया परन्तु 1991 से 2001 में इस क्षेत्र 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका महत्वपूर्ण कारण जबलपुर का विभाजन था। जबलपुर जिले में घास एवं मैदानी भूमि क्षेत्र में विगत 30 वर्षों में कमी आई है। 1981 में यह भूमि क्षेत्रफल 140283 हेक्टेयर था जो 2011 में बढ़कर 64417 हो गया। 1981 से 1981 में 2.3 प्रतिशत 2001 से 2011 में 1.3 प्रतिशत की कमी आई है।

3. कृषि भूमि में परिवर्तन - सारणी क्रमांक 1 से स्पष्ट है, जबलपुर जिले में कृषि भूमि क्षेत्र का हास हुआ है। 1981 में कुल कृषि भूमि क्षेत्रफल 203330 हेक्टेयर था जो 2011 में घटकर 10589 हो गया है। वर्ष 1981 से 1991 में सर्वाधिक 3.7 प्रतिशत की कमी आई है, 1991 से 2001 में कमी जबकि 2011 में क्षेत्रफल में 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

4. आवासीय व वाणिज्य भूमि क्षेत्र में परिवर्तन - विगत 30 वर्षों में आवासीय भूमि में कहीं कमी व वृद्धि हो रही है। वर्ष 1981 से 1991 में आवासीय भूमि में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि, 1991 से 2001 में 0.9 प्रतिशत की कमी 2001-11 में 2.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र की वृद्धि का एकमात्र कारण जनसंख्या वृद्धि है। पिछले 40 वर्षों में जबलपुर जिले की जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास की मांग बढ़ने से क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है।

सारणी क्रमांक 1 से स्पष्ट होता है कि वाणिज्य भूमि क्षेत्रफल विगत वर्षों में निरंतर वृद्धि बनी हुई है 1981 में वाणिज्य भूमि क्षेत्रफल 45978 हेक्टेयर या 1991 में बढ़कर 61373 हेक्टेयर हो गया वहीं 2001 से 2011 में यह भूमि क्षेत्रफल 37985 से 39936 हो गया। जबलपुर विभाजन के कारण 1991 में वाणिज्य भूमि क्षेत्रफल में कमी देखी गई है।

5. सार्वजनिक एवं परिवहन भूमि क्षेत्रफल - जबलपुर जिले में सार्वजनिक व परिवहन भूमि क्षेत्रफल में कहीं कमी व कहीं वृद्धि देखी जा सकती है। परिवहन भूमि क्षेत्रफल 1981 से 1991 में +0.6 की वृद्धि हुई जबकि 1999 से 2001 ओर 2001 से 2011 में 1.4 व 2 प्रतिशत की कमी कमी दर्ज की गई है।

जबलपुर जिले में भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रवृत्ति व पर्यावरणीय गिरावट

1. वन क्षेत्र का हास - वातावरण को सुरक्षित रखने, ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि तथा चारे की पूर्ति करने, खाद्यान्न संसाधान को बढ़ाने हेतु विद्यमान प्राकृतिक सम्पदा अर्थव्यवस्था में बहुत महत्व रखती है। वनों के अंतर्गत जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 13.1 प्रतिशत है, जबकि पर्यावरण

को संतुलित बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा घोषित वन नीति के अनुसार किसी भी प्रदेश में उसके कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए। हालांकि विगत 30 वर्षों में जिले में वन क्षेत्र भूमि 6.6 प्रतिशत की कमी हुई।

2. कृषि भूमि में वृद्धि - विगत 30 वर्षों में कृषि भूमि की कहीं कमी व वृद्धि देखी गई है वर्ष 2001 से 2011 में कृषि भूमि क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि जिसका भार कृषि भूमि पर पड़ रहा है साथ ही सर्वाधिक क्षेत्रों कृषकों का मानना है कि कुल फसल क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अधिकाधिक उत्पादन हेतु क्षेत्र 71.4 प्रतिशत कृषक आधुनिक कृषि का उपयोग कर रहे हैं दूसरी ओर आधुनिक कृषि के चलते सर्वेक्षित क्षेत्र किसान 78.5 प्रतिशत कीटनाशक 78.5 प्रतिशत 91.4 प्रतिशत रासायनिक उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें मृदा गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है अथवा मृदा प्रदूषित हो रही है है, 67.14 प्रतिशत कृषकों का मानना है, मृदा की गुणवत्ता में कमी आई है। साथ ही कीटनाशक छिड़काव के समय कुछ भाग वायुमण्डल में भी चला जाता है, जो वायुमण्डल को प्रदूषित करता है। यह है सर्वेक्षित गांव के 57.14 प्रतिशत कृषकों का मानना है, कीटनाशकों के प्रयोग से वायु प्रदूषण होता है।

3. आवासीय क्षेत्रों के बढ़ने से उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याएं - विगत 30 वर्षों में जबलपुर जिले की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 1981 में जिले की कुल जनसंख्या 2198743 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 2460714 हो गई। वर्ष 1991 से 2001 में जिले में 21.67 प्रतिशत व 2001 से 2011 में जिले में 17.32 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप आवासीय क्षेत्रों 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2011 में 22.224 हेक्टेयर आवासीय क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिसमें नवआवासीय भूस्वरूपों के अविर्भाव तथा बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।

नवनिर्माण से वर्षा जल का संग्रहण में कमी आने से भू जल स्तर की कमी आई है, व उचित जल निकास की समस्या व व्यवस्था न होना, कूड़ा कचरा की सही व्यवस्था न होना जैसी समस्याएं पर्यावरण को प्रभावित कर रही है।

4. वर्षा का प्रभावित होना - भूमि उपयोग में परिवर्तन में परिणाम स्वरूप वनों का ह्रास हो रहा है व आवासीय क्षेत्र बढ़ रहा है व वन क्षेत्र कम हो रहे हैं। जिसका सीधा प्रभाव वर्षा की मात्रा पर पड़ रहा है। जबलपुर जिले में वर्ष 1981 में औसत वार्षिक वर्षा 1689.1 मि.मी. थी, वर्ष 2011 में घटकर 1060.0 मि.मी. हो गयी। क्रमशः वर्ष 1990 में 1355.82 मि.मी. व 2001 में 1016 मि.मी. वर्षा जल जिले को प्राप्त हुआ। जिले में लगातार वर्षा की मात्रा में कमी हो रही है।

5. तापमान में बढ़ोत्तरी - भूमि उपयोग परिवर्तन का प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है बढ़ती औद्योगिक भूमि वाणिज्य भूमि के कारण तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है, जिस कारण पर्यावरण प्रभावित हो रहा है वर्ष 1981, 1991, 2001, 2011 में औसत अधिकतम तापमान 32.1, 35.4, 45.1 सेण्टीग्रेड था, जो जिससे ज्ञात होता है कि जिले भूमि परिवर्तन के कारण वर्षा की कमी, औद्योगिक भूमि में वृद्धि के कारण तापमान बढ़ रहा है तथा जलवायु परिवर्तन हो रहा है।

निष्कर्ष - वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप भूमि उपयोग में परिवर्तन आया है क्योंकि अधिक जनसंख्या को भरण पोषण हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु वनों की कटाई की जा रही है या बंजर भूमि पर भी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके कृषि कार्य किया जा रहा है, फलतः

भूमि उपयोग परिवर्तन से पर्यावरण व परिस्थिति तंत्र प्रभावित हुआ है। विगत 30 वर्षों में जबलपुर जिले के भूमि उपयोग में विविध परिवर्तन आया है तथा इस परिवर्तन का प्रभाव भौतिक पर्यावरण तथा सामाजिक, आर्थिक पर्यावरण पर भी पड़ता है।

सुझाव :

1. भूमि उपयोग नियोजन
2. पर्यावरण नियोजन/प्रबंधन
3. वनों का विकास
4. पड़ती भूमि को कृषि योग्य बनाना
5. भूमि की उर्वर शक्ति बनाए रखने हेतु उपाय
6. हानिकारक प्रौद्योगिकी पर रोक

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुमार, डॉ. प्रमीला (2004), 'मध्य प्रदेश : एक भौगोलिक अध्ययन' मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल ।
2. रघुवंशी, अरुण (1997) 'पर्यावरण तथा प्रदूषण' म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल ।
3. सिंह, राम गोपाल (2007) 'सामाजिक अनुसंधान पद्धति' म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल ।
4. सिंह, डॉ. यू. बी. (2004), 'कृषि भूगोल राजीव प्रकाशन, मेरठ।
5. सिन्हा, मेघा, (2001) 'पर्यावरणीय समस्या और समाधान' वंदना पाब्लिकेशन नई दिल्ली ।

सारणी क्रमांक- 1
 जबलपुर जिला : भूमि उपयोग वितरण(वर्ष 1981 से 2011 तक)

क्र.	भूमि की श्रेणी	1981		1991		2001		2011		परिवर्तन (प्रतिशत में)		
		क्षेत्रफल (हेक्टेयर) में	प्रतिशत	क्षेत्रफल (हेक्टेयर) में	प्रतिशत	क्षेत्रफल (हेक्टेयर) में	प्रतिशत	क्षेत्रफल (हेक्टेयर) में	प्रतिशत	1981-91	1991-2000	2001-11
1	बाजर	28848	3.1	28273	3	27809	5.2	27275	5.1	-0.1	+2.2	+0.1
2	घास एवं मैदानी	140283	15.2	119261	12.9	61178	11.6	64417	12.2	-2.3	-1.3	-0.6
3	कृषि भूमि	203330	22	168702	18.3	99812	18.9	10589	19.9	-3.7	-0.6	+1
4	वन	174450	18.9	141393	15.3	89016	16.8	69097	13.1	-3.6	+1.5	-2.9
5	आवासीय	167852	18.2	204359	22.1	111999	21.2	132223	25	+3.9	-0.9	+3.8
6	वाणिज्य	45978	4.9	61373	6.6	37985	7.2	39935	7.5	+1.7	+0.6	+0.3
7	औद्योगिक	50627	5.4	72981	7.9	45670	8.6	41541	7.8	+2.5	+0.7	-0.8
8	सार्वजनिक	5116	5.5	60235	6.5	24148	4.5	28883	5.4	+1	-2	+0.9
9	परिवहन	58139	6.3	64046	6.9	29197	5.5	18584	3.5	+0.6	-1.4	-2
10	कुल क्षेत्रफल	920623	100	920623	100	526814	100	526814	100			

स्त्रोत - भू अभिलेख एवं जिला सांख्यिकीय विभाग कार्यालय, जबलपुर।

राहुल सांकृत्यायन के कथा साहित्य में सामाजिक समरसता का दृष्टिकोणात्मक अध्ययन

दीपा सिंह * डॉ. आराधना सिंह **

शोध सारांश - महापंडित राहुल सांकृत्यायन एक ऐसे यात्रा साहित्यकार जो अपने प्रसाद रूप कृतियों में कथा साहित्य जैसे उपन्यास एवं कहानियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विचाराधारों से उपजे मानव संवदेनाओं को समाज के सामने सफल चित्रण करने का अथक प्रयास किया है। उन्होंने विभिन्न देश-विदेशों की यात्रा किये वहाँ के परिवेश, वेशभूषा, सामाजिक दृश्य को जाना और परखा। देश एवं समाज के अनवरत विकास एवं समृद्धि के लिए एक मानव जीवन में कौन से उद्देश्य एवं विकासोन्मुखी विचाराधारों का समावेश हो जो जीवन मूल्यों को सतत प्रवाहमय बनाए रखे। अतीतकाल से वर्तमान काल तक समाज के एकता और अखण्डता को बनाये रखने में कथा साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। धर्म को मनुष्य का एक ऐसा अनिवार्य स्तंभ माना जाता है, जो इस कहावत से सिद्ध होता है कि 'धर्मेण हीना पशुभिः समाना'। शब्द कुंजी - राहुल सांकृत्यायन, कथा साहित्य, सामाजिक, संस्कृति, समरस्ता।

प्रस्तावना - वास्तव में कथा साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान किसी देश की सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, परम्परा, दार्शनिक सोच-विचार इत्यादि को वर्तमान समाज के सामने व्यवहारिक रूप से दिग्दर्शन करने में मुख्य भूमिका होता है। जिसमें मानव समाज की सतत उन्नत विकास की ओर उन्मुख विभिन्न आयामों को विस्तृत रूप में व्याख्या किया जाता है। फलस्वरूप मानव समाज, विचारधारा में परिवर्तन तथा उसका सिरोधार्य कर समस्त चहुँमुखी विकास की दिशा की ओर अग्रसर होता है। साहित्य के विधाओं में उपन्यास और कहानी मुख्य कथा साहित्य हैं जो मानव समाज को अतीतकाल से वर्तमानकाल तक के वास्तविक परिदृश्य एवं घटनाओं से अवगत कराता है, जिससे समाज की उत्तरोत्तर उन्नति हो सके। अतः इस प्रस्तुत विषय में महापंडित राहुल सांकृत्यायन एक ऐसे प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानीकार थे जिनके बिना कथा साहित्य की व्याख्या करना संभवतः सिद्ध नहीं माना जा सकता। उनके जीवन इतिहास के अध्ययन से हमें वास्तव में राहुल सांकृत्यायन का जीवन सृष्टि में सत्य की खोज के प्रति तीव्र आग्रह, आदम्य साहस, गहरी संवेदनशीलता, देश-प्रेम, मानव जीवन की सूक्ष्म पहचान, पुरातत्व, इतिहास, दर्शन और राजनीति के प्रति विशेष झुकाव जैसे उल्लेखनीय अभिरूचि मिलते हैं। राहुल सांकृत्यायन में अपने लेखन के प्रति असीम निष्ठा थी। अपने लेखन में तो वे इतने डूब जाते थे कि जिससे अक्सर भूख, प्यास, निन्दा आदि का भी उन्हें ख्याल नहीं रहता था। वे विपरीत परिस्थितियों में भी शांत, संयमित और आत्मानुशासन स्वभाव के प्रति प्रतिबद्ध थे। यद्यपि, राहुल के जीवन शैली में विरोध, अपमान और व्यंग्य को भी सहज भाव से झेलने की अद्भुत क्षमता विद्यमान थी।

राहुल जी के प्रसाद स्वरूप कृतियों में उपन्यास ऐतिहासिक काल के संस्कृति से लेकर सामाजिक रीति-रिवाजों विभिन्न प्रकार के भाषा एवं वेशभूषा जैसे परिवेशों का समाजिकता के प्रति जीवन का चित्रण मिलता है। व्यवहारिक रूप से कहा जाय तो उनकी कृतियाँ तत्कालीन समाज का चित्रण करती हैं। उनके द्वारा सृजित उपन्यासों जैसे सिंह-सेनापति, जय-यौधेय,

मधुर-स्वप्न, विस्मृत-यात्री, जीने के लिए, भागों नहीं दुनिया को बदलो, राजस्थानी-रनिवास तथा दिवोदास मुख्य रूप से प्रसिद्ध ऐसी ऐतिहासिक कृतियाँ हैं जिनका उद्देश्य आदिकाल में सृजित विभिन्न सभ्यता, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं यात्राओं के दौरान हुए अनुभव आदि को प्रस्तुत करना जिससे समाज को नयी दिशा के ओर उन्मुख होने में सहायक सिद्ध हो। राहुल-दर्शन में यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे धर्म की जकड़न से अपने आपको मुक्त करना चाहते थे। धार्मिकता से ओतप्रोत परिवेश में पैदा हुए राहुलजी की जीवन यात्रा में धर्म और आस्था के प्रति आरंभ से असीम निर्णायक भूमिका का होना लाजिमी है।

बाल्यकाल से केदारनाथ (राहुलजी) मंत्र-तंत्र में विश्वास करते थे। नवरात्रि के समय सिद्धि और दुर्गा देवी जी की दर्शन के लिए व्रत धारण कर पारंपरिक ढंग से सारे विधि विधान से अनुष्ठान किया करते थे। इसके बावजूद जब दर्शन नहीं हुआ तो अपने जीवन को निरर्थक मानकर धतूरा खाकर खुद आत्महत्या करने की कोशिश भी की। उनका धर्म के प्रति अगाध आस्था ही उन्हें सनातनी, शैव, वैष्णव आदि अन्य दैरों से गुजरते हुए वह आर्य समाज के तरफ उन्मुख हुए। वहाँ भी वास्तविकता का दर्शन नहीं हुआ तो अन्ततः बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उनका भारत के विविध धर्म के मार्ग में बौद्ध धर्म के प्रति ही सबसे अधिक उनके मन को स्वीकार्य था, पर था तो वह भी धर्म ही। अन्ततः इसे भी त्यागना पड़ा बावजूद इसके उन पर गौतम बुद्ध की शिक्षा पद्धति का उन पर अमिट छाप थी। कई बार उन्हें अंधविश्वासों से भी सामना होना पड़ा था। उनके साहित्य में बौद्ध दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कुछ हद तक वे बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित होकर इसका सहृदयता से अनुसरण भी किया है।

अन्त में उन्होंने धर्म की सारी सीमाओं को शिरोधार्य करने से परित्याग कर दिया। उनके अनुसार- 'विज्ञान कभी धर्मों की दुहाई नहीं देने जाता, किन्तु धर्म विज्ञान की दुहाई देता फिरता है। क्या यह विज्ञान की प्रबलता को सिद्ध नहीं करता।' 'हमारे देश में ऐतिहासिक दृष्टिकोण बनाने में बहुत सारी

* शोधार्थी (हिन्दी एवं भाषा विज्ञान) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय हितकारिणी महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) भारत

बाधाएँ हैं। वहीं धर्म के प्रति अत्यन्त आग्रह सबसे बड़ी बाधा है। धर्म की गुलामी से बदतर गुलामी और क्या हो सकती है? इस तरह से राहुलजी ने धर्म के पाखंडता को हृदय से नकारा, उसे दर्शन और संस्कृति से अलग कर उसकी मूल भूमिका का सामान्य जन मानस में भरपूर प्रचार-प्रसार किया। विभिन्न स्थानों पर उन्होंने कथा साहित्य के प्रगतिशीलता का समर्थन किया है। प्रगतिशील साहित्य के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए राहुल जी लिखते हैं कि 'प्रगतिशील साहित्य या लेखक को समझने की सबसे बड़ी यह बात होनी चाहिए कि वह दुनिया की व्याख्या करने के लिए नहीं आया है और न ही उसके दो-चार बूँद आँसू बहा देने या दो चार ठाके लगा देने से ही उसका कर्ज पूरा हो जाता है। हम ने संसार को जैसे पाया उससे बेहतर अवस्था में आने वाली नयी पीढ़ी के हाथ में देना है'¹ उनके ऐतिहासिक कहानी संग्रह 'वोल्गा से गंगा' या 'कनैला की कथा' में राहुल जी ने विशेष रूप से 'वोल्गा से गंगा' के प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक की भारतीय समाज की विकास यात्रा प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने व्यक्त किया है कि जनता के इतिहास और उसके निर्माण में उनकी क्या भूमिका है? अतीतकाल के मानव सभ्यता के विकास से लेकर वर्तमानकाल सन् 1942 तक के विकास की घटनाक्रमों का विशेष संग्रह है जो समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों को सहज भाव में चित्रण किया है जिसे वे वर्तमान समाज को परिचित कराना चाहते हैं।

इसी प्रकार 'कनैला की कथा' में सामन्ती युग में आजमगढ़ तथा कनैला के इतिहास से परिचित कराने का प्रयास किया है तो वहीं 'बहुरंगी मधुपुरी' में भारत-पाकिस्तान विभाजन के यथार्थ पर आधारित एक विशेष कालखण्ड और उसके परिवेश का उल्लेख किया है। इन कहानियों में तत्कालीन समाज व्यवस्था और मानवीय यथार्थ का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार 'सतमी के बच्चे' की अधिकांश कहानियाँ भी राहुल जी की बचपन की स्मृतियों और घटनाओं से संबंधित है। इन कहानियों में व्यक्ति के निजी-पारिवारिक तथा सामाजिक-सामूहिक इतिहास की गहन अनुभूतियों को व्यक्त की गई है। राहुल जी ने अपने कहानियों में मानव जीवन के स्वरूप और उसके उद्देश्यों की विस्तृत रूप में व्याख्या की है। वे मानव जीवन को देश तथा समाज दोनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण समझते हैं।

राहुल जी ने 'निशा' कहानी में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था, सामूहिक सम्पत्ति एवं आजीविका की भूमिका दर्शायी है। वस्तुतः इसमें साम्यवादी दर्शन की झलक मिलती है। इस आदिम साम्यवादी समाज में निश्चित ही पति-पत्नी के रूप विकसित नहीं हुए थे। एक स्त्री से पैदा हुई सन्ताने उस स्त्री का परिवार होता था। उस परिवार में शारीरिक रूप से व्यस्क होने पर परिवार का कोई भी पुरुष परिवार की किसी भी स्त्री से यौन संबंध बना सकता था। इन सब से सिद्ध होता है कि माता से ही परिवार में रह रहे परिवार की पहचान सुनिश्चित होती है। मातृ-सत्तात्मक परिवार में ही हर परिवार की मुखिया एक स्त्री थी क्योंकि विवाहहीन समाज में माता ही परिवार की मूल स्तंभ थी।²

मातृ-सत्तात्मक आदिम समाज में परिवार की प्रमुख स्त्री का निर्वहन एवं दायित्व भी व्यापक होता था, परन्तु कबिलाई समाज में प्रारंभ में पति-पत्नी के रूप में कोई संबंध विकसित नहीं हुआ था। उत्तराधिकारी भी पुत्र नहीं, पुत्रियाँ होती थीं। मातृ-सत्तात्मक कबिलाई समाज का कोई विशेष स्थायी वास नहीं होता था। जन एक वंश के लोगों का समाज था जो जंगलों, पहाड़ों और प्राकृतिक वातावरण में किसी स्थान पर अपना जीवन यापन के लिए अस्थायी आवास बना लेते थे। लेकिन अन्ततोगत्वा मातृ-सत्तात्मक

साम्यवादी समाज में धीरे-धीरे पितृ-सत्तात्मक पुरुष प्रधान वाले युग में परिवर्तित होता गया। अब स्त्री के स्थान पर पुरुष का सत्ता कायम हुई इससे साम्यवादी ढाँचा चरमराने लगा था। धीरे-धीरे पुरुष सत्तात्मक निरंकुश शासन तंत्र की व्यवस्था कायम हुई। इन्हीं से आर्य कबिलों में शिथिल पत्नी विवाह प्रथा की शुरुआत हुई अर्थात् एक पुरुष की एक ही पत्नी होती थी जिससे पुरुष वर्चस्व प्रधानता वाली समाज व्यवस्था निर्धारित हुई। बाद में मनुस्मृति में भी इसी का अनुमोदन करते हुए नारी को पुरुष के पूर्ण रूप में उनके अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित की गई। 'एक ही स्त्री का एक ही पति और वह भी नियत होगा'⁴

दास्ता का युग - पितृ सत्ता के काल में युद्ध बंदियों को मार डालने के बजाय उन्हें दास बनाया जाने लगा। पितृ-सत्तात्मक वैदिक आर्य समाज में समाज का केन्द्र बिन्दु परिवार था। प्रारंभ में इस युग के दास प्रथा में केवल पुरुष दास ही नहीं रहे बल्कि हजारों स्त्रियों जैसा ही व्यवहार करते थे। दास-दासियों की अवस्था पशुओं से भी बदतर होती गई अर्थात् गुलामी को ज्यादा महत्व दिया जाता था। मनुष्य के सामाजिक मूल्य क्षीण होने लगे। पुरुष स्त्री पर शारीरिक संबंध बनाने हेतु मनमानी करते थे। दासता के प्रतिफलस्वरूप समान्तर पूंजीवादी युग की शुरुआत हुई। सामन्ती समाज का मुखिया राजा बन जाता था। सामन्तीवादी युग के पर्याय के रूप में पूंजीवादी युग का भी आरंभ हुआ जिसमें दूसरों से धन छीन-झपटकर अपना बना लेने का तथा सम्पत्ति इकट्ठा करने का प्रचलन बढ़ने लगा।

आधुनिक समाज की विसंगतियाँ - आजादी के पूर्व सामन्ती जीवन पद्धति में केवल भोग-विलास, रास-रंग थे आदि को महत्व दिया जाता था। वे अपने मूल दायित्व का सुचारु रूप से निर्वहन करने के जगह भटक गए थे। 'कुमार दुरंजय' विलासी जीवन एवं खर्चिले होने से ऋणी हो गए। इसलिए गुजारे के लिए अपने ही स्थायी सम्पत्ति बेच चुके थे।⁵ आजादी के बाद पाश्चात्य आधुनिकता एवं फैशन में रंगी अभिजात्य वर्गीय सुखवस्तु महिलाएँ जो ब्रिज खेलने की शौकीन, बाल-डांस करने वाली, सुबह-सुबह नौकरों से बेड टी (बिस्तर पर चाय) मांगती, अपने चेहरे पर पड़ी झुर्रियों को मिटाने में असफल नारियाँ, अंग्रेजी भाषा के दुराग्रहों से ग्रस्त आधुनिकतम राजकुमारी मीनाक्षी जैसी नारियाँ भी हैं जो भारतीयता के बिल्कुल विपरीत हैं। 'बहुरंगी मधुपुरी' में चित्रित बूढ़े लाला की कहानी जो हरियाली कायस्थ है, जिसने चोर बाजारी में भारी माल कमाया, ठेकेदारी के अलावा उन्होंने छोटी सी दुकान खोली, लाला बूढ़े हो गये, लेकिन उनका मन तो वहीं के वहीं है। बुढ़ापे में भी अपनी पत्नी से दबते हैं और बेटों के सामने हाँ जी छोड़ के और कुछ नहीं कहते, अब भी लाला जी अपने पुराने जीवन को छोड़ने के लिए राजी नहीं हैं।

राहुल जी की कहानी 'गुरुजी' थे जो मिथिल निवासी थे। संस्कृत का अध्ययन किया फिर आजीविका की खोज में मधुपुरी आ गए। मधुपुरी के पादरियों के स्कूल में अंग्रेजी के साथ-साथ संस्कृत भी पढ़ाया जाता था। प्याज, लहसुन को निसिद्ध मानते हुए गुरुजी राहुल सांस्कृत्यायन से कहते हैं-गुरुजी पुराने समय के, पुराने ढंग के पण्डित थे, पर उन्होंने अपनी अक्ल बेंच नहीं खाई थी। मधुपुरी के वातावरण ने जहाँ एक ओर उनका ढाँठ बजाना शुरू किया था, वहाँ उन्हें अक्ल भी दे दी थी। वयों झूठ-मूठ को सास्वत सह रहे हो।⁶ यद्यपि मैथिली पंडित सभ्य ब्रह्मचारी का पालन करते हैं जैसे वे दूसरी जाति के ब्राह्मणों से उनके हाथ की रसोई खाते हैं। सात पीढ़ी के पुरखों के पिंडदान देकर पण्डे का प्रमाण पत्र लाने के लिए बाध्य करते हैं।⁷

दलित वर्ग और सर्वहारा वर्ग की विसंगतियाँ - भारतीय समाज में

जात-पात, ऊँच-नीच, गरीबी एवं उत्पीड़ितों की संख्या अत्यधिक है। राहुल सांकृत्यायन की कहानी 'सप्तमी के बच्चे' में गरीबी एवं उत्पीड़ितों के बारे में वर्णन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राहुल सांकृत्यायन की 'सप्तमी के बच्चे' कहानी संग्रह में पीड़ित व्यक्तियों के यथार्थ जीवन का चित्रण किया है, जिसमें प्रामाणिक जीवन के अनुभवों की वास्तविक घटनाओं और व्यक्तियों पर आधारित है।⁸

डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में राहुल जी के साहित्य का उद्देश्य था- लोक चिंत पर से मिथ्या रूढ़ियों के जंगल को दूर करना, शोषकों का अन्त तथा समस्त मानव जाति को न्याय, समता, अन्न-वस्त्र और ज्ञानोपार्जन का नवीन आयाम देना।⁹ डॉ. प्रभाकर माचवे ने भी कहा कि- सप्तमी के बच्चे हैं, जिसमें गरीब, उत्पीड़ित शोषित समाज के यथार्थ वादी का निमर्त चित्रण है। करुणा के बच्चे हैं। करुणा से अधिक इन रेखाचित्रों को पढ़कर क्रोध उपजता है।¹⁰ 'डीह बाबा' कहानी में पात्र है 'जीता' जो सबसे पश्चिम वाले टोले का मुखिया रहता है। 'जीता' की अवस्था औरों से कुछ अच्छी थी। सूअर पालने, थोड़ी-सी खेती तथा मालिकों की मजदूरी करने के अतिरिक्त जीविका के लिए जीता के भाई-बन्धों ने कुछ आम, महुए और ताड़ के वृक्ष भी लगा रखे थे।¹¹ घुरबिन कहानी में पात्र ने अनेक कड़े नियम बनाए थे, किन्तु इसके बावजूद अपनी आमदनी से गरीबों की सहायता करता था।

निष्कर्ष - यद्यपि कथा साहित्यों के अध्ययन से यह साबित होता है कि, आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक समाज की एकता बनाए रखने के लिए धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्रकृति की आराधना करते हुए वह पशु बलि भी चढ़ाने लगा था। धर्म को मनुष्यता का एक ऐसा अनिवार्य लक्षण घोषित कर रखा था कि जहाँ धर्म नहीं वहाँ उन्हें सिर्फ पशुता ही दिखती थी अथार्थ 'धर्मण हीना पशुभिः समाना'। एक धर्म वाले दूसरे को नास्तिक, काफिर कहते थे तथा उन्हें मन से भी घृणा करते थे। राहुलजी के कथा साहित्यों में विभिन्न प्रकार के समस्याओं का हल व्यवहारिक रूप में मिलता है। मनुस्मृति में मनु ने धर्म के आधार पर भेद-भाव की नीति का अवलम्बन किया था। ब्राह्मण को शरीर का मुख, शासक वर्ग को शरीर की भुजाएँ और व्यापारी को उसकी जाँघे तथा शूद्र को उसके पैर बताए गए हैं। इस प्रकार समाज के ढाँचे को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए वर्ण व्यवस्था में वर्ग-विभाजन का ही

तरीका अपनाया है। हिन्दू धर्म ने स्वर्ग-नरक, लोक-परलोक और पुनर्जन्म संबंधी विश्वासों में भी सांस्कृतिक एकता के दर्शन दिखाई देते थे, इन सब में राहुलजी ने सामन्तवादी ढाँचे को ही इसका कारण (अभिशाप) बताया था। अतः इस प्रकार कुल मिलाकर सभी तत्वों ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को एकता और अखण्डता का रूप दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. संगीता श्रीवास्तव, इतिहास-दृष्टि और राहुल सांकृत्यायन का कथा साहित्य, पी-एच.डी. शोध प्रस्तुत, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर, 1999, पृ. 145-247।
2. राहुल सांकृत्यायन, आज की समस्याएँ, किताब महल, इलाहाबाद, 1961, पृ.127।
3. राहुल सांकृत्यायन, मानव समाज, पृ.14।
4. राहुल सांकृत्यायन, मानव समाज, पृ.29।
5. राहुल सांकृत्यायन, बहुरंगी मधुपुरी, किताब महल, इलाहाबाद, 1997, पृ. 35।
6. राहुल सांकृत्यायन, बहुरंगी मधुपुरी, पृ. 114।
7. राहुल सांकृत्यायन, बहुरंगी मधुपुरी, पृ. 114।
8. दिनेश कुशवाहा, राहुल का कथा साहित्य, प्रगतिशील सन्दर्भ, साहित्य भण्डार, इलाहाबाद, 1995, पृ. 60।
9. डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य का उद्भव और विकास, 1956 ई. अतरचन्द्र कपूर एण्ड सन्स, दिल्ली।
10. डॉ. प्रभाकर माचवे, राहुल सांकृत्यायन, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली पृ. 43-44।
11. राहुल सांकृत्यायन, सप्तमी के बच्चे, किताब महल, इलाहाबाद, 1965, पृ. 14।
12. राहुल सांकृत्यायन, सप्तमी के बच्चे, किताब महल, इलाहाबाद, 1965, पृ. 94।
13. सिंह सेनापति, राहुल सांकृत्यायन प्रस्तुत संस्करण, 1993।
14. डॉ. रवेल चन्द्र आनन्द, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन को सर्जनात्मक साहित्य, प्रथम संस्करण, 1973, पृ. 388।

श्रीलाल शुक्ल का साहित्यिक व्यक्तित्व

पुष्पा बर्डे *

प्रस्तावना – श्रीलाल शुक्ल का व्यक्तित्व बड़ा पारदर्शी है। वे बहुत परिश्रमी ईमानदार शीघ्र निर्णय लेने वाले आदमी हैं। काम में उनका प्रैक्टिकल प्रमोच हैं। वे सबके प्रति समान आदरभाव रखते हैं। उनके गाँव के जो मित्र हैं उसके साथ अवधी में बात करने का अटूट आकर्षण है। उनके साहित्य सम्मेलनों में ये शामिल होते रहे हैं। व्यवहारिक होने के नाते उनके दोस्तों के साथ भी गहरी मित्रता बन गई है। श्रीलाल शुक्ल के विषय में लीलाधर जगूडी लिखते हैं कि – 'श्रीलाल शुक्ल के लिए अपना समय समाज और अपने लोग ही महत्वपूर्ण है। एक तरह-तरह से आजादी के बाद के समाज की मूल्यहीनता और आधुनिकता के संकट के साथ-साथ राजनीति के हाथों पराजित होते समाज को इतिहास में प्रवेश दिलाते हैं।'

हमें किसी साहित्यकार के साहित्य का सही मूल्यांकन करना हो तो उसके व्यक्तित्व को भी जान लेना अनिवार्य होता है।

प्रशासक के रूप में प्रशासनिक जीवन में शुक्लजी का प्रवेश 1944 में हुआ। नौकरी के क्षेत्र में वे एक जिम्मेदार सरकारी नौकर रहे। उच्च पदों पर रहने पर भी उन्होंने कभी भी अफसरी का रोल दिखाया है। जहाँ कहीं उन्होंने नौकरी की है वहाँ के जीवन का अध्ययन भी अच्छी तरह किया है, उनका जीवन फाइलों में न बंधा रहा। पर वे सरकारी कायदे कानून का निष्ठा पालन करते रहे। एक सफल प्रशासक के रूप में उन्होंने देश की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में सोचने और समझने की कोशिश भी की है। आर्थिक अभाव के कारण वे कुछ समय के लिए साहित्यिक क्षेत्र से दूर रहे लेकिन नौकरी प्राप्त होने के बाद ही वे फिर से साहित्यिक क्षेत्र में सक्रिय होने लगे। उ.प्र. के हमीरपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने पर भी वे साहित्य के निकट ही रहे बाद में वे प्रशासकीय जीवन से प्राप्त अनुभवों को साहित्यिक रूप में उतारने लगे। वे सदैव नियम के पक्षपाती रहे। यही कारण है कि 'राग दरबारी' के प्रकाशन से पहले उन्होंने प्रशासकीय विभाग से अनुमति माँगी थी। उनके प्रशासनिक जीवन के विषय में रवीन्द्र कालिया ने अपने संस्मरण में लिखा है- 'शासन के वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते अनेक मुख्यमंत्रियों, विधायकों और उनके दल का अध्ययन करने उन्हें अवसर मिला। यही कारण है कि एक से एक दिग्गज राजनेताओं की जानपत्रों उनके पास हैं। उनकी योग्यताओं, अयोग्यताओं, आशाओं, आकांक्षाओं और उनके अन्तर्विरोधों को वह अखूब समझते हैं। स्पष्ट है कि वे साहित्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र में भी समाजधर्मी बनकर एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते रहे हैं। दोनों क्षेत्रों में वे ईमानदार रहे हैं। रचना को उन्होंने सशक्त अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया है।

श्रीलाल शुक्ल एक उँचे पद के प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी प्रतिष्ठान जुड़े रहने पर भी किसी किसी भी सही या गलत का फैसला करने

के लिए कतराते वे अपनी व्यंग्यात्मक शैली में प्रतिष्ठान की कुव्यवस्था पर बड़ी स्पष्टता से करते थे। इस का उत्तम उदाहरण है। 'राग दरबारी'।

वे अपने व्यस्त साहित्यिक एवं प्रशासनिक जीवन में भी अपने परिवार का अच्छा ख्याल रखते थे। पत्नी तथा बच्चों के प्रति उनके मन बड़ा प्यार था। बीमार पत्नी की देखभाल में उन्होंने कोई कमी नहीं की। शुक्ल जी एक शिशु की तरह पत्नी की देखभाल करते थे। अपने परिवार के प्रति अपनी आस्था उन्होंने कभी छिपायी नहीं। वे एक ऐसे जिम्मेदार गृहस्थ भी हैं जो जीवन भर सैर-सपाटे और पत्नी के साथ बाहर निकलने में रुचि रखते हैं। पत्नी के बीमार होने के बाद उन्होंने जीवन की मस्ती उत्साह प्राप्त अधिकारी वह मात्र पति थे, प्रेमी थे, एक अच्छे दोस्त एक उन्मुक्त उत्साहप्रिय आराम तलब व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो गये थे। रवीन्द्र वर्मा के अनुसार- 'एक ठेठ भारतीय की तरह उनकी पत्नी उनके लिए एक जीवप मूल्य थी।' उनकी पत्नी उनके साथ ही साहित्य का अध्ययन भी करती थी और उन्हें संगीत में भी रुचि थी। शुक्ल जी घर में एक अच्छे मेहमानवाज थे। घर आये मेहमानों का वे अच्छे गृह स्वामी अच्छे पति तथा पिता के रूप में उनका व्यक्तित्व और निखर उठा है।

श्रीलाल शुक्ल जी शौकिन तथा उत्साही मिमाज के थे। उनका अन्तरंग गृहस्थ व्यक्तित्व उस कोटी का है, जिसमें एक लेखक के साथ-साथ एक इन्सान अपनी तमाम इन्सानियत के साथ वसा हुआ है। उनमें सरलता के साथ-साथ सादगी भी है अपने बारे में कोई प्रकार का मुगालता नजर नहीं आता। अपनी जो भी कमजोरी है, उनका पूरा एहसास है। यहाँ तक कि अपने बारे में चर्चा करने में भी नहीं कतराते। उन्हें चुगली करना कतई पसंद नहीं है। वे स्वाभिमानी हैं पर उनका स्वाभिमान इतना दृढ़ नहीं है कि उसमें अहम या रुक्षता समाहित हो जाए।

साहित्यिक व्यक्तित्व – श्रीलाल शुक्ल के लखन का आरम्भिक किसी मोहमंग का नहीं है वे किसी रूमनियत से प्रभावित नहीं हैं इसलिए साहित्यिक व्यक्तित्व के रूप में वे बिलकुल तटस्थ दिखाई देते हैं। उन्होंने बौद्धिक ईमानदारी के साथ यथार्थ को समझने और अभिव्यक्त करने का कार्य किया है। शुक्ल जी का बचपन गाँव में बीता था वहाँ जमीन्दारी प्रथा जारी थी और इसकी बहुत सारी मुश्किलें भी थी। अपने जीवन से प्राप्त अनुभवों को उन्होंने अपने उपन्यास सूनी घाटी का सूरज में चिन्तित किया था इस कालखण्ड में साहित्यकारों की दृष्टि शहरी मध्यवर्ग पर केन्द्रित थी। इन्होंने मध्यवर्ग की इस नई सोच को अपनाया था।

शुक्ल जी के साहित्यिक व्यक्तित्व के विषय में कहा जाता है कि वे अफसरो के बीच साहित्यकार और साहित्यकारों के बीच अफसरो का सा व्यवहार करते हैं। उनकी वेश - भूषा और आचरण ही ऐसा भ्रम पैदा करता

है। इसे तो एक नौकरीशुदा व्यक्ति और साहित्यकार होने का द्दन्द कह सकते हैं। बड़े अफसर रहने के बाद भी वे बड़े संवेदनशील भी हैं। राग दरबारी के गजहोका तथा पहला पडाव के बिला-सपुरी मजदूरो के जीवन का जीवन्त वर्णन इस संवेदनशीलता का परिणाम है। इसमें उनके मिट्टी से जुड़े होने का तत्व भी है।

शुक्ल जी के व्यक्तित्व की एक बड़ी विशेषता उनकी निरसंगता है, यह निरसंग भाग उनके व्यंग्यों में साफ-साफ नजर आता है। अपने तमान साहित्य में वे निरसंग होकर मानवीय स्थिति का चित्रण करते हैं। जैसे विद्या निवास मिश्र ने कहा है कि राग दरबारी से लेकर बिसामपुर का संत तक की रचना यात्रा मानवीय स्थितियों की निरसंग व्याख्या की ओर धार देने वाली यात्रा है। 10 इसलिए वे मनुष्य की कमजोरिया को दयाभाव से नहीं बल्कि सहजता से अभिव्यक्त करते हैं। तर्क-वितर्क तथा निर्णय पाठकों के लिए छोड़ देते हैं। श्रीलाल शुक्ल की वेश-भूषा बिलकुल आभिजात्य ढंग ही रही है। उनकी जीवन-चर्चा तथा निष्ठा रूप और साज-साज्या देखकर किसी के मन में शका उत्पन्न हो कि ये 'रागदरबारी' जैसी रचना के सर्जक है, इनका स्वभाव अत्यन्त ही नरम रहा है। सम्मानित साहित्यकार होने के बावजूद वे बड़े विनम्र थे। वे बिलकुल साधारण जिजीविशा लेकर जीने वाले व्यक्ति हैं। व्यक्ति जीवन में तथा साहित्यक जीवन में वे सीधे-सादे ईमानदार बने रहें। शुक्ल जी अपने स्वभावानुसार गाँव के विचित्र व्यक्तियों और प्राकृतिक सौन्दर्यों पर जन्म ही आकृष्ट हो जाते हैं। यराग-दरबारी उपन्यास के पुर्ण वे छोटे-छोटे व्यंग्यों में गाँव के यथार्थी का प्रस्तुत करते रहे हैं। उनहोंने सोचा कि व्यापक प्रतिक्रिया के लिए छोटे रचनाएँ उतनी सक्षम नहीं हैं। इसलिए उन्होंने राग दरबारी लिखा। गांव का जीवन्त वर्णन व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए इस आरोप का सामना किया है-राग दरबारी के पात्र लंगड को ही ले उसका चरित्र हास्यपद ज्यादा प्रकट करता है या शासन तंत्र के अन्याय को उजागर करता। इस तरह स्थिति की निर्ममता व्यक्त करने के लिए बने बनाए नियमों से दूर चले गए।

शुक्ल जी के व्यक्तित्व की एक प्रमुख विशेषता यह भी रही है कि उन्हें बातें करने की बड़ी रुचि और क्षमता है। चर्चाओं में भाग लेने के लिए वे पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। और बड़ी तन्मयता से वे अपने विचार व्यक्त करते हैं। उनकी बातों से राजनीति से संस्कृति आदिकालीन साहित्यक कृतियाँ विश्व साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएँ आदि के बारे में जो राय प्रकट होती हैं, वे उबाने वाली कभी-कभी वे सांप्रदायिक ढंगों तथा देश की समकालीन समस्याओं से बहुत परेशान हो उठते हैं।

श्रीलाल शुक्ल लेखन के समय में अकेले रहना पसन्द करते हैं। साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित होने तथा कई पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद भी किसी दल में बन्धकर रहने की आदत उनमें नहीं रही। एक साहित्यकार के रूप में इतना तटस्थ हैं कि बिलकुल संतुलित दृष्टिकोण से जीवन को समाज को तथा साहित्यकारों को देखते हैं। शीला बन्धु ने कहा है 'वे इतने आत्मविश्वासी और धीरे व्यक्ति हैं। और दूसरों के बारे में संतुलित दृष्टिकोण के कारण उनके व्यक्तित्व में एक अदभुत गुण पैदा हो गया है। वहाँ किसी से ईर्ष्या करने के लिए उनके मन भी निन्दा नहीं करते हैं।'

जब कृष्ण राधव ने 'राग दरबारी' पर फिल्म बनाने की अनुमति माँगी तो उन्होंने तुरन्त उसके लिए अनुमति पत्र लिख दिया। वे भेटवार्ताओं और मुलाकातों में अनौपचारिकता रखते थे पर नाप-तोलकर ही बात करते हैं। ममता कालिया ने लिखा है- उनकी सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति अनजाने अनौपचारिक होती है। शुक्ल जी नियमित कार्यक्रम बनाकर नहीं लिख पाते

थे। लिखने से ज्यादा समय वे खोज में लगे रहते हैं। अखिलेश से हुई बातचीत के सन्दर्भ में उन्होंने कहा- दुर्गुण में बड़ी से बता सकता हूँ वह यह कि मैं किसी भी विषय के ऊपर एकाग्र होकर लम्बे समय तक काम नहीं कर पाता हूँ। शक्ति अगर है, तो यह कि मैकेनिकल और तकनीकी चीजों को छोड़कर नयी चीजों नए व्यक्तियों नए विचारों के प्रति मुझमें तीव्र जिज्ञासा रहती है। इन सब को जानने समझने या कहूँ किसी नए मानवीय अनुभव के लिए मेरा दिमाग ज्यादा खोजपूर्ण है।

शुक्ल जी का लिखने का क्रम निश्चित नहीं रहा लिखने से ज्यादा समय दे खोज में लगे रहते हैं। एक भेटवार्ता में उन्होंने स्वयं कहा कि-मैं दुर्गुण बड़ी आसानी से बता सकता हूँ। वह यह कि मैं किसी भी विषय के ऊपर एकाग्र होकर लम्बे समय तक काम नहीं कर पाता हूँ। ताकत अगर है तो यह कि मैकेनिकल और तकनीकी चीजों नए व्यक्तियों नए विचारों के प्रति मुझमें तीव्र जिज्ञासा रहती है। इन सब को जानने समझने या कहूँ किसी नये मानवीय अनुभव के लिए मेरा दिमाग ज्यादा खोजपूर्ण है। जहाँ तक मेरी रचना प्रक्रिया का प्रश्न है लेखन के समय मेरे लिए एकांत अनिवार्य है। पारिवारिक या नौकरी सम्बन्धी कार्य से अगर जरा भी तनाव या उलझन हुई तो उस समय में लिख क्या सोच भी नहीं पाता हूँ। अतः शुक्ल जी के लिखने का क्रम पहले निश्चित नहीं होता है। इसी कारण रचना के क्षणों में छोटी-छोटी बातें भी उन्हे उलझा देती थी। लिखते समय वे अकेले रहना पसन्द करते हैं।

श्रीलाल शुक्ल जी का एक समय ऐसा भी था जब वे संगीत एवं प्राकृतिक वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित रहे। संगीत के प्रति लगाव के विषय में उन्होंने स्वयं कहा है - कुछ ध्वनियाँ तो मुझे बहुत आकर्षित करती हैं जैसे रात को और प्रभातकालीन खिडकी के बाहर बारिश की आवाज जाड़े में हल्की हवा का शोर मेरे लिए अत्यन्त उत्तेजक रही हैं। अतः शुक्ल जी को शास्त्रीय संगीत के प्रति लगाव तो है लेकिन संगीत साधना करने की कोशिश उन्होंने नहीं की किसी भी चीज के प्रति विशेष रुचि उनमें नहीं रही।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि श्रीलाल शुक्ल का व्यक्तित्व बड़ा पारदर्शी है, वे परिश्रमी एवं ईमानदार शीघ्र निर्णय लेने वाले आदमी हैं। काम में तो उनका प्रेक्टिकल एप्रोच है, साथ ही वे सब के प्रति समान आदर भाव रखते हैं। शुक्ल जी के जो मित्र हैं, उनके साथ अवधी में बातें करने का अटूट आकर्षण है। अनेक साहित्य सम्मेलन में भी ये सभी शामिल होते हैं व्यावहारिक होने के साथ उनके दोस्तों के साथ भी गहरी मित्रता बनी रही। उनकी रचनाओं के आधार पर समझते हैं कि श्रीलाल शुक्ल व्यावहारिक साथ ही सहानुभूति भी रहे हैं। श्रीलाल शुक्ल जी के लिए अपना समय अपना समाज और अपने लोग ही महत्वपूर्ण रहे हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रहते हुए वे आजादी के बाद के समाजशास्त्री और इतिहास हैं। वे तरह-तरह से आजादी के बाद की समाज की मूल्यहीनता और आधुनिकता के संकट के साथ-साथ राजनीति के हाथों पराजित होते समाज को इतिहास में प्रवेश दिलाते रहे।

साहित्य सृजनारम्भ एवं कृतित्व - शुक्लजी के व्यक्तित्व एवं जीवन दृष्टि को ग्रामीण वातावरण तथा वहाँ की अकृत्रिमता ने गहरे रूप में प्रभावित किया है। गाँव के यथार्थ ने उन्हे भावुक बनाया अपना मिट्टी के साथ उनका रिश्ता गहरा था। छायावादी रूमनियत से वे संतुष्ट नहीं थे। इसलिए आकाशवाणी से प्रसारित एक रोमान्टिक नाटक के खिलाफ प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने स्वर्णग्राम और वर्षा 'नामक व्यंग्य लेख लिखा था। वास्तव में यही उसकी पहली रचना है। बचपन से ही साहित्य के प्रति उन्हें विशेष लगाव था। इसलिए ग्यारह वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने कविता कहानी

और निबन्ध आदि लिखना शुरू किया था। अपनी पहचान सर का दर्द आदि उन दिनों (1959-54) में लिखी गई एवं अन्य कहानियाँ हैं जो 'यह घर मेरा नहीं' (1959) नामक कहानी संग्रह में संग्रहीत है।

अपने लेखकीय जीवन की शुरुआत के बारे में उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा- 'बहुत अच्छा है कि उन दिनों की लिखी हुई चीजें अब उपलब्ध नहीं हैं। पर ग्यारह वर्ष की अवस्था से लेकर उन्नीस वर्ष तक मैंने उन दिनों के फैशन के अनुकूल न जाने कितनी कविताएँ लिखी और उपन्यास भी लिखे कुछ आलोजनात्क निबन्ध भी। इसमें से दो तीन कहानियाँ मेरे संग्रह 'यह घर मेरा नहीं' में देखी जा सकती है। पर बी.ए तक आते-आते मेरा रचनात्मक उफान खत्म हो गया था और मैं अपनी शिक्षा तथा जीवन यापन की समस्याओं में धस गया था आर्थिक कठिनाईयों के कारण कुछ समय के लिए उन्हें साहित्यिक सृजन में सक्रिय हो उठे। उनकी यह वापसी 'स्वर्णग्राम और वर्षा' नामक व्यंग्य रचना से हुई। जिसका प्रकाशन धर्मवीर भारती के निष्कर्ष नामक पत्रिका में हुआ। इसके बाद धर्मवीर भारतीय विजयदेव नारायण साही, केशवचन्द्र वर्मा जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों की तरफ से प्रोत्साहन मिलते रहे। इसलिए उनका पहला उपन्यास 'सूनी घाटी का सूरज

(1957) इन तमाम साहित्यकारों के नाम सभर्पित है।

शुक्लजी के लेखन की शुरुआत का समय अर्थात् पाँचवे दशक कहानी आन्दोलन का दौर था। पर कहानी की तरफ उनकी रुचि कम थी। फिर भी शुक्ल जी तीन विधाओं में काम करते रहे-उपन्यास, कहानी और व्यंग्य लेखन। व्यंग्य लेखन में उनका ध्यान अधिक केन्द्रित रहा है।

कृतित्व - श्रीलाल शुक्ल जी ने प्रारम्भिक अध्यापन काल से ही लिखना प्रारम्भ किया था फिर भी साहित्य जगत में उनकी सक्रिय उपस्थिति 1950 के बाद ही होती है। 1954 में पहला व्यंग्य लेख 'स्वर्णग्राम और वर्षा' के प्रकाशन के उपरांत अन्य साहित्यकारों से बराबर प्रोत्साहन मिलता रह। उनका पहला उपन्यास 'सूनी घाटी का सूरज' का प्रकाशन 1957 में हुआ। 'अज्ञातवास' नामक दूसरा उपन्यास 1962 में हुआ। इसमें एक कुलीन परिवार के टूटन की तथा आस्थाहीन व्यक्ति के खोखले व्यवहारों की कथा है। उनका तीसरा उपन्यास 'राग दरबारी' है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

डॉ. गिरिराज शरण अग्रवाल की कहानियों में समरसता का भाव

निधि पाटीदार * डॉ. चन्दा तलेरा जैन **

शोध सारांश – शिक्षा देकर अच्छा या बुरा प्रभाव डालने का सर्वाधिक महत्व कहानी को मिला है। यह विचार प्रकट करने का सबसे सरल माध्यम है। 'हितोपदेश' आदि की कहानियाँ इस कथन का प्रणाम हैं। आजकल किसी भी वर्ग के व्यक्ति को इतना समय नहीं मिलता कि वह किसी लम्बे उपन्यास काव्य, नाटक या कथा ग्रंथ को पढ़कर अपना मनोरंजन करे। कहानी दो क्षण के अवकाश में भी उसका साथ देती है और उसको थोड़ी देर के लिए नए संसार में पहुँचा देती है।

प्रस्तावना – आज की कहानी वास्तविक अर्थों में संघर्ष की कहानी है वह शब्दों के आडंबर से मुक्त है। वह आज के जागरूक पाठक को सामाजिक स्थितियों के प्रति सचेत करती है, उन्हें अपनी आस-पास की दुनियों की बेहतरी के लिए सोचने पर विवश करती है। वह पूरे मानव समाज की प्रगति और खुशहाली की प्रगतिशील इच्छा को प्रकट करती है। उसकी जड़ों में मानवीय चिंताएँ हैं। आज हिन्दी की जनवादी कहानी आपनी भौतिक शक्ति के कारण तरह- तरह की बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ रही है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों के संग्रहण एवं विश्लेषण पर आधारित है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए डॉ. गिरिराज शरण जी की कहानियों के संग्रह का अवलोकन किया गया। तथा द्वितीय तथ्यों के लिए संदर्भ ग्रंथों एवं आलेखों का अध्ययन किया गया।

उद्देश्य –

1. डॉ. गिरिराज शरण अग्रवाल जी की कहानियों का तथा उनके विचारों का अध्ययन करना।
2. डॉ. गिरिराज शरण अग्रवाल जी की कहानियों में जीवन की सच्चाई को उजागर करना।
3. बेजोड़ शिल्प की कहानियों के संबंध में अग्रवाल जी के विचारों को जानना तथा व्याख्या करना।

विशेषताएँ –

1. प्रेम के विविध रूपों की कहानियाँ।
2. जीवन की सच्चाई दर्शाती कहानियाँ।
3. भाषा का प्रवाह तथा चिंतन की गहराई वाली कहानियाँ।
4. बेजोड़ शिल्प की कहानियाँ।

डॉ. अग्रवाल जी की कहानियों का परिचय – डॉ. गिरिराज शरण अग्रवाल बहुमुखी प्रतिभा – संपन्न रचनाकार हैं, जिन्होंने मूलतः कवि एवं गजलकार के रूप में तो ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त की है, कि उस पर सहज ही प्रसन्नता होती है। इसी साथ नाटक, निबन्ध, एकांकी, नुक्कड़ नाटक, और उपन्यास के साथ – साथ कहानियों के क्षेत्र में भी डॉ. गिरिराज शरण जी ने अपनी लेखन प्रतिभा और शब्द शिल्प के कौशल का अच्छा परिचय दिया है। जहाँ तक कहानीकार के रूप में डॉ. गिरिराज शरण अग्रवाल का प्रश्न है मैं विश्वास के साथ

कहती हूँ कि उन्होंने भले ही कहानियाँ अन्य विद्याओं की तुलना में कम लिखी हैं, किन्तु परिणाम कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से उनकी कहानियाँ जीवंत और प्रभावशाली हैं।

अग्रवाल जी का प्रकाशित कथा संग्रह 'जिज्ञासा' शीर्षक से उपलब्ध है। सन् 1994 में प्रकाशित इस कथा संकलन में डॉ. अग्रवाल की कुल इक्कीस कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। इन सभी कहानियों में अपने देश काल, वातावरण के साथ-साथ जीवन परिवेश और काव्यमयी भाषा के कारण सीधे पाठक के हृदय पर दस्तक देने में सफल रही हैं।

इस संग्रह की कुछ कहानियाँ जिसमें 'बुढ़ा ज्वालामुखी', 'फरिश्ता' 'वो एक डाक्टर' तथा 'एक पागल लड़की' प्रमुख हैं। ये ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें पाठक कहानीकार के माया जाल में पूरी तरह जकड़ा हुआ सा महसूस करता है।

एक अन्य कहानी 'अधूरा उपकार' अपने सामाजिक सरोकार और मनोवैज्ञानिक चित्रण के कारण विशेष रूप से प्रभावित करती है। इस कहानी में दो मित्रों के बीच घटी मार्मिक घटना को इतनी मर्मस्पर्शी शैली में व्यक्त करते हैं कि पाठक कहानी के अंत तक एक एक पल जिज्ञासा की डोर से स्वयं को बंधा अनुभव करता है।

अगली कहानी 'परकटा परिदा' मानवीय संवेदनाओं तथा सामाजिक संबंधों की महक लिए जिससे विकलांग व्यक्ति के मन की स्थिति साकार की गई है। इस कहानी की शिल्प और भाषिक चेतना बेजोड़ प्रतीत होती है।

डॉ. गिरिराज शरण जी मूलतः शिक्षक और रचनाकार हैं। उनकी कहानियों में कोई ना कोई संदेश अवश्य मिलता है। 'सर्टिफिकेट' कहानी में अग्रवाल जी ने ग्रामीण जीवन की आर्थिक जीवन का चित्रण तथा नोकर शाही का बड़ा सटीक चित्रण किया है।

रामदीन एक श्रेष्ठ कृषक के रूप में नवाजा जाता है। और कृषि मेले में सम्मानित किया जाता है। लेकिन वही रामदीन शहर आकर लोगों के मायाजाल में फँसकर अपने ही श्रेष्ठ कृषक के रूप में मिले सर्टिफिकेट को अर्थहीन बताते हुए कहता है – 'इस बेकार से कागज के अलावा अब मेरे पास कुछ नहीं है, पटवारी जी लो इसे मेरे हाथ से लें जाओ यह बेकार जोक की तरह से मेरे सीने से लिपटा पड़ा है' – 1

*शोधार्थी (हिन्दी साहित्य) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

**प्राध्यापक (हिन्दी) माता जीजा बाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

इस कहानी में आर्थिक त्रासदी को उजागर किया गया है। अग्रवाल जी ने बाल - मनोवैज्ञानिक का आधार लेकर शहरो में बाल मजदूर बच्चों की निरक्षरता जैसे अभिशाप पर भी प्रकाश डाला है। इस कथा संग्रह की कई कहानियाँ प्रेम के विविध रूपों को अत्यंत सार्थक और प्रभावशाली रूप से चित्रित करती हैं। 'प्यार की सीमा' कहानी में डॉ. अग्रवाल ऐसी विचित्र मन-स्थिति का चित्रण करते हैं, पत्नी टी.बी. की असहाय वेदना से पीड़ित हैं और मध्यवर्गी पति उसके प्रेम में अपना तन-मन-धन सब न्यौछावर करके भी उसे बचा नहीं पाता। जब पत्नी पीडा को सह पाने की स्थिति में नहीं रहती तो असमान्य स्थिति में पति उसे जहर दे देता है। यहाँ कहानीकार का प्रश्न है कि क्या पति को अपराधी माना जाए ? ऐसे ही दूसरी कहानी 'अतीत' भी प्रेम की बेजोड़ अभिव्यक्ति की कहानी है। जहाँ एक नर्स किसी मरीज को प्रेम करने लगती है लेकिन प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाती। ऐसे एक पक्षीय समर्पित प्रेम को इस कहानी में बड़ी प्रभावशाली अभिव्यक्ति कहानीकार ने दी है।

ऐसी ही 'फरिश्ता' कहानी में सत्तर साल के बूढ़े राजेन्द्र पाल को बेहद प्रभावशाली चित्रित किया गया है। इसमें सांप्रदायिकता के विरोध में सार्थक संदेश दिया है। 'गुंडे बुजदिल होते हैं। नैतिक बल उनके पास नहीं होता। इंसानियत की एक ललकार उनके हौसले पर तब तक देती है।' - 2

अग्रवाल जी ने कितनी ही चिंतनपरक, भावनात्मक और अर्थवान सूक्तियों को कथा प्रवाह में गढ़ दिया है-

'मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करने के लिए केवल शब्दों पर ही आश्रित नहीं है, मात्र शब्दों से उसके भाव प्रकट हो ही नहीं सकते' - 3
'शतरंज के खिलाड़ी अपने मोहरों की चाल को अपनी इच्छा से बाध लेते हैं तभी वह खेल चलता है, यदि वे मोहरों की चाल को न बाँधें तो खेल न चल सकता। उसी प्रकार ईश्वर भी अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करने के लिए उन्हें बंधन में बाँधता रहता है, यदि वह उन्हें स्वच्छंद कर दे तो सृष्टि का अंत ही हो जाए' - 4

'उपहार तो प्रेम में निहित है। प्रेम स्वतः अनंत उपहार देता है।' - 5
अग्रवाल जी का अगला कहानी संग्रह 'छोटे-छोटे सुख' इसमें 26 कहानियाँ हैं। डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल जी की इन कहानियों को पढ़कर मैं सोचती हूँ की जीवन में छोटे-छोटे सुख हैं तो दुख भी हैं।

एक जापनी स्त्री अपने अजन्मे बच्चे का प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाती है, मनुष्य में संवेदना की कमी हो सकती है और कभी-कभी अभाव भी, लेकिन

वह अपनी संवेदना को जीवित रखने में सक्षम है।

'इस समय शाम काफी नीचे झुक आई है, कुछ ही देर बाद धुंधलका फैल जाएगा। अब नौका विहार का समय नहीं रहा। कल दिन में नदी की सैर करना। अब बैठ के बात करते हैं, कुछ देर' - 6

'मैंने ऐसी उदासी से भरी वर्षगांठ कभी नहीं देखी थी। सुमित आहुजा ने दुःख भरे स्वर में कहा 'यह मेरे जीवन का पहला अनुभव था। मौन धारण किए अतिथियों ने तनाका के साथ चाय पी और वैसे ही वापस चले गए।' 7
इस कहानी संग्रह में कहानीकार की गहरी पकड़ है। हम बाहर का कुड़ा करकट साफ करते हैं परन्तु अपने अन्दर का कूड़ा-करकट साफ करने के प्रति सजग नहीं रहते ओर वे हमें पीड़ित करते रहते हैं। यदि मन साफ हो तो कष्ट में भी खुशी लहर खोजी जा सकती है। इसलिए कहानीकार छोटे-छोटे सुख में जीवन जीने का संदेश देता है। यह कहानी संग्रह अपनी मौलिकता के कारण पाठकों को और प्रिय लगता है।

निष्कर्ष - बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल जी की कहानियों में जीवन की संवेदनाओं के साथ-साथ मानवीय मूल्यों को सामाजिक सरोकार को अत्यंत प्रभावशाली अभिव्यक्ति मिली है। एक सफल कहानीकार के रूप में 'जिज्ञासा' कथा संग्रह अग्रवाल जी को पूर्णतः स्थापित करने में सफल है। डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल जी की कहानियों में जीवन की धड़कन अपने पूर्ण प्रवाह के साथ सुनाई देती है। इसलिए मैं अग्रवाल जी को एक जीवित कथाकार कहना चाहती हूँ। इन्होंने अपनी कहानियों में कलात्मक नविनता, अनोखापन ला दिया है। यह ऐसे कथाकार है, जिनकी कहानी को पढ़कर जीवन में कुछ समझने तथा करने की प्रेरणा मिलती है। ऐसे कथाकार को शत-शत नमन है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल समग्र कहानी 'सर्टिफिकेट' पृष्ठ 492
2. डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल 'फरिश्ता' पृष्ठ 335
3. डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल 'वो एक डॉक्टर' पृष्ठ 460
4. डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल 'वो एक डॉक्टर' पृष्ठ 461
5. डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल 'वो एक डॉक्टर' पृष्ठ 464
6. डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल 'छोटे-छोटे सुख 'मालीक नौकर' पृष्ठ 183
7. डॉ. गिरिराजशरण अग्रवाल 'छोटे-छोटे सुख 'अजन्या बेटा' पृष्ठ 73

हिन्दी गद्य और नाथ पंथ

नाजिया सिद्दीकी *

शोध सारांश – ऋग्वेद में नाथ शब्द कर्ता, ज्ञाता तथा सृष्टि के निमित्त रूपों में हुआ है। संस्कृत टीकाकार मुनिदत्त ने नाथ शब्द को सद्गुरु के अर्थ में बताया है। हठयोग प्रदीपिका की टीका में ब्रह्मानन्द का कथन है कि सब नाथों में प्रथम आदिनाथ हैं। इसी कारण श्रीगोरक्ष को नाथ कहा जाता है और उनके सम्प्रदाय को नाथ सम्प्रदाय। नाथ सम्प्रदाय उन साधकों का सम्प्रदाय है, जो नाथ को परम तत्त्व के रूप में स्वीकार करके उसकी प्राप्ति के लिए योगसाधन करते हैं। इस सम्प्रदाय के प्रमुख साधक गुरु मत्स्येन्द्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, रावलपीर और चर्पटनाथ आदि थे। महायोगी गुरु गोरखनाथ ने हठयोग को साधना एक मुख्य मार्ग बताया। ऐतिहासिक गद्य साहित्यिक वर्णन की सहायता से किसी भी युग की सम्पूर्ण परिस्थितियाँ प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगती हैं। कहानी के माध्यम से हम वर्तमान में रहकर भी भूतकाल की घटनाओं, गतिविधियों और संघर्ष में सम्मिलित हो जाते हैं। प्रस्तुत लेख में हिन्दी गद्य साहित्य व नाथ पंथ से सम्बन्धित कथाओं का सूक्ष्म वर्णन किया गया है।

शब्द कुँजी – कहानी, गोरखनाथ, साहित्य, हिन्दी।

प्रस्तावना – उपासना की स्वतंत्रता के कारण विभिन्न साधकों द्वारा अनेक साधना पद्धतियाँ उत्पन्न हुई हैं। ईसा से पहले जैन और बौद्ध आधारित साधना आ गयी थी। बाद में बौद्ध चिंतना हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान और सहजयान में बदल गई। ईसा से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व ही पतञ्जली ने योग के सिद्धान्त एवं साधना को 'योगसूत्रम्' में प्रस्तुत कर दिया था। नाथपंथ इसी योग पर आधारित है। गुरु मत्स्येन्द्रनाथ और गुरु गोरखनाथ ने इस नाथपंथ को प्रतिष्ठित किया। वज्रयान-तंत्रयान-सहजयान की पंचमकार साधना के कामपरक रूप से क्षुब्ध साधकों ने योग पर आधारित नाथपंथ के शुद्ध सात्त्विक रूप का सूत्रपात्र किया।

उत्तर भारत के अनेक मन्दिर एवं मठ को नाथ पंथ व उसके साधना की तपोभूमि के रूप में माना जाता है। अक्षय कुमार बनर्जी के अनुसार मत्स्येन्द्र एवं गोरक्षनाथ ने सर्वप्रथम हिम प्रदेश नेपाल, तिब्बत आदि से अपनी योग साधना का आरम्भ किया। इन्हीं स्थानों पर मत्स्येन्द्रनाथ व गोरक्षनाथ से सम्बन्धित अनेक जनश्रुतियाँ भी प्रचलित हैं। तिब्बत एवं नेपाल क्षेत्र से ही योग साधना का आन्दोलन पूर्व में असम, बंगाल, मणिपुर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रसरित हुआ व पश्चिम में कश्मीर, पंजाब का पश्चिमोत्तर प्रदेश से होता हुआ काबुल और फारस तक पहुँचा। उत्तर प्रदेश, हिमालय के समीप होने के कारण अत्यधिक प्रभावित रहा। दक्षिण में अनेक नाथ योगियों की शिक्षाएँ व उनकी शक्तियों से सम्बन्धी कहानियाँ प्रचलित हैं।

नौवीं सदी से लेकर पन्द्रहवीं सदी तक भारतीय जीवन में नाथपंथ की साधना एवं सामाजिक-राष्ट्रीय क्रियाशीलता इस कालखण्ड की प्रमुखता रही। प्रसिद्ध चिंतक और कथाकार रांगेय राघव ने नौवीं-दसवीं सदी में साधनारत् गुरु गोरखनाथ को 'धूनी का धुआँ', तेरहवीं सदी के चर्पटनाथ को 'जब आवेगी कालघटा' और चौदहवीं-पन्द्रहवीं सदी के निर्भीक योगियों को 'लखिमा की आँखें' में प्रस्तुत किया है।

डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने नौवीं-दसवीं सदी के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ, दोनों को 'जागमछन्दर गोरख आया' में चित्रित कर जनजीवन में व्याप्त कहावत के अर्थ को स्पष्ट कर दिया है।

गद्य व नाथ पंथ – रांगेय राघव का 'धूनी का धुआँ' योग साधक के तपोमय

जीवन का प्रतीक है। इसमें गुरु गोरखनाथ के जीवन के तीनों महत्त्वपूर्ण प्रसंगों के आधार पर लेखक ने उनके तेजस्वी एवं क्रान्तिकारी व्यक्तित्व का समावेश किया है। गोरक्षनाथ (गोरखनाथ) नाथपंथी साधना के पहले बौद्ध अनंगवज्र थे। वे बौद्ध वज्रयान-तंत्रयान साधना के पतनशील रूप से क्षुब्ध हो गये थे। वे पंचमकार कामपरकता से विद्रोह कर नाथ-पंथ के गुरु मत्स्येन्द्रनाथ के पास आ गए। वे अनंगवज्र से गोरक्षनाथ हो गए। उन्होंने हठयोग अपनाया। एक बार गुरु मत्स्येन्द्रनाथ कामपरक साधना हेतु कामरूप गए थे। गोरक्षनाथ को पता चला तो वे भी वहा पहुँचे तो देखा कि गुरु मत्स्येन्द्रनाथ कामपरक साधना में लीन हैं। उन्होंने मृदंग की थाप पर गुरु को सावधान किया।

डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने 'जागमछन्दर गोरख आया' का लेखन किया है। उन्होंने भूमिका में लिखा है, कि मत्स्येन्द्रनाथ कहानी के मुख्य नायक हैं। उनके विरोधी पक्ष का पात्र गुरु गोरक्षनाथ हैं। उपन्यास में डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने बताया है कि मत्स्येन्द्रनाथ नर्मदा तट पर धीवर कन्या (मूलतः राजकन्या) नर्मदा के साथ वामा साधना कर रहे थे। तब स्त्रियाँ उनसे रूठ होकर उन पर आरोप लगाया। मत्स्येन्द्रनाथ ने अपने विशिष्ट शक्ति से अपने आप को आरोप मुक्त कर दिया। उसी समय उदयपुर की पहाड़ी पर गोरखनाथ के नेतृत्व में योगियों ने अरबों के आक्रमण के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। गुरु गोरखनाथ ने योग साधना और देश, रक्षा दोनों का संदेश दिया। उनकी दृष्टि में युद्ध भी योग है। उनके गुरु मत्स्येन्द्रनाथ ने गोरखनाथ के हठयोग में विराग मानकर अपनी योगिनी कौलसाधना में जीवन के मूलराग को सही घोषित किया। और वे नर्मदा के साथ असम के कामरूप के लिए चल पड़े। पुनः गुरु मत्स्येन्द्र कामरूप के कदलीवन में ललिता के साथ वामा साधना में लीन थे। गोरखनाथ ने अपने गीत से गुरु को सावधान किया। 'जागमछन्दर गोरख आया' नामक गीत गूँज उठा। सभी देश रक्षा के लिए पंचनद की ओर चल पड़े। डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय के अनुसार गुरु गोरखनाथ ने महाराष्ट्र से नेपाल तक और पुश्कलावती (पेशावर) से अंग-बंग तक वाम साधकों, समाज में भेदभाव, बाह्याचार, आडम्बर, पांडित्याभिमान और पदसोपान क्रमवाली सामाजिक

संरचना और जाति-पाँति के आग्रहों के विरुद्ध एक चेतना फैलाई। गुरु गोरखनाथ ने साधना के आंतरिक तथा कठोर अनुशासन का चमत्कारी आदर्श प्रस्तुत किया व जनयोग को सफल बनाने के लिए नाथानुशासन को कई अखाड़ों में बाँटा।

ग्यारहवीं सदी के कथानक पर आधारित 'नीला चाँद' गजनवी के आक्रमण के बाद के भारत के पूर्वी एवं मध्य भारत के राजाओं के आपसी संघर्ष से संबद्ध है। इसमें नायक कीर्ति वर्मा ने विद्याचल की सिद्धयोगिनी शीलभद्रा माँ से आशीष पायी है।

शत्रुघ्न प्रसाद द्वारा लिखित 'सिद्धियों के खंडहर' बारहवीं शताब्दी की कथा है। जिसमें मगध के अन्तिम बौद्ध राजा गोविन्द पाल देव व बख्तियार खिलजी के बीच युद्ध की गाथा है। गोविन्द पाल देव को बौद्ध सिद्धों पर विश्वास था, जबकि सैन्य संगठन कमजोर था। जिसे राजकुमार महेन्द्र सुधारना चाहता था। अतः महेन्द्र पाल ने पाटलीपुत्र के निकट विकटनाथपुर में नाथयोगी का साधना केन्द्र था। महेन्द्र, नाथयोगी के पास पहुँचा। नाथयोगी ने मगध की स्थिति पर कहा कि तंत्रसाधना में निश्चिन्त होना सो जाना कहलाएगा। ये सहजयानी सिद्ध, वासना की गाढ़ी नींद में सो रहे हैं। फलतः मगध में न चरित्र रह गया है और न देश की चिन्ता है। गुरु गोरखनाथ ने ब्रह्मचर्य, योग और शिव को लेकर धर्म को पवित्र तथा तेजस्वी बनाने का प्रयत्न किया था। उसी पवित्रता तथा तेजस्विता को लेकर हमें देश-धर्म के लिए संघर्ष करना चाहिए। आप चरित्र और सैन्य शक्ति के द्वारा सफल संघर्ष कर सकते हैं।

रांगेय राघव के अनुसार 13वीं सदी की नाथ परम्परा के चर्पटनाथ, पंथ के आडम्बर को देख क्षुब्ध हो उठे थे। वे अपने पंथ के बाह्याडम्बर से विद्रोह कर फक्कड़ बनकर भटकने लगे थे। उधर तुर्क सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का अत्याचार बढ़ रहा था। इसी स्थिति में चर्पटनाथ ने अपने पंथ के महंतों के विरोध के बावजूद खिलजी के अत्याचार के खिलाफ योगीसमूह का सैन्यीकरण किया। अपने पंथ से बहिष्कृत और तुर्क सुल्तान से प्रताड़ित चर्पटनाथ ने पंथ को शुद्ध सात्त्विक बनाते हुए तुर्कों का सामना किया। तुर्कों ने गुरु गोरखनाथ के मन्दिर पर आक्रमण किया। घायल चर्पटनाथ मन्दिर की रक्षा करने में असमर्थ हुए। पर वे भीतर से टूट नहीं सके। पुनः गोरखनाथ मन्दिर का नवनिर्माण हुआ। इस प्रकार रांगेय राघव ने गुरु गोरखनाथ और बाद के चर्पटनाथ की शुद्ध सात्त्विक साधना तथा तुर्कों से देश रक्षार्थ युद्ध-जीवन के दोनों पक्षों का प्रभावी वर्णन कर नये भारत के लिए सम्यक् जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है।

हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'चारुचन्द्रलेख' में तेरहवीं सदी के तुर्कों के आक्रमण के बढ़ते संकट को दर्शाया है। जिसमें रानी चन्द्रलेखा देशरक्षा तथा प्रजा-कल्याण के लिए योगी नागनाथ के सहयोग से कोटिवेदी साधना में संलग्न हुई हैं। अतः सिद्धि के लिए साधना इस युग की विशेषता रही है।

'दिल्ली दूर है' के अध्याय 25 में लेखक ने वर्णन किया है, कि चित्तौड़ की पहाड़ी पर एक शैव संन्यासी रहते थे। बप्पा नामक एक गरीब चरवाहा गाय चराया करता था। उन गायों में से एक गाय एक स्थान पर रुक कर धन से दूध गिरा देती थी। हारीतराशि ने बताया कि वहाँ पर शिवजी की पींडी है। योगी ने चरवाहे से कुछ माँगने को कहा। बप्पा ने एकलिंग महादेव के राज्य का सेवक बनना चाहा। संन्यासी ने कह दिया कि चित्रकूट यानी चित्तौड़ में इस राज्य की राजधानी होगी। वही बप्पा रावल उस राजवंश का प्रथम शासक बना। रावलपीर के गुरु गोरखनाथ ने ज्ञान क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र, दोनों को

जोड़कर शिवतत्त्व-शिवलोक को जान लिया था। अतः उन्होंने हमारे धर्म के भीतर के आडम्बर को समाप्त करने का पूर्ण प्रयास किया। जिसमें छुआ-छूत, छोटा-बड़ा, वर्ण व्यवस्था आदि को निरर्थक बताया।

रांगेय राघव के प्रसिद्ध उपन्यास 'लखिमा की आँखों' में 14वीं सदी की स्थिति को व्यक्त किया गया है। जिसमें विद्वान विद्यापति की मृत्यु के बाद तुर्कों से विद्यापति के लेखन सामग्री को बचाने के लिए एक बंगीय ब्राह्मण विद्यापति के लेखन सामग्री को लेने के लिए विसपी पहुँचा। पदों की प्रतिलिपि लेकर लौटते समय, जब नाव नदी को पार करने लगी, तब बंगीय ब्राह्मण ने विद्यापति के गीतों गाने लगा। तभी तुर्कों ने नाव को घेर लिया व प्रतिलिपि को मिट्टी में फेंककर अट्टहास किया। उसी समय एक योगी ने शंख फूँककर अनेकों योगियों को एकत्र किया व बंगीय यात्री की रक्षा की।

शत्रुघ्न प्रसाद ने 'सुनो भाई साधोय नामक उपन्यास में कबीर युग के बुनकर समाज में नाथ-पंथ के प्रभाव का वर्णन किया है। एक बार एक नाथ जोगी 'अलख निरंजन' बोलता हुआ बस्ती में आ गया। पेड़ के नीचे योगी खड़ा हो गया व लोग घर-घर से निकलकर आ गए। जोगी ने 'अलख निरंजन' की आवाज लगायी। सबने जोगी से आसन लगाने की विनती की। जोगी वहीं बैठ गया व बोला कि वह निरंजन अलख है। उसे अपने भीतर देखने के लिए शरीर को साधना पड़ेगा। फिर अनहद नाद सुन लो, कुछ भी पा लो। यह सब तुम्हारे हाथ में है।

उपरोक्त हिन्दी के कुछ ऐतिहासिक लेखकों व उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में गुरु मत्स्येन्द्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, रावलपीर और चर्पटनाथ के व्यक्तित्व व उनकी साधना को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। इन योगियों का चिन्तन आज भी जनमानस के चेतना, एकता, समानता के लिए महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष - नौवीं सदी से लेकर पन्द्रहवीं सदी तक भारत व आसपास के क्षेत्रों में नाथपंथ की साधना एवं का कालखण्ड रहा। जिनमें गुरु मत्स्येन्द्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, रावलपीर और चर्पटनाथ का नाम प्रमुखता से आता है। कथाकार रांगेय राघव ने नौवीं-दसवीं सदी के गुरु गोरखनाथ को 'धूनी का धुआँ', तेरहवीं सदी के चर्पटनाथ को 'जब आवेगी कालघटा' और चौदहवीं-पन्द्रहवीं सदी के निर्भीक योगियों को 'लखिमा की आँखें' में प्रस्तुत किया है। शत्रुघ्न प्रसाद ने 'सुनो भाई साधो' में नाथ व कबीर पंथ की कथा का समकालीन वर्णन मिलता है। डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय के 'जाग मछन्दर गोरख आया' के लेखन से शिष्य द्वारा गुरु को सलाह का चित्रण व हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रसिद्ध उपन्यास 'चारुचन्द्रलेख' में तेरहवीं सदी के तुर्कों के आक्रमण को दर्शाया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिन्दी गद्य साहित्य ने गुरु मत्स्येन्द्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, रावलपीर और चर्पटनाथ के कथाओं को जनसामान्य के लिए प्रेरणादायक व सुलभ बनाया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हजारीप्रसाद द्विवेदी- नाथ सम्प्रदाय ।
2. पी.एन. जोशी- नाथ सम्प्रदाय उदय व विस्तार ।
3. भगवती प्रसाद सिंह- महन्त दिग्विजयनाथ स्मृति ग्रन्थ ।
4. दिवाकर पाण्डेय- गोरखनाथ एवं उनकी परम्परा का साहित्य ।
5. कोमल सिंह- नाथपन्थ और निर्गुण सन्त काव्य ।
6. रामकुमार वर्मा- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ।
7. रांगेय राघव- गोरक्षनाथ और उनका युग ।
8. अक्षय कुमार बनर्जी- योगिराज गम्भीरनाथ ।
9. शत्रुघ्न प्रसाद- हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में नाथपंथ ।

मालती जोशी के कथा साहित्य में नारी चेतना

आशा शरण *

शोध सारांश – आदिकाल से नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता था। मनु स्मृति में भी मिलता है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता'। यहाँ तक कि भारत को पुल्लिंग शब्द होने पर भी माँ का दर्जा दिया गया। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ ही नारी की स्थिति में भी परिवर्तन हुए। वर्तमान में महिला लेखकों ने नारी के सम्मान के पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने उनकी वास्तविक स्थिति का बोध कराया। महिलाओं की स्थिति को सुधारने से संबंधित जो आंदोलन हुए उसमें भी नारी जागरूकता बढ़ी। महिला साहित्यकारों में मालती जोशी का जाना माना नाम है। उन्होंने स्त्री के अनेक रूपों को अपने कथा साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में मालती जोशी के कथा साहित्य में नारी चेतना के विभिन्न आयामों पर विचार किया गया है।

प्रस्तावना – सुप्रसिद्ध महिला साहित्यकार मालती जोशी का जन्म महाराष्ट्र के मध्यवर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। किशोरावस्था से ही इन्होंने लिखना प्रारम्भ कर दिया था। मालती जोशी जटिल परिवेश में जकड़ी होने के बावजूद भी नारी स्वतंत्रता की पक्षधर थीं। उनके कथा साहित्य में कई ऐसी नारी पात्र हैं जो शोषित होते हुए भी अनेक किरदारों को बड़ी जीवन्तता के साथ निभाती हैं।

'बोल री कठपुतली' कहानी में आभा की शादी के लिए उसके पिताजी भारी दहेज देने के लिए कहते हैं। जिससे आभा की कमियाँ किसी को नजर नहीं आये। आभा को जब लडके वाले देखने आते हैं, तो उससे एक आवेदन पत्र में हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं और साथ ही एम.ए. की डिग्री की फोटोकॉपी। जब आभा ससुराल जाती है, तो पहले ही दिन उसे नौकरी का नियुक्ति पत्र थमा दिया जाता है। जबकि आभा नौकरी के लिए तैयार नहीं थी। मजबूरी में उसे नौकरी के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है। बाहर रहने के कारण उसे बार-बार ताने भी मिलते हैं कि उसे परिवार से कोई लगाव नहीं है। यहाँ तक कि उसे पति का पूरा प्रेम नहीं मिलता। वह टुकड़ों में बँटकर रह जाती है। आभा की ननद की शादी हो जाती है। ससुर का स्वर्गवास हो जाता है। सास को लकवा मार जाता है। अब अमित को उसकी माँ और घर की देखभाल करने वाले की जरूरत महसूस होती है। वह आभा से नौकरी छोड़ने के लिए कहता है। आभा इंकार कर देती है। वह कहती है, 'मेरे बारे में कभी तो सोचा होता। आखिर मेरा भी तो कुछ हक बनता है। इतने दिनों के बाद जाकर जब नौकरी में कुछ मन लगा है। स्कूल में मेरी एक पोजीशन बनी है। लडकियों में एक इमेज बनी है। यह सब कुछ मैं एकदम छोड़ नहीं सकती।' अमित ने जब जोर-जबरदस्ती करनी चाही तो आभा साफ इंकार करते हुए कहती है, 'उस समय पति के कर्तव्य कहाँ गए थे। तुम्हें उस नवेली दुल्हन का जरा भी ख्याल नहीं आया। पता नहीं कितने अरमान संजोए तुम्हारे घर आयी थी और शादी का पहला उपहार उसे क्या मिला, नौकरी? तुम्हारे भाई पढ़ने वाले थे। तुम्हारी बहनें ब्याहनें वाली थीं। इसलिए पत्नी के गृहस्थी का सुख छीन लिया।' ¹²

'सहचारिणी' उपन्यास में नीलम और योगेश के दाम्पत्य जीवन का

चित्रण किया गया है। नीलम बड़े अरमानों के साथ ससुराल में प्रवेश करती है। कुछ समय तो सब ठीक चलता है। लेकिन नीलम से ज्यादा दिनों तक योगेश के पूर्व विवाह की बात छिपी नहीं रह सकी। नीलम दुःखी होती है। वह सोचती है कि योगेश ने उससे यह बात क्यों छिपायी। सब कुछ होते हुए भी नीलम योगेश और उसकी पूर्व पत्नी की बेटी को अपनाती है। नीलम भी एक पुत्र को जन्म देती है और योगेश को यथार्थ स्थितियों से परिचित करवाकर उसको सुधारने का प्रयास करती है। लेकिन वह सफल नहीं हो पाती है। इसी बीच योगेश के जीवन में सीमा आ जाती है। वह सीमा के काफी करीब पहुँच जाता है। नीलमा नौकरी करके अपने जीवन को बहलाने की कोशिश करती है। उसके मन की आहत नारी पुनः पति के पास जाने से रोकता है 'और अपमानित होकर घर लौटने की बात। क्या कोई शौक से पति का घर छोड़ देता है। माना कि वही घर स्त्री का स्वर्ग है, लेकिन उसके लिए कोई आत्मसम्मान दाँव पर नहीं लगा सकता। पहले जब स्वयं कहे कि वह मुक्ति चाहता है, तब भी क्या उसको देहरी पकड़कर बैठना श्रेयस्कर है। अपने आपको इतना गिराना मेरे लिए संभव नहीं।' ¹³

'कोहरे के पार' कहानी में लेखिका ने नारी के अर्न्तमन की चेतना का व्यक्त किया है। कहानी की नायिका शीला उच्च शिक्षित है और वह नौकरी करती है। लेकिन शीला के परिवार वाले चाहते हैं कि उसकी शादी विधुर जीजा से करवा दी जाए। वे दोनों के मध्य उम्र के अन्तर को अनदेखा भी कर देते हैं। शीला की बहन का जब स्वर्गवास हुआ था तो मरने से पूर्व उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि शीला उनकी लडकी स्वाती की देखरेख करे। ऐसी विषम स्थिति में शीला निर्णय लेती हुई जीजा से कहती है, 'दीदी ने चाहा था कि मैं स्वाती की माँ बनूँ। मुझे सहर्ष स्वीकार है। आप निश्चिंत होकर उसे मुझे सौंप दे..... उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य जिसे भी प्राप्त होगा। वह मुझे दीदी की तरह ही प्रिय होगी।' ¹⁴

'रानियाँ' कहानी में कुमार एक डॉक्टर है और वह अपना निजी चिकित्सालय खोलता है। उसकी पहली पत्नी गाँव में रहती है। जिसकी दो बच्चियाँ हैं। पहली पत्नी के होते हुए भी वह वंदना से दूसरा विवाह करता है। लेकिन वंदना के सामने यह सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। इसके

साथ ही कुमार के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। वंदना कुमार द्वारा उपेक्षित होने पर कहती है, 'जनाब हम बीसवीं सदी के अंतिम छोर पर खड़े हैं..... और नारी इतनी सक्षम है कि वह एक साथ सभी भूमिकाएं निभा सकती है। वह एक ही समय गृहिणी भी हो सकती है, सखी भी और सचिव भी, पर उसे मौका तो दो।'⁵

'अभिन्नपथ' कहानी की नायिका चंदा बड़े अरमान के साथ ससुराल जाती है। परन्तु साल भर के बाद पति की नौकरी चली जाती है। चंदा का पति कुछ भी काम करने के लिए तैयार नहीं था। जिसके कारण चंदा को ससुराल वालों की तरफ से उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। लेकिन इन सब कष्टों को सहती हुई वह टूटती नहीं है। वह अपने पति और बच्चों के लिए नौकरी करती है और कहती है, 'मैंने श्रीमान जी से कहा कि जब तक आपके मनलायक काम नहीं मिल जाता, मुझे नौकरी करने दीजिए। आज शिक्षित नारी अपनी डिग्रियों को किसी भी तरह जंग नहीं लगने देना चाहती।' ⁶

'अक्षम्य' कहानी में श्याम और बिन्दु सात फेरे लेने के बावजूद मन से बंध नहीं सके। श्याम जब गाँव आता है तो श्याम की माँ बिन्दु की कमियों का पुलिंदा खोलकर बैठ जाती है। यहाँ तक कि बिन्दु को चरित्रहीन बताकर घर से निकाल दिया जाता है। श्याम गीता से दूसरा विवाह करता है। तब खर्चे-पानी के लिए कचहरी में मामला चलता है और फैसला बिन्दु के पक्ष में होता है। लेकिन बिन्दु श्याम से मासिक भत्ता लेने से इंकार कर देती है। वह स्वयं अपने को इस काबिल बनाती है कि किसी का मोहताज नहीं होना पड़े। इधर श्याम की दूसरी पत्नी गीता बीमार रहने लगती है। गीता सहित पूरा परिवार परेशान रहता है। गीता को यह लगता है कि ये सब परेशानियाँ बिन्दु के अभिशाप का परिणाम है। वह श्याम को बिन्दु के पास माफी माँगने के लिए भेजती है। तब रास्ते में बिन्दु की भाभी श्याम से मिलती है और वह कहती है, 'अरे लाला इतने भोले तो तुम हो नहीं। सुन लिया होगा कि हम लोग अब जायदाद वाले हो गए हैं। पर इतना तो कानून हम भी जानते हैं भैया, तलाक के बाद अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। भाभी तमककर बोली हमें सब मालूम है। बहुरिया टी.वी. में गली जा रही है। इलाज के लिए मकान तक गिरवी रखना पड़ा है। तुम्हें सब मालूम है, तभी न यहाँ की याद

आई है। जानते हो न कि बिन्दु पंद्रह सौ महीना कमा रही है। सोचा होगा, माँगते ही नोटों बरसात कर देगी। पर इस धोखे में मत रहना कहे देती हूँ।'⁷ 'मुक्तिपर्व' कहानी में रंजना साधारण सी दिखने वाली लडकी है। सबसे ज्यादा दुःख देने वाला उसका साँवला रंग है। जब भी कोई लडके वाले देखने आते हैं तो उसके साँवले रंग के कारण उसे निराश होना पड़ता है। रंजना बार-बार अपमान का घूँट पीकर रह जाती है। लेकिन वह निर्णय लेती है और विजातीय सुनील से प्रेम विवाह करने का निश्चय करती है। रंजना दादी माँ से कहती है, 'ईमानदारी की बात तो यह है कि दादी माँ मैंने आप लोगों को भी खासकर पापा का भी बोझ उतार दिया है। अगर मैंने अपना खुद न कर लिया होता तो जानती हो क्या होता? पापा मेरे लिए जूते-चटकाते फिरते, दस जगह मेरा प्रदर्शन होता और उन दस जगहों से मेरे लिए 'ना' आती कहीं बात पक्की न होने तक मेरा तो जो भी हाल होता, पर पापा भी तब तक राख ही हो जाते।'⁸

निष्कर्ष - मालती जोशी के कथा साहित्य की नारी पात्र परंपरागत संस्कारबद्ध रहते हुए भी अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। हर कथाकार अपने परिवेश से प्रभावित होकर रचना करता है। मालती जोशी ने भी अपने कथा साहित्य में भी इन्हीं अनुभवों को लेखनबद्ध किया है। उन्होंने समाज द्वारा निर्धारित नारी मूल्यांकन के मानदंडों को नकारकर नारी को स्वतंत्र, व्यक्तित्व संपन्न, जागरूक नारी के रूप में देखा है। नारी के संघर्षमय जीवन को चित्रितकर नवीन मूल्यों की स्थापना की है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बोल री कठपुतली - मालती जोशी पृ. 95
2. वही
3. सहचारिणी - मालती जोशी पृ. 14
4. कोहरे के पार - मालती जोशी पृ. 134
5. रानियाँ - मालती जोशी पृ. 106
6. अभिन्नपथ - मालती जोशी पृ. 98
7. अक्षम्य - मालती जोशी पृ. 28
8. मुक्तिपर्व- मालती जोशी पृ. 58

‘नदी के द्वीप’ – उपन्यास में स्वाधीनता के मूल्यों के विविध आयाम

डॉ. अनुकूल सोलंकी *

प्रस्तावना – ‘अज्ञेय मानवीय व्यक्तित्व की स्वाधीनता के लिए, स्वाधीन चिंतन के लिए जीवनभर संघर्ष करते रहे। ऐसे संघर्षशील रचनाकार सच्चे अर्थों में समाज, संस्कृति के निर्माता होते हैं। अज्ञेय के स्वाधीनता-प्रेम को एक ऐसा गौरव-बोध अनुप्रणित किए था-जो दृष्टि को व्यापक और उदार बनाता था, जिसके लिए स्वाधीनता केवल राजनीतिक सीमा में बंधी नहीं थी बल्कि जिसके सांस्कृतिक आयाम इतने व्यापक थे कि उसमें इतिहास और कला, पत्रकारिता और सम्पादन, दर्शन और साहित्य सब समा जाते थे। न उनका व्यक्तित्व खंडित था- न चिंतन। वे भारत के स्वाधीनता-कामी समाज की मानो सजीव स्मृति थे।’¹ ‘अज्ञेय किसी भी विचारधारा की गुलामी स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए हैं। अपने रचनाकर्म में वे विचारधाराओं का अतिक्रमण करते हैं, उनकी दृष्टि में मानव के लिए स्वाधीन चिंतन की स्वाधीनता से बड़ा कोई मूल्य नहीं है इस स्वाधीन-चिंतन के कारण ही हिंदी की असाध्यवीणा अज्ञेय के हाथों ही बजी। वे ही इसके प्रियंवद साधक हैं।’² ‘लेखक-स्वातन्त्र्य को जब हम उसके सही परिप्रेक्ष्य में-रचना-स्वातन्त्र्य के रूप में देखते हैं- तब स्वातन्त्र्य के कुछ दूसरे आयाम भी सामने आते हैं।’ लेखक अथवा कलाकार केवल शब्दों का या कागज पर लिखी हुई रचना का रचयिता नहीं है। उसकी रचना क्योंकि समाज को भी प्रभावित करती है, उसके संवेदन को रूप और विस्तार देती है, इसलिए रचना-स्वातन्त्र्य समाज की रचना का भी स्वातन्त्र्य है। लेखक के नाते हमारी स्वतंत्रता का महत्व केवल इतना नहीं है कि हम जो चाहे लिख सकें, यह भी है कि हम समाज को वैसा बनाने को स्वतंत्र है, जैसा हम उसे बनाना चाहते हैं। रचना का कर्म तभी स्वतंत्र है जब उसकी सामाजिक अर्हता स्वतंत्र हो। अगर हम समाज के और संस्थान के ढाँचे को बदलने का प्रयत्न करने को स्वतंत्र नहीं हैं तो फिर हमारा रचना-कर्म स्वतंत्र नहीं है।³ ‘नदी के द्वीप’ उपन्यास में मूर्धन्य उपन्यासकार अज्ञेय ने उपन्यास के प्रमुख पात्रों के माध्यम से स्वाधीनता के मूल्यों के विविध आयाम को सफलतापूर्वक रेखांकित किया है। पूरा ‘नदी के द्वीप’ उपन्यास मनसा वाचा कर्मणा स्वाधीनता की वकालत करता दिखाई देता है। अज्ञेय ने इस उपन्यास के प्रमुख पात्रों के माध्यम से स्थान-स्थान पर व्यक्ति के चरम विकास को तर्कवादी भाषा में प्रयुक्त किया भुवन, रेखा, गौरा और कहीं-कहीं चन्द्रमाधव के कथन इस बात को पुष्ट करते हैं। डॉ. भगवतशरण उपाध्याय इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ‘नदी के द्वीप की कला.....सफल है, उसका सिद्धांत समाज विरोधी गलत। उपन्यास के रूप में उसका-सा अपने साहित्य में कुछ नहीं है। मैं उसे हिंदी के छः सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में गिनता हूँ, जिनमें दो ‘अज्ञेय’ के ही हैं। व्यंजना और बौद्धिक बारीकी उसमें गहरी है। भाषा की बारीकी उसका सहज विन्यास साहित्य की सुईकारी है।’⁴

अज्ञेय ने साढ़े चार सौ पन्नों में अपना मर्म ही मर्म देना चाहा है।

अज्ञेय ने ‘नदी के द्वीप’ को वैयक्तिक संवेदनाओं का ही अध्ययन मानते हुए अपनी समीक्षात्मक कृति ‘आत्मनेपद’ के पृष्ठ 86 में लिखा है ‘..... जो उपन्यास मुख्यतः चार-पांच वैयक्तिक संवेदनाओं का अध्ययन है, उसके पात्र ‘समाज से कटे हुए’ है या नहीं, मेरे लिए तो प्रासंगिक ही नहीं हुआ। एक पेड़ की शाखा प्रशाखा की रचना देखने के लिये क्या यह पहले निश्चय कर लेना (या आवश्यक भी) है कि वह पेड़ जंगल से कटा हुआ अनिवार्य है या कि जंगल का अंग है, उपन्यास अनिवार्यता पूरे समाज का चित्र हो, यह मांग बिलकुल गलत है। उपन्यास की परिभाषा के बारे में यह भ्रांति (जो देश में या कम से कम हिंदी में काफी फैली हुई मालूम होती है) साहित्य के सामाजिक तत्व को गलत समझने का परिणाम है। कह लीजिए कि छिछली या विकृत प्रगतिवादिता का परिणाम है। नदी के द्वीप को पात्र किसी हद तक अवश्य असाधारण है। वैसे ही जैसे भारत में पढ़ा-लिखा व्यक्ति किसी हद तक असाधारण अवश्य है। जहाँ साक्षरता का स्तर अट्टारह प्रतिशत है, शिक्षता का आधा प्रतिशत और सुशिक्षिता का कितना? 0.2 प्रतिशत! समाज के जिस अंग में से ‘नदी के द्वीप’ के पात्र आए हैं उसका वे गलत प्रतिनिधित्व नहीं करते। मेरे लिए उनसे इतनी समाजिकता पर्याप्त है। इसके आगे उनमें से प्रत्येक चरित्र एक सही सुनिर्मित विषास्य व्यक्ति चरित्र हो और जीवंत होकर सामने आ सके, यही मेरा उद्देश्य रहा और इतना में कलात्मक उद्देश्य मानता हूँ। जो दूसरे भी उद्देश्य हो सकते हैं, वह अलग बात है।’⁵

फ्रायडीय मनोविज्ञान के मतानुसार मानव-आचरण की मूल महत्वपूर्ण प्रेरणाएँ हैं- अहंता, भय और सेक्स। इन्हीं तीन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर, मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में उतरता है। उपर्युक्त तीन महती प्रेरणायें उसके कर्म, चिन्तन और भाव क्षेत्र पर शासन करती हुई समस्त चेष्टाओं को जन्म देती हैं। व्यक्तिवाद का अर्थ है- व्यक्ति के स्वाधीन, अबाध एवं निरपेक्ष अस्तित्व की स्वीकृति, उसके अहं की प्रतिष्ठा तथा समाज की तुलना में व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना। व्यक्तिवादी चिन्तन में व्यक्ति को समाज का अनुचर नहीं माना गया, वरन् व्यक्ति पर लादे गए विधि निषेध अनुचित समझे गए हैं। ‘नदी के द्वीप’ उपन्यास में स्वाधीनता के मूल्यों के अंतर्गत पीड़ा या दुःख के स्वतः वरण की भावना स्पष्ट रूप से सामने आई है। दुःख सबको है इस सूत्र की पुष्टि उपन्यास का उद्देश्य है। ‘नदी के द्वीप’- यह एक प्रतीकात्मक शीर्षक-प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में- एक द्वीप है- प्रवाह में स्थित किन्तु उससे सर्वथा पृथक् अस्तित्व रखता हुआ। ‘नदी के द्वीप’ उपन्यास के लेखक अज्ञेय ने अपनी इस कृति के आरंभ में यह कविता

प्रस्तुत भी है:-

दुःख सबको मांजता है
और.....
चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने किंतु
जिनको मांजता है
उन्हे यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें।⁶

'नदी के द्वीप' उपन्यास के तीनों प्रमुख पात्र रेखा, भुवन और गौरा पीड़ा या दुःख के स्वतः वरण की भावना को प्रमुखता से स्वीकारते हैं। तथा उनकी व्यक्तित्व को निखारने में दुःख सहायक जान पड़ता है। उपन्यासकार का प्रमुख उद्देश्य मानव के स्वतंत्र व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करना ही है। 'नदी के द्वीप' भी प्रमुख पात्रा रेखा स्पष्ट रूप से कहती है 'मैं तो समझती हूँ, हम अधिक से अधिक इस प्रवाह में छोटे-छोटे द्वीप हैं, उस प्रवाह से घिरे हुए भी, उससे कटे हुए भी, भूमि से बंधे और स्थिर भी, पर प्रवाह में सर्वदा असहाय भी न जाने कब प्रवाह की एक स्वैरिणी लहर आकर मिटा दे, बहा ले जाए, फिर चाहे द्वीप का फूल पते का आच्छादन कितना ही सुंदर क्यों न रहा हो।'⁷ वहीं भुवन का चिंतन भी स्पष्ट रूप से उपन्यास में सामने आता है 'काल का प्रवाह नहीं, क्षण और क्षण और क्षण क्षण सनातन है..... छोटे-छोटे ओएसिस..... सम्पूक्त क्षण..... नदी के द्वीप..... जो काल परंपरा नहीं मानता यह वास्तव में कार्य कारण-परंपरा नहीं मानता, तभी वह परिणामों के प्रति इतनी उपेक्षा रख सकता है- एक तरह से अनुत्तरदायी है..... पर इससे क्या? उत्तर मांगने वाला कोई दूसरा है ही कौन? मैं ही तो मुझसे उत्तर मांग सकता हूँ, और अगर मैं अपने सामने अनुत्तरदायी हूँ, तो उसका फल मैं भोगुंगा- यानी अपने अनुत्तरदायी का उत्तरदायी मैं हूँ.....'⁸

इसी प्रकार रेखा को लिखे एक पत्र में गौरा लिखती है '..... रेखा दीदी, मेरे पास दर्शन अभी कुछ नहीं है, एक आस्था है और कुछ श्रद्धा, और सीखने की, सहने की, और यत्किंचित् दे सकने की लगन है, इनके और आपके स्नेह के सहारे मुझे लगता है कि मैं चारों ओर बहते अज्ञान प्रवाह में खड़ी रह सकूंगी एक नगण्य व्यक्ति पूंज, अस्तित्व का एक छोटा सा द्वीप, लेकिन जो फूलना चाहता है, फूल झराकर नदी के बहते जल को सुवासित कर देना चाहता है- फिर नदी चाहे जो करे, उन फूलों की गंध ही पहुंच जाए दूर, दूर, दूर'⁹ इसी प्रकार उपन्यास में गौरा के विवाह का प्रश्न उठने पर भुवन उसे पत्र में स्पष्ट लिखता है- 'गौरा, कोई किसी के जीवन का निर्देशन करें। यह मैं सदा से गलत मानता आया हूँ, तुम जानती हो। दिशा निर्देश भीतर का आलोक ही कर सकता है, वही स्वाधीन नैतिक जीवन है, बाकी नहीं हो जाता: व्यक्तित्व के प्रश्न के आगे व्यक्ति का जो प्रश्न है, वह बना रहता है। उसके विषय में यह कह सकता हूँ कि व्यक्ति का स्वतंत्र विकास जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसे इकाई से बाहर प्रसृत करने का प्रश्न नहीं उठता, वह प्रश्न तभी उठना चाहिए जब उसके बिना और विकास के मार्ग न हो।'¹⁰ इस प्रकार भुवन गौरा को स्पष्ट सलाह न देकर उससे यही कहता है कि 'वह अपनी रूचि-विरूचि के अनुसार स्वतंत्र निर्णय करें।'¹¹ इसी प्रकार स्वाधीनता के मूल्यों के अंतर्गत अज्ञेय उपन्यास के तीनों प्रमुख पात्रों के माध्यम से मनसा, वाचा, कर्मणा अपने जीवन दर्शन को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करते हैं:- 'नदी के द्वीप' नामक कविता में अज्ञेय स्पष्ट रूप से कहते हैं-

हम नदी के द्वीप हैं।
हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए।

वह हमें आकार देती है।
हमारे कोण, गलियाँ, अंतरीय, उभार, सैकत कूल
सब गोलाइयाँ इसकी गद्दी है।
माँ है वहा है, इसी से हम बने हैं।¹²

इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में अज्ञेय स्वाधीनता के मूल्यों के विविध आयाम को जीवन-दर्शन के रूप में प्रतिस्थापित करने में पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। जो उपन्यास 'नदी के द्वीप' का मूल उत्स है। उपन्यास के प्रमुख पात्र भुवन के माध्यम से अज्ञेय ने संस्कृतिक नैतिक मूल्यों के हास के संबंध में चिंता भी प्रकट की है- 'पुराने जमाने में जब वैज्ञानिक और नीतिज्ञ एक ही था, तब विज्ञान नीति को स्पष्ट करता था, और विज्ञान के विकास का इतिहास पहले एक पुष्ट नैतिकता का ही इतिहास रहा, नैतिकता ने किसी दैवी, अलौकिक प्रतिमान पर आधारित एक अंधविश्वास या तर्कहीन श्रद्धा से हटकर एक बुद्धि संगत, लौकिक मानववादी नैतिकबोध का रूप लिया। यहाँ तक वैज्ञानिक सब नीतिज्ञ नहीं तो नैतिक अवश्य थे और यहाँ तक विज्ञान का रिकार्ड वैज्ञानिकों के लिए गौरव का विषय है। मध्ययुग में बुद्धि की महानिशा में वैज्ञानिक संतो ने ही ज्ञान के टिमटिमाते आलोक को अपनी गूदड़ी के भीतर छिपा कर उसकी रक्षा की..... पर निःसंदेह यह विज्ञान का सूक्ष्मकाल तो है ही: और उसके साथ नैतिकता का भी क्राइसिस है, संस्कृति का भी; क्योंकि विज्ञान का क्राइसिस वैज्ञानिक नैतिकता और केवल सुविधाओं और सहूलियतों का संचय है, और वह संचय भी एक को वंचित करके दूसरे के हक में, और इस अम्बार के नीचे मानव की आत्मा कुचली जाती है, उसकी नैतिकता भी कुचली जाती है, वह एक सुविधा भोगी पशु हो जाता है..... सुविधा पर आश्रित जो वाद आजकल चलते हैं वे भी वैज्ञानिक इसी अर्थ में हैं कि वे नीति निरपेक्ष हैं, मानव का नहीं, मानव पशु का संगठन ही उनका इष्ट है। हमें संस्कृति के उन मानों के लिए संघर्ष करना है, जिनको स्वयं हमारी इस संस्कृति ने ही नष्ट कर दिया या जोखिम में डाल दिया। हमें केवल युद्ध नहीं जीतना है, हमें शांति भी नहीं जीतनी है हमें मानव की स्वाधीनता और प्रतिष्ठा जीतनी है।'¹³ भुवन 'नदी के द्वीप' का प्रमुखनायक है उसका पूरा नाम डॉ. भुवन मोहन है वह नायक के सभी गुणों जिसमें, तटस्थता, व्यक्तिवादी और एकाकी के साथ-साथ विज्ञानवेत्ता, साहित्य कला मर्मज्ञ, संवेदनशील प्रेमी और व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व की भावना से परिपूर्ण, स्वपीडक, स्वाधीनता के प्रति झुकाव वाला नायक है जिसके चरित्र में स्वाधीनता के मूल्यों के विविध आयाम स्पष्ट रूप से उभरकर 'नदी के द्वीप' उपन्यास में आते हैं। रेखा के चरित्र में उसकी सफलता, उद्धत स्वाभिमानी, क्षणवाद को कट्टरता से मानने वाली, कसूर की प्रतिमूर्ति के रूप में अज्ञेय ने चित्रित किया है। गौरा के चरित्र में स्वाधीनता के मूल्यों के विविध आयाम स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे समर्पितनारी, प्रेमिका, सद्गुणी, सीधी सरल और सहज तथा आत्मसंयमी नारी। इस अर्थ में फिर एक बार सर्जक साहित्यकार और क्रान्तिकर्मा सामाजिक कर्मों साथ जुड़ जाते हैं। दोनों ही मानव की रचना-धर्मिता की रक्षा और उसकी स्वाधीनता की रक्षा और विस्तार के लिये समान रूप से प्रयत्नशील हैं।¹⁴

'हट जाओ' नामक कविता में अज्ञेय अपने स्वाधीन विवेक का उपयोग कर रहे हैं वह कहना चाहते हैं कि कोई भी रचनाकार को दिशा निर्देश नहीं देता और यदि देना भी चाहता है तो सर्वप्रथम वह अपना हित साधेगा साहित्यकार या रचनाकार के वास्तविक लक्ष्य से उसका कुछ भी लेना-देना नहीं है वह तो अपना शासन, अपनी सत्ता को जमाने में दिशा

निर्देश या रूचि रखता है।
‘तुम/चलने से पहले/जान लेना चाहते हो कि हम
जाना कहाँ चाहते हैं।
और तुम/चलने देने से पहले/पूछ रहे हो कि क्या हमें/तुम्हारा
और तुम्हारा मात्र/नेतृत्व स्वीकार है?
और तुम/हमारे चलने का मार्ग बताने का
आपवासन देते हुए/हम से प्रतिज्ञा चाहते हो/कि हम रास्ते भर
तुम्हारे दुश्मनों को मारते चलेंगे।
तुमसे से किसी को हमारे कहीं पहुंचने में
या हमारे चलने में या हमारी टांगें होने
या हमारे जीने में भी/कोई दिलचस्पी नहीं है :
उसमें/तुम्हारा कोई न्यास नहीं है।’
तुम्हारी गरज/महज/इतनी है कि जब हम चलें तो
तुम्हारे झण्डे लेकर/और कहीं पहुँचे तो वहाँ
पहले से (और हमारे अनुमोदन के दावे के साथ)
तुम्हारा आसन जमा हुआ हो।
तुम्हारी गरज/हमारी गरज नहीं है/तुम्हारे झण्डे/हमारे झण्डे नहीं हैं।
तुम्हारी ताकत हमारी ताकत नहीं है बल्कि
हमें निर्वीर्य करने में लगी है।
हमें अपनी राह चलना है।
अपनी मंजिल/पहुँचना है।
हमें/चलते-चलते वह मंजिल बनानी है
और तुम सबसे उसकी रक्षा की
व्यवस्था भी हमें चलते-चलते करनी है।

हम न पिट्टू हैं न पक्षधर हैं/हम हम हैं और हमें
सफ़ाई चाहिए, साफ़ हवा चाहिए
और आत्म सम्मान चाहिए जिसकी लीक
हम डाल रहे हैं।
हमारी ज़मीन से हट जाओ।¹⁵

स्वाधीनता के संदर्भ में अज्ञेय सदैव जागरूक और सतर्क रहे वह हमेशा
स्वाधीनता के प्रति दृढ़ रहे उनका समग्र व्यक्तित्व एवं कृतित्व स्वाधीनता,
स्वतंत्रता के इर्द गिर्द रहा इसलिए वह हमेशा तर्क देते हैं कि ‘मेरी स्वाधीनता
सबकी स्वाधीनता’ अर्थात् ‘मेरी स्वतंत्रता सबकी स्वतंत्रता।’

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. -अज्ञेय रचनावली- कृष्णदत्त पालीवाल पृ. 05
2. -अज्ञेय रचनावली- कृष्णदत्त पालीवाल पृ. 09
3. डॉ. भगवतशरण उपाध्याय (‘नदी के द्वीप’ के संदर्भ में)
4. अज्ञेय- आत्मनेपद- पृ. 86
5. अज्ञेय
6. अज्ञेय ‘नदी के द्वीप’
7. अज्ञेय ‘नदी के द्वीप’
8. -अज्ञेय ‘नदी के द्वीप’
9. अज्ञेय ‘नदी के द्वीप’
10. अज्ञेय ‘नदी के द्वीप’
11. -अज्ञेय सदानीरा भाग 1 पृ. 252-253
12. -अज्ञेय ‘नदी के द्वीप’
13. -अज्ञेय शाश्वती पृ. 85
14. ‘हट जाओ’ महावृक्ष के नीचे- पृ. 37-39

समाचार पत्र और हिन्दी पत्रकारिता

डॉ. बिन्दु परस्ते *

प्रस्तावना - जब हम हिन्दी पत्रकारिता के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ पर विचार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि पहले हमें आत्म- निरीक्षण करना चाहिए और फिर अपने को उद्देश्यपरक बनाने के लिये संकलित प्रयास करने चाहिए। हिन्दी समाचार पत्रों के समक्ष आज जो चुनौतियाँ हैं, वे कुछ तो बाहर से हैं और कुछ तो अंदर से। 21 वीं सदी की मुख्य चुनौतियों को रेखांकित करना और उन पर विचार करना जरूरी है। संचार माध्यमों के बीच प्रतिद्वंद्विता अब देश की सीमाओं से बाहर बढ़ती जा रही है और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। भारत सरकार की प्रिंट मीडिया ने 26 प्रतिशत की घाटा घौषणा की, लेकिन जिस खुली नीति के तहत हम विदेशी पूंजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं, समाचार पत्र उद्योग को कितने के दिन और किन- किन हाथों में कैद होगी, वह उन्हीं के स्वार्थों की रक्षा करेगी? इसका प्रयोग मात्र लाभ के लिए होने लगेगा तो समाचार पत्रों की सार्वजनिक उपयोगिता जैसे मानदंडों की रक्षा कैसे हो पाएगी।

भारत के दूसरे उद्योगों में विद्यमान सारी दुष्प्रवृत्तियाँ इस क्षेत्र में प्रवेश कर गयी हैं। इसकी पूंजी संयमित लाभ के मिशन पर आधारित होनी चाहिए। यह सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में विद्यमान रहें और कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह कर सके। इसके लिए सिर्फ इस उद्योग से जुड़े लोगों का ही नहीं, समाज एवं सरकार को भी सोचना होगा और इसकी विशिष्टता बनाए रखने के लिए इसे अन्य उद्योगों से अलग मानना होगा। जहाँ तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न है, यह बड़ा व्यापक विषय है। लिखने, पढ़ने, बोलने, संकेत करने, नाटक, नौटंकी सभी प्रदर्शन करने जैसी भी स्वतंत्रताएँ भी इसी के अंतर्गत आती हैं। समाचार पत्र निकालने के लिए कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।

हम जिस युग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें पूंजी निर्णायक तत्व है। दैनिक अखबारों को ही ले तो बहुरंगी बहुपृष्ठीय प्रतियोगिता मूल्य पर समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। जब स्वामी करोड़ों का घाटा उठाने के लिए तैयार हो। आज 34 पृष्ठों के अखबार 3 रु. में मिलते हैं जबकि उसमें लगे कागज का मूल्य ही 10 रूपये होता है। यह तभी संभव है जब इसकी प्रतिपूर्ति विज्ञापनों से हो।

सूचना के माध्यम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। समाचार पत्र और प्रत्येक नागरिक की इनसे अपेक्षा है कि ये सही सूचनाएँ दें। संचार माध्यमों या समाचार पत्रों की चतुर्थ सत्ता के सार्थकता के दायित्व निर्वाह पर अंगुलियाँ उठाने लगी हैं। निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए सूचनाओं को विकृत करके, उन्हें आधे रूप में प्रस्तुत करके, उसमें तिल का पहाड़ बनाने की कला का प्रदर्शन करके, अप्रमाणित को प्रमाणित रूप देकर जनसंचार माध्यम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जिस प्रकार अभिव्यक्ति की आजादी का

हमारे देश में धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है, उसी प्रकार सूचना के क्षेत्र में भी दायित्वहीन आजादी देश के लिए अनर्थकारी सिद्ध हो रही है।

सुबह के अखबार देखिए, चोरी, डकैती, हत्याएँ, दंगे- फसाद, दुर्घटनाएँ, चरित्र- हनन, अधनंगे, वीथत्स और मन को खिन्न कर देने वाले चित्रों एवं दृश्यों से भरे होते हैं। खबरों पर राजनीति हावी लगती है। आजकल सामाजिक गतिविधियों के एक ही पहलू को विशेष रूप से उजागर किया जा रहा है। क्या समाज में केवल अपराधिक घटनाएँ ही घटती हैं? ऐसा नहीं है। शायद हमारी दृष्टि और रूचि भ्रष्ट हो गई है, जिस कारण ऐसी दुष्प्रवृत्तियाँ हमारे बीच घर कर गई हैं। आज भी भले लोगों और उनके अच्छे कार्यों की संख्या बुरे लोगों और बुरे कार्यों से अधिक है। फिर अच्छे कार्यों और अच्छी संस्थाओं के सुकृत्यों की चर्चा नगण्य सी क्यों होती है? उनकी और हमारी दृष्टि क्यों नहीं जाती?

पत्रकार भावनाप्रवण चिंतक, विश्लेषक और बौद्धिक प्राणी होता है जो लोकमत में डूबकर उनके विचारों का अध्ययन व मंथन करता है और फिर जनभावनाओं को वाणी और समाज को दिशा देता है किन्तु जब से पत्रकारिता मिशन से प्रोफेशन और कमीशन बन गई है, तब से आदर्शोन्मुख यथार्थ की पत्रकारिता उपेक्षित हो गई लगती है।

कहना अनुचित न होगा कि आज देश में विरला ही समाचार पत्र होगा जो कहीं-न- कहीं प्रतिबद्ध न हो और किसी-न-किसी रूप में किसी-न-किसी का भयदोहन न करता हो। उदि इसी देश का कोई छोटा समाचार पत्र किसी के विरुद्ध निरंतर छापता है तो उसे हम पीत- पत्रकारिता की संज्ञा से संबोधित करते हैं।

अनेक स्तरों पर सरकारें और राजनीतिक लोग भी पत्रकारों को भ्रष्ट कर रहे हैं।

पहले पत्र संपादक के नाम से जाना जाता था अब मालिक या पूंजीपति घराने के नाम से जाना जाता है, जहाँ का पत्र स्वामी व्यापारिक गणित से हटाकर कुछ नहीं सोच पाता।

समाचार 'दागा' और 'छिप जाओ' की गुरिल्ला पत्रकारिता ने भी प्रिंट मीडिया के प्रति आस्था डिगायी है। खण्डन तक नहीं छापे जा रहे हैं। विश्वशांति, किसी देश की आजादी, सार्वभौमिकता, राष्ट्र-संघ बेईमान हो गए और अखबारी जगत देखता रहा।

हमारे यहाँ संचार के जो चार प्रमुख साधन समाचार पत्र, सिनेमा, दूरदर्शन और रेडियो हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करना ढोंग के सिवा क्या है।

विदेशी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भारत में प्रवेश से भारत की आवष्यकताएँ, परम्पराएँ, विचार शैली, संस्कृति सभ्यता, भाषा और जीवन

शैली किस प्रकार कुप्रभावित हो रही है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय शरबत या शीतल पेय का विज्ञापन धीरे-धीरे क्षितिज से ओझाल हो रहा है और पेप्सी एवं कोला यहाँ प्रचार के प्रमुख बिन्दु बन गए हैं। भोगवादी और उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण भौतिक समृद्धि प्रधान हैं? दो जून की रोटी के लिए, मोहताज लोगों के लिए आखिर हमारे टी.वी. चैनल क्या परोस रहे हैं।

पाठकों की आवश्यकताओं और जिज्ञासाओं के बिन्दुओं का पता लगाकर समाचार पत्र की विषय सामग्री जुटाने की प्रक्रिया पिछले कुछ दशकों से चल रही है। नई संचार क्रांति ने सूचना फैलाने की गति को बहुत तेज कर दिया है।

महात्मा गाँधी ने 'माय पिक्चर ऑफ इंडिया' में कहा था- 'समाचार पत्रों के शब्दों ने लोगों के बीच गीता, बाइबिल और कुरान का स्थान ले लिया है। इनके लिखे हुए अक्षर ब्रह्मवाक्य के समान हैं।

हमारे देश की पत्रकारिता की एक चुनौती गांवों की है। भारत गांवों का देश है। वहाँ के अखबारों में गांवों की तसवीर खोजनी पड़ती है। दुर्दांत अपराधियों, हत्या के जुर्म में सजा काटने वालों, तस्करों, माफियाओं आदि के सचित्र साक्षात्कार तो समाचार पत्रों में प्रायः देखने को मिलते हैं किन्तु संता माची, रामू मिस्त्री, चबू कुम्हार जिन्होंने अपने खेत्र में अपने पुरुषार्थी जीवन का कीर्तिमान स्थापित किया है, उनकी ओर हमारी निगाहें कम जाती है।

आजादी मिले आधी शताब्दी होने को है किन्तु आज भी शहरी समाचार पत्रों में गांवों की गरीबी, समस्याएँ, विकास और उनका जीवन स्पंदन कम दिखाई पड़ता है। शहर से गांव के लिये 'अक्षर भारत' रूप में एक प्रयोग हो रहा है।

न्यूजप्रिंट की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। इसका सामना वे अखबार बखूबी कर रहे हैं, जिनके धनाड्य मालिकों के पास पैसा पर्याप्त है किन्तु हिन्दी एवं अन्य भाषा पत्रों के लिए यह एक बड़ा संकट बना हुआ है। एक ओर अखबारी कागजों की बढ़ती कीमतें दूसरी ओर बड़े अखबारों के अधिक पृष्ठ कम दामों में। बहुत से छोटे अखबार बंद हो रहे हैं। इस समस्या का निदान अपने देश में अधिकाधिक कागज मिलें स्थापित करने में ही है। हिन्दी भाषा वर्तनी और व्याकरण की एकरूपता और शुद्धता का सवाल भी ध्यान देना आवश्यक है। आज रंगीन टी.वी. के साथ बहुरंगी समाचार पत्रों के प्रकाशन की होड़ दिखाई पड़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के नवोन्मेष ने साधनों को तीव्रतम गति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक टेलिप्रिंटर, फोटो कम्पोजिंग कम्प्यूटर, पेजर, मॉडेम, फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट, डी.टी.पी. आदि ने समाचार को ध्वनि और प्रकाश जैसी गति डी है तो ऑफसंत रोटर की बहुरंगी छपाई ने प्रिंट मीडिया से पाठकों की दूरी काफी कम कर दी है। गाँव- गाँव में अखबार पहुँचने लगे हैं। आर्थिक हीनावस्था के कारण गाँवों में क्रयशक्ति कम जरूर है किन्तु यहाँ एक ही अखबार 30-40 व्यक्ति तो पढ़ते ही हैं। इतने बड़े देश में कोई-न-कोई ऐसी घटना अवश्य होती है जिसमें ग्रामीण पाठकों की रूचि होती है।

शिक्षा का प्रसार होने से भी अखबार पढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है। फिर भी चुनौतियाँ हैं और रहेंगी। जरूरत है चुनौतियों से सहजभाव से निपटने की।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पत्रकारिता का बदलता स्वरूप- डॉ. महासिंह पूनिया ।
2. हिन्दी पत्रकारिता का बदलता स्वरूप- श्रवण कुमार ।

मृदुला गर्ग के उपन्यासों में स्त्री विमर्श

गजेन्द्र कुंवर राणावत *

प्रस्तावना – महिला लेखन के प्रारंभिक दशकों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति, सशक्तिकरण, नारीवादी चिंतन, समस्याओं, संघर्षों एवं महिलाओं की उपलब्धियों पर लिखे महिलाओं के साहित्य को उपेक्षा के दौर से ही गुजरना पड़ा। प्रारंभिक दशकों में महिला साहित्यकारों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था बल्कि उन्हें सीमित दायरे में रची रचना माना जाता था, परंतु आठवें-नवें दशक में विभिन्न महिला साहित्यकारों की रचनाओं व उनके यथार्थवादी चित्रण ने समाज की इस संकीर्ण मानसिकता को तोड़ दिया। इन महिला लेखिकाओं ने अपने वास्तविक, यथार्थवादी एवं विषय वैविध्यपूर्ण लेखन से नवीन वैचारिक क्रांति का आगाज किया। महिला लेखिकाओं के बोल्ड व आधुनिक विषयों ने स्त्री विमर्श को भी नए आयाम प्रदान किए। आठवें-नवें दशक की श्रेष्ठ महिला उपन्यासकारों में मृदुला गर्ग का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। वे प्रमुख व्यक्तिवादी व नारीवादी लेखिका हैं। उनके उपन्यास विषय वैविध्यता एवं समसामयिक रूप से पूर्णतया प्रासंगिक हैं। मृदुला गर्ग ने अपने उपन्यासों में विभिन्न स्त्री पात्रों का यथार्थ चित्रण कर स्त्री-विमर्श को नवीन आयाम प्रदान किए। स्त्री-विमर्श मृदुला गर्ग के सभी उपन्यासों के केंद्र में रहा। 'स्त्री-विमर्श' हाशिए पर छोड़ दी गई महिलाओं को फिर से केंद्र में लाने, उनकी अस्मिता व अस्तित्व का आंदोलन है। स्त्री विमर्श चिंतन नारी को एक जीवंत मानवीय इकाई के रूप में संदर्भित करने का माध्यम है।

'स्त्री सशक्तिकरण के जो भी प्रश्न समाज में प्रकट हो रहे हैं, साहित्य उनसे निरपेक्ष नहीं रह सकता। हर काल में स्त्रियों के बलीकरण के प्रश्न बदलते रहे हैं। आज स्त्रियां लिंगभेद, महिलाओं पर हिंसा को रोकना, निजी कानून में संशोधन, महिला स्वास्थ्य तथा आर्थिक दशा आदि मुद्दों से जूझ रही हैं। स्त्रियों को समाज की अग्रगामी धारा में जोड़ने में महिला आंदोलन ने प्रमुख भूमिका निभायी है। आज साहित्य में भी महिला आंदोलन द्वारा उठाए गए मुद्दे प्रमुखता से उभर रहे हैं।' भारतीय समाज में स्त्रियां पितृसत्तात्मक वातावरण में सामाजिक दायरों के आदर्शों, संस्कारों व मूल्यों में बंधी तथा सामाजिक संरचना में पूर्णतया बुनी हुई हैं। पुरुषवादी मानसिकता व पुरुषवादी समाज में महिलाओं को शोषण व अत्याचार सहन करने को मजबूर किया जाता है। पुरुषवादी दंभ व वर्चस्व ने समाज में सदैव ही स्त्रियों के वास्तविक अस्तित्व, उसकी स्वतंत्रता, आकांक्षाएं, स्वप्नों आदि का दमन किया है। नारीवादी विमर्श इन्हीं समस्याओं के प्रतिक्रिया स्वरूप नारी की वास्तविक अस्तित्व के संघर्ष की लड़ाई को नवीन आयाम प्रदान करता है। मृदुला गर्ग ने अपने उपन्यासों में इन्हीं तथ्यों को स्थान प्रदान किया है। लेखिका ने नारी को नारी ही रहने दिया, उसे अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए पुरुष होने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने नारी के हर स्वरूप को अपने

उपन्यासों में स्थान प्रदान किया एवं उनके माध्यम से नारी की समस्याओं व चुनौतियों, नारी जीवन की विडंबनाओं, कुप्रथाओं, पुरानी रूढ़ियों, रीति-रिवाजों व परंपराओं का नारी पर प्रभाव, नारी की आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता आदि पर भी प्रकाश डाला है। मृदुला गर्ग ने विभिन्न विषयों पर अलग-अलग उपन्यास लिखे। लेकिन अपने सभी उपन्यासों उसके हिस्से की धूप, 'कठगुलाब', मैं और मैं, मिलजुल मन, अनित्य, चित्तकोबरा आदी लेखिका ने नारी पात्रों को ही केंद्र में रखा। यौन संबंधों, विवाहेतर संबंधों, स्त्री के सेक्स इच्छाओं आदि बोल्ड व आधुनिक विषयों को उपन्यासों में स्थान प्रदान कर मृदुला गर्ग सदैव सुर्खियों में रही एवं समाज के विरोध का कारण भी बनी।

उनका पहला उपन्यास उसके हिस्से की धूप ही लीक से हटकर विवाहेतर सम्बन्धों पर आधारित है जो उस समय भी सामाजिक अपराध माना जाता था और आज भी। इस उपन्यास में लेखिका ने स्त्री की दमित इच्छाओं व स्वतंत्रताओं का समर्थन कर कहा है, 'जो स्वतंत्रता पुरुषों को चाहिए, वहीं सभी स्त्रियों व मानव मात्र को भी चाहिए।' उपन्यास की नायिका मनीषा अपने पति जितेन व प्रेमी मधुकर के बीच शटल कॉक की तरह झुलती नजर आती है। लेखिका ने स्त्री मन के भटकाव व भूल-भुलैया को मनीषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उपन्यास की नायिका पुरुष या पति का सहयोग तो चाहती है परंतु हर एक कार्य उसके साथ करे या उसके छाया तले हो, वह यह नहीं चाहती। मनीषा कहती है 'यह वैवाहिक जीवन भी अजीब चीज है, जो करो एक साथ करो, साथ बैठो, साथ बोलो, चाहे बोलने को कुछ हो, चाहे नहीं।' इस प्रकार लेखिका ने स्त्री मन व उसके जीवन के खालीपन को भरने के लिए पुरुष की आवश्यकता को नकार कर नारी जाति के लिए नया संदेश दिया है।

अपने सर्वाधिक विवादास्पद उपन्यास चित्तकोबरा में लेखिका ने स्त्री-पुरुष संबंधों का खुला चित्रण कर एवं स्त्री की सेक्स संबंधी इच्छाओं व आवश्यकताओं को प्रकट कर समाज के मुखर विरोध का सामना भी किया परंतु फिर भी उन्होंने अपने वास्तविक व यथार्थवादी चिंतन व लेखन को नहीं छोड़ा। इस उपन्यास केंद्र में 'मनु' है, जो अपने पति महेश के होने के बावजूद रिचर्ड के साथ संबंध स्थापित करती है। वह रिचर्ड के साथ मात्र शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। लेखिका ने मनु के माध्यम से स्त्री के तन व मन को प्रथक्तावादी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। चित्तकोबरा उपन्यास में दांपत्य जीवन में उपजे असंतोष, ऊब, एकरसता को दांपत्य जीवन के बिखराव व विवाहेतर संबंधों का कारण बताया गया है। 'मृदुला गर्ग के चित्तकोबरा एवं मैं और मैं उपन्यास में एक औरत और एक लेखिका के दोनों पहलुओं की कशमकश का बड़ी बारीकी से चित्रण किया गया है

और इन सबसे बढ़कर मृदुला गर्ग का कठगुलाब जिसमें स्त्रियों के इतने विभिन्न रूप और शेड्स हैं कि स्त्री विमर्श की कई अवधारणाओं की पोथी बाँची जा सकती है। पुरुष प्रधान समाज नारी को कभी अन्नपूर्णा देवी, कभी द्रौपदी, कभी लक्ष्मी कहते हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करता आया है। 'नैतिकता के समुचे प्रतिमान पितृक है, स्त्री के विरोध में है, सारे नैतिक नियमों का एकमात्र लक्ष्य स्त्री समाज को नियंत्रित और निर्धारित करना है।'

कठगुलाब उपन्यास पुरुष प्रधान समाज में जी रही स्त्री के शोषण तथा मुक्ति की व्यथा-कथा है। लेखिका ने स्त्रियों के सामाजिक व आर्थिक परिवेश की नई-नई कहानियां अपने इस उपन्यास में सुनायी हैं। स्मिता, मरियान, नर्मदा, असीमा, नीरजा आदि कठगुलाब उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं। ये स्त्रियाँ स्वयं समाज की व्यवस्थाओं और बंधनों से मुक्त होकर पाठकों को प्रेरित करती हैं। 'इस कृति में मृदुला गर्ग ने रेखांकित किया है कि स्त्रियां गुलाब नहीं हैं, जो उग जाने पर अपने आप खिल भी जाती हैं, वे कठगुलाब की भांति हैं जिन्हें थोड़ी सी देखभाल के साथ खिलाना पड़ता है। कठगुलाब नारी की जिजीविषा का प्रतीक है। 'कठगुलाब को भारतीय समाज में दमित व पीड़ा से छटपटाती स्त्रियों का जीवंत दस्तावेज कहा सकता है। इस उपन्यास में लेखिका ने स्त्रियों के स्वावलंबी व आत्मनिर्भर होने का समर्थन किया है।

लेखिका ने इस उपन्यास में स्त्रियों पर अत्याचार व उनकी आत्मा को झकझोरने वाले अपराध बलात्कार का भी खुला चित्रण किया है। उपन्यास की पात्र स्मिता बलात्कार का शिकार होती है परंतु वह स्वयं को अपवित्र नहीं मानती तथा कहती है कि 'सूरजमुखी अंधेर के' व 'इंसाफ का तराजू' की नायिका की भांति मैं खुद को दूषित पानी क्यों नहीं मानती? खुदकुशी करने का मेरा जमीर मुझे क्यों नहीं उकसाता? मेरा मन मुझे धिक्कारता था तो सिर्फ इसलिए कि मैंने प्रतिशोध नहीं लिया। भगोड़े की तरह पलायन क्यों किया? पर क्या एक बेहतर जिंदगी जीने का खयाल देखना बुजदिली है।'

मैं और मैं उपन्यास में लेखिका महिला के लेखन और वास्तविक जीवन के संबंधों को यथार्थवादी स्वरूप में प्रस्तुत करती हैं। मैं और मैं उपन्यास में भी लेखिका ने विवाहेतर संबंधों को प्रस्तुत किया है। लेखिका के अनुसार 'नारी अपने परंपराओं से जुड़ी भी रहना चाहती है, किंतु उसके साथ-साथ वह अपने लिए एक मार्ग और खोजना चाहती है। वह यह जानती है कि विवाह अपने लिए महत्वपूर्ण है, परंतु विवाह संबंध निर्वाह करने के लिए वे स्वयं के अस्तित्व का स्वाहा नहीं कर सकती।' उपन्यास में लेखिका ने स्त्री के अंतर्मन की खोज की एवं उसकी स्वतंत्रता का समर्थन किया है। परंतु लेखिका की यह उक्ति सभी स्त्रियों पर समान रूप से लागू नहीं मानी जा सकती। अनित्य उपन्यास की स्त्री पात्र प्रभा, शुभा तथा श्यामा स्वतंत्र विचारधाराओं वाली आधुनिक जीवन जीने वाली महिलाएं हैं जो पूर्णतया आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी हैं। उनकी इच्छाओं व निर्णयों पर पुरुषों का नियंत्रण नहीं है। मृदुला गर्ग ने इन नारी पात्रों के माध्यम से स्वतंत्र जीवन

जीने में पुरुषों का हाथ थामकर चलने की आवश्यकता को नकार दिया है।

'मृदुला गर्ग नये युग की लेखिका हैं, उन्होंने अपने साहित्य लेखन से समाज को एक नयी दिशा दी। उनका लेखन प्रमुख रूप से समाज के रीति-रिवाजों में घिरी स्त्रियों की समस्याओं पर आधारित है। उन्होंने महसूस किया कि हमारे समाज में स्त्रियां भिन्न-भिन्न प्रकार की पीड़ाओं व संघर्षों से जूझ रही हैं। मृदुला गर्ग का लेखन साहित्य ऐसी ही स्त्रियों की दास्तां बयां करता है। मृदुला जी आज जिस मुकाम पर हैं उसे पाने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा।'

निष्कर्ष - मृदुला गर्ग के उपन्यास वर्तमान समय में स्त्री की ज्वलंत समस्याओं के सामाजिक सरोकार व स्त्री विमर्श को प्रस्तुत करते हैं। मृदुला गर्ग अपनी प्रत्येक स्त्री चाहे वह अनपढ़ हो, नौकरी करने वाली हो या धरेलू महिला हो सभी को आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाना चाहती हैं। उन्होंने अपने लगभग सभी उपन्यासों में स्त्री को अधिक महत्व प्रदान कर स्त्रीवादी चिंतन को प्राथमिकता दी है। लेखिका ने अपने उपन्यासों के माध्यम से रूढ़ि व परम्पराओं में जकड़ी नारी के अन्तर्मन की गाठों को सुलझाने का सफल प्रयास किया है। मृदुला गर्ग ने अपने उपन्यासों में स्त्रियों के ज्वलंत प्रश्नों व समस्याओं का चित्रण किया है साथ ही स्त्री-पुरुष संबंधों व सेक्स का खुला चित्रण कर इस विषय पर नारी मनोभावों को भी प्रस्तुत किया है। मृदुला गर्ग स्त्री को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व मानती हैं, इसलिए उनके उपन्यासों के विषय स्त्रियों के दमन व शोषण, स्वतंत्रता की छटपटाहट, जीवन मूल्यों का विघटन, विवाहेतर संबंध, सेक्स, नारी जीवन की समस्याएं व विडम्बनाएं, नारी की उपलब्धियां आदि रहे हैं।

इस प्रकार मृदुला गर्ग ने अपने प्रमुख नारी केन्द्रित उपन्यासों में स्त्री-विमर्श के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया है। उनके उपन्यास नारी जीवन की पीड़ा, टीस, नारी अंतर्मन की खोज, समाज का नारी के प्रति दृष्टिकोण, नारी की स्वतंत्रता व आत्मनिर्भरता के परिचायक होने के साथ ही स्त्री-विमर्श को नये आयाम प्रस्तुत करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कृष्ण तंवर - स्त्री-विमर्श: वैचारिक सरोकार और मृदुला गर्ग, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली
2. क्षमा शर्मा - स्त्रीत्ववादी विमर्श-समाज और साहित्य, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, 2012
3. मृदुला गर्ग - उसके हिस्से की धूप, 1975
4. मृदुला गर्ग - कठगुलाब, ज्ञानपीठ प्रकाशन, दिल्ली, 1996
5. सुधा अरोड़ा - महिला रचनाकारों के नारी पात्र
6. सीमा - मृदुला गर्ग के उपन्यास चितकोबरा व कठगुलाब में नारी विमर्श भूमिका, जनरल ऑफ एडवांस एंड स्कोलरली रिसर्च इन एलाइड एजुकेशन,

जगदीश चन्द्र माथुर व्यक्ति और नाटककार

कैलाश कचेर *

प्रस्तावना - माथुर जी नाम का सितारा हमारे आसमान में जिस दिन और जहां अवतरित हुआ वह खुर्जा नाम का एक गांव था। जगदीश चंद्र माथुर 16 जुलाई 1917 को खुर्जा के पास एक गांव में जन्मे। 1939 में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एम.ए. किया और 1941 में इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश कर वे बिहार में शिक्षा सचिव रहे फिर 1955 से 1962 तक आकाशवाणी के महानिदेशक थे और समिति में उन्होंने अपनी अच्छी पहचान बनाकर रखी थी और इसके बाद कृषि मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रहने के बाद वे हिन्दी सलाहकार रहे। ये और इन्हीं की तरह उनके सक्रिय जीवन के अन्य तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किन्तु ये उनके आंतरिक व्यक्तित्व की स्थूल उपलब्धियां मात्र हैं। यद्यपि इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि स्थूल उपलब्धियां भी कृति व्यक्तित्व के बाह्य और आंतरिक स्वरूप को प्रभावित करती है। पर यह भी विचारणीय है कि सर्जन व्यक्तित्व की आंतरिक गहराइयों से उभरता और रूप ग्रहण करता है।

माथुर जी की कृतियों में जो व्यक्तित्व के साथ-साथ उनके कृतित्व में भी बहुत कुछ ऐसा है, जो प्रबलता के साथ उनके व्यक्तित्व को कुशलता का परिचय देता है। उन्होंने लोक जीवन की इस आनंद धारा के लोक सम्पर्क से जाना-पहचाना ही नहीं गहराई से उसका मूल्यांकन भी किया है। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यों को करने के लिए उन्होंने ग्रामीणों के लिए उनके मन में एक लालसा हर वक्त रह ही आती थी। किसी प्रकार इनकी समस्याओं को समाज तक पहुंच जाये। इसी कारण नालंदा वैशाली और राजग्रह जैसे छोटे- छोटे गांवों में इन्होंने भगवान बुद्ध और महावीर को साक्षात् दर्शन कराने के लिए बड़े उद्योग किए, वहां शोध पीठ की स्थापना कराई उनके मृतक अतीत वैभव को जीता-जागता खड़ा दिखा दिया। ग्रामीणों की आंखें विस्मय विस्फारिक होकर इस सरकारी अफसर को देखती रही कि इसने कीचड़ में रंग-बिरंगे कमल खिला दिए। इसीलिए वे अपने सामान्य और मध्यम वर्ग के समस्या से जूझ रहे पात्रों को ममता के आंचल की तरह समेटे हुए लगते हैं। और अपने साहित्य में ग्रामीण परिवेश को लिखकर उनको बेहद सुकून मिलता है। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये लगता है कि माथुर जी आदर्शवादी हैं। पर यह कोई बुरी बात तो नहीं मानी जा सकती है। उनके लेखन में कोई गलत तूल दिखाई नहीं देता है और ये भी की हर सपनों का कोई सौदागर आदर्शवादी होता है। उसके यथार्थ की धरती से उगते हैं और ऊर्ध्वमुखी होते हैं। माथुर में ईमानदारी और सत्यता, आदर्श के लिए काफी कुछ हद तक संघर्ष दिखाई देता है। क्योंकि उनकी कृतियों में अद्भुत जिजीविषा और पुरुषार्थ की कामना मिलती है। उन्होंने अपने चरित्र लेखों में कुछ मानवीय गुणों को उभारा है जिसे अध्यवसाय, त्याग, आस्था दृढ़ता, पुरुषार्थ आदि।

उनकी नाट्य कृतियों में भी उनकी दृष्टि प्रत्यक्ष - अप्रत्यक्ष दृष्टि से आदर्श पर टिकी है। कोणार्क, शारदीया, पहलारा जा, की नींव आदर्शों पर पड़ी है और रीढ़ की हड्डी, विजय की बेला, भोर का तारा, वंदी आदि एकांकियों में भी आदर्श की अंतः सलिला मौन भाव से बहती दिखाई देती है फिर भी वह आदर्श के बीच से उभरा है। इसीलिए वह एकांकी नहीं सामंजस्य की देन है और सामंजस्य की खोज एक यात्रा है। यह यात्रा एक दिशा में सबसे लम्बी, सबसे कठिन है, वह जो अपने अनंत की ओर मुड़ती है।

माथुर जी ने अपने लेखन यात्रा के समय सारी चुनौतियों के साथ सामना किया है। उन्होंने जीवन की असलियत को स्वीकार किया है। उन्होंने धरती पर जमें रहकर अपने इतिहास पर नजर डालकर एक नयी मिशाल पेश की है। उनका मानना है कि मैंने दुनिया देखी है। मैं जानता हूँ कि जिंदगी में पीड़ा है, ओछापन है, स्वार्थ है, घोर पार्थिवता है। तितली, तुम्हारी इन क्यारियों के परे एक और भी तो दुनिया है गरीबों की दुनिया पूंजीपतियों के शिगकार मालूमों की दुनिया, भूखे किसानों की दुनिया।

जगदीश चंद्र माथुर नये अफसर होने के बावजूद भी इस दुनिया को देखा, यह सामान्य तथ्य नहीं हैं। दुनिया को देख सकने के इस वस्तु तथ्य ने ही उन्हें वास्तविक चुनौतियों को पहचानने दिया।

इण्डियन सिविल सर्विस उस खराद करने वाली मशीन की तरह थी जिसमें पड़कर अफसर के नुकीले कोड झड़ जाते और उसका खुरदुरा पन घिस-घिसकर ऐसी चिकनी और संतुलित सतह बन जाता था कि जिस पर सत्ता और अधिकार की गाड़ी निर्वाध गति से चल सके।

प्रखर आदर्शवाद के कारण उनके लेखन में कहीं लोगों को बोरियत का एहसास नहीं होता क्योंकि जीवन की दिया में चलती हुई रचनाएँ हैं। यह कोई मामूली बात नहीं मानी जा सकती की माथुर जी ने अपनी छवी को एक अपवाद के रूप में सिद्ध किया हैं। उन्होंने सरकारी नौकरी में भी अपने रचनात्मक संसार अपने भावलोक और अभिव्यक्ति उत्साह को अक्षुण्य बनाए रखा। आज भी वे अपने साहित्य में अपनी तरुणाई को सवारे हुए हैं। अधिकांश साहित्यकारों की सर्जन शक्ति का रस काल भी कहा जाता है, लेकिन माथुर जी के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनका व्यक्तित्व तो निरंतर निखरता तथा हृदय सुवर्ण होता जा रहा था और जीवन के पुरुषार्थ को वे निरंतर ही अपनी कृतियों में ढालते जाते थे। उसके लिए उनको जो चरित्र लेखन की विधा है, उसे देखकर आभास होता है कि किस तरह उन्होंने अपने आपको एक अनोखे व्यक्तित्व में ढाल कर अपनी अपनी जीवन धारा को एक नया प्रवाह दिया है।

उन्होंने जीवन की हर एक गली को नजदीक से देखा और अनुभव किया वही चर्चाएँ सुनी जो हर गली और घरों का हिस्सा बनी हुई थी। उस

माटी का दर्शन किया जो प्रकृति के साथ खुद को मिलाकर चल रही थी। अपनी असमान भावनाओं को माथुर जी ने उस आकाश में झांका जो कि अनंत जिज्ञासाओं से भरा पड़ा था। किन्तु उनके सपनों ने असली उड़ाने गंगा नदी के तट इलाहाबाद के वातावरण से भर चुकी थी। उसका कारण ये भी था कि उनका जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने आम लोगों की दर्दभरी जीवन की विसंगतियों, पीड़ाओं, तथा आकांक्षाओं को अपनी आँखों देखा और उसे महसूस कर अपनी लेखनी धारा में पूर्णतः सकुशलता से अवतरित किया है।

जगदीश चंद्र माथुर का साहित्य बढ़ती हुई उम्र का शिकार नहीं होता है। उनके लेखन और चरित्र दोनों में चांद की चांदनी की तरह उज्ज्वलता प्राप्त थी। माथुर एक संभावनाशील युवक थे, जिन्होंने अपनी सृजन कुशलता से हिन्दी जगत को न सिर्फ नाटक, निबंध एकांकी के बारे में लिखा और पूरा विधान प्रस्तुत किया है।

अंग्रेजों के समय की प्रशासनिक सेवा में शुरु में जगदीश चंद्र माथुर बिहार के वर्तमान वैशाली जिले में पदस्थापित हुए और वहां की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के उन्नयन में उन्होंने अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने ही वहां पर वैशाली संघ की स्थापना की और वैशाली की उस गौरवशाली, सांस्कृतिक परंपरा को पुनर्परिभाषित करने को वे कटिबद्ध हो गए। संघ के लिए एक 'वैशाली स्मारक ग्रंथ, प्रकाशित करने की योजना के अंतर्गत हिन्दी साहित्य के ख्यात आचार्य सहाय को एक पत्र लिखा, 'श्रद्धेय शिव पूजन जी! वैशाली संघ की ओर से आपको एक कष्ट देना है,।

लेकिन माथुर जी 1955 तक बिहार में शिक्षा सचिव रहे, और उसी वर्ष आंल इण्डिया रेडियो के महानिदेशक होकर दिल्ली चले गए बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के इन प्राथमिक पांच वर्षों में शिरवाजी को माथुर साहब का पूरा समर्थन मिला और अपनी गंभीर उनकी मदद भी की।

उन दिनों नई धारा के प्रारंभिक वर्षों में माथुर साहब की कई रचनाएँ - उनकी डायरी, उनका नाट्यलोचन, उनका एक और नाटक घोंसला, उसमें प्रकाशित हुई थी। शिवपूजन सहाय ने उनके विषय में बहुत कुछ लिखा था की माथुर जी का साहब उच्चाधिकारी पक्ष उनके साहित्य संस्कृति प्रेम पक्ष के सम्मुख सदा गौण रहा, इसका मुझको स्वयं भी अनुभव हुआ जब कुछ

वर्षों बाद उनसे मिलने का एक अवसर मिला।

जगदीश चंद्र माथुर और आचार्य शिवपूजन सहाय दोनों ही सरस्वती पुत्र थे। आज माथुर साहब के इस सती जयंती पर्व में इन दोनों साहित्य मनीषियों के साहित्य साहचर्य प्रसंगों का स्मरण कुछ ऐसे शाश्वत साहित्यिक मूल्यों और आदर्शों की ओर इंगित करता है, जो साहित्य और समाज के लिए आज अत्यंत शुभकारी और प्राणदायी सिद्ध हो सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि माथुर जी ने उस समय आई.सी. एस. की इण्डियन सर्विस की परिक्षा दी जब उनके जैसे मेधावी छात्र देश की आजादी के लिए प्रयास रत थे। ऐसे संक्रमण काल में उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नौकरी करना मंजूर किया लेकिन यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक प्रतिभा, प्रत्येक व्यक्ति केवल राजनैतिक नेता या सामाजिक कार्यकर्ता, के रूप में ही काम करे। इंडियन सिविल सर्विस के अंतर्गत अपनी सेवा के द्वारा माथुर जी ने जो योगदान दिया अगर उस पर निगाह डाले तो उनकी भूमिका किसी भी रूप से किसी अन्य राष्ट्र निर्माता से कम महत्वपूर्ण नहीं थी। प्रशिक्षण के बाद उनकी तैनाती बिहार में हुई और बिहार सरकार जिस वैशाली महोत्सव का आयोजन नियमित बिला नागा हर वर्ष करती है, उसकी शुरुआत माथुर ने कराई। वैशाली में जो छुपी हुई ऐतिहासिक विरासत भी उसके खनन, उत्खनन का कार्य भी कराया।

जगदीश चन्द्र माथुर एक कुशल जीवनीकार, चरित्र लेखक और ललित निबंधकार भी थे। उन्होंने झांसी की रानी, और फ्रांस की जोन आंफ आर्क, का जीवन चरित्र भी लिखा। इसके अलावा उन्होंने दो पुस्तकों में 22 ऐसे व्यक्तियों के बारे में उनके जीवन चरित्र अंकित किए हैं जिनसे अपने छात्र जीवन से लेकर पुस्तक प्रकाशन के काल तक किसी न किसी रूप में वे प्रभावित थे और वैसे व्यक्ति नहीं थे जिनसे केवल माथुर जी प्रभावित थे बल्कि ये वो लोग थे, जो भारतीय जन जीवन को, भारतीय सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित कर रहे थे। इनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन उप कुलपति और माथुर जी के गुरु अमरनाथ झा, रामवृक्ष बेनीपुरी, सुमित्रानंदन पंत, शिवपूजन सहाय और भिखारी ठाकुर के जीवन चरित्र शामिल है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

संदर्भित काल के बाल साहित्य में ग्राम्य जीवन का अंकन

डॉ. रेखा रानी सिंह *

शोध सारांश - इस अध्याय के अंतर्गत बाल साहित्य में ग्राम्य जीवन का अंकन किया गया है। भारतीय सामाजिक संगठन के लिए विभिन्न आयामों को समझने के लिये इस देश के ग्रामों के विभिन्न पक्षों का गहन अध्ययन किया गया है। ग्रामीण भारत में परिवर्तन की प्रमुख प्रक्रियाओं का वर्णन करने के साथ साथ जाति व्यवस्था, धर्म, निर्धनता एवं प्रमुख आंदोलन आदि की समग्र रूप से विवचना की गयी है।

प्रस्तावना - भारत गाँवों का देश है और गाँव मानव की प्राचीन रचना है जिसमें उसकी प्राचीन संस्कृति के दर्शन होते हैं। भारतीय ग्राम की जनसंख्या इतनी कम होती है कि सभी एक दूसरे को निकट से जानते हैं। सभी एक दूसरे के सुख-दुख के साथी होते हैं। ग्रामों में धर्म सर्वोपरि होता है। जन्म, विवाह, मृत्यु, त्यौहार सभी धर्म के अनुसार होते हैं।

बाल साहित्य में ग्राम्य जीवन की केन्द्रीय भूमिका - मुझे ऐसा एहसास होता है कि छोटे-छोटे बच्चों का संसार बड़े लोगों की दुनिया से बहुत बड़ा होता है। शिक्षा का अभाव होने के कारण पहले बच्चे माता-पिता द्वारा किए गए किसी भी प्रकार की प्रथा से बिना सोचे समझे जुड़ जाते थे किंतु आज गाँव के बच्चे भी ब्रह्माण्ड की एक-एक चीज चीटी से लेकर बड़े-बड़े पशु-पक्षियों तक, हरी-हरी नन्ही घासों से लेकर विशाल बड़े-बड़े वृक्षों तक नदी, झीलो, पर्वत, पठार, चाँद-सितारे तक की एक एक चीज उनमें कौतुहल व आकर्षण पैदा करती है। कवि अभिरंजन कुमार ने 'काश! रोज ही आती होली' कविता में बच्चों में नई उमंग का संचार करती है -

होली का दिन सबको भाय, आओ मिलकर नाचे गाये।

सबमें छापी नई उमंग, पिचकारी में भरकर रंग।।

गाँव का जीवन बच्चों को बहुत प्रभावित करता है। उनका रहन-सहन उनका त्यौहार मनाने का तरीका जिसकी ओर बच्चे आकर्षित होते हैं। मुझा आया गाँव कविता में गाँव के खेत-खलिहान, पशु-पक्षी, हरी हरी दुबों का वर्णन कर इन पंक्तियों के द्वारा अच्छी कायेल की कू-कू कौवे का भी काँव अब जाऊँगा नहीं शहर मुझको भाता गाँव बच्चों में गाँव के प्रति आकर्षण पैदा करता है। ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। इनके बच्चे भी बड़े होकर इसी व्यवसाय को अपनाते हैं। गाँव में खेती के अलावा दूसरे व्यवसाय भी चलाए जाते हैं। जैसे-पशुपालन, खाद्य संकलन, रस्सी, चटाई, टोकरि, कपड़ा, मिट्टी और धातु के बर्तन बनाना आदि। ग्रामीण बालकों का भी इन व्यवसायों का चलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है और बड़े होकर ये बालक अपने पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। पहाड़ी इलाकों के आस-पास के गाँव के बड़े लोगों के साथ-साथ बच्चों का जीवन भी जौखिम भरा होता है। लेखिका ममता खरे ने 'बहादुर तानजू' कहानी के माध्यम से पर्वतीय इलाके के छोटे से गाँव का वर्णन किया है। ठण्ड के दिनों में प्रायः चारे का अभाव हो जाता है।

अतः जानवरों को चराने के लिए ऊँचे स्थानों पर जाना पड़ता है। तानजू

सात वर्ष की कक्षा तीन में पढ़ने वाली बिन माँ की बेटा है, जो अल्मौड़ा के एक गाँव की पहाड़ी पर रहती है। उसके पिता हर वर्ष भेड़ों को बाहर चराने के समय पर आ जाते हैं लेकिन इस वर्ष शायद उन्हें कहीं दूर भेज दिया गया है। इसलिए वह अभी तक नहीं आए हैं। तानजू की दादी चिंतित हैं कि इस वर्ष भेड़ों को चराने नहीं ले जाया गया तो वे भूख से मर जाएगी। अतः एक दिन जब उसकी दादी खेत पर गयी तो तानजू ने सारी भेड़ों को अपने साथ लिया और दूर पहाड़ों पर निकल गयी। वहाँ उसने एक लंबी सी गुफा ढूँढ ली जिसमें रात के समय उसकी सारी भेड़े आराम से सो सके और दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर व आग जलाकर वह रोज सो जाती। पाँच दिन बाद भेड़ों को चराती हुई जब वह घर लौटी तो उसके पापा व दादी बहुत प्रसन्न हुए।

यद्यपि गाँवों के रहन-सहन, रीति रिवाज वही हैं लेकिन फिर भी उनमें काफी परिवर्तन आया है। इन परिवर्तनों का बालकों के जीवन पर भी अच्छा व बुरा दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ये बच्चे भले ही अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उनके कार्यों में हाथ बंटाते हैं लेकिन इसके अतिरिक्त वे अपने भविष्य के बारे में भी सोचने लगे हैं। जब वे समाचारों में, टी.वी. पर अपनी आयु से बड़े लड़के व लड़कियों को इतनी ऊँचाईयों को छूते देखते हैं तो वे भी पक्षियों की तरह आकाश में उड़ते हुए ऊँचाईयों को छुना चाहते हैं। पहले माता पिता ने अपने बच्चों को धर्म, जाति व व्यवसाय के नाम पर उनको बाँधकर रख रखा था अब वे इन सबसे ऊपर उठकर सोचना चाहते हैं लेकिन इनके मार्ग में सबसे बड़ी समस्या उनकी निर्धनता की आती है और भारत में ही नहीं संसार में सभी विकसित तथा अविकसित देश निर्धनता की समस्या से ग्रसित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या एक ज्वलंत समस्या के रूप में आज भी उभरी हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ बच्चों को अच्छे भोजन, वस्त्र व मकान आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। प्राचीन समय में जब गाँव में जातियों के व्यवसाय सुनिश्चित थे। उस समय लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करते थे। किंतु औद्योगिकरण व नगरीकरण की इस प्रतिस्पर्धा ने व्यक्ति को अधिक निर्धन बनाया है। इस रूप में यह एक आर्थिक व सामाजिक चुनौति बना हुआ है।

बाल साहित्य में बच्चों का अंतर्दृष्ट - गाँव के पुराने रीति-रिवाज व परम्पराओं के चलते वे जल्दी से बदलना ही नहीं चाहते। पुत्र व पुत्रियों में भेदभाव आज भी देखा जाता है। पुत्रों को तो वे ऊँची से ऊँची शिक्षा दिलाते

है परंतु पुत्रियों को 8वीं व 10 वीं पढ़ाने के बाद ही विवाह कर देते हैं। गाँव की इसी परम्परा को दर्शाती 'इतना अधिक सामान' कहानी पाठकों से बहुत कुछ कह जाती है -

यह बात उस समय की है जब मुझे लखनऊ से कानपुर लौटना था। मैंने बस के बजाय रेलगाड़ी से यात्रा करना अधिक उचित समझा। वैसे भी जो बात रेलगाड़ी से यात्रा करने में है वह बस में कहाँ ? पहली बात तो झटकों से मुक्त सफर, दूसरा नये-नये लोगों से पहचान। कुछ तो हमें कहानियाँ सुनाते हैं और कुछ हमें अनजाने में ही भूले-बिसरे किस्से कह जाते हैं। मेरी गाड़ी का समय सायं चार बजे था। घर से स्टेशन का रास्ता पंद्रह मिनट का ही है पर मैं घर से एक घंटा पहले निकल गयी थी। जब मैं स्टेशन पहुँची तो पता चला गाड़ी तीस मिनट लेट है। मैंने टिकट लिया और प्लेटफार्म पर बैठकर गाड़ी के आने का इंतजार करने लगी। तीस मिनट बाद गाड़ी आ गई। अधिक भीड़ न होने के कारण मुझे रेलगाड़ी में सीट मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। मैं सीट पर बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर एक लड़की आयी और मेरे पास वाली सीट की ओर इशारा करते हुए बोली 'आंटी जी', क्या मैं इस सीट पर बैठ सकती हूँ ? मैंने उसे हाँ का इशारा किया। मैंने देखा कि वह अकेली है पर उसके पास इतना अधिक सामान है कि वह अकेली उसे ठीक से नहीं रख पा रही है। मैंने सामान सही स्थान पर रखने में उसकी मदद की। उसके बाद वह अपनी सीट पर बैठ गई। गाड़ी ने धीरे-धीरे चलते हुए अपनी रफ्तार पकड़ ली। कुछ देर बाद दोनों में बातें शुरू हो गईं और मैंने पूछा कि उसके पास इतना अधिक सामान क्यों है ? उसने बताया कि वह छः वर्ष पहले अपने माता पिता को बिना बताए घर छोड़कर चली गई थी। कारण पूछने पर उसने बताया कि हम सात बहने व एक भाई हैं। हमारे परिवारों में लड़कियों को उतना पढ़ाया नहीं जाता जितना कि लड़कों को। वह आगे बोलती जा रही थी और मैं चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसने यह भी बताया कि उसने दसवीं की परीक्षा पास की ही थी कि उसके माता पिता ने उसके विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी। वह आगे पढ़ना चाहती थी इसके लिए उसने अपने माता पिता से बात की। वह आगे पढ़ाने के लिए तैयार हो भी गए लेकिन उसके दादा दादी नहीं माने। उन्होंने कहा कि तुम्हारी छः बहनें और भी हैं। समय-समय पर हमें उनका भी विवाह करना है। पढ़ने के बाद भी तो तुम्हें चूल्हा-चौका ही संभालना है। उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं मानी और लड़के वालों को बुलाने के लिए दिन निश्चित कर दिया। उस दिन के आने से एक दिन पहले ही मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट, कुछ कपड़े व जरूरी सामान लिया व माता पिता को बताए बिना ही घर छोड़ दिया। मैं कुछ दिन तक तो अपनी सहेली के घर पर रही फिर मैंने प्राइवेट नौकरी करके व बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी शिक्षा पूरी की। उसी समय पर सी.आर.पी. की एक विज्ञप्ति निकली। मैंने फार्म भर दिया। कुछ दिन बाद प्रवेश पत्र भी आ गया। मैंने उसकी सभी परीक्षाएँ पास की और मुझे नियुक्ति मिल गई। मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और मैं कई महीने से अपनी झूटी कर रही हूँ। अब मुझे पंद्रह दिन का अवकाश मिला है। मैं अपने घर जा रही हूँ तथा परिवार के सभी सदस्यों के लिए कुछ न कुछ उनकी पसंद का सामान लेकर जा रही हूँ। इसलिए मेरे

पास इतना अधिक सामान है।

साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसमें वहीं सब लिपिबद्ध किया जाता है जो समाज में घटता रहता है। यद्यपि बच्चों का अबोध मन किसी जाति या वर्गवाद के चक्कर में नहीं पड़ता। वह तो निश्चल प्रेम की ओर अग्रसर होता है। लेकिन कुछ अशिक्षित व शिक्षित परिवारों में भी माता पिता बच्चों के मन में धर्म-जाति वर्ग की बातें डालते जाते हैं। धीरे धीरे बड़ा होने पर बालक सही गलत का फर्क किए बिना इसी को सही मान लेता है। इसी कारण आज तक विभिन्न समाजों में वर्गभेद नजर आता है। 'मितना हमको साथ' नामक बालगीत में कवि ने विभिन्न वर्गों के भेदभाव को समाप्त करने के लिए कुछ पंक्तियों को स्थान दिया है -

आओ मिटा दो भेदभाव और हाथ में थामों हाथ
बन आहुति द्रोह अग्नि में, मिटना हमको साथ
नही देश में होने देंगे, काण्डों का उत्पात

जाति मनुष्यों से निर्धारित होती है और वर्ग व्यक्ति समाज में आने के बाद बनाता है। किसी भी वर्ग का व्यक्ति अपनी योग्यताओं क्षमताओं में परिवर्तन कर अपने वर्गों को परिवर्तित कर सकता है। उदाहरणार्थ जैसे एक शिक्षक अपनी शिक्षा प्रदान करने का कार्य छोड़कर इंजीनियर बन जाता है तो वह इंजीनियर वर्ग का सदस्य बन जाता है।

बाल साहित्य में वर्गवाद का समावेश कर बाल साहित्यकार अपनी कहानियों, कविताओं, गीतों के माध्यम से वर्गों में भेद को कम कर सकते हैं। बच्चों को वर्गभेद जाति भेद के बारे में उचित जानकारी देकर इनसे होने वाली कहानियों को बच्चों को बता सकते हैं तथा उन्हें दूर करने के उचित उपाय, कहानियों, कविताओं, गीतों में दे सकते हैं। वर्तमान भौतिकवादी युग बच्चों के लिये चुनौती बना है। दो तीन वर्ष की उम्र से ही बच्चों को प्ले ग्रुप स्कूलों में भेज दिया जाता है। यहाँ से उनकी जिंदगी की रफ्तार प्रारंभ हो जाती है। उनके मन में नयी नयी आशाएँ, नयी अभिलाषाएँ, नये सपने जन्म लेने लगते हैं। नई पीढ़ी आज दूसरों से अधिक धन, सुख सुविधाएँ और ऐशो-आराम की वस्तुएँ जुटाना चाहती है। इसी कारण स्वयं को सफल व समर्थ बनाने के लिये कुछ भी करने का तैयार हो जाते हैं।

निष्कर्ष - बाल साहित्य में ग्राम्य जीवन का अंकन कर यह बात पता लगाने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण बच्चों के जीवन में किस किस प्रकार की समस्याएँ आ सकती हैं। वे किन किन चीजों की ओर अधिक आकर्षित हो जाते हैं और किन चीजों को अनदेखा करते हैं। इस अध्याय में बच्चों के मन में चलने वाले अंतर्द्वन्द्व का भी चित्रण किया गया तथा वर्गवाद की समस्या को भी उजागर कर उसे दूर करने का प्रयास किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ममता खरे - सिपियाँ पुस्तक से।
2. कवि अभिरंजन कुमार।
3. स्वयं शोध।
4. व्यक्तिगत शोधों के आधार पर।

हिन्दी पत्रकारिता की अवधारणा

संतोष कुमार *

प्रस्तावना - पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण समाज में नव-संचार, सजीवता, जागरण, नवस्फूर्ति, सक्रियता और गतिमानता के संदेश का प्रचार करना है। पत्रकारिता का उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना तथा उन्हें व्यक्त करना है। समाज में चौकन्ने रहकर आम नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों का बोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता को जन जागरण की दिशाओं के रूप में जाना जाता है क्योंकि जन-जागरण का विकास पत्रकारिता के माध्यम से होता है। आम जन-मानस को शिक्षित करने में पत्रकारिता का विशेष योगदान है। इसके बिना जीवन में सम्पूर्णता नहीं हो सकती है। इसके बिना किसी समुदाय, आराधना या मानव गरिमा की स्थापना की कल्पना भी नहीं की जा सकती पत्रकारिता आज के युग की लेखन-विधा की सर्वाधिक जीवन्त विधा है। शिक्षा का विस्तृत प्रचार-प्रसार पत्रकारिता से होता है। पर्यटन को बढ़ावा मिलता है पत्रकारिता जन-जन को विश्व में घटित होने वाली घटनाओं से परिचित कराती है। इसके द्वारा जनता को सरकारी नीतियों और गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। यह जनता के हितों का संरक्षण करती है।

पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी का शब्द है, 'जर्नलिज्म'। 'जर्नलिज्म' शब्द की व्युत्पत्ति 'जर्नल' शब्द से हुई है। 'जर्नल' शब्द का अर्थ दैनिकी, दैनिकी, रोजनामचा होता है। अर्थात् जिसमें दैनिक कार्यों व सरकारी कार्यालयों का विवरण होता है। पत्रकारिता लोकतन्त्र का अविभाजित अंग है। हर क्षण परिवर्तित होने वाले जीवन और संसार का दर्शन पत्रकारिता द्वारा ही संभव है। परिस्थितियों का अध्यापन, चिन्तन-मन और आत्मभिव्यक्ति की प्रवृत्ति और दूसरों का कल्याण अर्थात् लोकमंगल की भावना ने ही पत्रकारिता को जन्म दिया।

फ्रेंच भाषा का एक शब्द है 'जर्नी'। 'जर्नी' शब्द से भी जर्नलिज्म शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। 'जर्नी' शब्द का अर्थ होता है, दैनिक गतिविधियों अथवा घटनाओं की विवरण-प्रस्तुति।

'जर्नल' को व्यापकता प्रदान करने वाला शब्द 'जर्नलिज्म' बहुआयामी है। लेखक, सम्पादन, संकलन, तथा इनसे सम्बद्ध संकल्पों को पत्रकारिता के अन्तर्गत स्थान दिया गया है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, वीडियो, फिल्म इत्यादि मीडिया भी इसके अन्तर्गत आते हैं।

पत्रकारिता का प्रमुख उद्देश्य जनता को शिक्षित करना भी है। पत्रकार लोक मानस के आँख एवं कान होते हैं। पत्रकार जो समाज में देखता और सुनता है। उसे लिखित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों तक जनता को पहुँचाता है। पत्रकारिता सूचना के साथ-साथ जनमत तय करने की महत्वपूर्ण दिशा तैयार करती है वर्तमान समय में समाचार पत्रों में समाचार प्रेषण, मुद्रण, कलात्मक पृष्ठसज्जा भाषायी परिवर्तन और तकनीक प्रयोग के कारण

पत्रकारिता में कान्तिकारी बदलाव हुए हैं। समाचार पत्र-पत्रिकाएँ भी इस दृष्टि से काफी स्थान पाठकों के मनोरंजन के लिए सम्बन्धित सामग्री हेतु सुरक्षित कर रही हैं। जैसे-सिनेमा से सम्बन्धित विषय, चुटकुले, राशि फल, रोजगार सम्बन्धी विषय। मनोरंजन सामग्री पाठकों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित भी करती है।

साहित्य और पत्रकारिता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में अत्यधिक समानता है। अपने विकसित अवस्था में दोनों के रूप भले ही अलग-अलग दिखाई देते हो, परन्तु उनका एक मात्र उद्देश्य 'सत्य की खोज' करना है। पत्रकारिता साहित्य की शैलियों का आधार लेकर अपने आपको अधिक तेज और परिणामकारक बनाती है। पत्र-पत्रिका में प्रकाशित साहित्य स्थायी नहीं माना जाता है कुछ हद तक यह बात सही है। लोग यह भूल जाते हैं कि समाचार पत्र में प्रकाशित अत्रलेख और अन्य लेख भी साहित्य की अक्षय निधि बन जाते पत्रकारिता और साहित्य दोनों ही मानव जीवन की निरन्तर आवश्यकताओं में से हैं।

हिन्दी उपन्यासकार और कहानीकार प्रेमचन्द सामान्य अर्थ में पत्रकार नहीं थे, लेकिन पत्रकारिता से उनका गहरा सम्बन्ध था। प्रेमचन्द की आगे की पीढ़ी और पीछे की पीढ़ी के साहित्यकारों ने लघु पत्रिका का आन्दोलन नहीं किया, किन्तु उनका आदर्श वही था, विषय परिस्थिति में उतना ही कठोर था। वैचारिक दृष्टि से प्रकाश डाला जाए तो प्रेमचन्द की पत्रकारिता को कठिन पथ से यात्रा करनी पड़ी थी। 23.5.33 को उन्होंने रामचन्द्र टण्डन को लिखा था कि मैं तो एक हरकारा मात्र हूँ और सदा ऐसे कामों में हाथ डालने की चेष्टा करता रहता हूँ जिसके लिये मैं नहीं बनाया गया। पत्रकार कला से मेरा स्वभावगत विरोध है पर परिस्थितियों से विवश होने के कारण उसे स्वीकार करने को बाध्य हुआ हूँ। प्रेमचन्द के मन में आकांक्षा थी, मनुष्य जाति के प्रति मनुष्य के हृदय में स्थायी चिन्ह बनाने की उत्कंठा प्रेमचन्द के मन में रहता था, लेकिन मन में बराबर यह आशंका बनी रहती थी कि "मैं किसी क्षेत्र में कोई स्थायी चिन्ह अंकित करने में असमर्थ हूँ।" रामचन्द्र टण्डन के नाम उसी पत्र में उन्होंने लिखा था 'मेरी यह भावना.....मुझे मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए उकसाती रहती है। हंस के जूझते बड़े खिन्न मन से प्रेमचन्द ने यह वाक्य लिखा था। पत्रकारिता को प्रेमचन्द मूर्खतापूर्ण काम नहीं मानते थे। यह वाक्य उनकी नाना कठिनाईयों की मार से जन्मी लाचारी का संकेत भर देता है।

निःसंदेह प्रेमचन्द महान कथाकार होने के साथ-साथ पत्रकार भी थे। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी और मर्यादा का सम्पादन किया इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो योगदान दिया उसे भूलाया नहीं जा सकता। पत्रकारिता की विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ दीं।

श्री.जी. मूलर के अनुसार-सामाजिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति उनका मूल्यांकन एवं ठीक-ठाक प्रस्तुतीकरण होता है।

डॉ० अर्जुन तिवारी के कथानुसार-ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विद्या है जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारिता समय के साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका है।

श्री प्रेमनाथ के अनुसार-पत्रकारिता विशिष्ट देश काल और परिस्थिति के आधार पर तथ्यों का परोक्ष मूल्य का संदर्भ प्रस्तुत करती है।

टाइम्स पत्रिका के अनुसार-पत्रकारिता इधर-उधर से एकत्रित सूचनाओं का केन्द्र जो सही दृष्टि से संदेश भेजने का काम करता है, जिससे घटनाओं का सहीपन को देखा जाता है।

डॉ० कृष्ण बिहारी के अनुसार-पत्रकारिता वह विद्या है, जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है। जो अपने युग और अपने सम्बन्ध में लिखा जाए वह पत्रकारिता है।

महात्मा गांधी के शब्दों में-पत्रकारिता का लक्ष्य सेवा करना है।

डॉ० भँवर सुराणा के शब्दों में-पत्रकारिता वह धर्म है, जो पत्रकार को उसके कर्म से इस तरह जोड़ती है कि सभी तत्कालिक घटनाओं और समस्याओं का सही तथा निष्पक्ष विवरण पाठकों तक प्रस्तुत करें और जन जागरण हेतु कार्य करें।

इन्द्र विद्या वाचस्पति के अनुसार-पत्रकारिता पाँचवां वेद है, जिसके द्वारा ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी बातों को जानकर अपने बन्द मस्तिष्क को खोलते हैं।

रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार-पत्रकारिता में सत्य को सूचक नहीं प्रेरक होना चाहिए।

डॉ० शंकर दयाल शर्मा के अनुसार-पत्रकारिता कोई पेशा नहीं, यह जन सेवा का माध्यम है। लोकतान्त्रिक परम्पराओं की रक्षा करने में तथा शान्ति और भाई-चारे की भावना को बढ़ाने में इसकी विशिष्ट भूमिका होती है।

पत्रकारिता के विषय में विद्वानों के उपर्युक्त परिभाषाओं में कुछ हद तक स्पष्ट होता है। एक ओर वह व्यवसाय है, तो दूसरी ओर वह समाज की सेवा एवं लोक चेतना को जागृत करने का सर्वोत्तम साधन है। दायित्व बोध बढ़ाने वाला माध्यम है, अन्याय के खिलाफ जंग छेड़ने का हथियार है। सामान्य जनता तक घटित घटनाओं का ज्ञान पहुँचाने का विद्यालय और किसी भी प्रकार के साम्राज्यवाद विरुद्ध पवित्र युद्ध का संचालन करने वाले की एक मुख्य प्रेरणा भी है। पत्रकारिता जहाँ एक ओर सूचनाओं और समाचारों का संकलन, सम्पादन, प्रकाशन और प्रेषण है, तो वहीं दूसरी ओर वह वर्तमान समय की धड़कनों को महसूस करने का साधन भी है पत्रकारिता लोगों की सेवा करती है, अन्याय और दमन का प्रतिरोध करती है एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करती है। व्यापक अर्थों में पत्रकारिता समाज में उच्च मूल्यों और आदर्शों को प्रतिष्ठापित करती है। पत्रकारिता समाज का दर्पण है। अतः विद्रोह, आक्रोश और आलोचना की विविध परिस्थितियों में भी अपना स्वरूप बनाकर सामाजिक मूल्यों की नियामिका बनी रहती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिन्दी पत्रकारिता की रूपरेखा एन०सी० पन्त पृ०-3
2. पत्रकारिता इतिहास और प्रश्न-कृष्ण बिहारी मिश्र पृ०, 73-74
3. कलम का सिपाही-अमृतराय पृ०, 538-539
4. पत्रकारिता के प्रतिमान-प्रेमचन्द गोदस्वामी पृ०-13
5. समाचार पत्रों का इतिहास-पं० अम्बिका प्रसाद बाजपेयी-पृ०-28
6. पत्रकारिका के प्रश्न-राजेन्द्र शंकर भट्ट-पृ० 20, 21

समकालीन महिला-लेखन और स्त्री स्वातन्त्र्य

अंजली शर्मा *

प्रस्तावना - नारी से जुड़ा कोई भी मुद्दा चाहे उसकी अस्मिता, स्वतन्त्रता या आरक्षण हो, हमें इस हकीकत का गहरा अहसास होना चाहिए कि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो पूँजीवादी ही नहीं, पुरुष वर्चस्ववादी भी है। यह सही है कि नारी आदमजात का आधा हिस्सा है, पुरुष के साथ हर क्षेत्र में उसकी भागीदार है, वह कमर कसकर कमाती भी है समान हैसियत अब भी उसे हासिल नहीं है। इसलिए दुनियाभर में विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, यह बुलन्द करने के लिए कि वह समान दर्जे की हकदार है पर अब भी दोयम दर्जे की नागरिक है, उसका अस्तित्व और जीवन पुरुष सापेक्ष ही निर्धारित है।

हिन्दी साहित्य की हर विधा में भी यही पुरुष वर्चस्ववादी दृष्टिकोण हावी रहा है। लेखक अपने नजरिये से नारी पात्रों का सृजन और उनके चरित्र का विश्लेषण करते रहे, स्त्री का खुद अपने और अपने साथी पुरुष के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, वह अनजाना रहा। लेकिन अब महिलाएँ खुलकर लिखने लगी तो सारा सृजनात्मक परिवेश ही बदल गया। कृष्णा सोबती, मन्नू भण्डारी, उषा प्रियवंदा, मृदुला गर्ग, निरुपमा सेवती, कुसुम अंसल, चित्रा मुद्गल, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, ममता कालिया, राजी सेठ, सूर्यबाला सरीखी लेखिकाओं ने लेखन के क्षेत्र में क्रान्तिकारी कदम उठाए नारीवादी आन्दोलन के जोर पकड़ने के पहले ही इन्होंने नारी मन के अनेक आयामों को परत-दर परत हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यह सर्वविदित बात है कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री के दिल को सही ढंग से समझकर परख सकती है।

पुरुष समाज ने स्त्री को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति समझकर उस पर जो अत्याचार किए हैं, उनका आज की स्त्री-लेखिकाएं विरोध करती हैं। भारतीय स्त्री-लेखिकाएं अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और इस लड़ाई के लिए इन्होंने कलमरूपी शस्त्र को हाथ में उठा लिया है। सन् 1975 के उपरान्त महिला-लेखिकाओं ने हर विधा में स्त्री की मनोदशा का चित्रण करने का सफल प्रयास किया है।

पिछले 35-40 वर्षों के स्त्री-लेखन का यदि हम सम्यक् परीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि यह लेखन अपनी प्रकृति में बेबाकी व बिंबासपन से युक्त है। भोगे हुए यथार्थ के प्रामाणिक अनुभवों का एक विशिष्ट अभिलेखागार है। इसमें बदलती जा रही परिस्थितियाँ भी हैं और अपने अस्तित्व को बचाने में रत चक्रव्यूह को तोड़ने की संघर्षगाथा भी है। आत्मविश्वास और नयी उपजी समस्याओं को देखने की मौलिक दृष्टि भी है।

मध्य युग की लेखिकाओं की तरह इन्होंने अपने अराध्य पुरुषों के प्रति समर्पण-भाव की रचनाएं नहीं रची। समकालीन स्त्री-लेखन उन वर्जनाओं को तोड़ता है, जो पितृसत्तात्मक पुरुष समाज ने सदियों से स्त्री-जाति पर थोप रखी है-

'उसकी गुलामी को कहा मर्यादा,
हत्या को कुर्बानी,
मौत को मुक्ति, जल जाने को सती
सौन्दर्य को माया ठगनी
उसकी खुदारी को कुल्टा-नटनी कुटनी'¹

इस प्रकार समकालीन महिला लेखन बहुत सजग होकर उस पूरे पारिवारिक, सामाजिक व सांस्कृतिक ढाँचे की पहचान करता है, जिसने स्त्री को एक अस्मिता-विहीन जैविक इकाई के रूप में सदियों से रखा है।

समकालीन महिला लेखिकाएं परिवर्तन के मार्ग में विरोधी ताकतों से पूरी तरह टकराती हैं। शास्त्रवाद, रूढ़िग्रस्त परम्परा एवं संस्कारों तथा यथास्थितिवादी शक्तियों से सीधे-सीधे लोहा लेती हैं। ये देहवादी पुरुष-दृष्टि द्वारा निर्मित समाज व्यवस्था में अपनी स्वाधीनता एवं सम्पूर्ण अस्मिता के लिए हस्तक्षेप करती हैं। इन्हे ऐसी स्त्री पसन्द है जो निर्भीकता, आत्मनिर्भरता एवं आत्मसम्मान का ध्यान रखती है-

मुझे वह स्त्री पसन्द है, जो कहती है,
अपनी बात साफ-साफ।

बेझिझक जितना कहना है, बस उतना,
निर्भीक जो करती है अपने काम।²

आधुनिकता की अन्धी दौड़ में भीतर-बाहर की जंग से जूझती 'आधी दुनिया' के जटिल यथार्थ को इन लेखिकाओं ने बखूबी चित्रित किया है। इक्कीसवीं शताब्दी में स्त्रियों का चमकता हुआ जो संसार हमें दिखाई दे रहा है क्या यह उनके जीवन की वास्तविक सच्चाई है? क्या वह अपने बलबूते, अपनी दिशा तय कर उस पर चल पाती है? क्या वह कामकाजी होते हुए भी 'स्त्री-ग्रन्थि' से मुक्त हो पाई है? क्या वह आज भी जड़ संस्कारों का अप्रत्यक्ष दबाव अपने कन्धों पर महसूस नहीं करती है? ये कुछ प्रश्न हैं, जो नारी सशक्तिकरण के लिए चुनौती हैं।

इस प्रकार समकालीन महिला-लेखन की स्त्री एक नई स्त्री है। उसने अपनी अस्मिता की खोज में कई मंजिले पार कर ली हैं लेकिन वह अपनी यात्रा यही खत्म नहीं करना चाहती। उसे ठीक-ठीक पता है कि अभी लम्बी यात्रा बाकी है। जिसे तय करने के बाद ही वह अपनी पूर्ण अस्मिता को पा सकेगी-

'यात्रा लेकिन यहीं समाप्त नहीं हुई है,
अभी पार करनी हैं कई और खाईयाँ, फटकारों की,
और मैं हूँ अपने पूर्वजों के शाप और,
अभिलाषाओं से दूर पूर्णतया अपनी।'³

अपनी अस्मिता की पूर्ण उपलब्धि का पूरा विश्वास समकालीन स्त्री-

* (हिन्दी) जे. के. पी. (पी. जी.) कॉलेज, मुजफ्फरनगर (उ.प्र.) भारत

लेखन में मौजूद है। यह विश्वास लगभग सभी महत्वपूर्ण लेखिकाओं में दिखाई देता है। उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं-

'एक रात सूरज उगता देखेगी, सिर्फ लड़कियां।

एक रात स्वप्न पूरा कर लेगी, सिर्फ लड़कियां।

एक रात सचमुच सब कुछ भूल जाएगी, सिर्फ लड़कियां।

एक रात सचमुच बेखौफ हो जाएगी, सिर्फ लड़कियां।'⁴

इस प्रकार स्त्री मुक्ति की मंजिल अभी शेष है, सफर अभी बाकी है और इस सफर पर निकली आज की महिला लेखिकाएँ अपने अन्दर समाहित अथाह शक्तियों को एकीकृत कर अपने आत्मनिष्ठाजन्य अहंकार को पुष्ट करना चाहती हैं, वे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को अपने भीतर पुष्ट करना चाहती हैं-

'मैं चल पड़ी हूँ एक बार फिर,

पानी की खोज में

दूर-दूर तक

समुन्द्र को कैद करने

पहाड़ों के कगारों पर

कदम रखती हुई, वह पथिक हूँ मैं

जो हो जाना चाहता

खुद अपना रास्ता'⁵

देश के संविधान में स्त्री-पुरुष के बीच समानता का नियम होते हुए भी स्त्री उत्पीड़न, छेड़छाड़, दहेज प्रथा, बाल-विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, कामकाजी महिलाओं के साथ भेदभाव, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषमता के सवाल पर प्रश्न चिन्ह लगाता आज का महिला लेखन स्त्री-विमर्श की सीमा का अतिक्रमण करके स्त्री के संकल्पनात्मक संघर्ष के रूप में उभर रहा है। आधुनिक युग की नई स्थितियों में ये लेखिकाएँ नारी-मुक्ति की नई चुनौतियों पर विचार कर रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रमणिका गुप्ता, मैं आजाद हुई हूँ, पृष्ठ-48
2. रुपित सिंह, वसुधा, अंक 59-60, पृष्ठ-146
3. सविता सिंह, कहती हैं औरते (सं० अनामिका) पृष्ठ-138
4. प्रज्ञा रावत, प्रगतिशील वसुधा, अंक-64, पृष्ठ-104
5. डॉ. प्रभा खेतान- 'कृष्ण धर्मा' स्वर समवेत तनसुक लेन, कलकत्ता, प्रथम संस्करण-1986 पृष्ठ-11

हिन्दी साहित्य में चन्द्रगुप्त 'मौर्य' का चरित्रांकन

प्रेम सिंह कुम्भकार * डॉ. गणेशलाल जैन **

प्रस्तावना – साहित्य समाज का मानवीय जीवन का सच्चा लेखा – जोखा है। युग का प्रतिबिम्ब है। 'हित संयुक्त साहित्यम्' साहित्य वह है, जिसमें हित हो जो हित से संयुक्त हो।

'जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है, तब यह निश्चित की जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के माध्यम से हम किसी भी देश व समय की समसमायिक घटनाओं, सामाजिक राजनैतिक, ऐतिहासिक आर्थिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक घटनाओं का समावेश होता है इस प्रकार साहित्य के दर्पण में समाज सदैव प्रतिबिम्बित होता है साहित्य का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति समाज और राष्ट्र का हित चिंतन है। 'चन्द्रगुप्त' प्रसाद के ऐतिहासिक नाटको में कई दृष्टियों से श्रेष्ठ माना जाता है इसका प्रकाशन 1931 ई. में हुआ। कथानक चरित्र, चरित्र, रस, उद्देश्य अथवा फल सभी के विन्यास और संयोजन जैसी एकतानता इस नाटक में है, इसमें ऐतिहासिक कालखण्डों के बीच इस महादेश की सांस्कृतिक गरिमा को उभारने का प्रयास जो सर्वत्र किया है, उसे यहा सर्वतोमुखी सफलता मिली है।

प्राचीन भारतीय इतिहास के मौलिक अन्वेषक प्रसाद ने अर्थकथा, स्थविरावली, कथासरित्सागर और दुण्डि के आधार पर चन्द्रगुप्त – विषयक विवरण दिए हैं। उनकी स्थापना के अनुसार शैशुनाक-वंशी महानन्द के संकर-पुत्र महापद्म के पुत्र घनानन्द से मगध का सिंहासन लेने वाला चन्द्रगुप्त मौरियों के नगर का राजकुमार था। यमोर्य' शब्द को मुरा नाम को शूद्रा के साथ जोड़ना भ्रान्ति बताते हुए वे कहते हैं कि मुरा से मोर और मौरिय बन सकता है। न कि मोर्य। 'मौरिय' को भी वे इसका मूल नहीं मानते, क्योंकि पतंजलि ने स्पष्ट 'मौर्य' शब्द का उल्लेख किया है। वे अर्थकथा को इस व्याख्या को मान्यता देते हैं कि 'शाक्य लोगों में आपस में बुद्ध के जीवनकाल में ही एक झगड़ा हुआ और कुछ लोग हिमवान् के पिप्पली – कानन प्रदेश में अपना नगर बसाकर रहने लगे। उस नगर के सुन्दर घरों पर क्रौंच और मोर पक्षी के चित्र अंकित थे, इसलिए वहाँ के शाक्य लोग मौरिय कहलाए। कुछ सिक्के बिहार में ऐसे भी मिले हैं, जिन पर मयूर का चिन्ह अंकित है।' इस प्रकार वे 'मौर्य' शब्द को मोर –पक्षी के उपलक्षण से सम्बद्ध करते हुए इस वंश के प्रतापी सम्राट चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय मानते हैं। 'वृषल' विशेषण भी, उनके मतानुसार चन्द्रगुप्त के क्षत्रियत्व का ही सूचक है। जो क्षत्रिय लोग वैदिक क्रियाओं से उदासीन हो जाते थे, उन्हें धार्मिक दृष्टि से वृषलत्व प्राप्त होता था।'

प्रसाद ने चन्द्रगुप्त की कुलीन क्षत्रिय प्रमाणित करने पर सर्वाधिक ध्यान दिया है। उन्होंने इस मान्यता का खंडन किया है कि मौर्य शुद्ध थे अथवा चन्द्रगुप्त मुरा का नन्द द्वारा उत्पन्न पुत्र था किन्तु विशाखदत्त ने चन्द्रगुप्त को स्पष्टतः वृषल कहा है। इससे भी पूर्व, यूनानी इतिहास –परम्परा में भी चन्द्रगुप्त नाई

जाति का माना गया है। भारतेन्दु ने 'मुद्राराक्षस' के हिन्दी –अनुवाद में विशाखदत्त की मान्यता को ही स्वीकार किया है। (प्रसाद ने मौर्यों को क्षत्रिय सिद्ध करते हुए, उन्हें परमार बताया है और अत्यधिक परवर्ती चित्तौड़ – नरेश मानसिंह और मालवा नरेश भोज इत्यादि से उनका सम्बंध जोड़ा है।

भारतीय इतिहास का यह एक ज्वलन्त गौरव – युग था चन्द्रगुप्त की शासन व्यवस्था अत्युत्तम थी। प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उसकी सेना जितनी विशाल थी उतनी ही व्यवस्थित और रणकुशल थी। प्रजा राजभक्त थी। उसकी जीवन पद्धति सरल एवं सांस्कृतिक थी। चन्द्रगुप्त वैदिक धर्मावलम्बी था। वह प्रबल प्रतापी सम्राट था चन्द्रगुप्त ने चौबीस वर्ष तक भारत भूमि का शासन किया। उसका शासन काल भारत का स्वर्णयुग था।

चाणक्य उसके प्रधान सहायक मंत्री थे और वही उसकी उन्नति के मूल है। चन्द्रगुप्त की व्यक्तिगत तेजस्विता उसकी कूट बुद्धि का मुँह जोहती रहती है। चन्द्रगुप्त तेजस्वी है। निर्भीकता उसकी सहज प्रकृति है। अन्याय के आगे वह सदैव सीना तान खड़ा हो जाता है। –फिर चाहे वह उसके प्रतिपालक, किन्तु अपनी दुर्बुद्धिपूर्ण नृशंसता के लिए कुख्यात, मगध सम्राट नन्द की सभा क्यों न हो। क्रुद्ध सिकन्दर की बात उसी के सैनिक –शिविर में काटने का साहस केवल चन्द्रगुप्त कर सकता था। उसमें अटूट स्वाभिमान है। चन्द्रगुप्त का पराक्रम अद्वितीय और अप्रतिम है। सिकन्दर भी उसके आगे हतप्रभ हो उठता है। ग्रीक –शिविर में उसका वीरतापूर्ण आचरण उसकी भावी श्री और पूर्ण मनुष्यता का द्योतक है। कार्नेलिया को दुराचारी फिलिप्स के हाथों अपमानित होने से बचा लेना उसकी मनुष्यता का ही परिचायक है। उसमें राजोचित सांस्कृतिक शिष्टता है।

इस प्रकार चन्द्रगुप्त में सहृदयता, भावुक, सरलता, व्यवहार, चतुर, मेंघावी, उदार, नैतिक, कुशल सैनानायक, दृढशासक, विक्रान्त 'शस्वी इतिहास पुरुष के व्यक्तित्व के प्रति प्रसाद ने आरंभ से आदर पूर्ण आर्कषण था। वह प्रबल प्रतापी शासक था उसने ने चौबीस वर्ष तक भारत भूमि का शासन किया उसका शासन काल भारत का स्वर्णयुग कहा जाता था। भारतीय संस्कृति का संरक्षक था 'हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती' एक महान प्रयाण गीत है इसे हिन्दी साहित्य का श्रेष्ठतम प्रयाण –गीत कहा जाता है। 'अरुण मधुमय देश हमारा' देश भक्ति गीत है इस प्रकार हिन्दी साहित्य में चन्द्रगुप्त मौर्य का चरित्रांकन सर्वथा अतुलनीय है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रसाद का आलोचनात्मक सर्वेक्षण/डॉ. रामप्रसाद श्रीवास्तव/ पृष्ठ 119
2. प्रसाद का आलोचनात्मक सर्वेक्षण/डॉ. रामप्रसाद मिश्र/ पृष्ठ 156, 157
3. प्रसाद का आलोचनात्मक सर्वेक्षण।

*शोधार्थी, शासकीय चन्द्रशेखर आजाद अग्रणी महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

**प्राध्यापक, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

अस्तित्व – जीवन पर्यन्त एक तलाश

डॉ. मनीषा सिंह मरकाम *

प्रस्तावना – हमारे देश में तमाम प्रयासों के बावजूद भी सवाल वहीं स्थिर हैं विवाह के लिए लड़की से खुलकर यह नहीं पूछा जाता कि उसे लड़का पसंद है या नहीं। उसी तरह सामाजिक प्रभाव सुशी पर भी थोपा गया है कि वह भी यह नहीं बता पाई कि जिससे उसका ब्याह हो रहा है, वह उसे पसंद करती भी है या नहीं? सुशी को विवाह से पूर्व जिससे वह विवाह करने जा रही है, उसके दर्शन भी करवाए गए या नहीं यह तो सामाजिक दृष्टिकोण के कारण विचारणीय बिंदु है ही नहीं? सुशी का विवाह सभी घर के बड़ों द्वारा लड़के के अद्भुत गुण, रंग-रूप कब कांठी आदि देखकर कर दिया जाता है। मानसिकता का यही फर्क है कि जिसको जिसके साथ जीवन यापन करना है उससे सलाह लेना कोई जरूरी नहीं समझता परिणामतः प्रभाव जीवन भर गूँजते हैं – पर मां पिताजी ने जिसके गले बाँध दिया आना ही पड़ा मन उचाट हो गयाअपनी जिद में पहली रात्रि से ही शारीरिक दूरी बनाए रखी। यदि हम पड़ताल करे तो शायद हर घर में विवाह से संबंधित हकीकत कुछ और होगी और फसाना कुछ और होगा। विवाह में पसंद का होना आवश्यक तत्व है क्योंकि विवाहेत्तर जीवन का एक-एक सिरा कई दूसरे मनोभावों से जुड़ा ही चला जाता है, इसके एक तार भी ढीले हो तो आवाज बेहद बेतुकी आने लगती है। आकर्षण का केन्द्र प्रारंभ में तो शरीर ही होता है, यदि इसमें रुचि ना हो तो आकर्षण के आयाम सिमटने लगते हैं।

साधारण जीवन में एक अच्छा इंसान होने के बावजूद रंग-रूप, नयन-नवश महत्तर स्थान रखते हैं, हमारे परिवारों में बहु प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, हम सभी को अपने अस्तित्व का तहे दिल से स्वागत कर उस अस्तित्व को अपनाना चाहिए फिर चाहे हमारा रंग काला गोरा या गेहुँआ ही क्यों ना हो, किसी कालेपन को कमतर आँकना हमारी हमारे गोरेपन की मानसिक गुलामी के भाव झलकाता है, जबकि बुराई रंग में नहीं हमारी समझदारी में होती है कि हम अपना भविष्य अपने सोचने समझने की क्षमता को सिर्फ रंग के आकर्षण के कारण किस तरह प्रभावित कर रहे हैं – 'केवल एक गौर वर्णी शरीर की मालकिन.....क्योंकि उसने पहली ही मुलाकात में जता दिया था कि मेरी सब सहेलियाँ सब रिश्तेदार कहते हैं, सुशी तू इतनी गोरी चिट्ठी तेरा लाड़ा काला भौँचक में उतरती वय की इस कसक को जानकर।' रंग के कारण सब कुछ अस्वीकार यह विवाह की सबसे दुखद पहलू इसलिए है कि विवाह पूर्व सुशी से इस विषय पर कभी चर्चा ही नहीं की गई, इसलिए कुंठित होकर विवाह धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहता है इसके नतीजे और भयावह संकेत के खतरे हमें आगे देखने को मिलते हैं। जीवन भर शिकायतें चलती रहती हैं। सुशी के अपने पति की गोरा रहने की चाह स्वाभाविक थी क्योंकि आज के माहौल में स्वस्थ और सुंदर जोड़े का दिखना सभी पहलुओं की अनिवार्यता है – 'किस्मत ने काला लाड़ा भाग्य में लिख दिया जो मुझसे मेल नहीं खाता'सुनकर लगा कहीं तो कुछ असामान्य हैं..... सुशी मूलतः – गौर वर्ण थी, उसे सुंदरता बढ़ाने के लिए किसी कॉस्मेटिक या किसी तकनीकी के अधीन

रहने की जरूरत नहीं थी पर जैसे वह अपने पति पर नजर डालती उसे लगता उसकी जिंदगी वीरान हो गई हो उसकी आँखे सदा भावहीन रहती।

उसके सपनों के रंगों में उदासी का घना अंधेरा पूरे जीवन भर छाया रहा उन सपनों के धूसर रंगों की उदासी को अभिव्यक्त करने के लिए सुशी के पास कोई अपना नहीं था यही वजह थी कि वह अंदर घुटती चली गई सुशी ने कड़ा रेखांकन अपने आसपास बना लिया। उन रेखांकनों की कठोरता के कारण सुशी के ससुराल वालों ने यह विचार किया कि अब सुशी को मायके छोड़ दिया जाना चाहिए किन्तु नियति को कुछ और ही मंजूर था लेखिका डॉ. कला जोशी ने लिखा है – 'जिस पति को काला समझकर मैंने नाक सिकोड़ी थीउसीने मुझे मायके भेजने का विरोध किया.... जिसे ब्याह कर लाया हूँ अब वहीं मेरा भाग्य है, वह यहीं रहेगी कहीं नहीं जाएगी,,,,, कह कर सबका मुँह बंद कर दिया था। मेरी स्थिति का फैसला भी हो गया..... मैंने मन पाखी के पर कुतर दिए जीवन की गाड़ी किसी तरह चलने लगी।'

मेरा जीवन जैसे ओस की बूंदों से भीग गया था जिसमें नमी तो थी जो ऊपर से बेहद सुंदर दिखाई दे रहा था किंतु उस ओस की नम हवा अपने साथ मनहूसीयत अलगाव के भाव भी दबाए बैठी थी – 'घर में कैद होकर रह गई उन्होंने कभी साथ ले जाना गंवारा नहीं समझा। मेरी दौड़ सिर्फ मायके तक थी जहाँ उनके ऑफिस जाते ही मैं प्रायः रोज चली जाती अब तक एक बेटी और बेटे की माँ बन चुकी थी, पर उनकी परवरिश सासूजी ने ही की।' सभी ने मेरी स्थिति को दल कर रख दिया सभी की प्रकृति मेरे साथ अजीब सी हो गई सभी की लापरवाही मेरे प्रति मुझे दिखाई देने लगी मेरे जीवन में अचानक बिजली तब चमक उठी जब मेरे अपने बच्चे, दादी पापा के मुखापेक्षी बने रहे, मुझे घर में गंवारा करार कर दिया गया, मुझे अपने ही घर में अपने ही बच्चों से विमुख कर दिया गया मैं तो सिर्फ दर्शक की भाँति अपने जीवन का उपसंहार देखने में लगी थी जिस पर कोई ना कोई जुमला रोज फेंक दिया जाता है जिससे मेरे बच्चों के दिल में मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई थी।

डॉ. कला जोशी की कहानी 'अस्तित्व' में यह सतत् विचारणीय है कि अंत समय में भी सुशी की पसंद का ध्यान नहीं रखा गया उसे सदैव रिश्तों से कड़वाहट ही प्राप्त हुई उसकी उपस्थिति सदैव महत्वहीन बताकर उसके महत्व को कभी स्वीकार नहीं किया उसके जीवन की हर इच्छा को भाग्य पर छोड़ कर उसके प्रश्नों के उत्तर के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता था। सुशी को लेकर परिवार के सभी सदस्यों ने छोटी साच धारण का रखी थी। उसका अपना पूरा जीवन ठगा सा बीत गया वह कभी यह तय नहीं कर पाई कि जो कुछ भी उसने पाया क्या वह किसी ने बलपूर्वक उसे प्रदान किया था या स्वेच्छा से वह इन सभी रिश्तों को निभाना चाहती थी? क्या परिवार के किसी एक रिश्ते ने भी भीतर एक उम्मीद की चिंगारी भी जीवित रखी थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. कला जोशी की कहानियाँ।

Benchmarking The Indispensable Hygienic Behaviours Of School Children As Healthy Life Skills To Be Imparted For Harnessing Future India

Dr. M.T.V. Nagaraju*

Abstract - The Millennium Developmental Goal (MDG) of the National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) in collaboration with the United Nations Children's Fund (UNICEF) (2016) correctly emphasised that Government of Madhya Pradesh do generate credible evidence for policy influencing and realizing the rights of every child particularly the most disadvantaged. Hence it is a predominant function of any school system is to generate a healthy well-being younger community which is vital our national growth. The primary emphasis present investigation has laid an through analysis on the sanitation and healthy behavioural characteristics of the school children in the anuppur district of Madhya Pradesh.

Key Words - Benchmarking, Indispensable Hygienic Behaviours, Healthy Life Skills, Harnessing Future India.

Introduction - The paramount situation of basic amenities in schools

The data revealed by the NUEPA (2010) is alarming as many of the schools in many states in India do not possess the water and toilet facilities which is to be realized for its noticeable implementation.

Figure – 1 (See in the last page)

Though responsibility of states are much realised, practicable implementation of schemes are not paramount as of now.

- The functional water facilities are much lesser in the 8 states at the level of below national average (Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Nagaland and Tripura)
- Functional toilet facility in schools is less than the national average in 13 states, which implies that a lot has to be done in ensuring safe sanitation to children in schools. [Source: DISE 2009-10, NUEPA, New Delhi].

Though the governmental initiatives are at optimum level, yet a total 6.50 million children (3.46 % children of total enrolment) do not have access to drinking water facility in schools.,

- **13 states** (Meghalaya, Assam, Nagaland, Tripura, Mizoram, Jharkhand, Jammu & Kashmir, Orissa, Arunachal Pradesh, Uttarakhand, Karnataka, Manipur and Andhra Pradesh) account for **more than 3.39 million** children without access to drinking water facility in schools.
- Total of **27.6 million** children (**14.1 million boys** and **13.5 million girls**) accounting for 14.7% of total children enrolled do not have access to toilet facility in schools.
- **7 states** (Orissa, Meghalaya, Chhattisgarh, Jharkhand,

Assam and Bihar) account for **almost 50% (13.8 million)** children without access to toilet facilities in schools. [Source: DISE 2009-10, NUEPA, New Delhi].

Prevailing Conditions in Madhya Pradesh - In Madhya Pradesh, Adolescent Girls' Health Project: CARE introduced this project in Jabalpur City; Madhya Pradesh with a focus on addressing reproductive health needs of adolescent girls. Although the target population of the project included slum community, schools were also used as platform for peer education for this project. (Amod Kumar 2003, Head, Community Health Department, St. Stephen's Hospital, Delhi). The same project was not extended to the rural and sub rural hamlets of the state and hence sub rural areas like Thali, Bejri, Pondki, Rajendragarh etc of the Anuppur District encounter the extreme pitfall as far as the sanitation is concerned.

Figure – 2 (See in the last page)

Participatory Transactional Process - the crux of a healthy child rearing - Child participation is a prerequisite for the realisation of any WASH interventions in these distantly located schools. Generally teachers in primary and secondary school have been trained in traditional classroom teaching approaches; in which there is most of the little children do not engage themselves for active participation. Moreover, the participatory class room instruction has its significant role and the children are greatly influenced by the teaching methods adopted which give more learning benefits. These methods actively involve children in the learning process and allow them to learn from their actions and with their classmates.

Developing appropriate hygiene behaviour is greatly enhanced by allowing children to fully participate in the class room transaction. In this way, children:

- Learn and adopt new concepts and skills quicker.

*Associate Professor (Education) Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak (M.P.) INDIA

- Acquire useful knowledge from participating in environmental activities.
- Are a source of creativity, energy, initiative, dynamism and social renewal
- Contribute meaningfully to environmental restoration and protection in their communities.

Through participatory teaching methods used by teachers or through special hygiene teachers in school, during school hours as part of the regular curriculum (generally a more sustainable approach) through special youth hygiene clubs within and outside the school. Not part of the official curriculum, these clubs depend more on the motivation and enthusiasm of individuals and are thus less sustainable.

Participatory teaching methods can be used with the whole group or with several smaller groups. Working with a whole class is best when introducing a method in which students give each other positive feedback.

Further, use of small groups gives every student a chance to fully participate and encourages their contributions and exchanges of opinion. At the same time, the group work helps children to develop cooperation and teamwork skills.

Youth hygiene clubs get schoolchildren actively involved as it invokes for a healthy and hygienic school and community. In the clubs, they learn appropriate hygiene behaviour and can train as peer educators and as overseers of hygienic conditions in the school and schoolyard.

Clubs also allow teachers to experiment without the constraints of a classroom. In-school health clubs run in conjunction with other school clubs and teacher led groups. After-school health clubs operated in the school after class with external input, such as from community health workers or NGO staff.

Situation Analysis Of Adolescent Girls -

(Source - Presentation made by Ministry of Women and Child Development, GOI, on SABLA)

- 21% of Adolescent Girls have no access to education
- The dropout rate (I-X): 57.29%
- Nearly 50% of Adolescent Girls marry before age of 18 years
- They are about 47% undernourished with low BMI

State initiatives: Madhya Pradesh – Way Forward - MHM integrated in SABLA - in 15 Districts of the State, benefitting 800,000 adolescent girls.

- Training module on SABLA has exclusive section on MHM
- 10 State-level Master Trainers, 241 District level Master Trainers, 1073 ICDS supervisors and 50,000 AWW and “Adolescent Facilitators” (Sakhi-Saheli) have been trained on MHM
- Sanitary napkins production by Women Self-Help Groups in 2 SABLA Districts
- Supply chain and marketing of the existing producers: demand creation, mapping of catchment areas of existing production centers

- Expanding the reach - technical support to Women Self-Help Groups for development and marketing of low cost sanitary napkins (2013-2015).

Educational assistance - Girl student Assistance Programme (NASP) Rs. 3,000/is deposited in the name of eligible girls as fixed deposit after passing Grade 8 and enrolling in Grade 9. The girls are entitled to withdraw the sum along with interest on reaching 18 years and on passing 10th class.

- Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) residential schools with boarding facilities at elementary level for girls. 75% girls should be from SC, ST, OBC or minority communities and only thereafter, 25% girls from families below poverty line.

Generally, Neither the teachers nor the students are much familiar with these above stipulated schemes and may not have assistance from elder community in home or in school.

Methodology - The normative survey was adopted to analyse the hygienic conditions of the school students of Anuppur district.

Demographic profile of the study area - The rural sub rural hamlets of Anuppur district are not well empowered for its healthy living mode of habits and people are not generally aware of the healthy practices attentively as the downtrodden economic condition prevails. This is characteristic feature is echoed in the school premises where the research is undertaken.

Selection of project priority areas - The primary schools around Indira Gandhi National Tribal University were selected for the study where most of the tribal students studying.

Moreover, The Anuppur district of Madhya Pradesh which comprises 7.25 % of S.C's and 46.41% of S.T's with 49.54% of below poverty line spreaded across the 581 villages.

The agronomy based social structure exists in villages with down trodden conditions which echoes on poor quality outcome of education of the school children in particular. Through the oral interview sessions conducted on school teachers as well as on students, the survey is made on the hygienic practices of the tribal students both in school and in their respective residential areas. The actual intensity on the healthy habits were drawn by using the following tools.

Research tools used - The following tools were used

1. Hygienic inventory of school students – to analyse the reality of healthy practices to endure proper schooling by the tribal students
2. Hygienic inventory of school teachers – to analyse the transactional methods adopted in the classrooms for healthy living, governmental intervention program or assistance for the infrastructural facilities available, the existing lacunas in the premises that hamper the worthy living of the school community.

Research Process - The research process is inclusive of pre-analytical phase, Data phase and Discussion Phase.

Pre Analytical Phase - During this phase the unstructured interview was conducted to the school headmasters, students and peoples around the school premises. Nearly 50 interview items were selected based on its intensive and assertive reflections on the health and sanitation programs, schemes of the governmental, non-governmental organisations, parental involvement, ambience at home and school.

Post Analytical Phase - The data were collected by these tools are critically analysed in the following table 1.

The criteria of the post analytical phase are

1. Standards set
2. Knowledge level of the students on healthy living
3. Attitudinal changes if any imparted in schools
4. Real time healthy practices observed

(See in the last page)

Discussions - The current investigation found that the existing structural and functional school system must be revamped so as to make a healthy Indian life which is visualised. Many tribal studies are in congruence with the present study.

“The villages lack sanitation, water supply, and, in few cases, connecting roads. Lack of roads makes it difficult to reach these areas, especially to transport a woman for delivery. Seasonal variations also add to these problems. When it floods, the van drivers are unable to access villages. Many pregnant women in labor have been asked to walk to the nearest road” - ACCESS Health International, Inc. Madhya Pradesh Health Systems Assessment Report, Health Financing Support Program, 2016.

Totally 100 beds are available in the hospitals in the 4 blocks – 7 community hospitals, 16 primary and 127 sub centres in the rural area. Many students the district are opined that the medical facility are not available as they hail from remote localities of the district. It is also opined that the quality service delivery is not optimum both in the school premises and in residential areas.

Further, the fruits of globalization have not reached to tribal areas fully. Except facilities like roads, elementary education, primary health centre, and panchayat, no concrete change has been taken place in their lives of tribal people. Further, Nav Neet Bhattacharya (2012) Though, the Bridge Language Inventory (BLIs) have been prepared

for the teachers of Madhya Pradesh teachers as handbooks, but the rural students are yet to be nurtured to reap benefits of these modern academic programs. Additionally, Panigrahi (1998) stated that the tribal education must be aimed for national growth.

Conclusion - The participatory approach must be one of the prime solutions to the glitches and hitches of the healthy schooling and for general living. The technology based interventions will also be a boon the bring the noticeable results in the school system in these tribal predominant areas

Acknowledgement - The authors specially acknowledge the Indian Council of Social Science Research (ICSSR) for funding the project study.

References :-

1. Chantia, & Preeti Misra.(2015). Impact of Globalisation on Tribal Groups in India. (An Anthropological Study on Dhankut of District Bahraich, U.P.), Arts Social Science Journal no 6.
2. Department of Women and Child development (1995), Ministry of HRD GOI: Fourth World Conference on Women, Beijing.
3. Fleming, C. B., Harachi, T. W., Cortes, R. C., Abbott, R. D., & Catalano, R. F. (2004). Level and change in reading scores and attention problems during elementary school as predictors of problem behavior in middle school. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders, 12*, 130–144.
4. Hawkins, J. D., Catalano, R. F., Kosterman, R., Abbott, R., & Hill, K. G. (1999). Preventing adolescent health-risk behaviors by strengthening protection during childhood. *Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 153*, 226–234.
5. Multon, K. D., Brown, S. D., & Lent, R. W. (1991). Relation of self-efficacy beliefs to academic outcomes: A meta-analytic investigation. *Journal of Counseling Psychology, 18*, 30–38.
6. Nav Neet Bhattacharya, (2012). Education for the Tribal Children – developments and Strategies, Signature books International, New Delhi.
7. Pangrahi, P.K., (1998). Political Elite in Tribal Society, Common Wealth publishers, New Delhi.

Figure - 1- Showing the State wise functionality of drinking water facility





Figure - 2 - The percentage of children without toilet facility



Standards set	Knowledge	Attitudes	Practices
<p>Diarrhoea and worm infections are two main health concerns that affect people on a large scale and can be improved through appropriate toilet and urinal use.</p>	<p>Exposed faeces are the leading cause of spreading diseases and making people sick. Behaviours can lead to worm infections.</p>	<p>Children recognize the importance of safe use of toilets and urinals, including the safe disposal of faeces and hygienic anal cleansing followed by washing hands with soap.</p>	<p>Children practice the safe use of toilets and urinals, including the safe disposal of faeces and hygienic anal cleansing followed by washing hands with soap. Depending on age, children maintain and operate school toilets and urinals.</p>
<p>School Indications - On-field assessment in schools (Pondki, Bijori, Thali, Amarkantak, Rajendragram) apparently showed the above mentioned standards of toilet usage which is very critical as most of the schools in these locality do not have proper toilet and drinking water facilities. Many students absenteeism (15- 25 students at average) due to water borne illness is also observed on daily basis by the investigators. The doors of the toilet are broken and water pipe facilities are not available in the toilets. The roof of the toilet is also not good in condition.</p>			
<p>Personal hygiene - Many diseases can be attributed to poor personal hygiene</p>	<p>Personal hygiene impacts diseases</p>	<p>Children understand appropriate personal hygiene: washing hands with soap (see separate point), wearing shoes or slippers, cutting nails, brushing teeth, combing hair and the regular washing of body and hair</p>	<p>At all times, children wash hands with soap, wear shoes or slippers, cut nails, brush teeth, comb hair and regularly wash the body and hair.</p>
<p>School Indications - the observations made in these schools conclude that the students do have poor personal hygiene due to dusty flooring and other agronomy based works at home.</p>			
<p>Hand washing with soap - Hand washing at critical moments reduces the risk of diarrhoeal diseases by 42-48 per cent and significantly reduces the incidence of acute respiratory diseases.</p>	<p>Hand washing with soap drastically reduces diarrhoeal diseases and acute respiratory diseases.</p>	<p>Children understand the importance of hand washing with soap after toilet use, before and after eating, before preparing food and after cleaning babies.</p>	<p>Hands are washed with soap after toilet use, before and after eating, before preparing food and after cleaning any things.</p>
<p>The field observations clearly indicated the non – usage of soaps before taking meals or after using toilets. Hence many students have the respiratory disorders like coughing, general cold with running nose. They do not use even hand kerchiefs to prevent the mucus and these schools do not have soaps.</p>			
<p>Reproductive health Maintaining hygienic reproductive health</p>	<p>Sanitation during Menstruation to prevent odour or renal diseases</p>	<p>Washing daily and to wipe out defecate.</p>	<p>Sterilising by using soap with mild water.</p>
<p>Observable indications - Since all the students are hailing from sub rural hamlets of the district, they are neither properly trained by their parents or by teachers to use safety napkins nor they have proper toilet facility at home.</p>			
<p>Waste management and water drainage - Appropriate handling of solid waste and stagnant water helps in pest control and limits breeding mosquitoes and flies.</p>	<p>There are health risks in the non-collection of solid waste and removal of stagnant water.</p>	<p>Children link collection and treatment of solid waste with overall health risks. They understand the relationship between standing water and insect breeding.</p>	<p>Solid waste is collected and treated; standing water is drained.</p>

Observable indications -Though the remotely located rural schools and residential areas are having some natural drainage mechanism, the stagnant water is clearly observed in most of these schools and it make brooding stock with mosquitoes and flies.

<p>Water treatment, handling and storage - Through testing and treatment, water can be made safe from faecal or chemical contamination.</p>	<p>Where possible, communities should collect water from a safe source and store it safely. If the source is not safe, water must be treated through boiling, filtering, solar or chemical disinfection.</p>	<p>Communities understand the necessity of treating unsafe water through boiling, filtering, solar or chemical disinfection</p>	<p>If the source is not safe, children always treat the water through boiling, filtering, solar or chemical disinfection.</p>
---	--	---	---

Observable indications -Neither all these schools nor residential area do not have the water treatment and water storage facility. Consequently, the students suffer from the possible infectious diseases. Further, students never bring the boiled water to the schools as they are not habituated.

<p>Food hygiene - Eating healthy food is essential for the well-being and survival of each human being. Eating 'contaminated' food (also known as 'food poisoning') can be a significant source of diarrhoeal diseases.</p>	<p>Food hygiene and diseases are linked. Food should be stored appropriately. There are recognizable signs when food is spoiled.</p>	<p>Children know how to store food appropriately and recognize common signs of spoiled food.</p>	<p>Raw fruits and vegetables and raw meat, poultry or fish are treated and stored appropriately</p>
--	--	--	---

Observable indications - Most of the students do not bring the food prepared at their homes. Consequently, the students suffer from the possible infectious diseases after consumption of food stuffs from nearby school premises. Further, students use to consume the contaminated food sold in the peripheries of their respective schools. Many of the students do not aware of the programs and hence they have unhealthy and grubby dressed with moderately uncombed hair.

Role Of Value Based Education In Society

Dr. Dheeraj Verma*

Abstract - In India value based education is the real need of the hour. As we see how the society is diminishing in case of day by day. It is necessary to develop the programs for inculcating values in the society. Today's Indian youths are little bit, confused because of the bombarding of the new technological devices, information explosion and violent news by the press and media. To inculcate the value system in their confused minds and make them value oriented-powerful leaders, educational institutions should take the initiative to impart value based spiritual knowledge to this new generation.

Key Words - Value Education, Nature of Value Education, Value- Oriented Education.

Introduction - India has been traditionally respected for its strong value system as it had strong ethically based education system which imparted strong ethics into human minds and paved way for a healthy and good society with strong bonds. It is well known that our great epics and puranas (ancient history) have taught us many good things. We have these treasures of knowledge and wisdom in our ancient epics, which are proved again now.

In ancient India, the Vedas (Knowledge of Hindu-Scriptures), the Upanishads (Mystical Treatises), the Itihasas (Epics) manifested and upheld the values of Indian society. More importance was given to morality, honesty, duty, truth, friendship, universal brotherhood (Vasudhaiva Kutumbakam). They were the themes of culture, literacy and Indian society. The pupil could learn the first lessons of duty, devotion, dedication and discipline. The life of guru used to be a role -model for his disciples. The concept of value is gaining importance because of the present unwholesome condition of the society where higher values are given scant recognition. At this juncture, it is worth thinking about the concept of value and its different aspects and relationship with man. 11 The German philosopher Friedrich Nietzsche first used the word It something desirable, to be worthy; to be strong. Values influence choices and provide a framework for life goals. They are largely culturally oriented, and are formed through the examples of others (modelling)

According to the Oxford dictionary value means worth. From the historical point of view, value is defined as a thing which is good. Operational meaning of value is a factor which affects human behaviour. From an economical viewpoint, value is associated with what fulfils or has the capacity of fulfilling the needs of man - might be physical, psychological or spiritual. So, values always refer to human needs such as food, clothing, shelter, etc.

In the present context Value based education is an approach to teaching that works with values. It creates a strong learning environment that enhances academic achievement and develops student's social relationship skills that last throughout their lives.

The positive learning environment is achieved through the positive values modelled by stall throughout the school. It quickly liberates teachers and students from the stress of confrontational relationships which frees up substantial teaching and learning time. It also provides social capacity to students equipping them with social and relationship skills, intelligences and attitudes to succeed at school and through out their lives.

When we actively engage with the values we start to understand their implications for making choices about our attitudes and responses. A value based approach encourages reflective and inspirational attributes and attitudes. There can be nurtured to help people discover the very best of themselves, which enables them to be good citizens and prepare them for the life of work.

Defininations -

According to Emma Coleman - Value based Education as it encourage and supports the spiritual, moral, social and cultural wellbeing of every child and it is interwoven through every element of school life, it is something that can be seen but more importantly felt.

According to Joseph Piatczanyn - Value Based Education is the golden thread in our school contributing to excellent learning, articulate young children and harmonious learning environments.

According to Shannop Year - Value based education has been an extraordinarily powerful instrument in improving the students capacity to learn, to become more engaged and successful learners and finally to flourish into moral and valued citizens throughout their lives.

*Principal, Amritum Teacher Training College, Batawadi, Th. Anta Dist. Baran (Raj.) INDIA

Nature of Values In the light of various definitions and principles of determination of values the following conclusions can be drawn regarding the meaning and nature of values -

1. Values related to the aims of human life. For the achievement of aims men frame certain notions and these notions are called values.
2. Our conduct is motivated by our values.
3. Values are masterminds which give direction to one's strivings. Values represent feelings, wants, interests, attitudes, preference and opinions about what is right, just, fair or desirable.
4. Value is the act of characterizing something. A person who values justice will spend a lot of energy in search of it.
5. Value is the co-operative result of an interaction between personal and impersonal elements.
6. Value has its importance and worth. Only a good person is able to see and recognize good things.
7. Creation and preservation of value is an important purpose of man.
8. The greater the consideration and importance of values the better is the social group.
9. Values have characteristics like subjectivity, objectivity, material or abstract elasticity etc.
10. Values aim .at protection self realization, satisfaction, perfection and development, integrity etc.
11. Anything which has utility is valuable.
12. Value is helpful in existence.
13. Anything which is helpful in organizing society is called value.
14. Values are experiments in present and past as well.
15. By virtue of his emotion man determines his values.
16. Values are felt sometimes partially and sometimes wholly.
17. Values are determined by the notions of individuals and also by the circumstances in which he lives.
18. Anything has value if it relates to the perfection of life for which a man endeavours in his life.
19. The values are inner imperatives which urge us to seek higher goals. Hence, values are those which satisfy our needs.

The latest generation of teacher evaluation systems seeks to incorporate information on the value-added by individual teachers to the achievement of their students. The teacher's contribution can be estimated in a variety of ways, but typically entails some variant of subtracting the achievement test score of a teacher's students at the beginning of the year from their score at the end of the year, and making statistical adjustments to account for differences in student learning that might result from student background or school-wide factors outside the teacher's control. These adjusted gains in student achievement are compared across teachers. Value-added scores can be expressed in a number of ways. One that is easy to grasp is a percentile score that indicates where a given teacher

stands relative to other teachers. Thus a teacher who scored at the 75th percentile on value-added for mathematics achievement would have produced greater gains for her students than the gains produced by 75 percent of the other teachers being evaluated. Critics of value-added methods have raised concerns about the statistical validity, reliability, and corruptibility of value-added measures. We believe the correct response to these concerns is to improve value-added measures continually and to use them wisely, not to discard or ignore the data. With that goal in mind, we address four sources of concern about value-added evaluation of teachers.

To creates a better learning environment in which students are able to attain better academic results. It creates a better teaching environment, in which are more fulfilled and significantly less stressed. It equips students with social capacities that help them work with and relate to others effectively. I provide them with the self-esteem and confidence to explore and develop their full potential. It leaves no student behind, irrespective of their background. In India value based is the real need of the hour. As we see the society is diminishing in case of moral values of life day by day. It is necessary to develop the programmes for increasing values in the society.

Today's Indian youths are little bit confused because of the bombarding of the new technological devices, information explosion violent news by the press and media. To inculcate the value system in their confused minds and make them value oriented powerful leaders, educational institutions should take the initiatives to impact value based spiritual knowledge to this new generation.

Value Based education focus on- Respect, Responsibility, Tolerance, Thoughtfulness friendship, love, courage, Appreciation, empathy, co-operation, Positively, Unity, Peace, Happiness, Hope, Patience, care Humanity, trusts, Freedom, Determination, Self confidence.

R.M. Kalra and R.R. Singh in their book curriculumconstruction for Youth Development categorise values as follows -

1. **Essential Values** - These involve the basic nature of man himself.
2. **Personal values** - Those which are enriching and good for the individual.
3. **Social Values** - Those which are good for society. This discusses the basis of the relationship of an individual with other people.
4. **Institutional Values**- They include political, moral and establishment values.
5. **Cultural Values** - They involve the survival of a culture.

Values of Education It is rightly said, are an end in themselves and values are the educational values are individual as well as social. Thus, these educational values have many advantages for individual and social life. They are -

1. Development of healthy and balanced personality.
2. Capacity to earn livelihood and acquire material

prosperity.

3. Development of Vocational efficiency.
4. Creation of good citizenship.
5. Development of character.
6. Re-organisation and re-construction of experiences.
7. Adjustment with the environment and its modification.
8. Fulfilments of the needs of man.
9. National integration and national development.
10. Leaders and skilled workers.
11. Promotion of social efficiency.

Value - Oriented Education - Value-oriented education implies developing values through curricular and co-curricular programmes in educational institutions. One of the major crises is that Indian education presently facing is value deterioration, eroding the very core of human life. It has been felt that the main focus during the last three decades has been on quantitative expansion of educational institutions and consequently adequate attention could not be paid for maintaining standards and quality of education. The output of the educational system is not only of poor quality but the degradation of moral values has also been noticed. It is also argued that inadequate attention paid to value education, especially in the earlier stages of school education, has been the major cause of declining values. Prem Kirpal and Tripathi in their papers argue that the eradication of poverty and the development of human resources can not be achieved without inculcating the sense of values among the masses. It is in this context that the schools must play a vital role in imparting value education. R.C. Mehrotra in his paper on value-oriented education in science and technology emphasizes that value is not only important at the school level but should also form an essential component of the 36 higher education as well and particularly in the field of science and technology. He points out that teaching is normally based on the premises that value-oriented education is not relevant to the teaching of science and technology. When education is value-oriented, the entire prospect of education undergoes a radical change a very happy transformation to ensure a continuous growth intellectually, culturally and spiritually. If the teacher has keen interest on values and has faith in higher purposes of life, he can guide the whole generation through his versatile personality. Dr.S.Radhakrishnana and Rabindranath Tagore are modern examples of great teachers who influenced the country with their philosophy of value-oriented education.

In conclusion mere desire or aspiration to progress in life is not enough; success should be based on values. And for that value based education must be imparted in today's institutions. So that the students may emerge as good leaders in their chosen fields. -

References :-

1. A Vedanta Kesari Presentation (2008) Values, Sri Ramakrishnamath, Maylapore, Chennai.
2. Acharya BS (2007) Srimad Valmiki Ramayanam, Pudhiya, Pustakanilayam Chennai.
3. Allport (1950) Indian Streams Research Journal, ISSN.No.2230- 7850
4. Bao (1998) Multimedia Comparison of Value Orientation between Chinese and American Elementary Text Books, Refer to ERIC website No.421107.
5. Bernard Berelson (1952) Content Analysis in Communication Research, Free Press Glecoe p.18. Bharadwaj, Tilak Raj (2001) Education of Human Values, Mittal Publications, New Delhi.
6. Cakravarti Rajagopalachari (1973) Ramayanam, Vanathi Paddhippagam, Chennai.
7. Castelino, Herman (2006) Should Value Education be Taught in Schools, New Frontiers in Education, Volume No.34,1,pp336-339
8. Daniel, E. (2005) The Impact of Teachers and Parents on Children, New Frontiers in Education, Vol XXXV, No.1, 29-30.
9. Davis, Joyee et al (2007, July- Sept) Value Education for Children: Whose responsibility? New Frontiers in Education. 301
10. Elizabeth B. Hurlock (1972) Mcgraw Hill, Education of Child Development, ISBN No.007031425x. Edward L. Thorndika (1932) A Teachers Word Book of the 20000 words, Teachers College Press, New York.
11. Gall B.P (1973) Value Clarification as Learning Process :A Source Book of Learning Theory, Paulist Press, New York.
12. Gandhi, K.L. (1993) Value Education: A study of Public Opinion, Gyan Publishing House, New Delhi. Gnanasambandam, (1997) Rama Panmukhanokkil, Gangai Pustaka Nilayam, Chennai.
13. Gupta, N.L. (1988) Training cum Research Project in Value Orientation and Value Analysis Model, Department of Teacher Education, NCERT, New Delhi.
14. James C. Montague Jr. (1976) A Preliminary Methodological Verbal Computer Content Analysis Study of Preschool Black children, Journal of Educational Research 69, pp.236- 40.
15. Kujur Donatus (2007) A study of the Impact of Value Clarification Strategies for enabling students of class VIII to deal with Value Conflicts, Ph.D (Edn) Thesis Baraoda: M.S University
16. Lalitha Parameswari (2013) Religious Values and Management Ethics. Journal of Social Welfare and Management.
17. Mehta M.H. (2003) A study of Value Elements in English Textbooks at upper primary school level of Gujarat medium schools, M.Ed Dissertation Baraoda M.S. University
18. NCERT (1979) Document on Social, Moral and Spiritual values in Education (list of values) National Council of Educational Research and Training, New Delhi.
19. Prema P. (2007) Essentials of Philosophical Foundations of Education, Sri Gayatri Publishers, Karaikudi, Tamilnadu.

20. RamaRao, K. (1986) Moral Education : A Practical Approach, Rama- krishna Institute of Moral and Spiritual Education, Mysore.
21. Ramesh Chandra (2005) Impact of Media and Technology in Education, Kalpaz Publications, New Delhi.
22. Report of the National Seminar (2002) Peace and Value Education for Schools, Dharma Bharati National Institute of Peace and Value Education, Hyderabad.
23. Sankata Prasad Upadhyaya (1988) Samkshipt Mahabharat, Secretary, NCERT, New Delhi.
24. Sharma, A.P. (1995, May) Can Teachers Inculcate Values? University News.
25. Sharma, ARK (2010) Winning Friendship, Viveka Hamsa Prakashna, Bangalore.
26. Swami Vivekananda (1993) Buddha and His Message, Advaita Ashrama, Kolkatta.
27. Swami Vivekananda (2004) Integral Education, Sri Ramakrishna Vidyasala, Mysore. Thirunavukkarasu (1998) Srimad Kamba Ramayanam, Narmada Padhippagam , Chennai.
28. Tillman, D. (2003) Living Values: An Educational Programme, Educator Training Guide, Sterling Publishers, New Delhi.
29. Venkataiah, N. (1998) Value Education, APH Publishing Corporation, New Delhi.
30. Venkatraman, M.K.(1992) Navaratnamala Sundarakandam, Sankar Printers Private limited, Chennai Wuchohn (1957) Environmental Health and Value Education, S.Goel. ISBN -978-81-8450-117-9, Deep and Deep Publication, New Delhi.

विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति का उनकी सृजनात्मकता के संदर्भ में अध्ययन

डॉ. विष्णु शर्मा * प्रो. शुभा व्यास**

प्रस्तावना - शिक्षा के द्वारा बालक को सुसंस्कृत एवं कुशल बनाया जाता है। शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाजिकता के साथ बुद्धि एवं व्यवहार का विकास करता है। मनुष्य को समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए उसे शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। सभ्य जगत की भव्य और आकर्षक दिखने वाली समस्त वस्तुएं शिक्षा की ही देन है। शिक्षा ही सुसंस्कृत मानव को मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक संतुष्टि प्रदान करती है। मानव की उन्नति एवं सभ्यता की प्रगति का यही एक मात्र साधन है। शिक्षा मनुष्य के विकास का मूल साधन माना गया है। जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, अनेक ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आज के आधुनिक विश्व में जहाँ ज्ञान का विस्फोट हुआ है। ऐसे समय में विज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरकर सामने आया है। इस विज्ञान विषय का ज्ञान विद्यार्थियों को शिक्षा के रूप में पाठशाला एवं विद्यालय में दिया जाता है। इस प्रकार सीखने एवं चिंतन करने का तरीका विज्ञान विषय के द्वारा अपनाया जाता है। वह अधिक से अधिक यथार्थ, तर्कसम्मत, विश्वसनीय, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक निश्चित, प्रक्रियात्मक, प्रयोगात्मक, बौद्धिक, सृजनात्मक, योजनाबद्ध, सारांशात्मक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह तरीका अन्य विषयों के द्वारा अपनाई गई पद्धतियों से बिल्कुल अलग किस्म का होता है।

लेकिन आज के वैज्ञानिक युग के संदर्भ में विज्ञान विषय का अत्यधिक महत्व है। इस महत्व को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान विषय सीखने में एवं उसके चिंतन में विशेष पद्धति अपनानी चाहिए जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके अध्ययन द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति उत्पन्न करने को लेकर है और उसका सारा श्रेय उसके अध्ययन में प्रयुक्त वैज्ञानिक विधि को है। ये दोनों ही विज्ञान विषय को विज्ञान बनाने में बहुत कुछ सहायक हैं।

वैज्ञानिक अभिवृत्ति को छात्रों में उत्पन्न करने के लिए अध्यापक को स्वयं कुछ उपाय करने होंगे। जिसके लिये उन्हें छात्रों में फैले अंध विश्वासों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रभाव विद्यार्थियों की सृजनात्मकता पर भी पड़ता है। यद्यपि सृजनात्मकता कलाकारों के जीवन में अधिक व्यापक रूप से पायी जाती है। लेखक, चित्रकार, कवि, विद्वान, अभिनेता आदि में सृजनशीलता विद्यमान रहती है। यदि वातावरण इस युग के विकास के अनुकूल हो तो व्यक्ति की क्षमता का

मौलिक विकास होता है। भारत के छात्रों में निहित सृजनशीलता का विकास न होने से हजारों-लाखों प्रतिभाएं अविकसित रह जाती है। इससे राष्ट्र को हानि होती है।

शोध का औचित्य - वैज्ञानिक अभिवृत्ति का प्रभाव विद्यार्थी की सृजनशीलता पर भी पड़ता है, जिससे वह नए नए व मौलिक कार्यों की ओर प्रेरित होता है। अध्यापक की चिन्तनशैली व छात्र की चिन्तनशैली अलग - अलग होती है तो अध्यापक को चाहिए कि वह वैज्ञानिक अभिवृत्ति द्वारा विद्यार्थियों की सृजनशीलता को जाने तथा उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करें।

इस प्रकार वैज्ञानिक अभिवृत्ति किशोरों में सृजनात्मकता का विकास करती है। साथ ही समाज में और विद्यालय में अधिगम व चिन्तन करने में उन्हें कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। वैज्ञानिक अभिवृत्ति उनके शैक्षिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

समस्या का अभिकथन - विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति का उनकी सृजनात्मकता के संदर्भ में अध्ययन।

अध्ययन के उद्देश्य - शोध हेतु निम्नांकित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है -

- माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति का उनकी सृजनात्मकता के संदर्भ में अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ -

1. माध्यमिक स्तर के सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में भिन्नताएँ नहीं हैं।
2. माध्यमिक स्तर के सरकारी व निजी विद्यालय के सकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों की सृजनात्मकता व उसके आयामों तारतम्यता, लचीलापन व मौलिकता के मध्यमानों में सार्थक अन्तर नहीं है।
3. माध्यमिक स्तर के सरकारी व निजी विद्यालय के नकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों की सृजनात्मकता व उसके आयामों तारतम्यता, लचीलापन व मौलिकता के मध्यमानों में सार्थक अन्तर नहीं है।

अनुसंधान की परिसीमाएँ -

- प्रस्तुत शोध कार्य जयपुर के चाकसू व कोटखावदा तहसील तक परिसीमित है।

* जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर (राज.) भारत

** जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर (राज.) भारत

- प्रस्तुत शोध कार्य माध्यमिक स्तर के कक्षा 9 के निजी व सरकारी विद्यालयों के 351 विद्यार्थियों पर ही किया गया है।

शोध विधि - प्रस्तुत शोध कार्य हेतु सर्वेक्षण विधि व व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के चर -

स्वतन्त्र चर - वैज्ञानिक अभिवृत्ति

आश्रित चर - सृजनात्मकता

न्यादर्श - शोधकर्ता द्वारा शोध कार्य के लिये जयपुर जिले के चाकसू व कोटखावदा तहसील के माध्यमिक स्तर के निजी व सरकारी विद्यालयों के 351 विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

शोध के उपकरण - परीक्षण सम्बन्धित विशेषताओं को ध्यान में रखकर शोधकर्ता ने शोधकार्य के लिए निम्नलिखित उपकरणों को प्रयोग में लाया गया है।

- अविनाश ब्रेवाल द्वारा निर्मित विज्ञान अभिवृत्ति मापनी।
- एन्यू टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी रोमा पाल द्वारा निर्मित सृजनात्मकता मापनी।

सांख्यिकी तकनीकी - शोधकार्य में निम्नलिखित सांख्यिकी का प्रयोग किया है-

- काई वर्ग परीक्षण
- टी परीक्षण

प्रदत्तों का विश्लेषण -

परिकल्पना-1 - माध्यमिक स्तर के सरकारी व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में भिन्नताएँ नहीं हैं।

तालिका संख्या - 1 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका संख्या 1 माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति से सम्बन्धित है। कोई वर्ग तालिका मूल्य .01 स्तर पर व 6.64 है। विद्यालय के प्रकार के आधार पर गणना करने पर काई वर्ग का मूल्य .57 प्राप्त हुआ। यह मूल्य काई वर्ग तालिका मूल्य के 0.1 स्तर से कम है।

इसका तात्पर्य यह है कि विद्यालय के प्रकार के आधार पर विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में भिन्नताएँ नहीं हैं।

आगे लिंग के आधार पर गणना करने पर काई वर्ग मूल्य 1.53 प्राप्त हुआ। यह मूल्य काई वर्ग तालिका मूल्य के .01 स्तर से कम है। जिसका तात्पर्य यह है कि लिंग के आधार पर भी विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिवृत्ति में भिन्नताएँ नहीं हैं। उक्त परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

इसका तात्पर्य यह है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सकारात्मक व नाकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति में समानताएँ हैं।

परिकल्पना-2 - माध्यमिक स्तर के सरकारी व निजी विद्यालय के सकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों की सृजनात्मकता व उसके आयामों तारतम्यता, लचीलापन व मौलिकता के मध्यमानों में सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या - 2 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका संख्या -2 माध्यमिक स्तर के सकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले निजी व सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता व उसके आयामों तारतम्यता लचीलापन व मौलिकता से सम्बन्धित है।

df 177 का टी तालिका मूल्य .01 स्तर पर 2.60 है। गणना करने पर सृजनात्मकता व उसके आयामों तारतम्यता, लचीलापन व मौलिकता के टी मूल्य 6.11, 3.07, 3.68 व 3.37 प्राप्त हुआ। यह मूल्य टी तालिका मूल्य

के .01 स्तर से अधिक है। अतः यह मूल्य सार्थक है। जिसका तात्पर्य यह है कि सरकारी व निजी विद्यालय के सकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों की सृजनात्मकता व उसके आयामों में भिन्नता है। आगे तालिका के अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि सृजनात्मकता में सरकारी व निजी विद्यालय के सकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों का मध्यमान क्रमशः 41.80 व 49.81 हैं मध्यमान से स्पष्ट होता है कि निजी विद्यालय के विद्यार्थी सफेद रंग के पशुओं के नाम लिखने में, सुन्दर फूलों को देखकर मन में विभिन्न प्रकार के भावों को व्यक्त करने में सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों से अधिक सृजनशील है।

सृजनात्मकता के आयाम तारतम्यता में सरकारी व निजी विद्यालय के सकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों का मध्यमान 23.9 व 27.7 है। मध्यमान से स्पष्ट होता है कि निजी विद्यालय के सकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थी विभिन्न तरल पेय पदार्थों के बारे में बताने में, विभिन्न प्रकार के मुहावरों के अर्थ बताने में समाज का व्यक्ति पर प्रभाव को बताने में सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों से अधिक तारतम्यता रखते हैं। सृजनात्मकता के आयाम लचीलापन में सरकारी व निजी विद्यालय के सकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों का मध्यमान 9.53 व 11.78 है मध्यमान से स्पष्ट होता है कि निजी विद्यालय के सकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थी टीवी के महत्व के बारे में बताने में, अचानक आए संकट का सामाना करने में, रसोई गैस रिसाव के परिणामों के बारे में बताने में सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों से अधिक लचीलापन रखते हैं।

सृजनात्मकता के आयाम मौलिकता में सरकारी व निजी व निजी विद्यालय के सकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों का मध्यमान 8.37 व 10.33 है, मध्यमान से स्पष्ट होता है कि निजी विद्यालय के सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थी परखनली से उत्पन्न मनुष्यों के स्वभाव के बारे में बताने में, अंतरिक्ष में जीवन के बारे में बताने में सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों से अधिक मौलिक विचार रखते हैं।

लेखाचित्र संख्या-01 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

माध्यमिक स्तर के सरकारी व निजी विद्यालय के सकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों की सृजनात्मकता व उसके आयामों तारतम्यता, लचीलापन व मौलिकता के मध्यमान।

परिकल्पना-3 - माध्यमिक स्तर के सरकारी व निजी विद्यालय के नकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों की सृजनात्मकता व उसके आयामों तारतम्यता, लचीलापन व मौलिकता के मध्यमानों में सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या - 3 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका संख्या -3 माध्यमिक स्तर के नकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले निजी व सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता व उसके आयामों तारतम्यता लचीलापन व मौलिकता से सम्बन्धित है।

df. 170 का टी तालिका मूल्य .01 स्तर पर 2.60 है। गणना करने पर सृजनात्मकता के आयाम तारतम्यता का टी मूल्य 1.40 प्राप्त हुआ। यह मूल्य तालिका मूल्य के .01 स्तर से कम है। जिसका तात्पर्य यह है कि सरकारी व निजी विद्यालय के वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थी सृजनशीलता के आयाम तारतम्यता में समानताएँ रखते हैं।

आगे तालिका के अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि सृजनात्मकता व उसके आयाम, लचीलापन व मौलिकता का टी क्रमशः 5.35 व 4.18 व

5.39 प्राप्त हुए जो टी तालिका मूल्य .01 स्तर से अधिक है। अतः ये टी मूल्य सार्थक पाए गए। इसका तात्पर्य यह है कि सरकारी विद्यालय व निजी विद्यालय के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता व उसके आयाम लचीलेपन व मौलिकता में भिन्नताएँ हैं। आगे तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सृजनात्मकता में सरकारी व निजी विद्यालय के नकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों का मध्यमान 42.81 व 50.56 है। मध्यमान से स्पष्ट होता है कि निजी विद्यालय के नकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों को गोल वस्तुओं के बारे में बताने में, एक वर्ण से प्रारम्भ होने वाले शब्द बताने में, चाकू का धर में प्रयोग बताने में, रूपों के लेने-देने के बारे में बताने व शिक्षा का स्वरूप बताने में, सरकारी विद्यालय के नकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों से अधिक सृजनशील है।

सृजनात्मकता के आयाम लचीलेपन में सरकारी व निजी विद्यालय के नकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों का मध्यमान 9.7 व 12.8 है। मध्यमान से स्पष्ट होता है कि निजी विद्यालय के नकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थी कागज के विभिन्न उपयोग बताने में, पर्स के उपयोग बताने में, सरकारी विद्यालय के नकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों से अधिक लचीलापन रखते हैं।

सृजनात्मकता के आयाम मौलिकता में सरकारी व निजी विद्यालय के नकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों का मध्यमान 8.47 व 11.76 है मध्यमान से स्पष्ट होता है कि निजी विद्यालय के नकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थी भूख न लगने के परिणामों को बताने में सरकारी विद्यालय के नकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों से अधिक मौलिक विचार रखते हैं।

लेखाचित्र संख्या-02 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

माध्यमिक स्तर के सरकारी व निजी विद्यालय के नकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों की सृजनात्मकता व उसके आयामों तारतम्यता, लचीलापन व मौलिकता के मध्यमान।

शोध निष्कर्ष -

1. माध्यमिक स्तर के सकारात्मक व नकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति में समानताएँ हैं, जिसका तात्पर्य है कि सकारात्मक व नकारात्मक

वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले विद्यार्थियों पर विद्यालय व लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. परिकल्पना - के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुए कि माध्यमिक स्तर के सकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले निजी व सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता व उसके आयामों तारतम्यता लचीलापन व मौलिकता में भिन्नताएँ हैं।
3. परिकल्पना -3 के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त हुये माध्यमिक स्तर के नकारात्मक वैज्ञानिक अभिवृत्ति रखने वाले निजी व सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों की सृजनात्मकता के आयाम तारतम्यता में समानता है तथा कुल सृजनशीलता व आयाम लचीलापन व मौलिकता में भिन्नता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गिलफर्ड. (1973) - फण्डामेंटल स्टेटिस्टिक्स इन साइकोलोजी एण्ड एज्युकेशन: मैकग्राहिल बुक कम्पनी, न्यूयार्क।
2. आहूजा आर. (2001) - रिसर्च मैथड्स: रावत पब्लिशर्स, न्यू देहली।
3. हिलगार्ड ई.आर. एण्ड बोअर जी.एच. (1957) - थ्योरीज आफ लर्निंग: द्वितीय संस्करण, एंग्लबुक क्लिफ्स न्यूजर्सी प्रेन्टिस हॉल।
4. एरटी एस. (1976) - क्रियेटिविटी द मैजिक सैन्थेसिस: वैसिक बुक, न्यूयार्क।
5. टोरेन्स ई.पी. एण्ड मायर्स आर.ई. (1970) क्रियेटिव लर्निंग एण्ड टीचिंग: न्यूयार्क डूडमेड।
6. रायजादा, बी.एस. (2006) - शिक्षा में अनुसंधान के आवश्यक तत्व : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
7. थार्नडाइक, ई एल. (1913) - ऐज्युकेशनल साइकोलोजी, द आरिजनल नेचर ऑफ मेन : टीचर्स कॉलेज, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी।
8. वेस्ट जॉन डब्ल्यू. (1973) - रिसर्च इन ऐज्युकेशन: प्रिंटिंग हॉल प्रा.लि. नई दिल्ली।
9. व्यास जगदीशचन्द्र, (1988) - क्रियानुसंधान संप्रत्यय और प्रक्रिया: श्रेयांस संस्थान प्रकाशन उदयपुर।
10. यंग पी.वी. (1952) - मैथड्स इन सोशल रिसर्च : मैग्राहिल कम्पनी न्यूयार्क।

तालिका संख्या - 1

विद्यालय के प्रकार	वैज्ञानिक अभिवृत्तियोग		योग	X2	सार्थकता स्तर
	सकारात्मक	नकारात्मक			
सरकारी	54	51	105	.57	सार्थक नहीं
निजी	125	121	246		

लिंग के आधार पर	वैज्ञानिक अभिवृत्ति		योग	X2	सार्थकता स्तर
	सकारात्मक	नकारात्मक			
छात्र	124	110	234	1.53	सार्थक नहीं
छात्रायें	56	62	117		


$$df=(r-1)(c-1) = (2-1)(2-1) = (1)(1) df = 1$$

तालिका संख्या - 2

सृजनात्मकता					
वैज्ञानिक अभिवृत्ति	N	M	SD	T	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालय के सका.(वै. अभि.) विद्यार्थी	54	41.80	7.61	6.11	सार्थक
निजी विद्यालय के सका.(वै. अभि.) विद्यार्थी	125	49.81	8.54		
सृजनात्मकता के आयाम तारतम्यता					
वैज्ञानिक अभिवृत्ति	N	M	SD	T	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालय के सका.(वै. अभि.) विद्यार्थी	54	23.9	5.6	3.07	सार्थक
निजी विद्यालय के सकारात्मक विद्यार्थी	125	27.7	8.01		
सृजनात्मकता के आयाम लचीलापन					
वैज्ञानिक अभिवृत्ति	N	M	SD	T	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालय के सका.(वै. अभि.) विद्यार्थी	54	9.53	3.7	3.68	सार्थक
निजी विद्यालय के सका.(वै. अभि.) विद्यार्थी	125	11.78	4.01		
सृजनात्मकता के आयाम मौलिकता					
वैज्ञानिक अभिवृत्ति	N	M	SD	T	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालय के सका.(वै. अभि.) विद्यार्थी	54	8.37	3.02	3.37	सार्थक
निजी विद्यालय के सका.(वै. अभि.) विद्यार्थी	125	10.33	4.80		

df = N1+N2-2 = 54 + 125 - 2 df = 177

लेखाचित्र संख्या-01




तालिका संख्या - 3

सृजनात्मकता					
वैज्ञानिक अभिवृत्ति	N	M	SD	T	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालय के नका.(वै. अभि.) विद्यार्थी	51	41.81	8.6	5.35	सार्थक
निजी विद्यालय के नका.(वै. अभि.) विद्यार्थी	121	50.57	9.01		
सृजनात्मकता के आयाम तारतम्यता					
वैज्ञानिक अभिवृत्ति	N	M	SD	T	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालय के नका.(वै. अभि.) विद्यार्थी	51	24.64	5.42	1.40	सार्थक
निजी विद्यालय के सकारात्मक विद्यार्थी	121	26.01	7.05		
सृजनात्मकता के आयाम लचीलापन					
वैज्ञानिक अभिवृत्ति	N	M	SD	T	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालय के नका.(वै. अभि.) विद्यार्थी	51	9.7	3.9	4.18	सार्थक
निजी विद्यालय के नका.(वै. अभि.) विद्यार्थी	121	12.8	5.7		
सृजनात्मकता के आयाम मौलिकता					
वैज्ञानिक अभिवृत्ति	N	M	SD	T	सार्थकता स्तर
सरकारी विद्यालय के नका.(वै. अभि.) विद्यार्थी	51	8.47	3.2	5.39	सार्थक
निजी विद्यालय के नका.(वै. अभि.) विद्यार्थी	121	11.76	4.76		

df = N1+N2-2 = 51 + 121 - 2 df = 170

लेखाचित्र संख्या-02



प्रशिक्षित शिक्षकों का शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्य अध्ययन

राजू जांगड़े *

शोध सारांश – प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंधों की जांच करना। शोध अध्ययन में रायपुर जिले के चार विद्यालयों के कक्षा 9वीं से 160 (80 छात्र व 80 छात्राओं) विद्यार्थियों का चयन साधारण अनियमित न्यादर्श विधि से किया गया है। अध्ययन में सर्वेक्षण शोध अभिकल्प विधि का प्रयोग किया गया। उपकरण में शैक्षिक उपलब्धि अंक तालिका – इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की वर्तमान सत्र के त्रैमासिक व अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम को लिया गया है। समग्र मूल्यांकन अंक तालिका – इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की वर्तमान सत्र के खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कक्षा क्रियाकलाप का शिक्षण गतिविधियों व अन्य प्रतियोगिताओं में प्राप्त परिणाम को लिया गया है। शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति – स्वनिर्मित इस प्रश्नावली का निर्माण। शोध में प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष में पाया गया है कि प्रशिक्षित शिक्षकों का शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध सार्थक है। अतः निष्कर्ष निकला कि प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करने से विद्यार्थियों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर सकारात्मक सहसंबंध औसत से उच्च होता है।

शब्द कुंजी – प्रशिक्षित शिक्षक, शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति, अधिगम प्रभाव, शैक्षिक उपलब्धि।

प्रस्तावना – वैज्ञानिक क्षेत्र में हुए अविष्कारों एवं खोजों का मानव जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में इन अविष्कारों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा की वर्तमान प्रक्रिया को उन्नत करने का क्रमबद्ध प्रयत्न है। इसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, विधि, सहायक सामग्री तथा मूल्यांकन आदि को विकसित एवं उन्नत किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी को तीन रूपों में 1. हार्डवेयर उपागम, 2. सॉफ्टवेयर उपागम 3. प्रणाली उपागमों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत शिक्षण सामग्री का विशेष महत्व है। शिक्षण सामग्री के माध्यम से तीनों पक्षों में सहायता मिलती है। ये पक्ष हैं- 1. ज्ञान का संचय 2. ज्ञान का स्थानांतरण 3. ज्ञान का विकास। श्रव्य-दृश्य सामग्री के महत्व को स्वीकार करते हुए लिखा है – श्रव्य-दृश्य साधन अनुभव प्रदान करते हैं। उनके प्रयोग से वस्तुओं तथा शब्दों का संबंध सरलता से जुड़ जाता है। बालकों के समय की बचत होती है, जहां बालकों का मनोरंजन होता है। वहां बालकों की कल्पना शक्ति तथा निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सहायक सामग्री के कई नवाचार हुए हैं। जिनकी सहायता से अध्ययन को रोचक व प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। इन सामग्रियों द्वारा सीखा ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है वरन् सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक अपने स्मृतिपटल में संजोए रख सकता है। दूसरी ओर शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है। परिणाम स्वरूप कक्षा का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहता है। कम्प्यूटर को शिक्षण कार्य में शैक्षिक सामग्री के रूप में प्रयोग करने से विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी तथा प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों पर सकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है (ब्लेजर डेविड, 2016)।

अध्यापकों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा व्यावसायिक और सदृश्य शिक्षक तैयार करने के लिए नेशनल काउंसिल

फॉर टीचर एजुकेशन, (2009) एक व्यावसायिक कार्यबल का विकास करने के महत्व पर जोर देती है। उपलब्धि, बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है (गैरिसन, 1998)। शैक्षिक उपलब्धि का शिक्षा मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। मनोवैज्ञानिक के समक्ष छात्र की शैक्षिक उपलब्धि की मापन एक महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षकों द्वारा छात्र में अनेक उपलब्धि होने के कारण उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया है। 1. निम्न उपलब्धि वर्ग – इसमें प्रायः पाया जाता है कि बालक शैक्षिक प्रवीणताओं हीन होता है। वह ध्यान को एकाग्रता कि प्रक्रिया में कठिनाई अनुभव करता है। 2. उच्च उपलब्धि वर्ग – इसके अंतर्गत बालक शैक्षिक प्रवीणताओं में तेज होता है एवं ध्यान को असानी से एकाग्र कर लेता है (सुपर, 1968)।

उद्देश्य –

Ob – प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंधों की जांच करना।

परिकल्पना –

Ho₁ – प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक संबंध नहीं होगा।

परिसीमन –

1. छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले का चुनाव किया गया है।
2. रायपुर जिले के शासकीय व अशासकीय विद्यालयों का चयन किया गया है।
3. उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9वीं के (14 से 16 वर्ष के आयु)

विद्यार्थियों का चयन किया गया है।

शोध विधि -

शोध अभिकल्प - शोध अध्ययन में सर्वेक्षण शोध अभिकल्प को प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श - शोध अध्ययन में छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर जिले के अंतर्गत चार दो शासकीय व दो अशासकीय विद्यालयों की कक्षा 9वीं से 160 विद्यार्थियों को साधारण अनियमित न्यादर्श विधि में लॉटरी विधि द्वारा चयन किया गया है। इन विद्यालयों से चुने गए 160 विद्यार्थियों में शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति से शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन किया गया है। निम्न प्रदत्त सारणी में न्यादर्श की व्याख्या की गई है -

शाला की प्रकृति विद्यार्थी	दो शासकीय शाला	दो अशासकीय शाला	कुल संख्या
छात्र	40	40	80
छात्राएँ	40	40	80
कुल संख्या	80	80	160

चर - स्वतंत्र चर - शोध में स्वतंत्र चर शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति को लिया गया है।

आश्रित चर - शोध में आश्रित चर शैक्षिक उपलब्धि को लिया गया है।

उपकरण -

शैक्षिक उपलब्धि अंक तालिका - इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की वर्तमान सत्र के त्रैमासिक व अर्द्धवार्षिक परीक्षा परिणाम को लिया गया है।

समग्र मूल्यांकन अंक तालिका - इसके अंतर्गत विद्यार्थियों की वर्तमान सत्र के खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कक्षा क्रियाकलाप का शिक्षण गतिविधियों व अन्य प्रतियोगिताओं में प्राप्त परिणाम को लिया गया है।

शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति - इस प्रश्नावली का निर्माण संबंधित साहित्यों के अध्ययन व विद्यालयों के शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त के आधार पर किया गया है। उक्त विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली शैक्षिक सामग्रीयों की जानकारी प्राप्त की गई एवं इन मार्गदर्शन के आधार पर प्रश्नों का निर्माण किया गया। इस प्रश्नावली में कुल 25 प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने 5 विकल्प 1) पूर्ण सहमत 2) सहमत 3) तटस्थ 4) असहमत 5) पूर्ण असहमत दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने उत्तर के रूप में जो विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त लगे, उस खाने में सही () का चिन्ह लगाने है।

सांख्यिकीय अभिप्रयोग - शोध में पियरसन सहसंबंध गुणांक (SPSS-Statistics package for the social science) का प्रयोग किया गया। प्रदत्तों का विश्लेषण

परिकल्पना (H_0) - प्रशिक्षित शिक्षकों का शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक संबंध नहीं होगा।

सारणी क्रमांक (1) (देखे आगे पृष्ठ पर)

आलेख क्रमांक - 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

सारणी क्रमांक 2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

परिणाम की व्याख्या - प्रस्तुत सारणी क्रमांक (1 व 2) से परिकल्पना H_0 के आधार पर प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक संबंध को प्रदर्शित किया गया है। सारणी में प्राप्त प्रदत्तों के विश्लेषण से सहसंबंध गुणांक (r) का मान 0.665 पाया गया। अतः प्रशिक्षित शिक्षकों

का शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्य औसत से उच्च रूप में सकारात्मक सहसंबंध पाया गया। उपयुक्त सारणियन क्रमांक (1) में प्रयोग किए जाने वाली शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति का मध्यमान (M) मान 73.49 एवं मानक विचलन (SD) मान 12.51 तथा शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान (M) मान 43.08 एवं मानक विचलन (SD) मान 08.27 प्राप्त हुआ, जिसमें दोनों के मध्यमानों एवं मानक विचलनों में अंतर को प्रदर्शित किया है। इसके अंतर्गत स्वतंत्रता का अंश (df) का मान 158 पर पियरसन (r) सार्थकता सारणी से 0.01 सार्थकता स्तर 0.01 का मान 0.208 है जो सहसंबंध गुणांक पियरसन (r) का मान 0.665 से कम (0.01 स्तर पर $= 0.208 < 0.665$) है। अतः यह प्रशिक्षित शिक्षकों का शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक संबंध को दर्शाता है। इन मानों के आधार पर शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है एवं शोध परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

विवेचना - प्राप्त आकड़ों के विश्लेषण से यह विवेचना की जा सकती है कि प्रशिक्षित शिक्षकों का शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति उच्च एवं अधिक होने के साथ विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि उच्च देखा गया है। पाल (2011) ने शिक्षक-प्रशिक्षकों का सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रति दृष्टिकोण एवं इसकी सुगमता का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि शिक्षक-प्रशिक्षक द्वारा कम्प्यूटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग करने से कक्षा नियंत्रण व शिक्षण कार्य अधिक सरलता से कर पाते हैं। अतः शिक्षक प्रशिक्षकों में शैक्षिक सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थियों में क्रियाशीलता, सरलता से समझना, अधिक समय तक स्मरण रखना, उपलब्धि स्तर में वृद्धि तथा महत्वपूर्ण मजबूत सहसंबंध होता है। उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रशिक्षित शिक्षकों का शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति उच्च एवं अधिक होने के साथ विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सकारात्मक संबंध रखते हैं।

निष्कर्ष - निष्कर्ष में पाया की प्रशिक्षित शिक्षकों का शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सार्थक एवं औसत से उच्च सकारात्मक संबंध होता है। अतः विद्यार्थियों में शैक्षिक सामग्री प्रभावशील होने के साथ-साथ उनके शिक्षण प्रभाव पर भी सार्थक संबंध पड़ता है तथा शिक्षण प्रभाव उच्च होता है। शैक्षिक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण कार्य सुगम व सरल प्रतीत होने के साथ शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण के उपरांत इसका प्रयोग संभव हो पाया है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु शैक्षिक सामग्री नितान्त ही सफल सिद्ध हुई है। विद्यार्थियों में कम बुद्धि स्तर, धीरे-धीरे सीखना, कक्षा में रुचि न लेना, कक्षा से पलायन करना, परीक्षा फल में अच्छा प्रदर्शन न करना। आदि समस्याओं को हल करके विद्यार्थियों का उचित विकास संभव करना जिससे आकांक्षाएं और उपलब्धियों का प्रभावी परिणाम देखने को मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जांगीरा, एन. के., एवं आहूजा, ए. (2001). प्रभावकारी शिक्षण प्रशिक्षण, सहभागिता सहकारी अधिगम, मयूर पैपर बैक्स, पृष्ठ क्रमांक 7
2. किंग, जैन, (2002), ई.एफ.एल. कक्षा के लिए डी.वी.डी. फीचर फिल्म के उपयोग का अध्ययन, जनरल ऑफ कम्प्यूटर असिस्टेड भाषा अधिगम, 15(2), 41, www.tandfonline.in
3. मेहरा, वंदना (2007). शैक्षिक संस्थानों में उभरते हुए तकनीकी

- सुधारों से कम्प्यूटर के उपयोग के प्रति शिक्षकों की अभिवृत्ति पर अध्ययन, जनरल ऑफ टिचर्स एजुकेशन एंड रिसर्च, 2(2), 1-13।
4. किम, डी., एवं डेविड, ए. (2008). शब्द भंडार अधिगम हेतु बहुमाध्यम अनुदेशन में श्रव्य सामग्री व ग्राफिक्स के प्रयोग से शिक्षण प्रभाव का अध्ययन, शैक्षिक तकनीकी और समाज, 11(3), 114-126, <https://www.jstor.org/stable/jeductech>.
 5. मनियर, ए., एवं शाह, एम. (2011). वरिष्ठ नागरिकों के लिए कम्प्यूटर साक्षरता, जनरल ऑफ एडल्ट एजुकेशन, ISSN 0019-5006, 72(2), 24।
 6. शर्मा, अर्पिता. (2011). ग्रामीण विकास हेतु कम्प्युनिटी रेडियो, जनरल ऑफ एडल्ट एजुकेशन, ISSN 0019.5006, 72(2)ए 20-25।
 7. कौल, लोकेश (2011). शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, विकास पब्लिशिंग हॉउस प्रा. लि., नोएडा, (उ.प्र.), 230, 445।
 8. अस्थाना, वी., श्रीवास्तव, वी., एवं अस्थाना, एन. (2013). शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, अग्रवाल पब्लिकेशन, पृष्ठ क्रमांक 88, 183, 495, 580।
 9. टिचर्स ऑफ इण्डिया (2014). कक्षा में शिक्षण व बहुस्तरीय कक्षा के प्रभाव, जनरल-दिगन्तर शिक्षा एवं खेलकूद समिति।
 10. पाल, हंसराज, एवं हुसमडे, राघवेंद्र (2014) - कक्षा दसवी के विद्यार्थियों में हिन्दी व्याकरण में शैक्षिक उपलब्धि एवं स्व अधिगम सामग्री के प्रभाव का अध्ययन, भारतीय आधुनिक शिक्षा, ISSN 22312439,
 11. राय, पारसनाथ, राय, सी.पी., (2016), अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा, पृष्ठ क्रमांक 39,40,119,235।
 12. एजुकेशन मिरर, (2016) - प्रशिक्षण का क्या महत्व है ? [https:// education mirror.org](https://educationmirror.org)
 13. स्कुल शिक्षा और साक्षरता विभाग (2016), mhrd.govt.in


सारणी क्रमांक (1)

प्रशिक्षित शिक्षकों का शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान एवं मानक विचलन

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Attitude Toward Teaching Aids (शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति)	43.08	8.27	160
Educational Achivement (शैक्षिक उपलब्धि)	73.49	12.51	160

आलेख क्रमांक (1)

प्रशिक्षित शिक्षकों का शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि का मध्यमान एवं मानक विचलन



सारणी क्रमांक (2)
 प्रशिक्षित शिक्षकों का शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्य
 सहसंबंध गुणांक

Correlations			
		Attitude toward Teaching Aids (शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति)	Educational Achivement (शैक्षिक उपलब्धि)
Attitude toward Teaching Aids (शैक्षिक सामग्री के प्रति अभिवृत्ति)	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 160	.665** .000 160
Educational Achivement (शैक्षिक उपलब्धि)	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.665** .000 160	1 160

**Correlation is significant at teh 0.01 level (2-tailed), df = 158

राजस्थान में 1956 से वर्तमान तक प्रारम्भिक शिक्षा के विकास का समीक्षात्मक अध्ययन

देवराज सिंह गुर्जर * प्रो. शुभा व्यास **

शोध सारांश - सभ्यता के प्रारम्भ से ही शिक्षा को समाज के उत्थान हेतु अनिवार्य माध्यम माना गया है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का वर्तमान स्पंदन एवं भविष्य की दृष्टि होती है, यह वह दर्पण है, जिसमें किसी भी राष्ट्र की अस्मिता प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिम्बित होती है। शिक्षा द्वारा बालको में सोचने समझने की शक्ति को विकसित करके उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। शिक्षा द्वारा बालकों के स्वभाव, गुणों तथा उनकी आकांक्षाओं के परिवर्तनों के आधार पर उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है और समाज में वह इन्हीं व्यक्तित्व गुणों के आधार पर अपने शैक्षिक उपलब्धि स्तर का निर्माण करता है।

शब्द कुंजी - प्रारम्भिक शिक्षा।

प्रस्तावना - प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्रारम्भिक शिक्षा प्रथम प्राथमिकता की वस्तु है, यह पहली सीढ़ी है, जिसे सफलतापूर्वक पार करके ही राष्ट्र अपने अभिष्ट लक्ष्य तक पहुँचता है। राष्ट्रीय जीवन के साथ जितना घनिष्ठ सम्बन्ध प्रारम्भिक शिक्षा का है, उतना माध्यमिक या उच्च माध्यमिक का नहीं। व्यक्ति एवं राष्ट्र दोनों के जीवन में प्रारम्भिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, राष्ट्रीय विचारधारा एवं चरित्र निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान प्रारम्भिक शिक्षा का है उतना किसी दूसरी सामाजिक, राजनैतिक या शैक्षिक गतिविधि का नहीं, इसका संबंध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से न होकर पूरी जनसंख्या से होता है। प्रारम्भिक शिक्षा ही राष्ट्रीय शिक्षा का मूलाधार है, अतः इसका उत्थान करके ही किसी देश की प्रगति हो सकती है।

समस्या कथन - राजस्थान में 1956 से वर्तमान तक प्रारम्भिक शिक्षा के विकास का समीक्षात्मक अध्ययन।

उद्देश्य -

1. राजस्थान में 1956 के पश्चात् प्रारम्भिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की दशकीय आधार पर प्रतिशतता में कमी व वृद्धि का अध्ययन करना।
2. राजस्थान में 1956 के पश्चात् प्रारम्भिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की दशकीय आधार पर प्रतिशतता में कमी व वृद्धि का अध्ययन करना।

शोध विधि - प्रस्तुत शोध में ऐतिहासिक एवं सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

उपकरण - प्रस्तुत शोध में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

गुणात्मक विश्लेषण - प्रस्तुत शोध कार्य में आंकड़ों से प्रतिशत द्वारा परिणामों की प्राप्ति के पश्चात उनकी व्याख्या एवं गुणात्मक विश्लेषण किया गया है।

शोध परिसीमांकन - प्रस्तुत शोध में प्रारंभिक शिक्षा के विकास को दर्शाने हेतु 1956 से 2014 तक के परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया है।

विश्लेषण - तालिका संख्या 1.1 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका संख्या 1.1 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 1950-51 से 2013-14 तक के इन 64 वर्षों में राजस्थान के प्रारम्भिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की कुल संख्या में 119.21 लाख की वृद्धि हुई जिसमें 68.67 लाख छात्र व 59.83 लाख छात्राओं की संख्या थी एवं प्रतिशत के आधार पर छात्र-छात्राओं की कुल संख्या में 3286.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पृथक-पृथक रूप से इन 64 वर्षों में छात्रों की संख्या में 2100 प्रतिशत व छात्राओं की संख्या में 9348.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 1950-51 से 2013-14 तक के छः दशकों में तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि छात्र-छात्राओं के नामांकन में सर्वाधिक वृद्धि 1990-2000 के दशक में 40 लाख रही, केवल छात्रों के नामांकन की संख्या के आधार पर 1990-2000 का दशक 17.97 लाख के साथ प्रथम स्थान पर रहा एवं केवल छात्राओं के नामांकन की संख्या के आधार पर भी 1990-2000 का दशक 23.9 लाख की वृद्धि के साथ प्रथम स्थान पर रहा, अतः तथ्यों का विश्लेषण करने पर यह पाया कि देश की स्वतंत्रता के बाद 1990-2000 का दशक राजस्थान की प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में प्रमुख स्थान पर रहा है।

(ग्राफ देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका संख्या 1.2 (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका संख्या 1.2 के अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि वर्ष 1990-91 से 2013-14 तक के इन 24 वर्षों में राजस्थान राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की कुल संख्या में 16.75 लाख की वृद्धि हुई जिसमें 7.12 लाख छात्र व 9.62 लाख छात्राओं के नामांकन में वृद्धि हुई। प्रतिशत के आधार पर छात्र-छात्राओं की कुल संख्या में 183.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई एवं पृथक-पृथक रूप से छात्रों की संख्या में 103.48 प्रतिशत व छात्राओं की संख्या में 425.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इन 24 वर्षों में अनुसूचित जाति की छात्राओं के नामांकन में वृद्धि अनुसूचित जाति के छात्रों के नामांकन की वृद्धि से 322.18 प्रतिशत अधिक रही है, इसका संभावित कारण छात्राओं की शिक्षा के प्रति अभिभावकों का जागरूक होना है जिसके फलस्वरूप

* जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर (राज.) भारत

** जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जयपुर (राज.) भारत

छात्रों की तुलना में छात्राओं का नामांकन प्रतिशत अधिक दिखाई देता है।

(ग्राफ देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका 1.3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका संख्या 1.3 के अध्ययन का विश्लेषण करने पर यह परिणाम प्राप्त होता है कि सन् 1990-91 से 2013-14 तक इन 24 वर्षों में प्रारम्भिक विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की कुल संख्या में 13.18 लाख की वृद्धि हुई जिसमें 5.79 लाख छात्र व 7.39 लाख छात्राओं के नामांकन में वृद्धि पाई गई। प्रतिशत के आधार पर छात्र-छात्राओं की कुल संख्या में 213.26 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई एवं पृथक-पृथक रूप से छात्रों की संख्या में 121.63 प्रतिशत व छात्राओं की संख्या में 520.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि इन 24 वर्षों में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के नामांकन में वृद्धि अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नामांकन की वृद्धि से 398.79 प्रतिशत अधिक रही है। अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र-छात्राओं के नामांकन में वृद्धि एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता का कारण केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई विभिन्न छात्रावृत्ति योजनाएं, आवासीय विद्यालयों की सुविधाएं एवं शिक्षा प्राप्ति के बाद नौकरियों में दिए गए आरक्षण की विशेष सुविधा है। परन्तु आज भी इन जनजातियों के गरीब परिवार इन सुविधाओं का पूरा लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनमें शिक्षा के प्रति जाग्रति का अभाव है।

(ग्राफ देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

निष्कर्ष -

- वर्ष 1950 से 2014 तक राजस्थान राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के विकास एवं प्रारम्भिक विद्यालयों में बालकों के नामांकन में वृद्धि हेतु ना सिर्फ नवीन विद्यालय खोले गए बल्कि विद्यालयों में भौतिक संसाधनों व शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की गई एवं बालकों के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु माध्याह्न भोजन योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्यकर भोजन सुविधा उपलब्ध करवाई गई। इन सभी प्रयासों से बालक-बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई एवं बालक नवीन शिक्षण सामग्रियों व विद्यालयों के रोचक वातावरण में आने के प्रति जागरूक हुए हैं।
- 1990-91 से 2013-14 तक के इन 24 वर्षों में राजस्थान राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की कुल संख्या में 16.75 लाख की वृद्धि हुई जिसमें 7.12 लाख छात्र व 9.62 लाख छात्राओं

के नामांकन में वृद्धि हुई प्रतिशत के आधार पर छात्र-छात्राओं की कुल संख्या में 183.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई, छात्रों की संख्या में 103.48 प्रतिशत व छात्राओं की संख्या में 425.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।


- 1990-91 से 2013-14 तक इन 24 वर्षों में प्रारम्भिक विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की कुल संख्या में 13.18 लाख की वृद्धि हुई जिसमें 5.79 लाख छात्र व 7.39 लाख छात्राओं के नामांकन में वृद्धि पाई गई प्रतिशत के आधार पर छात्र-छात्राओं की कुल संख्या में 213.26 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई, छात्रों की संख्या में 121.63 प्रतिशत व छात्राओं की संख्या में 520.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- राज्य में बालकों की नामांकन संख्या के अनुरूप विद्यालयों की स्थापना के संबंध में जानकारी उपलब्ध होगी जिससे नवीन विद्यालयों की स्थापना उन स्थानों पर ही की जावेगी जहां आस-पास कोई दूसरा विद्यालय पूर्व में स्थापित ना हो, जहां बालकों को मूलभूत सुविधाएं सहजता से उपलब्ध हो सकेगी।
- अनुसूचित जाति व जनजाति के शैक्षिक उत्थान से जुड़े संस्थाओं के अधिकारियों को इन वर्गों में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों की जानकारी उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से वे राज्य में इन वर्गों के शैक्षिक उत्थान हेतु आवश्यक सुविधाओं की वृद्धि कर सकेंगे, इन वर्गों के बालक-बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ने हेतु नवीन विद्यालयों, निःशुल्क आवासीय छात्रावासों की स्थापना कर सकेंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- पाण्डेय, सुषमा (2004) आधुनिक भारतीय शिक्षा - श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली।
- गुप्ता, लक्ष्मी (2007) भारतीय समाज और शिक्षा - विजय प्रकाशन मंदिर वाराणसी।
- जौहरी, बी.पी. एवं पाठक, पी.डी. (2006) भारतीय शिक्षा का इतिहास - विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा।
- पोपली, मुल्कराज (1989) भारतीय शिक्षा पद्धति, स्वरूप एवं समस्याएं - एम.टी. पब्लिकेशन लुधियाना।
- श्रीवास्तव, डी.एस. (2006) भारतीय शिक्षा का परिदृश्य - साहित्य प्रकाशन आगरा।
- वार्षिक कार्ययोजना (2013-14) राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जेएलएन मार्ग, जयपुर, राजस्थान।


तालिका संख्या 1.1 - राजस्थान में 1950-51 के पश्चात् प्रारंभिक विद्यालयों में प्रत्येक दशक में छात्र-छात्राओं के नामांकन की संख्या (संख्या लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	छात्रों की संख्या	छात्राओं की संख्या	कुल छात्र-छात्राएं
1	1950-51	3.27	0.64	3.91
2	1960-61	10.78	2.43	13.21
3	1970-71	20.19	7.04	27.23
4	1980-81	27.05	8.68	36.73
5	1990-91	42.51	7.64	60.14
6	2000-01	60.47	39.67	100.14
8	2010-11	64.95	55.08	120.03
9	2013-14	71.94	60.47	132.42




तालिका संख्या 1.2 - राजस्थान के प्रारम्भिक विद्यालयों में 1990-91 के पश्चात् अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की संख्या (संख्या लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या	अनुसूचित जाति की छात्राओं की संख्या	अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की कुल संख्या
1	1990-91	6.68	2.26	9.14
2	2000-01	11.07	6.85	17.92
3	2010-11	13.16	11.12	24.28
4	2013-14	14.00	11.88	25.89



तालिका 1.3 - राजस्थान के प्रारम्भिक विद्यालयों में 1990-91 के पश्चात्
 अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की संख्या (संख्या लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	अन.जनजाति के छात्रों की संख्या	अन.जनजाति की छात्राओं की संख्या	अनु.जनजाति के छात्र-छात्राओं की कुल संख्या
1	1990-91	4.76	1.42	6.18
2	2000-01	7.71	4.57	12.3
3	2010-11	10.21	8.42	18.63
4	2013-14	10.55	8.81	19.36



स्वामी विवेकानन्द के स्त्री शिक्षा सम्बन्धी विचार-एक अध्ययन

डॉ. शुभा श्रीवास्तव *

शोध सारांश - युग दृष्टा स्वामी विवेकानन्द के विचार आज भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण, प्रासंगिक एवं नवजीवन का संचार करने वाले हैं, जितना कि पहले। स्वामी जी ने स्त्रियों को पुरुषों के समान अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था रखते हुए उनका समग्र विकास करने हेतु, उनकी शिक्षा पर सबसे अधिक ध्यान देकर उनका उत्थान करने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि उनके शिक्षित हुए बिना किसी भी समाज एवं राष्ट्र का विकास सम्भव नहीं है।

प्रस्तावना - युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानन्द महान दार्शनिक, समाज सुधारक, शिक्षाशास्त्री, अतीत एवं वर्तमान के संयोजक, मानवधर्म के पुनुरुत्थापक, एवं युगप्रवर्तक थे। उन्होंने अपने शैक्षिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक, राजनैतिक, नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों से तत्कालीन परिवेश को प्रभावित किया। भारत को पुनः जगत्गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके द्वारा प्रतिपादित शिक्षा-दर्शन व्यापक एवं व्यावहारिक है, जिसमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, मानवतावाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवादी विचारों का समन्वय है। स्वामी जी के स्त्री-शिक्षा सम्बन्धी विचार अनमोल एवं प्रासंगिक हैं।

स्वामी जी ने कहा था 'किसी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम धर्मापीटर है वहाँ की स्त्रियों के साथ होने वाला व्यवहार।' नारी उत्थान द्वारा देश के नवजागरण की संभावना पर जोर देते हुए स्वामी जी ने कहा, सभी उन्नत राष्ट्रों ने स्त्रियों को समुचित स्थान देकर महानता प्राप्त की है, जो राष्ट्र नारी का आदर नहीं करते कभी बड़े नहीं हो सके और न ही भविष्य में कभी बड़े होंगे। स्त्रियों के प्रति अवमानना एवं उनके प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार देखकर उनका अपमान करने वालों की कटु आलोचना करते हुए उन्होंने कहा, 'देश के पतन का प्रमुख कारण है स्त्रियों को उनके अधिकारों से वंचित रखना।' जब तक स्त्री-पुरुष में भेदभाव रखा जाएगा तब तक निश्चित रूप से कोई भी देश उन्नति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। अतः उन्होंने स्त्रियों को शिक्षित करने पर जोर दिया।

स्त्री शिक्षा की आवश्यकता - स्वामी विवेकानन्द के अनुसार स्त्रियों के समग्र एवं संतुलित विकास, आत्मरक्षा करने, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सजग, जागरूक बनाने, गृहस्थ जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, पुरुषों के समकक्ष अधिकार व अवसर प्राप्त करने, व्यावहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने, उद्यमशील, निर्भय, त्यागी, आत्मबल से पूरित होने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक व नैतिक विकास हेतु, जन-शिक्षा का प्रसार करने एवं राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का सफल निर्वहन करने हेतु स्त्री शिक्षा की नितान्त आवश्यकता है। उसी के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए।

शिक्षा का अर्थ - स्वामी विवेकानन्द के अनुसार, शिक्षा मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मानसिक-बौद्धिक क्षमता में अभिवृद्धि हो, मनुष्य

अपने पैरों पर खड़ा हो सके तथा अपना भरण-पोषण सुगमतापूर्वक कर सके। शिक्षा ऐसी हो जो मानव निर्माण (Man Making) एवं राष्ट्र निर्माण (Nation Making) करे। शिक्षा के इसी स्वरूप द्वारा स्वामी जी ने स्त्रियों को बनाने (Women Making) अर्थात् उन्हें आगे बढ़ने हेतु समग्र विकास के लिये परिवेश उपलब्ध कराए जिससे वे पुरुषों की भाँति ही जागरूक, सशक्त एवं शिक्षित होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सफल भूमिका निभाने के योग्य बन सके।

स्त्री शिक्षा सम्बन्धी विचार के प्रमुख बिन्दु:

1. समाज में स्त्री को पुरुष के समान स्थान प्रदान करते हुए उनकी शिक्षा का निर्धारण करना - हमारे प्राचीन ग्रन्थों, शास्त्रों में सदैव ही स्त्रियों को उच्च भाव से देखा गया है। 'यत्र नार्युस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः' में आस्था रखने वाले स्वामी जी भी स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष अधिकार दिलाने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि, 'एक ही ईश्वर सभी प्राणियों में व्याप्त है। अतः उसकी दिव्य ज्योति जो पुरुषों में विद्यमान है वह स्त्रियों में भी निहित है, तो अन्तर क्यों?' उनके प्रति समान भाव रखते हुए, उनका लालन पालन, शिक्षा भी उतनी सावधानी व तत्परता से की जानी चाहिये जितनी की पुत्रों हेतु की जाती है।

2. स्त्री समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षा - स्वामी जी के विचारानुसार, शिक्षा ही वह माध्यम है, जिसके द्वारा स्त्रियाँ अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होने के साथ ही कठिन एवं दूभर कार्यों को सुगमता से कर सकती हैं। उनके अनुसार स्त्रियों हेतु ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी जिसमें आधुनिक विचारधारा के अनुरूप प्राचीन भावों एवं आदर्शों के प्रकाश में दोनों ही प्रकार के दृष्टिकोणों का समन्वय हो।

3. व्यावहारिक जीवन एवं आत्मरक्षा सम्बन्धी शिक्षा - स्वामी जी ने स्त्रियों को किताबी कीड़ा बनाने की बजाए व्यावहारिक जीवन की, क्रिया प्रधान शिक्षा देने पर जोर दिया जिससे वे मन, बल, बुद्धि से सशक्त होकर चुनौतियों का सामना कर सके। उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो। झाँसी की रानी के समान अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकें, क्योंकि यदि वे निर्भीक, योग्य बनेंगी तो आदर्श नागरिक समाज व देश हेतु उपलब्ध होंगे।

4. भारतीय संस्कृति की शिक्षा - स्वामी विवेकानन्द भारतीय संस्कृति के पुनुरुत्थापक थे। उन्होंने स्त्रियों को व्यावहारिक जीवन की शिक्षा देने के साथ ही भारतीय गौरव, संस्कृति, मूल्यों में आस्था उत्पन्न करने, उनके उत्थान

हेतु स्त्री शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करने पर जोर दिया। उन्हें दूसरे गुणों के साथ वीरता, गौरवभाव को प्राप्त करने के साथ श्रेष्ठ कार्यों को करने के लिए लज्जा त्याग कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

5. विभिन्न भूमिकाओं के सफल निर्वहन हेतु शिक्षा – प्रायः एक स्त्री को अपने जीवन काल में विविध भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है- एक गृहणी, धर्मसंस्थापिका, पत्नी, माता, समाजसेविका तथा राष्ट्ररक्षिका के रूप में। वे सफलता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें अपनी भूमिकाओं के अनुरूप आदर्श प्रस्तुत कर, वे अपने को अबला भी न समझे। इसके लिए उन्हें संस्कार, धर्मपुराण, वेद, उपनिषद् की शिक्षा जानी चाहिए।

6. देश, समाज की प्रगति हेतु शिक्षा – स्वामी जी ने स्त्रियों के सर्वांगीण विकास हेतु चारित्रिक, मानसिक, आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने के साथ आधुनिक विचारधारा के अनुरूप उन्हें मात्र गृहस्थी ही नहीं वरन समाज, एवं देश के कल्याण हेतु कार्य करने के लिए शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया।

7. त्याग एवं आदर्श की शिक्षा – स्वामी जी ने स्त्रियों को त्याग सम्बन्धी उपदेश देते हुए कहा, 'यदि नारियों में से एक भी ब्रह्म की ज्ञाता हो जाए तो उसके व्यक्तित्व के तेज से सहस्रों नारियाँ प्रेरित होंगी और स्वयं की खोज में लग जाएगी जिससे देश का महान कल्याण एवं समाज का उद्धार होगा।'

स्त्रियों को सीता, सावित्री, अहिल्याबाई, मीराबाई से प्रेरित होकर अपने आचरण को परिष्कृत, परिमार्जित करके अपने कर्तव्यों, दायित्वों का निर्वहन भलीभाँति करना चाहिए। 'इसी सीता एवं सावित्री की जन्मभूमि पुण्यक्षेत्र भारत में अभी तक स्त्रियों जैसा चरित्र, सेवाभाव, स्नेह, दया, तुष्टि, त्याग आदि देखने को मिलता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है।' इन्हीं गुणों से उन्हें युक्त होना होगा।

8. शिक्षा प्रसार हेतु शिक्षित करना – जनसाधारण एवं स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हुए बिना भारत की उन्नति सम्भव नहीं है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्त्रियों को ही आगे बढ़कर, ब्रह्मचारिणी बनकर, प्रशिक्षित होकर, शिक्षा का प्रसार करने का कार्य अपने कंधों पर उठाना होगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिक्षा केन्द्र खोलकर स्त्रियों को जागरूक व अभिप्रेरित करना होगा।

9. धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास हेतु शिक्षा – स्वामी जी स्त्री शिक्षा का केन्द्र धर्म को मानते थे। अन्य प्रशिक्षण को गौण मानते हुए भारतीय धार्मिक परम्परा का अनुसरण करते हुए, अपनी विरासत से बिना दूर हुए प्रत्येक को अपनी क्षमता, विकास एवं अवस्था के अनुरूप आध्यात्मिक परिपूर्णता की ओर अग्रसर होना होगा। धार्मिक प्रशिक्षण, चरित्र निर्माण एवं ब्रह्मचर्य पालन की शिक्षा ग्रहण करते हुए अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखने की प्रेरणा, अधिक सम्पत्ति संग्रह से दूर रहकर आदर्श भारतीय नारियों के गुणों से युक्त होकर अपने दायित्व का निर्वहन करना होगा।

स्त्री शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम – स्वामी जी का मानना था कि पाठ्यक्रम उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर क्रियाप्रधान, व्यावहारिक, प्राचीन भारतीय संस्कृति व नवीन विचारों, वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप, समग्र विकास को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाना चाहिये जिसमें लौकिक व पारलौकिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए।

स्वामी जी के अनुसार स्त्रियों हेतु पाठ्यक्रम में इतिहास, गृह विज्ञान, शिल्पकला, बुनाई, पाककला, शिशुविज्ञान, शारीरिक शिक्षा, पुराण, धर्म, ध्यान आदि को अनिवार्य अंग बनाया जाना चाहिये। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिये।

स्वामी जी ने शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु, नारी मठ केन्द्र, जन शिक्षा

केन्द्र की स्थापना एवं भ्रमण विधि द्वारा घूम-घूम कर स्त्रियों को शिक्षित करने के साथ, इन केन्द्रों को आत्म प्रकाशन केन्द्र, मानव निर्माणकारी केन्द्र, व्यावहारिक शिक्षाकेन्द्र, समाज सेवाकेन्द्र, सांस्कृतिक समन्वय केन्द्र के रूप में स्थापित किए जाने पर जोर दिया।

प्रासंगिकता – स्वामी जी की धारणा थी, भारत में पुनः स्वर्णिम युग लाने हेतु स्त्रियों को जगाना होगा, शिक्षित व संगठित करना होगा। उन्होंने उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त किए बिना विश्राम न लो 'इस मूल मंत्र को युवा शक्ति में संचरित किया। स्त्रियाँ आधुनिक विज्ञान अवश्य सीखें परन्तु प्राचीन आध्यात्मिकता का त्याग करके नहीं।' स्वामी जी के स्त्री शिक्षा सम्बन्धी विचार उस समय की परिस्थिति में तो प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं।

स्वामी जी द्वारा प्रदत्त स्त्री शिक्षा सम्बन्धी विचारों का प्रभाव है कि आज स्त्रियाँ शिक्षा प्राप्त करके राजनीति, विज्ञान, कृषि प्रबन्धन, उद्योग, सेना, प्रौद्योगिकी व संचार, शोध, अन्तरिक्ष, खेल, प्रशासन जैसे विविध क्षेत्रों में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं। सरकार द्वारा भी सर्वशिक्षा अभियान, सभी के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वधार, सावित्रीबाई फूले योजना, स्वावलम्बन योजना, कौशल मिशन, सतत व प्रौढ़ शिक्षा, वन्देमातरम्, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला जैसी अनेक योजनाओं एवं उनके लिए अलग से कस्तूरबागांधी बालिका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पालीटेक्निक जैसे अनेक शिक्षण संस्थानों के माध्यम से समाज की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। आज उन्हें शिक्षा, विवाह, मातृत्व, कैरियर संबंधी निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। आर्थिक स्वतंत्रता से उनकी परिभरता प्रवृत्ति कम हुई और कई क्षेत्रों में भेदभाव की बाधा लाँघ कर महिला विकास से परे सोचने एवं महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर कदम बढ़ाने की कल्पना को साकार कर रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् आज उनकी साक्षरता दर, नामांकन दर में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। स्वामी जी ने कहा था 'देश को उन्नत शिखर की ओर ले जाने हेतु ऐसी पीढ़ियों की आवश्यकता है, जो चट्टानों से टकरा सके आज उनके इन्हीं विचारों को स्त्रियों को आत्मसात करना होगा।'

स्वामी जी द्वारा प्रदत्त एकाग्रता, ध्येयवादिता, प्रगतिशीलता, नैतिकता, स्वतंत्रता व समानता, राष्ट्रीय एकता, मानवनिर्माण, स्वावलम्बन, सेवाभाव, साहस, आत्मसंतोष, रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, भारतीय मूल्यों में आस्था, संवेदनशीलता, जैसे मूल मंत्रों को आत्मसात करके तथा स्त्री शिक्षा सम्बन्धी योजना में पुनर्गठित, पुनर्नियोजित करके उसे और प्रभावी, सार्थक बनाया जा सकता है।

वर्तमान में राष्ट्र के समक्ष अनेक चुनौतियाँ जैसे भ्रष्टाचार, अनैतिकता, स्त्री हिंसा, सामाजिक असुरक्षा, अनुशासनहीनता, मूल्य संकट विद्यमान हैं जो उसे खोखला बना रही हैं। इन परिस्थितियों से लड़ने, उनका समाधान ढूँढने हेतु समाज में शांति सुरक्षा के माहौल को बनाये रखते हुए आदर्श प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आज हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हमें यह न सोच कर यह सोचना चाहिए कि हम मानव हैं जो एक दूसरे की सहायता के लिए एक दूसरे के काम आने के लिए जन्मे हैं। हमें "Be and Make", अपने साथ-साथ दूसरों के बारे में सोचना होगा।

शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो जो हमें शिक्षा के तीन बुनियादी सिद्धान्तों में ही महारत न दिलाए वरन स्वयं के जीवन में भी महारत दिलाए वास्तविकता से परिचित कराए।

विकास का ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो माता-पिता को अपने बेटे व बेटियों को लेकर अलग-अलग सोचने पर मजबूर न करें।

इसके साथ ही वर्तमान परिवेश में जो भारतीय स्त्रियाँ प्रगति के नाम पर वस्तुतः रूपान्तरण पर चल पड़ी हैं, उनको चाहिए कि वे प्राचीन आदर्शों के आधार पर अपनी उन्नति करें, नागरिक कार्यों के क्षेत्र में भी अपने प्रयास का विस्तार करें तभी उनका पारिवारिक जीवन सुखी होगा, नागरिक जीवन सफल होगा, आध्यात्मिक जीवन समृद्ध होगा। इस प्रकार स्वामी विवेकानन्द जी के स्त्री शिक्षा सम्बन्धी विचार प्रकाश स्तम्भ की भाँति हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वामी विवेकानन्द : वर्तमान भारत, प्रकाशक स्वामी ब्रह्मस्थानन्द रामकृष्ण मठ नागपुर, 15वां संस्करण।
2. स्वामी विवेकानन्द : शिक्षा, रामकृष्ण आश्रम मार्ग धन्तौली नागपुर-2006
3. स्वामी विदेहात्मानन्द : स्वामी विवेकानन्द और उनका अवदान, प्रकाशक स्वामी बोधसारानन्द, अद्वैत आश्रम कोलकाता, 2008
4. स्वामी विवेकानन्द : भारतीय नारी, प्रकाशक स्वामी ब्रह्मस्थानन्द रामकृष्ण मठ धन्तौली, नागपुर 2008।
5. स्वामी विवेकानन्द : मेरा भारत अमर भारत, रामकृष्ण मठ, नागपुर, 2012

कामकाजी महिलाओं के प्रति असमानता एवं उत्पीड़न की स्थिति का अध्ययन

डॉ. मनीषा सक्सेना * अदिति जोशी **

शोध सारांश - स्त्री-अधिकारों के लिए, बच्चों की सुरक्षा-समस्या के समाधान के लिए, समान काम के लिए, समान वेतन की माँग के लिए, स्वतन्त्रता और विश्वशांति की आवाज उठाने के लिए किए गए संकल्पों दायित्वों को निभाने के लिए हर वर्ष 8 मार्च को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता के समय से देश के संविधान के सकारात्मक सिद्धांतों के आधार पर कानून की नजर में सभी महिलाएँ समान हैं। सभी महिलाओं के लिए सुरक्षा समान है। संविधान के अनुसार जातीयता, लिंग, धर्म आदि पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्मशास्त्रों, सामाजिक संरचना एवं स्मृतियों के अनुसार पुरुष पुरुषत्व और महिला प्रकृति का संकेतक है। समाज में महिलाओं की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि महिलाएँ दोहरा जीवन व्यतीत करती हैं वह घर एवं कार्यस्थल पर सकारात्मक एवं संरचनात्मक दृष्टिकोण रखती हैं। पुरुषों की तुलना में महिला हर कार्य में दक्ष होती है, परन्तु वर्तमान समाज में यह अवधारणा बन चुंकि है कि महिलाओं में अभिज्ञता, कार्य करने की क्षमता, एवं समझ कम होती हैं जिसके कारण महिलाओं के प्रति भेदभाव, उत्पीड़न, अत्याचार, प्रताड़ना, असमानता की छवी गढ़ी है, कामकाजी महिलाओं का जीवन संघर्षमय होता है। कार्यस्थलों पर असमानता एवं उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण महिलाओं के मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थ पर कुप्रभाव पड़ता है। कार्यस्थलों पर महिलाओं के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा संवैधानिक कानून बनाए गए जिसके द्वारा महिलाओं के प्रति पुरुष कोई अपराध की कोशिश न कर सके। लिंग के आधार पर विशिष्टता प्रदान करना, वंचित करना या प्रतिबंध लगाना जिसकी परिणति या प्रभाव मानव अधिकारों को नकारने या उनका उपभोग करने से रोकने में है, महिलाओं का सदैव उत्पीड़न एवं शोषण होता रहा है।

शब्द कुजी- महिला, कार्यस्थल, असमानता, उत्पीड़न।

प्रस्तावना - वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज की संरचना में नारी की सहभागिता पुरुष के समान ही आवश्यक है, स्त्रियों तथा पुरुषों में समानता न हो तो किसी भी राष्ट्र का विकास संभव नहीं अधिकांश लोग यह अनुभव करते हैं कि हमने वैश्विक स्तर को प्राप्त कर लिया है। आईटी, न्यूक्लियर एनर्जी के उत्पाद, संचार और अंतरिक्ष तकनीकी आदि क्षेत्रों में भारत विश्वस्तरीय स्पर्द्धाओं में आगे बढ़ रहा है और इन्हीं क्षेत्रों में भारतीय महिलाएँ भी आगे बढ़ रही हैं। महिलाएँ प्रोफेसर टीचर्स जैसे बौद्धिक क्षेत्रों के लिए विदेशों में अतिथि व्याख्यानो के लिए बुलाई जा रही हैं, लेकिन इन सभी का अभी बहुत कम प्रतिशत है। देश के अधिकांश महिलाएँ गरीबी से जूझ रही हैं, वे अधिकारहीन एवं भयग्रस्त होती हैं, वे और अपने अधिकारों के प्रति आवाज नहीं उठा पाती हैं।

भारत का संविधान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद(21) के अनुसार प्रत्येक नागरिक की गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार है, सभी लोगों को महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर आदर, सभ्यता और गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, परन्तु महिलाओं के साथ घर और घर से बाहर भेदभाव पूर्ण व्यवहार ही किया जाता है। जिसके चलते विभिन्न स्थलों पर महिलाओं को पुरुषों के समक्ष पढ़ या उनसे बड़े पढ़ पर कार्यरत् होने के कारण पुरुषों की भावना एवं सम्मान को ठेस पहुँचती है जिसके कारण महिलाओं के साथ उत्पीड़न, अत्याचार, प्रताड़ना, असमानता और भेदभाव जैसी स्थिति उत्पन्न

होती है। भारतीय समाज में नारी(2001)के अनुसार कार्यस्थल से आशय है कोई विभाग संगठन, उद्यम स्थान कार्यालय, शाखा शासकीय एवं अशासकीय स्थल जहाँ पर महिला एवं पुरुष कार्यरत हैं। महिलाओं को कार्य करने के लिए किसी भी क्षेत्र या व्यवसाय चुनने का अधिकार प्राप्त है जिसके कारण पुरुष वर्ग को स्वयं का पुरुषोत्त्व खत्म होते दिखाई देता जिसके कारण महिलाओं के प्रति विशेषकर पुरुष विरोधी बन जाता है एवं लिंगभेद या लैंगिक उत्पीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि भारतीय समाज के एवं महिला के विकास में बाधक तत्व बनता है। स्टेट क्राइम ब्यूरो(2015) के अनुसार महिलाओं के प्रति मध्य प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध (25731) अपराध दर्ज हुए थे जिसे महिलाओं के प्रति पुरुष की अपराधिक मानसिकता दर्शाता है सामान्य तौर पर उत्पीड़न को यौन उत्पीड़न के नजरिये से देखा जाता है परन्तु यौन उत्पीड़न एक गंभीर समस्या है साथ ही साथ लैंगिक उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न, संवेदनात्मक उत्पीड़न, आर्थिक उत्पीड़न एवं सामाजिक उत्पीड़न के रूप से भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट(2016) के अनुसार एशियाई देशों की तुलना में भारत में कामकाजी महिलाओं की(27%) भागीदारी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार कार्यस्थलों पर होने वाले यौन उत्पीड़न का शिकार(70%) महिला शिकायत दर्ज नहीं करती है, जिसका मुख्य कारण सामाजिक स्थिति एवं आर्थिक परिस्थिति

'डॉ. अम्बेडकर विचार एवं दर्शन सीरीज' का अंक 5 महिला उत्पीड़न के

* प्रभारी अधिष्ठाता, सह-प्रध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (शिक्षा एवं कौशल विकास) डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, मानव विकास, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महु, इन्दौर (म.प्र.) भारत

अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर द्वारा (1929-1956) तक के अनुच्छेद में महिला व बाल विकास कल्याण (1985), श्रम मंत्रालय (1948), राष्ट्रीय महिला आयोग (1990), राज्य महिला आयोग उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अन्तर्गत स्त्री-पुरुषों को समान अधिकार (1976) के (42) वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समानता का अधिकार (4-18 अनुच्छेद), स्वतंत्रता का अधिकार (19-22 अनुच्छेद), शोषण के विरुद्ध अधिकार (23-24 अनुच्छेद), धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (29-30 अनुच्छेद), सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार (29-30 अनुच्छेद), लैंगिक भेदभाव एवं सामाजिक अन्याय समाप्त करने का अनुच्छेद (17) के अन्तर्गत महिला को संरक्षण प्राप्त है। नए-नए कानून बना देने और संवैधानिक अधिकारों की घोषणा कर देने से स्त्रियों की स्थितियों के बदलाव की कल्पना तभी की जा सकती है, तब वास्तविक धरातल में समझ एवं वैचारिकता व सकारात्मक बदलाव आए।

परिभाषाएं -

असमानता - 'भारतीय समाज में नारी (2001)' के अनुसार 'लैंगिक असमानता विचार और स्थिति है की महिला और पुरुष बराबर नहीं है। लिंग असमानता के अन्तर्गत उनके लिंग के कारण पूर्ण या अंशिक रूप से व्यक्तियों के असमान उपचार या धारणाओं को सन्दर्भित करती है, यही प्रकृति असमानता को दर्शाता है।'

अध्ययन के उद्देश्य -

1. शासकीय एवं अशासकीय कामकाजी महिलाओं के प्रति कार्यस्थल पर होने वाली असमानता एवं उत्पीड़न की स्थिति एवं कारकों को ज्ञात करना।

अध्ययन शोध विधि - शोध विधि- शोध अध्ययन में गुणात्मक पद्धति द्वारा उद्देश्यपूर्ण देव निर्देशन विधि द्वारा तथ्यों का संकलन किया गया जिसके अन्तर्गत शासकीय या अशासकीय (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय) उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत महिलाओं का उद्देश्यों के अनुसार प्रासंगिकता के आधार पर शोध अध्ययन किया गया।

अध्ययन का क्षेत्र - शोध अध्ययन में मध्य प्रदेश के शासकीय अशासकीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय) के अन्तर्गत इन्दौर जिले को शोध अध्ययन हेतु चुना गया चूंकि इन्दौर जिला शैक्षणिक उच्च स्तरीय अध्ययन क्षेत्र में उच्च स्थान है।

अध्ययन का समग्र - शोध अध्ययन में शासकीय व अशासकीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय) स्थलों पर कार्यरत महिलाओं को सम्मिलित किया गया।

अध्ययन की इकाई - शोध कार्य में अध्ययन की इकाई में शासकीय व अशासकीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों पर कार्यरत कामकाजी महिलाओं को लिया गया।

अध्ययन का निदर्शन - शोध कार्य में तथ्यों के संकलन हेतु उद्देश्यपूर्ण देव निदर्शन पद्धति के आधार पर कुल 100 महिलाएं जो सभी आयु वर्ग एवं सभी पदों पर पदस्थ है, जिसके अन्तर्गत संकाय सदस्य, प्रशासनिक सदस्य एवं अन्य महिला कर्मचारी का चुनाव किया गया।

परिणाम एवं परिचर्चा-

1. शासकीय एवं अशासकीय कामकाजी महिलाओं के प्रति कार्यस्थल पर होने वाली असमानता की स्थिति एवं कारक कार्यस्थलों पर महिलाओं के प्रति अनेक प्रकार की असमानता विद्यमान है जैसे लैंगिक असमानता, वित्तीय असमानता, भेदभाव पूर्ण व्यवहार, पद के अनुसार असमानता,

पुरुष प्रधानता, पद छोड़ने की स्थिति, निर्देशन मंडल में महिलाओं की अनुपस्थिति या सदस्यता मान्य नहीं करना जैसी असमानता जो कहीं न कहीं सभी प्रकार के शासकीय या अशासकीय दफतरों में उपस्थिति है एवं पुरुषों की मानसिकता में विद्यमान है।

शैक्षणिक योग्यता - शोध अध्ययन के अनुसार यह पाया गया की शासकीय या अशासकीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कामकाजी महिलाओं का शैक्षणिक स्तर (100%) पाया गया, जिसके अन्तर्गत उच्च शिक्षा (75%), ब्रिजग्रेज (12.5%), हायर सेकेंडरी (6.25%), माध्यमिक शिक्षा (6.25%) के आकड़े प्राप्त हुए। अतः यह कहा जा सकता है की प्रथम वर्ग पदस्थ महिला से चतुर्थ वर्ग पदस्थ कर्मचारी महिला शिक्षित है जिसके अनुसार महिलाएं पदस्थ है।

लैंगिक असमानता - शोध अध्ययन के अनुसार यह पाया गया की शासकीय या अशासकीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के प्रति पुरुषों द्वारा अभेद व्यवहार एवं लैंगिक असमानता (100%) पायी गयी जो कहीं न कहीं सभी प्रकार के दफतरों में एवं पुरुषों की मानसिकता में विद्यमान है कार्यस्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निराकरण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम (2013 का 14) के अन्तर्गत महिलाएं लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकती है।

पुरुष प्रधानता - शोध अध्ययन के अनुसार यह पाया गया की शासकीय या अशासकीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पुरुष प्रधानता (100%) की स्थिति पायी गयी, पुरुषों की ऐसी अवधारणा बन चुकी है कि महिलाएं कठोर श्रम नहीं कर सकती जो एक पुरुष करता है जैसे दफतरों के बाहरी कार्य न कर पाना (12.5%), संस्थानों का निर्माण संबंधित कार्य न कर पाना (36.75 संस्थानों में होने वाले कार्यक्रमों से संबंधित जिम्मेदारी न लेना पाना (12.5%) जैसी स्थिति ज्ञात हुई।

पद के अनुसार असमानता - शोध अध्ययन के अनुसार यह पाया गया की शासकीय या अशासकीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के प्रति पद के अनुसार असमानता पायी गई जिसके अन्तर्गत प्रथम श्रेणी वर्ग पदस्थ महिलाओं के प्रति (6.25%) पुरुषों में असमानता एवं उत्पीड़न की भावना पाई गयी, द्वितीय श्रेणी वर्ग पदस्थ महिलाओं के प्रति (16.25%), तृतीय श्रेणी वर्ग पदस्थ महिलाओं के प्रति (36.25%), चतुर्थ श्रेणी वर्ग पदस्थ महिलाओं के प्रति (41.25%) पुरुषों में असमानता एवं उत्पीड़न की भावना पाई गयी।

संस्थागत निर्देशन मंडल में महिलाओं की अनुपस्थिति या सदस्यता मान्य नहीं करना - शोध अध्ययन के अनुसार यह पाया गया की शासकीय या अशासकीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत महिलाओं को असमानता का सामना करना पडता है जैसे निर्देशन संगठन मंडल में (62.5%) महिला को सदस्यता नहीं है, संस्थागत निर्देशन मंडल में पुरुषों का प्रतिशत ज्यादा होने के कारण पुरुष द्वारा ही संस्थागत निर्णय लिए जाते हैं, महिलाओं की अनुपस्थिति का पुरुषों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है।

कार्यस्थल पर समय एवं अधिक कार्य की स्थिति - कार्यस्थलों पर कार्य अवधी एवं कार्य करने की स्थिति के संबंध में शोध अध्ययन के दौरान जानकारी प्राप्त की गई, कार्यस्थल पर कार्यरत सभी महिलाएं अधिकांशतः (62.0%) द्वारा बतलाया गया की वह कार्यालयों में अधिक कार्य करती है। साथ ही यह भी जानकारी प्राप्त हुई की वह कार्यालयों में अधिक समय अधिकतम 8 घण्टे से ज्यादा तथा अवकाश के दिनों में भी

कार्यस्थलों पर कार्य करती है।

शारीरिक उत्पीड़न एवं मौखिक उत्पीड़न - वर्तमान में महिलाएं संघर्ष पूर्ण जीवन व्यती कर रही है, महिलाएं खास तौर पर उत्पीड़न का सामना कर रही है। समाज में महिलाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील स्थिति है। शासकीय एवं अशासकीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक उत्पीड़न एवं मौखिक उत्पीड़न के कारण महिलाएं उत्पीड़ित होती है जिसका मुख्य कारण लैंगिक असमानता है जिसके अन्तर्गत अभद्र टिप्पणी करना, अश्लील प्रकृति व्यक्तित्व वाले पुरुष, छेड़छाड़ जैसी असामाजिक कृत्यों के कारण महिलाओं को प्रताड़ित करते है, जिसके कारण महिलाएं काम को छोड़ देती है। मौखिक उत्पीड़न के अन्तर्गत अपशब्दों से संबोधित करना, अभद्र टिप्पणी करना, अश्लील प्रकृति व्यक्तित्व वाले पुरुष, संबंध बनाने के लिए दबाव डालना, रास्ता रोकना, गलत दृष्टिकोण से देखना जिसे महिलाओं के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है एवं संवेगात्मक ठेस की स्थिति उत्पन्न होती है।

आर्थिक उत्पीड़न - शोध अध्ययन के अनुसार यह पाया गया की शासकीय एवं अशासकीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में समान वेतन का प्रावधान के बाद भी अशासकीय कार्यस्थलों पर महिलाओं को समान वेतन (43.75%) प्राप्त नहीं होती है महिलाओं को आर्थिक रूप से उत्पीड़न (43.75%) किया जाता है, जैसे पदोन्नती रोकना (53.75%), समान वेतन न देना (18.75%), वेतन भत्ता न देना (15%), समय से वेतन न देना (12.5%), जैसी आर्थिक अमाननीय स्थिति के कारण महिलाओं को आर्थिक एवं वित्तीय रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता है ,विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट (2017) के अनुसार भारत में (66) महिलाओं को कार्य करने के रूपये नहीं मिलते महिलाओं की एवरेज सैलरी (5400) है एवं पुरुषों की (8100) एवरेज सैलरी रहती है।

निर्दोष - विक्टर ह्यूगो ने कहा है कि 'मनुष्य में दृष्टि होती है और नारी में दिव्य दृष्टि' महिलाएं आज आत्मनिर्भर होकर परिवार के साथ ही समाज के विकास में भी सहयोग प्रदान कर रही है। वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं को जितने अधिकार व लाभ प्राप्त हुआ है, भारत का संविधान महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान अधिकार प्रदान करता है। महिलाओं के विकास का सबसे बड़ा अवरोध तत्व आर्थिक अवलम्ब, अज्ञानता के कारण महिलाएं शोषण का शिकार होती है। महिलाओं को कार्य करने के लिए किसी भी क्षेत्र या व्यवसाय को चुनने का अधिकार है जिसके कारण महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है किन्तु आज भी हर क्षेत्र में महिला प्रताड़ित हो रही है जिसका मुख्य कारण पुरुष वर्ग है। भेदभाव महिलाओं के खिलाफ हिंसा का रूप ले लेता है, जिसे पुरुष की मानसिकता महिलाओं के प्रति ज्ञात होती है।

शासकीय व अशासकीय स्थलों पर कार्यरत कामकाजी महिलाओं किसी भी वर्ग, आयु एवं पद की हो असमानता एवं उत्पीड़न महिलाओं के प्रति विद्यमान रहती है। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता अथवा सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है जिससे व्यक्ति अपनी शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रायजादा, अजीत, 'महिला उत्पीड़न समस्या और समाधान', म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2000।
2. खुशिता, बसंत, 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून पुराना', पाईन्टर पब्लिकेशर्स, जयपुर राजस्थान 2013।
3. भटनागर, संगीता, 'कार्यस्थल पर सुरक्षा की चिंता', जनसत्ता 2015।
4. 'राष्ट्रीय महिला आयोग', जनसत्ता पत्रिका के अनुसार कार्यस्थलों पर महिलाओं के उत्पीड़न में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, 2015।
5. विश्व बैंक की रिपोर्ट 2016।
6. 'राष्ट्रीय महिला आयोग', की रिपोर्ट 2016।
7. शर्मा, कुमार कृष्णा, महिला कानून और मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, प्रकाशन 2016, ISBN 978-81-8330-305-7, 2016
8. शर्मा, रमा, मिश्रा, एफ.के., महिला और मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, प्रकाशन 2016, ISBN 978-81-8330-215-9, 2016
9. kapila, Pallavi, "Evolution of Indian Law on Workplace Sexual Harassment, International Journal Humanities and Social Science Invention, ISSN. 2319-7714, 2017
10. 'राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो' 2018।
11. Sarpotdar, Anagha, Sexual Harassment of Women at Workplace in India: A Study at National Capital Region of Delhi, Journey from a Workplace Problem to a Human Right Issue, Journal of Business Management & Social Science Research, Volume 3, ISSN. 2319-5614, 2018
12. R. Rohit, M. Dhanasekar, A Study on Harassment of women at Workplace in India, International journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 120, ISSN. 2018-189-201, 2018

भारत में बालिका शिक्षा - स्थिति एवं महत्व

शिवानी गुप्ता * डॉ. चेतना पाण्डेय **

प्रस्तावना - बालिका को बालक के समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने की बात भारत के लिए आसान नहीं है। प्राचीनकाल में देश में बालक बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध थे। वेदिककाल में बालक व बालिका दोनों का उपनयन संस्कार कर शिक्षा प्रारम्भ करने की प्रथा थी। अथर्ववेद सफल वैवाहिक जीवन तथा सुखद गृहस्थी के लिए बालिका का शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करता है। मध्यकाल में भारत में राजनैतिक व सामाजिक अस्थिरता के कारण उत्पन्न असुरक्षा की भावना ने भारत में बालिका शिक्षा व्यवस्था को ऐसा तहस नहस किया कि स्थिति अभी तक सुधर नहीं पाई है।

ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भारत में बालिका शिक्षा के लिए वातावरण बनने लगा था। 1854 में ईस्ट इण्डिया कंपनी द्वारा पारित वुड डिस्पैच में महिला शिक्षा को सरकार के उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार किया गया मगर शिक्षा की उचित व्यवस्था मात्र कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रही। 1882 में भारत में महिला साक्षरता 0.2 प्रतिशत थी जो देश के आजाद होने तक बढ़कर 6 प्रतिशत हो सकी। देश के स्वतंत्र होने के समय तक विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन बहुत ही कम था। देश स्वतंत्र होने के बाद यह आशा जगी कि देश की प्रत्येक बालिका को उसके हम उम्र बालक के समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध होंगे। भारतीय संविधान में भी बालक व बालिका को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के प्रावधान किये गये।

अंग्रेजी राज में यह सोच बनी रही कि महिलाओं का उचित स्थान घर है, अतः उन्हें उतनी ही शिक्षा दी जावे जिससे वे घर ठीक से चला सके। स्वतंत्रता के बाद इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाएँ पुरुष से किसी भी तरह कम नहीं हैं। महिलाएँ प्रत्येक उस कार्य को कर सकती हैं जिसे पुरुष कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा को मानव मात्र का अधिकार घोषित करते हुए लिंग, जाति, आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना, सभी के लिए समान शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था पर जोर दिया। अतः देश में बालिका शिक्षा के विकास पर अलग से विचार विमर्श प्रारम्भ हुआ। 1958-59 में दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति ने देश में बालिका शिक्षा की समस्याओं पर गहरायी से विचार कर प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के विस्तार पर ही अधिक ध्यान देने की आवश्यकता प्रतिपादित की। आयोग ने कहा कि केन्द्र सरकार यह देखेगी देश में बालिका शिक्षा की व्यवस्था बालकों के बराबर हो जावे। राष्ट्रीय महिला शिक्षा आयोग द्वारा नियुक्त हंसा मेहता समिति ने बालक व बालिका शिक्षा के अलग-अलग

पाठ्यक्रम को समाप्त कर सभी को एक ही प्रकार की शिक्षा दिए जाने का सुझाव दिया। समाज की सोच को बदले बिना एकदम ऐसा नहीं करके मध्यम मार्ग अपनाया गया। शिक्षा आयोग (1964-66) ने उच्च माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए लोकप्रिय विषय गृहविज्ञान प्रारम्भ किया मगर इसे बालिकाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया गया। संगीत ललितकला आदि विषय प्रारम्भ करने के साथ ही विज्ञान व गणित विषयों को बालिकाओं के लिये खोल दिया गया। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्थायें की जाने लगी कि इन विषयों का चयन करने वाली बालिकाएँ उच्च शिक्षा में प्रवेश कर सकें।

संविधान की भावना को मूर्तरूप देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में बालिका शिक्षा, महिला स्वास्थ्य आदि के लिए विशेष प्रावधान रखे जाने लगे। महिला की शिक्षा के क्षेत्र में जो बाधाएँ स्वतंत्रता के समय थी उनको बहुत हद तक दूर किया गया है। शिक्षा विस्तार के साथ गांव तक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है। शिक्षा में महिला शिक्षकों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। उच्च माध्यमिक स्तर तक सभी बालिकाओं को शिक्षा एवं पाठ्य-पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध हैं। उच्च शिक्षा हेतु आवागमन के लिए भी साधन सुलभ कराए गए हैं। बालिका शिक्षा हेतु निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था की जा रही है। छात्रवृत्ति के रूप में प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। बाल विवाह को गैर-कानूनी घोषित कर उसको रोकने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

इसका परिणाम भी बालिका नामांकन तथा महिला साक्षरता दर में वृद्धि के रूप में सामने आने लगा। 1951 में बालिका नामांकन 25 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 7.3 प्रतिशत थी। 2001 के आने तक नामांकन 90 प्रतिशत तथा साक्षरता दर 50 प्रतिशत तक बढ़ गई है। मगर बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वाली बालिकाओं की संख्या बालकों की तुलना में बहुत अधिक है। इस बात को देखने के लिए अलग से सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता है। 8वीं व 10वीं बोर्ड में प्रविष्ट होने वाली बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या की आधी से भी कम होती है। यह प्रसन्नता की बात है कि परीक्षा में सफलता का प्रतिशत बालकों की तुलना में बालिकाओं का अधिक रहता है। यह इस बात का गवाह है कि बालिकाएँ शिक्षा के प्रति बालकों से अधिक गम्भीर हैं। मगर बालिका शिक्षा का जो प्रभाव समाज में दिखना चाहिए वह देखने को नहीं मिला। उच्च बालिका शिक्षा मृत्यु दर तथा घटता महिला लिंग अनुपात यह दर्शा रहा था कि समाज में महिलाओं को समान का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया था।

* शोधार्थी (शिक्षाशास्त्र) सैम हिगिनिबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एण्ड साइन्सेज, इलाहाबाद (उ.प्र.) भारत

** सहायक प्राध्यापक (शिक्षाशास्त्र एवं मनोविज्ञान) सैम हिगिनिबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एण्ड साइन्सेज, इलाहाबाद (उ.प्र.) भारत

बालिकाओं का नामांकन तो बढ़ा है मगर निचले तबके के ग्रामीण इलाकों की लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर भी अब भी बहुत अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई के बीच स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में दुगुनी है। 10 में से 9 लड़कियाँ स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाती। ग्रामीण क्षेत्र में 100 में से एक लड़की ही 12 तक की शिक्षा पूरी कर पाती है। शहरी क्षेत्र में 14 ही 12 पास कर पाती है। लड़कियों के बीच में स्कूल छोड़ कर जाने का कारण गरीबी के साथ शिक्षा का अरुचिकर होना भी है। रोजगार के दबाव में लड़के व लड़कियों की शिक्षा में भेदभाव का रोचक रूप अंग्रेजी माध्यम व उर्दू माध्यम के आँकड़े देखने से उजागर होता है। मुंबई के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में लड़के-लड़कियों का अनुपात 3:1 है जबकि पुणे कि उर्दू माध्यम स्कूलों में स्थिति विपरीत से भी बुरी अर्थात् 1:4 है।

यौनानुपात अंतर की कमी सामाजिक-अर्थशास्त्रीय कारण से है, जो अन्ततः कन्या शिक्षा के जीवन संघर्ष को प्रभावित करता है। मगर रोचक तथ्य यह है कि उच्च महिला साक्षरता वाले राज्यों में यौनानुपात में कमी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में जहाँ महिला साक्षरता की दर 75: है यौनानुपात 821 है जबकि पंजाब में साक्षरता दर 63.5 प्रतिशत होने पर भी यौनानुपात 874 पाया गया है।

श्रमशक्ति के रूप में देखने पर यूँ तो महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ी है मगर इनकी संख्या ऊँट के मुँह में जिर के बराबर ही है। कामकाजी महिलाओं की संख्या बहुत कम तथा नीचे के पदों तक ही सीमित रही है। बालविवाह अभी भी जारी है महिलाओं के प्रति अपराध का ग्राफ भी नीचे नहीं आया है।

जिस रफतार से भारत में आर्थिक प्रगति हो रही है, उस अनुपात में शिक्षा के मामले में देश अपेक्षित तरक्की नहीं कर पाया है, देश में 61 लाख ऐसे बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, खासतौर पर बालिका शिक्षा का स्थिति चिंताजनक है।

सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बेसलाइन सर्वे 2014 की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 साल की लगभग 16 प्रतिशत लड़कियाँ स्कूल बीच में ही छोड़ देती हैं आर्थिक विकास के अपने मॉडल के लिए सुर्खियाँ बटोरने वाला गुजरात में 15 से 17 साल की 26.6 प्रतिशत लड़कियाँ किसी न किसी कारण से स्कूल छोड़ देती हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य में 26.6 प्रतिशत लड़कियाँ 9वीं और 10वीं कक्षा तक भी नहीं पहुँच पाती हैं। इस लिहाज से गुजरात, सर्वे में शामिल 21 राज्यों में से 20वें स्थान पर है स्कूल जाने वाली लड़कियों का राष्ट्रीय औसत गुजरात की तुलना में करीब 10 प्रतिशत ज्यादा है।

इस समय देश के 61 लाख बच्चे शिक्षा की पहुंच से दूर हैं। इस मामले में सबसे खराब स्थिति उत्तरप्रदेश की है, जहाँ 16 लाख बच्चों तक शिक्षा की रोशनी नहीं पहुँचायी जा सकी है यह आँकड़े यूनिसेफ की वार्षिक रिपोर्ट द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन ने जारी किए हैं रिपोर्ट के अनुसार स्कूल जाने वाले बच्चों में भी 59 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं, जो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं 2013 में मानव विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष पूरे देश में 5वीं वक आते-आते करीब छत्र-छात्राएँ स्कूल छोड़ देते हैं, लगभग एक तिहाई सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालयों की सुविधा नहीं है, जिस कारण से लड़कियाँ बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ रही हैं।

डॉ. सुनन्दा ईमानदार कहती हैं। कि भारत में लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 22 लाख से भी ज्यादा लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है ऐसे में उनका स्कूल छूटना स्वाभाविक है। उनके अनुसार, लड़कियों का शिक्षा के साथ ही अन्य मुद्दों पर

भी समाज को जागरूक करना होगा, खासतौर पर ग्रामीण समाज को 'यूनिसेफ' की गुडविल एंबेसडर एवं फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि जब तक लोग लड़के और लड़की में भेदभाव खत्म नहीं करेंगे तब तक इस स्थिति में बदलाव नहीं आयेगा।

शिक्षा को लेकर सरकार के प्रयासों में भले कमी रही हो, लेकिन सरकारी अभियानों से शिक्षा की स्थिति में सुधार आया है, खासतौर पर सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है। शिक्षा के अधिकार का कानून लागू करने के बाद प्राथमिक शिक्षा के लिए होने वाले नामांकनों में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या में भी लगातार गिरावट आ रही है। वर्ष 2009 में 6 से 13 वर्ष की उम्र के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 80 लाख थी, जबकि पांच साल बाद यानी 2014 में यह संख्या घटकर 60 लाख रह गई है वैसे 2014 में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बीच 7.4 करोड़ बच्चों में से लगभग 2 करोड़ बच्चे किसी तरह की प्री-स्कूल शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे थे।

पुत्र की लालसा ने कन्या भ्रूण हत्या को जन्म दिया, इस प्रकार लैंगिक अनुपात बिगड़ गया। इसी मानसिकता ने ही लड़कियों को अधिक न पढ़ाने की धारणा को भी जन्म दिया। अतः लड़कियों के लिए बिना समुचित शिक्षा की व्यवस्था किये महिला सशक्तिकरण की बात करना व्यर्थ है। परिवार शिक्षा की प्रथम पाठशाला है और उसमें माता ही उसकी पथ-प्रदर्शिका होती है और यदि माता ही अशिक्षित है, तो वह बच्चे की उचित देखभाल कैसे कर सकती है? सत्य ही कहा गया है कि यदि आप एक बालक को आप एक पूरे परिवार को शिक्षित कर रहे हैं। अतः बालिकाओं की शिक्षा को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि उनकी प्रगति ही हमारे विकास का मानदण्ड बनती है।

बालिका शिक्षा व समाज कल्याण, प्राथमिक शिक्षा इत्यादि पर काफी अध्ययन किये जा चुके हैं। जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं- पाठक, वीरन्द्र (2006) ने समाज कल्याण पत्रिका के अगस्त, 2006 के अंक में 'बालिका शिक्षा का महत्व' के लेख में प्रस्तुत किया कि जीवकोपार्जन की योग्यता पैदाकर, शिक्षास्त्रियों का समुदाय में स्थान ऊँचा करती है और परिवार व समुदाय में निर्णय करने का अधिकार दिलाती है। मिश्रा, रंजना (2004) ने 'बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा' प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के संदर्भ में एक अध्ययन पर शोधकार्य किया। महास्कर, वी.एम. (2003) ने 'सर्वे ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रेन इन महाराष्ट्र स्टेट' पर शोध कार्य किया। झा, पी0 (2001) ने 'बालिका शिक्षा कैम्पस छिंदवाड़ा एकल अध्ययन' पर शोध कार्य मध्यप्रदेश में किया।

उपसंहार - अध्ययन से बालिका-शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दूर करने में सहायता मिल सकती है। बालिका-शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्रता के बाद से प्रयत्न किए गए। अफसोस है कि वांछित परिणाम न आ सके। अतः वांछित परिणामों की प्राप्ति में प्रस्तुत अध्ययन कुछ सहायक हो सकता है। महिलाएँ प्रत्येक उस कार्य को कर सकती हैं, जिस कार्य को पुरुष कर सकते हैं। महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं तब हम कैसे मान लें कि शिक्षा के क्षेत्र में वे पीछे रहेंगी। आज की स्त्री घर के कार्य हों या बाहर के कार्य वे दोनों में सामंजस्य स्थापित कर सकती हैं। भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति सुधारने के लिये सरकार ने कई सारी योजनाओं को चालू किया। बालक-बालिकाओं के समान पाठ्यचर्या का निर्माण किया है व उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। जिससे बालिकाओं को अध्ययन करने में समस्या न हो। महिलाओं की समाज में स्थिति सुधारनी है, तो भेदभाव खत्म करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रो० रमन बिहारी लाल, भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ।
2. डा० एस० पी० गुप्ता, भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं

समस्याएँ, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद।

3. <http://www.indiacelebrating.com>
4. <http://www.borgenoproject.org>

Cyber Crime Against Women In India- A Birds Eye View

Dr. Neelesh Sharma*

Abstract - Information technology has widened itself over the last two decades and has become the axis of today's global and technical development. The world of internet provides every user all the required information fastest communication and sharing tool making it the most valuable source of information. With the numerous advancement of internet, the crime using internet has also widened its roots in all directions. The cyber-crimes pose a great threat to individuals. Cyber-crime is a global phenomenon and women are the soft targets of this new form of crime. In this paper we explore the Cyber-crimes and the online security vulnerabilities against women. Cyber-crime is emerging as a challenge for national and economic security. Various issues that are discussed in this paper are: Cyber Stalking, Harassment via Email, Cyber Defamation, Morphing, and Email Spoofing against women.

Key Words - Cyber Crime, Women, Information Technology.

Introduction - Cyber crime is a global phenomenon. With the advent of technology, cyber crime and victimization of women are on the high and it poses as a major threat to the security of a person as a whole. India enact IT Act 2000 to fight with cyber crimes, but in it issues of women remain untouched .The IT Act named certain offences as, publishing, hacking of obscene materials in the net, tampering the data as punishable. But the grave threat to the security of women in general is not covered fully by this Act. There is no statutory definition of cyber-crime under Indian laws, including under the IT Act. Cyber-crime can be defined as:”**Any illegal act fostered or facilitated by a computer, whether the computer is an object of a crime, an instrument used to commit a crime, or a instrument of evidence related to a crime.**”

Types of Cyber crime against women -The crimes which can be mentioned as specially targeting women are as follows -

1. Harassment via e-mails.
2. Cyber-stalking.
3. Cyber pornography.
4. Defamation.
5. Morphing.
6. Email spoofing.

Brief discussions of these offences are as follows -

I. Harassment through e-mails is not a new concept. It is very similar to harassing through letters. Harassment includes blackmailing, threatening, bullying, and even cheating via email. E-harassments are similar to the letter harassment but creates problem quite often when posted from fake ids.

II. Cyber stalking is one of the most talked about net crimes in the modern world. The Oxford dictionary defines

stalking as “pursuing stealthily”. Cyber stalking includes following a person's movements nearby the Internet by posting porn messages on the bulletin boards frequented by the victim, entering the chat-rooms, constantly bombarding the victim with emails etc. Typically, the cyber stalker's victim is new on the web, and inexperienced with the rules of netiquette & Internet safety. Their main targets are the mostly females, children. It is believed that Over 75% of the victims are female.

III. Cyber pornography is the other threat to the female netizens. It include pornographic websites; pornographic magazines produced using computers (to publish and print the material) and the Internet (to download and transmit pornographic pictures, photos, writings etc). Internet facilitates crimes like pornography. Cyber porn as it is popularly called is widespread. Almost 50% of the web sites exhibit pornographic material on the Internet today. It can be reproduced more quickly and cheaply on hard disks, and CD-Roms..

IV. Cyber defamation - Cyber tort including libel and defamation is another common crime against women in the net. This occurs when defamation takes place with the help of computers and / or the Internet. E.g. someone publishes defamatory matter about someone on a website or sends e-mails containing defamatory information to all of that person's friends

V. Morphing - Morphing is editing the original picture by unauthorized user or fake identity. It was identified that female's pictures are downloaded by fake users and again re-posted/uploaded on different websites by creating fake profiles after editing it. This amounts to violation of I.T. Act, 2000 and attracts sec. 43 & 66 of the said Act. The violator can also be booked under IPC also.

VI. Email spoofing - A spoofed e-mail may be said to be one, which misrepresents its origin. It shows its origin to be different from which actually it originates. A review in the CyberlawTimes.com shows that India has crossed the danger mark in cyber crime targeting women and children. The more common method used by men is to email vulgar photographs of themselves to women, praising their beauty, and asking them for a date or inquiring how much they charge for 'services'. Besides sending explicit messages via e-mail, SMS and chat, many also morph photographs - placing the victim's face on another, usually nude, body.

3. Provisions of the IT Act 2000 relating to cyber crime and offences against women in India and the loopholes of the said Act - Unfortunately even though Chapter XI of the IT Act deals with the offences such as Tampering with computer source documents (s.65), Hacking with computer system (s66), publishing of information which is obscene in electronic form (s.67) Access to protected system(s70), Breach of confidentiality and privacy(s. 72), Publication for fraudulent purpose(s.74) IT Act 2000 still needs to be modified. It does not mention any crime specifically as against women and children.

4. The reasons for the growth of cybercrime rate against women can be categorized into two folds: legal and sociological reasons.

Legal Reasons - The objective of the IT Act is crystal clear from its preamble which confirms that it was Formed largely for improving e-commerce hence it covers commercial or economic crimes i.e. hacking, fraud, and breach of confidentiality etc. but the drafters were unacquainted with the protection of net users. As we deliberated above that majority of cybercrimes are being prosecuted under Section 66 (Hacking), 67(publishing or transmitting obscene material in electronic form), 72(breach of confidentiality). The most of the cybercrimes other than e-commerce related crime are being dealt with these three sections. Cyber defamation, cyber defamation, email spoofing, cybersex, hacking and trespassing into one's privacy is domain is very common now days but IT Act is not expressly mentioning them under specific Sections or provisions. Whereas IPC, Criminal Procedure Code and Indian Constitution give special protection to women and children for instance modesty of women is protected under Section 509 and rape, forceful marriage, kidnapping and abortion against the will of the woman are offences and prosecuted under IPC. Indian constitution guarantees equal right to live, education, health, food and work to women, however until recently there were no specific penal provisions protecting women specifically against internet crimes. Ever since the 2012 Delhi Gang Rape case (Nirbhaya Case) there has been a huge outcry over bringing out new reforms and penal provisions so as to protect women against the criminally minded.

The 2013 Criminal Law Amendment Ordinance contains several additions to the Indian Penal Code, such as to sections 354, 354 A, 354 B, 354 C & 354 D, with the

assistance of these sections now the issues of MMS scandals, pornography, morphing, defamation can be dealt in proper manner.

Sociological reasons - Most of the cybercrimes remain unreported due to the hesitancy and shyness of the victim and her fear of defamation of family's name. Many times she considers that she herself is accountable for the crime done to her. The women are more vulnerable to the danger of cybercrime as the perpetrators identity remains anonymous and he may constantly threaten and blackmail the victim with different names and identities. Women fear that reporting the crime might make their family life difficult for them, they also question whether or not they will get the support of their family and friends and what the impression of society will be on knowing about them. Due to these fears women often fail to report the crimes, causing the spirits of culprits to get even higher.

Remedies -

1. The increasing number of crimes against women are a huge concern for any state however, cybercrimes make it even more challenging as criminals have the opportunity to create fake identities and then after indulge in illegal activities. To counter this government should make stricter laws to apply on the Internet Service Providers(ISP), as they alone have the complete record of all the data being accessed by anyone surfing on net. ISPs should be made to report any suspicious activities that any individual is indulging into, this will help to curb crimes in nascent stage.
2. Legislation needs to make stricter regulation for cyber cafes, who should keep a record of their customers who utilized their internet services, often people go to cyber cafes to indulge in criminal activities so as their own IP addresses are not revealed in any future investigation. This is another manner to mask identity.
3. People need to be cautious over which parts of their daily lives are being recorded by cameras & should act modest in such times. Awareness over cyber culture and its back draws also need to be improved amongst people. People need to be made aware of their rights, studies show that a large population of internet users in India have no knowledge of their rights in cyber crime matters .
4. Email spoofing is possible because of Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), the main protocol used in sending email, does not allow an authentication mechanism. Although an SMTP service extension allows an SMTP client to negotiate a security level with a mail server, however this precaution is not always taken.
5. So women should take precaution and always add the SMTP service extension with the SMTP client.

Suggestions for cyber victims - Unfortunately even today the Indian police not tends to take cybercrimes seriously, in such scenario, the woman or the young girl who falls prey to cyber victimization should first contact a women

assistance cell or **NGO such as All India Women s Conference Sakshi , Navjyoti, Centre for cyber victims counseling**, which will assist and guide them through the process, also this will make sure that police does not take any case lightly.

Conclusion - Cybercrimes against women are still taken lightly in India, mostly because in general the respect towards women in our modern society is on a decrease also a lot of people are unable to come to terms with the fact that even posting images of someone online in a crime. Cybercrimes such as morphing, e-mail spoofing do-not have a moral backing in society and hence are taken lightly. This brings us to the most important part where social advancement is needed, people need to recognize the rights of others and realize what constitutes a crime they must learn not to interfere with the private lives of others, respect towards women in society needs to increase. All this can only be done if young kinds are taught from a young age to respect women. Hence, to counter cybercrime against women in India, not only stricter penal reforms are needed but also a change in education system is a huge requirement. Such change cannot come from within a single block of society but people, government and NGOs etc. need to work together to bring forth such changes.

Some leading Cases of Cyber Crime against Women - Ritu Kohli Case1, Ritu Kohli Case was India s first case of cyber stalking, in this case Mrs. Ritu Kohli complained to police against a person, who was using her identity to chat over the Internet at the website <http://www.micro.com/>, mostly in Delhi channel for four consecutive days. Mrs. Kohli further complained that the person was chatting on the Net,

using her name and giving her address and was talking obscene language. The same person was also deliberately giving her phone number to other chatters encouraging them to call Ritu Kohli at add hours. Consequently, Mrs. Kohli received almost 40 calls in three days mostly on add hours. The said call created a havoc in personal life of the complainant consequently IP addresses was traced and police investigated the entire matter and ultimately arrested the offender. A case was registered under the section 509, of IPC and thereafter he was released on bail. This is first time when a case of cyber stalking was reported.

Delhi Metro CCTV footage leaks case 2, where the CCTV recording couples getting intimate in metro stations etc. which has been recorded by police security cameras has been leaked on internet.

Gujrat Ambuja's Executive Case 4, in this case the perpetrator pretended to be a girl for cheating and blackmailing the Abu Dhabi based NR.

References:-

1. <http://cyberlaws.net/cyberindia/2CYBER27.htm>
2. http://en.wikipedia.org/wiki/DPS_MMS_Scandal
3. http://zeenews.india.com/news/nation/porn-mmses-from-delhi-metro-cctv-footage_860933.html
4. <http://cyberlaws.net/cyberindia/defamation.htm>
5. <http://www.aiwc.org.in/> (Private group of women assisting other less fortunate women to fight the crimes committed against them)
6. <http://www.sakshingo.org> (NGO assists women in dealing with govt authorities)
7. <http://www.navjyoti.org.in/> (NGO by Kiran Bedi, assist women in several aspects)

Competition Amendment Bill 2012 VTS-A-VIS Anti Competitive Agreements

Prachi Tyagi*

Introduction - Competition (Amendment) Bill was tabled in the Parliament on December 10, 2012 by the Indian Government. This Bill aims to modify certain provisions of the Act, as well as insert some new provisions, to meet the evolving needs of industry.

Vertical Arrangements To Include ‘Provision Of Services’

Present position - Section 3(4) points to agreements between enterprises or persons at different stages of the production chain in different markets, in respect of production, distribution, storage, sale or price of, or trade in goods or **provision of services**. It states that if such vertical agreements cause or are likely to cause any appreciable adverse effect on competition, they shall be deemed void. While this provision makes reference to provision of services, the illustrations mentioned therein, such as tie-in arrangements, exclusive supply agreements, exclusive distributorship agreements, refusal to deal and resale price maintenance, only make reference to “sale of goods” and not to “provision of services.”

Proposed law - The Bill now aims to include reference to “provision of services” in the explanation provided for all the illustrations under vertical agreement. While this amendment does not substantively impact the interpretation of section 3(4) per-se since the main clause includes reference to “provision of services,” it does ensure that there is no dichotomy between the text of the main clause and explanation provided for its illustrations. For instance, the present definition of “tie-in arrangements” includes “any agreement requiring a purchaser of goods, as a condition of such purchase, to purchase some other goods.” The amendment proposes the definition to be modified as “any agreement requiring a purchaser of goods **or recipient of services**, as a condition of such purchase **or provision of such services**, to purchase some other goods **or availing of some other services**.”

Procedural Amendments -

Dawn Raids To Be Simplified -

Present law - Under section 41(3), the Director General (“DG”) is empowered to conduct search and seizure in accordance with provisions of sections 240 and 240A of the Companies Act, 1956 (“Companies Act”). Pursuant to these provisions, the DG has to procure an order from a

Magistrate for undertaking a search and seizure. This procedure is consistent with how raids are conducted in any other civil/criminal proceeding in India. As on date, there has been no case before the CCI where any search and seizure order has been obtained by the DG, so, the “effectiveness” of the existing regulation is untested.

Proposed law - The Bill now proposes that instead of the Magistrate, the DG can seek an order from the Chairperson of the CCI, under section 41(3) to conduct any search and seizure. While this amendment can be criticized on the ground that dawn raids would become “unchecked” and managed “internally” within the CCI, it will also ensure that as competition issues get more complex and high-value, search and seizure raids would become an extremely productive tool for the DG to conduct its investigation and ensure a stricter competition regime.

Orders Of The Cci During The Stage Of Inquiry - Present law: In some cases filed before the CCI, a peculiar concern has been highlighted in the CCI's orders. Once a complaint is filed and a prima facie case is established, the CCI directs the DG to conduct its investigation.¹¹ If the DG submits a report that there is a contravention of the Act, the CCI has to invite objections/suggestions from the parties. After hearing the objections/suggestions, the CCI can only pass an order under sections 26(8)¹² or under section 27.¹³ Neither of which permit it to go against the finding of the DG where the DG has held a contravention. This situation was first examined by the CCI in the case of Pankaj Gas Cylinders Ltd. vs. Indian Oil Corporation Limited,¹ and the correct interpretation of the Act was adopted in its dissenting order. The dissenting order rightfully stated that “Under section 27 of the Act, an order can only be passed when a contravention is established. Therefore, dropping of a case after DG has found a contravention is not authorized under the Act.” Since then, numerous cases have been heard by the CCI where, despite the DG's confirmation of a contravention, the CCI passed an order closing the case.²

Proposed law - In order to give the CCI statutory provisions under which it can close a case even if the DG finds a contravention of the Act, the Bill proposes to expand the scope of section 26(8). In addition to passing an order directing a further inquiry, the amendment will also allow the CCI to “make appropriate orders thereon after hearing

*Ph.D. Scholar, Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA

the concerned parties.” This means that if the amendment is effected, the CCI will legitimately be able to pass any order, irrespective of the finding of the DG during its investigation.

Opportunity To Be Heard Before Imposition Of Penalty

Present law - Under section 27(b) of the Act, the CCI can impose a penalty for contravention of section 3 or 4. Such penalty can be up to 10% of the average turnover for the last 3 financial years, or, in cases of a cartel, up to 3 times the profit or 10% of the turnover, whichever is higher, for each year the alleged cartel is in force. In the last 3 years, there have been multiple cases where CCI has imposed penalties for contravention. However, in each of these instances, once the contravention was proved, the CCI imposed penalties without offering any hearing to the parties on the “quantum” of penalty to be imposed. While this practice has been - prevailing due to the lack of any corresponding provision in the Act mandating a hearing, it is inconsistent with the judicial process followed in courts and with due process principles. Typically, an opportunity is provided to the contravening party to present its arguments for the imposition of the least applicable penalty. In **Hindustan Steel Ltd. vs. State of Orissa**,³ the Supreme Court of India (“SC”) held that “...an order imposing penalty for failure to carry out a statutory obligation is the result of a quasi-criminal proceeding, and penalty will not ordinarily

be imposed unless the party obliged either acted deliberately in defiance of law or was guilty of conduct contumacious or dishonest, or acted in conscious disregard of its obligation. Penalty¹ will not also be imposed merely because it is lawful to do so. Whether penalty should be imposed for failure to perform a statutory obligation is a matter of discretion of the authority to be exercised judicially and on a consideration of all the relevant circumstances.” Various other judgments have corroborated and upheld the principle of judiciously exercising the right to levy penalties.

Proposed law - The Bill now proposes to amend the language of section 27(b) as well as 27(g)¹⁸ to include a proviso requiring the CCI to grant a hearing to the party(s) before it passes any order under any of the aforementioned sections. This development will be consistent with judicial practice and offer a fair chance to parties to defend any imposition of the penalty once the CCI holds them in contravention of the Act.

References:-

1. Case No. 10 of 2010. date of order 22-06-11.
2. Id.⁴
3. 1970 SCR (1) 753
4. Case No. 10 of 2010. date of order 22-06-11.
5. Id.
6. 1970 SCR (1) 753

लोक-अदालत - शीघ्र, सरल और निःशुल्क न्याय

रतन सिंह तोमर *

प्रस्तावना - भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिकल्पित न्याय की परिकल्पना को साकार करने के लिए विधि के क्षेत्र में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं, साथ ही विधिक सहायता से संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना के माध्यम से इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सराहनीय प्रावधान किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित कार्यक्रम प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 6 मार्च, 2005 को नई दिल्ली में 'राष्ट्रीय कानूनी साक्षरता मिशन' का उद्घाटन किया गया। उक्त अवसर पर उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के साथ-साथ समानता और सामाजिक न्याय भी होना चाहिए। मध्यप्रदेश में विधिक सहायता अभियान 'विधिक साक्षरता स्कीम 1999' के तहत चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत उच्च न्यायालय जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर शहरी गंदी बस्तियों एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों में विधिक साक्षरता अभियान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

लोक-अदालत का ज्ञान पिछड़े क्षेत्र व अनपढ़ लोगों में पहुंचे इसके लिए आवश्यक है कि इसके प्रचार-प्रसार में नवीनता आए। कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए कि वे पक्षकारों को लोक-अदालत के महत्व के प्रति जागृति उत्पन्न कर सकें तथा उन्हें उचित समझाईश के माध्यम से यह बात स्पष्ट की जावे कि वर्षों से न्यायालय में लंबित प्रकरण को किस तरह लोक-अदालत के माध्यम से कुछ ही घंटों में निपटा कर भविष्य सुखमय बनाया जा सकता है। लोक अदालत का आयोजन कार्य दिवस में होना उचित है, क्योंकि कर्मचारियों का तो पूर्ण सहयोग मिलता ही है, साथ में आयोजन संबंधी कार्यक्रम को भी पूर्ण सुनिश्चितता मिल जाती है एवं नागरिकों में भी जागरूकता रहती है, जो इसके विकास के लिए परमावश्यक है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा लोक अदालत को कार्यदिवस पर लगाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। कभी-कभी संबंधित पक्षकारों को उचित समय पर नोटिस की प्राप्ति नहीं हो पाती परिणामस्वरूप लोक अदालत आयोजन के लिए वे न्यायालय प्रांगण में नहीं पहुंच पाते और लोक-अदालत के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः लोक अदालत को अधिक कारगर बनाने हेतु आवश्यक है कि नोटिस संबंधी उचित व्यवस्था हो। लोक अदालत की प्रगति बिना अधिवक्तागण के सहयोग के द्वारा नहीं हो सकती पक्षकारों को लोक अदालत का सही ज्ञान उनके अधिवक्ता द्वारा ही कराया जा सकता है क्योंकि पक्षकार अधिवक्ताओं पर निर्भर रहते हैं एवं विधि संबंधी प्रक्रियाओं का ज्ञान उन्हें नहीं होता अतः अधिवक्तागण अपने प्रति पेशी पर मिलने वाले धन का मोह छोड़कर लोक अदालत कारगर बनाने में सहयोग कर सकते हैं। लोक अदालत से संबंधित कर्मचारीवृन्द के भ्रंश में उचित सुधार किया जाए जिससे वे अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से सजग रह सकें। क्योंकि कम राशि मिलने से कार्यकर्ता वर्ग लोक अदालत के कार्यों व विकास के प्रति पूर्ण ध्यान नहीं देते, समय का

सदुपयोग करने तथा लोक अदालत के कार्यों में कर्मचारियों की रुचि बढ़ाने में वेतन-भत्ते की वृद्धि अभिप्रेरण का काम करेगी और वे अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा व जिम्मेदारी के साथ कर सकेंगे जिससे लोक अदालत के उद्देश्य को पूर्णता मिलेगी एवं कठिनाइयों का समाधान हो सकेगा। लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों में संबंधित पक्षकारों को प्रदान की गई राशि उचित समय में ही प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि कभी-कभी राशि देने के निर्देश तो दे दिये जाते हैं परन्तु यह राशि विपक्ष की ओर से देने में विलंब होता है, इसके साथ-साथ सही मुआवजा भी नहीं मिलता अर्थात् मुआवजा की राशि कम होती है, और पक्षकार यह सोचकर कि निर्णय शीघ्र हो कम मुआवजा राशि में ही समझौता कर लेता है। अतः लोक अदालत अधिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि मुआवजा राशि सही समय पर प्राप्त हो तथा पक्षकारों को भी संतुष्ट कर सकें तभी नागरिकों का लोक अदालत के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

लोक अदालत से संबंधित अधिकारी व कर्मचारी वर्ग में अपने कार्यालयीन दायित्व से हटकर सामाजिक विकास या सहयोग की भावना होना आवश्यक है, क्योंकि इनके माध्यम से ही सामाजिक क्षेत्र में लोक अदालत का प्रचार व विश्वास बढ़ाया जा सकता है। जिससे समाज की उन्नति होगी।

विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976 के संबंध में सुझाव -

1. प्रत्येक मामले में एक के बाद एक संबंधित पक्षकार को जनसमुदाय की उपस्थिति में पुकार लगाई जाए।
2. उभय पक्षकार के उपस्थित हो जाने पर सलाहकर्ता उनके साथ विचार विमर्श करें।
3. प्रत्येक पक्षकार को अलग-अलग धैर्यपूर्वक सुनकर सुलहकर्ता विवाद के मर्म में पैठ करें।
4. विचार विमर्श स्वतंत्र निश्चल एवं बिना किसी दबाव के हो।
5. सुलहकर्ता व्यवहारिक मार्ग ग्रहण करके एक से अधिक वैकल्पिक सूत्र सुझाकर विवाद को सुलझाने के लिए पक्षकारों को प्रेरित करें।
6. लोक अदालत जन साधारण के लिए खुल रहे।

हुसन आरा खातून, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन तथा एम एच हासकॉर्ट के मामले में न्यायालय ने निःशुल्क न्याय तथा त्वरित न्याय प्रदान करने का अधिकार मूल अधिकार में शामिल किया है। लंबित प्रकरणों को सुलझाने के लिए न्याय पालिका ने समय-समय पर विभिन्न योजनाएँ बनाई हैं और ये प्रयास किया है कि न्याय प्राप्ति में किसी व्यक्ति को विलंब का सामना न करना पड़े। भारतीय न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह रहा है कि किसी भी प्रकरण में समय व धन दोनों के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया तथा विभिन्न न्यायालयों की स्थापना की गई, जिससे लंबित प्रकरणों का दबाव कम हो नागरिकों को समय पर न्याय प्राप्त हो

सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोक अदालत के रूप में नवीन न्यायालय की स्थापना की।

लोक अदालत की व्यवस्था उस गरीब जनता के लिए अन्यत्र हितकर है, जो समुचित अर्थ के अभाव में सुलभ न्याय की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। लोक अदालत इस दृष्टि से भी उपयोगी है कि यदि मामले का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से होता है, तो न्याय प्राप्ति हेतु लगने वाला न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। लोक अदालत का एक अन्य लाभकारी पक्ष यह है कि इसमें अदालत द्वारा पारित आदेश की एक-एक सत्य प्रतिलिपि दोनों पक्षकारों को तुरंत प्रदान की जाती है तथा इस हेतु कोई प्रशुल्क भी नहीं लिया जाता, जबकि अन्य अदालतों की कार्यवाही के उपरांत पारित आदेश की प्राप्ति हेतु शुल्क जमा करना पड़ता है तथा व्यवहारतः कई चक्र भी लगाने पड़ते हैं।

लोक अदालत द्वारा मामले के स्थायी समाधान जैसे महत्वपूर्ण पक्ष को भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। अर्थात् लोक अदालत का आदेश अंतिम होता है, इसके विरुद्ध ऊपरी न्यायालयों में किसी प्रकार की अपील नहीं की जा सकती। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से भी यह बात तर्क संगत प्रतीत होती है, क्योंकि लोक अदालत उन्हीं मामलों को निराकरित करती है, जिनमें राजीनामों की संभावना होती है।

लोक अदालत द्वारा दिए गए आदेश की अपील न होने के परिणामस्वरूप विवाद का स्वतः अंत हो जाता है एवं पक्षकार को मानसिक वलेश से निजात मिल जाती है।

विधि के शासन के लिए भी यह आवश्यक है कि निर्धन अथवा अशिक्षित व्यक्तियों की उनके अधिकारों के प्रवर्तन करने में सहायता की जाए। यदि कोई निर्धन व्यक्ति अपनी निर्धनता के कारण विधि द्वारा दिए गए अपने अधिकारों का प्रवर्तन न कर सके तो सही अर्थों में विधि का कोई शासन नहीं माना जाएगा। इन्हीं सब कारणों से सुने जाने के अधिकार की अवधारणा को शिथिल किया गया है तथा किसी भी लोक-भावना से युक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अथवा व्यक्तियों के संगठन को यह अनुमति दी गयी है कि वह निर्धन व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु जनहित को प्रभावशील बनाने के लिए जनहित याचिका दायर कर सकता है।

खत्री बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 39(क) के अधीन निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाना जमानत प्रदान करने के मामले में भी लागू होता है। राज्य की ओर से यह तर्क कि निःशुल्क विधिक सहायता विचारण में लागू होगी तथा प्रारंभिक अवस्था में लागू नहीं होगी न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार का प्रारंभ किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के ही समय से प्रारंभ हो जाता है और यह तब तक जारी रहता है, जब तक कि निर्णय सुना नहीं दिया जाता है। यदि निर्णय सुना दिया जाता है और अभियुक्त व्यक्ति इसके विरुद्ध अपील उच्चतर न्यायालय में संदर्भित करता है, तो निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार जारी रहेगा और इसका हकदार इस प्रकार की अपील के मामलों में भी होगा न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त को याद दिलाए कि वह निःशुल्क विधिक सहायता का हकदार है।

न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि अभियुक्त की क्षमता किसी अधिवक्ता को नियुक्त करने की हो तो वह निःशुल्क विधिक सहायता

का हकदार नहीं होता है।

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 33 में अर्किचन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित किए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है। अर्किचन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के आवेदन पर यह प्रदान किया जाता है कि वादी न्यायालय फीस का संदाय करने का दायी नहीं होगा और यदि उसका प्रतिनिधित्व किसी प्लीडर द्वारा नहीं किया जाता है, तो न्यायालय यदि मामलों के परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित समझता तब उसके लिए एक प्लीडर की व्यवस्था कर देगा। इस लाभ का विस्तार अब प्रतिवादी के लिए भी हो गया है। आदेश के नियम 18 के अनुसार आदेश 33 के प्रावधान के अधीन केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए जिन्होंने अर्किचन व्यक्ति के रूप में वाद संस्थित करने के लिए निवेदन किया हो ऐसे पूरक प्रावधान कर सकती है जैसा वह उचित समझती हो। संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि नागरिकों को ऐसे न्याय की प्राप्ति हो जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद न हो तथा न्याय का लाभ उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके जिससे न्याय को लेकर उनकी अन्तरात्मा में एक सम्मान की भावना आवे न कि वह इसे मात्र एक औपचारिक प्रक्रिया समझे। विधिक सहायता एवं लोक अदालतें इस इच्छा को पूर्ण करने में काफी सीमा तक सहयोग प्रदान कर रहीं हैं, मगर उनका विकास उस गति से कम हो रहा है जैसा होना चाहिए। इस कमी को दूर करने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं -

न्याय प्राप्ति की कल्पना की जाए तो इसके साथ न्यायाधीशों का जुड़ा रहना एक स्वाभाविक पहलू है और न्याय की प्राप्ति इन्हीं के माध्यम से पूर्ण होती है। मगर विधिक सहायता एवं लोक अदालत के क्षेत्र में कार्य करने के लिए इनके पास इतना पर्याप्त समय नहीं होता कि वे इनके विकास के लिए पृथक होकर कुछ कर सकें क्योंकि न्यायालयीन कार्यवाहियों एवं अन्य लाखों प्रकरणों के विचारण में ही उलझे रहते हैं। अतः इन न्यायाधीशों को इतना समय मिलना आवश्यक है कि वे अपने कार्यक्षेत्र के अलावा भी कुछ अन्य गतिविधियों व समाज में संपर्क स्थापित कर सकें।

सार्वजनिक स्थलों पर अगर विधिक सहायता एवं लोक अदालतों की कार्यप्रणाली क्या है से संबंधित विभिन्न प्रकार के लेख अंकित किये जायें तो इससे भी नागरिकों को इसके प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। इसके साथ-साथ स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा भी इस कार्य में व्यापक प्रचार प्रसार के रूप में सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे लाभ से कोई वंचित न रह पाएगा। इन सब कमियों को दूर करने के प्रयास निरंतर जारी हैं और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विधिक सहायता एवं लोक अदालतों के माध्यम से नागरिकों को शीघ्र व सरल न्याय की प्राप्ति हुई है जहां न्याय प्रक्रिया से आम जनता का विश्वास उठ रहा था वहां इस व्यवस्था ने एक बार फिर शीघ्र, सरल और निःशुल्क न्याय के प्रति नागरिकों में आस्था उत्पन्न की है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) पृ. 10.
2. अशोक कुमार गुप्ता - म.प्र. में विधिक सहायता एवं लोक न्यायालय अधिवक्ता लायब्रेरी सागर।
3. (1980) 1 SCC 98
4. (1978) 4 SCC 409
5. AIR 1978 SC 1548
6. (1981) 1 SCC 635

Effectiveness Of Raga Malkauns In Coping Anxiety

Dr. Anjana Gauttam*

Abstract - This study has been undertaken to investigate the effect of raga malkauns in coping anxiety among collegiate and non-collegiate boys and girls of Udaipur & Banswara Districts. The sample consisted of 200 students (100 collegiate, 100 non-collegiate) randomly from Government college and private students of Udaipur and Banswara districts. Srivastav Anxiety Scale (SAS) developed by Dr. Ramaji Srivastav and Dr. (Mrs.) Beena Srivastav were used to collect the data. Significant positive effect of raga Malkauns on anxiety among samples was observed.

Key Words - Effectiveness of Raga Malkauns, anxiety, music and mental health, music therapy

Introduction - Music is more pervasive now than at any other point in history, functioning not only as a pleasurable art form, but also serving many important psychological functions. In Indian culture, music has always held a special place, whereby music has been regarded as a path to achieve salvation. Music is an integral part of our everyday life and behaviour. Growing interest in the relationships between music, emotions, quality of life, subjective wellbeing and health in everyday life has also emerged in the fields of community music therapy and stress research. Batt-Rawden,(2006). The area of Indian classical music is very rich with various singing styles such as classical, light music and folk music. In classical style we have *khyal*, *dhrupad*, *tarana*, *dhamar* etc. In light music there are *bhajan*, *gazel*, *thumri*, *tappa* etc and folk is all about by people and for people. Every singing style has its own nature as dhrupad have serious style, *khyal*, *thumri*, *tappa* etc have a non serious flippant nature. Every singing form releases particular *ras*. Whether it is time, note, rhythm, or raga, in Indian classical music, everything has its own impact and all together makes it an effective art form of India.

Today good mental health is a kind of challenge for people because coping in this competitive era is quite tough and anxiety, frustration, stress are very common in society. People with good mental health stay positive, work productively, can connect with others. Research article Gourgey, (1998) depicts that how music helps children to make them social. Study represents helping a child whose social skills may be deficient to form relationships with others. According to the researcher specific musical activities can help children in socializing and interacting with each other "Sangeet Chikitsa Main Malkauns ki Bhumika" This research article clearly shows the particular mood of Raga 'Malkauns' and how this raga helps to overcome mental imbalance Sharma, (2008).

College life is the golden era of a person's life. The

idea of college makes a person enthusiastic and free. While entering in college the person thinks that he or she can live life in his own way and ignore any kind of boundations. Both categories of students collegiate and non- collegiate want to live accordingly. Collegiate is a regular college going students. Lectures, assignments, tests are the part of their routine. Collegiate gets chance to improve their personality and to express them in college environment. Regular meeting with professors and their peers make them update and confident. As comparison to, non-collegiate students have a different kind of world. While pursuing other activities in their lives they are enrolled in college only for exam. Burden of doing daily assignments, expectations of teachers, competition from classmates are missing from their life. Non-collegiate doesn't get a platform to express them on daily basis.

Although student life is considered as the best part in human life, but as every positive thing is attached with something negative similarly student life is also burdened with their own problems. Mental health level of collegiate and non-collegiate is different. Collegiate students face problems of competition, bad company of peers, their tough routine etc while non-collegiate deal with lack of set routine, lack of guidance, lack of confidence which causes mental imbalancing. Anxiety, stress, frustration, study habits and personality disorder are very common in collegiate and non-collegiate. College students undergo a lot of anxieties. Some common anxieties are; anxiety of assignments, examinations, restrictive behaviour of college authorities, competing atmosphere among classmates and the utmost anxiety of setting goals for future and moulding their actions to achieve those goals. This atmosphere can cause acute anxiety in some students.

Objectives -

- To study the effect of *raga Malkaunson* level of anxiety in collegiate girls after musical therapy.

- To study the effect of *raga Malkauns* on level of anxiety in non-collegiate girls after musical therapy.
- To study the effect of *raga Malkauns* on level of anxiety in collegiate boys after musical therapy.
- To study the effect of *raga Malkauns* on level of anxiety in non-collegiate boys after musical therapy.

Hypothesis -

- There is significant positive effect of *raga Malkauns* on level of anxiety in collegiate girls after musical therapy.
- There is significant positive effect of *raga Malkauns* on level of anxiety in non-collegiate girls after musical therapy.
- There is significant positive effect of *raga Malkauns* on level of anxiety in collegiate boys after musical therapy.
- There is significant positive effect of *raga Malkauns* on level of anxiety in non-collegiate boys after musical therapy.

Methodology -

Sample selection - A sample of 200 students (100 collegiate, 100 non-collegiate) randomly from Government college and private students of Udaipur and Banswara districts. Care has been taken to control the subject relevant variable & situational variable. An attempt is made to select subject randomly by selecting same age range for both the groups and of the same socio- economic status.

Test - In the present anxiety scale there are 100 statements which include Hypochondrial tendencies, Paraooid Suspiciousness, Inferiority, Insecurity, Depression, Shame, Physiological and Psychological manifestations. Subject has to answer in three alternative category ie.- 'Always', 'Sometime', and 'Never'. He or she has to mark (ü) in the column given against it. This scale is applicable to adults.

Procedure - In the present investigation the nature of sample was college going male and female students of collegiate and non- collegiate. Therefore the investigator first approached to the authorities of these colleges and explained the purpose of the research. After the explanation and mutual understanding the authorities has given the time and dates for data collection before the data collection the purpose of research was explained to the students who were selected as subjects.

The test was given to the respective group of students as per the research design. They were introduced with *Raga Malkauns* and each one of them was administered the test individually as well as the therapeutic sessions. Area of our research is Udaipur and banswara and as banswara is a tribal area one wagdi bhajan is recomposed in raga Malkauns as per their interest for their language. We chose ragas with five swaras because in their folk they sing with minimum swaras. After the therapeutic sessions an assessment of these variables was done again individually. All the subjects were rewarded with breakfast and vote of thanks.

Result And Discussion -

Table No. 1 - Showing Mean, SD & Significant difference between before and after sessions of Music Therapy (*Raga Malkauns*) on Anxiety Scale for Collegiate Girls.

Session	Mean	SD.	T
Before	45.58	10.69	2.3
After	41.5	11.67	

Chart No. 1 (See in the last page)

Table no.1- indicates the Mean, SD & t scores of collegiate girls. Mean of 45.58 with an SD of 10.69 is reported for girls before the music therapy. Mean of 41.50 and SD of 11.67 after the musical therapy. Continuous session of Indian classical music with *Raga Malkauns* shows a significant difference with $t = 2.30$ ($p < 0.05$) after the therapy is reported for this group of collegiate. Responses were change from always to sometimes or never categories. For items like they generally think they are not able to solve the problems, they generally developed habit under tension to nail the bite, due to tension constipation occurs, they are generally afraid of accidents, they use medicines for their mental peace, they are generally under tension for their future.

Table No. 2- Showing Mean, SD & Significant difference between before and after sessions of Music Therapy (*Raga Malkauns*) on Anxiety Scale Non-Collegiate Girls.

Session	Mean	SD	T
Before	43.98	11.33	2.47
After	39.78	9.95	

Chart No. 2 (See in the last page)

Table no.- 2 indicates the Mean, SD & t scores of girls scores for non - collegiate girls . They obtained a Mean of 43.98 and SD-11.33 before the therapic session of anxiety scale. After music therapy with *Raga Malkauns* a significant reduction in their mean score is reported the Mean score reduced to 39.78 with an SD of 9.95 which indicates $t = 2.47$ ($p < 0.05$). After the sessions of *Raga Malkauns* the response changed from negative to positive.

It was for items like due to stammering they avoid public relations, they have a feeling of uneasiness, whenever they wear new dress they feel people are staring at them, they generally dream of their own death, they generally dream that someone insulted them generally they are afraid of accidents.

Table No. 3 - Showing Mean, SD and Significant difference between before and after sessions of Music Therapy (*Raga Malkauns*) on Anxiety Scale for Collegiate Boys.

Session	Mean	SD	T
Before	43.77	13.03	1.46
After	41.11	10.62	

Chart No. 3 (See in the last page)

Table no. 3 - represents Mean score of 43.77 with an SD of 13.03 of collegiate boys students. These scores were reported prior to musical therapy. After application of *Raga Malkauns* insignificant difference was reported between the Mean of before and after the Music therapy. After the therapy session a Mean of 41.11 and SD of 10.62 is reported the "t" value between the Means is 1.46 ($p > 0.05$). It indicates that

on items like they generally feel lack of confidence, they generally feel sorrow and sadness in their life, they generally have the feeling of loosing their mental balance.

Table No. 4 - Showing Mean, SD and Significant difference between before and after sessions of Music Therapy (Raga Malkauns) on Anxiety Scale for Non – Collegiate Boys Contents for therapy session

Session	Mean	SD	T
Before	45.52	10.04	2.64
After	38.24	9.05	


Chart No. 4 (See in the next page)




Table no.- 4 highlights the Mean score of 42.52 with a SD of 10.04 of boys of non - collegiate before the therapeutic session of anxiety scale, after music therapy with Raga Malkauns a significant reduction in their Mean score. Mean reported is 38.24 and SD 9.05 which indicates $t = 2.64$ ($p < 0.05$). After the session of Raga Malkauns the response for items like they generally dream of their own death, they are generally under tension for their future, they generally feel sad when they think about their past ,they generally feel tense in all situations, they generally do day dreaming, they generally shake their legs, they generally not well take advice from doctors, they generally have dislike towards the task so not able to do work, they are afraid of error in their work, their heart beat is always fast, they generally think to commit suicide under tension.

Conclusions - Collegiate and non-collegiate boys and girls showed significant positive difference in coping anxiety after the musical therapy (*rag Malkuns*) is being given to them.

References :-

1. Bagchi K. (2003) Music, Mind and Mental Health, New Delhi: Society of Gerontological Research.
2. Arora S and Kaur G. (2011). Music Therapy for Anxiety Disorders. DAV's Ayurveda for Holistic Health. Vol 1, Issue 20.
3. Menon R. (2004). The Miracle of Music Therapy. Pustak Mahal
4. An Empirical Investigation of the Anxiolytic and Pain Reducing Effects of Music (2003), <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0305735603031002294>
5. Creativity and flow in musical composition: an empirical investigation (2006) <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0305735606064838>
6. Music as mood regulation in adolescence (2007), <https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/13403>
7. Music: a strategy to promote health in rehabilitation? An evaluation of participation in a 'music and health promotion project' (2006), https://journals.lww.com/intjrehabilres/Abstract/2006/06000/Music__a_strategy_to_promote_health_in.14.aspx
8. Emotion regulation strategy mediates both positive and negative relationship between music uses and well-being (2013), https://www.researchgate.net/publication/275576645_Emotion_regulation_strategy_mediates_both_positive_and_negative_relationship_between_music_uses_and_well-being
9. Music Preferences, Personality Style, and Developmental Issues of Adolescents (2003) <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022547520656>.





A Study On, Effect Of Socio-Economic Status On Personal Values Of Adolescent Music Students Of Ajmer District

Dr. Shiva Vyas*

Introduction - Education may be called the 'mother' which has given birth to concept like teaching. The modern education is understood to mean or imply the complete process of the development of the individual. Socio-economic or social economic is an umbrella term with different usages.¹ It may refer broadly to the use of economic in the study of society. The goal of socio-economic study is generally to bring about socio-economic development, usually in terms of improvements in metric such as life expectancy, literacy, levels of employments. It depends on a combination of variables including occupations, education, income, wealth & place of residence. Sociologists often use socio-economic status as a means of predicting behaviour.²

Values are the hidden roots in the human personality, which decide every activity of an individual. Education for values is an unending and thrilling quest for the social and cultural development on one side and individual personality development on the other.³ It enables a person to synchronize all essence and excellent desirable for advancement of learning and march of man towards Sathyam, Shivam, and Sundaram (truth, goodness and beauty). Values thus include all important religious beliefs, moral attitudes, philosophies of life, political ideologies etc. which not only help in sustaining the society and its culture, but also significant change in these aspects bring about corresponding change in the society and culture.⁴ Values are desirable as well as favorable for the individual and the society and promote individual and societal development and well being. Personal values evolve from circumstance with the external world and can change overtime.⁵

Justification of the Study - In the modern age our value system is rapidly changing due to industrilation and modernization. It is effecting the personal values of the individual. There is a need to study the personal values which are visible in adolescents students. Does socio-economic status plays an important role in shaping the personal values?

Objectives -

- To study the effect of socio-economic status on personality of adolescent students.
- To study the effect of socio-economic status on personal values of adolescent students.

Hypothesis -

- There is no significant difference in mean scores of personal values of adolescent students of music having High and Low socio-economic status.
- There is no significant difference in mean scores of personal values of adolescent music students having High and Normal socio-economic status.
- There is no significant difference in mean scores of personal values of adolescent students of music having Normal and Low socio-economic status.

Delimitations -

- The present study is limited to the Ajmer region only.
- The study is limited to one district of Ajmer region.

Method - Survey method is used in the present study.

Sample - In the present study the researcher has taken randomly the sample of 280 adolescent students in which 140 are male and 140 are female.

Tool -

- Standardized tools constructed by Dr. (Mrs.) G.P. Sherry and Prof. R.P. Verma

Statistical Techniques -

- 't' test

Analysis -

Hypothesis 1- There is no significant difference in mean scores of personal values of adolescent music students having High and Low socio-economic status.

Table 1 - (See in the next page)

Fig. 1 - (See in the next page)

The null hypothesis stated above is accepted. It means that there is no significant difference in the personal values of adolescent music students having High and Low socio-economic status.

Hypothesis 2: There is no significant difference in mean scores of Personal Values of adolescent music students having High and Normal socio-economic status.

Table 2 - (See in the next page)

Fig. 2 -(See in the next page)

Hence the null hypothesis stated above is accepted. It means that there is no significant difference in the personal values of adolescent music students having High and Normal socio-economic status.

Hypothesis 3 - There is no significant difference in mean scores of Personal Values of adolescent music students

having Normal and Low socio-economic status.

Table 3 - (See in the next page)

Fig. 3 - (See in the next page)

Hence the null hypothesis stated above is rejected. This shows that there is significant difference in the Personal Values of adolescent music students having Normal and Low socio-economic status.

Findings - The findings of the present study are as under:-

- There is no significant difference in personal values of adolescent music students having High and Low socio-economic status. High and Low socio-economic status students are equally conscious in preserving their personal values.
- The result shows that there is no significant differences in the personal values of adolescent music students having High and Normal socio-economic status. It is found that High and Normal socio-economic status students does not differ in their personal values.
- It is found that there is significant difference in the personal values of adolescent music students having Normal and Low socio-economic status. The results shows that Normal socio-economic status adolescent students are more conscious and careful of protecting their personal values as compared to low socio-economic status students.

Implications - The findings of the study indicate that

personal values of adolescent music students also differ as they differ in their status. Hence it is important for every teacher, guide and instructor to provide such type of educational environment, where there is no discrimination regarding to their status. The teacher should provide such education which will develop their positive outlook that is essential for their all round development of values.

References :-

1. Jones, C., Baker, F. and Day, T. 2004. From healing rituals to music therapy: Bridging the cultural divide between therapist and young Sudanese refugees. *The Arts in Psychotherapy*, 31: 89–100.
2. Huron, D. 2003. "Is music an evolutionary adaptation?". In *The cognitive neuroscience of music*, Edited by: Peretz, I. and Zatorre, R. 57–75. New York: Oxford University Press.
3. North, Adrian C., Hargreaves, David J., & O'Neill, Susan A. (2000). The importance of music to adolescents. *British Journal to educational Psychology*. Vol 70. 255-272.
4. Mendelowitz, Daniel Marcus (1980). *Drawing*. Stanford university press. 8.
5. McPherson, Gary E. (2008). The role of parents in children's musical development. *Psychology of Music*. Published by Sage. An Article. 12.

Table 1- Socio-Economic Status & Personal values

Students	N	M	S.D.	't'	Level of significance
High SES	23	79.21	8.76	0.57	Not Significant
Low SES	43	72.93	15.21		

Fig. 1 - High & Low Socio-Economic Status & Personal values




Table 2 - Socio-Economic Status & Personal Values

Students	N	M	S.D.	't'	Level of significance
High SES	23	79.21	8.76	0.55	Not Significant
Normal SES	214	78.58	5.19		

Fig. 2 - High & Normal Socio-Economic Status & Personal Values





Table 3 - Socio-Economic Status & Personal Values

Students	N	M	S.D.	't'	Level of significance
Normal SES	214	78.58	5.19	5.18	Significant
Low SES	43	72.93	15.21		

Fig. 3 - Normal & Low Socio-Economic Status & Personal Values



तत् वाद्यों द्वारा रस निष्पत्ति

डॉ. ऋचा उपाध्याय *

प्रस्तावना – बिना रस के प्रत्येक कला अर्थहीन है, जब तक कि वह रस की सृष्टि नहीं करती। संगीत का सर्वोपरि एवं चरम उद्देश्य भावाभिव्यक्ति द्वारा रसानुभूति करवाना है। चाहे वह गायन, वादन, नृत्य की कोई भी विधा हो। यदि वादन के क्षेत्र में देखें तो रसानुभूति में वादन कला का अपना एक विशिष्ट स्थान है। भारतीय संगीत के अन्तर्गत चतुर्विध वाद्य में वर्गीकृत सभी वाद्य अपनी बनावट तथा विशिष्ट वादन विधि द्वारा भिन्न-भिन्न रसानुभूति प्राप्त कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। यदि तत् वाद्यों द्वारा रस निष्पत्ति की बात की जाए तो इसमें वर्गीकृत सभी वाद्य विभिन्न रसों की अनुभूति कराने में सक्षम हैं।

साधारण अर्थों में रस का अर्थ 'आनन्द' से लिया जाता है। किसी काव्य को पढ़कर, गीत को सुनकर, वाद्य ध्वनि सुनकर हमारे चित्त में जो विचित्र आनन्द की तरंगें झूमने लगती हैं। चित्त के इसी अवर्णित भाव अथवा अलौकिक आनन्द को हम 'रस' कहते हैं।

'नाट्यशास्त्र' ही सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ है जिसमें रस की शास्त्रीय विवेचना की गई है और रस का निरूपण नाट्य प्रसंग में किया है। 'नाट्यशास्त्र' में 'भरत' रस की परिभाषा इस प्रकार देते हैं- 'यथाहि नाना व्यञ्जनौषधिद्वय संयोगाद्द्रसनिष्पत्तिः तथा नाना भावोपगमाद्द्रसनिष्पत्तिः।'¹

अर्थात् जिस प्रकार नाना स्वजनों एवं औषधि आदि के संयोग से रसादि की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार नाना भावों के संयोग से रसनिष्पत्ति होती है। रस के विषय में भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न मत प्राप्त होते हैं जो निम्नवत् हैं-

- 'अग्नि पुराण' में रस के विषय में लिखा है- 'वाग्वैदग्ध्य प्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्।'²
- 'भरत' मुनि ने भी रस का उत्पत्ति क्रम बताते हुए लिखा है कि-
'तेषामुत्पत्तिहेतुचश्च त्वारो रसः।
शृंगारो रौद्रो वीरो वीभत्स इति।'³

शृंगार, रौद्र, वीर, वीभत्स-इन चार रसों अन्य चार रसों का उद्भव हुआ है यथा- अर्थात् शृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत तथा वीभत्स से भयानक की सृष्टि संभव होती है। मूलरूप से शृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स तथा उन चार रसों से उद्भव अन्य चार रस- हास्य, करुण, अद्भुत तथा भयानक है।

'भरत मुनि' ने 'नाट्यशास्त्र' में आठ रसों का उल्लेख किया है। 'नाट्य' में ये आठ रस होते हैं-शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत ये आठ रस माहत्मा बह्म जी द्वारा बताए गए हैं।⁶

इन रसों में भरत मुनि ने शान्त रस को छोड़ दिया है। अस्तु श्रव्य या

पाठ्य काव्यों में शान्त रस नायक नवम् रत्न भी होता है। अवस्थानकृति ही नाट्य है, उसमें शांत रस की सम्भावना नहीं क्योंकि शांत रस का स्वरूप तो सर्वविषयोपरति मात्र है और रोमान्चादि के बिना किसी भाव का अभिनय नहीं हो सकता। इसलिए शांत रस को समझते हुए भी भरत मुनि ने इसका विवेचन आवश्यक नहीं समझा, इसी हेतु दशरूपककार ने नाट्य में शान्त रस की सृष्टि का स्पष्ट विरोध किया है।

'रत्युत्साहो जुगुप्साः क्रोधो हासः विस्मयोभयं शोकः।

शभमपिके चिरप्राहुः पुष्टि नाट्ये तु नेतरस्या।'⁴

'भरत के बाद श्रव्य तथा दृश्य काव्यों में शान्त रस को जोड़कर रस शास्त्रियों ने रसों की संख्या नौ कर दी, आधुनिक विद्वान भक्ति रस तथा वात्सल्य रस को भी अलग रसों की संज्ञा देते हैं फिर भी रस मुख्य रूप में नौ ही माने गए हैं।'⁵

रस प्रत्येक कला का आधार स्तम्भ है, बिना रस निष्पादन के रस की कल्पना भी नहीं जा सकती। भारतीय शास्त्रों के अन्तर्गत 64 कलाएं मानी गई हैं। जिनमें प्रत्येक कला द्वारा रस को निष्पत्ति होती है। इन 64 कलाओं में संगीत को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। जिनके अन्तर्गत तीन कलाएं आती हैं (गायन, वादन और नृत्य)। जिनमें गायन के बाद वादन कला आती है। वादन कला में तंत्री वाद्य सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। मेरे विचार से जिसका कारण सम्भवतः यही यदि देखा जाए तो तंत्री वाद्यों के इतने प्रकार प्रचलित हैं, जिनमें प्रत्येक तत् वाद्य की अपनी निजि विशेषता है। जिससे वे अन्य से अलग हैं, संभवतः इसी विशेषता के कारण प्रत्येक तत् वाद्य से अलग-अलग रस की सृष्टि होती है।

विद्वानों का मानना है कि विभिन्न तंत्री वाद्यों के द्वारा भिन्न-भिन्न रसों की निष्पत्ति होती है। साधारण रूप से यदि देखा जाए तो प्रत्येक वाद्य से प्रत्येक रस की निष्पत्ति संभव है। किन्तु जिस प्रकार प्रत्येक मानव का अपना निजि स्वभाव होता है। उसी प्रकार इन वाद्यों की भी अपनी निजि विशेषता होती है, जिनमें परस्पर भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे-

शृंगार रस – शृंगार रस में विचित्र तथा प्रेम सम्बन्धी भावनाओं का वर्णन होता है। प्रेमी-प्रेमिका के मिलन के अवसर पर सितार पर झाला प्रस्तुत किया जाता है। इस रस के अन्तर्गत विद्वानों द्वारा तत् वाद्यों में सितार, स्वर मंडल, संतूर उपयुक्त बताए गए हैं।

करुण रस- करुण रस में दुःख भरी, अश्रुपूर्ण एवं अत्यन्त एकाकीपन का वर्णन, ईश्वर अथवा प्रेमी से मिलने की कामनाओं का वर्णन किया जाता है। इसमें सारंगी, वॉयलिन, इसराज आदि शामिल हो सकते हैं। करुण राग की सृष्टि सारंगी पर मारवा राग बजाकर की जा सकती है।

हास्य रस- हास्य रस में हँसी लाने वाली या उत्पन्न करने वाली स्थितियों के

लिए मुख्य गायक वादक के बीच एक टुकड़ा एक साथ बजाना अथवा सवाल-जवाब कर प्रदर्शन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त किसी भी वाद्य-वृन्द में डबल वास की ध्वनि श्रोता का मनोरंजन करती हैं। हास्य रस को हम संगीत में मनोरंजन का रूप मान सकते हैं। इस रस में कुछ लोक वाद्यों को भी रखा जा सकता है जैसे- रावण-हत्था, भपंग, एकतारा आदि।

रौद्र रस - रौद्र रस में गुस्सा तथा उत्तेजना के क्षणों का प्रदर्शन होता है। इस रस की अभिव्यक्ति भारतीय विद्वानों ने तत् वाद्यों को स्थान नहीं दिया है। इसमें अवनद्ध वाद्य को रखा गया है।

वीर रस - इस रस में पराक्रम, जीत तथा उत्तेजना को एक शानदार तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे- रूद्र वीणा, विचित्र वीणा, सुरबहार आदि इस रस की अभिव्यक्ति कर सकते हैं।

भयानक रस - यह भाव उत्पन्न करने वाला रस है। पं. रविशंकर के अनुसार- संगीत में इसका प्रदर्शन संभव नहीं है। तत् वाद्यों द्वारा तो बिल्कुल नहीं। सिम्फनी आर्केस्ट्रा थोड़ा बहुत भयानक रस उत्पन्न कर सकता है। इस रस की निष्पत्ति घन वाद्य द्वारा कुछ हद तक संभव है।

शांत रस - यह रस शांति, निश्चिंतता तथा आराम का प्रतीक है अथवा इनका आभास होता है। तानपुरा, सरोद, रबाब की ध्वनि शांत रस के माध्यम हैं।

वीभत्स रस - इस रस में घृणायुक्त स्थितियों का प्रदर्शन किया जाता है। संगीत के माध्यम से इसका प्रदर्शन दुष्कर है।

अद्भुत रस - अद्भुत रस में आश्चर्यजनक, आनंददायक तथा थोड़ा बहुत भय का प्रदर्शन किया जा सकता है। जैसे एक समूह में वादन चल रहा है वो भी अलग-अलग तत् वाद्यों का इसमें एक साथ अलग-अलग चीजों का यदि वादन किया जाए जैसे- एक साथ कई वाद्यों में अलग-अलग लयों द्वारा व अलग स्वरों का वादन हो तो एक अद्भुत रस की सृष्टि संभव है।

भक्ति रस - भक्ति रस मूलतः भावनाओं के शुद्ध रूप में धार्मिक होता है। वास्तव में यह शान्त तथा अद्भुत रस का मिश्रण है। तानपुरा, सरोद, रबाब आदि से रस की अभिव्यक्ति संभव है।¹⁶

तंत्री वाद्यों की विभिन्न लयों द्वारा रस निष्पत्ति - सामान्य रूप से देखा जाए तो एक ही ताल में लय-भेद विभिन्न रसों की अनुभूति करवाने में सक्षम है। 'गायन, वादन तथा नृत्य में जो निश्चित व नियमित कालनुसार क्रियाएं होती हैं, उन्हीं क्रियाओं के बीच के समय को लय कहते हैं।'¹⁷

'संगीत रत्नाकर' के अनुसार- 'कियानान्तर विश्रांति लयः'¹⁸

अर्थात् क्रिया के अंत में विश्रांति को लय कहते हैं। शास्त्र-ग्रन्थों में लय के मुख्य तीन प्रकार बताए गए हैं- विलम्बित, मध्य तथा द्रुत। भावानुकूल लय का प्रयोग संगीत में सौन्दर्यवर्धन का कारण है। इस सम्बन्ध में 'विष्णु धर्मोत्तर-पुराण' में भी निम्न श्लोक लिखा गया है-

लय हास्य शृंगारयोर्मध्यमाः

वीभत्स भयानकयोर्विलम्बितः

वीररौद्रापद्भूतेषु च द्रुता।⁹

अर्थात् मध्य लय हास्य तथा शृंगार रसों की विलम्बित लय वीभत्स व भयानक रसों की तथा द्रुत लय वीर, रौद्र, अद्भुत रसों की घोषक है।

आज के सर्वाधिक प्रचलित तत् वाद्य सितार को यदि देखे तो यह पता चलता है कि सितार की 'मसीतखानी (विलम्बित लय) गत' में विद्वानों के अनुसार-करुण व शांत रस की निष्पत्ति मानी जाती है। रजाखानी (मध्य लय) गत' में हास्य या शृंगार रस बताया है, तथा झाले या तानों में (द्रुत

लय)-वीर, अद्भुत, रौद्र रसों की निष्पत्ति मानी गई है।¹⁰

तंत्री वाद्यों के द्वारा रागों से रस निष्पत्ति - यदि तंत्री वाद्यों की राग के संदर्भ में रस के विषय में विचार करें तो पाते हैं कि प्रत्येक राग से प्रत्येक रस की सृष्टि संभव है। कई बार लय का विभिन्नता से, कई बार राग विभिन्नता से अथवा प्रस्तुति के भिन्न-भिन्न तरीके से भी। एक ही राग से भिन्न-भिन्न रस की निष्पत्ति होती है। तात्पर्य यहीं है कि प्रत्येक राग से प्रत्येक रस की सृष्टि होती है। इसी संदर्भ में 'पं. रविशंकर' जी कहते हैं, 'हर राग का अपना एक मूल रस होता है तथा उस राग से उसी प्रकार के और रस का भी संबंध हो सकता है। अतः ऐसी अवस्था में विभिन्न रसों की निष्पत्ति संभव है। जैसे कि राग मालकौस। इस राग को यदि सितार पर देखें तो पाएंगे कि मूल रस शृंगार है तो भी आलाप में शांत व करुण रस की निष्पत्ति होगी। पर झाले में अद्भुत वीर रस निष्पादित होंगे, यह सभी तत्व प्रायोगिक अभ्यास से ही संभव है।' अर्थात् वैसे तो प्रत्येक राग से प्रत्येक प्रकार के रस की निष्पत्ति संभव है किन्तु जिस राग से जिस रस की निष्पत्ति अधिक होती है उसे ही विद्वानों ने उक्त राग का रस माना है जैसे-

राग भैरव- शांत रस, वीर रस, भक्ति रस

राग तोड़ी- भक्ति रस, शृंगार रस।

राग हिंडोल-शृंगार रस।

राग मालकौस-वीर रस। भक्ति

राग दरबारी कान्हड़ा-गंभीर,

राग श्री- गंभीर आदि।¹¹

'राग संगीत से प्राप्त आनन्द बसन्त ऋतु में कोयल की मधुर ध्वनि, भिन्न-भिन्न पुष्पों की सरस, सुगंध के समान अवर्णनीय है।'¹²

सुमति जी ने राग के संदर्भ में कहा है-

विभिन्न तत् वाद्य वृन्दों द्वारा रस निष्पत्ति - भारतीय संगीत में वाद्य वृन्द की परम्परा काफी समय से चली आ रही है और ये काफी प्रचलित रही है उसका मुख्य कारण यह है कि यह प्रणाली अपने आप में दृश्य और श्रव्य है। सामान्यतः देखा जाए तो यह देखने में आता है कि एकल गायन वादन की अपेक्षा श्रोताओं में सामूहिक गायन, वादन के प्रति लोगों में अधिक जिज्ञासा रहती है तथा वृन्दावन और वृन्द गायन में भावपक्ष की। इस भाव प्रधानता का मुख्य कारण है- वृन्द गायन तथा वृन्द वादन का संयोजक।

तत् वाद्य वृन्द-तत् वाद्य वृन्द में भिन्न-भिन्न रसों की अभिव्यक्ति के लिए अलग-अलग तत् वाद्यों को लिया जाता है। इनके चुनाव से पूर्व रस निश्चित करना आवश्यक होता है। जैसे- अगर शृंगार रस की अभिव्यक्ति करती है तो सितार, सरोद, सन्तूर, सुरबहार, हार्प, वॉयलिन, गिटार आदि तत् वाद्य तथा अवनद्ध में तबला, ढोलक, नाल आदि को लियो जाएगा व इसी रस के अनुरूप काव्य का चयन करना होगा तो निश्चित रूप से ही शृंगार रस की अभिव्यक्ति होगी।

इस विषय पर 'पं. रविशंकर जी कहते हैं-'यदि आपने भक्ति रस का चयन किया तो सर्वप्रथम रचना का चुनाव रस के अनुसार किया जाएगा, राग का चुनाव भी रस के अनुसार होगा। जैसे- दुर्गा, हिंडोल, बसन्त, बहार, केदार, हमीर, कामोद, देश, भैरव आदि। तथा तन्त्री वाद्यों का चुनाव भी रचना के व रस के अनुसार ही किया जाएगा। जैसे- विचित्र वीणा, बेला, वंशी, सरोद, सारंगी, तार शहनाई, काष्ठ तरंग, तबला तरंग, तथा ताल कहरवा का चुनाव व प्रयोग होगा।'¹³

प्रसिद्ध सरोद वादक 'अमजद अली जी' ने भी एकता के स्वर तथा 'एकता का संदेश' आदि शीर्षक से रचना की थी। जिसमें पं. रविशंकर जी

जैसे ही तत् वाद्यों का प्रयोग पाया जाता है। जो इस रस की निष्पत्ति में मुख्य रूप से सहायक हैं।¹⁴

इन सब उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि वाद्य वृन्द द्वारा ज्यादा श्रेष्ठ व तीव्र रूप में रचना द्वारा रस निष्पत्ति हो सकती है। यही कारण है कि आज फिल्म संगीत में अनेक वाद्यों का प्रयोग होता है, जो रस निष्पत्ति में अधिक सक्षम है। आज के समय में संभवतः ए.आर. रहमान के संगीत को इसी कारण से सबसे अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि उनके संगीत में तरह-तरह के वाद्यों का एक साथ सुन्दर समन्वय देखने को मिलता है जो सहज ही मन में रस उत्पन्न करने की क्षमता रखता है।

आज कल दो प्रकार के वाद्य वृन्द देखने को मिलते हैं, जिनसे रसानुभूति संभव है-

1. नाटक, फिल्म तथा नृत्य में सहायक वाद्यवृन्द।
2. स्वतंत्र वाद्यवृन्द।

तंत्री वाद्यों में स्वरों द्वारा रस निष्पत्ति - प्रत्येक राग का निर्माण या धुन का निर्माण स्वरों से होता है। प्रत्येक स्वर का अपने अपना एक निश्चित रस है। फिर चाहे इन स्वरों का प्रयोग गायन में करें अथवा वादन में किन्तु गायन में शब्दों के अनुसार प्रत्येक स्वर के साथ अन्य स्वर का समन्वय इस प्रकार किया जाता है कि शब्दों व स्वरों से एक ही रस निष्पन्न हो। वहीं वादन में लोक धुन हो अथवा शास्त्रीय गत दोनों में ही स्वरों का प्रयोग या गत के अनुरूप अथवा राग के अनुरूप या अवसराकूल ही किया जाता है, जिससे दोनों के साम्य से उचित प्रकार से जिस रस की आकांक्षा है, वही रस प्राप्त हो सके यह कार्य गुणी जन ही करते हैं। अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाए। वैसे तो गुणी जन ने प्रत्येक स्वर से निश्चित रसों की सृष्टि मानी है। जो निम्नलिखित है-

शुद्ध स्वर	रस
षड्ज	वीर, रौद्र, अद्भुत
ऋषभ	वीर, रौद्र, अद्भुत
गंधार	करुण
मध्यम	हास्य, शृंगार
पंचम	हास्य, शृंगार
धैवत	भयानक, वीभत्स
निषाद	करुण
कोमल स्वर	रस

रिषभ	करुण
गंधार	करुण
धैवत	शांत, वीर
निषाद	शांत, वीर ¹⁵

अतः हम कह सकते हैं कि जो रस जिस स्वर विशेष के हैं उस स्वर युक्त राग से वहीं रस निष्पादित होगा। अतः जब तत् वाद्य पर किसी राग का वादन करेंगे तो उनमें से उसी राग से वही रस निष्पादित होंगे जो स्वरों से होता है। किन्तु कभी-कभी तत् वाद्य कलाकार अपनी प्रस्तुती में 'धुन' बजाते समय सौन्दर्य वृद्धि की दृष्टि से एक राग से दूसरी राग में या कई रागों को एक साथ मिलाकर आविर्भाव-तिरोभाव दिखा कर एक ही धुन में कई प्रकार के रस की सृष्टि करता है। यहाँ पर रस की सृष्टि कलाकार के मनः स्थिति पर निर्भर करती है व राग वादन के समय पर भी कुछ हद तक निर्भर करती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भरत, 'नाट्यशास्त्र', भाग-2, अध्याय-6, पृष्ठ-677
2. दीक्षित, प्रदीप कुमार, 'स 'रस संगीत', पृष्ठ-8
3. शर्मा, प्रो. स्वतंत्र, 'सौन्दर्य रस, एवं, संगीत', पृष्ठ-96
4. वही, पृष्ठ-99
5. डॉ. नागेन्द्र, 'भारतीय काव्य शास्त्र की परम्परा', पृष्ठ-1
6. ढण्डी, 'दस रूपक', (4-35)
7. शर्मा, यादवेन्द्र, 'हिमाचल प्रदेश के मण्डी तथा बिलापुर जिलों के लोक गीतों का सांगीतिक पक्ष', पृष्ठ-465
8. चक्रवर्ती, डॉ. कविता, 'भारतीय संगीत में वाद्यवृन्द' पृष्ठ-68,69
9. वही, पृष्ठ-68
10. शर्मा, डॉ. अमिता, 'सितार वादन एवं संगीत वाद्य', पृष्ठ-176
11. जैन, विजयलक्ष्मी, 'संगीत-दर्शन', पृष्ठ-64
12. संगीत कला विहार, अक्तूबर-नवम्बर, 1990, पृष्ठ-376
13. शर्मा, डॉ. मृत्युंजय, त्रिपाठी, रामनारायण, 'संगीत मैनुअल', पृष्ठ-296
14. चक्रवर्ती, डॉ. कविता, 'भारतीय संगीत में वाद्यवृन्द', पृष्ठ-63
15. वही, पृष्ठ-65
16. वही, पृष्ठ-65
17. वही, पृष्ठ-64

लोक - संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका

बबीता यादव *

प्रस्तावना - कला मानव की चिरसंगिनी है। जब से मानव पृथ्वी पर आया तभी से कला का जन्म हुआ। शनैः-शनैः मानवीय विकास के साथ-साथ वास्तव में कला का भी विकास हुआ। वास्तव में कला मानवीय संवेगों और मनोभावनाओं की सुन्दर अभिव्यक्ति है। कला साक्षात् ईश्वरीय रूप है। कला में निहित सौन्दर्य में डूबकर व्यक्ति परम तत्व की ओर उन्मुख हो जाता है।

संगीत का अपना विशेष महत्व है। जब से सृष्टि की रचना हुई तभी से संगीत अस्तित्व में आया। इसलिए संगीत का स्थान साहित्य और कला से पहले आता है। मनुष्य ने दुःख के क्षणों में आकर उसने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की उसी में से संगीत का उदय हुआ जिसे धीरे-धीरे, स्वरबन्ध रूप मिलता चला गया। ऐसे कलाकारों ने अपने मौखिक संगीत को अधिक प्रचलित व रोचक बनाने के लिए साजों का अविष्कार किया, जिससे गायन को साथ-साथ वादन की संगीत का अभिन्न अंग बन गया। कुछ पशु-पक्षियों की मीठी वाणी सुनकर भी मानव ने संगीत को विकसित करने में अपना योगदान दिया।

गायन, वादन, नृत्य तीनों को संगीत कहा जाता है। बरंगदेव कृत संगीत रत्नाकार ने गीत वाद्य, नृत्य वाद्य तथा नृत्य यंत्र संगीत कहकर संगीत को परिभाषित किया है। संगीत का निर्माण गायन, वादन व नृत्य तीनों अंगों को मिला कर किया गया है। ध्वनि के रूप में गायन व वादन का जन्म होता है तथा गीत के रूप नृत्य का जन्म होता है। गायन, वादन या नृत्य की आत्मा स्वरों का भाव प्रदर्शन का रूप लेकर अनेक प्रकार से श्रोता व दर्शक के सम्मुख अविरत होती है। यही संगीत मनुष्य को भौतिक जगत से आध्यात्मिकता की ओर ले जाने में सहायक सिद्ध होता है।

गायन वादन व नृत्य इन तीनों में घनिष्ठ सम्बंध तो है ही साथ ही में एक दूसरे के पूरक भी है। इन तीनों कलाओं में गायन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बरंगदेव कृत संगीत रत्नाकार के अनुसार नृत्य वाद्यनुयं प्रोक्त वाद्यगीतानुर्वातिचः कहा गया है। अर्थात् नृत्य वादन के और वादन गायन के आश्रित है। साथ ही ये तीनों कलाएँ एक-दूसरे से अन्तः सम्बन्धित भी है। संगीत समस्त कलाओं में सूक्ष्म व विशुद्धतम कला है। ये केवल मनोविनोद की वस्तु नहीं बल्कि ऐसा चिरस्थायी आनंद है। जिसमें हमें आत्मिक सुख मिलता है।

लोक नृत्य एवं लोक नाट्यों में वाद्य यंत्रों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। प्राचीनकाल से ही लोक वाद्यों से ही लोक वाद्यों का सम्बन्ध देवी-देवताओं के साथ स्थापित किया जाता है। नारद जी को इकतारा के साथ और करताल विद्या की देवी सरस्वती वीणा वादिनी के रूप में भगवान कृष्ण बांसुरी वादन के रूप में देव शिव डमरू वादक के रूप में लव-कुश ने राम सभा में जहाँ राम अश्व मेघ यज्ञ की तैयारी कर रहे थे संगीत से सभी को

विमोह व आश्चर्य चकित कर दिया था लोक वाद्य, लोक संगीत को एक लयात्मक गति प्रदान करने का साधन है।

वेदों का ज्ञान अपौरुषेय माना जाता है। वेद परमात्मा के निःश्वास रूप है। अतः परमात्मा के निःश्वास से उद्भूत वेद रूपी ज्ञान पितामह ब्रह्मा को परमात्मा से प्राप्त हुआ ब्रह्म ने रूष्टि की रचना प्रारम्भ की और मन के संकल्प से महर्षियों को सम्पूर्ण विद्याओं के मूल आधार वेद-वेदांगों के ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे चार वेद-ऋग्वेद, साम व अथर्व वेद तथा छः वेदांग-शिक्षा कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द तथा ज्योतिष आते हैं। समावेद भी अपौरुषेय है और संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है।

लोक वाद्य के सामान्य अर्थ के वे सभी वाद्य लोक वाद्य माने जाते हैं। जो सधारण द्वारा आमतौर से प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे-ढोलक, मंजीरा, ताल, खंजरी, करताल, चीपिया, घुंघरू आदि ऐसे वाद्य हैं जिनका प्रयोग लोगों द्वारा नाच, गान या भजन कीर्तन के आयोजनों में आमतौर पर किया जाता है। लेकिन वर्तमान में लोक वाद्यों की बात आते ही हमारा ध्यान-आदिवासी, अनुसूचित जाति जन जति एवं इस प्रदेश के आंचलित क्षेत्रों में रहने वाले अन्य लोक कलाकारों के वाद्यों की ओर जाता है। इन कलाकारों के ये वाद्य शास्त्रीय संगीत के वाद्यों से कुछ भिन्नता रखते हुए अपने लौकिक स्वरूप में विशेष पहचान रखते हैं। इन आदिवासी लोक कलाकारों को ये वाद्य इनकी वंश परम्परा से विरासत में मिले हैं जो आज भी अपनी बनावट एवं वादन शैली की मौलिकता को संजोए हुए हैं।

मनुष्य ज्ञान का सागर है ही, पशु-पक्षी, जल, वायु में भी संगीत व्याप्त है। प्रातः काल और सायंकाल चह चहाने लगती है। वापस की संध्याओं को श्वेत श्याम मेघमालाओं से प्रस्फुटित नन्ही-नन्ही बूदों का रिमझिम राग सुनते ही कोयल कूक उठती है। मोर नाचने लगते हैं। पपीहे कूकने लगते हैं ऐसे समय में प्रकृति के कण कण में संगीत को सजीवता आसमान होती है। हवा के झोके से वृक्ष लताओं के पत्तों का झरझराना शीतल मधुर वारिदायिनी कल-कल निनादिनी वादियों का बहना आदि प्रकृति के कण में संगीत के निहित होने का दावा करते हैं। इसलिए श्रुष्टि के स्वर्णित विहान से लेकर प्रलय की काली संध्या तक संगीत के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है।

संगीत मानव संवेगों को स्पर्श कर आनन्दानुभूति कराता है। आनन्द को प्राचीन विद्या-विशारदों ने मानव अस्तित्व का चरम बिन्दु माना है और संगीत मानव जीवन को आनन्दमय, सुखमय और ईश्वर कृपा के योग्य बनाता है। जिस प्रकार शारीरिक व्यायाम मानव शरीर को पुष्ट करता है, उसी प्रकार संगीत आत्मा के लिए शक्तिदायक पेय है। संगीत के परमाणुओं ने मानव की वृत्तियों को प्रशस्त करने के साथ अत्मिक शक्ति का अविर्भाव

करने की शक्ति भी निहित है। चारित्रिक उत्थान एवं वासनाओं पर विजय प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन संगीत ही है। वास्तव में कलाओं का लक्ष्य मनुष्य को भौतिक सुख-दुख से ऊपर उठाकर आलौकिक आनन्द प्राप्त करना है। इसी को रसानुभूति की चरम अवस्था कहा जाता है। जबकि अन्य कलाएँ बुद्धि के संयोग से भावों का उत्कर्ष कराने के सफल होती हैं। संगीत कला सीधे आत्मा को प्रभावित कर शान्ति, आनन्द और प्रेरणा प्रदान करती है। गीत, वाद्य और नृत्य तीनों संगीत कला के अंतर्गत आते हैं इनके सम्मिलित प्रयोग से संगीत में भाव सम्प्रेषण की शक्ति और बढ़ जाती है। आंगिक चेष्टा, शब्द और स्वर इन तानों की सम्मिलित शक्ति से संगीत कला द्वारा अन्य किसी कला की अपेक्षा रस - निष्पत्ति शीघ्रता व सरलता से होती है। इसलिए संगीत को ब्रह्मानन्द - सहोदय आनन्द प्रदान करने वाली कला कहते हैं। संगीत से केवल आनन्दानुभूति ही नहीं होती, ध्वनियों, मानसिक स्थितियों की भी सूचक होती है और हमारे मनोभावों को प्रभावित करती है। संगीत हमारी आत्मा में भक्तिमय अनुभूतियाँ भर देता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. कमलेश माथुर, लोक संस्कृति का सोपान, जैन पब्लिशर्स जयपुर 1998
2. ठाकुर जयदेव सिंह, भारतीय संगीत का इतिहास, संगीत रिसर्च अकादमी कलकत्ता 1994
3. डॉ. स्नेह मिश्रा, सांगैतिक निबन्ध माला, पीयूष प्रकाश दिल्ली, 2001
4. पं. वि. ना. भातखण्डे भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास, संगीत कार्यालय हाथरस, 1995
5. प्रभुदयाल मीतल, बृज का सांस्कृतिक इतिहास, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 1966
6. डॉ. महवीर जैन लक्ष्य राजस्थान, मनु प्रकाशन अजमेर, 2009 देवीलाल साम।

बुद्धि परिक्षण का मानव जीवन में महत्व

प्रो. दिपाली पाटीदार *

प्रस्तावना – बुद्धि का मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पायी जाने वाली विशेषताओं को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। बालक की बुद्धि उसके मानसिक विकास, व्यवहार एवं समायोजन के विभिन्न पक्षों के साथ अर्न्तसम्बन्धित होती हैं। बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। प्राचिन विद्वानों के अनुसार, बुद्धि बिजली के समान है जिसे मापा जा सकता है, किन्तु देखा नहीं जा सकता है अर्थात् बिजली जिस प्रकार से पंखा, बल्ब एवं अन्य उपकरणों को चलाती है किन्तु स्वयं दिखाई नहीं पडती। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति की क्रियाओं को बुद्धि भी नियंत्रित एवं परिचालित करती है। बुद्धि का अर्थ – बुद्धि जन्मजात मानसिक योग्यता है। यह व्यक्ति की एक सामान्य मानसिक योग्यता है, जो उसके प्रत्येक कार्य में पाई जाती है। बुद्धि को अवधान की योग्यता भी माना गया है। सामान्यतः बुद्धि सीखने की योग्यता है अर्थात् बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी कार्य शीघ्र सीख लेता है। बुद्धि को परिस्थिति को समझने और नवीन वातावरण में समायोजन की योग्यता भी कहा गया है। बुद्धि वह योग्यता है जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाकर उसे नवीन परिस्थितियों के अनुकूल बनाती है। कुछ विद्वानों ने बुद्धि को तर्क, निर्णय और आत्मा आलोचना की योग्यता माना है। बुद्धि परम्परागत प्राप्त विभिन्न मानसिक गुणों की योग्यता है बुद्धि एक विशेष प्रकारकी मानसिक योग्यता है जो अमूर्त विचारों को समझने की योग्यता दर्शाता है। कुछ विद्वानों ने बुद्धि की समस्याओं के समाधान की योग्यता और उद्देश्यों की प्राप्ति की क्षमता माना है। बुद्धि को विभिन्न मानसिक योग्यताओं का योग माना गया है, जो विभिन्न परिस्थितियों में सघन रूप से कार्य करती हैं।

बुद्धि की परिभाषाएँ

स्टर्न के अनुसार – नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है।

टरमन के अनुसार – अमूर्त चिन्तन की योग्यता ही बुद्धि है।

वैश्लर के अनुसार – बुद्धि व्यक्ति की शक्तियों का ही वह समुच्चय या समूह के संगोलीय क्षमता है, जिससे व्यक्ति ध्येयपूर्ण क्रिया करता है। विवेकशील चिन्तन करता है तथा वातावरण के प्रति प्रभावपूर्ण समायोजन करता है।

गाल्टन – बुद्धि विभेद एवं चयन करने की शक्ति है।

बर्किंगहम – बुद्धि सीखने की योग्यता है।

बुद्धि की विशेषताएं –

- परम्परागत एवं जन्मजात होती हैं।
- नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य की क्षमता है।
- ज्ञानार्जन की योग्यता है।
- अमूर्त बातों को सीखने की योग्यता है।

- जटिल परिस्थितियों को समझने की योग्यता है।
- एक से अधिक मानसिक गुणों का समूह बुद्धि है।
- तर्क और प्रस्तुतीकरण की योग्यता बुद्धि है।
- बुद्धि वातावरण से प्रभावित होती है।
- बुद्धि का विकास 16 से 17 वर्ष की आयु तक ही होता है।
- बुद्धि में स्थान, काल, लिंग भेद नहीं होता।

बुद्धि की प्रकृति – बुद्धि की प्रकृति में निम्न बातें समाहित हैं

- सीखने की क्षमता
- तर्क करने की योग्यता
- विभिन्न वस्तुओं को पहचानने की योग्यता
- अमूर्त चिन्तन की योग्यता
- बुद्धि अनेक अनुभवों एवं अभ्यासों का एक समुच्चय है।

इस प्रकार बुद्धि एक ऐसी मानसिक योग्यता है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में विभिन्न क्रियाओं को करते हैं जैसे चिन्तन करना, विचार विमर्श करना, तर्क करना, स्मरण करना, शोध करना, आत्मबोध, समस्याओं का निराकरण कर उपाय सोचना। नवीन परिस्थितियों में समायोजित होता है। बुद्धि के प्रकार – मनोवैज्ञानिक इ एल थार्नडाइक ने बुद्धि की व्याख्या तीन चरों कठिनता, विस्तार एवं गति के आधार किया है। अन्य तत्वों के समान रहने पर जो व्यक्ति जितना अधिक कार्य कर सकता है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान माना जाता है अर्थात् बुद्धि के अर्थ, स्वरूप, क्रियात्मक परिस्थितियां व समायोज सम्बन्धी आधारों में भिन्नता पायी जाती है। जिसके आधार पर थार्नडाइक महोदय ने बुद्धि के कुछ प्रकारों का वर्णन किया है, जो निम्नवत हैं

1. अमूर्त बुद्धि – अमूर्त बुद्धि का तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता से है जिसके आधार पर बालक शाब्दिक एवं गणितीय संकेतों व चिन्हों के सम्बन्धों को सरलता से समझ पाता है तथा उपयुक्त व्याख्या कर सकता है। जैसे बालक जिनमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है, वे अपने जीवन में सफल कलाकार, मूर्तिकार, शिल्पकार एवं गणितज्ञ होते हैं।

2. मूर्त बुद्धि – मूर्त बुद्धि का तात्पर्य यह है कि जिसके द्वारा व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता व स्वीकार करता है तथा उचित ढंग से विभिन्न परिस्थितियों में परिचालन या क्रियान्वयन करता है। इस प्रकार की बुद्धि वाले बालक सफल व्यापारी या व्यवसायी बनते हैं।

3. सामाजिक बुद्धि – सामाजिक बुद्धि एक प्रकार की सामान्य मानसिक क्षमता है। जिसके द्वारा बालक अन्य व्यक्तियों को उपयुक्त ढंग से समझता है तथा कुशल व्यवहारों का प्रदर्शन करता है। ऐसे बालकों का सामाजिक संबंध अत्यधिक ठीक होता है और समाज में उन बालकों को काफी प्रसिद्धि

प्राप्त होती हैं। ऐसी बुद्धि के बालकों में समाजिक कौशल पूर्ण रूप से पाया जाता है ऐसे बालक भविष्य में सफल नेता बनते हैं।

बुद्धि के सिद्धांत बुद्धि की संरचना और समावेश कारकों के अध्ययन के आधार पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। उनमें से मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं

1. स्पीयरमैन का द्विकारक बुद्धि सिद्धांत
2. थार्नडाईक का बहुकारक बुद्धि सिद्धांत
3. थर्स्टन का समूह कारक बुद्धि सिद्धांत
4. गिलफोर्ड का त्रि आयाम बुद्धि सिद्धांत
5. पियाजे का मानसिक वृद्धि सिद्धांत

बुद्धि परीक्षण के प्रकार -

1. व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण
2. सामूहिक बुद्धि परीक्षण
3. शाब्दिक बुद्धि परीक्षण
4. अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण/ क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण
5. अन्य प्रकार के बुद्धि परीक्षण
6. समय सीमा युक्त परीक्षण
7. समय सीमा रहित परीक्षण

1. व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत निम्नांकित परीक्षण आते हैं

- बिने साइमन बुद्धि परीक्षण
- स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण
- वैश्लर बुद्धि परीक्षण
- मैरील पामर बुद्धि परीक्षण
- मेनोसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण
- कोटज ब्लाक डिजाइन टेस्ट
- जैसिल विकास अनुसूची
- बर्ड तर्क बुद्धि परीक्षण
- भाटिया बुद्धि परीक्षण।

2. सामूहिक बुद्धि परीक्षण - सामूहिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत निम्न बुद्धि परीक्षण आते हैं

- आर्मी अल्फा परीक्षण
- आर्मी बीटा परीक्षण
- आर्मी जनरल क्लासीफिकेशन परीक्षण
- कुदलमन एण्डरसन बुद्धि परीक्षण
- टरमैन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेण्टल मैच्यूरिटी
- डॉ. जलोटा का बुद्धि परीक्षण
- डॉ. प्रयाग मेहता बुद्धि परीक्षण
- बिने साइमन बुद्धि परीक्षण

4. अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण/ क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण - ये वे बुद्धि परीक्षण हैं, जिनमें भाषा एवं शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है अपितु क्रियात्मक रूप से बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए इस परीक्षण को क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण या निष्पादन परीक्षण भी कहते हैं। इस परीक्षण में प्रयोग किये जाने वाले प्रश्नों के पद ज्यामितीय चित्र, अमूर्त चित्र, निर्जीव पदार्थ आदि की सहायता से तैयार किए जाते हैं। यह परीक्षण गूंगे, बहरे, अंधे, शिक्षित, अशिक्षित सभी प्रकार के लोगों के बुद्धि मापन के लिए काफी उपयोगी है।

अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में परीक्षार्थी के प्रश्नों के उत्तर लिखकर या बोलकर नहीं देने पड़ते हैं। बल्कि उन्हें व्यवहारिक कार्य करके दिखाना होता है। यह परीक्षण व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में लकड़ी या गत्ते के टुकड़ों पर कुछ डिजाइन बनाने के लिए दिए जाते हैं। कभी-कभी भुल-भुलैया परीक्षा विधि भी उपयोग में ली जाती है। इस तरह दर्पण में देखकर कुछ चित्रों/आकृति को बनाने के लिए दिया जाता है। इस प्रकार चित्रों के कुछ टुकड़ों को व्यवस्थित करना, चित्रों की पूर्ति करना, किसी वर्ग का निर्माण करना आदि क्रियात्मक परीक्षण के ही उदाहरण हैं।

5. अन्य प्रकार के बुद्धि परीक्षण - कुछ ऐसे भी बुद्धि परीक्षण हैं जो शाब्दिक भी हैं और अशाब्दिक भी इस प्रकार के परीक्षणों में प्रश्न छपे रहते हैं जिसका उत्तर हाँ या नहीं, सत्य-असत्य, खाली स्थान भरें बहुविकल्प उत्तर आदि प्रारूपों में देना होता है। साथ ही क्रियात्मक योग्यताओं से संबंधित व्यावहारिक कार्य भी करने पड़ते हैं। अतः ऐसे बुद्धि परीक्षण द्विमापीय बुद्धि परीक्षण कहलाते हैं, इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं -

1. वैश्लर प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण -

2. बालकों के लिए वैश्लर का बुद्धि परीक्षण मानदंड - इन दोनों ही प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग (पहचान/निदान) में किया जाता है।

6. समय सीमा युक्त परीक्षण - इस प्रकार के परीक्षण में समय का महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए समय सीमा का निर्धारण किया जाता है। परीक्षार्थी को उस निश्चित अवधि में ही प्रश्नों के सही-सही उत्तर देने होते हैं। इस परीक्षण से परीक्षार्थी को प्रश्न हल करने की गति की परख की जाती है।

7. समय सीमा रहित परीक्षण - इस प्रकार के परीक्षण में समय की कोई सीमा नहीं रहती है। परीक्षार्थी प्रश्नों को हल करने में जितना समय चाहे ले सकता है। ऐसे परीक्षणों से व्यक्ति-विशेष/परीक्षार्थी की शुद्धता की जाँच की जाती है।

निष्कर्ष - फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने अध्ययनों के दौरान यह पाया कि यदि मंद बुद्धि के बालकों की अलग से विशेष कक्षाओं का प्रबन्ध किया जाए तथा शिक्षण की व्यवस्था की जाए तो वे भी अपनी बुद्धि का विकास कर सामान्य जीवन जी सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु उनके सामने एक चुनौती थी कि इसका पता कैसे लगाया जाए कि कक्षा में कितने बालक बुद्धि की कमी के कारण असफल होते हैं। अतः इन्होंने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक साइमन के सहयोग से बुद्धि परीक्षण हेतु सन् 1905 में एक मानदंड तैयार किए जिसे बिने साइमन बुद्धि मानदंड नाम दिया गया। जिसके माध्यम से बालक का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विकासात्मक मनोविज्ञान (डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ. जितेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं डॉ. राजेन्द्र सिंह)
2. मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध (डॉ. वृंदा सिंह)
3. शिक्षा मनोविज्ञान (प्रो. एल. एन. दुबे, प्रो. बी. आर. बरोदे)
4. उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान (अरुण कुमार सिंह)
5. संज्ञानात्मक मनोविज्ञान (विजय प्रताप कुमार)
6. बाल मनोविज्ञान बाल विकास (डॉ. डी. एन. श्रीवास्तव डॉ. प्रीति वर्मा)

व्यक्ति के कार्य परिणामों के लिये गुणारोपण व्यवहार के अन्तर्गत आत्ममूल्यांकन के प्रभाव का अध्ययन करना

डॉली जोशी *

शोध सारांश – मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अर्थात् यह सदैव दूसरे व्यक्तियों के साथ रहता है और सभी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से दूसरे व्यक्तियों के गुणों एवं दुर्गुणों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। दूसरे व्यक्तियों से सम्बन्धित सूचनाओं को प्राप्त करने के दो मार्ग होते हैं, एक उस व्यक्ति के सम्बन्ध में, दूसरे उसके साथ रहने वाले अथवा उसके नजदीकी लोगों से पूछताछ करके तथा उस व्यक्ति के व्यवहार का स्वयं निरीक्षण करके, ये दोनों विधियाँ ऐसी हैं, जिनसे वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति कैसा है, कोई भी व्यवहार या घटना क्यों उत्पन्न हो रही है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर गुणारोपण के द्वारा दिया जा सकता है।

गुणारोपण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों के कारणों का निर्धारण करते हैं तथा साथ ही साथ उसके स्थायी शीलगुणों एवं चित्तवृत्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। सामान्यतः गुणारोपण आन्तरिक एवं बाह्य दो कारकों के रूप में किया जाता है। आन्तरिक कारकों में लक्षित व्यक्ति की अयोग्यता, शीलगुण आदि को महत्वपूर्ण समझा जाता है, जबकि बाह्य कारकों में लक्षित व्यक्ति के व्यवहार के कारणों की व्याख्या परिस्थितिजन्य कारकों के रूप में की जाती है।

प्रस्तुत शोधपत्र में व्यक्ति के कार्य परिणामों के लिए गुणारोपण व्यवहार के अन्तर्गत पड़ने वाले धनात्मक एवं ऋणात्मक परिणामों में आत्ममूल्यांकन के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना – गुणारोपण का अर्थ किसी व्यवहार की कारणात्मक व्याख्या से लिया जाता है, जिससे व्यवहार को अधिक श्रेष्ठता से समझा जा सके। यह वहाँ किया जाता है, जहाँ स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं हो पाता है। यह जो दिखे हुए कारण होते हैं, वे वास्तविक न होकर अनुमानित कारण ही होते हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि गुणारोपण एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों को प्रत्यक्ष करता है, तो उस समय वह मात्र इतनी ही जानकारी से सन्तुष्ट नहीं हो जाता है कि उसने अमुक व्यवहार किया है बल्कि वह उन व्यवहार के कारणों अथवा उनकी उत्पत्ति के स्रोतों या प्रेरकों का भी अनुमान कर लेता है। किसी व्यक्ति और उसके कार्यों एवं व्यवहारों को प्रत्यक्ष करते समय इस प्रकार का अनुमान कर लेना ही 'गुणारोपण' कहलाता है।

अर्थात् – 'दूसरे लोगों के व्यवहार के कारणों को समझना तथा उसके बारे में निर्णय लेना ही गुणारोपण है।'

गुणारोपण व्यवहार की परिभाषाएँ –

'Heider (1958) के अनुसार, आरोपण व्यवहार उस प्रक्रिया का नाम है या अध्ययन है जिसमें औसत व्यक्ति की 'Underlying' (आधारभूत) परिस्थितियों के अनुरूप उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। 'हाईडर' ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य व्यक्तियों के लिए व्यैक्तिक कारकों का आरोपण स्वयं को सुरक्षा प्रदान करता है, जब कि स्वयं के लिए प्रायः परिस्थितिगत आरोपण किया जाता है।'

Heider के अनुसार, अधिकांश व्यक्ति तीन प्रकार के Explanations देते हैं –

1. प्रथम वे यह सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति का व्यवहार परिस्थितिक तत्वों जैसे – आर्थिक व सामाजिक दबाव के कारण है।

2. द्वितीय कारण यह हो सकता है कि व्यक्ति यह व्यवहार अनजाने में कर रहा है एवं सम्भवतः यह व्यवहार भविष्य में दिखाई नहीं देगा।

3. तृतीय Explanations इस प्रकार दिया जा सकता है कि व्यक्ति का व्यवहार व्यक्तिगत विशिष्टता के कारण है।

Heider के अनुसार, व्यक्तिगत आरोपण तभी अधिक दिखाई देता है जब कि वातावरण के कारण कई सम्भव व्यवहार किए जा सकें।

Jones and Davis (1965) ने व्यवहार के परिणामों, जिनके आधार पर आरोपण बनता है, उस पर केन्द्रित किया। इनके अनुसार आरोपण प्रक्रिया के द्वारा उन प्रभावों का पता लगाया जा सकता है, जो कि विशिष्ट परिस्थितियों में प्रत्येक संभव प्रतिक्रिया में एकीकृत होते हैं। (Unique to Each Possible Response) इन्होंने प्रस्तावित किया कि आरोपण प्रक्रिया तब अधिक एक्टिव (जटिल) हो जाती है, जब आरोपण बनाने वाले व्यक्ति के गुणों को भी ध्यान में रखा जाए।

Weiner के अनुसार – गुणारोपण में धनात्मक परिणामों के लिए आंतरिक कारक और ऋणात्मक परिणामों के लिए बाह्य कारक अधिक प्रस्तुत किए जाते हैं। वाईनर ने यह भी प्रकट किया है कि घटनाओं की व्याख्या या कारणात्मक आरोपण चार तत्वों पर आधारित होता है :-

1. प्रयास।
2. योग्यता।
3. संयोग।
4. कार्य की कठिनाई।

शेवर के अनुसार (1977) – गुणारोपण प्रक्रम ऐसे संज्ञानात्मक प्रक्रम है, जिनके द्वारा प्रत्यक्षक अन्य व्यक्तियों के कार्यों की व्याख्या करता है।

Jones and Nisbett (1971) के अनुसार – 'स्वयं के लिए आरोपण

असफलता में परिस्थितिगत अधिक होता है।'

Kellay (1967-1974) ने भी स्वआरोपण को अन्य आरोपण के विपरीत बताते हुए यह माना कि स्वयं के लिए जिन स्थितियों में परिस्थिति को उत्तरदायित्व दिया जाता है, उन्हीं स्थितियों में अन्य व्यक्ति को वैयक्तिक आरोपण दिया जाता है।

Kelley के आरोपण सिद्धान्त में तीन चल राशियों का (Covariance) अर्थात् सहप्रसरणसम्मिलित है :-

1. जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है।
2. वह परिस्थिति या वह स्थिति जिसमें व्यवहार देखा जा रहा है।
3. जो व्यक्ति आरोपण निर्मित कर रहा है।

Kelley ने यह तर्क दिया कि इन तत्वों में से दो को स्थिर रखकर तथा अन्य को चल रखकर बनने वाले व्यक्तिगत आरोपणों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि गुणारोपण की प्रक्रिया किसी व्यक्ति ;लक्षित व्यक्तिद्वारा किए गए या किए जाने वाले व्यवहार के कारणों को निर्धारित करने, उसकी विशेषताओं का अनुमान लगाने और उसकी इच्छाओं, भावनाओं तथा इरादों को निश्चित करने में सहायक होती है।

संक्षेप में -

1. गुणारोपण एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, इसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार के कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है।
2. गुणारोपण प्रक्रिया में किसी के व्यवहार या कार्य का अवलोकन करने या उसके बारे में सुनने के बाद उसके कारणों को अनुमानित किया जाता है।
3. गुणारोपण द्वारा कर्ता या अन्य व्यक्ति के भावी उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के बारे में अनुमान लगाया जाता है।

गुणारोपण को कारणता का प्रत्यक्षीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा - जैसे -किसी चोर को देखकर, उसके व्यवहार का अवलोकन करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह बेरोजगार होने के कारण अपना पेट व परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजबूरी में चोरी जैसा दुष्कृत्य कर रहा है या चोरी करना उसका पेशा है इसलिए वह यह गलत काम कर रहा है, इस तरह अनुमान लगाना या निष्कर्ष निकालना ही गुणारोपण है।

योजना - प्रस्तुत शोध अध्ययन में चयनित प्रयोज्यों के द्वारा अक्रमिक वर्णमाला की सूची बनाई गई। तथा इस अक्रमिक वर्णमाला में से वर्णों को ढूँढ़कर शब्द तैयार किए गए हैं।

जैसे - ए, ति, ह, म, प्र, स, कृ, ल - (निर्मित शब्द - प्रकृति)

इस तरह वर्णों को ढूँढ़कर शब्द बनावाए गए हैं। ये शब्द बनाने के कार्य दो चयनित प्रयोज्यों के द्वारा करवाए गए हैं। तत्पश्चात् धनात्मक तथा ऋणात्मक परिणामों के आधार पर अंक दिए गए। फिर जिस पात्र को अधिक अंक प्राप्त हुए, अर्थात् धनात्मक परिणाम प्राप्त हुआ, वह अपने साथी, जिसे ऋणात्मक परिणाम मिला, उसके द्वारा उसके साथी का कारण तथा स्वयं का कारण प्रस्तुत करवाया गया। इसी प्रकार, ऋणात्मक परिणाम वाला पात्र जिसे कम अंक प्राप्त हुए वह स्वयं के असफल होने के कारण के साथ-साथ अपने साथी जो सफल हुआ है अर्थात् जिसे धनात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा उसका कारण भी प्रस्तुत करवाया गया।

परिकल्पना - प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पना का गठन किया गया है -

व्यक्ति स्वयं की सफलता एवं सकारात्मक परिणामों के लिए स्वयं को महत्व प्रदान करता है एवं असफलता तथा ऋणात्मक परिणामों हेतु परिस्थिति, वातावरण एवं अन्य दूसरे कारणों को प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार अन्य दूसरे व्यक्ति की सफलता हेतु संयोग, कार्य की प्रकृति का सरल होना एवं असफलता के लिए योग्यता एवं प्रयत्न का कम होना दर्शाता है।

विधि - प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयोज्यों के द्वारा अक्रमिक वर्णमाला की सूची तैयार करवाई गई है तथा प्रयोज्यों को (पात्रों की संख्या 2 हैं।) इस अक्रमिक वर्णमाला की सूची में से शब्द बनाने को कहा गया तथा शब्द बनाने का समय 5 मिनट निर्धारित किया गया है तथा दोनों प्रयोज्यों को एक-एक अलग-अलग पेज दिया गया, प्रयोज्यों के द्वारा जितने शब्द निर्मित किए गए, उसे उस कागज में लिखा गया। प्रयोज्य के द्वारा इन्हीं शब्दों को देखकर प्रयोज्यों को अंक दिए गए हैं। यह अंक 20 में से दिए गए। धनात्मक परिणाम वाले प्रयोज्यों को 10 से 19 के बीच अंक दिए गए हैं। तथा ऋणात्मक परिणाम वाले पात्र को 1 से 15 के बीच अंक दिए गए हैं। इन अंकों को प्रयोज्यों के द्वारा निर्मित शब्दों की संख्या तथा शब्दों को देखकर यह निर्णय लिया गया कि किस प्रयोज्यों को कितने अंक दिए जाए। जैसे, किसी प्रयोज्य ने कम शब्द किन्तु बड़े शब्द हैं लिखे उसे अधिक अंक दिए गए हैं।

इसके विपरीत जिस प्रयोज्य ने अधिक शब्द किन्तु छोटे लिखे तो उसे कम अंक दिए गए हैं।

तथा जो प्रयोज्य दिए गए कार्य में सफल हुआ है, अर्थात् जिसे धनात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है, तो उसके कारण उपरोक्त दिए हुए कारणों में से प्रस्तुत किए गए हैं।

जैसे -

1. अधिक योग्यता नहीं थी।
2. कार्य के लिए प्रयत्न अधिक किया गया।
3. संयोग हमारे पक्ष में नहीं था।
4. कार्य अधिक सुविधाजनक था।

तथा प्रयोज्य को अपने सफल होने का जो कारण या विकल्प उचित प्रतीत हुआ उसे इस आधार पर 4,3,2,1 अंक दिया गया। इसी प्रकार ऋणात्मक परिणाम के कारण जो अपने साथी के लिए या अन्य के लिए हैं जैसे -

1. योग्यता अधिक नहीं थी।
2. इस कार्य के लिए प्रयत्न अधिक नहीं किया गया।
3. संयोग हमारे पक्ष में नहीं था।
4. कार्य अधिक असुविधाजनक था।

इस प्रयोज्य दिए गए कार्य में सफल या असफल हुआ है, उसके द्वारा अपने कारणों को अंक दिया गया है तथा धनात्मक प्रयोज्य द्वारा स्वयं के कारणों के साथ ऋणात्मक परिणाम वाले प्रयोज्य के कारणों को भी अंक दिया गया। इसी प्रकार प्रयोज्य (बी) द्वारा अपने ऋणात्मक परिणाम के कारणों के साथ-साथ धनात्मक परिणाम वाले प्रयोज्य के कारणों को भी बताया गया है। जिसके लिए दोनों प्रयोज्य ए तथा बी को अलग-अलग पेज दिए गए, जिसके अन्तर्गत धनात्मक और ऋणात्मक कारणों को प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका क्रं. - 1
गुणारोपण
(शब्द निर्माण)

अ	र	म	च	नि	ह	य	त
का	प	भा	गां	त्र	ष	ज	श्रुं
घा	ट	फ	ल	स	क्षा	छ	वि
ती	उ	दा	ख	ई	ब	ध	श
र्थी	द्य	डा	ण	ळ	झ	झं	न
आ	औ	ऐं	ति	प्र	कृ	उ	अं

विश्लेषण – प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयोज्य 'ए' ने अपने सफल होने के कारणों में क्रमशः योग्यता, प्रयत्न, संयोग, कार्य की प्रकृति को 4,3,2,1, अंक दिए हैं तथा मुख्य रूप से अपने धनात्मक परिणामों का कारण योग्यता को बताया है। इसी प्रकार पात्र 'ए' ने पात्र 'बी' के ऋणात्मक परिणामों के लिए कार्य की प्रकृति की कमी, संयोग, योग्यता, व कम प्रयत्न, इन चारों तत्वों को महत्वपूर्ण बताया है, जो कि स्वयं के कारणों के विपरीत है।

इसी प्रकार प्रयोज्य 'बी' ने अपने स्वयं के ऋणात्मक परिणामों के लिए कार्य की प्रकृति को महत्व दिया है। इसके पश्चात असुविधाजनक अर्थात् कार्य का संयोग अच्छा न होने, प्रयत्न कम होने के कारण, तथा योग्यता इन्हें क्रमशः 4,3,2,1 अंक दिए हैं। तथा प्रयोज्य 'बी' ने पात्र 'ए' के धनात्मक परिणामों के मुख्य कारण प्रयत्न बताया। तत्पश्चात् योग्यता, प्रकृति व संयोग को बताया है। इन्हें क्रमशः 4,3,2,1 अंक दिए गए हैं।

तालिका क्रं. -2

क्र.	प्रयोज्य ए द्वारा निर्मित किए गए	प्रयोज्य बी द्वारा निर्मित शब्द किए गए शब्द
1	ऋंगार	अंश
2	आवारण	झण्डा
3	प्रकृति	ऋंगार
4	क्षत्रिय	औरत
5	फल	छवि
6	श्रेष्ठ	फल
7	आशय	प्रकृति
8	वरण	विद्यार्थी
9	कृष	
10	षठ	
11	कृति	
	प्राप्त अंक 20 में से 15	प्राप्त अंक 20 में से 08

विवेचना – प्रस्तुत शोध अध्ययन में वही प्राप्त हुआ जैसा कि पाया कि स्वयं या अभिकर्ता का आरोपण धनात्मक परिणामों में व्यक्तित्व ;व्यक्तद्ध हो जाता है। जब कि निरीक्षणकर्ता के लिए आरोपण परिस्थितिगत हो जाता है। प्रयोज्य ऋणात्मक परिणाम इसके विपरीत आरोपण प्रकट करते हैं। जैसा कि प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त हुआ है कि प्रयोज्य 'ए' ने कार्य में सकारात्मक परिणाम के लिए अपनी योग्यता को मुख्य रूप से महत्वपूर्ण माना है। वही इसके विपरीत अपने साथी प्रयोज्य बी के नकारात्मक परिणामों के लिए

कार्य की प्रकृति का कम होना माना गया है। अर्थात् कार्य में असफल होने का कारण उसकी स्वयं की कार्य करने की प्रकृति को बताया गया है।

प्रयोज्य ए ने अपने कार्य में सफलता के कारणों में योग्यता के बाद प्रयत्न को महत्व दिया है तथा प्रयोज्य बी के ऋणात्मक परिणाम के लिए कार्य की प्रकृति की कमी को मुख्य कारण बताया है। तत्पश्चात ए ने संयोग को थोड़ा सफलता का कारण बताया है। किन्तु प्रयोज्य बी की असफलता के लिए संयोग को नगण्य माना है।

प्रयोज्य ए ने कार्य को सुविधाजनक समझा अर्थात् पात्र ए को कार्य सरल प्रतीत हुआ है।

जब कि प्रयोज्य बी के लिए कार्य को कम सुविधाजनक बताया गया है। इसी तरह प्रयोज्य बी ने अपने ऋणात्मक परिणाम के कारण में कार्य की प्रकृति को महत्व दिया है। प्रयोज्य बी ने बताया है कि कार्य की प्रकृति कठिन है तथा प्रयोज्य ए के लिए कार्य को सुविधाजनक ही बताया गया है। इसी प्रकार प्रयोज्य बी ने अपनी असफलताओं में संयोग, प्रयत्न, व योग्यता को मुख्य कारण नहीं माना है। इसी तरह प्रयोज्य ए के सकारात्मक परिणामों के लिए, प्रयोज्य ए के प्रयत्न, योग्यता को मुख्य कारण माना गया है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत शोध समस्या में उपर्युक्त विश्लेषण एवं व्याख्या के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है – सफल व 1. धनात्मक परिणाम वाले प्रयोज्य ने अपनी स्वयं की योग्यता व प्रयत्न को महत्वपूर्ण माना है। इसके विपरीत अपने साथी के ऋणात्मक परिणाम के लिए अन्य बाहरी कारणों को दोषी न मानकर साथी की योग्यता व प्रयत्न को कम समझा गया है अर्थात् परिस्थितिगत न समझकर असफलता का कारण वैयक्तिक माना गया है। 2. प्रस्तुत शोध अध्ययन के दौरान प्रयोज्यों के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति स्वयं की सफलता एवं सकारात्मक कार्यों के लिए स्वयं को श्रेय देता है एवं असफलता के लिए वातावरण एवं अन्य व्यक्तियों को उत्तरदायी मानता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सामाजिक मनोविज्ञान और पृवृत्तियों - लेखक : अंजिला कुमारी
2. सामान्य मनोविज्ञान - लेखक - मीना माथुर
3. सामाजिक मनोविज्ञान - लेखक - ओ.पी. शर्मा
4. सामान्य मनोविज्ञान - लेखक - रामबाबु गुप्त
5. सामान्य मनोविज्ञान - लेखक - जे.एस. विनायक
6. Social Psychology By : Seema Pasricha.
7. An Invitation to Social Psychology By - Dr. Hassen Taj
8. Encyclopedia of Social Psychology 4 Volumes Set. By: Pror. E.G. Parmeshwaran, Dr. C. Beena
9. जूलियन बी. रॉटर (1954) रू सोशल लर्निंग एण्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी, प्रन्टिस हॉल, इंक।
10. जॉन विली एण्ड सन्स (2001) - इनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी, वाल्यूम-2 न्यूयार्क।

A Study On Sustainability In Interior Spaces

Sonika Jain *

Abstract - Interior spaces plays a vital role in human habitation fulfilling the basic needs of survival. Interior design is the art and science of enhancing the human experience functionally and aesthetically. Nowadays, importance of the concept of Sustainability is increasing in every field for human survival. Sustainability in interior design refers to its implementation while production, application and usage of different design elements. This study aims to discuss the importance of sustainability in the context of interior design to create healthier built environment.

Key Words - Sustainability, interior design, design elements.

Introduction - The term **Sustainability** have been first originated in 1987 in United Nations in Brundtland report by the World Commission on Environment and Development, which defined sustainable development as “meeting the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own”. Since then expression such as ‘green’, ‘eco’ and ‘environmentally friendly’ have been used to describe multitude of products and actions that show concern for the earth’s resources. Principles that can summarize sustainable design are: to build small, make spaces efficient, use recycled or recyclable materials, recycle and compost all waste, build recycling centers in facilities, use renewable resources, create safe healthy living environments, easy operated, durable and easily maintained.

“With increasing world population and decreasing the overall quantity of natural resources, the importance of the concept of sustainability is increasing every day. In European Union Countries, total 40% consumption of energy, 30% of CO₂ gas emission, and 40% of synthetic waste are produced in the construction industry. Moreover, 50% of natural material resources is used in the construction industry.” It proves an important role of environmental building design in the course of sustainable development. Impact of industrial revolution, oil crisis in 1970, high consumption of energy and natural material resources in European countries leads to the need of assessment tools in construction industry i.e. BREEAM, LEED, etc.

Sustainable design stands for a holistic creative process, which “seeks to translate and embody global and regional socio-environmental concerns into products and services at a local level. This necessarily demands a system view of design.” Sustainable architecture is an approach to architectural design that emphasizes the place of buildings

within both local ecosystems and the global environment. It seeks to minimize the negative environmental impact of buildings by enhancing efficiency and moderation in the use of materials, energy and development space.

“Sustainability in any area requires a harmonious relation of social, environmental and economic factors. Sustainable architecture should consider the construction as a piece of world ecology and should combine climatic responsiveness with functional efficiency and a pleasing appearance. A sustainable buildings’ design should include considerations regarding orientation, natural ventilation, daylight, solar control and thermal capacity, which could result in potent form-finding building elements. Taken together, they can trigger a new architecture language, which is the discourse of the energy conservation requirements by composing the equilibrium between the world economy and its ecological systems”.

Interior Spaces And Sustainability - As a profession, designing interior environments can be defined as “determining the relationship of people to spaces based on psychological and psychical parameters, to improve the quality of life”. In the core of sustainability, these physical parameters gain importance in the means of long term use. Sustainable interior design is defined as “interior design in which all systems and materials are designed with an emphasis on integration into a whole for the purpose of minimizing negative impacts on the environment and occupants and maximizing positive impacts on environmental, economic and social systems over the life cycle of a building”. Kang and Guerin defined the sustainable interior design practice in three dimensions as: global sustainable interior design, indoor environmental quality, and interior materials.

According to NurAyalp (2012), the interior design elements has been divided into three major categories:

Materials, furnishings and lighting. Functional need, wastage reduction, embodied energy, long term use, recycling potential, toxic gas emission during production process and usage are the essential criteria in material selection to achieve sustainability. On the other hand, NawwarShukriah Ali, NuurFarhanaKhairuddin and ShahrizanZainalAbidin (2013) had discussed about Upcycling as one of the methods to maintain the environment by creating useful products for interior spaces out of waste and unused materials. Moreover, Use of daylight in larger spaces to minimize energy consumption by using various technological tools such as laser cut panels, light piping systems, horizontal and vertical light pipes to carry day light to the deep interior spaces.

Designer’s Role In Sustainable Interiors - Interior designers and architects have immense power in terms of design choices made in the early phases of design that affect the sustainable performance of a building. They can address some of the greatest environmental impacts of the building by specifying materials and products that benefit the occupants and environment. Materials have environmental, social and economic impacts beyond just their ‘use’ phase. Designers should adopt a life-cycle approach while evaluating the sustainable aspect of materials and consider the environmental impacts generated by each phase of production, use and the disposal of materials. Using Life cycle assessment (LCA) tool allows to quantify both direct and indirect environmental impacts of a material.

As majority of the time is spend indoors, interior designers’ plays a key role by selecting materials which are sustainable and non-toxic resulting in positive impact on both natural resources and human health. Standards such as LEED, BREEAM and others are helping and encouraging the architects and designers to reduce the environmental impact by using sustainable materials. Awareness among designers and clients will help in implementing sustainability to a great extent.




Fig 1- life cycle assessment of a material to measure its sustainability.(re-pal.com, 2016)



Fig 2 - bringing outside to the inside, creating interior spaces using natural forms and color palette creates more comfortable spaces. (google images)

Current Scenario And Recommended Approach To Create Sustainable Interior Spaces -

Traditionally, architects and interior designers primarily focused on meeting a client’s aesthetic and functional needs. Sustainable design expands the focus to include environmental considerations and human well-being. Making aesthetically pleasing products increases attraction as well as develops a connection with the consumer lengthening its overall lifespan. Design methods such as Human centric design, co-designing for families, empathic design are all contributing to create human oriented products having longer lifespan. Nowadays, sustainable materials are more high tech with great innovation behind them as compared to the conventional times which was more about using natural materials. Remarkable product range is available for the designers with great innovations in sustainability.

“Besides carefully selecting sustainable ingredients, manufacturers use other techniques to improve the sustainability of products, such as designing for longevity and flexibility. These practices not only improve environmental impact but also bring benefits to clients through savings in maintenance.”

With rising global environmental issues and an increase in awareness among the general public about it, sustainability initiatives and products are gaining popularity among governments and business sectors. These days, designers are opting for sustainable materials themselves realizing the numerous opportunities and benefits that come along with it. “Sustainability has become a competitive tool for businesses”.

Development of sustainable design practices helps in improving brand image of the company as well as proves their commitment towards the environment. Architects and designers come across with more clients that require LEED, BREEAM or other standards to be considered in interiors to reduce environmental impact and use of sustainable materials contributes valuable points toward these certifications.

Fig 3 - (See in the next page)

Fig 4 - (See in the next page)

Future Research - The future study will be done on various techniques applied to achieve sustainability and the study followed by implementation of various sustainable materials in the interior space.

References :-

1. Ayalp, N. (2012). Environmental sustainability in interior design elements. In 7th WSEAS conference on Energy and Environment, Kos Island Google Scholar.
2. Ali, N. S., Khairuddin, N. F., & ZainalAbidin, S. (2013). Upcycling: Re-use and recreate functional interior space using waste materials. In DS 76: Proceedings of E&PDE 2013, the 15th International Conference on Engineering and Product Design Education, Dublin, Ireland, 05-06.09. 2013 (pp. 798-803).
3. Aktas, G. G. (2012). Sustainable design proposals in shopping center public interiors. International Journal of Energy and Environment, 1(6), 109-116.



Fig 3 - furniture produced using upcycling method. (teachshare.org)



Fig 4- kitchenware made out agricultural waste. (sustainability outlook, 2014)

A Study Based on Blue Pottery: The Local Craft of Jaipur

Chhavi Mehta* Dr. Ankita Singh Rao**

Abstract - The article is a study based on one of the most famous craft of Jaipur, Blue pottery. The craft has not only been a favorite to the Royals of the city but also got worldwide attention for its mesmerizing beauty. An attempt has been made to create awareness about the magnificent history of blue pottery in Jaipur, its process and to stylize the traditional motifs used in this art with their stylization to cater the taste of newer generations.

Keywords - Blue pottery, Jaipur, (Rajasthan) Process, traditional& stylized motifs.

Introduction - Crafts have been firmly rooted as a culture and tradition within rural communities of Jaipur, the capital of Rajasthan state of India which is major tourist attraction for its rich culture and glorious past. Jaipur not only preserved ancient art and craft, but also propagated this royal and beautiful art worldwide. The popular crafts include Blue pottery, Miniature Paintings, Terracotta, Carpet weaving, Lac & glass bangles, Meenakari jewellery, Stone work, block printing, gotta patti work, Metal Crafts, Leather ware etc.

One of such crafts has been the famous pottery tradition which has been translated into various hues of Blue Pottery: An art form, from Persia under the patronage of Maharaja Ram singhji was first introduced in Rajasthan.

The conventional floral or arabesque, handmade patterns and the animal figure patterns are the prominent designs. The various articles shaped out are mostly the traditional ones like surahis or pots of different shapes and size for multiple use, ashtray, tiles, flower pots, lamp shades, jars various accessories or interior items are the forte of this art of pottery. In the recent times, though there has been innovation in the traditional art of Blue pottery in form of motifs and patterns and colours, various issues in manufacturing process, management issues, limited innovations, health hazards, financial strains etc. have been major drawbacks in the growth of this magnificent craft of Jaipur.

Even though the craft industry has been traditionally very rich but facing the management, manufacturing and marketing issues recently which has made it reach into a deplorable condition. With rising economic and political issues in India, the craft sector is struggling to uphold. Although an interest to retain the culture of crafts is seen in designers and institutions, some of the popular crafts need immediate attention to regain the lost shine and survive for next generations to come.

History of blue pottery: The Mangol artisans developed

the art of blue glaze combining the Chinese glazing technique with Persian decorative art on Pottery which is a remarkable innovation in itself worldwide. In fourteenth century, with Turkish conquest, this technique came to India from the East. Man Singh {1550-1614} bought this art to Jaipur through his interactions with Mughals and campaigns in Afghanistan but it was temporary. Later it was Maharaja Sawai Ram Singh II {1835-1880}, an art lover who encouraged this art to flourish in Jaipur. Royal Patronage, lucrative offers and the attraction of living in a beautiful city led many artisans and craftsmen to come and settle in Jaipur. The royal family identified {Late} Shri K.S Shekhawat, internationally renowned painter and muralist to revive the art of Blue pottery in 1960.

Over the years, Kotjewar, Muhana, Mehla and Neota have developed as major clusters of Blue pottery and the people here are whole heartedly involved in the enrichment of this craft.


Process of Blue pottery: There is no use of clay in this pottery, here the 'dough' for the pottery is prepared by mixing quartz stone powder, powdered glass, Multani Mitti (Fuller's Earth), borax, gum and water. The process involves Preparing the dough, Making the shape, Casting the product, Smoothing, Painting, Colouring the pottery, Glazing and Firing. After the final step of firing the product is ready for market.

The steps (see in next page)

Motifs: The craftsmen over the years, have developed contemporary patterns in the urge of beautifying their surroundings which has led to the creation of Motifs including Realistic or Natural, inspired by bird, animals, flowers etc, Geometrical, Abstract etc. With the changing times and eras, the taste of newer generations have developed to be different than that of ornate designs to be much simpler hence an attempt has been made to stylize the following four traditional motifs:

*M. design. (P.D), Poornima University, Jaipur (Raj.) INDIA

** Assistant Prof., Poornima University, Jaipur (Raj.) INDIA



References:-

1. <http://kirsten-boers.squarespace.com/ground>
2. http://www.jaipurthepinkcity.com/jaipur_art_and_craft/jaipur_art_and_craft.htm#.XL78fokzblU
3. http://www.bharatheritage.in/rajasthan/traditional_crafts.htm#dhurries
4. An Interactive Design Study of Jaipur Blue Pottery Need Assessment Survey Report MSME Design Clinic Scheme, 2011. Blue Art Pottery Samiti .Ms. Swati Gupta
5. http://designclinicsmsme.org/Design%20Awareness%20Programme%20Reports/NAS+DW_FICCI_Blue_Pottery.pdf

The steps



A Review Based Study On Fresco Art In The Essence Of Jaipur Heritage

Neha Khunteta *

Abstract - Wall fresco is a type of painting done on walls on wet or dry lime plaster. The very later phase can be seen as the wall paintings of Rajasthan which have been done on the walls or other architectural elements of forts, palaces, havelis, cenotaphs or Chhatris, etc. Out of four major centers, Jaipur has been an important one for its exclusive technique of wall fresco, Fresco Buono or Jaipur technique. More awareness is needed about the fast vanishing treasures of Jaipur frescoes.

Key Words - Wall Fresco, Jaipur Fresco Process, Fresco Buono, Aala-Gila.

Introduction - Painting has a very long tradition and history in Indian art. Earliest specimen being the cave paintings of pre-historic times showing traces of hunting, farming, dancing scenes, drawn on rock in black or mud colors in the caves of Bhambetka and Pachmarhi.

Indian paintings can be broadly classified as murals and miniatures. Murals are large works executed on the walls of solid structures, as in the Ajanta caves and the Kailashnath temple. Miniature paintings are executed on a very small scale for books or albums on perishable material such as paper and cloth. Earlier, miniatures were used to illustrate the texts of various types, while later they were painted for independent subjects.

Wall fresco being a type of painting done on walls on wet or dry lime plaster has been a long established custom which evolved over the years with fusion of various cultures and traditions. The fresco of Ajanta caves being among the earliest of the order traced. A very later phase can be seen in the wall paintings of Rajasthan.

Wall Frescoes Of Rajasthan - Wall paintings have been considered very auspicious in Rajasthan. The technique used in this region was so developed that even after 300 years, they retain their original form and color. The four major centers of painting styles namely Mewar, Marwar, Dhundhar and Hadoti with Udaipur, Jodhpur, Jaipur and Bundi, respectively, being the source, resulted from four major Rajput clans namely Kachhawa, Rathore, Hada and Sisodia.

Dhundhar region - Jaipur as its centre - Mural tradition has remained unconquered due to its social and cultural importance. Early mandanas were made with geru mitti and safed kali. The walls of palaces, inner chambers of the forts, havelis, or even the common man houses still adorn this ancient art. The wall frescoes concentrated mostly on the upper part of the walls, squinches of chhatris, drums of the domes, on the pendentives, etc. were of Fresco Secco or Fresco Buono techniques. The ornamentation done through frescoes does not cancel out the architectural details

rather emphasizes them. The basic floral ornamentation over *araisn* can be seen even in the ancient residences and houses of Amber and Jaipur. Many of the ancient houses of the walled city of Jaipur still have these frescoes, which have never been published nor mentioned in relevant literature.

Fresco Buono - Jaipur is the centre of this fresco form commonly known as *Aala-gila* or *morakasi* or *arayish*. It involves applying colors on the still wet lime plaster, making it more durable, however, costlier than the other processes. The chemical composition of lime and water together forms hydroxide i.e. slaked lime which provides a protective glazed finish on the surface. The bright colors used in these were of various shades and mixtures of Red ochre (geru), yellow ochre (ramraj), whitechalk (safeda), lamp black (soot), indigo (neel), teravert (harabhata), etc. The fresco becomes a part of the wall plaster after drying. The frescoes of this technique have been well known for its permanency.

Fresco Secco - This process involved painting on the wall long after it has been constructed. The plastered wall surface should not have any moisture. Water soluble colours were being used but for any work done after drying up, insoluble colours were used. Gum (*Gond*) or Egg yolk was being used as the binder. The colours in this process remain on the top surface only unlike Buono process. These frescoes are not considered long lasting and can peel off in flakes.

References:-

1. Dadhich A, (1994) Dhundharki Bhittichitrakala Kalthass, Nirala Publications
2. Shukla Y.K., (1979) Wall painting of Rajasthan, L.D. Institute of Indology Ahmedabad
3. Sharma A.K., Sharma S, Jaipur Shailike Tithiyukt Chitra, Associated Publishing House
4. Cimino Rosa Maria, (2001) Wall paintings of Rajasthan Amber and Jaipur, Aryan Books International
5. Seetharaman S, & Dr. Anup Kumar Chand (2016) A survey of Rajasthani Miniature Painting (15th -17th C) IJASSH 1, (1), 86-97

टोंक (राजस्थान) के नमदा हस्तशिल्पियों की पारिवारिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. शर्मिला गुर्जर *

शोध सारांश - राजस्थान के टोंक जिले में निवाई, मालपुरा और टोंक क्षेत्र में भेड़ की ऊँन से नमदा हस्तशिल्प बनाने का कार्य होता है। यह हस्तशिल्प भारत की विरासत है। यहाँ के स्त्री-पुरुष अपनी उपजीविका चलाने अर्थात् परिवार के सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह कार्य करते हैं। प्रस्तुत शोध में नमदा हस्तशिल्पियों के परिवार, उनकी शैक्षणिक स्थिति और परिवार की आर्थिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।
शब्द कुंजी - नमदा हस्तशिल्प, हस्तशिल्पी।

प्रस्तावना - राजस्थान का नमदा हस्तशिल्प प्राचीन है व उसकी अपनी परम्परा है। वर्तमान में प्रायः टोंक शहर में ही नमदे बनते हैं। परम्परागत नमदों के अलावा कई अन्य सजावटी और उपयोगी उत्पाद बनाए जाने लगे हैं। ये उत्पाद हाथ से बनते हैं और सम्पूर्णतः हस्तशिल्पियों की क्षमता पर निर्भर होते हैं।

'नमदा' मूलतः वह हस्तशिल्प है, जिसे जमीन पर कालीन के रूप में बिछाने के लिए ऊनी रेशों को जमाकर फेल्टिंग की क्रिया करके बनाया जाता है। परम्परागत पद्धति में इसको बनाने में मानवी श्रम और कौशल का भरपूर उपयोग होता है। ताप और दाब से नमीयुक्त अवस्था में ऊनी रेशों को जमाकर तथा हाथ और कोहनियों से पूरी ताकत से रगड़ते हुए इसे सपाट वस्त्र का रूप दिया जाता है। वांछित मोटाई का वस्त्र बनने के बाद इस पर रंगाई करने के पश्चात् कटाई, सिलाई, एप्लिक, पैचवर्क, कशीदाकारी आदि क्रियाओं से सुन्दर अलंकृत, वैविध्यपूर्ण तथा उपयोगी और सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। स्त्री और पुरुष हस्तशिल्पियों द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं और स्थानीय ग्राहक, स्थानीय व्यापारी, बायर/एक्सपोर्टर को मांग के अनुसार बेचा जाता है।

शोध के उद्देश्य-

- टोंक जिले के वह क्षेत्र जहां नमदा हस्तशिल्प उद्योग के रूप में चल रहा है, की जानकारी लेना।
- हस्तशिल्प बनाने में स्त्री और पुरुषों की भागीदारी को समझना।
- हस्तशिल्पियों की पारिवारिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को समझना।

अध्ययन विधि -

विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक है।

प्रतिदर्श क्रिया विधि - टोंक जिले का जिला उद्योग केन्द्र से अधिकृत प्राप्त जानकारी के अनुसार 40 इकाईयां पंजीकृत हैं। एम.एस.एम.ई. के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ 300 हस्तशिल्पी नमदे सम्बन्धित कार्य कर रहे हैं। वर्तमान अध्ययन के लिए कुल 155 हस्तशिल्पियों का सरल यादृच्छ प्रतिदर्श पद्धति से चयन किया गया है।

तालिका 1 से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक स्थान के पुरुष एवं स्त्री हस्तशिल्पियों की संख्या अलग-अलग है।

तालिका- 1 उत्तरदाताओं का चयन (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका 1 में दर्शाए गए अनुसार टोंक जिले के चयनित क्षेत्र का आधार यह है कि जहां नमदा हस्तशिल्प सम्बन्धित कार्य करने वाले लोग पाए गए। टोंक शहर का पुरानी टोंक नामक परिसर छोटी-छोटी गलियों वाला है। यहां के अधिकतर लोगों के अपने छोटे-बड़े मकान जो दादा परदादाओं के बने हुए हैं। इनमें से कुछ लोग अपने ही घर में नमदा निर्माण कार्य एवं अलंकरण का कार्य करते हैं।

ऊँन की पिंदाई से लेकर हाथों से नमदा पाटने (बनाने) का कार्य कुछ घर के सदस्य या अन्य हस्तशिल्पी मासिक आय लेकर करते हैं। रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया और जयपुर रोड स्थित फैक्ट्रियों में कुछ स्त्री-पुरुष नमदा सम्बन्धित कार्य करने हेतु जाते हैं। यहां ऊँन की पिंदाई से लेकर हाथों से मशीनों द्वारा नमदा बनाने का कार्य होता है। टोंक के अन्य हिस्सों में नमदा बेचने का कार्य होता है। यहां कोई कारीगर नहीं रहते। केवल अन्य निर्माता और व्यापारियों से तैयार अलंकृत नमदा उत्पाद लेकर इन्हें प्रदर्शनियों द्वारा बेचने का कार्य करते हैं।

टोंक के पास भरनी गांव ऐसा है, जहां की प्रायः औरते नमदा अलंकरण का कार्य करती हैं और पुरुष टोंक से कच्चा माल लाने और तैयार माल पहुंचाने के कार्य में उनका हाथ बढ़ाते हैं। खाली समय में वे खुद भी अलंकरण का कार्य करती हैं।

निवाई की शिवाजी कोलोनी में केवल तैयार नमदे पर अलंकरण का कार्य होता है। वहां के हस्तशिल्पियों का प्रतिशत अत्यंत अल्प है। मालपुरा कभी टोंक शहर जितना ही नमदा हस्तशिल्प लिए प्रसिद्ध था। अब यहां की केवल 7.74 प्रतिशत स्त्री हस्तशिल्पी टोंक से तैयार अलंकृत नमदे लाकर बेचती हैं या कभी कभी अलंकरण का कार्य भी करती हैं। यहां के सभी पुरुष हस्तशिल्पी अब अन्यत्र नौकरी करते हैं। कुछ हस्तशिल्पी परिवार के साथ टोंक में आकर बसने की जानकारी मिली।

समंक संकलन विधि- यादृच्छ पद्धति से द्वितीयक स्रोतों में शोध पत्रिकाएँ, शोध पत्रें, वार्षिक व अन्य प्रतिवेदन, सरकारी व गैर सरकारी शोध/संस्थाओं के प्रतिवेदन (रिपोर्ट), संग्रहालय व मेले आदि से जानकारी प्राप्त की गयी।

विश्लेषण एवं परिणाम -

तालिका- 2 स्त्री एवं पुरुष नमदा हस्तशिल्प

क्रम	लिंग	संख्या	प्रतिशत
1	पुरुष	68	43.9
2	स्त्री	87	56.1

तालिका 2 से टोंक जिले में नमदा हस्तशिल्प सम्बन्धित कार्य करने वाले स्त्री-पुरुषों की भागीदारी का पता चलता है। 155 हस्तशिल्पियों में से 56.1 प्रतिशत स्त्रियां हैं जो अधिकतर घर और कुछ फैक्ट्री जाकर कार्य करने वाली हैं। यह प्रमाण अधिक इसलिए भी है क्योंकि नमदा या उससे बने उत्पाद लाकर उन पर अलंकरण करने का कार्य घर पर हो सकता है। अधिकतर पुरुषों द्वारा केवल नमदा पीटना (बनाना), ऊन की पिंदाई आदि कार्य फैक्ट्रियों में ही होते हैं।

तालिका- 3 नमदा हस्तशिल्प में धर्मानुसार भागीदारी

क्रम	धर्म	संख्या	प्रतिशत
1	हिन्दू	85	54.8
2	मुस्लिम	70	45.2

तालिका 3 से पता चलता है कि टोंक जिले में अधिकतर हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के परिवारों में नमदा बनाने तथा उस पर अलंकरण करने का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया है। हिन्दू परिवारों में पुरुषों के साथ स्त्रियां घर से बाहर फैक्ट्री जाकर कार्य करती हैं। मुस्लिम धर्म के परिवारों में केवल पुरुष बाहर कार्य करने जाते हैं और स्त्रियां घर पर रहकर कार्य करती हैं। अतः कुल 155 हस्तशिल्पियों में 54.8 प्रतिशत हिन्दू हस्तशिल्पि व 45.2 प्रतिशत मुस्लिम हस्तशिल्पि कार्य करते हैं।

तालिका- 4 नमदा हस्तशिल्पी की आयु मर्यादा

क्रम	आयु	संख्या	प्रतिशत
1	25 से कम	30	19.4
2	25 से 50	109	70.3
3	50 से अधिक	16	10.3

तालिका 4 से पता चलता है कि नमदा हस्तशिल्पियों की आयु के अनुसार भागीदारी का पता चलता है। 25 से 50 वर्ष की आयु के हस्तशिल्पी संख्या में अधिक है। जिनकी आयु 50 से अधिक है उनकी संख्या सबसे कम है। यथा- 25 से कम आयु के हस्तशिल्पियों की संख्या भी कम है। शोध के दौरान इस तथ्य को पाया गया कि वर्तमान में तीन पीढ़ियां कार्य कर रही हैं। नमदा बनाने का कार्य अधिक कष्टदायी है जिसमें शारीरिक ताकत अधिक लगती है। अतः इसमें जो बुजुर्ग हैं, वह मजदूरी की वजह से या स्वस्थ लोग ही कार्य करते हैं। 25 से कम आयु के लोग जो तीसरी पीढ़ी के हैं, इस कार्य में कम संख्या में होना यह दर्शाता है कि नई पीढ़ी है वह मेहनत का काय पसंद नहीं करते और अन्य पढ़ाई या नौकरी करने के प्रति इच्छुक हैं।

तालिका- 5 हस्तशिल्पियों का शैक्षिक स्तर

क्रम	शैक्षिक स्तर	संख्या	प्रतिशत
1	अनपढ़	68	43.9
2	प्राथमिक	49	31.6
3	माध्यमिक	30	19.4
4	उच्च माध्यमिक	06	3.9
5	स्नातक	01	0.6
6	स्नातकोत्तर	01	0.6

नमदा हस्तशिल्पियों का शैक्षिक स्तर अत्यंत निम्न पाया गया। तालिका 5 से पता चलता है कि अनपढ़ हस्तशिल्पियों का सबसे अधिक प्रतिशत है। इनमें अधिकतर बुजुर्ग, स्त्री-पुरुष का समावेश भी है। मध्य

पीढ़ी में पढ़ने का स्तर काफी कम है। पर रोज के व्यावहारिक कार्य यह आसानी से कर पाते हैं। इस पीढ़ी में प्राथमिक, माध्यमिक कक्षा तक पढ़े हुए स्त्री-पुरुष हस्तशिल्पियों का समावेश है, उच्च माध्यमिक या स्नातक और स्नातकोत्तर पढ़े हुए हस्तशिल्पियों की संख्या नई पीढ़ी में भी कम पाई गई। तालिका- 6 (देखें आगे पृष्ठ पर)

तालिका 6 से हस्तशिल्पियों की परिवार रचना और उसके घर के सदस्यों की संख्या का पता चलता है। वर्तमान में संयुक्त परिवार में रहने वाले हस्तशिल्पियों का प्रतिशत अधिक है। जो हस्तशिल्पी संयुक्त परिवार में रहते हैं अर्थात् उनके घर के सदस्यों की संख्या अधिक होगी। ऐसे 70 और 16 परिवार हैं। जहां सदस्यों की संख्या 5-10 या 10 से अधिक है।

तालिका- 7 परिवार की मासिक आय

क्रम	परिवार की आय	संख्या	प्रतिशत
1	1000 से 5000 रुपये	10	6.5
2	5000 से 10,000 रुपये	86	55.5
3	10,000 से 20,000 रुपये	58	37.4
4	20,000 से अधिक	01	0.6

तालिका 7 से पता चलता है कि अधिकतर परिवार की कुल मासिक आय 5000 से 10000 रुपये या 10000 से 20000 रुपये है। कुछ ऐसे हस्तशिल्पी हैं जो अत्यन्त गरीब ह अल्प आय में उन्हें घर चलाना पड़ता है। 20,000 रुपये से अधिक आय वाले परिवारों का प्रतिशत मात्र 0.6 है।

तालिका- 8 घर के अन्य सदस्यों का व्यवसाय

क्रम	परिवार की आय	संख्या	प्रतिशत
1	नौकरी	51	32.90
2	मजदूरी	82	52.90
3	पढ़ाई	14	9.04
4	कुछ नहीं	08	5.16

तालिका 8 से ज्ञात होता है कि घर के अन्य सदस्यों में कुछ नौकरी या मजदूरी जैसे कार्य और बच्चे पढ़ने वाले हैं। संभवतः महिला या बुजुर्ग घर पर ही रहते हैं। जो कुछ नहीं करते उनका प्रतिशत 5.16 पढ़े लिखे होने के बावजूद कुछ मजदूरी या अन्य नौकरी करते हैं।

तालिका- 9 बच्चों की शैक्षणिक स्थिति

क्रम	परिवार की आय	संख्या	प्रतिशत
1	अनपढ़	16	10.3
2	प्राथमिक	44	28.4
3	माध्यमिक	76	49.03
4	उच्च माध्यमिक	12	7.74
5	स्नातक	03	1.93
6	स्नातकोत्तर	02	1.3
7	बच्चों नहीं	02	1.3

तालिका 9 से पता चलता है कि हस्तशिल्पी स्वयं अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हैं परन्तु अपने बच्चों को वे शिक्षा दे रहे हैं और उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं। प्राथमिक और माध्यमिक पढ़ने वाले बच्चों का कुल प्रतिशत 77.43 प्रतिशत है जो अनपढ़ या अन्य उच्च कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की अपेक्षा कई अधिक है। अर्थात् यह आज की पीढ़ी के भी है जो खुद भी शिक्षा का महत्व जानते हैं।

निष्कर्ष - टोंक जिले में नमदा हस्तशिल्प उद्योग प्रायः असंगठित रूप से चल रहा है। टोंक जिले के 7 तहसीलों- टोंक, निवाई, पीपलू, देवली, उनियारा,

टोडारायसिंह, मालपुरा में से 3 तहसीलें - निवाई, मालपुरा, टोंक में यह चल रहा है। नमदा हस्तशिल्पी शिक्षित न होने की वजह से केवल हुनर के आधार पर या घर चलाने हेतु नमदे समबन्धित कार्य करता है। परिवार के सदस्यों की संख्या अधिकार होना तथा घर के अन्य सदस्यों का घर चलाने के लिए योगदान होना यह बाते उसके पारिवारिक, आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालती है। कार्य स्त्री-पुरुषों में बंटा हुआ है। अतः स्त्रियां भी घर या फैक्ट्री जाकर अपना यागदान देती है। हस्तशिल्पियों में पढ़ाई का स्तर निम्न है परन्तु उनके बच्चे अब पढ़ रहे हैं।

सुझाव - वर्तमान स्थिति में सरकारी योजनाओं का लाभ होते हुए हस्तशिल्पी खुद अपने जीवन स्तर तथा बच्चों के शैक्षणिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। परन्तु परिवार की जीविका चलाने हेतु जी तोड़ मेहनत के साथ इस विरासत को आगे चलाने के लिए उन्हें अपने बच्चों को भी इस हुनर का परिचय देना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वयं शोध के आधार पर।

तालिका- 1 उत्तरदाताओं का चयन

उत्तरदाता	टोंक तहसील							निवाई	मालपुरा	कुल
	गाँव	टोंक शहर								
	भरनी	पुरानी टोंक	रिको ई.	जयपुर रोड़	सिंधी कॉलोनी	रा.हा. बो.कॉ.	इन्द्रा कॉलोनी	शिवाजी कॉलोनी	ज्योति मार्केट	
हस्तशिल्पी	18	100	15	5	0	0	0	5	12	155
पुरुष एवं स्त्री	(2+16)	(50+50)	(10+5)	(4+1)	(0)	(0)	(0)	(2+3)	(0+12)	(68+87)

तालिका- 6 हस्तशिल्पियों की परिवार रचना परिवार आकार

क्रम	परिवार रचना	संख्या	प्रतिशत	परिवार आकार	संख्या	प्रतिशत
1	एकल	71	45.81	5 से कम सदस्य	69	44.5
2	संयुक्त	84	54.19	5-10 सदस्य	70	45.2
3	-	-	-	10 से अधिक सदस्य	16	10.3

भारत की पारंपरिक कशीदाकारी

प्रो. देवहृती खण्डाईत *

प्रस्तावना - कशीदाकारी एक ऐसी कला है जो विभिन्न प्रकार के सूती, रेशम और ऊनी वस्त्रों पर सुई धागे की सहायता से विभिन्न प्रकार से की जाती है। यह वस्त्रों पर एक प्रकार से सज्जा कार्य है, जिससे कि वस्त्रों की सुंदरता बढ़ जाती है।

भारत की सांस्कृतिक धरोहर में कढ़ाई और बुनाई का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय वस्त्रों में कढ़ाई, छपाई और बुनाई कलाएं भारतीय परम्पराओं और रीति रिवाजों के प्रभावों से विकसित और समृद्ध हुई हैं। भारत एक ऐसा देश है, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, रीति-रिवाजों और परम्पराओं के मानने वाले लोग रहते हैं। इसका सीधा प्रभाव कढ़ाई और बुनाई के शिल्पों में दिखाई देता है।

कशीदाकारी का इतिहास - भारत में कशीदाकारी की अनेकों कलाएं थी। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि हाथ से काढ़े और बुने गए वस्त्रों का उपयोग ईसा पूर्व 5000 से 2500 वर्ष की अवधि में पूर्व वैदिक और वैदिक युग में किया जाता था। पुरातत्व की खोजों से पता चला है कि सिन्धु घाटी सभ्यता की कुछ प्रतिमाएं ऐसी प्राप्त हुई हैं, जो सुन्दर कशीदाकारी एवं फुलवारी वाले सुसज्जित वस्त्र पहन हुए हैं, जिनसे इस शिल्प की श्रेष्ठता का परिचय मिल जाता है।

महत्व - भारत की प्राचीन कशीदाकारी की परम्परागत शैलियों के नमूनों का बहुत महत्व है। वर्तमान में परम्परागत शैली की कढ़ाई के वस्त्रों की मांग बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक स्तर पर नई-नई डिजाइन की कशीदाकारी के नमूनों की मांग भी देश में और विदेश में बढ़ रही है। इस प्रकार की प्रगति से भारतीय कशीदाकारी के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की जा सकती है।

भारत की पारंपरिक कशीदाकारी-

1. कश्मीर की कशीदाकारी
2. पंजाब की फुलकारी
3. लखनऊ की चिकनकारी
4. बंगाल का कांथा
5. कर्नाटक की कसूती

1. कश्मीर की कशीदाकारी - परिचय- कश्मीर के साल दुशाल और गलीचा की कशीदाकारी सारे संसार में विख्यात हैं। सुई और धागे से कश्मीर के कारगर साल, दुशाल और कालीन पर कमाल की कढ़ाई करते हैं। कश्मीर के प्राकृतिक वातावरण का वहां की कशीदाकारी के चित्रों पर बड़ा प्रभाव है। यहां की कशीदाकारी लघु उद्योग के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी होती आयी है। इस कार्य में व्यापारिक तौर पर मुख्यतः पुरुष वर्ग ही लगा हुआ है।

इतिहास - श्रीमति कमला एस डोंगरकरी के अनुसार कश्मीर में शाल उद्योग

15 शताब्दी (सन् 1423 से 1474 ई) के शासक जैन-उल-अबैदीन द्वारा शुरू कराया गया था। जब वह राजकुमार थे तो उन्हें समरकंद में पकड़ लिया गया था वहां विभिन्न कारीगर इस तरह की कशीदाकारी का कार्य करते थे। जैन-उल-अबैदीन वापस लौटे तो उन्होंने उन प्रतिभाशाली कारीगरों को कश्मीर बुलवाया और इस तरह फारस के शाल बनाने वाले कश्मीर लाए गए और इस कला को प्रोत्साहित किया गया।

अबूल फेजल की आइने अकबरी में भी कश्मीरी शालों का उल्लेख है, जिसमें लेखक ने अकबर को शाल और दोशाल की प्रशंसा करने वाला शहशाह बताया है। बादशाह अकबर ने नए प्रकार के शालों को बनवाया, इसको दुशाल कहा जाता था। दुशालें में दो शाल इस प्रकार बुने हुए होते थे कि वे एक ही लगते थे।

कश्मीरी कशीदाकारी की प्रमुख शैलियाँ-

1. **जलकदोजी** - जंजीर टाको की शैली है।
2. **सुजनी** - इस प्रकार की कशीदाकारी उत्तम प्रकार के वस्त्रों पर की जाती है। इसे तीन प्रकार के टाकों से काढ़ा जाता है।
3. **वाटचिकन** - इस तरह की कशीदाकारी काज टाँके से की जाती है।
4. **दो रूखा पद्धति** - इस तरह की कशीदाकारी दो तरफ़ी होती है। इसमें उल्टा सीधा एक समान होता है।
5. **जाली की कढ़ाई** - इस प्रकार की कशीदाकारी प्राकृतिक दृश्यों को बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है

कश्मीरी शाल के प्रकार-

1. **पश्मीना शाल** - ये कश्मीरी शालों में सबसे अच्छी किस्म की शाल होती है।
2. **दुशाल** - जोड़ों में बनाए जाने वाले शालों को दुशाला कहते हैं।
3. **दोरूखा** - इस प्रकार के शाल दोनों तरफ समान होते हैं।
4. **कसावा** - ये शाल आकार में वर्गाकार होते हैं, इन्हें एक रंग में काढ़ा जाता है।
5. **जामवार** - इनको या तो पूरी तरह ऊन अथवा सूत के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। लेकिन फूलों की डिजाइने और जरी की कढ़ाई रेशमी धागे या पश्मीने के ऊन से की जाती है।

कश्मीरी कशीदाकारी में उपयुक्त होने वाले टाँके -

1. भरवा टाका
2. डंडी टाका
3. जंजीर टाका
4. पंजाब की फुलकारी

परिचय - फुलकारी का शाब्दिक अर्थ है फूलों का शिल्प। फुलकारी में

मुख्य रूप से ज्यामितीय नमूनों का उपयोग किया जाता है।

इतिहास - इस कशीदाकारी की उत्पत्ति के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है कुछ लोगों का कहना है कि खानाबदोश गुज्जर जाति के लोग इस कशीदाकारी को मध्य एशिया से लाए थे। कुछ लोग का विचार है कि फारस के उन मुसलमान ने इस कशीदाकारी को जन्म दिया है, जो कश्मीर में बसे थे।

पंजाब में फूलकारी कढ़ाई को नववधु के वस्त्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विवाह से सम्बन्धित प्रत्येक महत्वपूर्ण रस्म के अवसर पर एक विशेष प्रकार का बाग पहना जाता है। बाग एक विशेष प्रकार का शाल होता है। विवाह के पूर्व कन्या की मां या नानी द्वारा चोप की कढ़ाई किसी शुभ मुहूर्त में प्रारम्भ की जाती है। चोप एक बड़ा शाल होता है। जो विवाह के अवसर पर वधु द्वारा ओढ़ा जाता है।

फलकारी के प्रकार -

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. चोप और सुबर | 2. धिरम |
| 3. दर्शन द्वार | 4. बावन बाग |
| 5. वरिदाबाग | 6. सूरजमुखी |
| 7. कुंडी बाग | 8. पंचरंगा |
| 9. सतरंगा | 10. मीनाकारी |
| 11. तिल पत्र | 12. नीलक |
| 13. घूघंट बाग | 14. छमास |
| 15. सेंची | 16. सालू |

फूलकारी में प्रयुक्त होने वाले टाँके - मुख्य रूप से फूलकारी में भरवा टाँका व रफू टाँका का उपयोग किया जाता है।

3 लखनऊ की चिकनकारी

परिचय - यह चिकनकारी लखनऊ की प्रमुख शैली है।

इतिहास - मुगल बादशाह जहाँगीर की पत्नी नूरजहाँ ईरान से यह कशीदाकारी सीख कर आई थी उन्होंने इसे शुरू करवाया था। दूसरी धारणा यह है कि नूरजहाँ की बांदी बिस्मिल्लाह दिल्ली से लखनऊ आई उसने हुनर का प्रदर्शन किया।

प्रसिद्ध कारिगर - उस्ताद फयाज खां और हसन मिर्जा साहिब

चिकनकारी की प्रमुख शैलियाँ - चिकनकारी में 36 प्रकार की शैलियाँ बनाई जाती हैं जिनमें कुछ इस प्रकार हैं

- 1. तैप्ची** - यह कढ़ाई सस्ते काम में प्रयुक्त की जाती है। सामान्यतः इसमें रफू टाँके प्रयुक्त किए जाते हैं।
- 2. कटाओ** - इस प्रकार की कढ़ाई कैलिको मील के समान कपड़े पर की जाती है। यह मुख्य रूप से चिकन का छापाकारी कार्य है जो उभरे हुए प्रभाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है।
- 3. बखिया** - यह कशीदाकारी की ऐसी शैली है, जो वस्त्र के ऊपर खींची हुई डिजाइन पर उल्टे भरवां टाँके से की जाती है।
- 4. मुर्ी** - यह बुनी हुई कशीदाकारी की एक शैली है। मुर्ी का तात्पर्य चावल की आकृति से है यह कशीदाकारी मलमल नामक बारीक कपड़े पर की जाती है।
- 5. फंदा** - यह चिकनकारी की एक शैली है, जो ज्वार के दाने के समान दिखाई देती है। यह भी एक उभरी हुई गांठ वाली शैली है।
- 6. जाली का काम** - जाली का काम धागे की सहायता से किया जाता है। इसमें सामान्य रूप से वस्त्र को छोटे छोटे छेदों के रूप में बना लिया जाता है। इसके बाद उन छेदों में उपयुक्त काज टाँके आदि की सहायता

से कढ़ाई की जाती है।

- | | |
|-------------------|-----------|
| 7. नेगी | 8. बिजली |
| 9. पेची | 10. बखिया |
| 4. बंगाल का कांथा | |

परिचय - बंगाल में कांथा शब्द से तात्पर्य वस्त्र या किसी प्रकार के कपड़े के टुकड़ों से है। कांथा पुरानी साड़ियाँ, धोतियों और पुराने वस्त्र के टुकड़ों को जोड़कर तह पर तह लगा कर बनाए जाते हैं।

इतिहास - कांथा का निर्माण परम्परागत रूप से प्राचीन काल से होता आया है। लेकिन इनके नमूने 18 वीं शताब्दी के ही मिलते हैं, एक प्राचीन कांथा वर्ष 1875 का मिला है।

शैलियाँ -

- 1. सरफणी** - यह रस्मों के प्रयोजनों को पूरा करने के सिलसिले में ढंकने और लपेटने के काम आते हैं।
- 2. रूमाल** - यह बारह इंच का वर्गाकार रूमाल होता है। केन्द्र में कमल की कढ़ाई होती है।
- 3. आरसीलता** - इस प्रकार के कांथा दर्पणों और कंधियों को रखने या लपेटने के काम में लाये जाते हैं। ये आयताकार होते हैं। जिनकी लम्बाई लगभग बारह इंच और चौड़ाई आठ इंच होती है।
- 4. सुजनी** - सुजनी का उपयोग धार्मिक अवसरों और त्यौहारों पर बिछाने के लिए किया जाता है। यह आयताकार छः फूट लम्बा और तीन फूट चौड़ा होता है।
- 5. दुर्जनी** - इसे थैली भी कहते हैं। यह वर्गाकार होती है। लेकिन इसे इस तरह सिला जाता है कि यह लिफाफे की तरह दिखती है।
- 6. लेप** - यह जाड़े में ओढ़ने के काम आने वाला एक मोटा कांथा है।
- 7. बेटन** - इस प्रकार के कांथा को किताबों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को लपेटने के काम में लाया जाता है। ऐसे कांथा तीन फूट के वर्गाकार होते हैं।
- 8. ओर** - इस प्रकार के कांथा आयताकार लगभग दो फूट लम्बे और डेढ़ फूट चौड़े होते हैं। सामान्यतः ऐसे कांथा तकिया के गिलाफ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।

टाँके - रनिंग टाका, जंजीर टाँके, रँफ टाका, फंदे वाला टाका, डंडी टाँके।

5. कर्नाटक की कसूती

परिचय- कर्नाटक में प्रारंभ से पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला का ज्ञान परिचित किया जाता रहा है। कसूती शब्द कन्नड़ भाषा का है जिसका अर्थ है कशीदाकारी।

इतिहास - कर्नाटक में प्रारंभ से पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला का ज्ञान प्रचलित किया जाता रहा है। फुरसत के समय दादी माताएं लड़कियां बहुएं और पडोसन सभी कसूती कार्य के लिए आंगन में बैठकर कसूती पर कलात्मक चर्चा और कार्य करती रही हैं। इस तरह से कसूती कला का कार्य गांव में आज भी देखने को मिलता है।

शैलियाँ-

गावन्ती - गावन्ती शब्द कन्नड़ भाषा का है जिसका अर्थ गांठ है।

मुर्गी - यह कढ़ाई सीढ़ीदार दिखाई देती है क्योंकि इसमें टाँके आगे पीछे होते दिखाई देते हैं।

नेगी - इसमें सामान्यतः रफू टाँके होते हैं। नेगी शब्द संभवतः कन्नड़ भाषा में यनेय शब्द से विकसित हुआ है, जिसका तात्पर्य बुनने से है।

मैथी – यह एक सामान्यतः दो सूरी टांका हैं। इस तरह की कढ़ाई आमतौर से देखने में भारी लगती हैं और इसमें अधिक मात्रा में धागा लगता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह डॉ. बृन्दा (2005) वस्त्र एवं परिधान जयपुर पंचशील प्रकाशन
2. पाटनी डॉ. मंजु (2008) वस्त्र विज्ञान, परिधान एवं विपणन
3. <https://www.craftsvilla.com>blog/famous indian embroidery styles: chikankari, zardosi and kantha.>
4. <https://books.google.co.in>books>about traditional embroidery of india-shailaja D.naik-google books.>

फैशन से संबंधित आलोचनाएं एवं टिप्पणियां

प्रो. प्रियंका येशीकर *

प्रस्तावना - आलोचनाएं- फैशन ड्रेस अशिष्ट होते हैं और नैतिक पतन का माध्यम हैं।

टिप्पणी- बेशक कुछ ऐसे डिजाइनर हैं, जो अपने फैशन ड्रेसों में अश्लीलता का सहारा लेते हैं और नैतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं कुछ ड्रेसों के द्वारा सेक्स का खुला दुरुपयोग और नारी देह का नग्न अर्द्ध नग्न प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन ऐसे फैशन ड्रेस का प्रतिशत काफी कम है, अधिकांश डिजाइनर बाजार में अपनी अच्छी साख बनाए रखने के बारे में सदैव सजग रहते हैं और इसलिए वे कभी भी मर्यादों और नैतिकता की सीमाओं को तोड़कर अपनी ड्रेसेस नहीं बेचना चाहेंगे। क्या शिष्ट हैं और क्या अशिष्ट क्या नैतिक हैं और क्या अनैतिक वास्तव में इसका निर्णय करना बहुत कठिन काम है। तेजी से बदलते नैतिक मूल्यों के इस युग में जो कल तक बुरा या अशिष्ट था, इसे अब स्वीकार्य मान लिया गया है। आज से चार दशक पूर्व किसी भारतीय महिला द्वारा जींस पहनना या बाल कटवाना अशिष्ट माना जाता था लेकिन आज ऐसा करना आम बात हो गई है और इसमें कोई बुराई नहीं दिखाई देती है।

2. आलोचना- फैशन के परिणामस्वरूप ड्रेसेस अच्छी मिलती हैं। और उपभोक्ताओं को फैशन ड्रेसेस का अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है।

टिप्पणी - यह सत्य है कि ड्रेसों पर होने वाले व्यय का भार उपभोक्ता पर ही पड़ता है। और निर्माता इस व्यय को वस्तु के उत्पादन मूल्य में जोड़ते हैं लेकिन अधिकांश मामलों में पाया गया है। कि वस्तु के कुल लागत मूल्य में ड्रेसेस व्यय का अंश लगभग नगण्य ही होता है। उनके बाद इसका भार उपभोक्ताओं को महसूस तक नहीं होता यदि निर्माता द्वारा सही ढंग से ड्रेस तैयार किया जाए तो उसके फलस्वरूप न केवल डिजाइनरों को आर्थिक लाभ पहुंचता है। वरन् उपभोक्ताओं की बेचे जाने वाले माल के अन्तिम मूल्य में भी कमी आती है।

3. आलोचना- डिजाइनर अदृश्य हमलावर हैं, जो धिराकर उपभोक्ता के मन और मस्तिष्क पर अपनी इच्छा लादते हैं और उन्हें ऐसी चीजे खरीदने के लिए उकसाते हैं, जो उसकी पहुँच से बाहर हैं।

टिप्पणी - डिजाइनर कभी भी छिपकर काम नहीं करते डिजाइनर विज्ञापन के माध्यम से कम्पनी की ड्रेसों के बारे में लोगों को अवगत कराते हैं।

निश्चय ही फैशन ड्रेसेस के विज्ञापन में उपभोग को प्रोत्साहित किया है लेकिन डिजाइनर पर यह आरोप लगाना है कि ड्रेसेस के विज्ञापन लोगों को ऐसी चीजों के लिए उकसाते हैं, जिन्हें वे हासिल नहीं कर सकते बहुत उपयुक्त नजर नहीं आता। यदि जेब खाली है तो ड्रेसों का क्या करें। इच्छा कर लेने से ही तो सब कुछ हासिल नहीं हो जाता। फैशन ड्रेसेस के हिमायते का कहना तो यह है कि ड्रेसेस के विज्ञापनों ने लोगों को शिक्षित किया है उन्हें

सुसंस्कृत बनाया है, इनकी वजह से उनके रहन-सहन और खान-पान से नवीनता, विविधता और परिष्कृति आई है। ड्रेसों या परिधान ने जीवन को रंगीन बनाया है, जिसका उद्देश्य लोगों को अधिक संतोष और तृप्ति प्रदान करता है। फैशन के अनुसार जो व्यक्ति ड्रेसेस धारण करते है, उनमें आत्मविश्वास व आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है।

4. आलोचना - फैशन ड्रेस सामाजिक बुराई को बढ़ावा देते हैं और ड्रेस उद्योग के पास समाज सुधार के लिए अपना कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है। टिप्पणी- फैशन ड्रेसेस अधिकतर सामाजिक बुराईयों को बढ़ावा देते हैं। तथा क्योंकि आजकल ड्रेसेस शार्ट होने लगी हैं तथा ये ड्रेस छोटे होती हैं। तथा शरीर के कुछ अंग दिखाने वाले होते हैं। जो अपराधों को बढ़ावा देते हैं। विज्ञापनों ने जनता को अनेक सामाजिक बुराईयों से बचता है। कुछ ड्रेसेस ने उन्हें अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया है। ऐसे ड्रेसों ने अच्छे स्वास्थ्य अच्छी बाते और अच्छी विचार शैली अपनाने की सलाह दी है।

5. आलोचना - ड्रेसों से राष्ट्रीय साधनों की बर्बादी होती है और इससे अर्थव्यवस्था को कोई खास लाभ नहीं मिलता इसलिए इस पर रोक लगाने की जरूरत है।

टिप्पणी - थोड़ी बहुत बरबादी तो हर विद्या में होती है, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, कृषि हो या सिंचाई, हरेक में कुछ न कुछ नुकसान और बरबादी जरूर होती है इसलिए वस्त्र उद्योग में थोड़ी सी बरबादी को स्वाभाविक माना गया है। ड्रेसों में थोड़ी बहुत बरबादी इसलिए होती है क्योंकि यह ड्रेस न होकर ड्रेस को आकर्षण बनाने की एक कला है, जहां अर्थव्यवस्था में वस्त्र के योगदान का प्रश्न है, उसे कोई आलोचक नकार नहीं सकता रूस और चीन अमेरिका भारत जैसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी अब परिधान या वस्त्रों के योगदान से पहचान कर ली गई है। न केवल औद्योगिक विकास के क्षेत्र में वरन् हरित क्रान्ति के क्षेत्र में भी परिधान का महत्वपूर्ण योगदान है। परिधान अर्थव्यवस्था को आधार और विस्तार प्रदान करते हैं और इसलिए इस पर किसी भी प्रकार की रोक लगाना उपयुक्त नहीं है।

फैशन बिजनेस पर प्रभाव - फैशन बिजनेस पर प्रभाव डालने वाले कारक निम्नलिखित हैं -

1. शिक्षा - शिक्षा व्यक्ति के मानसिक स्तर को उँचा उठाती है। उसके अन्दर कुछ अलग हट कर दिखने की भावना होती है। व्यक्ति फैशन के बारे में जानकारी रखता है और फैशन को अपनाता है। वह अशिक्षित व्यक्तियों से फैशन के मामले में चार कदम आगे होता है , अशिक्षित व्यक्ति फैशन का अनुसरण तो करते हैं परन्तु कुछ विलम्ब से करते हैं इस तरह शिक्षा भी फैशन बिजनेस को प्रभावित करते हैं।

2. व्यवसाय - व्यक्ति के व्यवसाय से फैशन प्रभावित होता है, अगर

व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है और आय कम है तो वह फैशन को अपनाने में सक्षम होता है जबकि उच्च स्तर का मानसिक कार्य करने वाला, अधिक आय वाले व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति को शीघ्रता से अपनाता है।

3. डिजाइन - उत्पादन वस्तु का रंग रूप डिजाइन आकार पुरानी डिजाइनों से अधिक श्रेष्ठ है। तो उसे लोग अपनाते हैं और डिजाइन में समानता होने पर उसे लोग के द्वारा पसन्द नहीं किया जाता है।

4. तकनीकी - तकनीकी विकास के साथ संचार माध्यमों का विकास होने से कोई भी अच्छी शैली को उपभोक्ता विश्व स्तर पर जान पाते हैं देख पाते हैं। फलस्वरूप उस शैली को अपना भी लेते हैं। तकनीकी विकास के अभाव में फैशन के प्रसार की गति अत्यधिक धीमी हो जाती है। जैसे- दूरदर्शन के माध्यम से पेरिस में प्रचलित परिधानों को भारतवासी, पाकिस्तानी, चीनी, रूसी व विश्व के सारे उपभोक्ता एक साथ अपना सकते हैं।

5. उद्यमी प्रतियोगिता - उत्पादकों अथवा उद्यमियों में प्रतियोगिता के कारण फैशन बिजनेस प्रभावी होता है। उत्पादक अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से एवं उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए निर्मित माल के रंग, रूप, आकार, प्रकार में परिवर्तन करके फैशन में परिवर्तन में प्रेरणा प्रदान करते हैं।

फैशन ट्रेसेस के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव -

1. सकारात्मक प्रभाव -

1. फैशन शो - फैशन शो के द्वारा डिजाइनर अपने पोशाकों को प्रदर्शित की जाती है परन्तु फिल्म, समाचार, पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा प्रचार करते हैं। साथ ही लाइव टेलिकास्ट के द्वारा आम आदमी इन डिजाइनरों की ट्रेसों को देख सकते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति वही पर ट्रेस पसंद करके ट्रेस खरीदने का ऑर्डर दे देते हैं।

2. क्रियात्मकता - फैशन डिजाइनर लोगों की इच्छा को जानकर उन्हीं के अनुसार ट्रेस तैयार करते हैं तथा वह ट्रेसों को आकर्षक व सुंदर बेचने के लिए ट्रेसों में परिवर्तन करते हैं।

3. सृजनात्मकता या नवीनता - एक लंबे समय से एक सा जीवनयापन करने से नीरसता आने लगती है। अतः व्यक्ति परिवर्तन चाहता है और नवीनता की इच्छा रखता है। परिवर्तन और नवीनता की इच्छा के कारण फैशन की उत्पत्ति होती है। मनुष्य अपने जीवन में फैशन के माध्यम सरसता लाता है।

4. डिजाइन - आज के समय में डिजाइनर ट्रेसों पर सुंदर-सुंदर नमूने व इम्ब्रायडरी करने लगे तथा कुछ डिजाइनर नीचे के लोगों के परिधान देखकर भी जो पहले के समय में पहनते वही नमूने व एम्ब्रायडर अब के परिधान में यूज किया जाने लगा है यू कह सकते हैं कि पुराने डिजाइन अब फिर से या फैशन फिर से आ गया है।

2. नकारात्मक प्रभाव -

1. युवा द्वारा पाने की कल्पना - युवा वर्ग के लड़के फंक्शन के अनुसार ट्रेसों को पहनना पसंद करते हैं तथा उसे पाने की कोशिश करते हैं।

2. महंगी - जब ट्रेसों के साथ डिजाइनरों का नाम जुड़ जाता है। तब वह ट्रेस महंगी हो जाती है। जिसके कारण वह उसे खरीदने में असमर्थ होते हैं।

3. अशिष्ट ट्रेस - कुछ डिजाइनर इस तरह के ट्रेस तैयार करते हैं। जो समाज स्वीकार नहीं करता है जो अशिष्ट व अनैतिक होता है। ये डिजाइनर ट्रेसों में अश्लीलता का सहारा लेते हैं। कुछ ट्रेसों के द्वारा सेक्स का खुला दुरुपयोग और नारी देह का नग्न व अर्द्धनग्न प्रदर्शन करते हैं।

4. अपराध - इस तरह की ट्रेस तैयार करने के कारण युवा लड़के इन्हें देखकर बलात्कार जैसी भावना जन्म लेती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह डॉ. बृन्दा (2005) वस्त्र एवं परिधान जयपुर पंचशील प्रकाशन।
2. पाटनी डॉ. मंजू (2008) वस्त्र विज्ञान, परिधान एवं विपणन।
3. Crawford M.D.C One World Of Fashion New York Fair Child Publication.
4. www.fashioncritical.com
5. www.fashiomarketing.com

राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय में उपलब्ध शैक्षिक ई-संसाधनों तक पहुंचने और उपयोग करते समय, पाठकों के सामने आने वाली समस्याओं का अध्ययन

डॉ. हेमलता ठाकुर * प्रो. शुभा व्यास **

प्रस्तावना - पुस्तकालय वह स्थान हैं, जहाँ विविध प्रकार की पुस्तकें पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, पाँडुलिपियां फिल्में नक्शे, प्रिंट, दस्तावेज ई.किताबें ऑडियो, पुस्तकों, डेटाबेस आदि का संग्रह रहता है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द लाइवर से हुई जिस का अर्थ है पुस्तक। पुस्तकालय एक सामाजिक जन संस्था है, जो निरंतर समाज कल्याण में रत रहते हुए ज्ञानी और अज्ञानी को समान रूप से ज्ञान वितरित करती है। यह एक सेवाभावी संस्था है और जन-जन की बौद्धिक क्षुधा को शान्त करने का सक्षम साधन है। पुस्तकालय और समाज को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता पुस्तकालय मानवता के विकास की आधारशिला है। किसी भी देश की संस्कृति तथा सभ्यता उसके पुस्तकालय में सुरक्षित रहती है। पुस्तकालय बौद्धिक एवं सांस्कृतिक एमानसिक आध्यात्मिक तथा व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पुस्तकालय किसी भी देश की संस्कृति आन्दोलन का प्रमुख स्रोत होता है। अतः प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में पुस्तकालय का विशेष स्थान होता है। पुस्तकालय शिक्षा व्यवस्था का एक क्रियाशील एवं महत्त्वपूर्ण अंग होता है। सदियों से सृजित ज्ञान पुस्तकालय में धीरे-धीरे संचित होता रहता है, इसलिए पुस्तकालय को संग्रहित ज्ञान का भण्डार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पुस्तकालय के निर्माण एवं विकास में समाज का अपार धन व्यय किया जाता है एवं समाज के ही सदस्यों द्वारा ज्ञान के संसाधनों एवं पुस्तकालयों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है।

समस्या का औचित्य - आज का युग इलेक्ट्रॉनिक युग है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ई-संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग हो रहा है तथा इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र और शिक्षा इससे अछूती नहीं है। किसी भी समाज और शैक्षणिक संस्था में पुस्तकालयों का महत्त्व सर्वविदित है। पुस्तकालयों के संचालन और ज्ञान के आदान-प्रदान प्रसार में इनका उपयोग हो रहा है। इस आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युग में प्रवेश करने के लिए हमें पहले से तैयार होना और इस आधुनिकीकरण की तेज रफतार में कदम से कदम मिलाकर आगे आना होगा। वरना हम इस तकनीकी युग में पिछड़ जाएँगे। इस दिशा में भारत में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। यह कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इस कार्य में पुस्तकालयों की महती भूमिका रही है। इस क्षेत्र में पूर्व में अनुसंधान कार्य हुए है। रेखा कुमारी (2011) ने सूचना और भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के विकास का अध्ययन किया और पाया कि डेटाबेस ऑनलाइन पहुँच के साथ ग्रंथ सूची का निर्माण सक्षम बनता जा रहा है। इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जा रहा है। संगीता, कौल (2010) ने डेलनेट को सुविधाजनक बनाने में भारत में तेजी से बढ़ती हुई उपयोगिता का अध्ययन किया और पाया कि

भारत में डेलनेट सुविधा का शीघ्रता से उपयोग किया जा रहा है।

परिचलनाएँ -

1. विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा ई-संसाधनों के उपयोग में सीमाओं के प्रत्यक्षीकरण में सार्थक साहचर्य नहीं पाया जाता है।
2. विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा ई-संसाधनों के उपयोग में किसी की सहायता की आवश्यकता के प्रत्यक्षीकरण में सार्थक साहचर्य नहीं पाया जाता है।
3. विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, एवं शिक्षकों द्वारा ई-संसाधनों के समय आने वाली बाधाओं के प्रत्यक्षीकरण में सार्थक साहचर्य नहीं पाया जाता है।
4. विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के ई-संसाधनों के सूचना प्राप्त करने की आवश्यकताओं की संतुष्टि के प्रत्यक्षीकरण में सार्थक साहचर्य नहीं पाया जाता है।
5. विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, एवं शिक्षकों द्वारा अध्ययन में ई-संसाधनों का उपयोग करते समय आदतों पर कुप्रभाव के प्रत्यक्षीकरण में सार्थक साहचर्य नहीं पाया जाता है।
6. विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों की विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध ई-संसाधनों की संतुष्टि के प्रत्यक्षीकरण में सार्थक साहचर्य नहीं पाया जाता है।

परिसीमाएँ -

1. केन्द्र संचालित विश्वविद्यालय (बान्दरसिकरी) अजमेर को ही लिया गया है।
2. राज्य संचालित राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को ही लिया गया है।
3. निजी विश्वविद्यालयों में वे विश्वविद्यालय है जिनकी स्थापना अवधि 5 वर्ष से अधिक है।
4. इस शोध कार्य में उपलब्ध शैक्षिक ई-संसाधनों में केवल 5 संसाधनों को ही लिया गया है। ई-डेटाबेस, ई-जर्नल, ई-पुस्तकें, ई-थीसिस एवं ई-पत्रिकाएँ।

शोध विधि - शोधार्थी ने सर्वेक्षण वर्णानात्मक विधि का उपयोग किया है। ताकि सही परिणाम प्राप्त हो सकें।

न्यादर्श प्रयुक्त शोध में शोधार्थी द्वारा स्तरिकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया गया है।

राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालय (देखें अन्तिम पृष्ठ पर)

* लाइब्रेरियन, जयपुर नेशनल, यूनिवर्सिटी, जयपुर (राज.) भारत

** जयपुर नेशनल, यूनिवर्सिटी, जयपुर (राज.) भारत

शोध के उपकरण -

1. स्वनिर्मित उपकरण - प्रश्नावली
2. सांख्यिकी - प्रस्तुत शोध कार्य में मात्रात्मक विश्लेषण किया है।
3. काई वर्ण परीक्षण विधि का प्रयोग किया है।

विश्लेषण

परिकल्पना - 1 - विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा ई-संसाधनों के उपयोग में समस्याओं के प्रत्यक्षीकरण में सार्थक साहचर्य नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या 1.1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका संख्या 1.1 विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के ई-संसाधनों के उपयोग करते समय आने वाले समस्या के साहचर्य को दर्शाती हैं। स्वतंत्रता अंश 2 का काई वर्ण तालिका मूल्य 0.01 स्तर पर 9.210 तथा गणित मूल्य 11.05 हैं। जो कि तालिका मूल्य से अधिक है। अतः उक्त परिकल्पना अस्वीकृत की जाती हैं। इसका यह तात्पर्य है कि विद्यार्थियों शोधार्थियों एवं शिक्षकों के समूहों की ई-संसाधनों से सम्बन्धित समस्याओं में साहचर्य है।

परिकल्पना - 2 - विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा ई-संसाधनों के उपयोग में सीमाओं के प्रत्यक्षीकरण में सार्थक साहचर्य नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या 1.2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका संख्या 1.2 विद्यार्थी शोधार्थी एवं शिक्षकों के ई-संसाधनों के उपयोग करने में सीमाओं को दर्शाती हैं। स्वतंत्रता अंश 8 का काई वर्ण तालिका मूल्य 0.01 स्तर पर 20.090 तथा गणित मूल्य 9.48 हैं। जो कि तालिका मूल्य से कम है अतः उक्त परिकल्पना स्वीकृत की जाती हैं। इसका यह तात्पर्य है कि विद्यार्थी, शोधार्थी एवं शिक्षकों के समूहों की ई-संसाधनों से सम्बन्धित सीमाओं में साहचर्य नहीं हैं।

परिकल्पना - 3 - विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों द्वारा ई-संसाधनों के उपयोग में किसी की सहायता की आवश्यकता के प्रत्यक्षीकरण में सार्थक साहचर्य नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या 1.3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका संख्या 1.3 विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के ई-संसाधनों तक पहुंचने में किसी की सहायता की आवश्यकता को दर्शाती हैं। स्वतंत्रता अंश 2 का काई वर्ण तालिका मूल्य 0.01 स्तर पर 9.210 तथा गणित मूल्य 6.98 है, जो कि तालिका मूल्य से कम है। अतः उक्त परिकल्पना स्वीकृत की जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के समूहों को ई-संसाधनों तक पहुंचने में किसी भी सहायता की आवश्यकता होने में साहचर्य नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या 1.4 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका संख्या 1.4 विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के ई-संसाधनों तक पहुंचने में जिस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं उसे दर्शाती हैं। स्वतंत्रता अंश 6 का काई वर्ण तालिका मूल्य 0.01 स्तर पर 16.81 तथा गणित मूल्य 36.96 है जो कि तालिका मूल्य से अधिक है अतः उक्त परिकल्पना अस्वीकृत की जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों शोधार्थियों एवं शिक्षकों के समूहों की ई-संसाधनों तक पहुंचने में आने वाली समस्याओं में परस्पर साहचर्य हैं।

परिकल्पना - 4 - विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, एवं शिक्षकों द्वारा ई-संसाधनों के उपयोग में बाधाओं के प्रत्यक्षीकरण में सार्थक

साहचर्य नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या 1.5 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका संख्या 1.5 विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के ई-संसाधनों की आवश्यकता होने पर उनके उपयोग में स्रोतों की सहायता को दर्शाती हैं। स्वतंत्रता अंश 6 का काई वर्ण तालिका मूल्य 0.01 स्तर पर 16.81 तथा गणित मूल्य 33.38 है, जो कि तालिका मूल्य से अधिक है। अतः उक्त परिकल्पना अस्वीकृत की जाती हैं। इसका तात्पर्य पर है कि विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के समूहों की ई-संसाधनों की आवश्यकता होने पर उनके उपयोग में आने स्रोतों में साहचर्य हैं।

परिकल्पना - 5 - विभिन्न विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के ई-संसाधनों के सूचना प्राप्त करने की आवश्यकताओं की संतुष्टि के प्रत्यक्षीकरण सार्थक साहचर्य नहीं पाया जाता है।

तालिका संख्या 1.6 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका संख्या 1.6 विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के ई-संसाधनों द्वारा सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता की संतुष्टि को दर्शाती हैं। स्वतंत्रता अंश 2 का काई वर्ण तालिका मूल्य 0.01 स्तर पर 9.21 गणित मूल्य 5.86 है, जो कि तालिका मूल्य से कम है अतः उक्त परिकल्पना स्वीकृत की जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विद्यार्थियों शोधार्थियों एवं शिक्षकों के समूहों की ई-संसाधनों द्वारा सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता की संतुष्टि में साहचर्य नहीं हैं।

निष्कर्ष -

- परिकल्पना एक से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के समूहों की ई-संसाधनों से संबंधित समस्याओं में सार्थक साहचर्य है।
- परिकल्पना दो से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के समूहों की ई-संसाधनों से संबंधित सीमाओं में सार्थक साहचर्य नहीं हैं।
- परिकल्पना तीन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के समूहों की ई-संसाधनों तक पहुंचने में किसी भी सहायता की आवश्यकता होने में सार्थक साहचर्य नहीं हैं।
- परिकल्पना चार से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के समूहों की ई-संसाधनों तक पहुंचने में आने वाली समस्याओं में परस्पर सार्थक साहचर्य हैं।
- परिकल्पना पांच से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के समूहों की ई-संसाधनों की आवश्यकता होने पर उनके उपयोग के समय आने वाली बाधाओं में सार्थक साहचर्य हैं।
- परिकल्पना छः से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विद्यार्थियों, शोधार्थियों एवं शिक्षकों के समूहों की ई-संसाधनों द्वारा सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता की संतुष्टि में सार्थक साहचर्य नहीं हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

- विश्वविद्यालय के प्रशासकों को पाठकों की ई-संसाधनों से सम्बन्धित समस्याओं की जानकारी मिलेगी। इनमें सुधार हेतु प्रेरित होंगे।
- कम्प्यूटर की धीरे चलने की समस्या में सुधार करेंगे।
- विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों के प्रशिक्षण हेतु योजनाओं पर विचार करेंगे इसके लिए वे अधिक कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्रशिक्षण की समय अवधि बढ़ाने पर विचार करेंगे।
- विभिन्न विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्षों को अपने पुस्तकालय

के ई-संसाधनों में वृद्धि करने के लिए प्रयत्नशील होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नितरंजन, एम. (2004). इलेक्ट्रॉनिक्स बुक मैनेजमेंट एण्ड यूज लुधियाना - के.सी. पब्लिकेशन।
2. डारेक्टरेट ऑफ लिटरेसी एण्ड कोन्टीनयूंग एजुकेशन. गावमिन्ट ऑफ राजस्थान - राजलेटरेसी ओ.आर.जी. आरचिजड, फोरमैड ऑरिजनल ऑन 23 मार्च 2012।
3. टैनोपर, कारौल एवं राजा, डोनाल्ड (2000) फारवर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल स्पेशल लाइब्रेरी एसोसियशन आर.एस.बी.एन. 0-87111-507-2।
4. राय, पारसनाथ. (2008) अनुसंधान परिचय आगरा - लक्ष्मीनारायण अग्रवाल।
5. शर्मा, आर.ए. (2005) शिक्षा अनुसंधान मेरठ - सूर्या पब्लिकेशन
6. मेलबिन, एल. आर. (1956). द चांस टू रिड पब्लिक लाइब्रेरीस ऑफ द वल्ड।
7. सिंह, शंकर (2003) सूचना प्रौद्योगिकी और पुस्तकालय नई दिल्ली, एस.एस. प्रकाशन।
8. सिंहए शंकर. (2006) इंटरनेट और आधुनिक पुस्तकालय नई दिल्ली रू पूर्वांचल प्रकाशन।
9. खन्ना, जे.के. (2008) मैनेजिंग टैक्नीकल सर्विसेज इन लाइब्रेरीस नई दिल्ली - संजय पब्लिकेशन।
10. एनी, ओकन, ई, टूवार्डस इफेक्टिव डेवलपमेन्ट ऑफ इलैक्ट्रॉनिक इनफॉर्मेशन रिसोसिस इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीस वॉल्यूम 20 (6)

राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालय

केन्द्र संचालित विश्वविद्यालय	राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय	निजी विश्वविद्यालय
1. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अजमेर (किशनगढ़)	1. राजस्थान विश्वविद्यालय - जयपुर 2. कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय- उदयपुर 3. मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय - उदयपुर 4. नेशनल लॉ विश्वविद्यालय - जोधपुर 5. आयुर्वेद विश्वविद्यालय - उदयपुर 6. तकनीकी विश्वविद्यालय - कोटा 7. खुला विश्वविद्यालय - कोटा	1. जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय 2. एमिटि विश्वविद्यालय जयपुर
1	7	2
कुल योग - 10		

तालिका संख्या 1.1

ई-संसाधनों के उपयोग में समस्या

क्र.स		हाँ	नहीं		X2	सार्थकता स्तर
1.	विद्यार्थी	174 FO (161.96)fe	207 FO (219.04)fe	381	11.05	सार्थक है
2.	शोधार्थी	38 FO (37.41)fe	50 FO (50.59)fe	88		
3.	शिक्षक	32 FO (44.63)fe	73 FO (60.37)	105		
	कुल योग	244	330	574		

तालिका संख्या 1.2
ई-संसाधनों के उपयोग में सीमाएं

क्र. स.		बहनीय दस्तावेज खुलने की समस्या	चित्रपट पर पढ़ने की समस्या	कम्प्यूटर धीरे चलने की समस्या	जानकारी नहीं होना	प्रशिक्षण की कमी होना	कुल योग	X2	सार्थकता स्तर
1.	विद्यार्थी	128 FO (125.45) fe	71 FO (69.03)fe	124 FO (129.43)fe	31 FO (27.88)fe	27 FO (29.21)fe	381	9.48	सार्थक नहीं है
2.	शोधार्थी	23 FO (28.98) fe	71 FO (15.90)fe	31 FO (29.90)fe	05 FO (6.44)fe	12 FO (6.75)fe	88		
3.	शिक्षक	38 FO (34.57) fe	16 FO (19.02)fe	40 FO (35.67)fe	06 FO (7.68)fe	05 FO (8.05)fe	105		
	कुल योग	189	104	195	42	44	574		

तालिका संख्या 1.3
ई-संसाधनों के उपयोग में सहायता की आवश्यकता

क्र.स		हाँ	नहीं		X2	सार्थकता स्तर
1.	विद्यार्थी	174 FO (161.96)fe	207 FO (219.04)fe	381	6.98	सार्थक है
2.	शोधार्थी	38 FO (37.41)fe	50 FO (50.59)fe	88		
3.	शिक्षक	32 FO (44.63)fe	73 FO (60.37)	105		
	कुल योग	244	330	574		

तालिका संख्या 1.4
ई-संसाधनों तक पहुंचने में समस्या

क्र. स.		ई संसाधनों की जानकारी न होना	कम्प्यूटर की जानकारी न होना	पुस्तकालय कर्मचारियों से सहायता प्राप्त न होना	अन्य कारण	कुल योग	X2	सार्थकता स्तर
1.	विद्यार्थी	157 FO (140.72) fe	63 FO (58.41)	51 FO (40.49)fe	110 FO (141.38)fe	381	36.96	सार्थक है
2.	शोधार्थी	25FO (32.50) fe	14 FO (13.49)fe	05 FO (9.35)fe	44 FO (32.66)fe	88		
3.	शिक्षक	30 FO (38.78) fe	11 FO (16.10)fe	05 FO (11.16)fe	59 FO (38.96)fe	105		
	कुल योग	212	88	61	213	574		

तालिका संख्या 1.5
ई-संसाधनों के उपयोग में बाधाएं

क्र.स.		पुस्तकालय वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ	पुस्तकालय कर्मचारी	आई टी कर्मचारी	अन्य स्रोत	कुल योग	X2	सार्थकता स्तर
1.	विद्यार्थी	121 FO (140.05) fe	124 FO (104.21)	46 FO (43.81)fe	90 FO (43.81)fe	381	33.38	सार्थक है
2.	शोधार्थी	36FO (32.35) fe	19 FO (24.07)fe	05 FO (10.12)fe	28 FO (21.46)fe	88		
3.	शिक्षक	54 FO (38.60) fe	14 FO (27.72)fe	15 FO (12.07)fe	22 FO (25.61)fe	105		
	कुल योग	211	157	66	140	574		

तालिका संख्या 1.6
सूचना प्राप्त करने की आवश्यकताओं की संतुष्टि

क्र.स		हाँ	नहीं		X2	सार्थकता स्तर
1.	विद्यार्थी	314 FO (311.97)fe	67 FO (69.03)fe	381	5.86	सार्थक नहीं है
2.	शोधार्थी	68 FO (72.06)fe	20 FO (15.94)fe	88		
3.	शिक्षक	88 FO (85.98)fe	17 FO (19.02)fe	105		
	कुल योग	470	104	574		

पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन एवं परीक्षण

किरण पवार * डॉ. साधना देवेश वर्मा **

प्रस्तावना – स्नातक तथा अधिस्नातक स्तर पर पर्यावरण की विषयवस्तु का तथ्यात्मक विश्लेषण देश की वास्तविक स्थिति, लोगों का पर्यावरण के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और उनसे होने वाली सम्भावित हानियाँ वन और वन्य जीवों का संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा में संरक्षण में योगदान पर्यावरणीय प्रबन्ध, विभिन्न स्तर पर व्यक्तियों के उत्तरदायित्व के बारे में विद्यार्थियों को ज्ञान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दिया जा सकता है। पर्यावरण की कोई अच्छी पुस्तक जिसमें अच्छी सामग्री का संग्रह हो उच्च शिक्षा के स्तर पर विशेष प्रश्न पत्र के संदर्भ में अभिशांसित की जा सकती है।

अधिस्नातक स्तर के साथ व्यावसायिक कोर्सेज में पर्यावरण को सन्दर्भ सामग्री के रूप में जोड़ देना चाहिए क्योंकि पाठ्यक्रमों के समाप्त हो जाने के बाद विद्यार्थियों को अपने जीवन में व्यावहारिक पक्ष से जुड़ने का ज्ञान है कि नहीं यह जाँचना आवश्यक होता है। इंजीनियर्स के लिए हवादार मकानों का निर्माण प्रदूषण को रोकने के लिए यन्त्र सही ड्रेनेज सिस्टम उद्योग संस्थानों में पर्यावरण स्तर को बनाए रखने के लिए योग्यता आवश्यक है जिसका मूल्यांकन निष्पक्ष होना चाहिए। उद्योग मालिक, कर्मचारी उनके परिवार सारे डॉक्टर वकील प्रशासनिक अधिकारिक न्यायाधीश सभी में पर्यावरण की बुनियादी सुरक्षा आवश्यकताओं का ज्ञान है, इसका मूल्यांकन अनिवार्यतः होना चाहिए। सर्विस वालों को 'सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों' में पर्यावरण शिक्षा का संज्ञान देना चाहिए तथा मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए।

उच्च शिक्षा के अन्तर्गत पर्यावरणीय शिक्षा के पाठ्यक्रम को कसौटी पर खरा मानने हेतु बी.सी.दास ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें सुझाई हैं :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. स्थानीय स्थितियों के अनुकूल | Appropriateness |
| 2. शिक्षार्थी के लिए आकर्षिक | Attractiveness |
| 3. उपयोग की सहजता | Affordability |
| 4. उपलब्धता | Availability |

समूचे देश के सभी स्तर के लोगों के लिए विविध रूप से 'पर्यावरण शिक्षा' वास्तविक जन चेतना ला सकती है, इसके अध्ययन से सुपरिणाम प्राप्त होंगे इसे सिद्ध करने का कार्य सही मूल्यांकन द्वारा ही सम्भव है, जो कि पाठ्यक्रम की पाठ्यवस्तु की सुग्राह्यता की जाँच उच्च स्तर की शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से परीक्षा द्वारा साबित होता है। एक अच्छा सूचना संग्रहीत, संतुलित, सबकी रूचि का और पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला पाठ्यक्रम उचित मूल्यांकन व परीक्षण से गुजरकर 'पर्यावरण शिक्षा' को एक सफल कार्यक्रम के रूप में संचालित करता है।

पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व, आवश्यकता –

पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ने अथवा उत्पन्न होने से रोकने के लिए 'पर्यावरण शिक्षा' ही एकमात्र सुझाव प्रस्तावित है। पर्यावरण शिक्षा का देश के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध होना आवश्यक हो गया है, यह शिक्षा जिस प्रकार देने का प्रयास हो रहा है उसका सामयिक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे नागरिक, देश और विश्व का भविष्य जुड़ा हुआ है। महत्व को निम्नलिखित बिन्दु समेकित करते हैं –

1. जनसाधारण में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता को महसूस करवाने के लिए।
2. मूल्यांकन के उद्देश्यों की सार्थकता जाँचने के लिए।
3. पर्यावरण ह्रास की वास्तविक स्थिति से जन साधारण को अवगत करवाने के लिए।
4. पर्यावरण शिक्षा में प्रयुक्त विभिन्न कार्यक्रमों की उपादेशता – जानने के लिए।
5. लोगों को अच्छे जीवन की संकल्पना हेतु मानस बनाने के लिए।
6. प्राकृतिक असन्तुलन के लिए जिम्मेदार विभिन्न घटकों की भागीदारी जानने के लिए।
7. पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों को स्वीकार करने के लिए।
8. वैज्ञानिक और अन्य राष्ट्र स्तरीय नीति निर्धारकों द्वारा भावी योजनाएँ बनाने के लिए।
9. भविष्य के लिए राष्ट्र स्तर पर पर्यावरणीय योजना बनाने के लिए।
10. पर्यावरण के सन्दर्भ में विश्व के अनेक देशों से वैचारिक आदान-प्रदान करने के लिए।


पर्यावरणीय उच्च शिक्षा में मूल्यांकन व परीक्षण की आवश्यकता –

1. इससे पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता जानी जा सकती है।
2. लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के स्तर का पता चल सकता है।
3. पर्यावरण शिक्षा द्वारा लोगों में व्यक्तिगत आचरणों के परिवर्तन को मापा जा सकता है।
4. विभिन्न स्तरों के लिए निर्मित पर्यावरणीय पाठ्यक्रम की विश्वसनीयता और वैधता को जाँचा जा सकता है।
5. यह पर्यावरण शिक्षा के लिए संदर्भ व्यक्ति के चयन में सहायक हो सकता है।
6. पर्यावरण शिक्षा के विविध कार्यक्रमों की वस्तुनिष्ठ तुलना कर सकता है।

* शोधार्थी, मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत

** प्रोफेसर, मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत

7. पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की सही जानकारी मिल सकती है।
 8. लोगों में अच्छी आदतों के निर्माण में प्रेरक है।
 9. यह राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरणीय समस्याओं में व्यक्तिगत भागीदारी की भावना को जगा सकता है।
 10. यह पर्यावरण सुधार की महत्ता को प्रतिपादित करता है।
- उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम ——— उच्च शिक्षा के उद्देश्य



‘पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन का कार्य यह जाँचना है कि पर्यावरण शिक्षा के निम्न उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं या नहीं—

1. **जागरूकता Awareness-** पर्यावरण शिक्षा सम्पूर्ण पर्यावरण और उससे सम्बन्धित समस्याओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता जगाने में सहायक है कि नहीं ?
2. **ज्ञान Knowledge -** सम्पूर्ण पर्यावरण और उससे सम्बन्धित समस्याओं के प्रति आधारभूत समझ प्राप्त करने तथा उसमें इन्सान की जिम्मेदारी की भूमिका निभाने में सहायक है कि नहीं ?
3. **अभिवृत्ति Attitude -** पर्यावरण के लिए गहरी चिंता करने, सामाजिक दायित्व निभाने सुरक्षा और सुधार लाने के लिए किए जा रहे कार्यों में प्रेरित करने में सहायक है कि नहीं ?
4. **कौशल Skills -** पर्यावरणीय समस्याओं के हल खोजने के कार्य करने में सहायक है कि नहीं ?
5. **मूल्यांकन कुशलता Evaluation ability -** पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय उच्च शिक्षा के शैक्षिक कार्यक्रमों को पारिस्थितिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सौन्दर्यपरक और शैक्षिक घटकों के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने में सहायक है कि नहीं ?
6. **सहभागिता Participation -** पर्यावरणीय समस्याओं के उचित हल निकालने की आप्त्वस्ति के प्रति महत्ता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने सहायक है कि नहीं ?

पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के सिद्धान्त -

1. यहाँ मूल्यांकन का उद्देश्य ‘उत्तीर्ण’ अथवा ‘अनुत्तीर्ण’ अंकित करना नहीं है बल्कि यह जानना है कि अमुक व्यक्ति ने पर्यावरण के बारे में कितनी जानकारी की है ?
2. प्रत्येक कार्यक्रम तथा प्रत्येक व्यक्ति अथवा वर्ग समूह के लिए मूल्यांकन विधियाँ और उपकरण भिन्न भिन्न हो सकते हैं।
3. मूल्यांकनकर्ता योग्य और प्रशिक्षित तथा पर्यावरण के क्षेत्र की जानकारी रखने वाला होना चाहिए।
4. सम्भव है कि एक व्यक्ति अथवा एक वर्ग समूह को कई मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग करना पड़े तब उन उपकरणों से प्राप्त परिणामों को मिलाकर ही सप्रग मूल्यांकन मान्य होगा।
5. मूल्यांकन के लिए मानक उपकरणों का ही उपयोग करना चाहिए लेकिन यदि उपकरण अध्यापक अथवा विशेषज्ञ द्वारा निर्मित हो तो उनकी विश्वसनीयता और वेधता आँकने के बाद ही उन्हें काम में लेना चाहिए।
6. मूल्यांकन का उपयोग यहाँ दिशा निर्देशन से है, अन्तिम प्राप्त परिणाम से नहीं।

7. मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। अतः वह समय के अन्तराल से बदल सकती है।
8. मूल्यांकन गुणवत्ता आधारित है इसलिए किसी समान गुण के विद्यमान होने पर भी दो व्यक्तियों के मूल्यांकन के स्तर में अंतर आ सकता है।
9. मूल्यांकन के उपकरणों में वस्तुनिष्ठता से परखने का गुण होना चाहिए।
10. उद्देश्य निष्ठ मूल्यांकन के कारण उपकरणों का चयन बहुत सौच-समझकर करना चाहिए।

मूल्यांकन का क्षेत्र उतना ही व्यापक है, जितना पर्यावरण शिक्षा का। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों की उपलब्धि जानना ही नहीं वरन् पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों में सुधारात्मक परिवर्तन लाना भी है। मूल्यांकन कभी भी स्थिर नहीं होता। इसकी प्रकृति भत्यात्मक है। मूल्यांकन की विधियों तथा सामग्री में व्यक्ति की तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन आते ही रहते हैं क्योंकि शिक्षा वृद्धि व विकास की प्रक्रिया है, जिसके उद्देश्य समय समय पर बदलते रहते हैं - इसलिए यह आवश्यक है कि मूल्यांकन तकनीकी भी परिवर्तित हो। अतः मूल्यांकन का उद्देश्य सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार लाना है। इसके क्षेत्र में व्यापकता निम्नलिखित है — 1. मूल्यांकन, उद्देश्यों की उपयुक्तता को जाँचता है तथा उनमें परिवर्तन में सहायक होता है। 2. शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता को जाँचने में सहायक होता है। 3. विषय वस्तु की मनोवैज्ञानिकता न तार्किकता को जानने में सहायक होता है। 4. बालक के सर्वाधिक विकास को जाँचने में बालक की विशेष क्षेत्र में भविष्यग्रामी उपलब्धियों की घोषणा करने में निदान करने में शिक्षक छात्रों को निर्देशन देने में सहायक होता है। 5. मूल्यांकन के उपकरण व तकनीकियों में सुधार करने में सहायक होता है।

अतः मूल्यांकन केवल ज्ञान की जाँच ही नहीं करता बल्कि बालक के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों की जाँच भी करता है। उद्देश्यों विधियों पाठ्यक्रम।

मूल्यांकन के उपकरणों के तकनीकियों की कमियों को खोजने के लिए।

पर्यावरणीय शिक्षा में मूल्यांकन की विधाएँ व्यावहारिक आवृत्तियों चेकलिस्ट रेटिंग स्केल आदि का मूल्यांकन में प्रयोग मूल्यांकन सभी विषयों के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य प्रक्रिया है। सामाजिक अध्ययन पर्यावरणीय शिक्षा में इसका और ही महत्त्व है अध्यापक को यह जान लेना आवश्यक है कि मूल्यांकन के अन्तर्गत मापन परीक्षा या जाँच से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। मूल्यांकन इन सबके परिणामों की समीक्षा प्रस्तुत करता है। पर्यावरणीय अध्ययन के संदर्भ में मूल्यांकन की प्रमुख विधाएँ निम्नलिखित हैं -

1. **निरीक्षण -** सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के माध्यम से बालक में सामाजिक व्यवहार प्रतिमाओं के विकास की दृष्टि से अध्यापनकर्ता कुछ देखना चाहता है। यही निरीक्षण अवलोकन विधि है। अवलोकन के माध्यम से मूल्यांकनकर्ता बालक में विकसित रुचियों अभिवृत्तियों क्षमताओं तथा कौशलों को उनके सही स्वरूप में देख सकता है और अपने बालकों की उपलब्धि का सही मूल्यांकन कर सकता है। कुछ विचारक अवलोकन में अधिक व्यक्ति निष्ठता पाते हैं, इस कारण बालकों की उपलब्धिता का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता। निरीक्षण को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए चेकलिस्ट का प्रयोग करना उपयुक्त है। निरीक्षण दो प्रकार का होता है - आत्मनिरीक्षण, बाह्य निरीक्षण आत्म निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता स्वयं के

मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। बाह्य निरीक्षण में दूसरे के व्यवहार रूचियों, दक्षताओं अभिवृत्तियों आदि का निरीक्षण होता है।

2. चेकलिस्ट - यह बालक द्वारा प्रदर्शित अपेक्षित व्यवहार अथवा क्रियाओं की क्रमबद्ध सूची होती है, जिसमें बालक के व्यवहार - अथवा क्रियाओं के आधार पर मूल्यांकनकर्ता को प्रत्येक बिन्दू के समक्ष बालक के व्यवहार और क्रियाओं के उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त होने पर हाँ या नहीं अंकित करना होता है। इसके माध्यम से मूल्यांकन में क्रमबद्धता और निश्चयात्मकता आती है। पर्यावरण अध्ययन की दृष्टि से चेकलिस्ट में अंकित - चिन्हों के आधार पर सामाजिक व्यवहार विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है।

3. प्रश्नावली - विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि और व्यवहारगत विकास सम्बन्धी मूल्यांकन के लिए प्रश्नावली का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्नावली से जिस पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है उससे सम्बन्धित अपेक्षाओं पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सूची होती है। पर्यावरण शिक्षा की दृष्टि से उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं से लेकर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों से सम्बद्ध सामाजिक व्यवहार सम्बन्धी अपेक्षाओं के मापन और मूल्यांकन में इस विधा का बड़ी सरलता और उपयोगिता से उपयोग सम्भव है।

4. साक्षात्कार विधि - साक्षात्कार व्यक्ति के ज्ञान एवं व्यवहार के सही मूल्यांकन की एक प्रभावी विधा है। इसमें जिस बालक/ व्यक्ति का जिस क्षेत्र से सम्बन्धित उपलब्धियों का पता लगाना होता है, उससे सम्बन्धित कतिपय प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके ज्ञान क्षमता और व्यवहार की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अनुसार उसके प्रदर्शन प्रस्तुति से उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है। सा.अ. में सामाजिक व्यवहार सम्बन्धि अपेक्षाओं से सम्बद्ध बालकों की रूचियों और प्रवृत्तियों के विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए भली प्रकार उपयोग किया जा सकता है। यह विधा सामान्यतया उच्च स्तरीय कक्षाओं के शिक्षार्थियों की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है।

5. एनसीडॉटल रिकार्ड्स - छात्र की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख व घटनाओं के आधार पर व्यवहार की संस्तुति लिख दी जाती है। यह बालकों के सामाजिक भावनात्मक कौशलीय एवं मानसिक विकास एवं व्यवहार परिवर्तन का क्रमिक और तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं। अनवरत अभिलेख रखने की प्रक्रिया बालकों के अवांछित व्यवहार को उचित दिशा निर्देश देने में बड़ा सहयोग देती है।

7. संचित अभिलेख - यह विधा बालकों के क्रमिक विकास सम्बन्धी तथ्यपरक जानकारी देने वाली विधा है। संचित अभिलेख बालकों की दैनन्दिन क्रिया प्रक्रिया में प्रकट होने वाली अभिवृत्तियों रूचियों व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का निरीक्षण के आधार पर लिखित रूप में किया गया / रखा गया संक्षिप्त लेखा जोखा है। ऐसा आलेख रखने के लिए अपेक्षानुरूप निश्चित सूचनाओं को स्पष्ट करने वाले प्रपत्र तैयार करवाने आवश्यक होता है जिनमें शिक्षार्थी की प्रगति उपलब्धि एवं व्यवहारगत विकास सम्बन्धी बातों का मासिक अथवा सामयिक अंकन किया जाता है। इन अभिलेखों के माध्यम से बालक की संज्ञान मूलक क्रियावृत्ति के साथ साथ उसके भावात्मक सामाजिक एवं कौशलीय विकास का क्रमिक ब्यौरा रखते हुए यह पता लगाया जा सकता है कि पर्यावरणीय अध्ययन की दृष्टि से निर्धारित उद्देश्यों एवं प्रयोजनों की सम्पूर्ति के सन्दर्भ में बालक में किस प्रकार के व्यवहारगत परिवर्तन उद्यारित हुए हैं और किन किन बातों में पीछे

रहे हैं।

8. सर्वेक्षण -

2. परिमाणायत्मक पद्धतियाँ - इसके अन्तर्गत मौखिक प्रयोगात्मक तथा लिखित परीक्षाएँ आती हैं। लिखित परीक्षाओं के भी दो रूप हैं - वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ एवं निबन्धात्मक परीक्षाएँ। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के मूल्यांकन को भी कई भागों में विभक्त किया गया है - प्रमाणित या मानक परीक्षा - **Standard test** अध्यापक निर्मित परीक्षा **Teacher made test** मौखिक **Oral test** परीक्षा या जाँच शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन की सामान्यता प्रचलित एवं बहुप्रयुक्त विधा है। इस संदर्भ में मौखिक जाँच या मौखिक परीक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान है इसके द्वारा शिक्षार्थियों की विषय वस्तु ज्ञान से संबंधित उपलब्धियों के मूल्यांकन में प्रयुक्त हो - सकने वाली विधा है इसके माध्यम से ज्ञानार्जनकर्ता की विशिष्ट विषय वस्तु और उनके किसी अंश के बारे में वास्तविक जानकारी का स्पष्ट पता चलता है। पर्यावरण अध्ययन- अध्ययन विषयों हेतु-कक्षाओं में शिक्षार्थियों के विषयवस्तु ज्ञान सम्बन्धी उपलब्धियों के मूल्यांकन में इस विधा का अच्छी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। इसमें समय अधिक लगता है। **Written examination** लिखित परीक्षा बहुप्रयुक्त विधा के माध्यम से भी शिक्षार्थी को विषयगत ज्ञान मानसिक दृष्टिकोण अभिवृत्ति आदतों का मूल्यांकन सम्भव है। इसका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना नितान्त आवश्यक है कि जाँच के लिए जो प्रश्न अथवा प्रश्नपत्र निर्धारित किए जाएँ वे बड़े अच्छे ढंग से बनाए गए हो तथा शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित हो इसमें व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव अधिक रहता है और इस दोष को दूर करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का प्रयोग किया जाने लगा है।

मुख्यतः प्रश्नों की चार प्रकार की शैलियाँ होती हैं -

- 1 रिक्तस्थान पूर्ति - **Completion test**
- 2 सत्यासत्य विवेचन - **True False Interpretation**
- 3 बहुसंख्य विवेचनात्मक प्रश्न - **Multiple Quality**

Interpretation Questions

4 समन्वयात्मक या मिलान प्रश्न - **Matching items Question** वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के गुण हैं - वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता, विभेदीकरण, रटने की समाप्ति, मूल्यांकन में सुविधाजनक, छात्रों को संतोष, समय की बचत, उपयोगिता

निबन्धात्मक परीक्षाएँ -

1 समाजनीति या सामाजिकता मापन विधि - यह शिक्षार्थियों के सामाजिक, सामुदायिक, जनतांत्रिक व्यवहार विकास व कौशल सम्बन्धी विकास की एक सर्वोत्तम विधा है। इसके माध्यम से बालक के ज्ञानोपयोग, कौशल तथा अन्य क्षमताओं की जानकारी हो सकती है। राष्ट्रीय पर्वों, उत्सवों, सामाजिक एवं सामुदायिक कार्यक्रमों तथा इसी प्रकार की अन्य प्रवृत्तियों आदि को जाँचने के लिए विविध दृष्टियों से मूल्यांकन हेतु आयोजन किए जाते हैं।

सामाजिक, सामुदायिक, जनतांत्रिक व्यवहार विकास की उपलब्धि जाने के लिए हमारे विद्यालयों में इस प्रकार के मूल्यांकन की रीतिनीति विद्यमान नहीं है फिर भी शिक्षक को इनके प्रयोग तथा उपयोग के प्रति सतर्क एवं सचेत होना चाहिए। इनके माध्यम से परस्पर मिलकर काम करने की बालकों की प्रवृत्ति, स्वयं उत्तरदायित्व वहन करने की वृत्ति तथा सेवाभाव और कई प्रकार के कौषलों या दक्षताओं का प्रभावी रूप में मूल्यांकन संभव है। इसके अतिरिक्त शिक्षार्थियों के मूल्यांकन हेतु 'सर्वेक्षण' एवं 'केस स्टडी'

आदि विधाओं का भी प्रयोग किन्हीं विषिष्ट परिस्थितियों में किया जा सकता है।

मनोवैज्ञानिक परीक्षण -

- 1 निष्पत्ति परीक्षण
- 2 अभिरूचि परीक्षण
- 3 बुद्धि परीक्षण
- 4 रूचि सूची
- 5 व्यक्तित्व मापन

प्रश्नपत्र के निर्माण में निम्नलिखित क्रम का अनुसरण करना होता है -

- 1 नमूने की तैयारी
- 2 ब्ल्यू प्रिंट की तैयारी
- 3 प्रश्न बनाना
- 4 प्रश्न पत्र सम्पादन
- 5 अंक तालिका
- 6 प्रश्नों के क्रम से अंक प्रणाली
- 7 प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना

वर्गीकरण -

निदानात्मक मूल्यांकन Diagnostic Evaluation - निदानात्मक मूल्यांकन सामान्यतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के आरम्भ में किया जाता है जिसके द्वारा छात्र की व्यक्तिगत कमजोरियों तथा कक्षा स्तर की कमियों को जाना जाता है। नैदानिक मूल्यांकन पर्यावरण के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में सहायक होता है। नैदानिक मूल्यांकन से बालक की क्षमताओं, योग्यताओं के आधार पर ज्ञान, कौशल व योग्यताओं के विकास में आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम व विषय वस्तु को निश्चित किया जा सकता है।

विकासात्मक मूल्यांकन - विकासात्मक मूल्यांकन शिक्षक को यह जानने में सहायक होता है कि कार्य की प्रगति कैसी है ? कार्यक्रम में प्रयुक्त विधियाँ उपयुक्त हैं या नहीं ? छात्र अनुदेशन तथा निर्देशनों को समझ पाए हैं या नहीं ? बालकों के प्रवेशित व्यवहार के सम्बन्ध में बनाई गई धारणाएँ वैध हैं या नहीं ? इन सभी प्रश्नों के उत्तर विकासात्मक मूल्यांकन से प्राप्त होते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को सुधारने में सहायक होते हैं। नैदानिक मूल्यांकन शिक्षक व छात्रों को पृष्ठपोषण देने में बहुत उपयोगी होता है। क्योंकि इसके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विकासीय पदों का ज्ञान होता जाता है जिससे शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है।

समग्रतात्मक मूल्यांकन Summative Evaluation - समग्रतात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम के अंतिम परिणाम के प्रति निर्णय लेने में सहायक होता है। कार्यक्रम के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन ही समग्रतात्मक मूल्यांकन कहलाता है, जो सम्पूर्ण कार्यक्रम की सफलता-असफलता को अंत में प्रस्तुत करता है। इस मूल्यांकन की सहायत से शिक्षक-छात्र का सफलता और असफलता की बारीकी से जांच कर सकता है तथा वर्ष भर के सम्पूर्ण कार्यक्रम की प्रभाविकता को ज्ञात किया जा सकता है।

औपचारिक मूल्यांकन Formal Evaluation - अनौपचारिक मूल्यांकन औपचारिक की अपेक्षा लचीला होता है और नियमों व प्रतिबन्धनों से मुक्त होता है जिसके कारण शिक्षक तथा छात्र तनावमुक्त रहते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन कक्षागत परिस्थितियों में तथा विभिन्न कौशलों के विकास में

प्रायोगिक क्रियाकलापों में छात्र की गतिविधियों को जाँचने में अधिक उपयोगी होता है परन्तु इसकी विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता की कसौटी पर परखी नहीं जा सकती तथापि पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि इसे विविध परिस्थितियों में बिना किसी बंधन के अपनाया जा सकता है।

नियोजनात्मक मूल्यांकन Placement Evaluation - पर्यावरणीय शिक्षा की सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से नियोजन में सहायता करना विद्यालयों का कर्तव्य है, नियोजन मूल्यांकन एक प्रकार की सेवा है जो व्यक्ति को किसी कृत्य एवं व्यवसाय को प्राप्त करने के उद्देश्य को पूरा करने का प्रक्रम या साधन है। व्यक्ति की सबसे अधिक उपयुक्त व्यवसाय में समायोजित करना एवं उसके अल्याण का कार्य करना नियोजन सेवा का लक्ष्य है। इसके दो प्रकार हैं -

शैक्षिक नियोजन तथा कृत्य नियोजन Job Placement Educational Placement -

अनुवर्ती मूल्यांकन - अनुवर्ती मूल्यांकन निर्देशन कार्यक्रम का एक अंग है। अनुवर्ती मूल्यांकन में उपबोधय या छात्र को अपनी प्रगति की गति एवं प्रगति के स्वरूप को जानने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि सीखने वाले ने किस क्षेत्र में सामंजस्य प्राप्त कर लिया है तथा किस क्षेत्र में अभी निर्देशन परामर्श की आवश्यकता है। अनुवर्ती मूल्यांकन परामर्श और निर्देशन कार्यक्रम की सफलता के मूल्यांकन की एक विधि है क्योंकि अनुवर्ती मूल्यांकन छात्रों के शैक्षिक, व्यावसायिक एवं वैयक्तिक क्षेत्रों में सामंजस्य की मात्रा तथा गति का पता लगाने में सहायक है अनुवर्ती मूल्यांकन छात्रों को उत्साहित करता है। उनके कार्यक्षेत्रों में बेहतर समायोजन में सहयोग देता है, विद्यार्थी की कमियों को दूर करने के लिए।

उपचारात्मक मूल्यांकन Remedial Evaluation - यह नैदानिक मूल्यांकन को पूर्ण करने की प्रक्रिया है। क्षेत्र की कमियों व कमजोरियों का पता लगाना ही मूल्यांकन को पूर्ण नहीं कर देता क्योंकि इससे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बैस नरेन्द्रसिंह / सुनीता भार्गव/ संजयदत्त/पर्यावरण शिक्षा/ जैन प्रकाशन मन्दिर /जयपुर / सन 2006/ ISBN -81-87449-52-7/
2. सिंह भोपाल/ पर्यावरण अध्ययन/ इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस/ मेरठ / सन 2005/
3. सिंह रामपाल सेवानी अशोक अग्रवाल वी पी पर्यावरणीय मनोविज्ञान/ विनोद पुस्तक मंदिर/ आगरा/ सन 2006 ISBN-81-7457-344-5
4. शर्मा बी एल माहेश्वरी, बी के / मूल्य पर्यावरण और मानव अधिकार की शिक्षा/सूर्या पब्लिकेशन/मेरठ सन 2005
5. बैस, नरेन्द्रसिंह/पर्यावरण शिक्षा जैन प्रकाशन मन्दिर जयपुर/सन् 2006 / ISBN 81-87449-52-7/पृष्ठ 906
6. सिंह रामपाल / पर्यावरणीय मनोविज्ञान/विनोद पुस्तक मंदिर/ आगरा/ सन 2006 ISBN - 7457-344-5 पृष्ठ 170
7. सिंह, रामपाल/ पर्यावरणीय मनोविज्ञान/विनोद पुस्तक मंदिर आगरा सन 2006/ ISBN - 81- 7457-344-5 /पृष्ठ 172-173

खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के प्रति जागरूकता का अध्ययन (मध्यमवर्गीय परिवारों के संदर्भ में)

डॉ. नीता मिश्रा *

शोध सारांश – मानव शरीर एक यंत्र है, इसके सही संचालन के लिए बेहतर एवं पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन जिस स्तर का होता है। शरीर भी उसी प्रकार कार्य करती है, अतः यह आवश्यक है कि हम पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन ग्रहण करें। हमें अपनी खाद्य सामग्री के प्रति जागरूक रहना चाहिए। वर्तमान समय में प्रत्येक खाद्य सामग्री में गुणवत्ता की कमी आँकी गई है। सभी सामग्रियों में मिलावट की जाती है, रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाजार में बिकने वाली अनेक प्रकार की वस्तुएँ जो बहुत ही सुंदर ढंग से पैक की जाती हैं, वह बाहर से भी दिखने में आकर्षक लगती हैं। किंतु इन पदार्थों में गुणवत्ता कम होती है। खाद्य सामग्री में प्रदूषित जल का उपयोग किया जाता है एवं समाप्ति तिथि को बदल दिया जाता है।

शब्द कुंजी – गुणवत्ता, पौष्टिक, प्रदूषित, रासायनिक, कोलतार, दुष्प्रभाव, अम्लीय, क्षारीय, व्याधियाँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम।

प्रस्तावना – आज जनसामान्य के बीच एक आम धारणा बनती जा रही है कि बाजार में मिलने वाली हर चीज में कुछ न कुछ मिलावट अवश्य है, जन सामान्य की चिन्ता स्वाभाविक भी है। आज मिलावट का कहर सबसे ज्यादा हमारी रोजमर्रा की जरूरत के चीजों पर ही पड़ रहा है एक अनुमान के अनुसार बाजार में उपलब्ध लगभग 30 से 40 प्रतिशत सामान में मिलावट होती है।

किसी भी खाद्य पदार्थ में कोई रासायनिक या बाहरी अन्य चीज मिलाने से उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है तो उस खाद्य पदार्थ को मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ कहा जाता है।

मिलावट जब खाद्य सामग्री पर किया जाता है तब व्यक्ति का स्वास्थ्य इससे अत्यधिक प्रभावित होता है। जिन खाद्य सामग्री का निर्माण घर पर किया जाता है, उस पर भी पूर्ण शुद्धता नहीं पायी जाती है कारण यह है कि जिस सामग्री का हम भोजन निर्माण में उपयोग करते हैं वह बाजार से ही हमें मिलावट किया हुआ प्राप्त होता है। छोटे बड़े अनेक खाद्य व्यवसायी अधिक लाभ के लोभवश में नाना प्रकार की युक्ति से घटिया वस्तुओं को अच्छा बता कर ऊँचे दाम पर बेचने का प्रयास करते हैं। मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ उपयोग करने से शरीर में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होने की आशंका बढ़ जाती है।

फलों और सब्जियों को आकर्षक बनाने के लिए रंगीन हरी भरी एवं चमकदार बना दिया जाता है इसके लिए फलों एवं सब्जियों पर ऊपर से कलर डाला जाता है। फलों को जल्दी पकाने के लिए वेस्टी साइटस का इस्तेमाल, सब्जियों को जल्दी उगाने तथा बढ़ाने के लिए विभिन्न घातक रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिसका दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है।

उद्देश्य – खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

न्यादर्श – दुर्ग नगर से 400 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है, जो मध्यमवर्गीय परिवार के अंतर्गत आते हैं।

आँकड़ों का संकलन – प्रस्तुत शोध पत्र प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित है।

मिलावटी खाद्य सामग्री का उपयोग – खाद्य सामग्री में मिलावट अर्से से

हो रही है। सेहत पर इसका सीधा असर पड़ता है मिलावटी खाद्यानों के कारण हर वर्ष लाखों लोग विकलांग और शारीरिक रूप से विकृत हो जाते हैं मिलावट का जो समय चल रहा है। उसे पूर्ण रूप से समाप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है, किन्तु सावधानी रख कर यदि कार्य किया जाए तो काफी सीमा तक मिलावट से बचा जा सकता है।

काली मिर्च में पपीते के बीज, धनिया पाउडर में लकड़ी का बुरादा, लाल मिर्च में लकड़ी का चूरा, चाय की पत्तियों में इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती, घी बनाने के लिए घटिया दर्जे की वनस्पति जानवरों की चर्बी तथा खुशबू के लिए देशी घी के सुगंध का इस्तेमाल किया जाता है।

इस संदर्भ में उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकड़ों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है –

तालिका क्रमांक 1

खाद्य सामग्री में मिलावट

क्र.	खाद्य सामग्री में मिलावट	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हाँ	306	76.5
2	नहीं	94	23.5
	योग	400	100

निष्कर्ष यह निकलता है कि खाद्य सामग्री में मिलावटी पदार्थों का सेवन करने वालों की संख्या अधिक है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज के समय में प्रायः सभी चीजों पर मिलावट किया जाता है व्यक्ति जानते हुए भी मिलावटी सामग्री का उपभोग करता है। लिए गए 400 परिवारों में 306 परिवार यह स्वीकार करते हैं कि खाद्य सामग्री में मिलावट हुआ है। जो कि 76.5 प्रतिशत है वही 94 परिवारों ने यह स्पष्ट किया है कि वह मिलावटी खाद्य पदार्थ का उपयोग नहीं करते हैं। जो 23.5 प्रतिशत है। अतः उन परिवारों की संख्या अधिक है जो यह मानते हैं कि वह मिलावटी खाद्य पदार्थों का उपयोग करते हैं।

रंग युक्त भोजन का उपयोग – खाद्य पदार्थों में रंगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अनेक वस्तुएँ जैसे- मिठाइयाँ, आईस्क्रीम, आईसकैंडी, शीतलपेय,

मुरब्बे, अचार, मसाले इन में विशेष रूपों से मिलावट की जाती है।

आमतौर पर दो प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है पहला प्राकृतिक दूसरा कोलतार। कोलतार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय और क्षारीय, केवल कोलतार रंगों को ही खाद्य पदार्थों में मिलाने की अनुमति दी जाती है। इसमें लाल, पीला, नीला, तथा हरा रंग महत्वपूर्ण हैं। शेष अम्लीय तथा सभी क्षारीय कोलतार रंगों का खाद्य वस्तुओं में मिलाया जाना पूर्णतः वर्जित है क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।

पूर्व में व्यंजनों को रंग युक्त बनाने के लिए केसर, धनिया वह अन्य वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता था, किन्तु आज इसका स्थान कृत्रिम रंगों ने ले लिया है। इस समय विश्व में अधिकतर कृत्रिम रंगों का प्रयोग हो रहा है आश्चर्य तो इस बात का है कि इन रंगों के खतरनाक साबित हो जाने के बाद भी इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है।

फल और सब्जी में चटक रंग दिखने के लिए रासायनिक इंजेक्शन ताजा दिखने के लिए लेड और कॉपर का छिड़काना, सफेदी के लिए फूलगोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है।

तालिका क्रमांक 2

रंगयुक्त भोजन का उपयोग

क्र.	रंग युक्त भोजन का उपयोग	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	रंग युक्त भोजन का उपयोग किया जाता है	15	3.75 प्रतिशत
2.	रंग युक्त भोजन का उपयोग नहीं किया जाता है	171	42.75 प्रतिशत
3.	उपयोग कभी कभी किया जाता है	214	53.5 प्रतिशत
योग		400	100

चुने गए 400 परिवारों में 15 परिवार ऐसे हैं, जो यह मानते हैं कि उनको भोजन में रंग युक्त खाद्य सामग्री उपयोग किया जाता है, जो कि 3.75 प्रतिशत है। 171 परिवार यह मानते हैं कि वह रंगयुक्त खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं करते हैं जो कि 42.75 प्रतिशत है वही कभी-कभी ही रंगयुक्त भोजन ग्रहण करने वालों की संख्या 214 है जो कि 53.5 प्रतिशत है।

शुद्ध जल का उपयोग – भोजन निर्माण जल के बिना संभव नहीं है, भोजन की शुद्धता जल की शुद्धता पर निर्भर करती है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि भोजन निर्माण करते समय एवं जल ग्रहण करते समय उसकी शुद्धता पर विशेष ध्यान रखें।

शरीर में लगभग दो तिहाई भाग पानी का होता है, शरीर के अलग-अलग भाग में पानी की आवश्यकता भी भिन्न-भिन्न होती है, जब शरीर को आवश्यकतानुसार शुद्ध जल की प्राप्ति नहीं होती है जो इससे अनेक शारीरिक व्याधियां उत्पन्न होती हैं।

उपयोग में लाए जाने वाले पानी का रंग, गंध, स्वाद सब अच्छा होना चाहिए ज्यादा कैल्शियम या मैग्नीशियम वाला पानी कठोर जल होता है, यह पीने के योग्य नहीं होता। पानी में कुल कठोरता 300 मिली ग्राम प्रति लीटर से ज्यादा होने पर शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। पीने से लेकर भोजन निर्माण तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम जल किस स्रोत से ग्रहण कर रहे हैं तथा उसे किस में रखा जा रहा है, यह भी जल की शुद्धता को प्रभावित करती है।

तालिका क्रमांक 3

शुद्ध जल का उपयोग

क्र.	शुद्ध जल का उपयोग	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	विशेष ध्यान देते हैं	324	81
2.	विशेष ध्यान नहीं देते	76	19
योग		400	100

निष्कर्ष यह निकलता है कि आज सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं। अन्य वस्तुओं की शुद्धता के साथ-साथ पानी की शुद्धता पर भी अत्याधिक ध्यान देते हैं के लिए गए 400 न्यादर्शों में आंकलन किया गया जिसमें यह पाया गया कि 324 परिवार पानी के प्रति सजग रहते हैं, जिसका प्रतिशत 80 है, वहीं 76 परिवार शुद्ध जल पर विशेष ध्यान नहीं देते जिनका प्रतिशत 19 है।

खाद्य सामग्री खरीदते समय समाप्ति तिथि का ध्यान रखना – पैकिंग सामग्री में समाप्ति तिथि का अंकित होना अति आवश्यक होता है, इससे ग्राहक उसके उपयोग के प्रति सतर्क रहता है। खाद्य सामग्री में समाप्ति तिथि का होना और भी अधिक आवश्यक है क्योंकि खाद्य सामग्री का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। कई बार एक्सपाईरी डेट निकली हुई चीजें खाने से काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है।

नाश्ते में उपयोग किए जा रहे बिस्किट, नमकीन, क्रीम रोल खराब तो नहीं हो गए हैं, इन चीजों की जांच कर लिया जाना आवश्यक होता है। शहर के जनरल स्टोर्स छोटे-छोटे दुकानों पर बेकरी मेड बिस्किट, नमकीन के पैकेट, लोकल ब्रांड की चीजें बेखौफ हो कर बेचे जा रहे हैं। इस प्रकार के उत्पादों के सैपल नहीं रखे जाते यही वजह है कि अक्सर फूड पाइजनिंग के मामले प्रकाश में आते हैं।

तालिका क्रमांक 4

समाप्ति तिथि का ध्यान रखना

क्र.	समाप्ति तिथि का ध्यान रखना	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	ध्यान रखते हैं	363	90.75
2.	ध्यान नहीं रखते हैं	37	9.25
योग		400	100

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि खाद्य सामग्री के पैकिंग में समाप्ति तिथि का होना आवश्यक होता है, इससे उपभोग करने वाला सामग्री के उपयोग के प्रति जागरूक होता है। लिए गए 400 न्यादर्शों में 363 समाप्ति तिथि का ध्यान रखते हैं, जो 90.75 प्रतिशत है। वही 37 न्यादर्श ऐसे हैं, जो समाप्ति तिथि का विशेष ध्यान नहीं रखते जो 9.25 प्रतिशत है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता जागरूक रह कर उपभोग करता है।

निष्कर्ष – निष्कर्षतः स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में खाद्य सामग्री के गुणवत्ता में कमी आयी है। उत्तरदाताओं में 74 प्रतिशत से भी अधिक लोगों ने यह स्वीकार किया है कि उनके खाद्य सामग्री में मिलावट रहती है। उन्होंने मिलावटी खाद्य सामग्री का उपयोग करना अपनी मजबूरी बताया है। रंगयुक्त भोजन के संबंध में 539 से भी अधिक लोगों ने कहा कि वे कभी-कभी रंगयुक्त भोजन का उपयोग करते हैं, किन्तु 42 प्रतिशत ने रंगयुक्त खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं करना बताया। रंगयुक्त भोजन का उपयोग करने वाले उत्तरदाता लगभग 4 प्रतिशत है, स्पष्ट हुआ कि अधिकांश उत्तरदाता कभी-कभी गुणवत्ता को कम रंग को अधिक महत्व देते हैं। शुद्ध जल का उपयोग भी भोजन की गुणवत्ता से संबंधित है। 81 प्रतिशत उत्तरदाता शुद्ध जल के उपयोग पर विशेष ध्यान देते हैं, 9 प्रतिशत नहीं देते हैं। खाद्य सामग्री खरीदते समय 90 से भी अधिक उत्तरदाता समाप्ति तिथि का ध्यान रखते हैं। लगभग 10 प्रतिशत उत्तरदाता समाप्ति तिथि का ध्यान नहीं रखते। निष्कर्षतः

उत्तरदाता खाद्य सामग्री के प्रति जागरुक हैं।

सुझाव -

1. पैकिंग खाद्य सामग्री उपयोग से पूर्व समाप्ति तिथि का ध्यान रखा जाना चाहिए।
2. खुले स्थानों में बिकने वाली खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए।
3. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए भोजन ग्रहण किया जाना चाहिए।
4. बाजार में बिकने वाली खाद्य सामग्रियों में मिलावट का ध्यान रखा जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Bhalla G.S. and Petor.Fazzel 1998. Food Grain

Demand in India to 2020 A Preliminary Exercise. Economic and Political Weekly.

2. Chakrabarty, I. (1993), "Consumption and Income in Calcutta Metropolitan Area", Discussion Paper No.11, March, Centre for Urban Economic Studies, Calcutta.
3. Devendra, B. Gupta (1968), "A comparison of consumer Pattern in Uttar Pradesh and Madras- A Study of Interregional Variations w.r.t India",
4. Duesenberry, T.S. (1949), "Income, Saving and the Theory of Consumer Behaviour", Harvard University Press Cambridge, Chapter 3 and 5 .
5. Finar Hameni 1946 English local Government Mathu and Company London.

अजन्ता एवं बाघ के भित्ति चित्रों में पशु-पक्षियों का सौन्दर्यात्मक अंकन

डॉ. अन्नपूर्णा शुक्ला * अनुभा **

प्रस्तावना - कला हमारे मानस का वह संस्कार है, जो आदिकाल से अनवरत गतिमान है तथा यही कला संस्कृति को रूप देती है और संस्कृति कला की प्रगति तथा जीवन का आधार बनती है। भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में गुप्तकाल स्वर्णयुग एवं चतुर्दिक गुप्त सम्राटों के संरक्षण में सुख-शान्ति, वैभव का भोग कर रही थी। इसी चतुर्दिक विकास एवं सुख के युग को इतिहासकारों ने स्वर्ण युग के नाम से पुकारा है। इसी स्वर्ण युग में सौन्दर्य एवं कला जीवन में इतनी समाविष्ट हो चुकी थी कि वह अपने युग की सम्पूर्ण कलाओं एवं कृतियों की तन्मयता से डूबकर साकार हुई। जिसका उदाहरण साक्षात् अजन्ता एवं बाघ गुफाओं में अंकित भित्तिचित्र हैं। जो कल्पना, सौन्दर्य और विविध रस एवं भावों से परिपूर्ण हैं।

सौन्दर्य एक ऐसा तत्त्व है जो सम्पूर्ण विश्व में विराट रूप में विद्यमान हैं जिसे देखकर हमारा अन्तस विविध विचारों और भावों से प्रकाशित हो उठता है। कुछ ऐसा ही सौन्दर्य हमें अजन्ता और बाघ के भित्तिचित्रों में परिलक्षित होता है। जिसके विषय में जितनी व्याख्या की जाये वह भी कम हैं। कई वर्षों तक इस सौन्दर्य को साकार रूप देने का कार्य अजन्ता एवं बाघ के भिक्षु कलाकारों को रहा है। महान चित्रकार वह है जो रंगों, लहरों, अग्निशिखा, धूम और हवा में उड़ती हुई पताका को गतिमान चित्रित कर सके। निश्चित तौर पर अजन्ता और बाघ के कुशल चित्तेरों ने भित्ति चित्रांकन में ऐसा ही कर दिखाया है। ये कलाकृतियां इतनी पूर्ण इतनी निर्दोष सजीव तथा मुखरित हैं कि इसे संसार की सर्वश्रेष्ठ सौन्दर्यानुभूति और सौन्दर्याभिव्यक्ति माना गया है। अजन्ता एवं बाघ गुफाओं के केवल भित्तिचित्र ही सौन्दर्य को परिभाषित नहीं करते हैं बल्कि उसकी मूर्तिकला और स्थापत्य बनावट भी सौन्दर्य की परिभाषा को व्यक्त करती है। इन गुफाओं की छतों और भित्तियों ने अपने आपको सौन्दर्य के सागर में डूबा रखा है। इसमें अंकित आलेखनात्मक अलंकरण, जातक कथाएं, व्यंग्यात्मक अंकन, मानव जगत प्रकृति व पशु जगत का चित्रांकन अत्यंत ही सौन्दर्य के साथ परिलक्षित किया गया है।

अजन्ता एवं बाघ गुफा के कुशल और बुद्धिमान कलाकारों ने केवल सुन्दरता और रमणीयता को ही सौन्दर्य अभिव्यक्ति का विषय नहीं चुना बल्कि उनके द्वारा कुरूपता और भयंकर भावों का अंकन भी उतनी ही सहानुभूति और चातुर्यता से चित्रित किया गया है जितना सौन्दर्य को प्रदर्शित करने में किया गया। अजन्ता एवं बाघ गुफा की हर चित्रित भित्ति और स्थापत्य सौन्दर्य के साकार रूप को दर्शाती है, जिसे देखकर दर्शक का अन्तस निश्चित ही आनन्दित और प्रफुल्लित हो उठता है। सौकुमार्य के साथ-साथ ओजकी सौन्दर्य के साथ-साथ कुरूपता की भी इस कला में समान सफलता

से व्यंजना हुई है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अलंकरण से लेकर विशाल आकृतियाँ तक कलाकार के हस्त कौशल और उनकी आश्चर्यचकित कर देने वाली रचनात्मक सोच के प्रमाण हैं। अजन्ता और बाघ की कला धार्मिक और लौकिक विषयों के सम्मिश्रण से परिपूर्ण है। जीवन का अन्तिम ध्येय क्या है, इसे कहीं नहीं भुलाया गया। उनमें आन्तरिक और बाह्य दोनों तत्वों का सुन्दर सामंजस्य बैठाया गया है।

अजन्ता एवं बाघ की कलाकृतियों में शृंगार तथा वैराग्य दोनों विरोधी भाव अपने चरम उत्कर्ष पर है। दोनों के उत्कर्ष ने एक-दूसरे के मूल्य में वृद्धि की है। शृंगार के कारण वैराग्य का मूल्य बढ़ा है। जिसका अत्यन्त सुन्दर उदाहरण अजन्ता गुफा का भित्तिचित्र 'मरणासन्न राजकुमारी' और बाघ गुफा का भित्तिचित्र 'शोकाकुल महिला' है। अजन्ता एवं बाघ के भित्ति चित्रों में, मैत्री, करुणा, प्रेम, क्रोध, लज्जा, हर्ष, उल्लास, चिन्ता, विलाप आदि विविध प्रकार के भावों का चित्रांकन परिलक्षित होता है। चाहे कोई भी कला हो वह बिना किसी भावों के अंकन के बिना स्वयं अपूर्ण है। कला वहीं सर्वश्रेष्ठ कही जाती है, जिसमें विविध रसों एवं भावों का समावेश हो। चाहे ये भाव हाथ-पैरों की मुद्रा के रूप में हो, चेहरों पर बड़ी विविध प्रकार की सलवटों के रूप में हो। हर भाव अपने अलग-अलग अर्थ को व्यक्त करता है। भाव एक ऐसी भाषा है, जिसका कोई मौखिक रूप नहीं है। वह स्वयं बिना बोले दृष्टित हो जाती है। और इस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ गुण है। इसका चित्रांकन प्रत्येक निर्जीव चीज को सजीव रूप प्रदान करता है।

अजन्ता और बाघ के भित्तिचित्र अपने आपमें सजीवता और सुन्दरता के गुण को आत्मसात किए हुए है।

'सुन्दर रूप और कल्पना की मृदु मुस्कान, करुणा और शान्ति के आँचल से आवृत अजन्ता और बाघ की कलाकृतियाँ अपने अवगुणन में न जाने कितनी सरस भावनाओं और कलाकारों की अन्तर अनुभूतियों की उपलब्धियाँ छिपाये अपने अस्तित्व से भारतीय कला-इतिहास की स्वर्ण पृष्ठिका लगाये मूक स्वरों में चिर शान्ति और आत्मा के अमरतत्व का उपदेश दे रही हैं। शान्ति और नीरक्ता के वातावरण को देखकर ही बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी साधना के लिए यह स्थान उपयुक्त समझा होगा।'

अजन्ता एवं बाघ गुफाओं के आकर्षण का मुख्य कारण उनकी भित्ति चित्रकारी है। समय की मार खाने पर भी इन गुफाओं की चित्रकारी चमकदार परिलक्षित होती है। परन्तु दर्शकों के चित्रों के साथ दुर्व्यवहार की वजह से कुछ चित्र क्षित-विक्षत अवस्था में पहुंच चुके हैं। अजन्ता की गुफा में अंकित 'छदन्त जातक' कथा का चित्रांकन अत्यन्त आकर्षक है। यह चित्र गुफा

*शोध निर्देशक (चित्रकला) वनस्थली विद्यापीठ, टोंक (राज.) भारत


**शोधार्थी (चित्रकला) वनस्थली विद्यापीठ, टोंक (राज.) भारत

सं०- 17 में अंकित है। चित्र में वर्णित कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान बुद्ध अपने कई जन्मों में से किसी एक जन्म में छः विशाल दाँतों वाले श्वेत गजराज के रूप में अवतरित हुए थे। उनकी दो हथिनी पत्नियाँ थीं। जिनमें एक चुल्लभद्रा और दूसरी महासुभद्रा थी। चुल्लभद्रा ने सौतियाँ डाहवश आत्महत्या कर ली थी और राजा के यहां जन्म लिया। इस जन्म में भी उसकी डाह कम नहीं हुई और उसने व्याधों को उनका सर ले आने को कहा। जब भगवान बुद्ध को यह पता चला तो वह स्वयं ही इन व्याधों के सामने आ खड़े हुए। उससे व्याध (शिकारी) बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें नहीं मारा उनके दांत राजकुमारी को बहकाने के लिए ले गए। परन्तु दांतों को देखकर राजकुमारी मूर्च्छित हो जाती हैं। बाद में सब ज्ञात होने पर वह क्षमा-याचना करती हैं। और भगवान बुद्ध उनको क्षमा कर देते हैं। यह दृश्य गुफा की भित्ति पर अत्यन्त सजीव और सुन्दर रूप में चित्रित है। बोधिसत्व रूपी श्वेत हाथी को अत्यन्त विशाल चित्रांकित किया गया है। (देखिए चित्र सं०- 1) चित्र के प्रत्येक विषय में दया, दान, करुणा का भाव परिलक्षित होता है।



अजन्ता

इसी प्रकार गुफा सं०- 10 में भी 'छदन्त जातक' कथा का अति सुन्दर चित्रांकन हुआ है। इसकी सुन्दरता इसके अंकन में परिलक्षित हो जाती है। सामंजस्य की भीड़भाड़ और सरोवर का अंकन अत्यन्त मनमोहित है। इसमें वन-जीवन का अत्यन्त ही सुन्दर चित्रांकन परिलक्षित होता है। इस चित्र में गजराजों की क्रीड़ाएं करते हुए दर्शाया गया है। कमल और गजराज के चित्रण में अजन्ता के चित्रकार बड़े ही सफल सिद्ध हुए हैं। एक ओर जहाँ एक हाथी अजगर के मुंह से मुक्ति पाने का प्रयत्न कर रहा है, तो दूसरी ओर गजराज छदन्त कमल का एक फूल निकालकर एक हथिनी की ओर बढ़ाकर उसे भेंट कर रहे हैं। इस दृश्य में कलाकार ने प्रेम क्रीड़ा-कौतुक तथा सामूहिक मनोरंजन को अत्यन्त खूबसूरती के साथ दर्शाया है। यह चित्र अत्यन्त आकर्षक और प्रभावोत्पादक है। अजन्ता की ये कलाकृतियां लय और सौन्दर्य के अधिक निकट हैं। चित्र में प्रेम और सरसता का भाव दृष्टिगोचर होता है। बोधिसत्व रूपी गजराज को सफेद रंग में अंकित किया गया है। (देखिए रेखा चित्र सं०-2) परन्तु वर्तमान में यह चित्र अत्यन्त क्षित-विक्षित अवस्था में है। चित्र अत्यधिक धुंधला परिलक्षित होता है।



अजन्ता

अजन्ता की गुफा सं०- 17 में एक दृश्य अत्यन्त सुन्दर भावपूर्ण और प्रभावोत्पादक है। यह दृश्य है 'मातृपोषक जातक' इस चित्र में भगवान बुद्ध ने पूर्व जन्म में बोधिसत्व रूपी श्वेत गज बालक के रूप में जन्म लिया था। इस दृश्य में बालक श्वेत गज और उनके माता-पिता के मिलन का बहुत मार्मिक चित्रांकन हुआ है। सुन्दरता के साथ-साथ यह दृश्य भावों से परिलक्षित है। इस चित्र में मातृत्व प्रेम, वात्सल्य प्रेम को दर्शाया गया है। चित्र का वर्णन यह है कि एक समय भगवान बुद्ध ने अपने पूर्वजन्म में हिमालय देश में एक छोटे बालक के रूप में जन्म लिया था। उनकी माँ अन्धी थी। वे माँ को लेकर एक अन्य पर्वत पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने भटकते हुए एक वनवासी को अपनी पीठ पर लादकर वन के बाहर पहुंचाया। वह वनवासी बनारस के राजा के पास गया और उसे उस बोधिसत्व रूपी श्वेत हाथी के बारे में बताया। बनारस के राजा ने उस श्रेष्ठ हाथी को पकड़ने का अपने सिपाही को आदेश दिया। सिपाही द्वारा पकड़े जाने पर उसे राजा के पास प्रस्तुत किया गया। अपनी अन्धी माँ से बिछड़ने पर उस बोधिसत्व रूपी श्वेत बालक हाथी ने खाना-पीना छोड़ दिया। और राजा से अपनी बात कही। राजा उसके दुःख से अत्यन्त दुःखी हुआ और उसके मन में उस बोधिसत्व हाथी के लिए दया उपजी। उसने उन्हें छोड़ दिया। बोधिसत्व रूपी श्वेत हाथी दौड़कर अपनी अन्धी माँ के पास पहुंचते हैं। इस दृश्य में माता-पुत्र के मिलन को अत्यन्त सुन्दरता से दर्शाया है। (देखिए चित्र सं०-3) चित्र में सजीवता एवं स्वाभाविकता के गुण परिलक्षित होते हैं।



अजन्ता

मानवाकृतियों के भांति अजन्ता के अन्य चित्रण आलेखनात्मक अंकन में भी पशु-पक्षियों की आकृतियों को लय और सौन्दर्य के साथ दर्शाया है। पशु-पक्षियों को मण्डप और भित्ति अलंकरण में कलात्मक रूप प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त शिल्पांकन में स्तम्भों पर भी पशु-पक्षियों का चित्रांकन अत्यन्त सुन्दरता से किया है। (देखिए चित्र सं०-4)



अजन्ता

अजन्ता अर्द्ध पशु अलंकरण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अजन्ता की गुफा सं०- 1 और 2 अलंकरण चित्रांकन से भरी हुई है। इसे अतिरिक्त अन्य

गुफाओं में भी पशु-पक्षियों का वनस्पति जगत में मिश्रित अलंकरण किया गया है। पद्मपालों के मध्य अलंकृत पशु अपने प्राकृतिक स्वभाव से भिन्न पुष्प वल्लरियों की लयात्मकता में कोमल प्रतीत होते हैं। ऐसा अनुभव होता है कि कोमल पुष्पों ने उन्हें अपना स्वभाव ही दे दिया है। गुफाओं के मण्डप तथा भित्ति आदि के अलंकरण हेतु भी पशु-पक्षियों को कलात्मक रूप में प्रदर्शित किया गया है। इनमें अजन्ता अर्द्ध पशु अलंकरण हेतु विशेष उल्लेखनीय है। (देखिए चित्र सं०-5)



अजन्ता

बाघ में हमें अर्द्ध पशु अलंकरण परिलक्षित नहीं होता है। अजन्ता की गुफाओं में मेढ्रा, हरित, महिष, आदि का अग्र भाग पशु का एवं पृष्ठ भाग बेल-बूटों के अलंकरणात्मक पूँछ के रूप में अंकित है।

अजन्ता के आलेखन अलंकरणों को देखते ही यह बात सिद्ध हो जाती है कि सौन्दर्य तत्त्व को जानने का साधन कला है। निश्चित ही अजन्ता के कुशल कलाकारों ने अपनी कल्पना के संसार को सौन्दर्य रूप में रचा है। सबसे सुन्दर अलंकरण छत में परिलक्षित होते हैं, जिसमें गुफा सं०-2 के अलंकरण सर्वोत्कृष्ट हैं। एक-एक इंच स्थान को अनेक प्रकार के बेलबूटों, पुष्पों पत्तियों तथा लताओं और पक्षियों की कतार से अलंकृत किया गया है। उसमें सूक्ष्मता और सघनता परिलक्षित होती है। अलंकरण के लिए विविध पशु-पक्षियों तथा फलों और पुष्पों के अतिरिक्त वृत्तों एवं अन्य ज्यामितीय आकारों का भी स्थान-स्थान पर प्रयोग किया गया है। ये अलंकरण शोभाशीलता से युक्त हैं। इन आलेखनों के संयोजन में संगठन, सुन्दरता, विरोधाभास, प्रभावशीलता, प्रमाण, अधीनता आदि गुणों का समावेश परिलक्षित होता है। इसी प्रकार बाघ गुफा के अलंकरण चित्र भी सुन्दरता में अजन्ता से सानी रखते हैं। पक्षियों को फलों को कुरेदते हुए दर्शाया गया है। (देखिए चित्र सं०-6)



बाघ

शुक, सारिका, कोकिल, कलहंस, मयूर, सारस और चकोर आदि पक्षियों तथा पशुओं अश्व, बैल, और हाथियों का अंकन अत्यन्त कुशलता और सुन्दरता के साथ किया गया है। बैल को मांगल्य और धरती की समृद्धि के प्रतीक स्वरूप चित्रांकित किया गया है।

अजन्ता और बाघ के रेखांकन में रेखातत्व का स्वरूप मुख्यतः भाव और पदार्थ का साक्षात् परिचय कराता है। अजन्ता और बाघ के भित्ति-चित्र रेखांकन के साथ-साथ अपने वर्ण-विधान की कुशलता को दर्शाते हैं। पशु-पक्षियों की भावुकता को भी कलाकार ने अत्यन्त कुशलता से दर्शाया है जैसा कि अजन्ता का मातृपोषक जातक में देखने को मिलता है। क्रोध होने पर हाथी अपनी सूंड मोड़ लेता है। दुःखी होने पर उसे नीचे लटकती छोड़ देता है और आनन्दित होने पर उसे आगे करके चलता है, यह सब चित्रकार ने अत्यन्त सुन्दर रीति से व्यक्त किया है।

अजन्ता की गुफाओं में चित्रांकित कथा-विषयों में मृग, हरित एवं अश्वों का भावनात्मक एवं स्वाभाविक अंकन दर्शकों को सहज ही आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार बाघ में भी सवारी हेतु विशाल हरित एवं अश्वों का स्वाभाविक चित्रण परिलक्षित होता है। बाघ में पुष्प-वल्लरी सहित प्रदर्शित वृषभ-युग्मों का चित्रण अत्यन्त सजीव एवं स्वाभाविक प्रतीत होता है। इनके अतिरिक्त अपने पंखों को खोलते बत्तख तथा कपोत भी उल्लेखनीय हैं। आलेखनों के अतिरिक्त 'शोकाकुल राजकुमारी' चित्र में दो कपोत-युग्म प्रणय प्रतीक के रूप में चित्रित किए गए हैं। (देखिए चित्र सं०-7)।



बाघ

गुप्तकालीन बौद्ध चित्रकारों ने जितनी प्रचुरता से मानवाकृतियों को चित्रण किया उतनी ही अधिक संख्या में पशु-पक्षियों को भी कुशलतापूर्वक प्रदर्शित किया है।

'यदि अजन्ता की चित्रकला अनुपम तथा अलौकिक है तो बाघ की चित्रकला भी उससे कम नहीं है। बाघ के चित्र भाव प्रधान हैं, उनमें भाव-व्यंजन की एक अजीब शक्ति है। चित्रकार के हृदय के स्वर्गीय आनन्द तथा भावों की लहर बाघ के चित्रों में लहराती मिलती है। बाघ की चित्रकला में बड़ी-छोटी वस्तुओं का उचित प्रयोग व अनुपात के मिश्रण से दर्शक के नेत्रों के समक्ष एक सर्वांगपूर्ण चित्र खड़ा हो जाता है। इसी कारण बाघ के चित्र चित्रकला के अनुपम आदर्श हैं। बाघ गुफा के छठे पांचवे दृश्य घोड़ों की शोभा-यात्रा के समान, हाथियों की शोभा यात्रा का भव्य चित्र प्रस्तुत हुआ है। अजन्ता में भी घोड़े और हाथियों का अतिसुन्दर अंकन मिलता है। बाघ गुफा का एक दृश्य अतिसुन्दर है, जिसमें 17 अश्वरोही पांच या छः पंक्तियों में बारीं दिशा की ओर जा रहे हैं। बीच की आकृति के शरीर पर राज-छत्र हैं। उसने बायें हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ रखी है। घोड़े तीन-चँवर लिए जा रहा है। राजछत्रधारी व्यक्ति के दोनों ओर के व्यक्तियों और उनके घोड़ों का चित्र बहुत ही स्वाभाविक और आकर्षक बनाए गए हैं। चित्र में सभी घोड़े अच्छी नसल के हैं। घोड़े के चेहरे भावपूर्ण हैं। ये घोड़े हरे और लाल रंग में दर्शाये गये हैं।

इसी प्रकार हाथियों के जुलूस का चित्रण भी बड़े कौशल से किया गया है।² अजन्ता में सामन्तवादी प्रभाव है तो बाघ में जनवादी प्रभाव का

अत्यन्तम सम्मिश्रण है। बाघ चित्रों में औचित्य का बड़ा ध्यान रखा गया है। अजन्ता और बाघ के चित्रों में हमें एक चीज सबसे सुन्दर दिखती हैं वह यह है कि जिस प्रकार स्त्री-पुरुष अपने आपको विविध प्रकार के अलंकरणों से सुसज्जित करते थे ठीक उसी प्रकार वह हाथी और घोड़ों को भी आभूषणों से अलंकृत किया करते थे। राजाओं के हाथी और घोड़े को युद्ध में विशेष रूप से सुसज्जित किया जाता था। घोड़ों की जीन, लगाम इत्यादि सामग्री आजकल के समान ही थी। बैठने के घोड़े को आभूषणों से सुशोभित करते थे। तूणीर (बाण-कोश) खोगीर की बाजू में बांधा जाता था। सैनिक उसे अपनी पीठ पर बांधते थे। हाथी के गण्डस्थल व सूंड को सोने और मोतियों के बड़े-बड़े आभूषणों से सुशोभित करते थे।

अजन्ता और बाघ के भित्तिचित्रों में मानव का सामान्य पशु-पक्षियों के साथ तादाम्य होना भावुकता या कल्पना नहीं, आत्मीय संवेदना का विस्तार है, मानव की उद्वान्तता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वर्मा, अविनाश बहादुर, भारतीय चित्रकला का इतिहास, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 1958, पृ० सं०-37
2. चतुर्वेदी, डॉ० गोपाल मधुकर भारतीय चित्रकला साहित्य संगम, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, 1989, पृ० सं०- 103

Importance Of Yoga And Meditation In Bringing Emotional And Physical Stability

Bhagwati Menaria*

Introduction - People face many ups and down in the routine duration that give rise to many problems such as anxiety, depression, mental sickness, frustration, emotional upsets, etc. Thus, it is very essential to overcome the emotional sickness so that there is no way out left for physical instability. Emotions and feelings if kept under control than it can lead to good adjustment and the individual can use his powers efficiently and effectively. Meditation has been linked to a variety of health benefits and mental as well as physical well being. The aim of the study is to find out the effect of practicing yoga and meditation on level of emotional maturity and spiritual awareness among the adult women of Rajasthan. The cities included were Udaipur, Jaipur and Jodhpur.

It is assumed that there shall be significant difference between level of emotional maturity of adult women before and after practicing meditation.

127 women were selected within the age group of 30-40 years by random sampling method. The selection criteria included age, sex, occupation, only house wives having moderate education i.e. high school to graduation, from middle socio-economic group. A questionnaire was prepared on a five point likert basis and comparative study was conducted prior to meditation and after four months of practicing meditation by the respondents. Study revealed that there was significant difference between level of emotional maturity and physical stability before and after practicing meditation. It was judged and analyzed that women found reduction in negative feelings and thoughts and increased spiritual awareness.

Research Objectives -

- To identify the importance of yoga and meditation among the adult women of the age group of within 30-40 years.
- Changes were analyzed prior to and after meditation and yoga.

Literature Review - Ellis (2015) found in his study that students' performance is directly linked to the stress. Students facing too much stress lead to many diseases like heart problems, depression and force them to indulge in wrong habits such as gambling, smoking, drinking, etc. which certainly had a bad impact on their performances. Watching television, playing video games and all the other

unhealthy activities leads to a greater fall in the results while the students who do not engage themselves in these would perform better. He gave a suggestion to the students to keep themselves healthy and happy as they are the pillar for the overall economic development (Ellis, 2015).

Huang, Chien and Chung (2013) provided that stress is the biggest reason and hindrance in the physical and mental illness and so to overcome this Hath yoga is the best medicine to reduce the perceived stress more significantly. The Perceived Stress Scale and heart Rate Variability assessed the stress reduction effectiveness and the 90-minute practice makes the person free from all the stress and illness (Huang, Chien, & Chung, 2013).

Gura (2002) stated in his study that employees face different level of stress at the workplace which directly or non-directly affects the person's psychologically and financially as such leads to muscle-skeletal disorders like back pain, neck pain, headache, eye stress, etc., therefore to overcome all this yoga is the best way and must be practiced at the workplace which helps in improving the performances by giving more efforts and keeping a positive attitude (Gura, 2002)

Macan (1990) also concluded that the students who have proper time management are less stressful, less ambiguity, greater work and life satisfaction, keep a positive attitude. So, basically all this will be set only and only when a person is physically and mentally fit and as such this all can be maintained by doing meditation and asanas (Macan, Shahani, Dipboye, & Phillips, 1990)

Khalsa (2012) examined the mental health benefits of adolescents in secondary school by participating in the physical education classes or yoga sessions as such measuring the mood, anxiety, perceived stress, resilience, and various mental health variables. Slowly and gradually the level of inertia and anger slowed down and denoted improvements of the mental and physical health which clearly states that yoga is highly acceptable and feasible and plays a protective role (Khalsa, 2012).

Harris (2012) reviewed the contemplative practices with children and youth. Meditation and yoga are the fruitful measures for building up the stamina and relaxation of mind and reduces the risk of various problems; it helps in building up the stamina and strength as well (Harris, 2012).

Data collection - A total of 135 respondents were approached, however, only 127 responses were complete in all aspects. Thus, primary data was gathered from the survey method and secondary data in the form of 'literature review' was gathered from various journals and online articles.

Findings And Conclusion - Yoga and meditation is considered as one of the effective strategies in order to improve the physical and mental stability. Stress, anxiety, high tension, work disturbance and depression are some of the common problems faced by the women. These all have direct effect on the health.

Mind and body are directly related to each other; thus, if the mind is relaxed and then the person remain healthy. Meditation and Yoga helps a person to overcome from the various problems.

The study revealed that most of the household women were busy in the household activities and they were not having any change in their life which made them more frustrated and irritated. They were less interested in the socializing activities as well as other activities.

Finally, it can be concluded that those who were punctual about practicing yoga and meditation were different were feeling less stressed, keeping themselves happy and relaxed and were not letting themselves in pain.

Implications And Recommendations - Health is the combination of Physical, Mental, Social, Emotional & Spiritual well being. This integrated approach towards life is called Yoga, oneness with composite whole. Every

individual needs Peace & Happiness. Meditation and yoga keeps a healthy and peaceful mind and body that is highly essential for the women especially of this age group to keep themselves completely healthy. A positive attitude towards life is highly essential that drives a person towards a better performance and a healthy life.

References:-

1. **Ellis, M. (2015, january).** How Stress Affects Academic Performance. *Health Plus*.
2. **Huang, F.-J., Chien, D.-K., & Chung, U.-L. (2013, march).** Effects of Hatha Yoga on Stress in Middle-Aged Women. *Journal of Nursing Research*., 21(1), 59-66.
3. **Gura, S. T. (2002).** Yoga for stress reduction and injury prevention at work. *work*, 19(1), 3-7.
4. **Macan, T. H., Shahani, C., Dipboye, R. L., & Phillips, A. P. (1990, december).** College students' time management: Correlations with academic performance and stress. *Journal of Educational Psychology*, 82(4), 760-768.
5. **Khalsa, L. H.-S. (2012, january).** Evaluation of the Mental Health Benefits of Yoga in a Secondary School: A Preliminary Randomized Controlled Trial. *The Journal of Behavioral Health Services & Research*, 39(1), 80-90.
6. **Harris, M. T. (2012, june).** Nurturing Mindfulness in Children and Youth: Current State of Research. *Child Development Perspectives*, 6(2), 161-166.

विकलांगता के प्रति प्रशासन का सकारात्मक विचार : एक राजनैतिक अध्ययन

डॉ. गायत्री मिश्रा* सरदार कुमार चौधरी**

प्रस्तावना - सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांग व्यक्तियों के जीवन सुधार हेतु कारगर प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से आँख से विकलांग व्यक्ति किसी एक वस्तु की ओर देखते हुए उसके आसपास के वातावरण का भी ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस प्रयास हेतु आँख बनाने या चस्मा देने आदि की क्रियाओं को रीवा जिले की रेडक्रस सोसाईटी भी कार्य करती है। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला चिट्ठिक और जिलाधीश महोदय के मार्गदर्शन में प्रदान करता है। इसके साथ-साथ राजनीतिक तथ्यों के आधार पर सामाजिक कल्याण का कार्य किया जाता है।

नेत्रों का दृष्टि क्षेत्र एक नेत्रिय दृष्टि से बड़ा होता है इसे दो भगों में बांटा जाता है -

1. केन्द्रीय दृष्टि क्षेत्र जो सामने 30 डिग्री पर होता है।
2. परिसरीय दृष्टि क्षेत्र जो 30 से लगभग 180 डिग्री के मध्य स्थापित होता है। इन्हें विशेष उपकरणों के द्वारा माप किया जा सकता है।

नेत्र की प्राकृतिक अवस्था में दूर और नजदीक से आने वाली प्रकाश की किरणें दृष्टि पटल पर परिलक्षित होती हैं। परंतु जब ये किरणें दृष्टि पटल पर केन्द्रित होने से पहले ही केंद्रित हो जाती हैं। इसे अपवर्तन की त्रुटि कहा जाता है। इसका कारण साफ दिखलाई नहीं देती है। ये त्रुटियाँ तीन प्रकार हो सकती हैं।

1. निकट दृष्टि या मायोपिया का होना।
2. दूर दृष्टि या हाइपर मेट्रोपिया का होना।
3. विषम दृष्टि या दिसिटग्मेटिज्म के होने की दशा का अनुभव करना।

शोध प्रविधि - इस शोध पत्र में प्राथमिक एवं द्वितीयक शोध सामाग्री के द्वारा अध्ययन किया गया है। इसके साथ-साथ विद्वानों का मार्गदर्शन प्राप्त किया गया है।

समस्या - विकलांग व्यक्तियों को समय पर अनुदान न मिलने की समस्या आती है। इसके साथ-साथ उनके कृत्रिम यंत्रों को भी पुराने होने पर समय पर बदलने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कदम बहुत ही धीमे हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के विकास हेतु इन मूलभूत वस्तुओं की आवश्यकता होती है।

उद्देश्य - किसी भी देश की उन्नति तभी संभव है। जब सद्भावना का योगदान सभी देशों से उनके विकास के लिए अन्य देशों के ऊपर निर्भर होते हैं। यह चिकित्सा के माध्यम से एक-दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। चिकित्सा के दौरान आपसी सहयोग, आर्थिक सम्पन्नता, आपसी विचारों का शांतिपूर्ण समाधान, राजनैतिक, नैतिक तथा सामाजिक सफलताओं

का व्यवहार मिल सकें। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर प्रशासन विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य करता है।

1. चिकित्सा व्यवस्था राष्ट्रों के बीच विकलांगों के उपकरणों हेतु व्यापारिक संबंधों को बनाए रखना।
2. संगठित राष्ट्रों के साथ किए जाने वाले व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय विधि बंधनों के प्रति आदान-प्रदान करने वाली व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से बनाए रखना।
3. अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति की व्यवस्था करना ही महत्वपूर्ण माना गया है।
4. अन्तर्राष्ट्रीय विचारों को मध्यस्थता के लिए एक-दूसरे को प्रोत्साहन देने का संकल्पित करना चाहिए।

समाधान - समाधान की ओर बढ़ते हुए सामाजिक, राजनैतिक, प्रशासनिक और नैतिक पवित्रता के साथ प्रत्येक व्यक्ति को विकलांगों की सहायता करनी चाहिए। क्योंकि ये भी हम आप जैसे एक मनुष्य हैं। इनके साथ-साथ होने वाले भेदभाव को कम करना समाज का मूल कर्तव्य है।

निकट दृष्टि दोष (मायोपिया) - आँख यदि लम्बी हो तो दूर से आ रही। उससे प्रकाश की किरणें दृष्टि पटल तक पहुँचने से पहले ही अपना बिम्ब निर्धारित कर लेती हैं। इसी से दूर की आकृतियाँ वस्तुतः धुंधली दिखाई देती हैं। इसे ही निकट दृष्टि दोष या मायोपिया की दृष्टि दोष कहा जाता है। इसमें पास की वस्तुएं साफ दिखलाई देती हैं। इसलिए इसे निकट दृष्टि माना जाता है। इसका इलाज माइनस (-) कॉन्केव लेंस द्वारा किया जा सकता है। जो कि ऐनक या कॉन्टेक्ट लेंस द्वारा संभव हो सकता है।

दूर दृष्टि दोष या हाइपर मेट्रोपिया - इसमें आँख की लम्बाई छोटी होती है। आँख की रोशनी पटल के पीछे बिम्ब बनाती हैं परन्तु दूर से आने वाली किरणें पटल पर बिम्ब को दर्शाती हैं। इसमें पास का धुंधलापन दिखाई देता है। जहाँ दूर की वस्तु साफ-साफ दिखलाई दे सकती हैं। इसे दूर दृष्टि कहा जाता है। इसका इलाज प्लस (+) या कॉन्वेक्स लेंस द्वारा किया जा सकता है।

विषम दृष्टि - इस रोग में आँख के स्वच्छ मंडल का उभार न केवल कम ज्यादा होता है। इस प्रकार से उनकी सतह भी एक समान नहीं होती है। फलतः प्रकाश के द्वारा आँख की किरणें आँख के भीतर भाग में भी स्थान पर एक केन्द्र बिन्दु के रूप में फोकस नहीं हो पाता है। इसे ही विषम दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका उपचार सिलेट्रिकाल लेंसेस द्वारा किया जाता है। इस लेंस के एक अक्ष रेखा में पावर होती है। दूसरे हिस्से में नहीं होती।

* प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.) भारत

आँख की संरचना - प्रशासन द्वारा आँख और शरीर का एक अत्यन्त विकसित और जटिल अंग है। जहाँ मस्तिष्क का एक भाग विद्यमान है। यही कारण है कि आँख के रोग मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। आँख का आकार लगभग गोल होता दिखाई देता है। इसका व्यास लगभग 24 मि. मी. होता है। आँख की सुरक्षा के लिये अस्थि गुहा का होना आवश्यक होता है। इसका व्यास लगभग 35 से 40 मि. मी. होता है आँख के बाद खाली जगह को भरने के लिए वसा और मसल्स की आवश्यकता होती है।

3. विभिन्न सहायता एवं सहयोग के निर्धारण - प्रशासन द्वारा विभिन्न सहायता और सहयोग का निर्धारण किया जाता है। वहाँ राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य है कि छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिसका उपयोग वह अपने स्वयं के लिए एवं अपने देश के विकास के लिए कर सकें। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में क्षेत्रीयता की संकीर्ण मनोवृत्ति, भाषावाद, अलगाववाद, सामाजिक और आर्थिक विषमताएं तथा अशिक्षा आदि प्रमुख बाधाएं रही हैं। शिक्षा ही असमानता को दूर करती है। यहाँ लोगों के दृष्टिकोण को व्यापक करती है। सहनशील और मानवीय बनाया करती है। शिक्षा व्यक्तियों के मूल्यों, विचारों के द्वारा आचरण पर अनुकूल प्रभाव डालती है। प्रभावशाली शिक्षण एवं पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के कारण छात्रों में भावनात्मक एकता और सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। यह व्यक्ति के जीवन को निखारने के लिए प्रत्युत्तर उत्पन्न होती है। उनमें वे सभी गुणों का विकास करते हैं। वह उत्तम नागरिक बनते हैं। अतः राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए लोगों में व्यस अज्ञानता को दूर करना नितान्त है।

नैतिक शिक्षा का उद्देश्य - नैतिक शिक्षा और व्यवहार के लिए दी जाने वाली शिक्षा ही बालक में नैतिकता के विकास को मजबूत करती है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति मानव में जन्मजात नहीं वरन अर्जित की जाती है। पहली बार इसे अनुकरण से फिर अपने विचारों और आदर्श से ग्रहण किया जाता है। इसे बालक परिवार, विद्यालय मित्रमंडली वातावरण आदि के मध्य रहकर सीखता है।

वह अपने आचरण द्वारा इसे प्रदर्शित करता है। बालक में नैतिक शक्तियों का विकास, तर्क शक्तियों का विकास होता है।

निष्कर्ष - व्यवसायिक उद्देश्य जीविकोपार्जन के साधन को संबंधित किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत ही शिक्षा ऐसी हो कि जिसका समाप्त करने के बाद व्यक्ति किसी व्यवसाय या रोजगार में लग जाते हैं। अतः इसकी पूर्ति के लिए पाठ्यक्रमों में व्यवसायिक तकनीकी विषयों के लिए परम आवश्यक सिद्ध होता है। व्यवसायिक शिक्षा के वे लोग आजीवन कष्ट उठाते हैं। केवल विद्यालय ही जाते हैं। इसके उपलब्ध रोजनगारों की सूची एवं उसका प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी उपलब्ध होना चाहिए। शिक्षा के उपरान्त बालकों को उसके विशेष प्रशिक्षण के लिए यहाँ-यहाँ भटकना न पड़े। इस हेतु प्रशासन द्वारा विकलांग व्यक्तियों के सम्पूर्ण साधनों को जुटाने और कृतिम अंगों के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें वितरित करने का प्रयास किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारद्वाज अरुणा, लोकतांत्रिक विकास की अवधारणा एवं भारत में पंचायती राज का विकास पी.पी.गौर एवं मराठा (संपादित) आदित्य पब्लिशर्स बीना, 2001, पृष्ठ 10
2. डॉ. नरेश कुमार, विकलांग बालकों की शिक्षा, पंकज पुस्तक मन्दिर, आजाद नगर, दिल्ली, संस्करण 2010, पृष्ठ 47
3. डॉ. देवेन्द्र सिंह, चाइल्ड लेवर एण्ड राइट टू एजुकेशन, अकलंक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, संस्करण 2013, पृष्ठ 30
4. आर.सी. शर्मा, भारतीय शासन एवं राजनीति, अन्सारी रोड दरियागंज नई दिल्ली, संस्करण 2013, पृष्ठ 40
5. विनोद कुमार मिश्र, विकलांगता की समस्याएँ व समाधान, जगताराम एण्ड संस अंसारी रोड, दरियागंज नयी दिल्ली, संस्करण 2010, पृष्ठ 65
6. विनोद कुमार मिश्र, विकलांगों के अधिकार, कल्याणी शिक्षा परिषद्, संस्करण 2008, पृष्ठ 28

लोक संस्कृति का संवाहक : लोक साहित्य

जयमाला वागद्रे *

प्रस्तावना - संस्कृति जीवन की आधारशिला है। किसी अंचल विशेष में रहने वाले लोक की संस्कृति मानव-जीवन की बहुत सी क्रियाओं में स्वयमेव ही परिलक्षित होती है। जीवन के समस्त पक्षों तक इस संस्कृति का विस्तार इस तरह होता है कि लोक की समस्त जीवन पद्धति ही लोक-संस्कृति में सन्निहित प्रतीत होती है। अतः लोक-संस्कृति किसी अंचल की मूल्यवान धरोहर के रूप में विविध आयामों को धारण किए लोकमानस द्वारा अभिव्यक्त होती है। लोक की जीवन-पद्धति लोकभाषा के माध्यम से लोककलाओं, जीवन-मूल्यों, रीति-रिवाजों, व्रत-त्योहार, परम्परा, विश्वास, संस्कारों आदि के साथ मूर्तिमान होती है जो इस अंचल के समस्त सांस्कृतिक परिवेश की झाँकी को उपस्थित करते हैं।

लोक-संस्कृति के एक प्रमुख अंग के रूप में लोक साहित्य को देखा जाता है। अतः जब भी हमें किसी अंचल की संस्कृति को जानना हो वहाँ के लोक साहित्य का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। लोक साहित्य को इस प्रकार पारिभाषित किया जा सकता है कि लोक साहित्य ऐसी ग्राम्य जनता का साहित्य है जिसमें इस जनता का जीवन सरल, अकृत्रिम होता है तथा अपनी सरल-सहज जीवन शैली में वह उन समस्त कार्यों को कर आनन्द प्राप्त करते हैं जिसमें उनकी आस्था है, जिस पर उनका विश्वास है या वे जिसको उचित मानते हैं। उस समूची जनता के इन्हीं समस्त कार्यों का लेखा-जोखा लोक साहित्य उपलब्ध कराता है। इस प्रकार ग्राम्य जनता की जीवन-पद्धति की जानकारी लोक साहित्य द्वारा प्राप्त होती है या यूनं कहा जा सकता है इस जनता के रीति-रिवाज, परंपराएँ, जीवन-मूल्य, विश्वास आदि लोक व्यवहार का अध्ययन लोक साहित्य उपलब्ध कराता है। इस साहित्य की ओर हमें संस्कृति के मूल तत्व ही आकर्षित करते हैं क्योंकि वास्तव में लोकसाहित्य लोक-संस्कृति की अभिव्यक्ति ही है।

किसी देश की सभ्यता एवं संस्कृति, रीति-रिवाज, कला, साहित्य एवं धर्म-विश्वास आदि समस्त पक्षों की अभिव्यक्ति लोक साहित्य के माध्यम से ही संभव है। यह लोक की धड़कन का काव्यात्मक संगीत व लोक रंजनात्मक वाचिक परम्परा का प्रतीक है। यह लोकजीवन का सहज तथा जीवंत माध्यम होता है जिसमें लोक की सत्यता, निश्चलता, स्वाभाविक लोकानुभूति तथा मंगलाशा के दर्शन होते हैं। लोक में प्रचलित समस्त मान्यताएँ मूलतः लोक विश्वास पर आधारित होती हैं। लोक की यही मान्यताएँ लोकजीवन से जुड़कर नवचेतना का संचार करती हैं यही नवचेतना लोक में प्रचलित समस्त परम्पराओं, मान्यताओं, लोक व्यवहार तथा लोकविश्वासों की व्याख्या करती हुई लोक को एक नये मार्ग पर स्थापित करती हैं। लोक के सांस्कृतिक परिवेश को समझने हेतु इस जनचेतना को समझना होगा जिसके लिए संस्कृति का अनुशीलन आवश्यक है।

'संस्कृति' एक व्यापक शब्द है जो सामाजिक विरासत का विलक्षण रूप है। नरेन्द्र मोहन के शब्दों में इसे आसानी से समझा जा सकता है- 'संस्कृति का संबंध मानव की अंतर्मुखी दशा से है। जिस कर्म व भाव से हमारे संस्कार सुंदर बनें, जिससे 'कृति' का सौंदर्य तथा दिव्यता अधिक स्पष्टता से प्रकट हो सके, वही है संस्कृति।' लोकजीवन की उदात्ता को प्रदर्शित करता संस्कृति का यह रूप सर्वग्राह्य है जिसमें ज्ञानात्मक संवेदना प्रदर्शित होती है। संस्कृति लोकजीवन की आधार शिला है जिसका सर्वप्रमुख उद्देश्य मानव के आंतरिक गुणों का विकास करना है। इसी संस्कृति के मूल तत्व लोक साहित्य में समाहित होकर अपने अस्तित्व को लोक में बनाए हुए है। लोक साहित्य की अखण्डता ही संस्कृति का स्वरूप निर्माण करने में सहायक होती है। यह लोक जीवन में व्यक्ति के मनोगत का एक ऐसा अंश बन जाता है जो एक परम्परा का निर्माण कर संस्कृति के स्वरूप को परिपुष्ट करता है। लोक साहित्य आनन्दमयी अभिव्यक्ति के रूप में अपने मंगलकारी स्वरूप के साथ लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बनता है। उसी लोक की अभिव्यक्ति जिसके जीवन-मूल्य, परम्परा, विश्वास, आचार-विचार, भाषा, रहन-सहन सभी लोक साहित्य के प्रमुख तत्व होते हैं। वास्तव में जीवन-निर्वाह करने की रीति, परम्परा और संस्कार ही लोक-संस्कृति की निर्माणी प्रक्रिया है। डॉ. गोविन्द चातक कहते हैं- 'वास्तव में लोक संस्कृति की आत्मा लोक-गीतों में ही निवास करती है। लोक-गीतों के रूप में लोक-संस्कृति अपना एक संक्षिप्त परिचय देती है। लोक-गीत, लोक जीवन से उद्भूत होते हैं इसलिए लोक की प्रभावशाली भावना उनमें अपने को प्रतिबिम्बित कर ही देती है। साथ ही व्यक्ति की अपेक्षा समष्टि से अधिक सम्बन्धित होने के कारण लोकगीत लोक संस्कृति की व्याख्या में अपना विशेष महत्व रखते हैं।'²

लोक साहित्य तथा लोक-संस्कृति का संबंध अन्योन्याश्रित है। लोक साहित्य में न केवल लोकगीत अपितु अन्य अभिव्यक्तियाँ भी हैं जिनके सहयोग से लोक-संस्कृति सम्पुष्ट होती है जैसे लोकगाथा, लोकनाट्य, लोककथा आदि। लोक साहित्य सामाजिक जीवन तथा लोक-संस्कृति के प्रभाव से बंधा होता है। यदि यह कहा जाये कि दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर लोक जीवन को आधार प्रदान करते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोक-संस्कृति लोक साहित्य के स्थापित मूल्यों की संरक्षक है। लोक जैसे जीवन जीता है वैसे ही लोकसाहित्य में वर्णित होता है और जो साहित्य में वर्णित होता है उसी का अनुकरण लोक द्वारा किया जाता है यहीं से संस्कृति का निर्माण होता है। इस प्रकार लोक साहित्य में संस्कृति के निर्माण की समस्त शक्तियाँ विद्यमान हैं जो मानव को मानव बनाती हैं। अतः लोक साहित्य लोक संस्कृति का प्रमुख संवाहक है। लोक-संस्कृति, लोक-साहित्य के

स्थापित मूल्यों की संरक्षक हैं। संस्कृति लोक-साहित्य में वर्णित गुणों तथा विशेषताओं की संवाहक होती है। लोक में लोक साहित्य द्वारा जो परोसा जा रहा है वह लोक में संस्कारित होकर संस्कृति का रूप धारण कर रहा है। दूसरे अर्थों में दोनों ही एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं। लोक-साहित्य लोक को देता है लोक-संस्कृति उसे आत्मसात करती है, यही मूलभूत अन्तर दोनों में है एक जन्म दाता है तो दूसरा पालनकर्ता। डॉ. भगवतशरण उपाध्याय संस्कृति के विषय में लिखते हैं- 'जो प्रकृति सिद्ध नहीं, मानव निर्मित है और जिसे मनुष्य अपनी कार्यात्मक-मानसिक आवश्यकताओं के लिये बनाता या विकसित करता है, वही संस्कृति है।'³ इस अर्थ में संस्कृति समाज में निर्मित होती है तथा समाज में रहकर ही इसे सीखा जाता है। उसकी अद्वितीय क्षमता ने ही उसे यह सामर्थ्य प्रदान किया है कि वह संस्कृति का निर्माण कर सके। यह सामर्थ्य लोक-साहित्य, लोक-कला, रहन-सहन, संगीत, श्रम-कुशलता, बुद्धि-कुशलता और पूजा-अर्चना, प्रेम-भक्ति आदि भाव से आती है। इसी का निर्वहन लोक-संस्कृति में होता है। संस्कृति में लोक मानस के समस्त कर्म समाहित है जो वह अपने जीवन में संपादित करता है।

मनुष्य का कर्म जब लोक में जाता है तब वह लोक-संस्कृति बन जाता है जैसे कला के सृजन व श्रम के कोई भी काम करना और काम करते हुए गाना, काम करते हुए नृत्य करना, काम करते हुए शिल्प गढ़ना, उसकी बौद्धिक क्षमता का परिचायक है। खाली समय में कथा सुनाना, पहली बूझना और महागाथाओं का पाठ करना मस्तिष्क का ही काम है। जंगलों में रहकर भी उसने घर बनाकर रहना सीखा, बच्चों के जन्म पर लोरी गाना सीखा, यही संस्कार उसने लोक को दिये, जो मानव के कर्म थे और कालान्तर में संस्कृति बन गये। 'लोक जीवन की समस्त शक्ति लोक साहित्य में अभिव्यक्त होकर शिव और सुन्दर बन जाती है। आरम्भ से अंत तक वह मंगलमयी है और उसकी जड़े धरा की कोख में गहरी रहती है, यह धरती से ही रस ग्रहण करती है, प्रकृति से ही उसका पोषण होता है, सामूहिकता ही उसकी विशिष्टता है। अतः यह लोक साहित्य संस्कृति की अमूल्य संपदा है।'⁴

लोक जीवन से अनुप्रेरित लोक साहित्य लोक-संस्कृति का वाहक

बनकर स्वयं को जीवंतता प्रदान करता चला आ रहा है। सम्पूर्ण लोक जीवन संस्कृति के नैतिक सिद्धांतों से भरा पडा है। लोक का कण-कण इस संस्कृति से उज्वल है। यही परंपरा सदियों से चली आ रही है जिसका गुणगान लोक साहित्य करता रहा है तथा भविष्य में भी यही परंपरा लोक-संस्कृति को सजीवता प्रदान करेगी। लोक मानस इस लोक-संस्कृति से उद्देलित होकर संस्कृति का गुण गाथाकार बनकर स्वयं को साक्षी रखकर लोक-संस्कृति को रक्षण प्रदान करेगा।

अंततः कहा जा सकता है कि लोक-साहित्य तथा लोक-संस्कृति का अटूट सम्बन्ध है। आधुनिक भौतिकतावादी युग ने हमारे लोक साहित्य (ग्राम्य जीवन) तथा उस पर आधारित लोक-संस्कृति को भी प्रभावित किया है। भारत गाँवों का देश है आधुनिक जीवन में हो रहे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक परिवर्तन से यह अछूता नहीं रह सकता अतः लोक जीवन, लोक साहित्य तथा लोक-संस्कृति का वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। हमारी परम्परागत लोक-संस्कृति अनेक बदलावों के बाद भी भारतीय लोक जीवन में रची बसी है जो सदैव बनी रहेगी तथा लोक साहित्य संवाहक बनकर इस लोक-संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी युग के अंत तक प्रवाहित करता रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नरेन्द्र मोहन: भारतीय संस्कृति सार विवेचन से, प्रका.-प्रभात प्रकाशन दिल्ली, सं.-2011
2. गोविन्द चातक: गढ़वाली लोकगीत: एक सांस्कृतिक अध्ययन, आमुख से, प्रका.-तक्षाशिला प्रकाशन नई दिल्ली, सं.-2003
3. डॉ. भगवतशरण उपाध्याय: सांस्कृतिक भारत, प्रका.-राजपाल एंड संस दिल्ली, सं.-1995, पृ. 9
4. डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव: लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, डॉ. रावेन्द्रकुमार साहू के लेख 'लोक साहित्य में अभिव्यक्त जीवन चेतना' प्रका.-ओमेगा पब्लिकेशन नई दिल्ली, सं.-2012, पृ. 5

बालश्रम और उसके उन्मूलन की रणनीति

डॉ. रेखा माली (PDF)*

प्रस्तावना - भारत में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में बाल श्रम एक ऐसी जटिल सामाजिक समस्या है, जिसका कोई सरल समाधान दूर-दूर तक दिखायी नहीं देता है। इस सामाजिक समस्या को समूल रूप से समाप्त करने हेतु वैश्विक और राष्ट्रीय मंच पर सतत प्रयास जारी है परन्तु यह समस्या आज भी 'जैसे की तैसी' बनी हुयी है। बाल श्रमिकों के संदर्भ में बनने वाले कानून नियमों और नीतियों तथा कार्यक्रमों के दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है तथा अब इस समस्या को बच्चों के मानवाधिकार और उनके सर्वांगीण विकास के पहलुओं को दृष्टिगत करते हुए विचार किया जाने लगा है। बाल श्रम के बारे में कई अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों का निधारण किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा अभिसमय सं. 138 में 'न्यूनतम आयु अभिसमय' के माध्यम से श्रमिकों की स्थिति और बाल श्रम को समाप्त करने संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को विनियमित किया जाता है तथा खडज की अभिसमय संख्या 182 के जरिए बाल श्रमिकों की खराब परिस्थितियों में कार्य करने पर रोक संबंधी नियमों व कानूनों को निर्मित करने को विनियमित किया जाता है भारत ने इन दोनों अभिसमयों को अपनी मंजूरी दे दी है। भारत सहित दुनिया के अनेक देश बालश्रम को समाप्त करने के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विधियों का निर्माण किया है। जिसका उद्देश्य शिक्षा, सामाजिक सुधार और जागृति बढ़ाने के कार्यक्रमों के माध्यम से बालश्रम समस्या में उतरोत्तर कमी लाना है। बच्चों के अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र संधि जिसके माध्यम से नागरिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की ओर ध्यान दिया गया है; अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम पर कार्यवाही सहयोग परियोजना लागू की, जिसका उद्देश्य बच्चों से मेहनत-मजदूरी कराने संबंधी कुप्रथा को समाप्त करने की केन्द्र सरकार की नियोजन और कार्यान्वयन क्षमता को बढ़ाना है। इससे चालू परियोजनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जाने वाली भावी परियोजनाओं में भी मदद मिलेगी।

1990 के बाल शिखर सम्मेलन और इसके बाद बच्चों की उतरजीविका, संरक्षण और विकास के बारे में घोषणा एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था जिसका संबंध बालश्रम से था। इस सम्मेलन के अन्त में जारी घोषणा में दुनिया के सभी राष्ट्रों से अनुरोध किया गया कि वे मेहनत मजदूरी करने वाले बच्चों की विशेष रूप से रक्षा करने और अवैध बाल श्रम के उन्मूलन हेतु कार्य करें। इसके साथ ही एक कार्य-योजना भी निर्मित की गई जिसमें सभी सदस्य देशों से अपेक्षा की गई थी कि वे जोखिम और शोषण वाली स्थितियों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगाने और उनके स्वस्थ और सार्वगण विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य करें। सभी बच्चों को शिक्षा

की सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी विश्व सम्मेलन बालश्रम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बाल श्रम करने वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली में लचीलापन बढ़ाने का आहवान किया गया है। 1995 में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन और अन्य विकासशील देशों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में बालश्रम को 'एक नैतिक बुराई और मानवता पर कलंक' करार देते हुए बालश्रम के उन्मूलन के लिए एक कार्य योजना विकसित की गई थी। अगस्त 1996 में बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण के बारे में स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें बाल वेश्यावृत्ति को पहली बार औपचारिक रूप से विश्व कार्यसूची में शामिल किया गया था। अगस्त 1996 में दक्षिण एशिया के बच्चों के बारे में सार्क के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी बाल श्रम को सन् 2010 तक पूरी तरह समाप्त करने का आह्वान किया गया था किंतु बालश्रम आज भी उसी तरह अपने पैर पसारते हुए है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में दासता या बंधुआ रूप में बच्चों से कराई जाने वाली मेहनत - मजदूरी, बाल मजदूरी तथा बाल वेश्यावृत्ति या अन्य गैर कानूनी यौन व्यवहार के जरिए बच्चों के शोषण और मादक पदार्थों की तस्करी और अश्लील चित्रों आदि के लिए बच्चों के इस्तेमाल को रोकने का भी संकल्प लिया गया। पाबंदी के अन्तर्गत ऐसे कार्य भी शामिल हैं जिनसे बच्चों के खासतौर पर गंभीर स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं या उनको शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है।

बाल श्रमिक सम्पूर्ण विश्व में कार्यरत है और यह समस्या दिन ब दिन एक विकराल रूप लेती जा रही है। बालश्रमिकों की स्थिति विकसित, विकासशील सभी देशों में अत्यन्त दयनीय है। इस तरह विकासशील देशों में कराए गए सर्वेक्षण से संकेत मिलता है। कि मेहनत-मजदूरी करने वाले बच्चों में से अधिकतर प्राथमिक क्षेत्र जैसे - कृषि, मछली पकड़ने, शिकार करने और वानिकी जैसे कार्यों में लगे होते हैं। वही 8-12 प्रतिशत बच्चे लोक विनिर्माण उद्योग, थोक और खुदरा व्यापार, रेस्तरा और होटलों में काम करते हैं, 9 प्रतिशत बच्चे घरेलू काम और 6 प्रतिशत बच्चे परिवहन, भंडारण और संचार में तथा 4 प्रतिशत बाल मजदूर निर्माण, खनन और खदानों में कार्य करते हैं। तंबाकू, काफी, कपास, रंबड, काँच चूड़ी, चाय तथा वाणिज्यिक खेती से जुड़े क्षेत्रों में बाल श्रम समस्या अति गंभीर रूप से प्रभावी है।

12 जून, 2002 को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रयोजित प्रथम 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस' के रूप में मनाने का आगाज किया गया, भारत ने इस आयोजन में निर्धनता और अशिक्षा से जुड़ी इस समस्या के समाधान के संकल्प को लेकर अन्य राष्ट्रों के साथ शामिल हुआ था। विश्व स्तर पर बाल श्रम उन्मूलन के लिए इस को मनाया जाता है, हर साल लाखों

बच्चों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस वजह से लोगों को बाल मजदूरी की समस्या के बारे में जागरूक करने और उनकी सहायता करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है।

सामाजिक-आर्थिक पहलू - जहाँ निर्धनता को बालश्रम का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वही इसके अन्तर्गत सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता, पक्षपात पूर्ण व्यवहार, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन अपराधिक शोषण, परम्पराएं, रीति-रिवाज, वयस्कों के लिए उचित रोजगार की कमी, भूमिहीनों की संख्या में वृद्धि इत्यादि बालश्रम समस्या के महत्वपूर्ण कारण हैं। खेती की जमीन की कमी की वजह से लोग मजदूरी और ठेके पर कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। इनमें से अधिकतर असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं जिसमें न तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम होता है और न श्रमिकों को उनकी सुरक्षा का इंतजाम होता है और न श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था होती है क्योंकि यह क्षेत्र श्रम कानूनों और नियमों के दायरे के तहत नहीं आता। अपर्याप्त सामाजिक संरक्षण के फलस्वरूप बच्चे घर से बाहर जटिल परिस्थितियों और शोषण के वातावरण में कार्य करने को मजबूर होते हैं। निरक्षरता, विद्यालयों की कमी, शीघ्र पैसा कमाने की लालसा तथा उपभोक्ता वस्तुएं जुटाने की होड़, भी इसका कारण है। लेकिन कुछ समीक्षकों के मत में बच्चों के आर्थिक योगदान को बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता है। उनका तर्क है कि श्रम बाजार में बच्चों के प्रवेश से वयस्कों की मजदूरी के स्तर में कमी आ जाती है और उनके रोजगार के अवसर भी घट जाते हैं। लेकिन इससे पारिवारिक आमदनी का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए उनका विचार है कि श्रमिकों की बहुतायत वाली अर्थव्यवस्था में बालश्रम का उन्मूलन संभव है। इस तरह का समिष्टगत तर्क उन परिवारों को बहुत कम राहत दे पाता है जो अपने अस्तित्व की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अपने बच्चों की आमदानी का लाभ उठाते हैं। इसके अतिरिक्त बालश्रमिकों को माता-पिता कम उम्र से ही अपने बच्चों के श्रम शक्ति में सम्मिलित हो जाने को कोई असामान्य बात नहीं मानते हैं क्योंकि बचपन में स्वयं उनका श्रम शक्ति में प्रवेश इसी तरह से हुआ होता है। इसके अलावा जहां माता-पिता बच्चों से मजदूरी के बदले नियोक्ता से पैसा अग्रिम रूप से स्वीकार कर लेते हैं, वहां वे कभी यह देखने नहीं जाते कि उनका बच्चा किन स्थितियों में काम कर रहा है, इसी वजह से ये बच्चों नियोक्ता और मालिकों की दया पर निर्भर होते हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आते हैं जहां माता-पिता ने नियोक्ता द्वारा बच्चों में काम के प्रति दिलचस्पी की कमी और सुस्ती से काम करने की शिकायत करने पर अपने ही बच्चों को सजा दी है। इस तरह बालश्रम को दृढ़ करने में कहीं ना कहीं माता-पिता की भूमिका भी प्रभावी रहती है।

समाज में बढ़ते बालश्रम समस्या के लिए कई महत्वपूर्ण कारण उतरदायी हैं। बालश्रम सस्ता और लचीला होता है बाल श्रमिक कम मजदूरी पर काम करते हैं, वे हर परिस्थितियों में मौन रह कर काम करने को तैयार रहते हैं, उनकी यूनियन नहीं होती है, उनको अनुशासन में रखना काफी सरल है, उन्हें कार्य करने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है, वे वयस्कों समान ही उत्पादन देते हैं, उनको काम पर रखने से नियोक्ता को कम व्यय में अधिक उत्पादन का फायदा मिलता है, इन्हें आसानी से कार्य से निकाला जा सकता है, किंतु फिर भी ये नियोक्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। कुछ नियोक्ताओं का कहना है कि बाल श्रमिक कुछ परिस्थितियों में वयस्कों से अच्छा कार्य करते हैं जैसे माचिस बनाना, कालीन बनाना, साड़ी बुनना आदि में। परन्तु नियोक्ता का विचार है कि वे बच्चों को रोजगार

देकर भारी आर्थिक संकट में पड़े परिवार को मदद देते हैं। उनका दावा यह भी है कि वे बच्चों को रोजगार देकर वे उन्हें अनुशासित कामगार बनाते हैं जो अन्यथा आवारागर्दी कर रहा होता है या किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो सकता था। इसलिए वे बालकों को मेहनत-मजदूरी के काम पर रखना उन्हें नैतिक दृष्टि से किसी तरह अनुचित नहीं लगता।

किंतु बाल श्रम के कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले आंदोलनकारी स्वैच्छिक संगठनों के कार्यकर्ता, नियोक्ताओं के इस दृष्टिकोण से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि इन इकाईयों में सारा काम सामान्य तौर पर श्रम प्रधान गैर-यांत्रिक गतिविधियों से होता है। इसी कारण वे बच्चों को काम पर रखते हैं जिससे उन्हें पैसों और श्रम दोनों की बचत होती है। बाल श्रमिकों की मांग से बढ़ती के अन्य कारण हैं : कुटीर उद्योगों की उत्पादकता और लाभप्रदता में कमी आना, जिस कारण से ये उद्योग किसी वयस्क श्रमिकों को काम पर नहीं रखते हैं। इसके अलावा बाल श्रमिकों संबंधी कानूनों पर सख्ती से कार्यवाई ना होना, और सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में पढाई ठीक से न होना भी बच्चों से श्रम कराने की प्रवृत्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। इस तरह बाल श्रम आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों के अभावों का नतीजा है।

रोजगार की स्थिति और इसका बाल श्रमिकों पर प्रभाव - बच्चों को जिस तरह से व्यवसायों में कार्य करने हेतु लगाया जाता है उनमें परिवार आधारित गतिविधियों से लेकर उत्पादन इकाईयों या शोषण करने वाली वाणिज्यिक इकाईयों, जोखिम वाले कार्यों आदि में मजदूरी का काम शामिल है। उत्पादन इकाईयों में मजदूरी कमाने वाले श्रमिकों के रूप में बच्चों को वयस्कों के साथ ही काम पर रखा जाता है जिन्हें वह अपने हिसाब से नियंत्रित करते रहते हैं उदाहरणार्थ शिवकाशी में माचिस बनाने वाली इकाईयों में बच्चे, खास तौर से बालिकाओं को तीलियों की भराई में, डिब्बियां बनाने में, गिनती करने में जैसे कार्यों में बड़ी संख्या में रखा जाता है जबकि पटाखों के उद्योग में उन्हें कागज की रंगाई, छोटे-मोटे पटाखें बनाने, बारूद को पटाखों में भरने और लपेटने और पटाखों को अंतिम रूप देने में काम में लगाया जाता है। काँच उद्योग में उन्हें पिघले काँच को फुलाकर बल्ब बनाने, काँच के उपकरणों की सफाई, तैयार माल को चमकाने, खराब माल को छंटने और पिघले काँच को लाने-ले-जाने के काम में लगाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार इस उद्योग में 35-50 प्रतिशत तक श्रमिक बाल मजदूर होते हैं। इस तरह बाजार शक्तियों के कारण उत्पादन की कुटीर उद्योग प्रणाली के स्थान पर लघु उद्योग प्रणाली के आने से हस्तशिल्पियों के बच्चे जो पहले अपने ही घर के कुटीर उद्योग में काम करते थे मजदूरी पर रखे गए बाल मजदूर एक ही साथ काम करते हैं। इसके अलावा बच्चों को ढाबों और टी-स्टॉल में भी काम पर रखा जाता है जहाँ उनके काम के घंटे बड़े लम्बे होते हैं। उन्हें खाने को भोजन और सोने को जगह तो मिल जाती है मगर पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती। काम ठीक से न होने पर उन्हें मार भी खानी पड़ती है। बालश्रमिकों की स्थिति तब दयनीय हो जाती है जब परिजन मालिक से अग्रिम राशि लेकर अपने बच्चों को गिरवी रख देते हैं।

बालश्रमिकों को एक बड़ा हिस्सा घरेलू नौकरों के रूप में हमारे समाज में दिखायी देता है। मध्यम और उच्च वर्ग के परिवारों द्वारा गरीब परिवारों के बच्चों को घरेलू काम के लिए रख लिया जाता है। इस तरह ग्रामीण परिवेश का गरीब बच्चा घरेलू काम करने के लिए शहर में किसी परिवार के यहां बाल श्रमिक के रूप में कार्य करता है, और उसकी मजदूरी उसके माता-पिता को दे दी जाती है इस तरह वह बच्चा उस परिवार में भोजन और रहने की सुविधा

के तहत उस घर में एक बंधक बनकर रह जाता है। इस तरह घरेलू नौकर असुरक्षित वातावरण में जीवन जीता है जिससे उसके मन में कुंठा जन्म ले लेती है। बाल श्रमिक के तहत अर्द्ध रोजगार श्रेणी में आने वाले बाल मजदूर भी शामिल हैं जैसे कूड़ा बीनने वाले, जूता पॉलिश करने वाले, दैनिक उपयोग का सामना बेचने वाले, बाजार और रेलवे स्टेशनों में बोझा ढोने वाले आदि शामिल हैं।

इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बाल मजदूरों को तमाम तरह के शोषण और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, भले ही वे जोखिम वाली स्थितियों में काम करते हों या बिना जोखिम वाली हैं। ऐसे में स्थिति से निपटने हेतु तत्काल प्रभाव से कारगर हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

हस्तक्षेप की रणनीति – बाल श्रम की समस्या से निपटाने के लिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और सर्वशिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किए गए वहीं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24 को रखा गया है। अनुच्छेद 23 के अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। और संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल के कम उम्र का कोई बच्चा किसी फैक्टरी या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा और फैक्टरी कानून 1948 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करता है। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्टरी में तभी नियुक्त किये जा सकते हैं, जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाणपत्र हो। इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन साढ़े चार घंटे की कार्यावधि तय की गयी है और रात को उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी इतने कड़े कानून होने के बाद भी बच्चों से होटलों, कारखानों, दुकानों इत्यादि में दिन-रात कार्य कराया जाता है। जिससे मासूम बच्चों का बचपन पूर्णरूप से प्रभावित होता है।

14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (2009) की व्यवस्था इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है जो बालश्रम समस्या को कुछ हद तक कम करने में सहायक है। इस तरह गरीबी उन्मूलन और प्राथमिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाने को शताब्दी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है। बाल श्रम की समस्या समाधान के लिए बालश्रम (निवारण और विनियमन) अधिनियम 1986 एक महत्वपूर्ण कानून है।

जिसके अनुसार खतरनाक वाले कुछ ख़ास उद्योगों और प्रक्रियाओं में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने पर पाबंदी लगाई गई है। इस अधिनियम को 2016 में संशोधित कर कुछ और प्रावधान किए गए हैं। जिससे इस अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से क्रियान्वयन हो सके।

1980 के दशक के मध्य से सरकार बालश्रम समस्या के सन्दर्भ में सक्रिय हो गई थी और इसी दिशा में बालश्रम निवारण हेतु 1987 में राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई – जिसका उद्देश्य बालश्रम की अधिकता वाले क्षेत्रों में कार्यान्वयन, पुर्नवास और सेवाओं के बीच अधिक समन्वित प्रावधान करके बच्चों को मेहनत-मजदूरी कराने पर रोक लगाना है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं 1988 में लागू की गयीं। इसे विशेष क्षेत्रों में लागू किया गया और समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। काँच, गलीचे, स्लेट, टाइल्स, पटाखें, दियासलाई कांसे का सामान, बीड़ी बनाने जैसे व्यवसायों और उद्योगों में सरकार, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक सहयोग से समन्वित तरीके से इन परियोजनाओं को लागू किया गया था।

अनिवार्य और सबसे प्राथमिक शिक्षा के साथ आमदनी बढ़ाने महिला सशक्तीकरण, बलश्रम संबंधी कानूनों पर अमल, न्यूनतम मजदूरी कानून और मेहनत मजदूरी से बच्चों को हटाने से प्रभावित परिवारों के लिए सामाजिक सेवाओं के प्रावधान को बाल श्रम की समस्या से निपटने का सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य और गरीबी जैसे मुद्दों को कारगर संयुक्त रणनीति के तहत शामिल करना होगा। सामाजिक हस्तक्षेप की इन अतिरिक्त रणनीतियों को अपनाने के उद्देश्य ने केवल बाल श्रमिकों के लिए की नहीं बल्कि परिवार, समुदाय और समग्र सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण के लिए भी सेवाओं के समन्वय को आसान बनाना है। स्वास्थ्य क्षेत्र की रणनीतियों का उद्देश्य मजदूरी करने वाले बच्चों को स्वास्थ्य की देखभाल और इससे संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना बाल श्रमिकों और समाज के बाल मजदूरों के लिए जोखिम के बारे में जागरूक बनाना और चिकित्सा और परामर्श सेवाएं सुलभ कराना है। गरीबी उन्मूलन की रणनीति के तहत ऐसे उपाय शामिल हैं। जिनमें बाल श्रमिकों के परिवारों को पर्याप्त रोजगार और आमदनी बढ़ाने के अवसर के साथ-साथ ऋण सुविधा, सहकारी योजनाओं और सुधरा हुआ आधार भूत ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। महिलाओं के सशक्तीकरण की नीति के तहत समाज तथा परिवारों में उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामुदायिक स्तर के सुधार का लक्ष्य रखा जाएगा। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि इलाज कराने से बीमारी की रोकथाम करना हमेशा बेहतर होता है। इसलिए बाल श्रमिक और उसके परिवार की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और संभावित क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

फैजाबाद मण्डल में मलिन बस्तियों की समस्या एवं उनमें आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता का स्तर: एक भौगोलिक विश्लेषण

डॉ. बृज विलास पांडे* राज कुमार यादव**

शोध सारांश - वर्तमान समय में नगरों में बढ़ती जनसंख्या के दबाव के फलस्वरूप भूमि की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है, जिसके कारण गरीब एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए नगरों में अपना खुद का घर बनाना अत्यंत कठिन हो गया है, जिस कारण आज नगरों में मलिन बस्तियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। अध्ययन क्षेत्र में भी प्रायः यही स्थिति देखने को मिलती है। अध्ययन क्षेत्र फैजाबाद मण्डल उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में अवस्थित है। इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार $26^{\circ} 01' 30''$ उत्तरी अक्षांश से $27^{\circ} 19'$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^{\circ} 58'$ पूर्वी देशांतर से $83^{\circ} 05'$ पूर्वी देशांतर के मध्य है। अध्ययन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 17,185 वर्ग किमी है। प्रशासनिक दृष्टि से फैजाबाद मंडल में बाराबंकी, फैजाबाद, सुलतानपुर, अंबेडकर नगर और अमेठी जनपद सम्मिलित हैं। अध्ययन क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों में कुल मलिन बस्तियों की संख्या 74 है, जिनमें 22,874 परिवार निवास करते हैं। इन परिवारों की कुल जनसंख्या 1,21,118 है, जिनमें नगरों की कुल जनसंख्या का 3.97 प्रतिशत भाग निवास करता है। इन 74 मलिन बस्तियों में 65 बस्तियों में ड्रेनेज प्रणाली उपलब्ध है वहीं इन बस्तियों में 170.84 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें बिछाई गई हैं। यहां नागरिकों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने के लिए 2,150 नल बिंदु स्थापित किए गए हैं। यहां निजी शौचालय के लिए उपलब्ध गड्डों की संख्या 1,783 है, इन निजी शौचालय में 3,132 फलश उपलब्ध हैं, यहां अन्य प्रकार के निजी शौचालयों की संख्या 503 है तथा निजी सामूहिक शौचालय की संख्या 22 है। इन मलिन बस्तियों में सड़कों पर प्रकाश हेतु 1,497 विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं, वहीं घरेलू विद्युत कनेक्शनों की संख्या 1,269 और इसके अतिरिक्त अन्य विद्युत कनेक्शनों की संख्या 988 है।

शब्द कुंजी - ड्रेनेज प्रणाली, फलश, सामूहिक शौचालय और घरेलू विद्युत कनेक्शन।


प्रस्तावना - आज नगरों की सबसे बड़ी समस्या आवासों की कमी और उसके प्रभावस्वरूप उत्पन्न होने वाली मलिन बस्तियां हैं। अध्ययन क्षेत्र में कुल नगरीय जनसंख्या का 3.97 प्रतिशत भाग मलिन बस्तियों में रहने को विवश है। इन मलिन बस्तियों में न ही बेहतर जीवन सुविधाएं हैं और न ही स्वस्थ वातावरण। अध्ययन क्षेत्र में जिस प्रकार से नगरीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में आवासों का निर्माण ना होने के कारण बेघर लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर प्रतिदिन आने वाली भीड़ को यहाँ काम तो मिल जाता है, किंतु नगर में भूमि की अत्यधिक कीमतों और भवनों का अत्यधिक किराया होने के कारण उन्हें इन मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है। गंदी बस्तियों के लिए सामान्यतः 'स्लम' (Slums) शब्द का उपयोग किया जाता है। इन मलिन बस्तियों के चतुर्दिक गंदगी और कचरे के ढेर ही नजर आते हैं। इन बस्तियों में रहने वाले बच्चे और महिलाएं इन कचरे के ढेरों से प्लास्टिक एकत्र करते हैं और उन्हें बेचकर अपना घर चलाते हैं इन मलिन बस्तियों में अपराधों की दर और नशीले पदार्थों के सेवन करने वालों की संख्या अधिक होती है।

बाराबंकी नगर में देवा रोड, फैजाबाद मार्ग, मालगोदाम रोड, बंकी रोड एवं रेल मार्ग, फैजाबाद नगर में टिकैत नगर-मनकापुर रोड, मकबरा-फतेहगंज रोड, फतेहगंज-देवकली मार्ग, लालबाग रोड एवं फैजाबाद एयरपोर्ट रोड, सुलतानपुर नगर में सुलतानपुर-कुड़वार मार्ग, शंकरपुरम रोड

एवं पंचरस्ता रोड, अमेठी नगर में अमेठी-दुर्गापुर रोड, अमेठी-मुंशीगंज मार्ग और अंबेडकर नगर में तमसा मार्ग, टांडा मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9अ पर इस प्रकार की मलिन बस्तियां मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। इस शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य इन मलिन बस्तियों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता के स्तर का अध्ययन कर यहाँ निवास कर रहे लोगों के जीवन की गुणवत्ता को मापना है।

अध्ययन क्षेत्र:

मानचित्र 1: फैजाबाद मण्डल की अवस्थिति



* एसोसिएट प्रोफेसर, के.एस. साकेत पी.जी. कॉलेज, अयोध्या, फैजाबाद (उ.प्र.) भारत
** शोधकर्ता, के.एस. साकेत पी.जी. कॉलेज, अयोध्या, फैजाबाद (उ.प्र.) भारत



फैजाबाद मण्डल उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में अवस्थित है, जिसे पूर्वांचल प्रदेश भी कहा जाता है। इसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार $26^{\circ} 01' 30''$ उत्तरी अक्षांश से $27^{\circ} 19'$ उत्तरी अक्षांश तथा $80^{\circ} 58'$ पूर्वी देशांतर से $83^{\circ} 05'$ पूर्वी देशांतर के मध्य है। अध्ययन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 17,185 वर्ग किमी है। प्रशासनिक दृष्टि से फैजाबाद मंडल में बाराबंकी, फैजाबाद, सुलतानपुर, अंबेडकर नगर और अमेठी जनपद सम्मिलित हैं।

शोध परिणाम – फैजाबाद मंडल में कुल मलिन बस्तियों की अनुमानित संख्या 74 है, इनमें 20 मलिन बस्तियां बाराबंकी जनपद में, 18 फैजाबाद जनपद में, 22 अंबेडकर नगर जनपद में, 8 सुलतानपुर जनपद में और 6 मलिन बस्तियां अमेठी जनपद में अवस्थित हैं। इन मलिन बस्तियों में रहने वाले कुल परिवारों की संख्या 22,874 है, जिनमें 3,604 परिवार बाराबंकी जनपद में, 9,974 फैजाबाद जनपद में, 7,223 अंबेडकर नगर जनपद में, 1,275 सुलतानपुर जनपद में और 798 अमेठी नगर में स्थित है। यदि इन मलिन बस्तियों में रहने वाली कुल जनसंख्या पर दृष्टि डालें तो स्पष्ट होता है कि इन मलिन बस्तियों में रहने वाली कुल जनसंख्या 1,21,118 है, जिसमें बाराबंकी नगर में 18,013 फैजाबाद जनपद में 401,86 अंबेडकर नगर जनपद में 47,012 सुलतानपुर जनपद में 12,250 और अमेठी जनपद में 3,657 लोग इन मलिन बस्तियों में निवास करते हैं। यदि नगरों की कुल जनसंख्या में इन मलिन बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात किया जाए तो स्पष्ट होता है कि फैजाबाद मंडल की कुल नगरीय जनसंख्या का 3.97 प्रतिशत भाग इन मलिन बस्तियों में रहने को विवश है, इनमें बाराबंकी जनपद में 4.99 प्रतिशत, फैजाबाद जनपद में 2.04 प्रतिशत, अंबेडकर नगर जनपद में 7.28 प्रतिशत, सुलतानपुर जनपद में 3.15 प्रतिशत और अमेठी जनपद में 2.41 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या मलिन बस्तियों में रहती है।

तालिका- 1: फैजाबाद मण्डल में मलिन बस्तियों का वितरण

जनपद का नाम	कुल मलिन बस्तिया	कुल परिवार	मलिन बस्तियों में रहने वाली कुल जनसंख्या	नगर की कुल जनसंख्या का प्रतिशत
बाराबंकी	20	3,604	18,013	4.99

फैजाबाद	18	9,974	40,186	2.04
अंबेडकर नगर	22	7,223	47,012	7.28
सुलतानपुर	8	1,275	12,250	3.15
अमेठी	6	798	3,657	2.41
कुल	74	22,874	1,21,118	3.974

स्रोत: भारतीय जनगणना, 2011

तालिका-2: फैजाबाद मण्डल की मलिन बस्तियों में पक्की सड़कों और पेयजल आपूर्ति का वितरण

जनपदका नाम	पक्की सड़क (कि.मी. मे)	संरक्षित जल आपूर्ति के लिए स्थापित नल बिंदु
बाराबंकी	12.59	104
फैजाबाद	39.75	1427
अंबेडकर नगर	16.8	205
सुलतानपुर	85.5	267
अमेठी	16.2	147
कुल	170.84	2150

स्रोत: भारतीय जनगणना, 2011

फैजाबाद मंडल में स्थित इन मलिन बस्तियों में पक्की सड़कों की कुल लंबाई 170.84 किलोमीटर है, जिनमें बाराबंकी जनपद में 12.59 किलोमीटर, फैजाबाद जनपद में 39.75 किलोमीटर, अंबेडकर नगर जनपद में 16.8 किलोमीटर, सुलतानपुर नगर में 85.5 किलोमीटर और अमेठी नगर में 16.2 किलोमीटर सड़क सम्मिलित है। इसी प्रकार फैजाबाद मंडल में स्थित मलिन बस्तियों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु स्थापित नल बिंदुओं की संख्या 2,150 है, जिनमें बाराबंकी जनपद में 104, फैजाबाद जनपद में 1,427, अंबेडकर नगर जनपद में 205, सुलतानपुर जनपद में 267 और अमेठी जनपद में 147 पेयजल आपूर्ति बिंदु सम्मिलित हैं।

फैजाबाद मंडल में स्थित कुल 74 मलिन बस्तियों में से 65 मलिन बस्तियों में ही ड्रेनेज प्रणाली स्थापित की गई है, जिनमें बाराबंकी जनपद में 20 बस्तियां, फैजाबाद जनपद में 18 अंबेडकर नगर जनपद में 13 सुलतानपुर जनपद में 8 और अमेठी जनपद में 6 बस्तियां सम्मिलित हैं। इन ड्रेनेज प्रणाली में कुछ ड्रेनेज प्रणाली खुले प्रकार की है, जबकि कुछ ड्रेनेज प्रणाली बंद प्रकार की हैं केवल 9 मलिन बस्तियां ही ऐसी हैं, जिनमें ड्रेनेज प्रणाली का पूर्णतः अभाव है।

फैजाबाद मंडल में निजी शौचालयों के लिए उपलब्ध गह्वों की संख्या 1,783 है, इनमें बाराबंकी जनपद में 530 गह्वे, फैजाबाद जनपद में 601 गह्वे, अंबेडकर नगर में 245 गह्वे, सुलतानपुर जनपद में 265 गह्वे और अमेठी जनपद में 142 गह्वे हैं, इस प्रकार यहां निर्मित अधिकांश शौचालयों में मल के एकत्रण के लिए गह्वों का अभाव है, जिस कारण इन शौचालयों की गुणवत्ता अत्यंत निम्न है। इसी प्रकार निजी शौचालय में उपलब्ध फलश की कुल संख्या 3132 है, जिनमें बाराबंकी नगर में 257 फैजाबाद जनपद में 350, अंबेडकर नगर जनपद में 1514 सुलतानपुर जनपद में 559 और अमेठी जनपद में 452 शौचालय फलश उपलब्ध हैं।

अध्ययन क्षेत्र में परंपरागत शौचालयों से इतर अन्य प्रकार के निजी शौचालयों की कुल संख्या 503 है, जिनमें बाराबंकी जनपद में 0, फैजाबाद जनपद में एक, अंबेडकर नगर जनपद एक, सुलतानपुर जनपद में 345 और अमेठी जनपद में 156 है। इसी प्रकार ऐसे शौचालय जो कुछ परिवारों ने अपनी सुविधा के लिए अपने निजी खर्च से बनाए हैं कि कुल संख्या

अध्ययन क्षेत्र में 22 है, जिनमें बाराबंकी जनपद में एक, फैजाबाद जनपद में 6, अंबेडकर नगर जनपद में 6, सुलतानपुर जनपद में पांच और अमेठी जनपद में चार हैं।

तालिका-3 (निचे देखें)

तालिका-4: फैजाबाद मण्डल की मलिन बस्तियों में बिजली कनेक्शनों का वितरण

जनपद का नाम	प्रकाश हेतु विद्युत कनेक्शन (संख्या)	घरेलू विद्युत कनेक्शन (संख्या)	अन्य विद्युत कनेक्शन (संख्या)
बाराबंकी	193	191	243
फैजाबाद	319	9288	0
अंबेडकर नगर	830	2855	745
सुलतानपुर	99	185	0
अमेठी	56	178	0
कुल	1497	12697	988

स्रोत: भारतीय जनगणना, 2011

फैजाबाद मंडल की मलिन बस्तियों में सड़क प्रकाश हेतु स्थापित किए गए कुल विद्युत कनेक्शनों की संख्या 1,497 है, जिनमें बाराबंकी जनपद में 193, फैजाबाद जनपद में 319, अंबेडकर नगर जनपद में 830, सुलतानपुर जनपद में 99 और अमेठी जनपद में 56 है। इसी प्रकार अध्ययन क्षेत्र में स्थित मलिन बस्तियों में स्थापित घरेलू विद्युत कनेक्शनों की संख्या 12,697 है, जिसमें बाराबंकी जनपद में 191, फैजाबाद जनपद में 9,288, अंबेडकर नगर जनपद में 2,855 सुलतानपुर जनपद में 185 और अमेठी जनपद में 178 घरेलू विद्युत कनेक्शन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विद्युत कनेक्शन, जिसमें व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन भी सम्मिलित हैं की कुल संख्या फैजाबाद मंडल की मलिन बस्तियों में 988 है, जिनमें बाराबंकी जनपद में 243 और अंबेडकर नगर जनपद में 745 अन्य विद्युत कनेक्शन सम्मिलित है।

निष्कर्ष – विगत दशकों में जैसे-जैसे नगरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, वैसे-वैसे नगरों में मलिन बस्तियों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है। मलिन बस्तियां हमारे उन्नतशील समाज पर एक काले धब्बे के समान हैं, क्योंकि इन मलिन बस्तियों में ना केवल मानव जीवन के लिए मौलिक सुविधाओं तक का अभाव है, अपितु यहां जीवन की गुणवत्ता भी अपेक्षाकृत निम्न है। यहां गरीबी की दशा इतनी दयनीय है कि यहां रह रहे लोग मुश्किल से अपने लिए दो वक्त के भोजन का प्रबंध कर पाते हैं, यहाँ गरीबी के कारण नशाखोरी और अपराध की स्थिति अत्यंत विकराल रूप धारण करती जा रही है, प्रायः नगरों में होने वाले अपराधों जैसे चोरी, डकैती, नशाखोरी में यहां के युवाओं की भागीदारी अत्यंत चिंताजनक है। सरकार द्वारा भी यहां के लोगों के पुनर्वास के लिए कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया गया है, यद्यपि कभी-कभी सरकार इन मलिन बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के लिए कुछ योजनाएं लेकर आती हैं, किंतु वैध दस्तावेजों के अभाव में यहां के नागरिक इन योजनाओं का लाभ लेने में असमर्थ रहते हैं। इन मलिन बस्तियों में विदेशों से आने वाले शरणार्थी भी निवास करते हैं, इनमें से कुछ शरणार्थी ऐसे भी हैं, जो बिना किसी वैध अनुमति के यहां रह रहे हैं, जिसके कारण यहां नगरों में कानून व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी खड़े होते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Ashish Bose (1973). Studies in India's Urbanization 1901-1971. Bombay and New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Co. Ltd.
2. Bora, P. B. (1957). 'Urbanization and Its Effects' Paper (unpublished) A Study of Urban Sociology, University of Bombay.
3. Dahwala S.M. (1997): Rural poverty and slums, Rawat Publ., Jaipur and New Delhi.
4. Das, B. (2001): Poor in Urban India: Life in the Slums of a Western India City, Rawat Publication, New Delhi.
5. Murya S.D. (1985): Urbanization and Environmental Problems, Chugh Publications, Allahabad, India.

तालिका-3: फैजाबाद मण्डल की मलिन बस्तियों में ड्रेनेज प्रणाली और शोचालयों की स्थिति

जनपद का नाम	ड्रेनेज प्रणाली उपलब्ध	निजी शोचालय का गह्वा उपलब्ध	निजी शोचालयों में पलश उपलब्ध	अन्य निजी शोचालय	निजी समूहिक शोचालयों की संख्या
बाराबंकी	20	530	257	0	1
फैजाबाद	18	601	350	1	6
अंबेडकर नगर	13	245	1514	1	6
सुलतानपुर	8	265	559	345	5
अमेठी	6	142	452	156	4
कुल	65	1783	3132	503	22

स्रोत: भारतीय जनगणना, 2011

मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी भारत देश के विकास में बाधक है (म.प्र.) के संदर्भ में

डॉ. दीपक जैन *

शोध सारांश - भ्रष्टाचार से अर्जित धन, काले धन को बढ़ावा देता है। जिससे सरकार को इस काले धन पर आयकर के रूप में होने वाली आय नहीं मिल पाती। भ्रष्टाचार से अर्जित धन, महंगाई को बढ़ावा देता है। इसकी मार आर्थिक रूप से गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार को झेलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए जब काले धन धारित व्यक्ति जब कोई जमीन या मकान खरीदता है तो उसे रजिस्ट्री कराने पर स्टांप पेपर के मूल्य का भुगतान चेक के माध्यम से देना होता है लेकिन अधिकतम धनराशि नगद रूप में दी जाती है। जिससे जमीन या मकान के मूल्य में कृत्रिम वृद्धि होती है।

प्रस्तावना - भ्रष्टाचार का शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल पड़ रहा है। क्योंकि मेडिकल एवं इंजिनियरिंग कॉलेजों में योग्य एवं कुशल विद्यार्थियों के स्थान पर अयोग्य एवं अकुशल विद्यार्थियों का रिश्वत के आधार पर चयन हो जाता है। इस प्रकार अयोग्य एवं अकुशल डॉक्टर एवं इंजिनियर डिग्री हासिल कर लेते हैं। इस प्रकार अयोग्य एवं अकुशल डॉक्टर के कारण रोगी को उचित इलाज न मिलने से रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदीजी के मतानुसार भ्रष्टाचार, काला धन बेनामी सम्पत्ति को बढ़ावा देने के साथ-साथ हवाला कारोबार को बल देता है और यही हवाला आंतकवादियों को हथियार खरीदने में मदद करता है।

शोध अध्ययन का औचित्य एवं विषय का चयन - हम जानते हैं कि मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी भारत देश के विकास में बाधक है, क्योंकि यह काले धन को बढ़ावा देती है जिससे आयकर के रूप में सरकार की आय में कमी होती है और महंगाई को बढ़ावा मिलता है। मैं एक जागरूक प्रोफेसर होने के साथ-साथ जागरूक नागरिक भी हूँ। समाज तथा देश के विकास में बाधक मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी को पूर्ण रूप से बंद करने के पक्ष में हूँ। अतः जिज्ञासावश मैंने इस विषय का चयन किया है।

शोध का उद्देश्य - मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी को रोकने हेतु किये जाने वाले प्रयत्न का अध्ययन करना ही इस शोध का उद्देश्य है।

शोध परिकल्पनाएं - प्रस्तुत शोध में उपरोक्त उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाएं रही हैं जिनका परीक्षण एवं अध्ययन किया जावेगा।

1. म.प्र. सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का अध्ययन करना।
2. नागरिकों द्वारा किये गये प्रयासों का अध्ययन करना।

शोध की विधि - इस शोधपत्र में द्वितीय समकों का अध्ययन एवं विप्लेषण कर सुझाव प्रस्तुत किये गए हैं। शोधपत्र में इंटरनेट, समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में प्रकाशित समकों का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला गया है।

भारत एवं म.प्र. में होने वाले भ्रष्टाचार का अध्ययन - भ्रष्टाचार से अर्जित धन, काले धन को बढ़ावा देता है। जिससे सरकार को इस काले धन पर आयकर के रूप में होने वाली आय नहीं मिल पाती। भ्रष्टाचार से अर्जित

धन, महंगाई को बढ़ावा देता है। इसकी मार आर्थिक रूप से गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवार को झेलनी पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदीजी के मतानुसार भ्रष्टाचार, काला धन बेनामी सम्पत्ति को बढ़ावा देने के साथ-साथ हवाला कारोबार को बल देता है और यही हवाला आंतकवादियों को हथियार खरीदने में मदद करता है।

म.प्र. सहित देश के बड़ी आबादी वाले 13 राज्यों में

1	स्कूल यूनिफार्म के लिए	45 प्रतिशत
2	बिजली बिल सुधार हेतु	56 प्रतिशत
3	डाईविंग लायसेंस बनाने हेतु	60 प्रतिशत
4	टाफिक चालान से बचने हेतु	39 प्रतिशत
5	राशन कार्ड बनाने हेतु	59 प्रतिशत
6	आधार कार्ड बनाने हेतु	7 प्रतिशत
7	वोटर कार्ड बनाने हेतु	3 प्रतिशत

लोगों को, सरकारी बाबुओं को रिश्वत देना पड़ती है।

सेंटर फॉर मीडिया की इंडिया करप्शन स्टडी 2018 रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी को सबसे अधिक रिश्वत परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हाउसिंग सेल एवं लैंड रिकार्ड वाले ऑफिसों में मांगी जाती है।

म.प्र. के सरकारी महकमों का रिपोर्ट कार्ड -

1	सुधार नाकाफी	51 प्रतिशत
2	पहले से घटा	27 प्रतिशत
3	बिल्कुल नहीं हुआ	21 प्रतिशत
4	कुछ कह नहीं सकते	1 प्रतिशत

म.प्र. में मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी लेन-देन का चलन इतना बढ़ गया है जिससे भारत में म.प्र. का नाम बदनाम हो रहा है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में होता है। और दुसरे नंबर पर हमारा म.प्र. है। 1279 मामलों के साथ महाराष्ट्र पूरे भारत में टॉप पर है जबकि 634 मामलों के साथ म.प्र. दुसरे स्थान पर है। वर्ष 2016 की रिपोर्ट के अनुसार म.प्र. के हर विभाग का छोटे से लेकर बड़ा कर्मचारी खुलकर रिश्वत लेता है महिला कर्मचारी भी अब

बिना रिश्वत के कार्य नहीं करती। म.प्र. में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मुल निवासी प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत देना पड़ती है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 में 634 मामलों में और 2014 के पेंडिंग 465 में अर्थात 1099 मामलों में से 439 मामलों में ही पुलिस चार्जशीट पेश कर पाई। सन् 2015 के अंत में 340 मामलों लंबित थे। भ्रष्टाचार से जुड़े 26 मामलों में 44 करोड़ 24 लाख रु जब्त हुए जो देश की सबसे बड़ी राशि है।

अतः सरकारी मुलाजिमों को रिश्वत से होने वाली आय, म.प्र. सरकार को राजस्व से होने वाली आय से कई गुना है।

सारणी- भ्रष्टाचार के शिकार हाउसहोल्ड सारणी

विभाग	2017	2018
पीडीएस	12%	8%
हेल्थ	8%	10%
स्कूल शिक्षा	6%	6%
बिजली	7%	6%
जल आपूर्ति	9%	8%
लैंड रिकार्ड	24%	16%
पुलिस	34%	20%
बैंकिंग	7%	1%
अदालत	18%	8%

निष्कर्ष एवं सुझाव - मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी देश के विकास में बाधक है म.प्र. के संदर्भ में के अध्ययन एवं मूल्यांकन से ज्ञात हुआ है कि सरकार कि सख्ती से इस पर काफी हद तक रोक लगाने में सफलता मिली है इसे और अधिक सफल बनाने हेतु प्रमुख सुझाव निम्नानुसार है-

1. म.प्र. सरकार को चाहिए कि वह कठोर से कठोर कानून बनाकर रिश्वतखोरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए।

2. रिश्वत लेना एवं देना दोनों ही बड़ा अपराध मानकर दोनों को कठोर सजा देना चाहिए।
3. सरकार को, नागरिकों को जागरूक कर रिश्वत न देने हेतु प्रेरित करना चाहिए।
4. शिक्षण संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों को मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी से बचने करना हेतु प्रेरित करना चाहिए।
5. सभी शासकीय कार्य ऑनलाइन कर देना चाहिए।
6. सभी शासकीय कार्य निश्चित समय में पूर्ण न होने पर सरकारी मुलाजिमों को कठोर दंड देना चाहिए।
7. सरकारी मुलाजिम यदि नागरिक से रिश्वत लेते पकड़ा जाये तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर उसकी सम्पति जब्त कर लेनी चाहिए।
8. सरकारी मुलाजिमों के कार्यों का औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए।
9. किसी नागरिक के उसके कार्य संबंधित शिकायत आने पर तुरंत जांच करानी चाहिए।
10. हवाला कारोबार में पकड़े गये धन को सरकारी खजाने में जमा करा देना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उद्यमिता विकास, प्रथम सेमेस्टर, कोठारी डॉ. मिलिन्द, रमेश बुक डिपो, जयपुर, नई दिल्ली, 2006-07
2. उद्यमिता विकास, प्रथम सेमेस्टर, चंदेल डॉ. योगिता, देवी अहिल्या प्रकाशन, इन्दौर, 2006-07
3. प्रतियोगिता दर्पण, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली
4. प्रतियोगिता निदेशिका, प्रकाशन विभाग, वैशाली नगर, इन्दौर
5. दैनिक भास्कर, प्रकाशन विभाग, प्रेस काम्पलेक्स इन्दौर
6. नई दुनिया, प्रकाशन विभाग, बाबु छजलानी मार्ग, इन्दौर
7. दैनिक जागरण, नई दिल्ली
8. पत्रिका राजस्थान

Prevalence of Learning Disability in Indore City

Sanjeev Tripathi* Dr. Apoorva Pauranik** Dr. Saroj Kothari***

Abstract - Learning Disability is a childhood disorder characterized by difficulty with certain skills, such as reading or writing, in individuals with normal intelligence. The purpose of this study was to find the prevalence of learning disability in schools. For this, a cross sectional study was designed and for screening behavioral checklist screening for learning disabled (B.C.S.L.D) was used. The data was collected from two schools in Indore. A total of 1148 form submissions weremade, out of which, 140 were rejected. The analysis of the remaining forms showed that 516 students were suspected of having a learning disability, meaning that 44.9% students were suspected. The finding of this study suggests that learning disability is highly prevalent in Indore.

Key words- Learning Disability, Children, Indore.

Introduction - One of the many wonders of the world is the miracle of birth, as a child begins to explore the world, he intently listens to the parents speak and tries to imitate. He then spends the better part of his life learning and skilling up. But when he is unable to keep up with his peers and his performance is slacking, this marks the initiation of a learning disability. A Learning Disability is caused by a dysfunction of the brain. This may be genetic, but often, organic/biological factors are involved. Poor environment at home combined with unsuitable teaching methods at school may add to poor learning capacity. Irrespective of the cause(s), a child with an LD needs help, and can be helped. At an initial stage, a Learning Disability may be identified by the child's mother at home, or by his teachers. It could show in different forms and be confused with another disorder or simply written off as a lack of interest in studies. And awareness about LD at initial stage from the parents' and teachers' side can help a child for his future development.

Learning Disabilities can be the result of various internal (low general ability, poor attention and perception skills) and external factors (psychological, cultural, educational). Perceptual handicaps, brain injury, minimal brain damage, dyslexia, and developmental aphasia all pertain to it. But if a child's learning problems are due to visual, hearing, or motor handicaps, this cannot be classified as a learning disability. The same applies for children struggling due to mental retardation or environmental, cultural, or economic disadvantage.

Learning Disability has been defined in many ways:

1. "Learning Disability is a delayed development in one or more of the process of speech, language, reading,

spelling, writing, or arithmetic resulting from a possible cerebral dysfunction or emotional or behavioral disturbance, and not from mental retardation, sensory deprivation, cultural, or instructional factors" (Samuel A. Kirk, 1962).

2. Learning disability refers to delays, deviations, and performance discrepancies in the basic academic subjects, e.g., arithmetic, reading, writing, spelling, and speech, and cannot be attributed to mental retardation, sensory deficits, or emotional disturbances (Sawhney & Bansal, 2014).

Classification Of Learning Disability

1. **Dyslexia** is a brain-based type of learning disability that specifically impairs a person's ability to read. These individuals typically read at levels significantly lower than expected despite having normal intelligence. Although the disorder varies from person to person, common characteristics among people with dyslexia are difficulty with phonological processing (the manipulation of sounds), spelling, and/or rapid visual-verbal responding (Lewis, 2013).

2. **Dyscalculia** is a learning disability characterized by an inability to acquire the mathematical skills that would be expected for a given chronological age, cognitive ability, and educational level (Newman, 1970).

3. **Dysgraphia** is a specific learning disability in which writing letters by hand is impaired, thereby affecting the acquisition and use of written language. Spelling difficulties may also be present in dysgraphia. Thus, an individual with dysgraphia may have problems with handwriting or spelling or both (Newman, 1970).

4. **Dyspraxia** consists of a partial loss of the ability to perform purposeful or skilled motor acts in the absence of paralysis, sensory loss, abnormal posture or tone, abnormal involuntary movements, in coordination, poor

*Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore (M.P.) INDIA

** M.G.M. Medical College, Indore (M.P.) INDIA

*** Govt. M.L.B. P.G. Girls College, Indore (M.P.) INDIA

comprehension, or inattention (Iohr & Wisniewski).

5. Auditory processing disorder is defined as difficulty with “processing auditory information in the central nervous system and neurobiological activity that underlies and gives rise to the electrophysiological auditory potentials” (American Academy of Audiology [AAA], 2010).

6. Visual processing disorders are disorders that cause people to struggle with seeing the differences between similar letters, number, objects, colors, shapes, and patterns.

7. Non-verbal learning disorder: Children who have non-verbal learning disorder face no problem in decoding language or memorizing information, but they have trouble understanding information like recognizing relationships, concepts, ideas, patterns, and applying them to new situations.

Purpose Of The Study - To assess the prevalence of learning disabilities in school-going children in Indore city.

Methodology

Sample - The sample was collected using cluster sampling method as 2 schools from Indore city were chosen out 149. The sample comprised an age range of 5-13 years, and belonged to 1st Class – 8th Class. The total no. of students was 2057. Out of which, 1148 applications were submitted back to the researcher. 148 submissions were rejected due to invalid responses, and the remaining 1000 forms were further used.

Tool - Behavioural Checklist for Screening the Learning Disabled (BCSLD)

The Behavioural Checklist for Screening the Learning Disabled (B.C.S.L.D.) was constructed and standardized by Swaroop and Mehta (1991), and it can be used for children in the age of 8 to 11 years studying in English-medium schools. The B.C.S.L.D. (See Appendix-1) is a good tool for identification of learning-disabled child in a classroom. It consists of 30 items, positive and negative, to be filled in by the teachers. The B.C.S.L.D. attempts to integrate all aspects of learning, i.e., ability to process visual and auditory information, memory, comprehension, thinking, psychomotor skills, self-image, and motivation. All these elements play a crucial role in the learning process, in a child. The inter-play of each of these factors ultimately results in the child’s scholastic performance. The eight areas that B.C.S.L.D. covers are:

- (i) Deficits in Visual Processing
- (ii) Deficits in Auditory Processing
- (iii) Deficits in Motor Co-ordination
- (iv) Deficits in the Cognitive Domain
- (v) Deficits in Language
- (vi) Deficits in Memory
- (vii) Preservation – Tendencies
- (viii) Disorders in the Affective Domain

Each area represents a deficit in a particular ability, and by giving us more insight into its mental make-up, attempts to explain the reason for the child’s under-achievement. Items selected in BCSLD which correspond to these areas have

been shown in Table 1.1.

Table 1.1: Item areas distribution in B.C.S.L.D.

S.	Difficulty/Strength	Area Item Serial Numbers
1	Visual Processing	9, 11, 12, 16, & 17
2	Auditory Processing	15, 19, 25, 26, 27, & 28
3	Motor Co-ordination	3, 4, 11, 16, 22, & 24
4	Languages	2 & 20
5	Memory	13 & 19
6	Preservation Tendency	6 & 22
7	Cognitive Abilities	17, 19, 21, & 30
8	Affective Domain	4, 7, 8, 10, 14, & 23

However, it is important to note here that though the areas given are clearly defined in themselves, they are not necessarily mutually exclusive. There could be an overlap among these areas, e.g., learning problems could be the result of poor auditory processing skills and poor cognition. What is of significance in the BCSLD is that the observed behavior gives a clue to the underlying process deficit, which is the cause of the learning problem, and this would form a base for the further assessment and remediation. To determine reliability of the checklist, split-half reliability was computed using the Spearman Brown Prophecy formula. The reliability coefficient for the half test was 0.61 and that for the full test with the application of the Spearman Brown Prophecy formula was found to be 0.76. Content Validity was established by taking expert opinions regarding the coverage of the characteristics, number of items, and the item construction. The scoring of the checklist is done on the basis of the arbitrarily decided weight tags provided to different categories in Table 1.2.

Table 1.2: Weight-age to items in B.C.S.L.D.

Responses	Positive items	Negative items
Yes	0	2
No	2	0
?	1	1

The sum of scores of all the items on the checklist gives us a child’s total score on the checklist. The maximum obtainable score is 60. Considering the top 27% of the scores, all those scoring within this range may be treated as a suspected case of L.D., and they need to be further assessed. It is a quick method of screening out a child who is likely to be an L.D. child.

Design - As the purpose of this study was to find the prevalence of learning disabilities in school children, a cross-sectional research design was used. For data analysis, Excel was used.

Results - The total number of accepted submissions was 1148, out of which 148 were rejected. After the analysis of the remaining 1000 forms, it was found that 516 students were suspected of having a learning disability.

Total	Submitted	Suspected	Unsuspected	Rejected
2057	1148	516	484	148

It was found that out of the 1148 students whose forms were accepted, 44.9 % of the students were suspected of having a learning disability.

Discussion - The present study was focused on finding

out the prevalence of learning disability in school students in Indore city, India. Two government schools were chosen for conducting the study, and the classes ranged from 1st to 8th. The Behavioural Checklist for Screening the Learning Disabled (SmritiDwarup, Dharmishta Mehta, 1991) was used to screen the children. It was distributed among the parents of the students. The researcher received back 1148 forms, out of which 148 were rejected due to incomplete items or invalid responses. The data collected from the research showed that 516, i.e. 44.9% of students were suspected of having a learning disability. It can be concluded that almost 50% of school-going students may be suffering from a Learning Disability in Indore city.

Future Implications :

1. Parents may arrange a suitable environment for study, and also may arrange for treatment so that it does not affect the learning process of children.
2. There must be special educators who would develop special content to match the needs of these children.

Limitations :

1. The sample used in the study was restricted to only CBSE schools, and students from only 1st to 8th classes were chosen, which raises the possibility that the sample may not be representative of the population.
2. The results found in the study may not represent the true value of the prevalence of LD (it may be lower or higher), as out of 2057 students, less than 100% completed and returned the screening test to the researcher.
3. Only literate parents were taken, whereas illiterate parents of LD kids can also be covered.

References :-

1. Sherrick, C., Haber, R., Wickelgren, W., Suppes, P., Elliot, L., Swets, J., Lenneberg, E. (2020). https://www.ej-er.com/EU-JER_9_2_743.pdf. European Journal of Educational Research, 9(2). doi:10.12973/ej-er.9.2.753

2. Barik, N., Dr. (2016). Special education. Retrieved 2020, from https://ddceutkal.ac.in/Syllabus/MA_Education/Paper_18.pdf
3. Samuel A. Kirk, B. (2016). Diagnosis and Remediation of Learning Disabilities - Samuel A. Kirk, Barbara Bateman, 1962. Retrieved October 03, 2020, from <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/001440296202900204>
4. Sawhney, N., & Bansal, S. (2014). STUDY OF AWARENESS OF LEARNING DISABILITIES AMONG ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS. Retrieved 2020, from https://www.researchgate.net/publication/278029676_STUDY_OF_AWARENESS_OF_LEARNING_DISABILITIES_AMONG_ELEMENTARY_SCHOOL_TEACHERS
5. Lewis, M. (2013). Dyslexia. Retrieved October 03, 2020, from https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-1698-3_969#howtocite
6. Newman, D. (1970, January 01). Dysgraphia. Retrieved October 03, 2020, from https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-1698-3_1106
7. Newman, D. (1970, January 01). Dyscalculia. Retrieved October 03, 2020, from https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-1-4419-1698-3_1105
8. Lohr, J., & Wisniewski, A. (n.d.). APA PsycNet. Retrieved October 03, 2020, from <https://psycnet.apa.org/record/1987-97861-000>
9. American Academy of Audiology. (2010). Clinical Practice Guidelines: Diagnosis, treatment and management of children and adults with central auditory processing disorder. Reston, VA. Google Scholar

Appendix

S.	Items	yes	no	?
1	Has trouble reading			
2	Has trouble in oral work			
3	Has trouble in written work			
4	Has poor self-image			
5	Poor motivation, e.g., no desire to learn a new task			
6	Preservation – cannot stop an activity (even after it is over) and proceed to the next			
7	Clumsy- dropping and bumping into things			
8	Always asking for help			
9	Difficulty in discriminating right from left and vice-versa			
10	Low frustration tolerance- quick to lose interest when gets no success			
11	Completes work even when too much material is written on one sheet			
12	Reversals of letters, e.g., “b” as “d”, ‘P’ as “q”			
13	Forgets easily, has poor memory			
14	Makes no attempt to understand because he does not comprehend			
15	Always needs individual instructions			
16	Has difficulty in copying from the board			
17	Generally has difficulty in the comprehension of content			
18	Hyperactive- cannot sit in one place for more than two minutes			
19	Is able to pay attention to one thing in a noisy room			
20	Has difficulty in framing answers in his own words			
21	Shows lack of reasoning in the answers given			
22	Meaningless preoccupation with certain behaviour, e.g., shaking hands and feet			
23	Has frequent mood swings- sad,angry, happy, etc.			
24	Has uneven and jerky movements of eyes			
25	Often asks for words/sentences to be repeated			
26	Attends quickly and purposively to verbal stimuli			
27	Is able to identify most of the letter sounds			
28	Exhibits tension, anxiety when attending to speech			
29	Comprehends a series of instructions given together			
30	Is unable grasp the central idea of the content			

Indian Higher Education and Globalization

Dr. Nilesh Gangwal*

Abstract - In today's world education is the key of success and empowering the economy of a nation growing flow of knowledge, people and financing cross national border and feed both worldwide collaboration and competition. These effects of globalization increasingly impact higher education.. It facilitates international collaboration and cross-cultural exchange. The higher education sector in India is currently going through a phase of intense transformation and upheaval. The sector has grown remarkable after the globalization.. Currently several governmental backed bodies have been set up to monitor the development of education in the country and to check the education standard.

Globalization is expected to be a process through which an increasingly free flow of ideas, people, goods, services and capital would lead to the integration of economics and society. It implies a diminishing importance of national borders and strengthening of identities, that stretch beyond those rooted in a limited locale in terms of particular country or region.

This paper focuses on the impact of globalization in the demon of Indian higher education. it reviews how globalization may affect education policy and planning in India.

Key words- globalization , higher education, impact.

Introduction - Higher education system is facing many challenges just not in India but around the world. In the past two decades we have seen the forces of technology and globalization transform various sectors including higher education. This sector is faced with great challenges in terms of quantity and quality of education delivery, funding, inclusivity, research and development, employability of graduates and equitable access to the benefits of international cooperation.

According to the FICCI higher education (2012) India has one of the largest education systems in the world .Government has spent billions of rupees to educate students and support programs to help ameliorate inequities and improve standard but we know that neither equity nor standard have reached comparable levels. No one can deny that higher education in India now is in a pathetic state suffering from "seven severe systemic issues" viz quality, access, regulation, governance, extent of privatization, staff scarcity and student migration. The student teacher ratio in the average institution of higher education is 26:1 as against the global norms of 15:1 India's share in global research output is far too low at 35% for a country with 17% of the world's brain.

Objectives:

1. To discuss about the conceptual aspect of "globalization and Indian higher education".
2. To analyze aspect of development of education in our country after globalization.

Methodology - Is an evaluative study which is based on secondary source of data from different books, various

economic surveys, different journals and newspapers?

Globalization of education services - Globally the higher education was valued at USD27 billion during 1990s with countries like UK, USA, France, etc being the major exporters and countries like china, India, Taiwan, being the importers. Some of the following evidence are sufficient enough to back the globalization of the sector.

1. Increasing the number of students going abroad for study.
2. Exchange programs among faculties and researchers.
3. Increased international marketing of academic curriculum.
4. Establishment of branch campuses.
5. India is both importer and exporter of higher education services.

The Threat of globalization - The following points support the adverse impact of globalization on higher education

1. Over's 1 lakh crore in the estimated foreign exchange spent on education abroad.
2. Lead to the creation of bias among graduates.
3. Globalization may lead to conversion from social service into a private service aimed at Money making.
4. Foreign educational institutions are expected to provide severe competition to Indian institutions with their world class infrastructure, financial resources, staff, reputation etc.

Impact of Globalization on Indian Higher Education -

The spread of markets and the momentum of globalization during the past two decades have transformed the world of higher education almost beyond recognition. Market forces

driven by the threat of competition or the lure of profit, have led to the emergence of higher education as business. The technological reevaluation has led to a dramatic transformation in distance education as a mode of delivery, this is discernible not simply in the national context, but also in the international context, with a rapid expansion of cross border transactions in higher education. It is clear that markets and globalization are transforming the world of higher education. Markets and globalization are shaping the content of higher education and influencing the nature of institutions that provide higher education.

In the world of higher education, markets and globalization are beginning to influence universities and shape education, not only in terms of what is taught but also of what is researched. In the sphere of teaching there is a discernible departure from the liberal intellectual tradition in which education was about learning across the entire spectrum of discipline. Student choices were shaped by their interests.

The world of professional education is also being influenced by markets and globalization. The obvious example is engineering, management, medicine and law. Markets exercise some (albeit limited) influence on curricula. Furthermore, globalization is encouraging the harmonization of academic programmes. The reason is simple. This profession is becoming increasingly internationalized.

The world of distance education is somewhat different and could provide a single lining to the cloud. Market forces and technical progress have opened up a new world of opportunities in higher education for those who missed the opportunity when they finished school or did not have access earlier. Of course, these opportunities come at a price that may not be affordable for some particularly in developing countries or transition economies.

All this suggests that globalization is changing the form and shaping the content of higher education. At the same time, markets are beginning to influence the nature and culture of universities, which are the most important institutions in higher education.

International cooperation is an important facet in improving the quality of education India has education exchange programme with 40 countries as also mutual arrangement with the USA and UK. Also noteworthy are the India Australia education council, the India New Zealand education council, and the India EU partnerships. These education exchange program me are framework arrangements to promote faculty and exchange research collaboration and related cooperation. India has also developed the PAN Africa network connecting nearby 50 African countries through an Indian satellite. The twelfth plan emphasizes on building excellence in India's higher education system several institutions are already pursuing these objectives for example Manipal university is internationalizing its education system by providing global exposure to student and faculty through 'twinning'

programmes, research collaboration and teaching forms with international institutes.

India's progress quantitative and qualitative view - India is also following the phenomenon, as part of globalization; the economic reforms packages were introduced in India in the beginning of 1991. These reforms packages imposed a heavy compression on the public budgets on higher education sector. This has trickled down to public expenditure on education in general and higher education in particular.

Indian government has recognized the importance of higher education in the changing global scenario. As the process of globalization is technology-driven and knowledge-driven, the very success of economic reforms policies critically depends upon the competence of human capital. Globalization is expected to have a positive influence on the volume, quality and spread of knowledge through increased interacting among the various states. Today Indian higher education is strong because the free market philosophy has already entered in the educational world. In the view of globalization, many corporate universities both foreign and Indian are encroaching upon our government institution. Our IIM'S AND IIT'S have produce world class professional's. We are near to achieve status in the field of higher education as developed nation.

But the in qualitative aspect India's higher education is not satisfactory in terms of lop-sided structure and composition, content and relevance of teaching, methods of evaluation and academic certification, and finally the quantum, quality, social relevance and international recognition of research conducted at universities and colleges.

Outdated courses, inadequacies of teaching, research and other infrastructural facilities, low level or complete absence of interaction with industry and obsolete teaching and examination methods etc. Are other operational infirmities of higher education. In the era of various technological advancements we will have to connect to and use advanced technology of teaching and meet the global standard of education.

Conclusions - "Education is what will determine how fast India joins the ranks of leading nation of the world; I believe education is the alchemy that can bring India its next golden age." Nicely quoted by honorable president Mr. Pranab Mukhergi.

India of the 21st century has uniquely and thumping arrived at the most crucial crossroads of its journey of development through its transformation by imaginative educational outputs in its institutions of education of all levels, particularly the higher education. Higher education of India is growing very fast; there is a need to infuse quality to make it globally competitive. Our universities are contributing to the vision of making the country a global educational hub by pursuing excellence in academics, bringing, industry and academics closer and promoting innovation and research. It believe the country can regain

its ancient glory in higher education.

The most appropriate conclusion is provided by an old Buddhist proverb: "The key of the gate of heaven is also the key that could open the gate to hell." Globalization provide a mix of opportunities and danger for higher education .We should not allowed markets and globalization to shape higher education .Instead ,we should shape our agenda for higher education so that we can capture the opportunities and avoid the danger unleashed by markets and globalization.

References :-

1. Agrawal Pawan Indian higher education; Envisioning the future "Sade publicationIndia Pvt. Ltd".2009
2. Bhattacharya ,jhigher education in India;Issues concerns and Remedies, universities news 2012.50 (17);1-3,28.
3. Power K.BIndian higher education Revisited,Vikas Publication ,Pvt Ltd, new Delhi.2011
4. George,Abhrahm(Ed) Higher Education in India – Emerging issues and Future,Authorspress,New Delhi. 2012
5. EY-EDGEGlobalizing Higher education in India 2005-06 and EY-EDGE-2009;Private enterprise in Indian higher education.2008
6. Rawal,P.LHistory of Indian education; Ram Prasad and sons,Agra.1991
7. Press Information Bureau ,Ministry of human resource Development.
8. National knowledge Commission (2006) Note on Higher Education.
9. UGC.2012.Higher Education in India;Twelth five year plan(2012-2017) and beyond.

WhatsApp and Youth

Dr. Sanjay Bhavsar*

Abstract - In this current scenario where everyone is busy in their schedule, they often don't get time for their relatives, friends and family. But thanks to the technology that it help to cut the distance between our relatives. Now day's people prefer to wish from social site rather than make call on a special day like birthday or anniversary. And if they want to talk with their loved ones they like to prefer chat on several applications which free of cost and just required minimum amount of internet package which makes life more easy rather to pay high cost of calls and messages to telecom companies there are number of applications available in the market which people use according to their preference, WhatApp application is one of them, an application which not only has function of chatting but also another very convenient function like form groups whether it is of classmates, school friends of group of cousins who resides far from us. And also function of send Media files and updating current status and profile picture. It also facilitates backup conversations which any other application cannot be. WhatsApp get famous worldwide with no age boundaries as it has very simple and convenient function. But it is very popular amongst youth. To understand the 'usage of WhatsApp application amongst youth' a mini research was conducted with 30 college going students of Indore city. The findings of the study revealed that high majority of them passes smart phones and Giga Byte Internet plan. All of them used WhatsApp for chatting with their contacts. They also use this application for sharing pictures audio and video files. The purpose behind using this app was keeping connectivity between their friends and relatives. Since this application is popular amongst in users. It is the time to think about its usage for educational and informative purpose besides communication.

Keywords - Mobile app, Usage of app, WhatsApp, Youth, Mobile technology.

Introduction - We often here people asking "Are you on WhatsApp"? Today WhatsApp has more than two fifty million monthly active users. WhatsApp messages is an instant messaging application for smart phones and addition to text messaging, users can send each other images, video, and audio media messages. This application is available for : Android, BlackBery, Series 40 and s60, and windows phone. The company by the same name was founded in 2009 by Brian Acton and Jan Koum, both veterans yahoo! WhatsApp has done to SMS on mobile phones what Skype did to international calling on landlines. WhatsApp tells the wall street journal : it has 250million monthly active users, the first time it has revealed a rough number of users for its popular smart messaging app.

Popularity of "WhatsApp" : WhatsApp growth is of concern to many other companies that include telecom carrier that make huge profit billing for text messages as well as facebook FB -0.40% whose traffic relies in part on user trading messages with one another for the iPhone app in the U.S. the app is free to download for android devices, but charges 99 cents after the first year of service. It is currently ranked 31st in the U.S. among three android apps. A big reason for the popularity if such apps is they allow their users to messaging on another without paying high fees for text messages. Apple's I Messages services work

similarly though it only iPhone users to trade messages with one another WhatsApp is available for the iPhone,Android device, Blackberry and windows phone among others Face book were with the iPhone, Android and Blackberry, but is unique in that it also enable users to trade messages between desktop computer and mobile devices. The figure is impressive for a company that launched its app just four years ago and that spend no money for marketing itself. It makes WhatsApp one of the largest messaging platforms and possibly bigger than twitter, Who had 200 millions monthly active users in December, 2012. Its growth is of concern to many other companies, especially telecom carriers that make huge profit billing for the text message.

Benefits of "WhatsApp": In today's technological advanced world there were different usage of mobile, where a mobile is not only use for the making calls and to send messages but it also use for the download and take benefits of number of applications whether they are for entertainment purposes or for any other WhatsApp application is one of them.

WhatsApp Messenger has become the application of choice for millions od users who want to send text messages for free. But there's plenty more to the application than just typing a message and sending it. There are lots of features

in WhatsApp. Here is the list of ten things you can do with WhatsApp that are not immediately obvious in the application. Some are available in the Android version of WhatsApp, while other can be enjoyed across all the performance on which you can run the app.

1. Send WhatsApp conversation history to someone
2. Change the WhatsApp chat wallpaper
3. Save photos you have received
4. Make Back- ups of your WhatsApp conversation
5. Use the Enter key to send WhatsApp messages
6. Create shortcuts to WhatsApp conversation
7. Choose a WhatsApp profile picture
8. Send much more than just text
9. Change your WhatsApp status
10. Broadcast a WhatsApp message to many contacts

With all the above mentioned benefits of WhatsApp, it is imperative to understand its usage by youth. They are the one who are on WhatsApp than at any other place. You can catch them on WhatsApp at any point of time. They are always available on it maybe at midnight too. This application for multipurpose, the group formation by family member and friends help each other to share day to day activities and be in touch through residing far off from each other. This application has changed the utility value for mobile users.

To study how the youth of Indore City uses this application, a present study was undertaken.

Objectives of the Study:

1. To study the usage pattern of WhatsApp application amongst youth.
2. To study the reason for usage of WhatsApp application amongst youth
3. To the study the services which the youth usage being WhatsApp user
4. To study the kind of information, youth would like to receive through the WhatsApp

Methodology: A questionnaire was used to collect due date from 30 WhatsApp users. Purposive sampling method was used to select the sample.

Major findings of the study:

1. There were high majority of WhatsApp users (90%) who belong to 18 – 21 years of age group, whereas only ten percent belong to 22 – 25 years of age group.
2. All the selected users were students studying in engineering and social science and university departments.
3. The student family monthly income varied from 15000 – 60000 More number of respondents had their monthly income between 45000 – 60000.
4. More than half of the respondents (53.33%) were using mobile phone since last 2 -3 years whereas twenty six percent (26%) of them were using it since last 4-6 years.
5. Ninety percent of students smart android phone high majority of them 80% were using Giga Byte internet lane and the remaining 20% of them were using Mega Byte internet plan.

6. Majority on WhatsApp users use Skype application whereas more then Half of the WhatsApp users use viber and gtalk application for chatting, calling and video conferencing, half of the WhatsApp users Hike application and Picasa.
7. Majority of the student were using WhatsApp since last 4 – 7 months, few were also using it since last 1 year.
8. High majority of WhatsApp users 93.33% got the reference about the WhatsApp from their friends, whereas remaining one got the reference from the family members.
9. All the students were using the WhatsApp to chat with their contacts, Very high majority of WhatsApp users like ti listen audios, video viewers, see pictures and form a group on WhatsApp. And there ere thirteen of them who like to broadcast message to their contacts.
10. Usage of WhatsApp varied form one hour to five hour amongst its users. There were little more than 43.33% of the students who use it for 2 – 3 hours, whereas 30% of them use it for more than 5 hours in day.
11. High majority of WhatsApp users would like to receive information related to entertainment from their contacts.
12. Majority of the students read messages, forward messages and search good messages to forward their contacts, whereas nearly 16% of them forward the message to others. 20% of them just read the messages.
13. Majority of WhatsApp users would like to receive message related to social issues. There were more than 53.33% of them who wants to know about current affairs. Few were also interested to know about moral values and environment related issues.

Conclusion - The finding of present study reveals that youth uses WhatsApp for varied purposes. They use this medium extensively to be in touch with their family members and friends for not only texting but also share pictures, videos and audio files. Due to physical distance, meeting friends and family is not possible most of time this application brings people closer to each other which is a boon to the society for strengthening social bondage with each other.

It can also be concluded that one needs to use this app for updating themselves about the happenings around the world, as well as to be in touch with family and friends. Such mobile applications are amazing discovery of the present information society.

If used for appropriate purposes, they help positively to Individual's overall development.

References:-

1. <http://appadvice.com/appnn/whatsapp-messenger>
2. <http://blogs.wsj.com/digits>
3. <http://swaroopch.com>
4. <http://www.linedin.com>
5. <http://www.quora.com>
6. <http://www.whatsapp.com>
7. <http://www.whatsapp.com/faq/en/general>
8. <http://www.whatsapp.zendesk.com/entries>

मन्नू भंडारी के उपन्यास 'आपका बंटी' में आधुनिक भावबोध

डॉ. विनय शर्मा *

प्रस्तावना। हिन्दी साहित्य जगत में मन्नू भंडारी जाना पहचाना नाम है। बड़े हर्ष का विषय है कि ऐसी ममतामयी कथाकार मन्नू जी का जन्म हमारे अपने मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के एक छोटे से शहर भानपुरा में (1931) में हुआ। इनका वास्तविक नाम तो महेंद्रकुमारी है, लेकिन सब की लाइली होने के कारण घर में इन्हें मन्नू नाम से बुलाया जाता रहा। बाद में यही नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि महेंद्रकुमारी नाम कहीं खोसा गया। वर्तमान में मन्नू जी नयी दिल्ली में रह रही हैं।

मन्नू जी का रचना संसार। अपनी लेखनी के माध्यम से समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करनेवाली मन्नू जी ने कहानी लेखन के क्षेत्र में खासी पहचान बनाई है। उन्होंने बहुत ही सजगता से साहित्य रचा और भोगे हुए यथार्थ को ही रूपायित करने का प्रयास किया है। उनके 6 कहानी संग्रह हैं। मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु और आँखों देखा झूठा।

मन्नू जी ने दो नाटक भी लिखे हैं। बिना दीवारों के घर और महाभोज। वस्तुतः महाभोज उनका चर्चित उपन्यास है जिसे उन्होंने नाटक में रूपांतरित किया है और यह इतना प्रसिद्ध हुआ कि देशभर में इसका मंचन किया गया। अब चलते हैं उपन्यासों की ओर। मुख्यतः कहानीकार होने के बावजूद मन्नू जी ने बेहतरीन उपन्यास लिखे हैं। उनके 6 उपन्यास हैं जिनमें से दो तो बाल उपयोगी उपन्यास हैं। कलवा और आसमाता और एक उपन्यास उन्होंने अपने लेखक पति राजेन्द्र यादव के साथ मिलकर लिखा है – एक इंच मुस्कान। दो उपन्यास और हैं जिसमें महाभोज का जिक्र तो ऊपर किया जा चुका है। मन्नू जी को जिस उपन्यास के कारण सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली वह है। 'आपका बंटी' यही उपन्यास हमारे विषय का प्रतिपाद्य भी है।

आपका बंटी रू एक परिचय – वर्ष 1971 में नयी दिल्ली के राधाकृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित 'आपका बंटी' मन्नू जी का दूसरा उपन्यास है। इससे पहले वे राजेन्द्र जी के साथ मिलकर एक उपन्यास लिख चुकी थीं, परंतु देखा जाए तो स्वतंत्र रूप से लिखा गया यह उनका पहला ही उपन्यास है। 'आपका बंटी' उपन्यास की कथावस्तु मन्नू जी की ही लिखी हुई एक कहानी बंद दरारों का साथ में सूत्र रूप में प्रस्तुत है। इस उपन्यास में एक ओर जहाँ नारी। मनोविज्ञान की परत। दरार परत पड़ताल की गई है, दूसरी ओर बाल। मनोविज्ञान को भी रेशारेशा उजागर किया गया है। इसके अलावा स्त्री। पुरुष के आदिम संबंधों, उन पर पड़ते युगीन दबावों और उनसे उपजे सवालियों से भी यह उपन्यास कई स्तरों पर जूझता है। यह एक ऐसा यथार्थ है जिसे हम अपने इर्दागिर्द देखकर भी अनदेखा कर जाते हैं। यह एक ऐसा यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जिसमें पति। पत्नी के बीच उठे विवाद को एक बालक निर्विवाद रूप से भोगता है। इस बारे में स्वयं मन्नू जी

ने कहा है कि मुझे लगा कि बंटी किन्हीं एक दो घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है।

इस उपन्यास में मन्नू भंडारी ने केवल कहानी नहीं कही है बल्कि कड़वा सच समाज के सामने पेश किया है। हम कह सकते हैं कि समाज को सही दिशा देने का प्रयास है 'आपका बंटी'।

आधुनिक भावबोध का अर्थ – साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य का अर्थ है कि वह सामान्यजन को अपने भीतर झाँकने और अपने आप को समझने कि शक्ति प्रदान करे। जब व्यक्ति और समाज में परिवर्तन होता है तो साहित्य में भी बदलाव होता है। स्वतन्त्रता के बाद जो परिवर्तन हुए सो हुए, लेकिन पिछले पच्चीसालों में हर क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं वह बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उससे सभी को गुजरना पड़ा है। यही समय है जब विचारों में तेजी से उताराचढ़ाव देखे गए। इस बात को हम आगे समझेंगे। पहले आधुनिकता को समझ लें।

३आधुनिक शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की धातु 'अधुना' से हुई है जिसका अर्थ है 'आज और यहाँ' इस बारे में डॉ. नगेन्द्र कहते हैं कि आधुनिक शब्द दो अर्थों। मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण की सूचना देता है। दरअसल बात यह है कि कई बार भूलवश पश्चिमी सभ्यता का अन्धानुकरण और भारतीय संस्कृति तथा परम्पराओं के प्रति विद्रोह की भावना को आधुनिकता समझ लिया जाता है जबकि किसी भी नयी बात को अन्तर्विचय की कसौटी पर कसकर स्वीकारना ही आधुनिकता है। अतः आधुनिकता एक गतिशील प्रक्रिया है जिसका फलक काफी बड़ा है और ऐसा नहीं है कि आधुनिकता आज ही है अर्जुन, कौटिल्य और कबीर भी आधुनिक ही कहे जाएंगे।

आधुनिक भावबोध के तत्व – आधुनिकता बोध कोई कोरी कल्पना नहीं है बल्कि यह एक युगीन दृष्टि है जो मनुष्य को मनुष्य होना सिखाती है। इसलिए आधुनिक भावबोध को ठीक से समझने के लिए उसके विभिन्न तत्वों का अध्ययन अपेक्षित है।

अजनबीपन – इसे अंग्रेजी में स्ट्रेंजर और एलियनेशन कहा जाता है। समाज में रहते हुए व्यक्ति कई समस्याओं से दो चार होता है। ऐसे में उसे महसूस होता है कि इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं एक अजनबी की तरह जी रहा हूँ। मशीनों के सामने वह बौना हो गया है। यही अजनबीपन है। **संत्रास तथा भय –** इसे अंग्रेजी में एंग्जाइटी और टेरर कहते हैं और यह अस्तित्ववादी दर्शन का शब्द है। संत्रास शब्द का हिन्दी में पहली बार प्रयोग सन 1980 के आसपास होना शुरू हुआ जिसमें यह माना गया कि संत्रास को सहकर ही मनुष्य यथार्थ का साक्षात्कार करता है।

विद्रोह तथा प्रतिशोध – पुराने ढंग से चली आती हुई जीवन व्यवस्था

जिस बिंदु पर आकर अचल हो जाती है वही विद्रोह का बिंदु होता है। आधुनिकता के मिलने की संभावना भी वहीं अधिक होगी जहाँ विद्रोह तथा प्रतिशोध होगा।

मूल्यों में परिवर्तन - हर युग में व्यक्ति के मूल्यों में परिवर्तन दिखाई देता है। जिससे बात करो वह वर्तमान परिस्थितियों से नाखुश है और वह चाहता है कि कुछ नया हो। इस नये की खोज में हमारे मूल्य बदलते जा रहे हैं।

घुटन, कुंठा, विसंगति और विडम्बना - अलगाव, अकेलापन और अजनबियत जैसे शब्द कुंठा को जन्म देते हैं। व्यक्ति सब से कटासा गया है और वह स्वतंत्र जीवन ही जीना चाहता है तथा ऐसा न होने पर वह कुंठाग्रस्त हो उठता है। जहाँ कहीं भी बेतुकापन दिखे वही विसंगति (एब्सर्ड) है और इन सबके बीच रहना ही विडम्बना (आयरनी) है।

मोहभंग - पारिवारिक संबंधों की धुरी अर्थ (पैसा) पर टिकी हुई है और जब आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो उसका सब तरफ व्यक्ति, समाज, रिश्ते और राजनीति से मोहभंग होने लगता है।

महानगरीयबोध - आधुनिकता बोध के जन्म का प्रमुख कारण ही महानगर है। इसी महानगर का हिस्सा बन बैठे हैं अकेलापन, संवादहीनता, कुंठा, यांत्रिकता, कृत्रिमता और संवेदनाशून्य व्यक्तित्व।

संबंधों का नया स्वरूप - जैसे-जैसे परिदृश्य बदला व्यक्ति के विभिन्न व्यक्तियों, समाज, संस्थाओं, धर्म तथा राजनीतिक संबंधों में भी बदलाव आया है और यह सुखद नहीं है इसमें विकृतियाँ ज्यादा हैं। चार्ल्स डार्विन, सिगमंड फ्रायड, कार्ल मार्क्स, सार्त्र जैसे दार्शनिकों के विचारों से व्यक्ति काफी प्रभावित हुआ जिसका प्रभाव सभी संबंधों पर पड़ा।

'आपका बंटी' की कथावस्तु - मन्नू भंडारी एक सहज लेखिका हैं इसलिए उन्होंने स्त्री।पुरुष के संबंधों की गहरी पड़ताल की है। आपका बंटी उपन्यास के माध्यम से वे यह बताना चाहती हैं कि स्त्री।पुरुष के तनावपूर्ण संबंधों के कारण उनके बच्चे की दशा भी कितनी तनावपूर्ण हो जाती है। साथ ही पति।पत्नी भी कितने मानसिक दबावों को सहते हैं। इसी कथा को मन्नू जी ने नए आयामों के साथ प्रस्तुत किया है। इसमें कुल सोलह अध्याय हैं जिनमें विभिन्न मनःस्थितियों के माध्यम से घटनाएँ नियोजित की गई हैं। जैसे उपन्यास की चार ही घटनाएँ मुख्य हैं। शकुन का अजय से अलगाव, अजय का मीरा के साथ रहना, शकुन का डॉक्टर जोशी से विवाह और बालक बंटी की उपेक्षा। हालाँकि यह उपन्यास व्यक्ति जीवन से सम्बद्ध होते हुए भी सामाजिक सन्दर्भों को आत्मसात किए हुए है। इसकी कथा बंटी नामक एक ऐसे बालक की कथा है जिसे परिस्थितिवश पिता का स्नेह नहीं मिल पाता है और माँ से इतना अधिक प्रेम मिलता है कि उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व ही विकसित नहीं हो पाता है। अंततः माँ और पिता उसे अपने से अलग कर देते हैं।

आपका बंटी और आधुनिक भावबोध - मन्नू भंडारी एक महिला कथाकार हैं इसलिए उन्होंने स्त्रीमन की पड़ताल बहुत ही सूक्ष्मता से की है। स्त्री-पुरुष के संबंधों में जो नयापन आया है चाहे वह वैयक्तिक या सामाजिक स्तर पर क्यों न हो उस नयेपन के विभिन्न रूप मन्नू जी ने चित्रित किए हैं। यह भी कह सकते हैं कि पुरुष पात्र का चित्रण भी उन्होंने नारी मन से ही किया है।

अजनबीपन - वर्तमान परिवेश में अजनबीपन बहुत ही दुर्दांत रूप में छाया हुआ दिखाई देता है। आपका बंटी उपन्यास में व्यक्तिगत अहम के कारण

परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि हमारा सामना अजनबीपन में डूबे हुए पात्रों से होता है। अजय और शकुन के झगड़े में अकेला हो जाता है उनका अपना बच्चा बंटी।

संत्रास तथा भय - आधुनिक परिवेश में रहकर व्यक्ति रिक्तता का अनुभव करने लगा और अपने ही समान दूसरे लोगों से भयाक्रांत रहने लगा है। इस उपन्यास में भी बंटी और शकुन दोनों आत्मरति से बद्ध हैं क्योंकि शकुन अजय से सामंजस्य न हो पाने के कारण अलग रहती है और अकेलेपन का संत्रास भोगती है। इसी प्रकार बंटी भी भयग्रस्त और अकेला हो गया है।

विद्रोह तथा प्रतिशोध - अपने-अपने अहम की तुष्टि न हो पाने के कारण आपका बंटी के पात्र एक दूसरे से विद्रोह कर बैठते हैं। शकुन अजय के प्रति विद्रोह कर बैठती है तो बंटी शकुन के व्यवहार से असंतुष्ट होकर तथा डॉक्टर जोशी से चिढ़कर और उनके बच्चों को अपना प्रतिद्वंद्वी समझकर विद्रोह कर बैठता है।

मूल्यों में परिवर्तन - किसी समाज में प्रचलित आचार-विचार, धर्म, संस्कृति तथा कला ही उस समाज के मूल्य का निर्माण करते हैं। समय-समय पर इन मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है। अजय और शकुन के बीच मतभेद का कारण भी यही बदलते मूल्य हैं।

घुटन, कुंठा, विसंगति और विडम्बना - मन्नू जी बंटी और शकुन के माध्यम से तनावग्रस्त हीनताबोध का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करने में सफल रही हैं। यही हीनताबोध शकुन की कुंठा का कारण है क्योंकि अतृप्ति और असंतोष ही कुंठा को जन्म देते हैं। अजय से जुदा होकर शकुन खुद को अकेला पाती है, लेकिन अब अकेले रहना ही सबसे बड़ी विसंगति है। यही विसंगति शकुन और बंटी की विडम्बना भी बन चुकी है।

मोहभंग - कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि आपका बंटी उपन्यास के सभी पात्रों का एक दूसरे से मोहभंग हो चुका है। इसीलिए इस समाज और इसके रीति।रिवाजों से भी उनका मोहभंग हो गया है।

महानगरीयबोध - मन्नू भंडारी ने अपने सभी उपन्यास महानगरीय समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखे हैं। आपका बंटी तो नगरों में रह रहे एकाकी मनुष्यों के अंतर्मन को खोलने वाला उपन्यास है। अजय, शकुन और बंटी साथ रहकर भी साथ नहीं हैं। उनके बीच जो खाई है वह महानगर की ही देन है।

संबंधों का नया स्वरूप - वर्तमान में आपसी संबंधों की गर्माहट कम हो गई है जिसके कई कारण हैं जिनमें प्रमुख कारण है पैसा। वैयक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों पर अर्थतंत्र हावी हो गया है, लेकिन आपका बंटी में संबंध टूटने का कारण पैसा न होकर अहम भाव है।

अंततः यही कहा जा सकता है कि स्वातंत्र्योत्तार लेखकों में मन्नू भंडारी का नाम अग्रणी है। उन्होंने सामाजिक धरातल पर रहकर अपने उपन्यासों की रचना की है। उनका नारी हृदय व्यक्तिमन की संवेदना और अनुभूति को समझनेवाला हृदय है। यही कारण है कि उन्होंने अपने छोटे।से अनुभव को व्यापक फलक पर आपका बंटी में चित्रित किया है। आधुनिक भावबोध के सभी तत्वों का समावेश आपका बंटी उपन्यास में यत्रातत्र दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका बंटी आधुनिक उपन्यास है जिसके सभी पात्र आधुनिक भावबोध की भूमि को ही सींचते नजर आते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

जनपद अमरोहा के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापकों की कार्य संतुष्टि एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. अनुराग यादव* भावना वर्मा**

प्रस्तावना - शिक्षा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। उसके व्यवहार तथा विचारों में निरन्तर परिवर्तन, परिवर्धन तथा परिमार्जन होता है। शिक्षा मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में उपयोगी साधन है। शिक्षा के अनेक स्तर हैं- प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा। किन्तु विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षा की पहली सीढ़ी है जिससे सफलता पूर्वक पार करके ही कोई व्यक्ति अपने अभिष्ट लक्ष्यों तक पहुँच सकता है।

प्राथमिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण और 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य की पूर्ति के लिए देश के सभी जिलों में राष्ट्रीय योजना के रूप में 'सर्व शिक्षा अभियान' 2 जनवरी 2001 को प्रारम्भ किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार अनुच्छेद 21(क) के माध्यम से शिक्षा को संविधान के भाग-3, अध्याय-11 के अन्तर्गत शिक्षा को 'मूल अधिकार' का दर्जा प्रदान किया गया। जिससे 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 45 में एक अनुच्छेद 45(A) जोड़कर देश के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

शोध की आवश्यकता - अध्यापक के व्यक्तित्व का बहुत कुछ प्रभाव बालकों के व्यक्तित्व पर पड़ता है। यह बालक ही भविष्य के निर्माता होते हैं। यदि यह कहा जाए कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में वहाँ के अध्यापकों का योगदान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। इस दृष्टिकोण से किसी भी राष्ट्र के उत्थान उच्च समुचित विकास सुयोग्य अध्यापकों की महत्ता स्वतः ही स्पष्ट हो जाती है।

प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का योगदान सर्वोपरि है। परम्परागत बी०टी०सी०; बेसिक टीचर सार्टिफिकेट प्रशिक्षित अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक के साथ-साथ 'जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षित संस्थान' से दो वर्ष का प्रशिक्षण तथा टी०ई०टी० (टीचर इलिजिबिलिटी टेस्ट) निर्धारित है। जबकि विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक के साथ-साथ प्रशिक्षित स्नातक (बैचलर ऑफ

एजुकेशन) तथा 'जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान' से 6 माह का प्रशिक्षण तथा टी०ई०टी० निर्धारित है। परम्परागत बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापक दो वर्ष के लम्बे प्रशिक्षण अवधि के कारण प्राथमिक शिक्षा के वातावरण में स्वयं को समायोजित कर लेते हैं तथा प्राथमिक शिक्षा हेतु अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेते हैं। ऐसे अध्यापक प्रशिक्षण के दौरान मानसिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं कि उनका शैक्षिक सहयोग प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने में ही रहेगा। ऐसे अध्यापकों की शैक्षिक कार्य संतुष्टि एवं समायोजन का उच्च स्तर होने की पूरी सम्भावनाएं होती हैं। परन्तु विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता स्नातक के साथ-साथ बी०एड० तथा टी०ई०टी० निर्धारित है। विशिष्ट बी०टी०सी० चयनित अध्यापक अन्य उच्च उपाधि (पी-एचडी०, नेट) धारक होते हैं जो उच्च शिक्षण संस्थानों या समकक्ष संस्थानों में शिक्षण कार्यों के लिए योग्य होते हैं। इनको उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक कार्य हेतु आगे बढ़ने की पूर्ण सम्भावनाएं होती हैं परन्तु अपने शैक्षिक योग्यता के अनुसार रोजगार न मिल पाने के कारण प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु चयनित हो जाते हैं। ऐसे अध्यापक दिन रात प्रयास करते रहते हैं कि उनका उच्च व्यावसायिक गतिशिलता हो जाए उच्च आशाएं रखने वाले अध्यापकों का अपने व्यवसाय में कार्य संतुष्टि एवं समायोजन का निम्न स्तर होने की पूरी सम्भावना होती है। शोधकर्ता के मस्तिष्क में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि योग्यता एवं प्रशिक्षण अवधि में अन्तर होने के कारण बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित दोनों प्रकार के अध्यापकों की व्यावसायिक कार्य संतुष्टि एवं समायोजन में अन्तर होता है। इसी प्रश्नगत बातों को ध्यान में रखते हुए इस शोध समस्या को शोधकर्ता द्वारा शोध समस्या के रूप में चयन किया है।

कार्य संतुष्टि - कार्य संतुष्टि का अभिप्राय किसी कर्मचारी द्वारा उसके कार्य के प्रति निर्मित सामान्य अभिवृत्ति से है। इसका अनुमान इस आधार पर लगा सकते हैं कि कोई कर्मचारी अपने परिवेश से पुरस्कार की जो प्रत्याशा रहती है और वस्तुतः जितना प्राप्त होता है दोनों में कितना अन्तर है? यह एक प्रकार की अभिप्रेरणा है जिसके फलस्वरूप कर्मचारी अपना कार्य सम्पादित करने में असीम आनन्द की अनुभूति प्राप्त करता है। यह कार्य संतुष्टि वैयक्तिक स्तर पर अनुभूति

* असि. प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, श्री वैक्टेस्वर विश्वविद्यालय, रजबपुर, गजरीला, जनपद अमरोहा (उ.प्र.) भारत

** शोध छात्रा, शिक्षाशास्त्र, श्री वैक्टेस्वर विश्वविद्यालय, रजबपुर, गजरीला, जनपद अमरोहा (उ.प्र.) भारत

किया जाता है और किसी भी रूप में इसकी सामूहिक व्याख्या नहीं की जा सकती है।

बुलक के अनुसार, 'कार्य संतुष्टि एक अभिवृत्ति है जो बहुत सी चाही और अनचाही अनुभवों के परिणाम है जिसमें व्यक्ति के अपने कार्य के प्रति जुड़ाव को परिलक्षित करता है।'

ब्राउन के अनुसार, 'कार्य संतुष्टि, व्यक्ति के अपने कार्य स्थिति के पक्षगत अनुभव या मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है।'

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि जो कर्मचारी अपने कार्य से संतुष्ट है वे स्वस्थ मानसिक संतुलन रखते हैं। स्वस्थ मानसिक संतुलन कर्मचारी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसके मनोबल को बनाये रखता है तथा उसकी उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार की कमी नहीं आने देता है। अनेक अध्ययनों के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि जो कर्मचारी अपने कार्य से असंतुष्ट होते हैं उनकी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। अतः कर्मचारी की कार्य असन्तोष को बचाये रखने के लिए आवश्यक है कि औसत स्तर के कर्मचारी को इस प्रकार का कार्य मिले कि वह केवल जीविकोपार्जन का साधन मात्रा न हो बल्कि उसे अपने कार्य से उद्देश्य प्राप्त करने की प्रेरणा मिले और जीवन को सुखमय बनाने के सभी तत्व उसमें सम्मिलित हो।

अध्यापक कार्य संतुष्टि की संकल्पना - आदि काल से विद्वानों का मत यही रहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है और मानसिक प्रक्रियायें सुचारु रूप से कार्य करती हैं। कभी-कभी यह भी पाया जाता है कि दोनों (शरीर तथा मानसिक प्रक्रियायें) का तालमेल ठीक बना हुआ है, पर्याप्त संतुलन है फिर भी व्यक्ति अपने को ऐसी स्थिति में पाता है कि वह उतना नहीं प्राप्त कर पा रहा है जितना उसे मिलना चाहिए था। कभी-कभी वह यह भी सोचता है कि उसके जीवन में कहीं कोई कमी है। कभी-कभी उसे यह अनुभूति होती है कि अब वह और अधिक पाने के लिए संघर्ष करने में असमर्थ है और अन्त में उसकी धरणा बन जाती है कि इतना सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो है वह पर्याप्त है।

कार्य संतुष्टि किसी कर्मचारी में अंतर्निहित उसकी बहुत सी मनोवृत्तियों का परिणाम होता है। इन मनोवृत्तियों का सम्बन्ध मात्रा कार्य से होता है तथा इसका सम्बन्ध कई विशिष्ट तत्वों से भी रहता है, जैसे पारिश्रमिक, पर्यवेक्षक, रोजगार की निरंतरता कार्य अवस्थायें, प्रोन्नति के अवसर, कार्य का न्यायपूर्ण मूल्यांकन उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा आदि किसी न किसी रूप में कार्य संतुष्टि पर अवश्य प्रभाव डालती है। कर्मचारी के सर्वांगीण विकास के लिए अधिक वेतन, अच्छा रहन-सहन, शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें, भविष्य की सुरक्षा आदि एक मात्र साधन नहीं है बल्कि उसका बौद्धिक विकास और संवेगात्मक अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर सब महत्वपूर्ण कारक ही बौद्धिक विकास समझने की क्षमता प्रदान करता है और संवेगात्मक अभिव्यक्ति जीवन सम्बन्धी समस्याओं के ताल-मेल स्थापित करने में सहायक होती है।

समायोजन की अवधारणा - समायोजन दो शब्दों से मिलकर बना है - 'सम' एवं 'आयोजन'। यहाँ 'सम' का आशय 'भली भाँति' तथा तथा 'आयोजन' का अर्थ 'व्यवस्था' से लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सुव्यवस्था या अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकताएं

पूरी हो जाय को समायोजन कहा जाता है। समायोजन को अनुकूलन व्यवस्थापन, सामंजस्य आदि नामों से भी जाना जाता है।

मानव जीवन की परिस्थितियां निरन्तर परिवर्तनशील हैं। शैशव से लेकर वृद्धावस्था तक मनुष्य के सम्मुख नयी-नयी समस्यायें और नयी-नयी परिस्थितियां आती रहती हैं और वह अपनी क्षमता द्वारा इन समस्याओं को सुलझाने और परिस्थितियों से निपटने की चेष्टा करता रहता है। यही उसकी समायोजन की प्रक्रिया है।

लारेंस एफ शैफर¹ के शब्दों में 'समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवित प्राणी अपनी आवश्यकताओं और उन आवश्यकताओं की सृष्टि को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाये रखता है।'

समायोजन की परिभाषा करते हुए मनोवैज्ञानिक हेनरी सी० स्मिथ² ने लिखा है कि 'अच्छे समायोजन से हमारा तात्पर्य है जो कि यथार्थ पर आधारित तथा सन्तोष देने वाला हो। कम से कम वह कालान्तर में व्यक्ति की उन कुठारों, तनाओं एवं दुश्चिन्तों को कम करे, जिसका की होना अनिवार्य है।

प्रो० विलियम ट्रॉ³ के अनुसार 'समायोजन पर्यावरण से एक ऐसा सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध है जो व्यक्ति के अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों से करता है और इसका परिणाम व्यवहार के विभिन्न रूपों में दिखाई देता है जो कि निष्क्रिय अनुमोदन से लेकर सक्रिय समर्थन की अभिसीमा के अन्तर्गत होते हैं।'

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि समायोजन से तात्पर्य पर्यावरण से सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध तथा उस दशा से है जिसके अन्तर्गत एक व्यक्ति प्रायः अपनी सभी आवश्यकताओं, शारीरिक तथा सामाजिक मांगों आदि की पूर्ति सामान्य रूप से कर लेता है। व्यक्ति का समायोजन उसकी अपनी मनोवैज्ञानिक सुविधाओं पर निर्भर है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़ता हो। इस लिये समायोजन के अन्तर्गत व्यक्ति अपने जीवन की यथार्थ परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा करता है जिससे कि वह अपनी कठिनाइयों को हल कर लेता है और इस प्रकार अपना जीवन सुख और सन्तोष के साथ व्यतीत करता है।

शोध समस्या - 'जनपद अमरोहा के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत् बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापकों की कार्य संतुष्टि एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन'

शोध के विशिष्ट उद्देश्य:

1. बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापकों के कार्य संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन।
2. बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित पुरुष एवं महिला अध्यापकों के कार्य संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन।
3. बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित ग्रामीण एवं नगरीय अध्यापकों के कार्य संतुष्टि का तुलनात्मक अध्ययन।
4. बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापकों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन।
5. बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित पुरुष एवं महिला अध्यापकों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन।
6. बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित ग्रामीण एवं नगरीय अध्यापकों के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन।

शोध की परिकल्पना : इस शोध में शून्य परिकल्पना का निर्माण किया गया है जो अधोलिखित है

1. बी0टी0सी0 एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों के कार्य संतुष्टि में अन्तर नहीं है।
2. बी0टी0सी0 एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षित पुरुष एवं महिला अध्यापकों के कार्य संतुष्टि में अन्तर नहीं है।
3. बी0टी0सी0 एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षित ग्रामीण एवं नगरीय अध्यापकों के कार्य संतुष्टि में अन्तर नहीं है।
4. बी0टी0सी0 एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों के समायोजन में अन्तर नहीं है।
5. बी0टी0सी0 एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षित पुरुष एवं महिला अध्यापकों के समायोजन में अन्तर नहीं है।
6. बी0टी0सी0 एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षित ग्रामीण एवं नगरीय अध्यापकों के समायोजन में अन्तर नहीं है।

सम्बन्धित साहित्य का अवलोकन - इस विषय एवं इस विषय से मिलते जुलते विषयों पर अध्ययन करने वाले विद्वानों में प्रमुख रूप से एस.ए., ओलाडेवा⁴, राबर्ट एवं फ्रांसिस⁵, एम.बी. व्यास⁶, हरिमा एल जोशी⁷, पन्ना⁸ एवं जयप्रकाश सिंह⁹ के गगनदीप¹⁰, एन.एस. डोंगा¹¹, अर्चना मिश्रा¹² आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

शोध अभिकल्प - वर्तमान शोध घटनोत्तर प्रकार का है लेकिन आकड़ों के वि लेषण हेतु समूहान्तर अभिकल्प के अन्तर्गत रखकर 'प्रसरण विश्लेषण' किया गया है। अभिकल्प 2 (BTC, SBTC) x2 (Male, Female)x 2 (Rural, Urban) प्रकार का था। इस शोध में कार्य संतुष्टि एवं समायोजन को आश्रित चर माना गया है।

न्यादर्श - प्रस्तुत शोध में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से एक जनपद अमरोहा का चयन लाटरी विधि से किया गया। इस जनपद में छह विकासखण्डों के लगभग 2160 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं।

अध्यापक समायोजन मापनी का प्रशासन - प्राथमिक विद्यालयों से 'आकस्मिक विधि' से चुने गये 260 पुरुष एवं महिला अध्यापकों के समूह पर 56 कथनों वाली मापनी का प्रशासन किया गया। उत्तरदाताओं को यह जोर देकर बताया गया कि उसमें से किसी भी कथन को छोड़ना नहीं है एवं इन कथनों के अच्छे या बुरे की कोई बात नहीं है। उन्हें अपने व्यक्तिगत सहमति और असहमति के आधार पर प्रत्येक कथन का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि उनके प्रत्युत्तरों को गोपनीय रखा जायेगा।

प्राप्तांकों का निर्धारण - यह 'अध्यापक समायोजन मापनी' लिक्वर्ट के 5 बिन्दु मापनी पर आधारित है। इस प्रश्नावली में सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रश्न हैं।

सकारात्मक कथनों में - यदि कथन है कि, 'अपने वरिष्ठ सहयोगी अध्यापकों से सामंजस्य पूर्ण व्यवहार करता हूँ' तो अंक वितरण निम्नलिखित है -

पूर्णतः सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णतः असहमत
5	4	3	2	1

नकारात्मक कथनों में - यदि कथन है कि, 'प्रस्तुत पाठ्य पुस्तकों' में चित्र एवं उदाहरण पर्याप्त नहीं है तो अंकों का वितरण निम्नलिखित है

पूर्णतः सहमत	सहमत	अनिश्चित	असहमत	पूर्णतः असहमत
1	2	3	4	5

इस प्रकार प्रत्येक कथन से सम्बन्धित प्राप्तांकों का कुल योग अध्यापक के समायोजन को व्यक्त करता है। इस मापनी में प्राप्तांकों का विस्तार 56 से 280 तक प्रसारित है जो क्रमशः न्यूनतम अध्यापक समायोजन और अधिकतम अध्यापक समायोजन की ओर संकेत करते हैं।

विश्वसनीयता - किसी भी शोध उपकरण की सबसे बड़ी विशेषता उसकी विश्वसनीयता है। इस मापनी की विश्वसनीयता अर्द्धविच्छेद विधि से ज्ञात की गयी। 'अर्द्धविच्छेद विधि' कम्प्यूटर साफ्टवेयर IBM. SPSS. Statistics. Version 21 से ज्ञात की गयी है। जिसमें प्रथम भाग का 'क्रानबेक अल्फा का मान .65 ;28 कथनों पर पाया गया है तथा द्वितीय भाग का 'क्रानबेक अल्फा' का मान .64 ;28 कथनों पर पाया गया है। इन दोनों प्रारूपों के बीच 'सहसम्बन्ध (Correlation) .58 है एवं 'स्पीयर मेन ब्राउन इक्वल लेन्थ कोएफिसिएण्ट' (Spearman-Brown Equal Length coffeicient) .73 है।

विश्लेषण एवं व्याख्या - इन दोनों ही आश्रित चरों (अध्यापकों कार्य संतुष्टि एवं अध्यापक समायोजन) के 'प्रसरण विश्लेषण' से यह स्पष्ट है कि वर्तमान अध्ययन के दोनों मुख्य चरों पर केवल समूह (बी0टी0सी0 एवं विशिष्ट बी0टी0सी0) का प्रभाव पाया गया एवं यह भी पता चलता है कि कार्य संतुष्टि एवं समायोजन की तुलना में ज्यादा अच्छा है।

इन दोनों ही आश्रित चरों पर लिंग एवं सन्दर्भ का कोई भी प्रभाव नहीं था। इसको ध्यान में रखते हुए आगे के प्रसरण विश्लेषण में केवल (बी0टी0सी0/विशिष्ट बी0टी0सी0) को लिया गया है और दोनों ही चरों के सभी आयामों के स्तर पर समूह के प्रभाव का अध्ययन किया गया है एवं इस हेतु दोनों आश्रित चरों के आयामों के स्तर पर तीन 'एक दिश प्रसरण विश्लेषण' किया गया है।

प्रस्तुत शोध का प्रथम आश्रित चर अध्यापक कार्य संतुष्टि के 20 आयामों में से केवल 6 आयामों पर ही समूह (बी0टी0सी0/विशिष्ट बी0टी0सी0) का प्रभाव सार्थक पाया गया है। अध्यापक कार्य संतुष्टि हेतु यहाँ 6 आयाम महत्वपूर्ण आयामों के रूप में उपस्थित हैं जिनका नाम इस प्रकार है-

1. वेतन एवं अतिरिक्त लाभ (F (1,472) = 103.6, P < .01)
2. कार्य की परिस्थितियाँ (F (1,472) = 24.75, P < .05)
3. कार्य की अधिकता (F (1,472) = 102.67, P < .01)
4. उपलब्धियाँ (F (1,472) = 22.96, P < .05)
5. पुस्तकालीय नीतियाँ एवं कार्यान्वयन (F (1,472) = 35.20, P < .05)
6. सुरक्षा (F (1,472) = 125.05, P < .01)

इन 6 आयामों में विशिष्ट बी0टी0सी0 का मध्यमान बी0टी0सी0 की तुलना में अधिक है जिनके मध्यमानों का वर्णन इस प्रकार है - इन 6 आयामों में प्रथम आयाम 'वेतन एवं अतिरिक्त लाभ' का बी0टी0सी0 का 13.1417 एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 का 14.0708 मध्यमान है। द्वितीय आयाम 'कार्य की परिस्थितियाँ' जिनमें बी0टी0सी0 का 15.9292 एवं विशिष्ट बी0टी0सी0 का 16.3833 मध्यमान है। तृतीय आयाम 'कार्य की अधिकता' जिसमें बी0टी0सी0 का 13.4458

एवं विशिष्ट बी०टी०सी० का 14.3708 मध्यमान है। चतुर्थ आयाम 'उपलब्धि' का बी०टी०सी० का 15.9525 एवं विशिष्ट बी०टी०सी० का 16.4000 मध्यमान है। पंचम आयाम 'पुस्तकालीय नीतियाँ एवं कार्यान्वयन' का बी०टी०सी० का 14.875 एवं विशिष्ट बी०टी०सी० का 15.4167 मध्यमान है तथा छठवां आयाम 'सुरक्षा' है जिसका बी०टी०सी० का 13.8708 एवं विशिष्ट बी०टी०सी० का 14.8917 मध्यमान है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि इन 6 आयामों में विशिष्ट बी०टी०सी० अध्यापकों के कार्य संतुष्टि बी०टी०सी० अध्यापकों की तुलना में ज्यादा है।

अध्ययन के द्वितीय आश्रित चर अध्यापक समायोजन के 14 मूल आयाम हैं। इन 14 मूल आयामों पर समूह का प्रभाव 'एक दिश प्रसरण' के माध्यम से देखा गया। जिसमें 7 आयामों पर समूह (बी०टी०सी०/विशिष्ट बी०टी०सी०) का प्रभाव सार्थक पाया गया है। अध्यापक समायोजन हेतु यहाँ 7 आयाम महत्वपूर्ण आयामों के रूप में उपस्थित हैं जिनका नाम इस प्रकार हैं -

1. शिक्षक विधियाँ (F (1,472) = 31.00, P < .01)
2. शिक्षक सहायक सामग्री (F (1,472) = 143.00, P < .01)
3. पाठ्य पुस्तक (F (1,472) = 51.35, P < .01)
4. समय सारणी (F (1,472) = 24.30, P < .05)
5. पर्यवेक्षक (F (1,472) = 64.53 P < .01)
6. अनुशासन (F (1,472) = 78.40, P < .01)
7. पारिवारिक स्थिति (F (1,472) = 86.7, P < .01)

7 आयामों में विशिष्ट बी०टी०सी० का मध्यमान बी०टी०सी० की तुलना में अधिक है। जिनके मध्यमानों का वर्णन इस प्रकार है। इन 7 आयामों में प्रथम आयाम 'शिक्षण विधियाँ' है जिसका बी०टी०सी० का 17.1250 एवं विशिष्ट बी०टी०सी० का 16.6167 मध्यमान है। द्वितीय आयाम 'शिक्षण सहायक सामग्री' है जिसका बी०टी०सी० का 13.6250 एवं विशिष्ट बी०टी०सी० का 14.7167 मध्यमान है। तृतीय आयाम 'पाठ्य पुस्तक' है जिसमें बी०टी०सी० का 14.3458 एवं बी०टी०सी० का 15.0000 मध्यमान है। चतुर्थ आयाम 'समय-सारणी' है जिसमें बी०टी०सी० का 15.2458 एवं विशिष्ट बी०टी०सी० का 15.6958 मध्यमान है। पंचम आयाम 'पर्यवेक्षक' है जिसका बी०टी०सी० का 13.9750 एवं विशिष्ट बी०टी०सी० का 14.7083 मध्यमान है। षष्ठम आयाम 'अनुशासन' है जिसका बी०टी०सी० का 14.9333 एवं विशिष्ट बी०टी०सी० का 15.7417 मध्यमान है। सप्तम आयाम 'पारिवारिक स्थिति' है जिसका बी०टी०सी० का 14.5500 एवं विशिष्ट बी०टी०सी० का 15.4000 मध्यमान है। इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि इन 7 आयामों में बी०टी०सी० अध्यापकों की तुलना में अध्यापक समायोजन विशिष्ट बी०टी०सी० अध्यापकों का ज्यादा है।

शोध परिणामों की व्याख्या एवं निष्कर्ष

परिणामों की व्याख्या- परिणामों की व्याख्या अधलिखित है-

अध्यापक कार्य संतुष्टि के स्तर पर- परिणामों के आधार पर यह पता चलता है कि 'प्रथम' शून्य परिकल्पना जो कि 'बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापकों के कार्य संतुष्टि में अन्तर नहीं है।' इसकी परिणामों के आधार पर पुष्टि नहीं हुई है। बी०टी०सी०

एवं विशिष्ट बी०टी०सी० समूह के बीच अध्यापक कार्य संतुष्टि के स्तर पर सार्थक अन्तर पाया गया है।

इसी प्रकार 'द्वितीय' शून्य परिकल्पना 'बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० अध्यापकों के पुरुष एवं महिला अध्यापकों के कार्य संतुष्टि में अन्तर नहीं है।' एवं 'तृतीय' शून्य परिकल्पना 'बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित ग्रामीण एवं नगरीय अध्यापकों के कार्य संतुष्टि में अन्तर नहीं है।' इसकी परिणामों के आधार पर पुष्टि हुई है। प्राप्त परिणामों से पता चलता है कि लिंग (महिला एवं पुरुष), सन्दर्भ (ग्रामीण एवं नगरीय) का कोई प्रभाव अध्यापक कार्य संतुष्टि पर नहीं पड़ा है।

अध्यापक समायोजन के स्तर पर- परिणामों के आधार पर यह पता चलता है कि 'चौथी' शून्य परिकल्पना जो 'बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापकों के समायोजन में अन्तर नहीं है।' इसकी परिणामों के आधार पर पुष्टि नहीं हुई है। प्राप्त परिणाम यह बताते हैं कि बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० अध्यापकों के प्रभाव लीलता में अन्तर पाया गया है। लेकिन 'पांचवी' शून्य परिकल्पना जो कि 'बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित पुरुष एवं महिला अध्यापकों के समायोजन में अन्तर नहीं है।' एवं 'छठी' शून्य परिकल्पना जो कि 'बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित ग्रामीण एवं नगरीय अध्यापकों के समायोजन में अन्तर नहीं है।' परिणाम यह बताते हैं कि मध्यमानों के बीच कोई सार्थक अन्तर नहीं है। शून्य परिकल्पना सही है। अर्थात् लिंग (महिला एवं पुरुष) संदर्भ (ग्रामीण एवं नगरीय) का प्रभाव अध्यापक समायोजन पर नहीं पड़ा है।

निष्कर्ष- प्रस्तुत शोध जनपद अमरोहा के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापकों के कार्य संतुष्टि एवं समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन' विषय पर एकत्रित आंकड़े, सांख्यिकीय विश्लेषण एवं प्राप्त परिणामों की व्याख्या से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं-

1. बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापकों के समूह के बीच अध्यापक कार्य संतुष्टि के स्तर पर अन्तर पाया गया है।
2. बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित पुरुष एवं महिला अध्यापकों के बीच कार्य संतुष्टि के स्तर पर कोई भी अन्तर नहीं पाया गया है।
3. बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित ग्रामीण एवं नगरीय अध्यापकों के बीच कोई भी अन्तर नहीं पाया गया है।
4. बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित अध्यापकों के बीच अध्यापक समायोजन स्तर पर अध्यापकों के बीच अन्तर पाया गया है।
5. बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित पुरुष एवं महिला अध्यापकों के बीच अध्यापक समायोजन स्तर पर कोई भी अन्तर नहीं पाया गया है।
6. बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षित ग्रामीण एवं नगरीय अध्यापकों के बीच अध्यापक समायोजन स्तर पर कोई अन्तर नहीं पाया गया है।

निष्कर्ष से यह परिणाम निकलता है कि-

1. बी०टी०सी० एवं विशिष्ट बी०टी०सी० अध्यापकों का प्रभाव अध्यापक कार्य संतुष्टि, अध्यापक एवं अध्यापक समायोजन पर है।
 2. अध्यापक कार्य संतुष्टि एवं अध्यापक समायोजन बी०टी०सी० की तुलना में विशिष्ट बी०टी०सी० अध्यापकों में ज्यादा है।
 3. लिंग ;पुरुष एवं महिलाद्व एवं संदर्भ (ग्रामीण एवं नगरीय) का प्रभाव (कार्य संतुष्टि, एवं समायोजन) पर नहीं पड़ा है।
- संदर्भ ग्रंथ-सूची :-**
1. लोरेन्स एफ सैफर, (19489) फाउंडेशन आफ साइक्लोजी एडिट बाई बोरिन लैंगरेड एण्ड वैल्ड जॉन वैली एण्ड सन्स, न्यूयार्क पेज-5
 2. एच०सी० स्मिथ (1951) परसोनललिटी एडजस्टमेंट न्यूयार्क, मैकग्रा हिल बुक कम्पनी पेज-25
 3. डब्ल्यू०सी० ट्रा (1970) साइक्लोजी इन टीचिंग एंड लर्निंग नई दिल्ली यूरेशिया पब्लिशिंग हाउस पेज-450
 4. ओलाडेवो, एस०ए० (2001) एवं इन्वेस्टिगेशन आफ जॉब सेटिसफेक्शन एण्ड विथ सेटिसफेक्शन एमांग द टीचर्स इन सेकेण्ड्री इन्स्टीट्यूशन इन नाइजिरिया, पी-एच०डी० एजुकेशन, एक्सट्रैक्ट इन्टरनेशनल वैल्यूम 62, पृ० 1026
 5. राबर्ट एवं फ्रांसिस (2002) इन्साइक्लोपीडिया आफ एजुकेशन रिसर्च, ए प्रोजेक्ट आफ द अमेरिकन एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन, फर्स्ट एडिशन, पृ०-645।
 6. व्यास, एम.वी. (2001) द जॉब सेटिसफेक्शन आफ प्राइमरी टीचर्स विथ रिफ्रेन्स टू द सेक्स, मेरिटल स्टेट्स एण्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पी-एच०डी० एजुकेशन, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, राजकोट।
 7. जोशी, हरीका एल (2004) ए कम्परेटिव स्टडी आफ जाब स्ट्रेस, जॉब इनवाल्वमेंट एण्ड जॉब सेटिसफेक्शन आफ बी०एड० टीचिंग एंड बी०एड० ट्रेन्ड टीचर्स आफ राजकोट सौराष्ट्र रीजन आफ गुजरात स्टेट, पी.-एच०डी० एजुकेशन, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट।
 8. पवला, (2012) ए स्टडी आफ जॉब सेटिसफेक्शन अमांग टीचर्स आफ प्रोफेशनल कालेज इन पंजाब, इण्डियन जर्नल आफ रिसर्च वाल्यूम 10 (2012) अक्टूबर 2012।
 9. सिंह, जयप्रकाश (2013) रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग काम्पीटेंस एण्ड सेटिसफेक्शन : ए स्टडी एमांग टीचर एजुकेटर्स वर्किंग इन सेल्फ फाइनेसिंग कालेज इन उत्तर प्रदेश इण्डियन जर्नल आफ रिसर्च 3:5, 2013
 10. गगनदीप, के० (1986) डिफेन्स मैकनिज्म यूज्ड बाई द एडोलसेन्ट स्कूल इनवायरनमेंट एण्ड देयर इम्पैक्ट ऑन देयर ऐडजस्टमेंट टू स्कूल एण्ड होम, पी-एच०डी० एजुकेशन, पन्त यूनिवर्सिटी।
 11. डोंगा, एन०एस० (1987) ए स्टडी आफ द ऐडजस्टमेंट आफ ट्रेनीज आफ टीचर्स ट्रेनिंग कालेजेज इन गुजरात पी-एच०डी० एजुकेशन सागर यूनिवर्सिटी।
 12. मिश्रा, अर्चना (1992) केन्द्रीय एवं राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों के समायोजन समस्याओं का उनके आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन, पी-एच०डी० एजुकेशन, गोरखपुर यूनिवर्सिटी।
 13. सांख्यिकीय पत्रिका जनपद अमरोहा, 2018, तालिका 39
 14. गुप्ता, एस०पी० (2007) सांख्यिकीय विधियां, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।

मौर्य कालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन

डॉ. आनन्द गोस्वामी *

प्रस्तावना - परिचय नंद वंश के अंतिम शासक धाननन्द को मारकर जिस व्यक्ति ने मौर्य वंश स्थापना की उसका नाम यूनानी लेखकों ने सेंड्रोकोट्स बताया है। सर्वप्रथम सर विलियम जॉस ने इस सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य की प्रस्तुत पत्र में हम मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ तक के समय की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे।

मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं- कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका एवं अन्य यूनानी विवरण, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, विशाखदत्ता की मुद्राराक्षस दुंदीराज की मुद्राराक्षस पर टीका, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, अशोक के अभिलेख, क्षेमेन्द्र कृत वृहत्कथामंजरी, सोमदेव कृत कथासरित्सागर प्रस्तुत शोधा पत्र में उपरोक्त के आधार पर मौर्यकालीन सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का जो वर्णन प्राप्त होता है उसका उल्लेख किया गया है जोकि मौर्यकालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को रेखांकित करता है।

अध्ययन के उद्देश्य प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है -

1. मौर्य कालीन सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना।
2. मौर्य काल में स्त्रियों की दशा का अध्ययन करना।
3. मौर्य काल में शिक्षा व्यवस्था एवं मनोरंजन का अध्ययन करना।
4. मौर्य कालीन आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करना।
5. मौर्यकालीन व्यापार एवं उद्योग धंधों का अध्ययन करना।

मौर्य कालीन सामाजिक व्यवस्था- मौर्यों का इतिहास जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण विवरण कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक हैं। यह ग्रंथ अन्य पुरुष की शैली में लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक है। डॉ. शाम शास्त्री ने सर्वप्रथम 1909 में इसे प्रकाशित करवाया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समाज के चारों वर्णों- ब्राह्मण, छत्रिय, वैश्य और शुद्र का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने शूद्रों को भी आर्य कहा है। उसके अनुसार शुद्र का कार्य शिल्प, व्यापार, कृषि तथा पशुपालन भी हो सकता है। शूद्रों को उसने तीनों वर्णों के साथ सेना में भी भर्ती होने की अनुमति दी है। कौटिल्य ने अनेक वर्णसंकर जातियों का भी उल्लेख किया है। उनकी उत्पत्ति विभिन्न वर्णों के अनुलोम और प्रतिलोम विवाह उसे बताई गई है। जिन वर्णसंकर जातियों का उल्लेख है, वे हैं- अम्बष्ठ, निषाद पारशव

रथकार क्षत्ता, वैदेहक मागधा सूत पुल्लकस वेर्ण चाण्डाल स्वपाक इत्यादि। व्यवसाय पर आधारित वर्ण जाति का रूप धारण कर चुके थे। अर्थशास्त्र में इन सब का समावेश शुद्ध वर्ण के अंतर्गत किया गया है। अशोक के अभिलेखों में दास और कर्मकर का उल्लेख है जो शूद्र वर्ण के अंदर ही समाविष्ट किया गया है। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज का वर्गीकरण भारतीय ग्रंथों में वर्णित वर्गीकरण से भिन्न है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है।

1. **दार्शनिक** - ब्राह्मण श्रमण, भिक्षु परिव्राजक आदि उसके अनुसार यद्यपि इनकी संख्या कम थी फिर भी समाज में इनका बहुत आदर था।
2. **किसान** - मेगस्थनीज के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा किसान थे, जो गांव में रहते थे।
3. **अहीर या ग्वाले** - ये अपने पशुओं के साथ ढेरों में रहते थे।
4. **कारीगर या शिल्पी** - यह भी प्रमुख जाति थी।
5. **सैनिक** - भारत में दूसरे स्थान पर सैनिक ही थे।
6. **निरीक्षक** - इन्हें गुप्तचर भी कहा जाता था।
7. **सभासद** - यह शासक वर्ग था। इनकी संख्या सबसे कम थी। दास प्रथा- मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। परंतु कौटिल्य ने नौ प्रकार के दासों का वर्णन किया है जो निम्न प्रकार से हैं

1. ध्वजाहत युद्ध में जीता हुआ दास।
2. उदरदास पेट का दास।
3. गृहजात घर में दास जी द्वारा उत्पन्न दास।
4. दयागत पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास।
5. **लब्ध** - दान में प्राप्त हुआ दास।
6. **क्रीत** - खरीदा हुआ दास।
7. **आत्मविक्रयी** - अपने आप को बेचने वाला दास।
8. **अहितक** - ऋण के बदले धारोहर के रूप में रखा गया दास।
9. **दण्डप्रणीत** - दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास। स्त्रियों की दशा - परिवार में स्त्रियों की दशा स्मृति काल की अपेक्षा अधिक अच्छी थी। उन्हें पुनर्विवाह तथा नियोग अनुमति थी, फिर भी स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कही जा सकता।

उन्हें बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण नहीं मिलता किंतु, यूनानी लेखकों ने उत्तर-पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है मौर्य युग में गणिका या वेश्याओं का भी उल्लेख मिलता है। स्वतंत्र रूप

* एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (इतिहास) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चरखारी, जनपद- महोबा (उ.प्र.) भारत

वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपजीवा कहलाती थी। इनसे राज्य को आय होती थी। बहुत सी गणिकाएं गुप्तचर विभाग में भी काम करती थी। गणिकाओं के कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था। समाज में विधवा विवाह प्रचलित था। कुछ भी विधवाएं विवाह नहीं करती थी तथा स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत करती थी। ऐसी विधवाएं छंदवासिनी कहलाती थी। वे विधवाएं जो धनाढ्य हुआ करती थी अर्थशास्त्र में उन्हें अढ्य विधवा कहा गया है।

शिक्षा एवं मनोरंजन - इस काल में वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इस समय धर्म, व्याकरण, अर्थ तथा राजनीति शिक्षा के अनिवार्य विषय माने जाते थे। तक्षशिला, उज्जैन एवं वाराणसी मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। इस समय प्रौद्योगिकी शिक्षा का भी विकास हुआ। प्रौद्योगिकी शिक्षा की व्यवस्था श्रेणियों द्वारा की जाती थी। अर्थशास्त्र में मनोरंजन के कई तरीकों का वर्णन मिलता है। नट, नर्तक, गायक, वादक आदि समाज में लोगों का मनोरंजन किया करते थे। मनोरंजन करने वाले कई अन्य वर्गों के भी नाम हैं।

वाग्जीवक - विविध प्रकार की बोलियों बोलने वाले लोग।

पलवक - रस्सी पर नाचने वाले कुशिलव-तमाशा दिखाने वाले सौभिक

● मदारी

कुहक - जादूगर

अदिति कौशिक - ऐसे बौद्ध भिक्षु जो देवताओं और सर्पों के चित्र लोगों के पास ले जाते थे। अर्थशास्त्र में प्रेक्षागृहों (रंगशालाओं) का भी वर्णन है। इन प्रेक्षागृहों में भाग लेने वाले पुरुष को रंगोपजीवी तथा स्त्रियों को रंगोपजीविनी कहा जाता था। प्रवहण एक प्रकार का सामूहिक समारोह था जिसमें भोज्य पदार्थों की अधिकता होती थी। जुआ, शराब, शिकार इत्यादि भी मनोरंजन के साधन थे।

आर्थिक जीवन - राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य - व्यापार पर आधारित थी। इसको सम्मिलित रूप से वार्ता (वृत्ति का साधन) कहा गया है। इन व्यवसायों में कृषि मुख्य था। मौर्य काल में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धन की फसल को सबसे उत्तम एवं गन्ने की फसल को सबसे निकृष्ट बताया गया है। अर्थशास्त्र में वर्ष में तीन फसलें उगाये जाने का उल्लेख है -

हैमन - रवि की फसल।

शैषिमिक खरीफ की फसल।

केदार - जायद की फसल।

मेगस्थनीज के अनुसार यहां वर्ष में दो बार वर्षा होती है। अतः कृषक दो फसल काटते हैं। राज्य की भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा होती थी और इससे होने वाली आय को कौटिल्य ने सीता कहा है। अर्थशास्त्र में क्षेत्रक (भू स्वामी) उपवास (कास्तकार) तथा स्वाम्य का उल्लेख है। स्वाम्य में व्यक्ति का भूमि पर अधिकार सिद्ध हो जाता है।

राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध था। इसे सेतुबंध कहा गया है। इसके अंतर्गत तालाब कुआं तथा झीलों पर बांध बनाकर एक स्थान पर पानी एकत्रित करना इत्यादि निर्माण कार्य आते हैं। मौर्य के समय सौराष्ट्र में सुदर्शन झील के बांध का निर्माण इस सेतुबंध का एक उदाहरण है। सिंचाई के लिए अलग कर देना पड़ता था जिसकी दर उपज का 1/5 से 1/3 भाग तक थी। भूमि कर और सिंचाई कर को मिलाकर किसानों को उपज का लगभग 1/2 भाग देना पड़ता था।

कृषि के अतिरिक्त वन प्रदेश एवं चारागाह थे। वन दो प्रकार के होते थे हस्तीवन-जहां हाथी रहते थे। द्रव्यवन - जहां से अनेक प्रकार की लकड़ी तथा लोहा, तांबा इत्यादि धातुएं प्राप्त होती थी। इन धातुओं से कारखानों में अनेक वस्तुओं का निर्माण होता था।

उद्योग - धंधो - इस समय अनेक उद्योग धंधो भी प्रचलित थे। इस समय का प्रधान उद्योग सूत कातने और बुनने का था। ऊन, रेशे कपास, क्षण क्षोम और रेशम, सूत कातने में प्रयुक्त होते थे। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि काशी, बंग, पुंड्र, कलिंग और मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। काशी और पुंड्र में रेशमी कपड़े भी बनते थे। बंग का मलमल विश्व विख्यात था। कौटिल्य ने चीनपट्ट का भी उल्लेख किया है। यह रेशम चीन से आता था।

खान-उद्योग - मौर्य काल में खान उद्योग राज्य नियंत्रण में था। इसकी देखने के लिए अकराध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी। मेगस्थनीज ने भारत में अनेक प्रकार की धातुओं की खानों का जिक्र किया है। जैसे - सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। मौर्य काल में धातु उद्योग, नमक उद्योग, शराब उद्योग, जहाजरानी उद्योग, चमड़ा उद्योग, औषधि उद्योग आदि प्रसिद्ध थे पत्थर तराशने का व्यवसाय भी विकसित अवस्था में था। अशोक के समय में एक ही पत्थर पर बना हुआ स्तंभ इसका ज्वलंत उदाहरण है। पत्थर पर पॉलिश का काम अपने चरमोत्कर्ष पर था। सारनाथ सिंह स्तंभ तथा बाबर गुफाओं की चमक अद्वितीय है।

व्यापार - इस काल में उद्योगों के चरम विकास के स्वाभाविक परिणामस्वरूप व्यापार का भी विकास हुआ। व्यापार पर नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु राज्य द्वारा विभाग की स्थापना हुई। इस का सर्वोच्च अधिकारी पंड्याध्यक्ष होता था। पंड्याध्यक्ष के नियंत्रण में संस्थाध्यक्ष होता था जो व्यापारिक गतिविधियों पर नजर रखता था।

इस समय का सबसे प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पर भड़ौच या भृगुकच्छ था। यह प्राचीन भारत का सबसे पुराना एवं बड़ा बंदरगाह था। पश्चिमी तट पर ही सोपारा (महाराष्ट्र) अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पूर्वी तट का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह ताम्रलिसि या रामलोक (पश्चिमी बंगाल) था।

मौर्य काल में भारत का व्यापार मुख्यतः पश्चिमी एशिया, मिस्र, चीन तथा श्रीलंका से होता था। चीन से रेशम प्राप्त होता था ताम्रपर्णी से मोतियों, नेपाल से चमड़ा, सीरिया से मदिरा एवं पश्चिम एशिया से घोड़ों का आयात होता था। भारत से मिस्र को हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ी निर्यात होती थी। देशज वस्तुओं पर 4 प्रतिशत और आयातित वस्तुओं पर 10 प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था। मेगस्थनीज के अनुसार बिक्री करना देने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था।

मौर्यों राजकीय मुद्रा 'पण' थी यह 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का था। अधिकारियों को वेतन आदि देने में इसी का प्रयोग होता था। इसके ऊपर सूर्य, चंद्र पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि खुदे होते थे होते थे। अतः इसे आहत सिक्का (Punch Markes Coin) भी कहा जाता है। इस काल के सिक्के स्वर्ण चांदी और तांबे के बने होते थे।

स्वर्ण सिक्के - निष्क एवं सुवर्ण।

चांदी के सिक्के - पण, कषारपण, धारण और शतमान।

तांबे के सिक्के - माषक एवं काकणि।

निष्कर्ष - उपरोक्त बिंदुओं की विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि मौर्य काल में सामाजिक व्यवस्था उन्नत थी, यद्यपि उसमें जाति प्रथा जैसी बुराइयां भी विद्यमान थी। स्त्रियों की दशा उन्नत थी उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त था।

शिक्षा व्यवस्था उत्तम थी एवं आर्थिक स्थिति उत्तम थी मौर्यकालीन व्यापार एवं उद्योग धंधो भी उन्नति दशा में थी। इन बिंदुओं के आलोक में कहा जा सकता है कि मौर्यकालीन समाज अपनी उन्नत स्थिति में था।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. प्राचीन भारत - एस. के. पाण्डे
2. प्राचीन भारत का इतिहास - के. सी. श्रीवास्तव
3. प्राचीन भारत का इतिहास - वी. डी. महाजन
4. भारत का प्राचीन इतिहास - राम शरण शर्मा
5. भारत का इतिहास - कृष्णा रेड्डी

समकालीन कविता : वैज्ञानिक दृष्टिकोण के पक्ष में

डॉ. संजय सक्सेना*

प्रस्तावना – इस सदी में तकनीक शीघ्रस्थानीय हो गयी है। अत्याधुनिक उपकरणों से धिरी मनुष्य जाति असंख्य सुविधाओं के साथ कठोर शारीरिक श्रम से बची हुई है। इक्कीसवीं सदी तकनीकी के चरमोत्कर्ष को छूने वाली होगी। तकनीक के सहारे मनुष्य जाति उपलब्धियों के नये आकाश को छू सकेगी। आज प्रकृति के साथ दुर्धर्ष संघर्ष करते हुए मनुष्य जाति ने करोड़ों रोजमर्रा की परेशानियों पर विजय पायी है तो सिर्फ इसलिए की उसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए इन भौतिक परेशानियों और सामाजिक बुराइयों पर प्रामाणिक समझ को विकसित किया है। इसीलिए संविधान में हर नागरिक से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने का उल्लेख एक कर्तव्य के रूप में किया गया है। चूंकि भारत गाँवों का देश है जहाँ आबादी का बहुलांश भौतिक उपलब्धियों से दूर, अपनी परम्पराओं, रूढ़ियों और अंधविश्वासों के साथ रहती है, तब नागरिकों से यह अपेक्षा सहज हो जाती है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएँ ताकि जीवन अधिक मानवीय, करीबी और आपसी समझ को विकसित करने वाला हो सके दिलों में दूरियाँ, पैदा करने वाली अप्रामाणिक समझ से विकसित परम्पराएँ, रूढ़ियाँ व अंधविश्वास टूटें। समकालीन कविता ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की जबरदस्त पैरोकारी की है। समकालीन कवि विज्ञान के आलोक में अज्ञान के हर अंधेरे को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है।

हजारों वर्षों से विकसित अंधविश्वास व संस्कारों की जड़े इतनी गहरी व मजबूत हैं कि आज का आधुनिक शिक्षा का ग्रहण किया हुआ डॉक्टर भी, अपने कितने ही कार्यों को श्रम व कौशल के स्थान पर भाग्य की परिणति मानता है। इसी अंतर्विरोध को निलय उपाध्याय की कविता 'छीक' बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करती है –

“डॉ शुक्ला के दुख जितने बड़े हैं,
उससे बड़ी है उनकी दुविधाएँ”

दुख से बड़ी दुविधाएँ इसलिए हैं क्योंकि छः साल की बच्ची मधु, पटना जा रहे डॉक्टर साहब के घर से निकलते ही छीक दी –

“मामूली नहीं हो सकती मधु की यह छीक
उनके पिता की मौत के ठीक आधा घंटा पहले
छीक आई थी बुआ को, दादी की छीक के दिन
हार गए थे उनके दादा

पचास एकड़ जमीन का मुकदमा
उनके चेहरे पर तैर रही थी यात्रा की अदृश्य बाधाएँ

रेल दुर्घटना, तोड़-फोड़
हत्या

X X X X X X X X X X

स्याह पड़ गया उनका चेहरा, यात्रा स्थगित”¹

जब डॉक्टर ज्ञान अर्जित करने पर भी व्यक्ति के संस्कार भाग्यवादी हो, तो अर्जित ज्ञान स्वयं अविश्वसनीय हो जाता है। एक डाक्टर से बेहतर यह कौन जानता है कि 'छीक' क्यों आती है और उसे रोकना असम्भव क्यों हो जाता है। किन्तु, प्रामाणिक ज्ञान से अधिक विश्वसनीय यहाँ आशंका और दुर्घटना की पूर्वकल्पना हो जाती है। मात्र विज्ञान पढ़ने से ही किसी का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं हो जाता, कार्य-कारण की सैकड़ों बार सिद्ध हुई परिणति ही विज्ञान को प्रामाणिक आधार देती है। मृत्यु होना या जमीन का मुकदमा हारने का सम्बन्ध छीक से स्थापित करना-अवैज्ञानिक निष्कर्ष और अंधविश्वास का ही परिणाम है –

“इलाके के नामी चिकित्सक है शुक्ला

X X X X X X X X X X

हम क्या करें उनकी आस्था

उनकी मनाहियाँ

और उनके विज्ञान को”²

यहाँ विडम्बना-बोध को निलय ने तीव्रतर रूप प्रदान कर दिया है, क्योंकि इन अंधविश्वासों से ग्रसित व्यक्ति स्वयं विज्ञान का विद्यार्थी है। जब एक अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त, प्राणों का रक्षक डाक्टर भाग्यवादी अंधविश्वासी और अवैज्ञानिक हो सकता है, तो अशिक्षित, गरीब और गाँवों में बसने वाली जनता को किस आधार पर गलत ठहराया जाय। यहाँ एक ही समय में कई समय जैसे एक साथ चल रहे हैं। सच्चे साहित्य में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की पैरवी होती है। राजनीति यदि नागरिकों के कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का आह्वान करती है, तो साहित्य भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना को पल्लवित-पुष्पित होते देखना चाहता है। “सच्चे साहित्य में “विवेक दृष्टि होती है जिससे वह सम्यक परीक्षण करता है, उसका ज्ञान, विज्ञान और मानविकी के अन्तरालम्बित बोध से बनता है। वह मनुष्य की ज्ञानात्मक उपलब्धियों को टुकड़ों में नहीं देखता।”³ इसीलिए सच्चा साहित्यकार जिज्ञासा से स्वयं प्रेरित होता है और दूसरों को भी प्रेरित करता है। मनुष्य संवेदनात्मक ज्ञान को ग्रहण करता है और उसकी ज्ञानात्मक संवेदना उसे विविध आयाम प्रदान करते हुए अन्य मनुष्यों से जोड़ती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण असंख्य लोगों के कष्टों का सही आकलन करने में सामर्थ्य प्रदान करता है। ज्ञान मनुष्य को अधिक संवेदनशील बनाता है। विडम्बना ये है कि विज्ञान की भरी-पूरी दुनिया में भी जनता का बहुलांश अपनी ही रूढ़ियों, विश्वासों और परम्पराओं की अवैज्ञानिकता के साथ जी रहा है। कात्यायनी भी ऐसी जनता को कूपमण्डूक समझती है, जो अपनी अशिक्षा, गरीबी को अपने पूर्वजन्मों के कर्मों का फल मान, अपनी संघर्षधर्म

* एसोसिएट प्रोफेसर (हिंदी) बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी (उ.प्र.) भारत

और अग्रगामी चेतना को कुण्ठित कर, यथार्थिथिति को लॉघने का साहस करने के बजाय, वैसे ही बने रहना चाहती है, जैसा संसार उन्हें प्राप्त है। कूपमण्डूक की कविता की पंक्तियाँ देखिये -

“क्यों हमें कोसते हो इतना ?
हम तो किसी का
कुछ नहीं बिगाड़ते
न ऊधो का लेते हैं
न माधो को देते हैं
संतोष को मानते हैं परम सुख
रहते हैं वैसे ही
जाहि विधि रखता है राम ।
विधान के विधान में
नहीं अड़ाते टाँग ।
जगत-गति हमें नहीं व्यापती
तो तुमको क्या ?”⁴

कात्यायनी ऐसे अबोधिता को ओढ़ी हुई मानती हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में वैज्ञानिक चेतना का अभाव होता है, स्वयं को सुधार कर व्यवस्था से टक्कर लेने की संकल्पधर्मी चेतना यहाँ नहीं दिखाई देती। ऐसी जनता अपना पूरा जीवन व्यवस्था से समझौता बनाती, चुपचाप काट देती है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना के अभाव में अपने सीमित ज्ञान से जड़ मुद्रा अखितयार कर अपनी परिवर्तनकारी चेतना को सुप्त पड़ा रहने देती है। कुमार अंबुज भी नागरिकों द्वारा इस प्रकार नियति को स्वीकारने और भाग्यवादी होने को वैज्ञानिक-चेतना ही हीन समाज की अभिव्यक्ति मानते हैं। उनकी ‘भाग्य’ कविता विशेष रूप से उल्लेखनीय है -

“वह हमें संस्कार की तरह दिया जाता है
और घटित होता है एक वजनदार पत्थर की तरह
लगता है कि जो होना है वह होकर ही रहेगा
असहायता असहायता असहायता !”⁵

व्यवस्था लगातार नागरिकों के अज्ञान का फायदा उठाकर स्वयं स्थापित करती है। इसीलिए अंबुज भाग्य को संस्कार की तरह दिये जाने के खिलाफ है। वे आम आदमी से सीधा सवाल करने के बजाय, सीधा हल प्रस्तुत करते हैं, जो दीर्घजीवनानुभव और वैज्ञानिक दृष्टि से सम्पन्न है। आज बड़े-बड़े पूंजीपति, सट्टेबाज, राजनीतिज्ञ अपना काम मुहूर्त देख कर शुरू करते हैं। किन्तु फिर भी पार्टियाँ हारती हैं। व्यापार में घाटा होता है, सेंसेक्स गिरता है और प्राकृतिक दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। अगले क्षण आना तो तय है पर क्या घटित होगा ये तय नहीं हैं।

“लेकिन यह जीवन ही है

जो नहीं करने देता ज्योतिष को संसार के अंतिम निर्णय
बार-बार मजाक बन जाती है भविष्यवाणियों”⁶

कुमार अंबुज यहाँ ज्योतिष की वैज्ञानिकता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। जीवन को वैज्ञानिक दृष्टि सम्पन्न देखना चाहते हैं।

आज जाति, धर्म के आधार पर राजनैतिक पार्टियाँ टिकट वितरित करती हैं। वैज्ञानिक ढंग से गणित की सहायता से वोटों का केलकुलेशन करते हैं। पर पूरे केलकुलेशन का आधार अवैज्ञानिक होता है याने जाति-धर्म। विडम्बना यह है कि जिस राज्य को जनता स्वयं चुनकर सर्वाधिकार सौंपती है, राज्य उन्हीं के अधिकारों का अतिक्रमण करना शुरू कर देता है। चुनी गई सरकार के राजयोग का निर्माण जनता करती है, फिर वही प्रजा की तरह

याचक बन जाती है, सदियों से निर्मित इस प्रकार के इतिहास ने, एक अवैज्ञानिक धारणा को ही पुष्ट किया है -

“एक गद्दी पर बैठता है और दूसरा उसके आगे जोड़ता है हाथ
जीवन की इन क्रियाओं में भाग्य खोजना
व्याख्या करना है लगातार परास्त होते जाने की”⁷

यथार्थ की निर्मिति में स्वयं हमारा हाथ कितना हैं ? और क्यों है ? ये प्रश्न विचारणीय हैं। हम विकल्पहीन हैं, या फिर हमारे संकल्पों में ही ज्ञान और विश्वास की दृढ़ता नहीं है। यदि नागरिक संविधान में उल्लिखित कर्तव्य को समझे और निरन्तर ज्ञान-विज्ञान से पोषित अपने विवेक का इस्तेमाल करे तो निश्चय ही यह वैज्ञानिक-दृष्टिकोण की भावना अनेक स्तरों पर व्यापक और सही समझ पैदा करेगी। ईश्वर की इच्छा कहकर अनेक हत्याओं, भ्रष्टाचारों, दुर्घटनाओं और अनैतिक आचरणों को सहना ठीक नहीं है। ईश्वर का अन्यायी की तरफ होना और उसका साथ देना हमेशा से जनता के हृदय में शूल की तरह चुभता प्रश्न रहा है। निराला ने भी राम की शक्ति पूजा में शक्ति का अन्याय की तरफ होना - आज की विडम्बना को दर्शाया है। अन्यायी के दण्ड का विधान भी ईश्वर ही करता है यह सोच अवैज्ञानिक है, और यथार्थ की कुरूपता और विद्वृपता को बढ़ाती है। शोषक व आततायी सदियों से पाप कर ईश्वर से उसके प्रायश्चित्त की कामना कर बरी हो रहे हैं। विमल कुमार ‘प्रभु की चुप्पी’ कविता में जैसे यही प्रयत्न कर रहे हैं कि सजा देने प्रभु नहीं, आँगे, आततायी प्रभु का नाम लेकर पाप कर रहे हों और प्रभु चुप हों, तो यह आम नागरिक समझें कि यह आस्तित्ता सिर्फ अंधविश्वास है। प्रभु वह स्वयं है और उन्हीं की चुप्पी ने किसी को इतना बलशाली और आततायी बना दिया है -

“हत्यारे कुंड की तरफ ही भागे
अंधेरे में
जहाँ तुम्हारी मूर्ति रखी हुई है
फिर डुबकी लगाई उन्होंने
धवल वस्त्रों में स्वच्छ हुए सब
फिर तुम्हारी पूजा-अर्चना की
तुमने सब कुछ देखा
और यह क्या हाथ भी उठाया
जैसे आशीर्वाद दिया
आखिर क्यों ?”⁸

सदियों से प्राप्त कोमल आस्तिक संस्कार कब हमारे दैनन्दिन जीवन में कठोर बन्धन स्वरूप जंजीरों में परिवर्तित हो जाते हैं स्वयं हमें भी नहीं मालूम पड़ता। जर्जरित आस्तिक संस्कारों से प्राप्त जीवन दृष्टि कब आत्मबन्धन के रूप में विकसित हो एक अतार्किक जीवन की ओर धकेल देती है, यह भी पता नहीं पड़ पाता। जीवन की सतह पर ही अतार्किक, अमूर्त और अवैज्ञानिक धार्मिक संस्कार इस तरह फैले हैं कि उनकी जकड़न में रहने की आदत सी बन गई है। कुमार अंबुज की वे लताएँ नहीं अंधविश्वास से उपजे बंधनों पर करारी चोट करती हैं। सामान्यतः हमारी निगाहे उन बंधनों पर नहीं जाती, जो हमारे समूचे जीवन को, कर्म और सोच को जकड़े हुए हैं। नीति, धर्म, मर्यादा, परम्परा, शिक्षा, संस्कार और सम्बन्ध की इन सांकलों के कई रूप हैं। ये शक्तिशाली होने के साथ साथ इतनी अदृश्य और सम्मोहनकारी हैं कि सामान्यतः इनकी मौजूदगी इनकी जकड़ का अहसास ही नहीं होता। हमें धीरे धीरे इनके पड़ोस में जीने का अभ्यास हो जाता है। यह कविता अनायास ही इन सांकलों को इनकी तमाम जटिलताओं के साथ

निर्ममतापूर्वक हमारे सामने उजागर कर देती है। इनका सम्मोहन, इनकी जटिल बनावट सब हमारी समझ में आ जाता है और हम अपने जकड़े होने के अहसास से भर जाते हैं।

“वे लताओं की तरह उगती थीं और बरसों बाद

यकायक पता चलता था कि वे लताएँ नहीं जंजीरि है

मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी और अमूमन हम पड़ चुके होते थे उनके प्रेम में

फिर हम सब मिलकर करते थे उनकी रक्षा

हर घर में उनके उत्पादन के कारखाने थे।”⁹

एक तरफ के आविष्कारों से भरा, चेतना को विस्तृत और समृद्ध करता अविरल बहता समय तो दूसरी ओर रुढ़ संस्कारों, भाग्य व अंधविश्वास से जकड़ा ठहरा हुआ समय। पर कवि इसी समय से मुठभेड़ करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान ने अंधकार से उबरने के तरीके नहीं बताये लेकिन दृक्कत यह है कि अंधेरे के पैरोकारों ने जनता के बहुलांश को उस उजाले तक आने ही नहीं दिया, जिसके प्रकाश की ऊर्जा से वे अंधेरे को बरकरार रखने वाली शक्तियों से लड़ते -

“यह देखना भी दिलचस्प था कि कुछ पाठ शामिल कर दिए गए थे बच्चों की किताबों में

जिनमें बताए गए थे जंजीरों को काटने के सैद्धान्तिक तरीके

मगर बच्चों की मुश्किल यह थी कि जंजीरों के साथ जीने की कला

के बारे में भी कुछ किताबे थी पाठ्यक्रम में”¹⁰

अंबुज सीधे यथार्थिवादी, सांप्रदायिक शक्तियों से टकराते हैं निश्चित रूप से विज्ञान में ही इन जंजीरों याने अवैज्ञानिक जड़तामूलक और प्रतिगामी ज्ञान को काटने के उपाय दिये हैं, किन्तु पाठ्यक्रमों में व्यवस्था ही ऐसे ज्ञान को परोसने में गुरेज नहीं कर रही जो अवैज्ञानिक है, क्योंकि यह

वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वयं व्यवस्था के विरोध में जाता है। दरअसल “90 के बाद का समय कविता के लिए एक व्यग्र-बेचैन समय रहा है। कोई सुकून का समय नहीं रहा है। पर कविता अपने समय के संकट का सामना एक ही तरह से नहीं करती हैं।”¹¹ कवि उस समूचे विज्ञान की प्रगतिशील भूमिका से जड़ समाज का संस्कार करना चाहता है, जो आज और कल का समाज है। यह सच है कि आज असंख्य लोग इन प्रश्नों से जूझ रहे हैं - कौन सुनेगा? किससे और कैसे कहे? यह स्थिति कैसे बदलेगी? यह दिन कैसे बदलेगा? आदि। अनेक लोगों का पूरा जीवन कष्ट में बीतता है। पूंजीवादी और अवैज्ञानिक रवैया, शोषण और मंहगाई, व्यवस्था की हिकमते हर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए चुनौती बनी हुई है। फिर भी इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना को विकसित और पुष्पित करना इक्कीसवीं सदी के हर नागरिक का कर्तव्य है जिसकी पैरवी समकालीन कवि लगातार कर रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. निलय उपाध्याय- कटौती-पृ0-78।
2. वही-''-वही पृ0-78-79।
3. कमला प्रसाद-कविता तीरे-पृ0-10।
4. कात्यायनी- इस पौरुषपूर्ण समय में-पृ0-48।
5. कुमार अंबुज- क्रूरता-पृ0-90।
6. वही -''- वही।
7. कुमार अंबुज- क्रूरता-पृ0-9।
8. विमल कुमार- यह मुखौटा किसका है-पृ0-80।
9. कुमार अंबुज- अनंतिम- पृ0-18।
10. कुमार अंबुज- वही
11. परमानन्द श्रीवास्तव- कविता का उत्तर जीवन- पृ0-105।

Domestic Violence Against Women in India

Dr. Shubha Goel*

Introduction - Violence can be described as the power misused by one adult in a relationship to control another. It is the establishment of control and fear in a relationship through violence and other forms of abuse. This violence can take the form of physical assault, psychological abuse, social abuse, Domestic financial abuse, or sexual assault. The frequency of the violence can be on and off, occasional or chronic.

“Domestic violence is not simply an argument. It is a pattern of coercive control that one person exercises over another. Abusers use physical and sexual violence, threats, emotional insults and economic deprivation as a way to dominate their victims and get their way”. (Susan Scheter, Visionary leader in the movement to end family violence) (Fact Sheet;2005)

The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 says that any act, conduct, omission or commission that harms or injures or has the potential to harm or injure will be considered domestic violence by the law. Even a single act of omission or commission may constitute domestic violence - in other words, women do not have to suffer a prolonged period of abuse before taking recourse to law. The law covers children also. Domestic violence is perpetrated by, and on, both men and women. However, most commonly, the victims are women, especially in our country. Even in the United States, it has been reported that 85% of all violent crime experienced by women are cases of intimate partner violence, compared to 3% of violent crimes experienced by men (Rennison CM;2003). Thus, domestic violence in Indian context mostly refers to domestic violence against women.

Today human beings live in the so-called civilized and democratic society that is based on the principles of equality and freedom for all. It automatically results into the non-acceptance of gender discrimination in principle. Therefore, various International Human Rights norms are in place that insist on the elimination of all forms of discrimination against women and advocate equal rights for women. Women's year, women decade etc. are observed that led to the creation of mass awareness and sensitization of people about rights of women. Many steps are taken by the government in the form of various policies and programmes to promote the status of women and to realize women's

rights. But despite all the efforts, the basic issue that threatens and endangers the very existence of women is the issue of domestic violence against women. The woman who constitutes about half of the world's population are the worst victim of violence and exploitation within home. Home is the place, where one is supposed to enjoy a sense of love, affection, gentleness and warmth, even that place is not safe for women. Rather it has become a place of exploitation, assault and violence, a platform where all the inhuman and barbaric forms of abuses take place. A woman is subject to violence on the streets and the place of her work. But the highly pathetic state is that she suffers from a sense of insecurity even within the four walls of the house. The gravity of the problem strikes further when the perpetrators are known and even related to woman and who are supposed to be her protectors. The worst is that nobody stands witness to the crime against the victim. Therefore, it is the very nature of domestic violence that complicates the whole issue.

The present paper deals with the various forms of domestic violence prevalent in India. Their causes and variation in the intensity of the forms have also been addressed. The aftereffects of different kinds of domestic violence and the possible remedies have been highlighted. Finally, a conclusion has been drawn after the complete analysis of the topic with the juxtaposition of facts and goes at hand.

Different Forms of Domestic Violence: UNICEF Reports on Progress of Nations released jointly by Government of India and UNICEF says that more than 60 million women, who should have been alive today, are missing. Responsible factors are from feticide to domestic violence to dowry deaths to physical assaults. Discrimination starts even before women are born and continue till they die. It exists in the form of:

Feticide: Some new forms of violence have appeared with technological advances as are evident in case of female feticide, reacting in adverse sex-ratio. Social bias in favour of a male child lead to abortions (out of 8000 cases of abortions following sex-determination tests, 7999 are female foetus, according to a Survey) Sex-ratio is continuously declining all over India except for Kerala. Inefficient and ineffective performance of political, administrative and

*Associate Professor and Head (Home Science) D.A.K. College, Moradabad (U.P.) INDIA

economic structures and mechanisms failed to stop it.

Infanticide: Thousands of newly born baby-girls die with overdoses of opium. They are abandoned or thrown in rivers or dust bins to die. Out of abandoned children 90% are girls.

Health hazards: According to official figures, there is 10% higher mortality rate for girls than boys due to malnutrition in infancy and childhood. Health Statistics are equally alarming with 80% of them being anaemic.

Physical assaults/Rapes/gang-rapes/molestations: According to a Report, there are reported cases of one rape every 54 minutes, a molestation every 26 minutes; and an act of cruelty every 33 minutes. National Crime Records Bureau (NCRB) statistic says – every 20 minutes, a woman is raped somewhere in India, not to mention the countless number of cases of molestations or rapes going unreported. Child rape cases have increased by 336% in the last 10 years.

Dowry deaths: Number of dowry-deaths is quite alarming in the country – a dowry death every one hour forty-two minutes. Dowry-related violence is also in increase. Maharashtra, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Rajasthan are the states with maximum number of reported cases. Many cases remain unreported.

Victims of materialistic-culture: Consumerist culture has triggered off increased atrocities, domestic violence and physical assaults on women. Millions of girls live under threat of physical abuse.

Female literacy rate and jobs: Literacy and employment ratio in organized and unorganized sectors also point out discrimination against women in job-market.

Domestic Violence Against Women: Violence against women is a widespread problem, with appalling physical, sexual, emotional, psychological and economic consequences for girls and women (Gill & Rehman, 2004). It affects women of every age, in every society and in every socio-economic group. "Violence against women refers to any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in physical, sexual, or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life. Violence against women shall be understood to encompass, but not be limited to the following:

1. Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation;
2. Physical, sexual and psychological violence occurring within Violence against women in India is an issue rooted in societal norms and economic dependence. Female infanticide, domestic violence, sexual harassment and other forms of gender-based violence constitute the reality of most girls' and women's lives in India. Wife battering affects the physical and psychological

wellbeing of the abused women and even that of their children.

Although female participation in public life is increasing and laws have been amended, India still has a long way to go to make Indian women equal citizens in their own country. In our society, many women are violently treated by their intimate partners while they suffer in silence. In some cases, domestic violence leads to the death of these women. It is on this premise that this paper discusses the meaning, causes, types of domestic violence and after-effects of these types of violence on abused women. In addition, the paper discusses the management of this threat against women as well as examines the role to be played by the social workers, professionals and other voluntary organizations in providing intervention to the affected individuals. In conclusion recommendations were made to eradicate this menace from the society.

1. Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State, wherever it occurs. This is important so that policy makers have a full understanding of the issues involved in violence against women; otherwise, the laws and policies that are formulated are likely to be ineffective.

Consequences Of Domestic Violence: There are varied consequences of domestic violence depending on the victim, the age group, the intensity of the violence and frequency of the torment they are subjected to.

The consequences of the domestic violence in detail can be broadly categorized under – the effect on the victim and the family, effect on the society and the effect on nation's growth and productivity.

Effect on the victim and family

Physical Effect: Bruises, broken bones, head injuries, lacerations and internal bleeding are some of the acute effects of a domestic violence incident that require medical attention and hospitalization (Jones, 1997). Some chronic health conditions that have been linked to victims of domestic violence are arthritis, irritable bowel syndrome (Berrios, 1991). Victims who are pregnant during a domestic violence relationship experience greater risk of miscarriage, pre-term labour and injury to or death of foetus.

Psychological Effect: Among victims who are still living with their perpetrators, high amounts of stress, fear and anxiety are commonly reported. Depression is also common, as victims are made to feel guilty for 'provoking' the abuse and are frequently subjected to intense criticism. It is reported that 60% of the victims meet the diagnostic criteria for depression, either during or after termination of the relationship, and have a greatly increased risk of suicidality (Barnett, 2001). The most commonly referenced psychological effect of domestic violence is Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). According to Vitanza, Vogel and Marshall (1995), PTSD is characterized by flashbacks, intrusive images, exaggerated startle response, nightmares and avoidance of triggers that are associated with the abuse. These symptoms are generally experienced for a long span

of time after the victim has left the dangerous situation.

Effect on Children: There has been increase in acknowledgement that a child who is exposed to domestic abuse during his upbringing will suffer in his development and psychological welfare (Dodd, 2009). Some emotional and behavioural problems that can result due to domestic violence include increased aggressiveness, anxiety, and changes in how a child socializes with friends, family and authorities. Problems with attitude and cognition in schools can start developing, along with a lack of skills such as problem-solving. Correlation has been found between the experience of abuse and neglect in childhood and perpetrating domestic violence and sexual abuse in adulthood (Sadler, 1994). Additionally in some cases the abuser will purposely abuse the mother in front of the child to cause a ripple effect, hurting two victims simultaneously.

Fighting The Domestic Violence

Intervention and action at multiple levels: Efforts done so far on gender issue defy basic and simple solutions. Elimination of all kinds of violence against women requires channelizing simultaneously the attention and efforts of all the concerned people and work together. This sensitive issue needs intervention and action at multiple levels – state, society and individuals in public and private capacities.

At government level: Amongst immediate steps, the most important task of government is to arrest continuously deteriorating law and order situation. There should be vigilant policing round the clock both in cities and suburban areas and more women police officers in all police stations.

1. Speedy and time-bound justice is needed urgently. Delayed justice emboldens the spirits of criminal-minded elements in society, who take advantage of loopholes in law, and which enables them to escape. Many culprits go off scot-free even after committing a heinous crime.
2. Reforming the structure and systems of governmental institutions engaged in the law-making and enforcement tasks are highly desirable, but it may take a longer time.

Role of Non-Governmental Institutions/Organizations: Non-governmental organizations and institutions should conduct series of seminars, workshops meetings at different places on various aspects of violence/oppression against women. They should discuss in depth the gravity, enormity and dangers of continuously deteriorating law and order position, deteriorating human values, self-centred attitude of individuals and alarming rise in bestial acts against women, which makes it very unsafe for women to move freely outside their homes and try to find out remedy for it.

Media: Media should bring women issues to public domain in a forceful manner. They can play an important role in spreading awareness. They can provide a platform to speakers and panellists from different fields, eminent personalities responsible for decision-making to share their views and conduct an in-depth study on various gender

issues, and view it holistically touching various aspects of the problem. Views of some of the victims of atrocities should also be taken to understand their unpleasant experiences and the manner in which they came over the agonies they suffered because of human acts.

At family's level: Family is the first and foremost institution, where children learn first lesson of humanity and social relationships. Family is the best place to inculcate positive values – like honesty, simplicity, modesty, sense of responsibility and respect for elders – amongst children and youth of both the sexes.

1. Childhood is the most formative, educative and impressionable time in a human's life and most appropriate time for inculcation of such values, as it remains permanently and firmly embedded in their delicate psyche throughout their life.
2. Training for gender sensitization should be imparted within the family. Right from the beginning, all the children should be treated equally, without any gender-bias.

On women' part:

1. Instead of silently bearing all the atrocities perpetrated against them, women should raise their voice against injustice; create awareness amongst women about their rights and channelize their efforts by writing articles, organizing seminars, workshop etc.
2. Irrespective of their social status in society, they should join hands, and work in a spirit of unity. They should raise their voice boldly against social evils like dowry, bride-burning, female infanticide, etc. Women should exercise utmost vigilance both at the mental and physical level to ensure their safety and security, so that no one could exploit them when placed under adverse circumstances in life. They must always be prepared for self-defence by getting training in Karate etc.

Role of Social workers: Social workers should provide myriad services to victims and perpetrators of domestic violence. Direct services to victims of domestic violence include counselling and support through shelter programs across the country, individual counselling through private practice settings, court advocacy through county victim service agencies, and social justice community organizing efforts to prevent domestic violence from occurring in the first place. Direct Service Providers (Women's Advocate, Shelter Program). Social workers should provide services to victims of domestic violence through shelter programs across the country. The context in which services are provided is empowerment and advocacy oriented.

Community Education Coordinator: Many shelters across the country have a Community Education Coordinator on staff who may be a social worker. This person should be accountable for managing all types of community education from professional development and training to providing speakers for civic or social groups. Social workers should provide therapy to victims of domestic violence while

they are in a shelter or living in their community. Social workers should also serve as executive directors of domestic violence organizations.

Recommendations:

1. Comprehensive and extensive premarital counselling should be given to intending couples on how to manage their marital relationship.
2. There should be public enlightenment through the mass media on the negative effects of domestic violence against women, especially wife battering.
3. Religious leaders too should vigorously teach against marital violence in their places of worship.
4. Youths should be encouraged and taught to detest and not imitate brutish treatment of wives around them.
5. Medical professionals, after physical treatment should refer the victims to counsellors and psychotherapists.
6. Punishment given to grievously offending husbands should be publicized, so that it can serve as a deterrent to others.

Conclusion: Having looked at a sensitive topic of "Domestic Violence in India", we can sense the importance of discussion of such a topic. The varying causes which can spark the violence within the four walls of homes need to be analysed carefully and a wise study of the factors causing the violence may prevent a family to suffer from the menace of domestic violence. The domestic violence may have a far wider and deeper impact in real life than what has been covered in this paper. What is required is to see closely the association of the factors provoking a particular form of domestic violence. If these factors can be controlled then more than one form of violence can be prevented from harming an individual or our society and India would be a much better place to live in.

References:-

1. Ahuja, Ram (1987). Crime against Women, Jaipur: Rawat Publications, p. 175.
2. Barnett, (2001). Why battered women do not leave: External inhibiting factors social support and internal inhibiting factors. *Trauma, Violence and Abuse*. 2(1), Pp3-35.
3. Berrios, D.G. (1991). Domestic Violence: Risk Factors and outcomes. *Western Journal of Medicine*. (2), Pp 133-143
4. Centre for Women's Studies & Development the Research Institute. 2005. A Situational Analysis of Domestic Violence against Women In Kerala: Pp1-31.
5. Daniel Rapp et al., (2012). "Association between gap in spousal education and domestic violence in India and Bangladesh." *BMC Public Health* 12, 467.
6. Dodd, L.W. (2009). Therapeutic group work with young children and mothers who have experienced domestic abuse. *Education Psychology in Practice*. 25(21).
7. Fact Sheet, 2005. Domestic violence: older women can be victims too. National centre on elder abuse. Washington DC.
8. Gill, A. and Rehman, G. (2004) Empowerment through activism: responding to domestic violence in the South Asian Community in London, *Gender and Development*, Volume 12, No.1, May 2004, Oxfam Journal, Pp 75-82.
9. Govind Kelkar et al., (2015). "Women's Asset Ownership and Reduction in Gender-based Violence" *Heinrich Böll Foundation and Landesa*.
10. Howe, A (2006) New policies for battered women: negotiating the local and the global in Blair's Britain, *Policy and Politics*, Volume 34, No.3, Pp 407-27.
11. Jones, R.H. (1997). The American College of Obstetricians and Gynaecologists; A decade of responding to violence against women. *International Journal of Gynaecology and Obstetrics*, 58(1), Pp 43-50.
12. Joshi, M. M. 2001. The Protection from Domestic Violence Bill. Government Bill. Bill No. 133 of 2001.
13. Kishwar, M. 2005. Laws against Domestic Violence. india.together.org/munshi/issue120/domestic.htm on 25/08/2009. Pp 1 -6.
14. Koenig, A. M., et al. 2006. Individual and Contextual Determinants of Domestic Violence in North India. *American Journal of Public Health*. 96(1): Pp132-138.
15. Lawson, E., Johnson, M., Adams, L., Lamb, J. and Field, S. (2005) *Blackstone's Guide to the Domestic Violence Crime and Victims Act 2004*.
16. Martin L. S. et al. 1999. Domestic Violence in Northern India. *American Journal of Epidemiology*. 150(4): Pp417-426.
17. Panda, P. 2004. Domestic Violence Against Women in Kerala. Kerala Research Programme on Local Level Development Centre for Development Studies. 6: Pp1-44.
18. Panda, P. and Agarwal, B. 2005. Marital Violence, Human Development and Women's Property Status in India. *World Development*. 23(5). Pp 23-850.
19. Sadeler, C. (1994). An ounce of prevention: The life stories and perceptions of men who sexually offended against children. (Unpublished thesis) Wilfrid Laurier University.
20. Sinha A, Mallik S, Sanyal D, Dasgupta S, Pal D, Mukherjee A, et al. (2012) Domestic violence among ever married women of reproductive age group in a slum area of Kolkata. *Indian J Public Health*. 56:31-6.
21. UNICEF. 2000. Domestic Violence Against Women and Girls. UNICEF Innocent Digest. 6: 1-29.
17. VanderHoogte, L and Kingma, K (2004) Promoting cultural diversity and the rights of women: the dilemmas of 'intersectionality' for development organisations, *Gender and Development*, Volume 12, No.1 May 2004, Oxfam Journal, Pp 47-55.
22. Vachher AS, Sharma AK (2010). Domestic violence against women and their mental health status in a colony in Delhi. *Indian J Community Med*. 35:403-5
23. Vitanza, S; Vogal, L.C and Marshall, L.L (1995). Distress and symptoms of post-traumatic stress disorder in abused women, *Violence and Victim*. 10 (1), Pp 23-34.

माध्यमिक स्तर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. सतीश पाल सिंह*

प्रस्तावना - आज पर्यावरण एक वैश्विक मुद्दा है। मनुष्य द्वारा अपनी लगातार बढ़ती हुई आवश्यकताओं और लोलुपता को पूरा करने हेतु पर्यावरण का जो अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है उसके कारण पृथ्वी का पारिस्थितिकीय संतुलन विनाश की कगार पर पहुंच चुका है। पिछले कुछ वर्षों से मनुष्य द्वारा अपनी इन गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है लेकिन उसने उसे सुधारने की दिशा में पहल की है, ताकि सभी जीव-जन्तु मानव सहित एक संतुलित पर्यावरण में रह सकें। लेकिन अभी तक पर्यावरण के प्रति रूचि और पर्यावरणीय व्यवहार तथा देखभाल समाज के बहुत ही छोटे हिस्से तक सीमित है। प्रत्येक व्यक्ति का पर्यावरण के प्रति पर्यावरणीय व्यवहार का होना बहुत जरूरी है। पर्यावरणीय व्यवहार एक सार्वभौमिक आवश्यकता है, इसलिए पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जनसंख्या को इसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिये, तभी वैश्विक संकट से उबरने के सम्बन्ध में सोचा जा सकता है। पर्यावरण का सवाल हमारे परिवेश का सवाल है, जिसकी सुरक्षा पर हमारा जीवन निर्भर है, पर्यावरण का सन्तुलन इसमें विद्यमान पंच महाभूतों पर निर्भर करता है। इसके समुचित समन्वय एवं सन्तुलन से ही पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति एवं पर्यावरण की पूजा-अर्चना की भावना आदि काल से ही निहित रही है। भारतीय संस्कृति में जल, वायु, पर्वत, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी एवं पृथ्वी आदि को भी देवता रूप में पूजा जाता है। भारतीय चिंतन में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव जाति का इतिहास।

सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण- पूर्व शोधों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पर्यावरणीय व्यवहार के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों पर ही काफी शोध हुये हैं। सिंह पी० और भारती ए० (2007) ने पर्यावरणीय व्यवहार और वैज्ञानिक अभिवृत्ति में संबंध पर अध्ययन किया। जिनमें **दर्शन जी (1996)** सी०बी०एस०ई० की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरणीय घटक सम्बन्धी शोध किया। **मौर्य ए०के० (1997)** ने थारू जनजाति के लोगों में ऊर्जा संसाधन के प्रति पर्यावरणीय व्यवहार का अध्ययन किया। **शर्मा आर० (1995)** सी०बी०एस०ई० ने कक्षा 6 से 9 तक की विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरणीय व्यवहार सम्बन्धी घटकों का विश्लेषण किया। **श्रीवास्तव (2002)** ने गणित विषय के माध्यम से छात्रों में पर्यावरणीय व्यवहार बढ़ाने सम्बन्धित शोध किया। **वर्मा ई० (2002)** ने स्नातकोत्तर छात्रों के लिये पर्यावरणीय व्यवहार सम्बन्धी कार्य योजना पर अध्ययन किया। **धवन व शर्मा (2006)** ने पर्यावरणीय व्यवहार की शिक्षा के शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार पर प्रभाव का अध्ययन किया। **सिंह पी० और भारती ए० (2007)** ने पर्यावरणीय व्यवहार और वैज्ञानिक अभिवृत्ति में संबंध पर अध्ययन किया। यह अनुसंधान उन्होंने उत्तर-प्रदेश

के वाराणसी जिले के हायर सेकेन्ड्री छात्रों पर किया। इसमें उन्होंने पाया कि पर्यावरणीय व्यवहार और वैज्ञानिक अभिवृत्ति में सीधा संबंध है। **वर्मा ई० (2002)** स्नातकोत्तर छात्रों के लिये पर्यावरणीय व्यवहार से सम्बन्धी कार्य योजना पर एक शोध किया। उन्होंने सामान्य दिशा-निर्देश जारी किये जिनके द्वारा छात्रों को पर्यावरणीय व्यवहार सम्बन्धी शिक्षा दी जा सके। **धवन और शर्मा (2006)** ने उत्तराखण्ड में हुये पर्यावरणीय व्यवहार पर अनुसंधान कार्य के मुख्य बिन्दुओं को प्रदर्शित किया और उन्होंने पाया कि पर्यावरणीय व्यवहार शिक्षा का छात्र-अध्यापकों के व्यवहार पर व्यापक प्रभाव पड़ा। कुमार जे० (2018) माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् हाईस्कूल के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन किया अध्ययन पासा कि हाईस्कूल स्तर के छात्र-छात्राओं के बीच पर्यावरणीय जागरूकता के सभी आयामों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि छात्राएं, छात्रों की अपेक्षा पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हैं। शहरी छात्र-छात्राओं के बीच पर्यावरणीय जागरूकता समान है परन्तु मध्यमानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शहरी छात्राओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता शहरी छात्रों की अपेक्षा अधिक है।

पूर्व शोधों के अध्ययन के उपरान्त इस विषय पर शोध की कमी को देखते हुए शोधार्थी के मस्तिष्क में मेरठ जनपद के 'ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन' को अपने शोध का विषय बनाने का विचार आया, और उसने इस विषय पर शोध कार्य किया है।

समस्या कथन - माध्यमिक स्तर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।

समस्या में प्रयुक्त शब्दों का परिभाषाकरण - समस्या में प्रयुक्त शब्दों के स्पष्टीकरण हेतु उनको निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है-

1. **माध्यमिक स्तर**- माध्यमिक स्तर का तात्पर्य हायर सेकेन्ड्री कक्षा-6 से कक्षा 10 तक के स्तर से है।
2. **ग्रामीण क्षेत्र**- ग्रामीण क्षेत्र से तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र से है जिसके अन्तर्गत दूर-दराज के गांव, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक की परिसीमा में आने के कारण इस प्रकार के क्षेत्र में सुख सुविधाओं का अभाव होता है इस प्रकार का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है।
3. **शहरी क्षेत्र**- शहरी क्षेत्र से तात्पर्य एक ऐसे क्षेत्र से है जिसमें नगर पंचायत, नगरपालिका तथा नगर महापालिका व जिला कार्यालय, जिला चिकित्सालय बिजली, पानी की मूलभूत सुविधाएं होती हैं ऐसे क्षेत्र को शहरी क्षेत्र कहते हैं।
4. **पर्यावरणीय व्यवहार**- 'मनुष्य एक तरफ भौतिक पर्यावरण के जैविक

संघटक के रूप में व्यवहार करता है। तथा दूसरी तरफ अन्य संघटकों से स्वयं प्रभावित होता है, पर्यावरणीय व्यवहार कहलाता है।'

5. तुलनात्मक अध्ययन - एक ऐसा अध्ययन जिसमें किसी परतंत्र चर पर स्वतंत्र चरों के विभिन्न पक्षों के प्रभाव की तुलना की जाती है। प्रस्तुत लघु शोध में निवासीय पृष्ठ भूमि व लिंग के स्वतंत्र चरों के दो-दो पक्षों के माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं में पर्यावरणीय व्यवहार (परतंत्र) पर अध्ययन करना है।

अध्ययन के उद्देश्य - शोधकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये हैं:

1. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों एवं छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।
2. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।
3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
4. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्राओं एवं छात्रों के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।
5. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।
6. शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।

शोध की परिकल्पनाएं:

1. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों एवं छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
2. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों के पर्यावरणीय व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
4. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्राओं एवं छात्रों के पर्यावरणीय व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
5. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।
6. शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं होगा।

शोध का सीमांकन - यह अध्ययन केवल बागपत जनपद तक ही सीमित है। इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के विद्यलयों से 200 छात्र व छात्राओं को पर्यावरणीय व्यवहार के अध्ययन के लिये लिया जायेगा।

शोध विधि - प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श - प्रस्तुत शोध अध्ययन में बागपत जनपद के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक शोध की जनसंख्या है। न्यादर्श चयन हेतु यादृच्छिक प्रतिचयन की लाटरी विधि का प्रयोग किया गया न्यादर्श हेतु बागपत जनपद के 5 प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने वाले 50 अध्यापक को न्यादर्श हेतु चयनित किया गया।

शोध विधि - प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु शोध के सर्वेक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के चरणों का अनुसरण किया जायेगा।

शोध अभिकल्प - प्रस्तुत शोध अध्ययन में दो स्थायी समूह अभिकल्प

की प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

शोध की जनसंख्या एवं न्यादर्श - प्रस्तुत शोध अध्ययन में जनसंख्या बागपत जनपद के समस्त ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय तथा उन विद्यालयों में अध्ययनरत् समस्त छात्र छात्राओं है। प्रस्तुत शोध में न्यादर्श के चयन हेतु यादृच्छिक न्यादर्श प्रविधि का प्रयोग किया जायेगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के 10 सरकारी विद्यालयों का चयन किया जायेगा। जिनमें 5 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के तथा 5 विद्यालय शहरी क्षेत्र के चयनित होंगे। प्रत्येक विद्यालय से 10 छात्र तथा 10 छात्राओं का चयन किया जायेगा। इस तरह से यह अध्ययन 200 न्यादर्श पर पर्यावरणीय व्यवहार के अध्ययन के लिये किया जायेगा।

अनुसंधान उपकरण - प्रस्तुत शोध अध्ययन में मानक उपकरण का उपयोग किया जायेगा। यह उपकरण अर्चना सिंह, प्रदीप सिंह एवम् उर्मिला वर्मा द्वारा निर्मित है। इस उपकरण का नाम 'पर्यावरण व्यवहार मापनी' है।

सांख्यिकी प्रविधि - प्रस्तुत अध्ययन में शोध उपकरण से प्राप्त आंकड़ों की प्रकृति के अनुसार उपर्युक्त सांख्यिकी प्रयुक्त की जायेगी।

सारणी 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी 1 के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों तथा छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक विश्लेषण एवं अन्तर की सार्थकता की जांच किया है जिसमें ग्रामीण छात्रों के 50 छात्रों का औसत प्राप्तांक 42 तथा ग्रामीण क्षेत्र 50 छात्राओं का औसत प्राप्तांक 41 है जिनकी प्रमाणिक विचलन त्रुटि 1.086 के माध्यम से T का गणनात्मक मान ज्ञात करने पर 0.920 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्र अंश 98 सार्थकता स्तर .01 के सारणी मान 2.63 से कम है।

अतः परिकल्पना 1 के अनुसार शोध अध्ययनकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों एवं छात्राओं के मध्य सार्थक अन्तर नहीं है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों का पर्यावरणीय व्यवहार धनात्मक पक्ष की तरफ बढ़ता दिखायी दे रहा है।

सारणी 2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी 2 के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक विश्लेषण एवं अन्तर की सार्थकता की जांच किया है। जिसमें ग्रामीण छात्रों के 50 छात्रों का औसत प्राप्तांक 42 तथा शहरी क्षेत्र के 50 छात्रों का औसत प्राप्तांक 46 है जिनकी प्रमाणिक विचलन त्रुटि 1.079 के माध्यम से T का गणनात्मक मान ज्ञात करने पर 3.707 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्र अंश 98 सार्थकता स्तर .01 के सारणी मान 2.63 से ज्यादा है।

अतः परिकल्पना 2 को निरस्त करते हुए अध्ययनकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों के पर्यावरणीय व्यवहार के मध्य सार्थक अन्तर है। जिसमें शहरी छात्रों का पर्यावरणीय व्यवहार धनात्मक पक्ष की तरफ बढ़ता दिखायी दे रहा है।

सारणी 3 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी 3 के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक विश्लेषण किया तथा अन्तर की सार्थकता की जांच की गई जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 50 छात्रों का औसत प्राप्तांक 42 तथा शहरी क्षेत्र के 50 छात्राओं का औसत प्राप्तांक 45 है जिनकी प्रमाणिक विचलन त्रुटि 1.170 के माध्यम से T का गणनात्मक मान ज्ञात करने पर 2.564 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्र अंश 98 सार्थकता स्तर .01 के सारणी मान 2.63 से कम है।

अतः परिकल्पना 3 के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार के मध्य सार्थक अन्तर नहीं है।

सारणी 4 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी 4 के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्राओं एवं छात्रों का पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया तथा अन्तर की सार्थकता की जांच की जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 50 छात्राओं का औसत प्रासांक 4.1 तथा शहरी क्षेत्र के 50 छात्रों का औसत प्रासांक 4.6 है जिनकी प्रमाणिक विचलन त्रुटि 0.9260 के माध्यम से T का गणनात्मक मान ज्ञात करने पर 5.399 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्र अंश 98 सार्थकता स्तर 0.01 के सारणी मान 2.63 से अधिक है।

अतः परिकल्पना 4 को निरस्त करते हुए शोध अध्ययनकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्राओं एवं छात्रों के मध्य पर्यावरणीय व्यवहार में सार्थक अन्तर है। जिसमें शहरी छात्रों का पर्यावरणीय व्यवहार धनात्मक पक्ष की तरफ बढ़ता दिखायी देता है।

सारणी 5 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी 5 के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया तथा अन्तर की सार्थकता की जांच की जिसमें ग्रामीण छात्राओं के 50 छात्राओं का औसत प्रासांक 4.1 तथा शहरी क्षेत्र के 50 छात्राओं का औसत प्रासांक 4.5 है जिनकी प्रमाणिक विचलन त्रुटि 1.029 के माध्यम से T का गणनात्मक मान ज्ञात करने पर 3.887 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्र अंश 98 सार्थकता स्तर .01 के सारणी मान 2.63 से अधिक है।

अतः परिकल्पना 5 को निरस्त करते हुए शोध अध्ययनकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्राओं के मध्य सार्थक अन्तर है। जिसमें शहरी छात्राओं का पर्यावरणीय व्यवहार धनात्मक पक्ष की तरफ बढ़ता दिखायी दे रहा है।

सारणी नं० 6 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

सारणी 6 के माध्यम से शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों एवं छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक विश्लेषण का अध्ययन किया और अन्तर सार्थकता की जांच की जिसमें शहरी क्षेत्र के 50 छात्रों का औसत प्रासांक 4.6 तथा शहरी क्षेत्र के 50 छात्राओं का औसत प्रासांक 4.5 है जिनकी प्रमाणिक विचलन त्रुटि 1.071 के माध्यम से T का गणनात्मक मान 0.933 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्र अंश 98 सार्थकता स्तर .01 के सारणी मान 2.63 से कम है।

अतः परिकल्पना 6 के अनुसार शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के मध्य सार्थक अन्तर नहीं है जिसमें शहरी क्षेत्र के छात्रों का पर्यावरणीय व्यवहार धनात्मक पक्ष की ओर बढ़ता दिखायी दे रहा है।

शोध अध्ययन के निष्कर्ष- प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार में अध्ययन करना था। पर्यावरणीय व्यवहार मापनी से प्राप्त आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषणों से जो परिणाम प्राप्त हुए, उनसे निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं-

1. 'ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों तथा छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।' के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों से

निष्कर्ष निकलता है कि आवासीय पृष्ठभूमि के आधार पर पर्यावरणीय व्यवहार के स्तर में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अतः प्रथम परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है।

2. 'ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों के पर्यावरणीय व्यवहार में सार्थक अन्तर पाया गया है' के सम्बन्ध में प्राप्त आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों के पर्यावरणीय व्यवहार में सांख्यिकी दृष्टि से सार्थक अन्तर पाया गया। इस आधार पर पूर्व निर्धारित द्वितीय परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है।
3. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार में प्राप्त आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि आवासीय पृष्ठभूमि व लिंग के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अतः परिकल्पना तृतीय को स्वीकार किया जाता है।
4. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्राओं एवं छात्रों के सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर पर्यावरण व्यवहार में सार्थक अन्तर पाया गया। अतः चतुर्थ परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है। जिसमें शहरी छात्रों का पर्यावरणीय व्यवहार धनात्मक पक्ष की तरफ बढ़ता दिखायी देता है।
5. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार में सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर पर्यावरणीय व्यवहार में सार्थक अन्तर पाया गया है। जो पंचम परिकल्पना को निरस्त करते हुए अस्वीकार की जाती है। इसमें शहरी क्षेत्र के छात्राओं का पर्यावरणीय व्यवहार धनात्मक पक्ष की तरफ बढ़ता दिखायी देता है।
6. शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों एवं छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार में प्राप्त आंकड़ों से कोई सार्थक अन्तर नहीं है। अतः परिकल्पना नं० 6 के अनुसार शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि छात्र एवं छात्राओं के मध्य सार्थक अन्तर नहीं है, जिसमें शहरी क्षेत्र के छात्रों का पर्यावरणीय व्यवहार धनात्मक पक्ष की ओर बढ़ता दिखायी दे रहा है अतः परिकल्पना नं० 6 को स्वीकार किया जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. कपिल, एच०के० : अनुसंधान विधियां, हर प्रसाद भार्गव प्रकाशन, आगरा, 1995।
2. कपिल, एच०के० : रीडिंग इन रिसर्च मथडोलोजी, यू०जी०सी० पब्लिकेशन, आगरा, 1966
3. कलकर, डी०एन० : रीडिंग इन रिसर्च मथडोलोजी, यू०जी०सी० पब्लिकेशन, आगरा, 2000।
4. मोर्य, ए०के० धारू जनजाति के लोगों में ऊर्जा संसाधन के प्रति पर्यावरणीय व्यवहार का एक अध्ययन, कुमायूँ, 1997।
5. पटेल, डी०जी० एण्ड पटेल: इन इन्वेस्टीगेशन इनटू द इन्वायरमेन्टल एवेयरनेस एण्ड इट्स इन्हेन्समेन्ट इन द सेकेण्डरी स्कूल टीचर्स, वोल्यूम-12, इण्डियन एजुकेशनल अबस्ट्रैक्स, एन०सी०ई० आर०टी०, नई दिल्ली, जनवरी 1998
6. धवन और शर्मा : पर्यावरणीय व्यवहार पर अनुसंधान उत्तराखण्ड (2006)
7. सिंह, सी० : कॉलेज स्तर के छात्रों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अध्ययन, अप्रकाशित लघुशोध प्रबन्ध, एम०एड० (शिक्षा), आई०पी०, कॉलेज, सी०सी०एस० वि०वि०, मेरठ, 2007।

8. सिंह, भोपाल : जैव, भौतिक एवं पर्यावरण शिक्षा, आर्य बुक डिपो, करोल बाग नई दिल्ली, 1996।
9. सिंह पी० और भारती डॉ० पर्यावरणीय व्यवहार और वैज्ञानिक अभिवृत्ति के सम्बंध, वाराणसी, - ३०प्र०, 2007
10. सक्सैना ए०बी० : पर्यावरण शिक्षा, आर्य बुक डिपो, करोल बाग, नई दिल्ली, 1998।
11. सुदा इशीदा : पर्यावरणीय व्यवहार बढ़ाने के रूप में राजनीतिक व्यूह रचना एक अध्ययन: थाईलैण्ड, 2007।
12. सबलोक, आर०: ए स्टडी ऑफ द इवेयरनेस एटीट्यूड ऑफ टीचर्स एण्ड स्टूडेंट्स ऑफ हाईस्कूल एजुकेशन इन जबलपुर डिस्ट्रीक्ट, इण्डियन एजुकेशनल अबस्ट्रेक्स, वोल्यूम, 1, 1996
13. कुमार जे० माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् हाईस्कूल के विद्यार्थियों की पर्यावरणीय जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika: VOL-6* ISSUE-3* (Part-1) November- 2018 E: ISSN NO.: 2349-980X 2018

सारणी 1: ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों तथा छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।

निवासीय पृष्ठभूमि	विद्यार्थियों की संख्याN	औसत प्राप्तांक M	प्रमाणिक विचलन S.D.	प्रमाणिक विचलन त्रुटि	टी-प्राप्तांक	सार्थकता परिणाम
ग्रामीण क्षेत्र	50	42	5.89	1.086	0.920	**सार्थकता अन्तर नहीं
ग्रामीण क्षेत्र	50	41	4.93			

df-98 * सार्थकता स्तर * .05 एवं ** .01 सारणीमान 1.98 एवं 2.63

सारणी 2 : ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्रों के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।

निवासीय पृष्ठभूमि	विद्यार्थियों की संख्याN	औसत प्राप्तांक M	प्रमाणिक विचलन S.D.	प्रमाणिक विचलन त्रुटि	टी-प्राप्तांक	सार्थकता परिणाम
ग्रामीण क्षेत्र	50	42	5.89	1.079	3.707	** सार्थक अन्तर
शहरी क्षेत्र	50	46	4.86			

df-98 * सार्थकता स्तर * .05 एवं ** .01 सारणीमान 1.98 एवं 2.63

सारणी 3: ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।

निवासीय पृष्ठभूमि	विद्यार्थियों की संख्याN	औसत प्राप्तांक M	प्रमाणिक विचलन S.D.	प्रमाणिक विचलन त्रुटि	टी-प्राप्तांक	सार्थकता परिणाम
ग्रामीण क्षेत्र	50	42	5.89	1.170	2.564	* सार्थक अन्तर नहीं
शहरी क्षेत्र	50	45	5.81			

df-98 * सार्थकता स्तर * .05 एवं ** .01 सारणीमान 1.98 एवं 2.63

सारणी 4: ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्राओं एवं छात्रों का पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।

निवासीय पृष्ठभूमि	विद्यार्थियों की संख्याN	औसत प्राप्तांक M	प्रमाणिक विचलन S.D.	प्रमाणिक विचलन त्रुटि	टी-प्राप्तांक	सार्थकता परिणाम
ग्रामीण क्षेत्र	50	41	4.39	0.9260	5.399	** सार्थक अन्तर है
शहरी क्षेत्र	50	46	4.86			

df-98 * सार्थकता स्तर * .05 एवं ** .01 सारणीमान 1.98 एवं 2.63

सारणी 5: ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।

निवासीय पृष्ठभूमि	विद्यार्थियों की संख्याN	औसत प्राप्तांक M	प्रमाणिक विचलन S.D.	प्रमाणिक विचलन त्रुटि	टी-प्राप्तांक	सार्थकता परिणाम
ग्रामीण क्षेत्र	50	41	4.39	1.029	3.887	** सार्थक अन्तर है
शहरी क्षेत्र	50	45	4.81			

df-98 * सार्थकता स्तर * .05 एवं ** .01 सारणीमान 1.98 एवं 2.63

सारणी नं० 6: शहरी क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के पर्यावरणीय व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन।

निवासीय पृष्ठभूमि	विद्यार्थियों की संख्याN	औसत प्राप्तांक M	प्रमाणिक विचलन S.D.	प्रमाणिक विचलन त्रुटि	टी-प्राप्तांक	सार्थकता परिणाम
शहरी क्षेत्र	50	46	4.86	1.071	0.933	* सार्थक अन्तर नहीं
शहरी क्षेत्र	50	45	5.81			

df-98 * सार्थकता स्तर * .05 एवं ** .01 सारणीमान 1.98 एवं 2.63

निःशक्तजन और मानवाधिकार : एक अध्ययन

महेश कुमार रचियता *

प्रस्तावना – मानवाधिकार की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं है और न ही कोई व्याख्या। इसलिए कोई भी यह दावा नहीं कर सकता की मानवाधिकार की यह अंतिम सूची है। न ही इसकी अंतिम सूची बनाई जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन सदस्यों ने लम्बी बहस और विचार विमर्श एवं मौलिक मतभेदों के बावजूद आम सहमति से एक सूची तैयार की जिसे 10 दिसम्बर 1948 को सार्वभौम मानवाधिकार के नाम से घोषित किया गया। बाद में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों ने इस घोषणा को स्वीकार कर लिया।

आज जब हम 'मानवाधिकार' शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानवाधिकार ही होता है।

मानवाधिकार का अर्थ बहुत सरल शब्दों में कहा जा सकता है 'मानवाधिकार' मनुष्य के वे अधिकार हैं जो उसे मनुष्य होने के नाते मिले हैं, जैसे जीने का अधिकार।

डी डी बसु के अनुसार 'मानवाधिकार ऐसे न्यूनतम अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को मानव परिवार के एक सदस्य की हैसियत से राज्य अथवा अन्य किसी सार्वजनिक सत्ता के समक्ष प्राप्त हो।'

मानवाधिकार के मामले में एक और परिभाषा है जिसके अनुसार 'मानवाधिकार राज्य या राजनीति पर आधारित उसकी शक्ति पर निर्भर नहीं है।'

मानवाधिकार का अर्थ किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और मर्यादा से सम्बंधित अधिकार है। हमें यह जानना जरूरी है की संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा कर देने या सरकार के कानून बना देने मात्र से अधिकार नहीं मिल जाते। अधिकारों की घोषणा करने वालों और कानून बनाने वालों के नेक विचार होते हैं किन्तु लागू करने वालों के विचार कुटिल होते हैं।

अतः इन घोषणाओं और कानून की धज्जिया उड़ाकर अधिकारों को लागू ही नहीं होने दिया जाता है। कानून के इन पहरेदारों को घोषित और वैधानिक अधिकारों को देने में बहुत सिर दर्द होता है, इनको सिर दर्द क्यों होता है उसका भी कारण है। ये नहीं चाहते की जन साधारण गरीब को अधिकार मिले। अगर इन्हें अधिकार मिल गया तो इनका शोषण अत्याचार नहीं हो पायेगा। गरीब तो सिर्फ लेने वाले हैं देने वाले नहीं। ऐसे लोगो का मानना है की कोई अधिकार उन्ही को दिया जाये, जो बदले में कुछ दे।

व्योंकि गरीब तो वापस कुछ दे भी नहीं सकते हैं। इन गरीबों को देने के बदले कंपनियों को दिया जाये, ताकि कंपनियां उन्हें मालामाल कर दे। अंशधारी बना दे ताकि वर्षों तक कमाई होती रहे। कानूनों की पेचिदाओं का सहारा ले कर अधिकारी और कर्मचारी कंपनियों को लाभ पहुंचाते हैं। गरीब

एवं कमजोर लोगों के लिए कोई कचहरी, थाना-पुलिस और कानून तो है नहीं? न्याय किसे मिलता है ? सत्ता प्रभाव और पैसे वालों को ही न ? दूसरी और कानून बनाने वाले भी किसके लिए कानून बनायेंगे गरीबों के लिए या पैसे वालों के लिए ?

गरीब तो चुनाव के समय नेताओ से पैसे ले कर मतदान करते हैं और यह पैसे नेताओं को धनी लोग एवं कंपनियां उपलब्ध कराती है, नेता किसके लाभ के लिए कानून बनायेंगे ? पैसे लेने वालों के लिए या देने वालों के लिए ? विडम्बना तो यह है की जनसाधारण लोग, नेता और धनी व्यक्ति भी निः शक्तजनों के अधिकारों के लिए कभी नहीं सोचते हैं न उनके अधिकारों की कभी चर्चा करते हैं किन्तु मानवाधिकार के घोषणा प्रस्ताव में 30 अनुच्छेद हैं इसमें निशक्तजनों के अधिकारों के विषय में बताया गया है साथ ही साथ अन्य राज्यों को भी इस हेतु आदेश दिए गये हैं ताकि उनके अधिकार उन्हें मिल सके, निशक्तजनों के मसले को समझने के साथ-साथ उनके अधिकारों और उनके हित के बारे में सोचना जरूरी है, सभी मानव अधिकारों में निशक्तजनों की पूरी और प्रभावकारी सहभागिता की संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता एक अंतर्राष्ट्रीय नीति संरचना प्रदान करती है। 2006 में निशक्तजनों के अधिकार पर एक समझोते के जरिये इसे मजबूत किया गया है।

भारत ने 30 मार्च 2007 को संयुक्त राष्ट्र समझोते पर हस्ताक्षर किए थे सरकार निशक्तजनों सहित सभी के लिए पूरी सहभागिता, अधिकारों की रक्षा और समान अवसर को देने के प्रति वचनबद्ध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 और 46 में भी निशक्तजनों के समग्र विकास पर जोर दिया है। हमारे देश में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2.68 करोड़ लोग निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता स्वतंत्रता न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से यह निशक्तजनों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर डालता है। यह माना जाता है की यदि निःशक्त व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधाएं मिले तो वे बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

भारत में 2.68 करोड़ लोग किसी ने किसी तरह की निशक्तता से पीड़ित हैं, ऐसे में निशक्त व्यक्तियों की स्वास्थ्य चिंता गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। सरकार द्वारा इस स्तर पर पहल की जा रही है लेकिन समाज के दृष्टिकोण में बदलाव और सामाजिक संगठनों के सहयोग की सख्त दरकार है।

एक आनुपातिक दृष्टिकोण के अनुसार निशक्तता का प्रतिशत नगरीय

क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाया गया है। इसका एक मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधा व जागरूकता की कमी का पाया जाना है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक और जहाँ चिकित्सा की समुचित सुविधा नहीं है वही लोगों के ज्ञानवर्धन के ठोस स्रोत भी नहीं है। शारीरिक विज्ञान और मूल शिक्षा की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण गर्भावस्था में पड़ने वाले अप्राकृतिक प्रभाव से गर्भ में पल रहे बच्चे में निशक्तता आ जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः महिलाएं प्रसव के दौरान अस्पताल ना जाकर घर में ही अज्ञानी व अप्रशिक्षित दाईयों से संतान उत्पत्ती करवाती है। जन्म के समय छोटी सी असावधानी बच्चे की शारीरिक निशक्तता का कारण बन जाती है। गर्भावस्था के दौरान ग्रामीण महिलाओं द्वारा विशेष सावधानी न बरतने के कारण प्रायः कुछ बच्चे अपरिपक्व गर्भ के पूर्व ही जन्म ले लेते हैं। जिसके कारण उनका शरीर अपरिपक्व व अंगहीन वाला होता है, ऐसे बच्चे प्रायः मंदबुद्धि वाले होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर भयंकर बीमारी को देवी प्रकोप मानकर उसके बचाव के उपाय नहीं किये जाते हैं। फलस्वरूप इसका घातक प्रभाव बच्चे के शरीर और मन पर पड़ता है।

प्रायः बीमारी का सही इलाज न करके उसके बचाव के लिए जादू-टोना, झाड़-फुक, दुआ करना ताबीज व भभूती आदि लगाई जाती है जिसका प्रभाव बालक को शारीरिक व मानसिक रूप से निशक्त बना देता है।

निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 2 झ के अंतर्गत निशक्तता को छः श्रेणियों में बाँटा गया है।

ये श्रेणियाँ हैं:

1. दृष्टिहीन या अन्धता,
2. कुष्ठरोगयुक्त,
3. श्रवण अक्षमता,
4. चलन निःशक्तता,
5. मानसिक मंदता एवं मानसिक रुग्णता।

वही राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत स्वयंपरायणता (ऑटोजम) प्रमस्तिष्क घात (सेरेब्रल पाल्सी) और बहु निशक्तता पीड़ित व्यक्तियों को भी निशक्त व्यक्तियों की श्रेणी में रखा गया है।

शोध कार्य के उद्देश्य निम्नासुर है :

1. निःशक्त व्यक्तियों के शारीरिक, शैक्षणिक बौद्धिक विकास में समाज की भागीदारी कितनी रही है, यह अध्ययन करना।
2. उपेक्षित व्यक्तियों, बच्चों एवं स्त्रियों की उपेक्षा व शोषण के स्वरूप को जानने के संबंध में अध्ययन करना।
3. शासन द्वारा संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रम का लाभ निःशक्तजनों को शत प्रतिशत प्राप्त हुए है या नहीं, इसका अध्ययन करना।
4. इस बात का अध्ययन करना की निःशक्त व्यक्तियों बच्चों और स्त्रियों को समाज की मुख्यधारा से जुड़कर उन्हें पारिवारिक वातावरण प्राप्त हुए है या नहीं।
5. शिक्षा स्वास्थ्य, परिवहन, रोजगार, सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी एवं गैर सरकारी, राजनैतिक क्षेत्र आदि में निःशक्तजनों के लाभ एवं भागीदारी का अध्ययन।
6. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निःशक्तजनों के अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के क्षेत्र में छकछक की क्या भूमिका रही है एवं उसकी योजनाओं का अध्ययन करना।

उपकल्पना:

1. निशक्त व्यक्तियों के लिए किये गए आर्थिक विकास की गतिविधियों तथा स्वरोजगार उद्यमों की और अधिक एवं व्यवहारिक रही है।
2. निःशक्तजन व्यक्तियों को उन्नत कौशल विकास के कार्यक्रमों को बढ़ाना एवं उचित प्रबंधन के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन।
3. निःशक्तजनों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आदि से संबंधित तथा उनकी सुरक्षा को लेकर चुनौतियाँ भारतीय राजनीति को कही न कही प्रभावित अवश्य करती है।
4. निशक्तता के शिकार व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के लिए उनकी सामाजिक आर्थिक दशा तथा सांस्कृतिक संदर्भ, निशक्तता के कारण आरंभिक बालशिक्षा विधि प्रयोक्ता हितैषी यंत्रों उपकरणों और निशक्तता से जुड़े सभी मामलों पर अनुसंधान कार्य किए जायेंगे, जो उनके जीवन की गुणवत्ता में अहम् बदलाव लायेगा व उनकी चिन्ताओं के प्रति नागरिक समाज की प्रतिक्रिया में सुधार होगा।
5. निःशक्त व्यक्तियों से जुड़े आंकड़ों का नियमित संग्रह प्रकाशन तथा विश्लेषण करना।

अध्ययन का महत्व- मानव अधिकार के महत्व का आकलन इस बात से किया जा सकता है की द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होने के पश्चात् जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो मानवाधिकार के संवर्धन और संरक्षण को इसने अपने प्रमुख उद्देश्यों में रखा। अपने आगे, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मूल मानव अधिकारों के प्रति मानव और उसके महत्व के प्रति अपनी निष्ठा की अभिपुष्टि की।

मानवाधिकार समय के अनुक्रम में राजनैतिक और नैतिक संकल्पना ही नहीं रहा यह एक विधिक संकल्पना भी है। यह आश्चर्यजनक बात नहीं है, मानवाधिकार अब विकसित होते हुए विधिशास्त्रीय साहित्य की विषयवस्तु बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद अब अधिकांश विद्वानों का मानना है की मानव अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं की मानव अधिकारों की संकल्पना इस धारणा पर पर आधारित है की यह एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जो मानवधिकारों को मान्यता प्रदान करता है और साथ ही राज्य के के विरुद्ध उनमें कार्यान्वयन की व्यवस्था भी करता है।

निःशक्त व्यक्तियों का अधिकार दीर्घकाल से संयुक्त राष्ट्रसंघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चिन्ता का विषय रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा सिविल और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा एवं आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय उपवर्णित मानवाधिकार जो सभी के लिए है, उनमें निःशक्त व्यक्ति भी आते हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय लिखतों के अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानसिक रूप से मंदित व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा और निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा को अंगीकार किया है। ये दोनों घोषणाएँ मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में समाविष्ट सिद्धांतों की विशिष्ट रूप से अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं।

उल्लेखनीय है की 1981 को निःशक्त व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 दिसम्बर 1978 को निर्णय लिया की 1981 को निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के क्षेत्र में प्रगति के

लिए सशक्त प्रेरणा का काम किया है। 1983-92 के काल को निःशक्त व्यक्तियों के संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में मनाया गया जिसके लिए निर्णय महासभा ने 3 दिसम्बर 1982 को लिया था। महासभा ने पक्षकार राज्यों से निवेदन किया था कि वे इस अवधि को निःशक्त व्यक्तियों के लिए विश्व कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयोग करें।

भारत निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर हुए संयुक्त राष्ट्र के समझौते में शामिल शुरूआती देशों में एक है। इसके तहत हमे अपने कानूनों में बदलाव लाकर निःशक्तजनों को जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दिलाना जरूरी है। यही नहीं निःशक्तजनों को मुख्यधारा से अलग थलग रखकर देश का आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं किया जा सकता।

विशेषज्ञों का कहना है की निःशक्तजनों को समान अवसर दिलाकर देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) को तीन से सात फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है।

निःशक्तजनों को समझने के साथ साथ निशक्त व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, अधिकारों और उनके हित के बारे सोचता जरूरी है, विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत अनेक संस्थाएँ निशक्तजनों के जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रही है। यह संस्थाएँ निःशक्तजनों को चिकित्सीय एवं गैर चिकित्सीय दोनों प्रकार की सुविधाएँ मुहैया करा रही है।

निःशक्त व्यक्तियों की प्रमुख समस्याएँ:

- सामाजिक समस्या
 - आर्थिक समस्या
 - शैक्षणिक समस्या
 - राजनैतिक समस्या
1. समाज के द्वारा उनको गैर बराबरी की भावना की दृष्टि से देखना।
 2. समाज या परिवार निःशक्तजनों को एक सामाजिक समस्या मानता है।
 3. समाज या परिवार द्वारा इन व्यक्तियों को कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करने का अवसर न देना।
 4. निःशक्तों के साथ मूल समस्या रोजगार की ही है।
 5. आर्थिक योजना का सही क्रियान्वयन ना होना।
 6. स्थानीय संस्थानों में उनको कोई भागीदारी नहीं है।
 7. शासकीय नौकरी में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण नहीं है।
 8. विकलांगों के मूलभूत अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन की समस्याएँ।
 9. निःशक्तजनों को स्कूल, कॉलेज, परिवहन के क्षेत्र में भी समस्याओं का सामना करना होता है।
 10. उनके लिए सही शिक्षा नीति का न होना भी एक समस्या है।
 11. उनके लिए शैक्षणिक बजट भी सही रूप से पारित नहीं किया जाता है।
 12. सही तरह से निःशक्तजनों को तकनीकी एवं मूल शिक्षा भी नहीं मिल पाती है।

सुझाव - निःशक्तजनों की समस्याओं के समाधान के लिए निम्न सुझाव

या उपाय किये जा सकते हैं

1. निःशक्त व्यक्तियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए।
2. इनके लिए परिवहन या आवागमन की सुचारु व्यवस्था होना चाहिए साथ ही परिवहन निःशुल्क होना चाहिए।
3. शासकीय नौकरियों में इनके आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए।
4. स्थानीय संस्थाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
5. निशक्त बच्चों को शासन को पूरा संरक्षण देना चाहिए।
6. उनके लिए उद्योग धंधों के लिए अलग से वित्तीय व्यवस्था होनी चाहिए।
7. धार्मिक एवं सामाजिक स्तर पर इनके साथ स्नेह पूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष - पहले एक समय था जब शारीरिक अथवा मानसिक निशक्तता को निशक्त व्यक्ति के परिवार स्वयं उस व्यक्ति के लिए अभिशाप माना जाता था। इसे पिछले जन्म में किये गये पापों के बदले भगवान् से मिला दंड माना जाता था। शुरु है की आधुनिक विज्ञान ने ऐसी गलत फहमी को दूर करने में मदद की है निःशक्तजनों को अब ऐसी चिकित्सीय समस्या माना जा रहा है जिसका इलाज हो सकता विज्ञान एवं नए आविष्कारों ने उनकी निशक्तता के कारण आई कमी को दूर करने के उपकरण दिए हैं।

जिन्होंने शारीरिक रूप में निशक्त लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है, मानसिक निशक्तता वालों को भी समाज में उनकी आवश्यकताओं के संबंध में अधिक स्वीकार्यता एवं प्रतिक्रिया होने से लाभ हुआ है। उनकी (निःशक्तजनों की) शिक्षा संबंधी विशेष आवश्यकताओं के संबंध में भी पहले से अधिक जागरुकता उत्पन्न हुई। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने निःशक्तजनों को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी करने योग्य सशक्त बना दिया है, निःशक्तजनों को बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराने एवं स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने योग्य बनाने के लिए तेज प्रयास हुए हैं। सुगम्य भारत अभियान दीनदयाल समर्थ जैसी योजना से समावेशी समाज बनाने की सरकार के ही दृष्टीकोण का ही परिणाम है। समाज या परिवार भी उनको सही तरह से संरक्षित घोषित करने में अब पूरी तरह समर्थ है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रमेशचंद्र दीक्षित और अन्य, मानव अधिकार दशा और दिशा, हिन्दी साहित्य निकेतन, 2000
2. अंजू चौधरी, भारत में मानव अधिकार एवं पुलिस, दिल्ली, मानक पब्लिकेशन, 2005,
3. डॉ. नरेश कुमार, निशक्त बालकों की शिक्षा, भारत बुक सेंटर, 2008
4. शैलेश कुमार मिश्र, निशक्तता अभिशास या अग्रणी, भारत बुक सेंटर, 2008
5. www.nhric.org,
6. www.manavadhikar.com

Gender Disparity among the Working population of Southern Rajasthan 1981 to 2011

Dr. Saba Agwani*

Introduction - No society treats its women as its men. That is the conclusion of Human Development Report 1998 (Source UNDP. Disparity means a great difference between two sets of figures. The word originated from 16th Century French word. 'Disparate'. Here, two sets refer to male and female or gender. So basically gender disparity is an attitude or behaviour that promotes stereo typing of social roles based on gender. Briefly gender disparity refers to all the activities indicative of belief in the superiority of men over women.

Here, in this research paper gender disparity among the main work force is going to be discussed. According to census of India worker is a person who is participating in any economically productive activity any time at all in the year and the main worker means, who worked in any economically productive activity atleast more than 180 days (6 months) in a year.

The problem of inequality in employment is one of the most processing issue today. Women in India as well as in Rajasthan tend to be grouped in certain works mostly labour oriented or low paid in nature.

Women are unskilled, less educated and more likely suffer carrier interruption then men women are as efficient as men in production, when given equal access to resources women are over represented among low paid and low wage workers in the informal sectors. This study is concentrated to the disparity among the main work force of Southern Rajasthan. We try to high light the gender gap among main worker both in rural and urban areas at tehsil level. To show the trend we take a large span of time i.e. 1981 to 2011.

Study Area: Southern Rajasthan is the study area of this paper, which is comprises of seven Southern districts of the state and 52 tehsils. It is located between 23°3' to 26°1'15" North latitude and 73°1'10" to 75°43'30" East latitude. Occupying an area of 47,397 sq.kms. It extends nearly 210 Kms north-south and 240 Kms east-west. The tropic of cancer passed through its Southern district of Banswara. A typical geographical diversity consists here as it comprises Aravalli hills, Malwa plateau and Chappan plain (Map 1).

According to census 2011, 122,35,714 persons resides here in which 62,02,762 are male and 60,33,252 are females. The sex ratio is 973 females over a 1000 males.

It has an adequate % of SC (9.71%) and ST (41.07%) population and people belongs to all major religions such as Hindu, Muslim, Sikh, Jain and Christian can found there.

Aims And Objectives: The main objectives of this research paper are :

- (i) To find out the trend and changes in male-female work force of the region.
- (ii) To analysis the gender disparities among work force at tehsil level.
- (iii) To determine the various factors responsible for regional disparities.
- (iv) To prepare the policy implications for reduction of gender gap in work force.

Database And Methodology: The study is based on secondary data collected through the website of Census of India between 1981 to 2011 period. To analyse the gender disparity among the work force of Southern Rajasthan, we calculated the GDI with the help of following formula :

Gender Workforce Differential Index (GWDI)

$$GWDI = [1 - (FW/MW)] \times 100$$

FW = Female work participation rate

MW = Male work participate rate

To achieve the objective of the study and to examine the hypothesis, we correlate different demographic, social and infrastructural variables with the GDI, with the help of following formula:

$$(X, Y) = \frac{\sum(X - \bar{X})(Y - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(X - \bar{X})^2 \sum(Y - \bar{Y})^2}}$$

X = Explained variable

Y = Explanatory variables

$$\text{Efficient of variation (CV)} = \frac{\sigma}{\bar{x}}$$

Explained variables

X - GDI of main workers

Explanatory variables

Y₁ - Density of population

Y₂ - Sex ratio

Y₃ - Total literacy rate

Y₄ - Female literacy rate

Y₅ - Scheduled caste population

- Y₆ - Scheduled tribe population
 - Y₇ - Rural population
 - Y₈ - Length of national highways
 - Y₉ - Length of metalled road
 - Y₁₀ - Length of kaccha road
 - Y₁₁ - Domestic electricity consumption
 - Y₁₂ - Commercial electricity consumption
 - Y₁₃ - Industrial electricity consumption
 - Y₁₄ - Electricity consumption in water supply
 - Y₁₅ - Electricity consumption in irrigation
 - Y₁₆ - Number of railway station
- Results of primary field survey are also analysed with the help of frequency table and percentage.



Map 1.
Districtwise Spatial Distribution Of Main Workers In Southern Rajasthan 1981 To 2011

In 1981, 32.69% population of the region was recorded as main worker but in 2011 their is a slight decrease (31.15) in the %. If we look at the percentage of female main workers there is an increase of 8.14%. In 1981 it is only 11.82% of their total population and become 19.96% in 2011 (Table....). But it is far behind from the percentage of male main worker which is 42.04% of their total population.

Table 1 (see in last page)

In this period we observe a decrease in the percentage of main male workers and an increase in the percentage of female main workers that shows that work participation rate of females are increasing in the region but still there is a wide gender gap persists in the region. It is very evident in the tribal district of Dungarpur, where only 6.28% females are recorded as main workers against 24.48% male (Table). That is a shocking data as we all know that female work participation is quite high among the tribal society.

Table 2 (see in last page)

Percentage of female main workers is comparatively high among the females of Chittorgarh (32.56), Pratapgarh (28.65) and Bhilwara (25.49) district to be except Dungarpur where a slight decrease of 0.45% has been recorded in the period. The highest percentage of male workers is recorded in industrially developed district of Bhilwara (52.20%) and the lowest is in Dungarpur district (24.28).

Gender Disparity Among The Main Workers: The percentage shows that the female work participation is quite low in the region. To analyse the situation more accurately the Gender Differential Index is being calculated with the help of Gender Differential Index (GDI). I try to highlight the variation between male and female work participation. For the detail analysis sub divided the seven districts of the region into 53 tehsils and calculated the GDI of main workers of 1981, 1991, 2001 and 2011 to understand the trends of gender disparity among workers.

High Disparity: In 1981 most of the tehsil recorded high disparity in the region. Tribal tehsils like Jhadol, Salumber, Ghatol, Kushalgarh, records disparity above 90. Though in 1991 disparity reduces Dhariawad (81.4), Sarada (85.88) and Dungarpur (82.55) recorded a high disparity. In 2001 we experience a reduction in disparity as well as shift of disparity from tribal to non-tribal region few tehsils records disparity above 70. In 2011, again tribal tehsils like Aspur (78.11), Sagwara (77.84), Girwa (76.44) and Dungarpur (74.63) recorded a high disparity.

Moderate Disparity: In 1981 only Bhim tehsil recorded a moderate disparity but in 1991 many tehsils of Rajsamand, Bhilwara and Chittorgarh districts recorded a moderate disparity. In 2001 Rawatbhata (58.45), Kapasan (55.25), Banswara (57.44), recorded a moderate disparity though the disparity reduces but a great imbalance has been apparent in the region. In 2011 also disparity decreases.


Low Disparity : None of the tehsil has shown low disparity in 1981 and in 1991 only Rashmi tehsil recorded (36.28) low disparity in the region. In 2001 many tehsil like Rashmi (18.64), Peepalkhoo (26.59), Dungla (27.38), Begun (27.01) recorded very low disparity in the region. In 2011 except few tribal tehsil most of the tehsil shown incredible improvement in female work participation in the region.

It is apparent that throughout the period (1981 to 2011) female work participation increases but still the data shows the gender gap. If we compare data from ground reality it shows a contradictory picture in the region. Especially among tribal and rural areas, out females are actively participating in economic activities like agriculture or household industries, but their contribution is not apply incorporated in the census data.

Rural Areas: In the rural areas also high degree of disparity found from 1981 to 2011. But we can't interpret this data in that way. In the rural area females are playing a vital role in agriculture and cattle rearing. They are participating in the economical activities throughout the year but somehow the census data does not showing their contribution. There is

a social aspect also, in our country only male is considered as an earning member of the family. Work done by females are considered as their household responsibility not as an economic activity. And the result of that they can't get any economic benefit of their work.


Except tehsils of Chittorgarh and Bhilwara districts in 2001 and 2011. Disparity remains high in most of the rural area throughout the period.



High disparity : In 1981 highest disparity was recorded in Kushalgarh (96.05) followed by Salumber (91.3%), Kotra (94.85), Mavli (92.09), Ghatol (92.28), tehsil. In 1981 none of the tehsil recorded GDI above 90 but still those tribal tehsils remain near 80. In 2001 the situation is more over the same. But with few exception as 6 Kushalgarh (36.55), which shows a great improvement from previous (74.73) GDI. In 2011 only few tehsils like Girwa, Dhariawad, Kherwara, Sarada, Dungarpur, Aspur and Sagwara is showing a high disparity rest of the region has recorded low or moderate GDI.

Moderate disparity : In 1981 only Bhadesar (53.56), Chittorgarh (50.60), Bhim (57.23) recorded a moderate GDI their is a position improvement in GDI. In 2001 also many tehsils recorded a moderate GDI in the region. In 2011 most of the tehsils of Udaipur and Rajsamand dist. recorded a moderate GDI in the region.

Low disparity : In 1981 only Barisadri (23.72) tehsil recorded a low GDI but in 1991 it shows an increase (45.20) in disparity and again reduces in 2001 and 2011. Many tehsils of Chittor and Bhilwara district recorded a low GDI in the rural areas of the region. But the improvement is not even in the region. Still the rural areas of tribal tehsils are showing reluctance in the matter of female work participation. That is a very unexpected situation.



Urban Areas: If we examine the GDI in urban areas of Southern Rajasthan, the results are shocking. We see that very few female are working here and GDI remains above 50 in the whole region, throughout the period (1981-2011). The sharp contrast in gender disparity between rural and urban area is raising of concern. Why the urban females are not working? Are untrained on what are the pressures and constraints in the urban areas that are working against female work participation?

High disparity: All the urban population of tehsils showing high disparity in 1981 and 1991. Only Mandal (68.12), tehsil recorded its GDI below 70 in 1981. Rest of them remain above 70 in 1981 and 1991. In 2001 and 2011 also a slight improvement has been observed in the GDI of urban working population in the region.

Low Disparity : None of the tehsil shown moderate low disparity throughout the period.

So the GDI is keep on decreasing in the whole region (except urban areas) but still there is a need of improvement in the number of female workers. Their number is very important indicator of female economic participation in the region. No matter what kind of occupation they are engaged in but still they are working and earning by themselves, that is vital for their improvement.




Table 3 (see in last page)

Table 3 shows the correlation of other demographic factors influencing GDI. It is evident that Disparity Increases with total literacy (0.60) and female literacy (0.62) Disparity decrease with the increase of SC population (-0.24) but it does not have any significant influence of GDI percentage of ST population also does not have any significant influence over Disparity among main workers. But percentage of rural population have a significant influence (-0.53) over disparity. Disparity decreases with the increase of rural population.

Above description of different characteristic of variables help to analysis the factors affecting gender disparity among the workers of southern Rajasthan. It is apparent that increase in educational and income have an adverse effect on female work participation. We can summarize this correlation analysis in these points.

- (i) Increase in the income level also has an adverse effect on female work participation we can also call it income effect.
- (ii) Share of Scheduled Caste and Tribe population have a positive impact on female work participation.
- (iii) Increase in education level has a negative impact on female work participation and occupational structure.
- (iv) Commercial and industrial development does not promote female participation. This development was not playing any positive role in female economic empowerment.
- (v) Increase in irrigation facility has a positive effect on female work participation. Irrigation facilities increase the cultivation and generate employment opportunity for rural females.

Findings: If we look at the census data there is a wide gap between male and female main workers in the region. Women especially in the rural areas having a better work participation but in the urban areas. Problem of disparity is acute in the whole region. Contrary to our belief disparity among the main worker is higher in the tribal tehsils of the region. Urban areas which are having higher literacy rate does not have sufficient female work participation though having better percentage of male workers.

Suggestions:

1. Government should ensure economic empowerment of women with emphasis on health and education.
2. Government must ensure that violence against women in eliminated progressively.
3. Government programme, policies, institutional arrangement and processes should be gender friendly and encourage gender main streaming.
4. Government should undertake awareness generation as well as advocacy activities to promote female work participation.
5. Govt. should create structures at district, tehsil and village level with the involvement of Panchayat which to generate employment opportunities for women.
6. We need to encourage women to go beyond gender

stereo typing and recognize their contribution at work place and at home.

7. Government should try to achieve equality between men and women and enable women to realize their full potential.
8. Government should ensure to involve women fully in policy and decision making processes and in all aspects of economic, political and cultural life as active decision-makers, participants and be beneficiaries.
9. Eliminate all practices that discriminate against women, including those in the workplace and those, effecting access to credit, control over property and social security.
10. Gender discrimination with their the family based on preference for sons should be eliminated.
11. Increase mentorship and other efforts to boost the number of women in traditionally male occupations and positions of political leadership.
12. There should be safe and affordable hostel accommodation to single working women who are working at places away from their home town and for women being trained for employment.
13. Government policies and programmes for women must have focus on formation and promotion of SHGs so as to enable women to have access to micro credit and micro finance.
14. Education will be used as an agent of basic change in the status of women. It will faster the development of new values through redesigned curricula, textbook, the training and orientation of teachers, decision makers and administration and the active involvement of education institute.
15. Media can play a role in sensitizing the public on gender issue specially at the work place in few of the fact that more and more women are joining the work place and it is important to provide them a conducive environment.
16. Advertisement promoting gender equality should be carried by newspapers, TV and FM channels.

References:-

1. Tod, J. (1971). Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol. I and II, pp. 7.
2. Rajputana Gazetteer, (1860), p. 52.
3. Census of India, 1981, 1991, 2001, 2011.
4. Rajasthan District Gazetteers, District Dungarpur, Banswara, Udaipur and Bhilwara.
5. Gupta, Mohanlal, "Udaipur Sambhag Ka Zilawar Sanskritik Avm Atihasik Adhyan, Rajasthan Granthagar.
6. Mamoria and Jain, "Rajasthan Ka Bhogal", Sahitya Bhawan Prakashan, Jaipur
7. Lodha, R.M. and Maheshwari Kiran, "Rajasthan Ka Bhogal", Himanshu Publications, Udaipur.
8. District Statistical Outline (2009-10) of Districts Udaipur, Rajsamand, Dungarpur, Banswara, Bhilwara, Chittorgarh, Directorate of Economy and Statistics, Rajasthan, Jaipur.
9. www.raj.nic.in

Table 1 : Percentage of Main Worker among the Total Population of India, Rajasthan and Southern Rajasthan-1981 to 2011

		(% of Total population)					
T-R-U	P-M-F	1981			1991		
		India	Rajasthan	Sn. Raj.	India	Rajasthan	Sn. Raj.
Total	Person	33.48	30.48	32.72	34.18	31.62	35.66
	Male	51.52	49.92	53.02	51.01	48.53	52.98
	Female	14.07	9.31	11.85	16.03	13.04	17.69
Rural	Person	34.80	31.53	33.34	35.84	32.94	36.76
	Male	52.61	51.01	54.78	51.88	49.18	53.73
	Female	16.09	10.58	12.75	18.75	15.26	19.36
Urban	Person	29.23	26.54	28.29	29.48	27.20	29.44
	Male	48.53	45.93	48.09	48.57	46.36	46.39
	Female	7.30	4.45	6.06	8.15	5.36	7.63
T-R-U	P-M-F	2001			2011		
		India	Rajasthan	Sn. Raj.	India	Rajasthan	Sn. Raj.
Total	Person	30.54	30.86	42.38	30.43	30.86	31.40
	Male	45.34	43.65	48.16	45.13	43.65	42.37
	Female	14.58	16.95	37.01	14.67	16.97	20.15
Rural	Person	31.02	32.25	43.28	30.87	32.25	31.46
	Male	44.91	43.56	51.30	44.31	43.57	40.11
	Female	16.76	20.08	37.69	16.65	20.08	21.73
Urban	Person	29.29	26.30	31.90	29.29	26.30	31.10
	Male	47.46	43.90	47.67	47.19	43.90	49.54
	Female	9.12	6.51	9.97	9.42	6.51	11.45

Source :Census of India and Rajasthan 1981, 1991, 2001 and 2011.

Table 2. Southern Rajasthan : Distribution of Main Workers (1981 to 2011)

S.	District	% to the Total Population					
		1981			2011		
		Total	Male	Female	Total	Male	Female
1	Banswara	27.97	46.16	6.44	30.19	39.74	20.43
2	Bhilwara	38.50	56.99	18.87	36.64	47.45	25.49
3	Chittorgarh	37.81	55.98	18.71	42.53	52.20	32.56
4	Dungarpur	27.19	48.26	7.03	15.58	24.48	6.58
5	Pratapgarh	-	-	-	37.71	46.61	28.65
6	Rajsamand	-	-	-	31.30	44.26	18.18
7	Udaipur	30.14	51.88	7.09	26.80	39.78	13.25
Total Southern Rajasthan		32.69	52.98	11.82	31.15	42.04	19.96

Source :Census of India

**Table 3 : Southern Rajasthan
 Co-relation Between GDI and Workers & Socio-Economic Variables**

Variable	X	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇	Y ₈	Y ₉	Y ₁₀	Y ₁₁	Y ₁₂	Y ₁₃	Y ₁₄	Y ₁₅	Y ₁₆
X	0																
Y ₁	0.15	0.00															
Y ₂	0.55	0.71	0.00														
Y ₃	0.60	-0.65	-0.15	0.00													
Y ₄	0.62	-0.62	-0.19	0.98	0.00												
Y ₅	-0.24	-0.69	-0.46	0.33	0.20	0.00											
Y ₆	-0.02	0.67	0.35	-0.52	-0.39	-0.96	0.00										
Y ₇	-0.09	-0.91	0.65	-0.73	-0.70	-0.75	0.81	0.00									
Y ₈	-0.53	-0.67	-0.60	0.29	0.19	0.65	-0.55	-0.50	0.00								
Y ₉	0.67	-0.18	0.03	0.68	0.79	-0.43	0.25	-0.21	-0.21	0.00							
Y ₁₀	0.44	0.29	0.45	0.23	0.10	0.25	-0.39	0.03	0.02	-0.14	0.00						
Y ₁₁	0.67	0.43	0.92	0.07	0.05	-0.34	0.20	0.39	-0.61	0.19	0.28	0					
Y ₁₂	0.85	0.06	0.58	0.63	0.64	-0.18	-0.03	-0.10	-0.34	0.64	0.19	0.80	0				
Y ₁₃	0.39	0.14	0.14	0.52	0.38	0.57	-0.72	-0.38	0.31	-0.07	0.90	0.10	0.21	0			
Y ₁₄	-0.22	0.51	-0.05	0.24	0.21	0.15	-0.07	-0.15	0.47	0.09	-0.45	0.14	0.31	-0.25	0		
Y ₁₅	-0.28	-0.23	0.18	-0.05	-0.10	0.07	0.04	0.12	0.29	-0.15	-0.38	0.31	0.26	-0.30	0.93	0.00	
Y ₁₆	0.06	0.87	-0.62	0.58	0.59	0.65	-0.68	-0.93	0.27	0.18	-0.27	-0.30	0.12	0.11	0.18	-0.04	0.00

- (i) 0.00 to 0.25 low positive (ii) 0.25 to 0.75 moderate positive (iii) 0.75 to 1.00 high positive
 (iv) - 0.00 to 0.25 low negative (ii) - 0.25 to 0.75 moderate negative (iii) - 0.75 to 1.00 high negative

The Role of Grandparents in Indian Families

Dr. Sandhya Jaipal*

Abstract - Indian families are known for their strong family ties and values. The role of grandparents in Indian families is of great significance as they bring a wealth of experience, love, and support to the family. The grandparents play an important role in the upbringing of children, providing emotional support, and passing down cultural traditions. The purpose of this paper is to discuss the significance and role of grandparents in Indian families. It examines the various ways in which grandparents contribute to the family, including providing emotional support, preserving cultural heritage, offering childcare, providing financial support, fostering an intergenerational bond, offering an alternative parenting style, and providing health benefits. It also discusses the challenges that can impact the role of grandparents, such as geographical distance, differences in values and lifestyle, health issues, changing family dynamics, work-life balance, limited resources, and technology.

Keywords- grandparenting, family dynamics, elder caregiving, child rearing, cultural values, inheritance, intergenerational transmission, family responsibility, grandparents raising grandchildren, aging population, grandparents, generational dynamics, Indian families.

Introduction - Grandparents in Indian families are highly revered and respected members of society. They are seen as wise and loving figures who provide guidance and support to the family. Grandparents are often the source of much of the family's culture and traditions, passing down ancient wisdom and stories to younger generations.

In Indian families, grandparents are seen as a source of comfort and security. They not only provide emotional support to their grandchildren, but they also often take on the role of disciplinarians. Grandparents are often the primary caregivers when parents are away, taking care of grandchildren and providing them with love, discipline and guidance.

Grandparents also play an important role in passing down Indian culture and traditions. They help to preserve the culture by teaching younger generations the importance of rituals and ceremonies, religious values and beliefs and traditional arts and crafts. They are also an important part of most family gatherings, such as weddings and festivals, and they often provide financial and emotional support to their grandchildren.

In India, grandparents are a source of inspiration and strength for their families, as well as a source of great joy and happiness. They are respected and honored for their wisdom, kindness and love, and their presence in the family is a reminder of the importance of tradition and culture.

This paper aims to explore the role of grandparents in Indian families, and how they contribute to the growth and well-being of the family.

Significance & Role of grandparents in Indian families:

Grandparents in Indian families are seen as a source of wisdom and guidance. They are respected and valued members of the family and play an important role in the upbringing of children. They often help to bridge the gap between generations and provide a sense of continuity and stability. Some of the ways in which grandparents contribute to the family include:

Emotional support: Grandparents provide a source of comfort, love, and stability for children and their parents. They offer a listening ear and a shoulder to cry on, providing comfort and reassurance during difficult times. Children often feel a deep sense of love and security with their grandparents, knowing that they will always be there to support them.

Grandparents often form close relationships with their grandchildren, providing a sense of stability and continuity. They offer a different perspective than parents and can provide a unique type of emotional support. They may offer words of encouragement, offer advice, and help their grandchildren work through their emotions.

In times of stress or upheaval, the emotional support provided by grandparents can be especially valuable. They offer a safe and nurturing environment, providing children with a sense of security and stability. Grandparents can help children navigate difficult situations, such as the loss of a loved one or a family move, offering comfort and support along the way.

Cultural preservation: Grandparents play a crucial role in preserving the cultural heritage of their families. They are often the keepers of cultural traditions, values, and customs,

* Associate Professor (Sociology) S.D. Govt. College, Bewar (Raj.) INDIA

and they pass these down to the next generation. In this way, grandparents help to ensure that the family's cultural heritage remains intact and remembered for future generations.

In many Indian families, grandparents are responsible for teaching their grandchildren traditional songs, dances, stories, and religious rituals. They play a vital role in preserving the cultural identity of the family, helping to ensure that the family's unique heritage is maintained.

Grandparents can also provide insight into the family's history, sharing stories about past generations and the family's cultural heritage. This can help to foster a sense of belonging and connection within the family, as children learn about their family's roots and heritage. They help to maintain and pass down cultural traditions, values, and customs, ensuring that the family's unique cultural identity remains intact for future generations.

Childcare: Grandparents often provide childcare for their grandchildren in Indian families. This allows the parents to work or pursue other responsibilities, knowing that their children are in a safe and nurturing environment.

Childcare can be a major concern for many families, especially those with young children or multiple children. Grandparents are often called upon to help, offering a flexible and affordable alternative to formal childcare arrangements. This can be especially beneficial for families who live in rural or remote areas, where access to formal childcare may be limited.

Grandparents often provide a more relaxed and flexible parenting style than the parents. They are less strict and more indulgent, offering a safe and nurturing environment for their grandchildren. This can help to foster a strong bond between the grandparents and the children, and provide a source of comfort and security for the children.

In addition to providing childcare, grandparents also play a crucial role in the upbringing of their grandchildren. They offer guidance, support, and love, helping to shape the children's personalities and character. They also provide a source of stability and security for the children, especially during times of stress or upheaval. They offer a flexible and affordable alternative to formal childcare arrangements, and provide a safe and nurturing environment for the children. They play a crucial role in the upbringing of their grandchildren, and contribute to their overall health and well-being.

Provider of life experience and knowledge: Grandparents are often viewed as sources of wisdom and life experience, and they are called upon to provide advice and guidance to their families. They offer a unique perspective on life, having lived through a variety of experiences and challenges. As a result, they are able to offer valuable insights and advice to their families.

Grandparents can provide guidance on a range of topics, from practical matters such as finances and careers, to more personal issues such as relationships and personal growth. They offer a different type of guidance than parents,

and their perspective can be especially valuable for children as they navigate the challenges of life.

In addition to offering advice and guidance, grandparents can also provide practical support to their families. For example, they may offer help with childcare or provide financial support. This can be especially valuable for families who are struggling, as grandparents can help to ease the burden on parents and provide stability and security. They offer valuable insights and advice, helping their families navigate the challenges of life. Their life experience and wisdom make them a valuable resource for families, providing support and guidance in a range of areas.

Financial support: Financial support is an important aspect of the role of grandparents in Indian families. In many cases, grandparents may provide financial assistance to their children and grandchildren, especially when the parents are unable to meet their needs. This can take many forms, including direct financial contributions, co-signing loans, or offering a safety net in times of need.

In some cases, grandparents may choose to help with the cost of education, medical expenses, or other important expenses. This type of support can be especially critical for families who are struggling financially. By offering financial assistance, grandparents can help to ensure that their children and grandchildren have access to the resources they need to succeed in life.

Additionally, grandparents may provide financial support in the form of inheritance. They may choose to leave their savings, property, or other assets to their children and grandchildren, helping to secure their financial future. This type of support can provide peace of mind for families, especially for those who are worried about their financial stability in the future. They offer a safety net, helping to ensure that the needs of their children and grandchildren are met. By providing financial assistance, they help to ensure that their families are able to access the resources they need to succeed in life.

Intergenerational bond: Grandparents help to strengthen the bond between generations by offering a connection to the family's past. They provide a sense of continuity, helping to ensure that the family remains close-knit.

In many Indian families, grandparents play a significant role in the lives of their grandchildren. They spend time with their grandchildren, creating meaningful relationships that span generations. This helps to foster a strong intergenerational bond, where family members of different ages feel connected and valued.

Grandparents are often the link between generations, providing a connection to the family's past. They share their memories and experiences with their grandchildren, helping to create a sense of continuity within the family. This helps to ensure that the family remains close-knit, even as its members grow and change over time.

They provide a consistent presence, helping to offer comfort and security in a constantly changing world. This

stability can help to foster a strong sense of family, even in the face of adversity.

Overall, the intergenerational bond between grandparents and their families is of great significance in Indian families. It helps to ensure that the family remains close-knit, providing a source of comfort, love, and stability for all of its members.

Alternative parenting style: Grandparents often provide a different style of parenting than the parents. This can be beneficial for children, as it exposes them to different perspectives and ways of life. Grandparents may have a more relaxed or indulgent parenting style, which can provide a welcome change for children. This can be especially important for children who may be feeling overwhelmed by the expectations and demands of their parents.

The alternative parenting style offered by grandparents can also provide children with a different perspective on life. Grandparents have often lived through different times and experienced different challenges, which gives them a unique and valuable perspective. They can offer different approaches to problem-solving and decision-making, which can broaden a child's understanding of the world.

In addition, the bond between grandparents and grandchildren is often strong, and the relationship can provide children with a safe and supportive environment. This can be particularly important for children who are struggling with relationships with their parents or peers.

The alternative parenting style provides a change of pace and a different perspective on life, helping to broaden their understanding of the world. The bond between grandparents and grandchildren can also provide children with a safe and supportive environment, which can have a positive impact on their overall well-being.

Health benefits: Studies have shown that the love and support provided by grandparents can have a positive impact on a child's mental and physical health. Some of the ways in which close relationships with grandparents can benefit children's health include:

1. **Improved emotional health:** Children who have close relationships with their grandparents have been shown to have better emotional health. The love and support provided by grandparents can help to reduce stress, anxiety, and depression.
2. **Enhanced cognitive development:** Grandparents can play an important role in promoting their grandchildren's cognitive development. They can offer stimulating conversation and engage in activities that challenge and stimulate the mind, such as reading, playing games, and solving puzzles.
3. **Increased physical activity:** Grandparents can encourage their grandchildren to be physically active and engage in outdoor activities, such as playing sports or exploring nature. This can help to improve the child's overall physical health and reduce the risk of obesity and other health problems.
4. **Improved social skills:** Children who have close

relationships with their grandparents often develop stronger social skills. They learn important life lessons and gain a better understanding of human relationships, which can benefit them in the future.

5. Better self-esteem: Children who have close relationships with their grandparents often have higher self-esteem and a greater sense of self-worth. The love and support provided by grandparents can help to build a child's confidence and provide a sense of security.

The love and support provided by grandparents can have a positive impact on a child's mental and physical health, helping to ensure that they grow up healthy, happy, and confident.

Legacy: Grandparents play a crucial role in preserving the family's legacy. They are responsible for passing down the family's cultural heritage, traditions, and values to the next generation. By doing so, they ensure that the family's unique identity is maintained and remembered for future generations.

Grandparents often have a wealth of knowledge about the family's history and heritage, and are able to share this information with their grandchildren. This helps to create a sense of belonging and connection to the family's past. They also help to keep alive important cultural practices and traditions, such as cooking traditional foods, participating in religious rituals, and sharing family stories and legends. Preserving the family's legacy is important, as it provides a sense of identity and connection to one's heritage. This is especially important in a world where traditional values and cultural practices are rapidly disappearing. Grandparents play a crucial role in ensuring that the family's cultural heritage is maintained and remembered for future generations, helping to keep the family close and strong. By passing down the family's cultural heritage, traditions, and values, they help to ensure that the family remains connected to its past and that its unique identity is maintained. This is a vital part of the role of grandparents in Indian families.

Challenges to the role of grandparents: While the role of grandparents in Indian families is significant, there are also challenges that can impact their ability to fulfill this role.

Geographical distance: One of the biggest challenges to the role of grandparents in Indian families is geographical distance. Many families are spread out across different cities or even different countries, which can make it difficult for grandparents to be involved in their grandchildren's lives on a regular basis. This can be especially challenging for grandparents who may have limited mobility or financial resources.

Differences in values and lifestyle: Another challenge to the role of grandparents in Indian families is the differences in values and lifestyle that can arise between generations. Grandparents may have traditional beliefs and values that may not align with those of their adult children and grandchildren. This can lead to conflict and difficulty in

establishing a strong, supportive relationship.

Health issues: Health issues can also be a challenge to the role of grandparents in Indian families. As grandparents age, they may experience physical or mental health problems that limit their ability to be involved in their grandchildren's lives. This can be especially challenging for grandparents who may be caring for grandchildren on a regular basis.

Changing family dynamics: The changing dynamics of families, such as divorce, remarriage, and blended families, can also impact the role of grandparents. In some cases, grandparents may not have access to their grandchildren due to conflicts between adult children or changes in custody arrangements.

Work-life balance: In today's fast-paced society, many adults struggle to balance work and family responsibilities. This can make it difficult for grandparents to be involved in their grandchildren's lives, especially if they are working full-time or are unable to take time off from work.

Limited resources: Grandparents who are living in poverty or facing financial difficulties may find it challenging to be involved in their grandchildren's lives. They may not have the resources to travel to see their grandchildren, or may struggle to provide financial support.

Technology: While technology has made it easier for families to stay connected, it can also pose challenges to the role of grandparents. Younger generations may not value face-to-face interaction as highly as previous generations, and may not prioritize maintaining relationships with their grandparents.

Conclusion: In conclusion, the role of grandparents in Indian families is crucial. They provide love, support, and stability, and play an important role in shaping children's

emotional, academic, cultural, and physical well-being, contributing to their overall development and happiness. Grandparents are a source of wisdom, guidance, and cultural preservation, helping to bridge the gap between generations. The role of grandparents in Indian families is not without challenges. However, these challenges can be addressed with open communication, mutual respect, and a willingness to work together as a family. Families can work together to overcome these challenges and find ways to maintain strong, supportive relationships between generations. This may include finding alternative ways for grandparents to be involved in their grandchildren's lives, such as through technology or regular visits, or seeking support from community organizations and programs. The presence of grandparents in Indian families has a positive impact on children, contributing to their overall well-being and development.

References:-

1. Red Horse, J. (1980b). "American Indian elders: Unifiers of Indian families." *Social Casework*, 61, 490-493.
2. Allendorf K. (2013). "Going nuclear? Family structure and young women's health in India, "1992–2006. *Demography*, 50, 853-880.
3. Buchanan A., Rotkirch A. (2018). "Twenty-first century grandparents: Global perspectives on changing roles and consequences." *Contemporary Social Science*, 13, 131-144.
4. Abidin, R. R. (1992). The Determinants of Parenting Behavior. *Journal of Clinical Child Psychology*, 21(4), 407–412. https://doi.org/10.1207/s15374424jccp2104_12.
5. <https://www.indiaparenting.com/role-of-grand-parents.html>

Healthcare and Healthcare Access in India: Challenges and Solutions

Dr. Anjali Jaipal*

Abstract - Healthcare and healthcare access in India is a major concern for the Government and citizens. India is one of the biggest developing countries in the world, yet it has a high rate of infant and maternal mortality, and a large number of people who lack access to basic healthcare services. With a population of over 1.3 billion, India is one of the most populous countries in the world. The country faces a number of challenges in terms of healthcare, especially with regards to affordability, access and quality of care. This paper provides an overview of the challenges in India's healthcare system, and outlines the various initiatives taken by the Government to address these issues. It also focuses on specific policies and regulations that have been implemented to improve the quality of healthcare in the country. Additionally, this paper provides an overview of the various initiatives taken by the Government to promote awareness and prevention of health issues. Finally, it offers some suggestions for further improvement in India's healthcare system, such as the need for adequate financing and resources, and the promotion of generic drugs.

Keywords- Healthcare, Healthcare access, India, Challenges, Solutions, Government policies, Public health, Rural healthcare, Urban healthcare, Universal health coverage, Health insurance, Health inequality, Health disparities, Healthcare infrastructure, Healthcare delivery, Healthcare financing, Healthcare reform.

Introduction - Healthcare is a vital component of any country's development and wellbeing. In India, healthcare access and quality of care are two major concerns, with a large part of the population lacking access to basic healthcare services. This paper explores the challenges faced by India in terms of healthcare, including poverty and inequality, lack of infrastructure and resources, and disparities in quality of care. It also examines the various solutions and government policies that have been implemented in order to improve access and quality of care. India's healthcare system is composed of both public and private providers. The public sector, which is funded by the government, is responsible for providing primary care and preventive services to the majority of the population. The private sector, on the other hand, is responsible for providing secondary and tertiary care, and is mainly composed of for-profit organizations.

Challenges: There are many challenges facing healthcare and healthcare access in India. Few of these are listed below:

1. Lack of access to healthcare services: One of the main challenges facing healthcare in India is the lack of access to healthcare services, particularly in rural and low-income communities. According to the World Health Organization (WHO), only about half of the population has access to essential health services. This is due to a lack of healthcare facilities and personnel in these areas, as well as a lack of funding for healthcare services.

2. High cost of healthcare: There is high cost of healthcare, which makes it difficult for low-income and marginalized communities to access healthcare services. According to the World Bank, out-of-pocket spending on healthcare accounts for more than 60% of total health spending in India. This puts a significant financial burden on households and can lead to financial ruin.

3. Shortage of healthcare personnel: There is shortage of healthcare personnel, particularly in rural and remote areas. According to the WHO, India has a shortage of around 1.5 million healthcare workers, with many of the existing healthcare workers concentrated in urban areas. This results in a shortage of healthcare personnel in rural areas, which further exacerbates the problem of access to healthcare.

4. Quality of care: Despite the availability of healthcare services, the quality of care provided in India is often suboptimal. This is due to a lack of regulation, oversight, and quality assurance mechanisms, as well as a lack of training and professional development for healthcare workers.

5. Non-communicable diseases: India is facing an increasing burden of non-communicable diseases (NCDs) such as diabetes, cardiovascular disease, and cancer. These diseases are often linked to lifestyle factors such as poor diet and lack of physical activity, and require long-term management and care. However, the healthcare system in India is not well-equipped to handle this growing

burden of NCDs.

6. Mental health: Mental health is a significant concern in India, with high rates of mental disorders such as depression and anxiety. However, access to mental health services is limited, and there is a significant shortage of mental health professionals in the country.

7. Drug shortages: India is facing a shortage of essential medicines and drugs, which can lead to treatment disruptions and increased healthcare costs. This is due to a variety of factors, including lack of regulation, low production capacity, and supply chain issues.

8. Inadequate infrastructure: Many healthcare facilities in India are in poor condition and lack basic infrastructure such as running water, electricity, and adequate sanitation. This can lead to poor infection control and can affect the quality of care provided.

9. Corruption: Corruption is a significant problem in India's healthcare system, with reports of bribery, embezzlement, and fraud. This can lead to a lack of trust in the healthcare system and can discourage people from seeking healthcare services.

10. Socio-cultural barriers: Socio-cultural barriers such as poverty, illiteracy, and lack of awareness can prevent people from accessing healthcare services. In addition, certain groups such as women, children, and marginalized communities may face additional barriers to accessing healthcare.

11. Limited access to technology: Many rural and low-income communities in India lack access to modern technology such as telemedicine and electronic medical records, which can limit access to healthcare services and impede the delivery of quality care.

12. Inadequate healthcare financing: India's healthcare financing system is inadequate, with a large proportion of healthcare costs being financed out of pocket. This can result in financial burden on households and can discourage people from seeking healthcare services.

13. Poor healthcare management: The healthcare system in India is often poorly managed, with inadequate planning and coordination between different levels of care, resulting in inefficiency and poor quality of care.

14. Lack of research and innovation: There is a lack of research and innovation in the healthcare sector in India, which can limit the development of new treatments and technologies, and impede the progress of healthcare in the country.

15. Insufficient healthcare data: India's healthcare system lacks a comprehensive data collection and management system, which can limit the ability to track and measure healthcare outcomes, and impede the development of effective policies and programs.

16. Limited healthcare coverage for marginalized communities: Marginalized communities in India, such as the poor, women, and children, face significant barriers in accessing healthcare services. This is due to a lack of healthcare coverage and inadequate policies that address

the specific healthcare needs of these groups.

17. Shortage of specialized healthcare providers: India is facing a shortage of specialized healthcare providers such as surgeons, specialists, and nurses, which can limit access to specialized care and impede the delivery of quality care.

18. Lack of healthcare coordination: Coordination between different levels of healthcare, such as primary, secondary, and tertiary care, is often poor in India, resulting in inefficiency and poor quality of care.

Solutions: There are a variety of solutions that can be implemented to address the challenges facing healthcare and healthcare access in India:

1. Increasing access to healthcare services: One solution is to increase access to healthcare services through the expansion of primary healthcare centers, health sub-centers, and community health workers. This can be done by increasing the number of facilities, strengthening the existing infrastructure, and increasing the number of healthcare personnel.

2. Improving the quality of care: Another solution is to improve the quality of care by implementing quality assurance mechanisms, promoting professional development for healthcare workers, and increasing regulation and oversight of the healthcare system.

3. Addressing non-communicable diseases: To address the growing burden of non-communicable diseases, there needs to be a focus on prevention and early detection through public health campaigns, health education, and community-based interventions.

4. Improving mental health: To improve mental health, there needs to be an increase in the number of mental health professionals and facilities, and the integration of mental health services into the primary healthcare system.

5. Addressing drug shortages: To address drug shortages, there needs to be an increase in the production capacity of drugs, and the implementation of policies and regulations to ensure the availability of essential medicines.

6. Improving infrastructure: To improve infrastructure, there needs to be an increase in the funding for healthcare facilities and an emphasis on maintaining and upgrading existing facilities.

7. Combating corruption: To combat corruption in the healthcare system, there needs to be an increase in transparency and accountability, as well as the implementation of anti-corruption measures such as whistle-blower protection and anti-corruption hotlines.

8. Addressing socio-cultural barriers: To address socio-cultural barriers, there needs to be an increase in health education and awareness campaigns, as well as policies and programs that target marginalized communities.

9. Encouraging use of technology: To encourage the use of technology, there needs to be an increase in the number of telemedicine services, electronic medical records, and other health-related technologies.

10. Improving healthcare financing: To improve

healthcare financing, there needs to be an increase in public funding for healthcare and the implementation of health insurance schemes to protect households from financial burden.

11. Improving healthcare management: To improve healthcare management, there needs to be an increase in the coordination and planning of healthcare services and the implementation of healthcare management systems.

12. Encouraging research and innovation: To encourage research and innovation, there needs to be an increase in funding for research and the development of policies that promote innovation in the healthcare sector.

13. Improving healthcare data: To improve healthcare data, there needs to be an increase in the collection, management, and use of healthcare data to inform policies and programs.

14. Increasing healthcare coverage for marginalized communities: To increase healthcare coverage for marginalized communities, there needs to be an increase in funding for healthcare for marginalized communities and policies that target specific healthcare needs of these groups.

15. Addressing shortage of specialized healthcare providers: To address shortage of specialized healthcare providers, there needs to be an increase in the number of healthcare professionals and facilities, as well as policies and programs that promote the professional development of healthcare workers.

16. Improving healthcare coordination: To improve healthcare coordination, there needs to be an increase in the coordination and planning of healthcare services and the implementation of healthcare management systems.

Government Policies: To address the challenges facing healthcare and healthcare access in India, the government has implemented a variety of policies and programs:

1. National Health Policy (2017): This policy aims to increase access to healthcare services and improve the quality of care. It focuses on expanding the number of primary healthcare centers and health sub-centers, strengthening the existing infrastructure, and increasing the number of healthcare personnel. It also focuses on increasing public spending on healthcare to 2.5% of the GDP.

2. National Health Mission (NHM): The National Health Mission (NHM) is an umbrella program that includes the National Rural Health Mission (NRHM) and the National Urban Health Mission (NUHM). The program aims to improve access to healthcare services, particularly in rural and urban areas, and focuses on expanding the number of primary healthcare centers, health sub-centers, and community health workers.

3. National Mental Health Programme (NMHP): The National Mental Health Programme (NMHP) aims to improve mental health by increasing the number of mental health professionals and facilities, and integrating mental health services into the primary healthcare system.

4. National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease, and Stroke (NPCDCS): This program aims to address the growing burden of non-communicable diseases by promoting prevention and early detection through public health campaigns, health education, and community-based interventions.

5. National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE): This program aims to improve the healthcare of the elderly population by increasing the number of healthcare facilities and personnel, and implementing policies and programs that target specific healthcare needs of the elderly population.

6. National Rural Health Mission (NRHM): The National Rural Health Mission (NRHM) aims to improve access to healthcare services in rural areas by expanding the number of primary healthcare centers and health sub-centers, and increasing the number of healthcare personnel.

7. National Urban Health Mission (NUHM): The National Urban Health Mission (NUHM) aims to improve access to healthcare services in urban areas by expanding the number of primary healthcare centers and health sub-centers, and increasing the number of healthcare personnel.

8. National Health Insurance Scheme (NHIS): Launched in 2008, the National Health Insurance Scheme (NHIS) aimed to provide financial protection for households from the high costs of healthcare. The scheme was later renamed as Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY).

9. National Programme for Control of Blindness (NPCB): Launched in 1976, the National Programme for Control of Blindness (NPCB) aimed to reduce the prevalence of blindness in India through public health campaigns, health education, and community-based interventions.

10. National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP): Launched in 2003, the National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP) aimed to control the spread of vector-borne diseases such as malaria, dengue, and chikungunya through public health campaigns, health education, and community-based interventions.

11. National Cancer Control Programme (NCCP): Launched in 1975, the National Cancer Control Programme (NCCP) aimed to address the growing burden of cancer in India by promoting prevention and early detection through public health campaigns, health education, and community-based interventions.

12. National Programme for Prevention and Control of Deafness (NPPCD): Launched in 2006, the National Programme for Prevention and Control of Deafness (NPPCD) aimed to reduce the prevalence of deafness in India through public health campaigns, health education, and community-based interventions.

13. Jan Aushadhi Scheme: Launched in 2008, the Jan Aushadhi Scheme aimed to make quality medicines more affordable and accessible by setting up Jan Aushadhi Stores which sell generic medicines at a fraction of the cost of

branded medicines.

14. National Dialysis Services Programme: Launched in 2016, the National Dialysis Services Programme aimed to provide free dialysis services to economically weaker sections of society through public hospitals.

15. National Mental Health Program: Launched in 1982, the National Mental Health Program aimed to improve mental health services in India by increasing the number of mental health professionals and facilities, and implementing policies and programs that target specific mental health needs.

16. National Leprosy Eradication Programme (NLEP): Launched in 1983, the National Leprosy Eradication Programme (NLEP) aimed to control and eventually eliminate leprosy as a public health problem in India.

17. National Tobacco Control Programme: Launched in 2007, the National Tobacco Control Programme aimed to reduce the consumption of tobacco in India through public health campaigns, health education, and community-based interventions.

18. National Programme for Control of Hepatitis B and C: Launched in 2010, the National Programme for Control of Hepatitis B and C aimed to control the spread of hepatitis B and C in India through public health campaigns, health education, and community-based interventions.

19. National Programme for Control of Diarrhoeal Diseases: Launched in 1978, the National Programme for Control of Diarrhoeal Diseases aimed to reduce the incidence of diarrhoeal diseases in India through public health campaigns, health education, and community-based interventions.

20. In summary, the government of India has implemented a variety of policies and programs to address the challenges facing healthcare and healthcare access in India.

Conclusion: India faces significant challenges in providing healthcare access to its population, particularly in rural and

low-income communities. However, by increasing funding for healthcare services in these areas, increasing the availability of healthcare personnel, and implementing policies to increase the availability of affordable healthcare services, it is possible to address these challenges and improve healthcare access in India. The Government has taken a number of steps to improve access to healthcare in India. However, there is still a lot that needs to be done in order to ensure that everyone in India has access to quality healthcare. The Government should continue to focus on improving access to healthcare, particularly in rural areas, and should ensure that healthcare services are affordable and of good quality. Additionally, the Government should continue to promote awareness about health and preventive health care, so that people are aware of the importance of taking care of their health.

References:-

1. Mittal K, Goel MK. Knowledge regarding reproductive health among urban adolescent girls of Haryana. *Indian J Community Med.* 2010;35:529–30.
2. Understanding Healthcare Access in India. Report by the IMS Institute for Healthcare Informatics. 2012.
3. Rao M, Rao KD, Shiva Kumar AK, Chatterjee M, Sundararaman T. Human resources for health in India. *The Lancet.* 2011;377:587–98.
4. Wullianallur Raghupathi and Viju Raghupathi. 2014. Big data analytics in healthcare: Promise and potential. *Health Information Science and Systems* 2, 1 (2014).
5. Kishore J. *National Health Programs of India.* New Delhi: Century Publications; 2009.
6. Planning Commission. Eleventh Five year plan (2007-2012) Planning Commission, GOI New Delhi.
7. Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi. *National Population Policy.* 2000

U.S.- Indian Diplomatic Ties, the Post- Cold War Scenarios

Anurag Pandey*

Introduction - India and USA is the two major partners in terms of pluralist democracy and liberal political culture. Although culturally two countries are different from each other, socially also they are not similar. New Delhi and Washington belonged to different ideologies in the Cold War periods. The Pro-Pakistani attitude of the US hampered the Indo-US friendly relations in the Cold War era. Why and how the USA has tilted towards India, these questions will be focused in this chapter.

It is almost a Cliché to suggest that India and the US are natural partners given their vibrant democratic institutions, shared values and convergence on vital national interests. But during most of the Cold War period India's relations with the US and the erstwhile Soviet Union were viewed in a zero-sum context. The US foreign policy vis-à-vis South Asia had a "tilt" towards Pakistan as the US viewed India as too closely allied with its Cold War adversary, the Soviet Union. Today the US diplomacy towards South Asia is predicated upon its decision to help India become a major world power in the twenty-first century.¹

However, at first I would like to discuss about diplomacy briefly. The word 'diplomacy' is often employed in a broad meaning which embraces both the making and the execution of foreign policy. In its more technical meaning here employed it has been aptly described by George F. Kennan, the prominent American practitioner and scholar, as the business of communicating between governments. Diplomacy is the inevitable outcome of the co-existence of separate political units with any degree of contact and indeed, its origins can be traced to remote antiquity. At all times rulers considered diplomacy an important instrument of state policies but gradually it transcended a purely national role.² Diplomacy may be defined "as the process of presentation and negotiation by which states customarily deal with one another in terms of peace." In the Oxford Dictionary it is defined as "the management of international relations by negotiation or" the method by which these negotiations are adjusted and managed." Sir Earnest Satow in his book *Guide to Diplomatic Practice* has defined diplomacy as the application of intelligence and tact to the conduct official relations between the governments of independent states.

The final important function of diplomacy apart from

bargaining and negotiation is to provide to those who formulate goals and plans of action, and occasionally to make important policy decisions themselves.³ Before discussing, Indo-US diplomatic relations, it is necessary to examine the objectives of the U.S.A. establish friendly relations with India. Actually the main purposes of this chapter are to focus on basic interests of both countries which are responsible for making a good relation to each other.

First, the USA's intension over India was primarily started with some mistrust and suspicious. But some years USA had realized that India is a faithful as well as peaceful country which could be a partner of considering democratic values and liberal ideological point of views.

Second, India's huge and promising market was responsible for the bilateral diplomatic relations. As the foreign policy of one country is determined by its national interests so in case of USA that was same. USA had been attracted by India's growing market, so it was interested for making friendly relations with India.

Third, India's performance in IT is well known by the world community. The USA had shown, therefore, its interest in this respective area and invested a huge amount of money.

Fourth, India had been alerted from Russia that, it will not able to supply arms and it will also not be able to give India monetary support. Because Russia, a successor State of the USSR has been crippled itself economically and militarily. And its political and diplomatic weight had also been reduced. When India had been fully confirmed that the USA was the only dominating power in post-Cold War world politics, it decided to lean towards USA for getting diplomatic and economic support.

Fifth, Relations with the United States have improved markedly, despite the latter's renewed support for Pakistan Cooperation has grown in a number of economic and military arenas, for example at the height of the India-Pakistan crisis of 2002 American and Indian forces were engaged in joint military exercises near Agra.

Sixth, As India's general standing in the international community had enhanced; it was no longer seen as a predictable and reticent state, but a country that other powers have to understand and accommodate. Overall, there does a more balanced and objective understands of

* Associate Professor (Political Science) KNIPSS, Sultanpur (U.P.) INDIA

India in the major states of the world, like the USA.

Seventh, The USA had been aware of the fact that the Chinese influence in South Asia had been increasing. So, to maintain balance of power in this region and to reduce the Chinese raising the USA preferred to India.

Eighth, Pakistan is an old friend of USA, but the latter had influence fully informed about Pakistan that it could not be a faithful and responsible partner. The internal crisis has led to the growth of Islamic fundamentalism, criminalization of administration, militarization of the government, growth of terrorism. These are hampering Pakistan's democracy. So USA had started to find a potential and faithful partner since 2001. And finally Washington knew in New Delhi a reliable diplomatically.

It would be a mistake to under or over-estimate India's identity on Asia's strategic chessboard. For many decades, Washington treated India like an insignificant pawn, which was incorrect. Both American and Indian officials have used the term "natural alliance" to describe the new relationship between these two countries, but the vagueness of the concept itself evident.⁴ However in the era of globalization, despite some differences in political sphere, the relation between the two countries in the economic, cultural and educational sphere continued to grow and USA provided valuable assistance to India to fight against HIV.

India adopted quite-co-operative attitude towards USA during the gulf war of 1990-91 and provided refueling facilities to American transport aircrafts bound for the war zone in the Gulf, even at the cost of internal as well as international criticism. Although since 1991, Indian government has started to maintain closer relations with USA continued to be unhappy with India because it refused to accept international inspection regimes on the plea of country's threat perceptions vis-à-vis Pakistan and China, and peaceful use of nuclear power.

Few American interests were directly impacted in South Asia as the Cold War came to close. During the 1980's, the US had started into the region to challenge the expansion of Soviet power into Afghanistan, however, after the Soviet defeat Washington ignored Afghanistan and virtually abandoned its erstwhile ally, Pakistan. In fact, George W. Bush (Jr.) administration imposed sanctions against Pakistan under the aegis of the Pressler Amendment in 1990, saying it was unable to certify that Pakistan did not possess a nuclear explosive device.⁵

The collapse of USSR forced India to think a new diplomatic and strategic partner. New Delhi could not be totally faithful to its old friend. Because Moscow did not give India all types of military or diplomatic support. India slowly and gradually has turned to make a good bilateral relationship with China. India thought if it is not able to make normal relations with the existing World's biggest Socialist Country, then it might be looser, because Chinese ability in terms of military economy and politics are stronger than India. If Beijing attacks New Delhi, It has no doubt it will defeat.

However, more importantly, the Indians largely abandoned their reflexive opposition to American strategic, economic and diplomatic policies, evincing a new openness to the pursuit of mutually beneficial endeavors.⁶ India's foreign policy maker realized that its closer relations with US could help them fill the power vacuum of USSR, which countered the Chinese aggression in South Asian region. The US, for its part, was no longer forced to view India in light of the latter's friendship with Soviets and could re-evaluate Indo-US relations on their own merits.⁷ So it was clear that a major structural shift had occurred in Indian stand point and relational approach in International politics.

Domestic factors also contributed to an Indo-US rapprochement in the post - Cold War era. The most important element was to serve financial crisis that gripped India in 1991, after the first Gulf War. The convergence of three distinct forces caused this crisis. First, India had badly depleted its foreign exchange reserves purchasing oil on the global spot market prior to the outbreak of the war. Second, the hostilities forced India to repatriate, at short notice, over 100,000 expatriate workers from the Persian Gulf region. Their return closed an important source of foreign exchange. Third, shortly after the War's end, a series of loan payments to multilateral banks came due. The combination of these three factors sent the Indian exchequer into a tail spin.⁸ Due to Persian Gulf War a major financial and Structural weakness of Indian economy has showed. To recover this crisis, in the early 1990's Indian Prime Minister Narashima Rao and Finance Minister Manmohan Singh were finding some short-term solution. They decided to shift some fundamental changes in India's economy. Indian government adopted some new approaches. Key aspects of this approach included adopting a structural adjustment regime, reducing tariffs and agricultural subsidies, loosening industrial regulations, and Paring down India's massive Public sector.⁹ Indian new market-oriented approach has helped to her economic growth. Adopting liberal economic policy, New Delhi was able to make a good diplomatic relations with Washington. Washington's rapprochement with New Delhi was possible, for its changing ideological practices. Both sides have much to gain from further cooperation in the future. They can no longer afford to ignore one another.

References:-

1. As a pluralistic and secular democracy in a world, where fundamentalist violence in on the rise, India's emergence as a model of stability, modernization and predictability, has begun to impact on international consciousness. To this has been added a healthy respect for our capabilities that have been steadily growing across the board. US strategic assessment of India is articulated both in its **National Security Strategy** of March 2006 and **Quadrennial Defense Review Report** of February 2006. The NSS speaks of India as a major power shouldering global obligations. Similarly, the QDR refers to India, along with China and Russia,

- as key factors in determining the international security environment for the 21st century. Also see Harsh V Pant, 'Natural Partners: US and India Engaged, No Longer Estranged', *The Statesman* (editorial), July 25, 2005. p. 6.
2. Joseph Frankel, *International Relations* (second edition), Oxford University Press, 1968, p.96.
 3. K.J. Holsti, *International Politics*, Prentice-Hall of India Private Limited, New Delhi, 1981, p. 194.
 4. Stephen P. Cohen, *Emerging Power - India*, Oxford India Press, New Delhi, 2005, p.(preface) XV.
 5. S. Paul Kapur and Sumit Ganguly, *Asian Survey*, vol. XLVII. No. 4. July/August 2007, p.647.
 6. *Ibid.*
 7. See John Garver, *Protracted Contest: Sino-Indian rivalry in the twentieth century*, Seattle University of Washington Press, 2000.
 8. Sumit Ganguly, 'India Walks a Middle Path in Gulf Conflict', *Asian Wall Street Journal (Weekly)*, March 4, 1991.
 9. T.N. Srinivasan, *Eight Lectures on India's Economic Reforms*, Oxford University Press, New Delhi 2000.

Human Centric Approach:Talent Management

Dr. Indu Arora*

Abstract - Human centric approach towards employees of an organisation empowers them to contribute their best; and guide them towards trackway to success. Thus dedicated,efficient and satisfied employees become a valuable asset of a company. Therefore, it is important for businesses to treat their employees with respect,support and appreciation. In other words, companies are required to manage their talent

Talent management is the one of the most important issues of management. As its well established that without talent and creativity all industries are mere bundle of products and things. Business world cannot create wealth and credit in the absence of talent and their management.

In this competitive era there isn't a single industry can survive and flourish without promoting and managing their talent. Because talent is a powerful weapon of competitive global world. So, it's essential to manage it. In this context its justified to know what is talent management.

Talent management is a human resource process to attract, develop, motivate and retain high performing employees. It helps employees to feel, engaged, proficient and inspired, allowing them to work in the order of the organisation's goals, which in turn **increases customer satisfaction and business performance** and it will be not over saying that it is the only motive and aim of business. Therefore, every company should follow this human centric strategy of talent management that commence with recognising the best talent and further providing growth opportunities to them, feed back to them on regular base and evaluate the effectiveness of talent management and can end with the assignment of mentor.

This paper examines the concept of talent management, strategies and importance of it.

This paper aims at knowing the concept of talent management and also knowing various strategies adopted for Talent management acquisition and future retention.

It is well established that talent management is good for employees because it keeps them motivated which helps in career development and to attain job satisfaction from their work;consequently, it transforms employees into good human being too.

Key Words-Talent Management, Talent Strategies, Human Centric.

Introduction - Talent management can be defined as a **business strategy that enables businesses to attract, develop, and retain their topmost skilled employees.**

building a motivated workforce who will stay with the organization in the long run is the primary objective of talent management. It is a strategic process which is systematically composed, for getting the best talent on-board and aiding them grow to their optimal abilities in alignment with organizational goals in mind.

The process of talent management encompasses recognizing talent gaps, sourcing the right employees, developing them within the system, training, and improving skills at last retaining and motivating them to achieve goals of the organisation.

On the accounts of this process organisations can fabricates a sustainable competitive lead and prevail over their competition with the aid of a unified system of talent management practices that are difficult to duplicate.

Talent Management in Human Centric Management

(HRM) - Human resource management is the part of general management that deals with the human resources of an organisation.It is also known by the term personnel management and personnel administrations used by the authors mentioned below in their definitions.

According to E.F.LBrech, "personnel management is that part of management process which is **primarily concerned with the human constituents** of an organisation."

In the words of Pigors and Myers,"personnel administration is a **method of developing the personalities of employees so that they get maximum satisfaction out of their work and give their best efforts to the organisation**"

It is **concerned with "Human"aspect** of the management.Therefore, it is very clear that **talent management; which refers to the process of recruiting,developing, motivating andretaining the productive and qualitative employees with an**

*Assistant Professor (Business Administration) Govt. Meera Girls College, Udaipur (Raj.) INDIA

organisation in long term is a human centric approach; which emphasises on satisfaction and development of humans. In another words **human centric approach refers** to an ideology which emphasise on humanistic values, appreciation, recognition and devotion to human welfare; **so, as talent management does.**

Therefore, it can be inferred that talent management is a human centric approach.

Talent management in a way embodies several responsibilities of HR. However, just having an HR team, does not mean that talent is being managed. In order for an organization to achieve optimal outcomes, it is very essential to formulate a talent management strategy.

As talent management capitalizes on employees, it helps in maximization of their importance.

1. When an organisation hires and develops employees into skilled employees, an organisation becomes more robust and better adapted to handle changes and risks.
2. Employees that are skilled can discover means to harness innovative technological capabilities and solve problems or develop original ideas.
3. When employees feel appreciated at an organisation, they know they will have numerous possibilities to develop. They more unlikely to switch jobs.
4. Talent management brands a company as an employer. It helps the company to pull the best applicants for future hires.
5. Developing inspiring talent motivates other employees and help them improve.

Importance of Talent Management: Talent management is considered as an indispensable constituent of a good organization on a number of levels. At present the competition is intense in corporate world. A lot of HR professionals admit that there is a continuous "war for top talent". There are free positions with not enough quality candidates to fill them.

If a company desires to draw and retain top candidates with the current war, it must get the talent management strategy right. If a company does not have an employee strategy that aligns with its organization's strategy, then that leaves the business results to chance.

HR aims to retain existing employees and promote them to more crucial positions in the company eventually as per the requisites of talent management. This ultimately saves money on high employee turnover. It is more judicious to grow and retain necessary talent than sourcing, hiring, and training new ones.

Talent Management Practices and strategies: Talent management strategy is an integrated plan which is used to nurture the human resources of a business organisation through various innovative HR practices such as recruitment and skill development through training and performance management etc.

As managers constantly deal with employee development, talent management is something that demands a lot of attention. An error in this field could cause

irreparable damages, and managers must choose their practices carefully.

The main practices and strategies are as follows:

1. Prioritize Employee Experience: Prioritizing employee experience lets an organization to solve problems and build value through the means of enhanced performance. It will reduce the gap between success and failure leading to better decision-making.

2. Aligning Talent Acquisition to Business Goals: a talent acquisition strategy plays a crucial role in profiling and technically supporting newly hired employees, in order to achieve the set organisational goals. Therefore, it is very essential as it not only helps organizations to achieve their business goals, but also which mirrors their excellence and effectiveness.

3. Improving Training Efficiency: work-related training programs for newly hired employees should be implemented by the organisation when they start on-boarding. As well as training programs should be built with the aim of providing better decision-making and work-related practices and building knowledge through innovation.

4. Flexibility: There should be flexibility in the workplace as that enables empowers organizations to develop departmental and managerial communications and improve relationships among managers, business units, and functions.

Organizations can also transfer decision-making power to lower levels and motivate newly hired employees to come up with new ideas and execute them.

5. Providing Necessary Feedback: in order for businesses to maximize their employees' performance Constant feedback is essential. Managers and employees can effectively take corrective steps when things go off track. Constant feedback makes performance appraisal quicker and easier.

6. Rewarding High Performance: It is essential to reward high-performing employees with hikes or bonuses. This will help the organisation in the long run as recognizing their performance and potential will help in retaining them.

7. Performance-Based Development: employees' appraisals can be used to determine recognize gaps in their abilities and propose the right kind of training that they require. The L&D department should identify areas where employees have scored low and advise training accordingly. It is important to get value from such training by measuring employee performance against the appraisal process.

8. Human Capital Value Profiling: business processes focus upon the outcomes. Even though outcomes matter, too many businesses fail because they concentrate too much on outcomes and not enough on the people and processes responsible for delivering the results. Therefore, the analytic tool, Human Capital Value Profiling (HCVP) is developed which contours people processes that are most vital in achieving desired business results but not quite effectively executed.

Conclusion: Positive development and implementation of Talent management strategy effectively turns an organisation into a more productive one. Failures of Talent Management do not represent the mismatch between the supplies and demand but rather it reflects misconnects of its concept. The ultimate object of Talent Management is to aid an organisation in achieving its set objectives and level out the short comings and obstacles which directly or indirectly leads to rapid growth of talent for the organisation.

Companies that excel in talent management have the advantage of being well-positioned for long-term growth in workforce performance for the future. It is vital to understand that talent management is not a static process but an ongoing process. The acts of managing onboarding, recruitment, employment development—and all the steps in between form a part of Attracting and retaining talented employees. If the talent department of the organisation can efficiently manage all of these aspects, it can improve retention and make the company thrive.

It is safe to infer that in the next 5–10 years the prospects for the concept of talent management will change

drastically, for the most part because of the technological developments, availability and use of social media. Innovations in technology, like Taleo’s talent market and LinkedIn, can remarkably upgrade the ability of the organisations to find talent at a faster pace and throughout the entire world to match talent supply with demand more effectively.

References:-

1. Mamoria, Rao-”personnel management”Himalaya publishing house ,824-827
2. SudhaChundawat “Human resource management” RBD publishing house,1.2
3. Talent management: Current theories and future research directionsAuthor Akram Al Ariss a, Wayne F. Cascio , Jaap Paauwe, Journal of World Business Volume 49, Issue 2, April 2014, Pages 173-179
4. Talent management: a systematic review and future prospects, European J. International Management, Vol. 11, No. 1, 2017
5. K Aswathappa, ‘Human Resource management’, McGraw Hill, 313-314

Women Empowerment in India: Challenges and Future Prospects

Dr. Gouri Shanker Meena*

Abstract - Women empowerment means providing freedom or liberty to women to make decisions about themselves, their health, career, education, and, more importantly, their life and choices. Over the last few years, there has been an increasing awareness of this initiative at the individual and societal levels. Women empowerment in India faces various challenges despite progress. Gender-based discrimination, limited access to education, and unequal opportunities in the workforce persist. Social norms and stereotypes continue to restrict women's freedom, limiting their participation in decision-making processes. Violence against women, including domestic abuse and harassment, remains prevalent. Economic disparities and limited financial independence further undermine women's autonomy. However, there is hope for the future. Initiatives promoting education for girls, legal reforms, and awareness campaigns are making strides. Women in leadership roles, both in politics and corporate sectors, serve as inspirations, challenging traditional gender roles. The future prospects for women empowerment in India lie in sustained efforts to eradicate deep-rooted gender biases, promote inclusive policies, and ensure equal opportunities. Changing societal attitudes and fostering a culture of respect and equality are crucial for realizing the full potential of women in India.

Keywords: BBBP, Workforce Participation, Healthcare Access, Digital Literacy, Cultural Practices.

Introduction - Women's empowerment has emerged as a critical imperative for fostering inclusive and sustainable development, and nowhere is this more evident than in the complex and diverse landscape of India. Rooted in a rich historical tapestry, the status of women in India has witnessed transformative shifts, yet persistent challenges continue to impede their holistic empowerment. India, a country marked by its cultural diversity and dynamic societal fabric, presents a unique canvas for understanding the complexities of women's empowerment. From historical battles for gender equality to contemporary debates on access to education, economic opportunities, and healthcare, the journey of women in India reflects both progress and enduring struggles. In this context, it becomes imperative to assess the efficacy of existing initiatives and propose comprehensive strategies that can contribute to dismantling systemic barriers and fostering an environment conducive to women's empowerment.

Gender inequality is a universal fact of life. Women are systematically discriminated against the backdrop of patriarchal ideologies and values. The inequality and vulnerability of women in all sectors-economic, social, political, education, health care and nutrition, legal is evident. Rural women suffer from being both economically and socially 'invisible' despite their important and substantial economic roles. This is because of the perception that women are not relevant to the wage and market economy. Excessive workload, lack of proper nutrition and health care,

repeated pregnancies, poor education, lack of access to economic resources, deep-rooted social biases against them mark the lives of the majority of women, particularly the poor women. Women are exploited and discriminated in all spheres of life, and therefore they need to be empowered in all walks of life. The process of empowerment will imply transformation of gender relations within the family and the society. That is, equality of status and of opportunities of sexes need to be accepted and implemented in its entirety.

The term Women Empowerment is concerned with giving equal rights to women for their growth and development in society as given to men. In other words, it means giving women equality on all grounds of society. From decision-making processes to contribute to society's growth and development, women should be given equal and fair chances to prove their efficiencies. Article 15(3) of the constitution of India talks about the Welfare of women and children.

Women empowerment in India has made significant strides in recent years, yet it continues to face numerous challenges. One major obstacle is deeply rooted gender inequality, pervasive in various aspects of Indian society. Discrimination against women is reflected in limited access to education, healthcare, and economic opportunities. Despite efforts to promote education for girls, there are still regions where traditional norms prevail, impeding girls' enrollment and retention in schools. Violence against women

* Assistant Professor (Sociology) S. B. P. Govt. College, Dungarpur (Raj.) INDIA

remains a pressing concern. Incidents of domestic violence, sexual harassment, and dowry-related violence persist, reflecting societal attitudes that need to be challenged. The legal framework has evolved to address such issues, but the implementation and enforcement of laws are often inadequate.

Another challenge is the underrepresentation of women in leadership roles across sectors. While there has been progress, with more women entering the workforce, the glass ceiling still exists, limiting their ascent to managerial and decision-making positions. Societal expectations and biases often discourage women from pursuing careers or roles traditionally dominated by men. Despite these challenges, there are promising prospects for the future of women empowerment in India. Initiatives promoting financial inclusion, skill development, and entrepreneurship for women are gaining traction. The government's schemes like BetiBachao, BetiPadhao (BBBP) aim to address gender imbalances at the grassroots level. Furthermore, increasing awareness and advocacy, facilitated by social media and civil society organizations, are contributing to changing mindsets. The #MeToo movement, for instance, has empowered women to speak out against harassment, sparking conversations about consent and respect.

To enhance women empowerment, a comprehensive approach is required, encompassing legal reforms, educational interventions, and economic policies that promote gender equality. It is crucial to challenge cultural norms that perpetuate gender stereotypes and hinder women's progress. By fostering an environment that values and supports women's rights, India can look forward to a future where women have equal opportunities to thrive and contribute to all facets of society.

Socioeconomic Factors Impacting Women's Empowerment: The socioeconomic factors influencing women's empowerment are complex and interconnected, shaping the opportunities and challenges women face in various societies. Here's an exploration of some key socioeconomic factors impacting women's empowerment:

1. Education:

Access and Quality: Limited access to education, particularly in rural areas, can hinder women's empowerment. Additionally, disparities in the quality of education may contribute to unequal opportunities for women.

Early Marriage and Dropout Rates: High rates of early marriage and dropout among girls can restrict educational attainment, limiting women's ability to participate fully in economic and social activities.

2. Economic Opportunities:

Workforce Participation: The level of women's participation in the formal workforce is a crucial indicator of empowerment. Barriers such as gender stereotypes, wage gaps, and limited job opportunities can impede economic independence.

Entrepreneurship: Access to resources, capital, and

business networks significantly influences women's ability to engage in entrepreneurial activities, contributing to economic empowerment.

3. Health and Healthcare:

Reproductive Health: Limited access to reproductive health services and family planning can impact women's overall well-being and ability to make informed choices about their bodies and lives.

Healthcare Access: Disparities in healthcare access, particularly in rural areas, can affect women's productivity and overall empowerment. Maternal health is a critical dimension of this factor.

4. Legal and Policy Frameworks:

Legal Rights: Inequitable legal frameworks, including discriminatory inheritance laws and lack of protection against domestic violence, can hinder women's empowerment.

Policy Support: The presence or absence of supportive policies, such as maternity leave, childcare facilities, and anti-discrimination measures, can significantly influence women's ability to balance work and family responsibilities.

5. Social Norms and Gender Roles:

Cultural Practices: Societal expectations and cultural norms regarding women's roles may limit their choices and opportunities. Challenging and transforming these norms is crucial for empowerment.

Gender-based Violence: The prevalence of gender-based violence, including domestic violence and harassment, can create a hostile environment, restricting women's mobility and participation in public life.

6. Access to Technology:

Digital Divide: Limited access to technology, especially in rural areas, can create a digital divide, restricting women's access to information, education, and economic opportunities.

Digital Literacy: A lack of digital literacy skills may further exacerbate inequalities, limiting women's ability to leverage technology for empowerment.

Understanding these socioeconomic factors and their interplay is essential for developing effective strategies to promote women's empowerment. Addressing these challenges requires a comprehensive approach that combines policy interventions, community engagement, and efforts to shift cultural norms and perceptions.

Sociocultural influences: Sociocultural influences play a pivotal role in shaping the experiences and opportunities of individuals within a society. When examining women's empowerment, understanding how sociocultural factors impact women's lives is crucial. Here are some key sociocultural influences:

1. Traditional Norms and Gender Roles:

Expectations and Stereotypes: Societal expectations regarding women's roles and behavior can either empower or constrain women. Traditional gender norms may dictate specific roles for women, affecting their choices in education, career, and family life.

Cultural Practices: Cultural traditions and rituals may contribute to the perpetuation of gender inequalities. Practices such as dowry systems, female genital mutilation, or restrictions on mobility can limit women's autonomy.

2. Media Representation:

Portrayal in Media: The way women are portrayed in media, including television, film, and advertising, can reinforce or challenge societal norms. Positive and empowering portrayals can influence perceptions and contribute to changing cultural attitudes.

Body Image Standards: Media-driven beauty standards may impact women's self-esteem and confidence. Societal pressures related to appearance can affect choices and opportunities for women.

3. Religious Influences:

Interpretation of Religious Texts: Religious beliefs and interpretations can either support or challenge gender equality. In some cases, religious practices may contribute to the empowerment of women, while in others, they may reinforce traditional gender roles.

Religious Institutions: The role of religious institutions in shaping societal norms and values can impact women's empowerment. Advocacy for gender-inclusive interpretations and practices within religious settings can influence societal attitudes.

4. Community and Family Dynamics:

Community Support or Opposition: The level of support or opposition from the community can affect women's choices. Strong community ties can provide a support system for women pursuing empowerment, while negative community attitudes may create additional challenges.

Family Expectations: Family dynamics and expectations, including those related to marriage, child-rearing, and caregiving responsibilities, can shape women's decisions and opportunities.

5. Education and Awareness:

Role of Education: Educational institutions can either challenge or reinforce traditional gender roles. Providing education that challenges stereotypes and promotes critical thinking can contribute to women's empowerment.

Awareness Programs: Social awareness campaigns and programs can influence societal perceptions and attitudes. Initiatives that challenge discriminatory practices and promote gender equality can contribute to cultural shifts.

6. Social Movements:

Impact of Activism: Social movements advocating for women's rights and gender equality can significantly influence sociocultural norms. Movements that challenge discriminatory practices and call for legal reforms contribute to societal change.

Understanding and addressing these sociocultural influences is essential for fostering an environment conducive to women's empowerment. Efforts to challenge stereotypes, promote positive representations, and engage communities in conversations about gender equality can contribute to cultural shifts that support women's autonomy

and opportunities.

Case Studies and Success Stories: Examining case studies and success stories provides valuable insights into effective strategies and initiatives that have contributed to women's empowerment. Here are a few examples:

1. Self-Help Groups in India:

Context: Self-help groups (SHGs) have been instrumental in empowering women in rural India. These groups provide a platform for women to pool their resources, access microcredit, and engage in entrepreneurial activities.

Impact: Increased financial independence, improved decision-making power within households, and enhanced community support for women's initiatives.

2. Rural Women Entrepreneurship in Bangladesh - Grameen Bank:

Context: The Grameen Bank, founded by Muhammad Yunus, focuses on providing microcredit to rural women in Bangladesh. Women, often excluded from traditional banking, receive small loans to start businesses.

Impact: Significant improvements in income levels, enhanced business skills, and a positive impact on the overall well-being of women and their families.

3. Women's Political Empowerment in Rwanda:

Context: In post-genocide Rwanda, efforts were made to address gender disparities by increasing women's representation in political institutions. Rwanda now boasts one of the highest percentages of women in parliament globally.

Impact: Women's increased participation in decision-making processes, policies addressing gender-based violence, and improvements in social and economic indicators.

4. Education for Girls in Malala Yousafzai's Advocacy:

Context: Malala Yousafzai, a Nobel laureate, advocates for girls' education, especially in regions facing socio-political challenges like Pakistan and Afghanistan.

Impact: Increased global awareness about the importance of girls' education, policy changes, and the establishment of the Malala Fund to support educational initiatives for girls.

5. Tech Entrepreneurship in Africa - Women in Tech Ghana:

Context: Women in Tech Ghana is an organization promoting the participation of women in the technology sector. The initiative provides mentorship, training, and networking opportunities.

Impact: Increased representation of women in the tech industry, creation of a supportive community, and the development of successful tech startups led by women.

6. Microfinance Initiatives in Latin America - Pro Mujer:

Context: Pro Mujer is an organization working in Latin America, providing financial services, healthcare, and education to women in low-income communities.

Impact: Improved economic stability, increased access to healthcare, and enhanced social capital among women in the targeted communities.

These case studies illustrate the diverse approaches and positive outcomes associated with initiatives focused on women's empowerment. Analyzing these success stories can inform policymakers, NGOs, and community leaders about effective strategies that can be adapted to different cultural and contextual settings.

Challenges and Barriers: While progress has been made in the realm of women's empowerment, numerous challenges and barriers persist, hindering the full realization of gender equality. Here are some key challenges and barriers:

1. Gender-based Violence:

Forms: Physical, sexual, and psychological violence against women remains widespread globally, affecting their physical and mental well-being.

Impact: Fear of violence can limit women's mobility, participation in public life, and their ability to make independent choices.

2. Limited Educational Opportunities:

Access: In many regions, girls face barriers to accessing education, including cultural norms, economic constraints, and safety concerns during the commute to school.

Quality: Even when girls attend school, the quality of education may be lower, impacting their skill development and future opportunities.

3. Unequal Economic Opportunities:

Wage Gap: Disparities in wages between men and women persist, limiting women's economic independence.

Occupational Segregation: Women are often concentrated in low-paying and precarious jobs, limiting their career advancement.

4. Discriminatory Legal and Policy Frameworks:

Laws: Inequitable legal frameworks, such as discriminatory inheritance laws or lack of protection against domestic violence, can hinder women's rights.

Implementation: Even when progressive laws exist, challenges in implementation and enforcement may persist.

5. Sociocultural Norms and Expectations:

Traditional Gender Roles: Societal expectations regarding women's roles and behavior can restrict their choices in education, careers, and family life.

Stigma and Stereotypes: Cultural norms may perpetuate stereotypes that undermine women's abilities and limit their aspirations.

6. Health Disparities:

Reproductive Health: Limited access to reproductive health services and family planning can affect women's overall well-being and ability to make informed choices about their bodies and lives.

Maternal Mortality: High maternal mortality rates in some regions reflect inadequate access to quality healthcare during pregnancy and childbirth.

7. Lack of Representation in Decision-Making:

Political Representation: Women are often underrepresented in political and leadership positions, limiting their influence on policy decisions.

Corporate Leadership: Similar underrepresentation is observed in corporate boardrooms and executive positions.

8. Digital Gender Divide:

Access to Technology: Limited access to and proficiency in technology can create a digital gender divide, impacting women's ability to leverage digital tools for education, employment, and empowerment.

Online Harassment: Women may face online harassment, deterring their participation in digital spaces.

9. Intersectionality:

Marginalized Groups: Women belonging to marginalized groups, including those based on race, ethnicity, socioeconomic status, or disability, may face compounded challenges.

Lack of Inclusive Policies: Inadequate recognition and consideration of intersectional factors in policy and program development.

10. Lack of Supportive Networks:

Community and Family Opposition: Some women face opposition from their families or communities when pursuing education, careers, or initiatives that challenge traditional norms.

Isolation: Lack of support networks and mentorship can hinder women's professional and personal development. Understanding and addressing these challenges and barriers is essential for designing effective interventions and policies aimed at promoting women's empowerment globally. Collaborative efforts involving governments, NGOs, communities, and individuals are crucial for overcoming these obstacles and advancing gender equality.

Future Prospects and Recommendations: In envisioning the future prospects for women's empowerment, it is crucial to consider comprehensive strategies that address existing challenges. Here are future prospects and recommendations to foster women's empowerment:

1. Education for All:

Prospects: Ensure universal access to quality education for girls and women, with an emphasis on STEM (science, technology, engineering, and mathematics) fields.

Recommendations: Implement policies that eliminate barriers to girls' education, including addressing cultural norms, providing safe transportation, and improving the quality of educational institutions.

2. Economic Inclusion:

Prospects: Create an environment that promotes equal economic opportunities for women, addressing the wage gap, providing support for women entrepreneurs, and fostering career advancement.

Recommendations: Implement and enforce equal pay policies, offer financial literacy programs, and support initiatives that encourage women's entrepreneurship and leadership.

3. Health and Reproductive Rights:

Prospects: Improve access to reproductive healthcare services, including family planning, and work towards eliminating maternal mortality.

Recommendations: Invest in healthcare infrastructure, provide comprehensive sex education, and advocate for policies that ensure women's reproductive rights.

4. Legal and Policy Reforms:

Prospects: Advocate for and implement legal reforms that eliminate discriminatory practices and protect women's rights.

Recommendations: Strengthen enforcement mechanisms, raise awareness about existing legal rights, and work towards international cooperation to address global gender inequalities.

5. Cultural Shifts and Societal Norms:

Prospects: Foster cultural shifts that challenge traditional gender norms and promote gender equality.

Recommendations: Support awareness campaigns, engage community leaders, and leverage media for positive portrayals of women. Encourage inclusive and diverse representations in cultural and educational materials.

6. Political Participation:

Prospects: Increase women's representation in political leadership roles at local and national levels.

Recommendations: Implement gender quotas, mentorship programs, and initiatives that encourage women's active participation in political processes.

7. Technology and Digital Inclusion:

Prospects: Bridge the digital gender divide by ensuring women's access to and proficiency in technology.

Recommendations: Implement policies to enhance digital literacy, provide affordable access to technology, and address online harassment. Encourage women's participation in STEM fields and digital entrepreneurship.

8. Intersectionality:

Prospects: Recognize and address the unique challenges faced by women belonging to marginalized groups.

Recommendations: Develop inclusive policies that consider intersectional factors, promote diversity and inclusion in all sectors, and actively involve marginalized women in decision-making processes.

9. Supportive Networks:

Prospects: Establish networks that provide mentorship, support, and opportunities for women's professional and personal growth.

Recommendations: Encourage the creation of mentorship programs, networking events, and platforms that connect women across different sectors and industries.

10. Global Collaboration:

Prospects: Enhance international collaboration to address gender inequalities globally.

Recommendations: Foster partnerships between governments, NGOs, private sectors, and international organizations to share best practices, resources, and coordinate efforts to advance women's empowerment.

Envisioning a future with enhanced women's empowerment requires a holistic and collaborative approach. These recommendations aim to create an environment that not only addresses current challenges but

also establishes a foundation for sustained progress towards gender equality. The commitment of individuals, communities, and nations is essential for realizing these prospects and building a more equitable and empowered world for women.

Conclusion: In conclusion, the journey towards women's empowerment is both a reflection of progress made and an acknowledgment of the persistent challenges that require collective action. The multifaceted nature of women's empowerment demands a comprehensive approach that addresses socio-economic, cultural, and institutional barriers. As we look towards the future, the prospects for women's empowerment are promising, fueled by evolving societal norms, increased awareness, and a growing commitment to gender equality. The recommendations outlined earlier underscore the need for concerted efforts across various domains, ranging from education and economic inclusion to legal reforms, cultural shifts, and global collaboration.

Education stands as a cornerstone, offering not just knowledge but also the empowerment to challenge societal norms and contribute meaningfully to diverse fields. Economic inclusion, coupled with policies promoting equal opportunities, lays the foundation for women's financial independence and leadership. Health and reproductive rights become integral components, ensuring women have control over their bodies and well-being. As we move forward, it is imperative to view women's empowerment not as an isolated goal but as an integral aspect of building equitable and sustainable societies. The commitment of governments, civil society, the private sector, and individuals is vital for realizing the shared vision of a world where women are not just beneficiaries but active contributors and leaders.

References:-

1. A.R. Desai and A. Mohiuddin, (1992): Involving women in agriculture – Issues and strategies, India Journal of Rural Development, 11(5).
2. Hapke, Holly M. (1992) 'An Experiment in Empowerment' in Ranjana Kumari (ed) Women in Decision Making, Vikas, New Delhi.
3. Kabeer, N. (2001). "Reflections on the Measurement of Women's Empowerment." In *Discussing Women's Empowerment-Theory and Practice*. Sida Studies No. 3. Novum Grafiska AB: Stockholm.
4. Hall, C.M. (1992) *Women and Empowerment: Hemisphere Publishing Corporation, London.*
5. Sen, A. (2000). *Development as Freedom*. Oxford University Press: New Delhi.
6. Shettar R.M. (2015): A Study on Issues and Challenges of Women Empowerment in India. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM). Volume 17, Issue 4. Vol. I.
7. Suguna, M., (2011). Education and Women Empowerment in India. ZENITH: International Journal of

- Multidisciplinary Research, 1(8).
8. Times of India. (2010). Rajya Sabha passes Women's Reservation Bill. <http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/5663003.cms>
 9. Vinze, MedhaDubashi (1987) "Women Empowerment of Indian : A Socio Economic study of Delhi" Mittal Publications, Delhi.
 10. Kabeer, N. (2001). "Reflections on the
 11. Measurement of Women's Empowerment." In
 12. Discussing Women's Empowerment-Theory and
 13. Practice. Sida Studies No. 3. Novum
 14. Grafiska AB: Stockholm.

ब्रिटिश कालीन बुंदेलखण्ड की आधुनिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1761 से 1842 तक

डॉ. सुमन राठौड़*

शोध सारांश - वर्तमान की सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रसार किसी भी अंचल अथवा भू-भाग के अर्जन की कहानी कहता हुआ इतिहास बन जाता है। इस विस्तृत भू-भाग की भौगोलिक संरचना विविधताओं से परिपूर्ण है। इसी कड़ी के अंतर्गत बुंदेलखण्ड का इतिहास उसके सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विकास और अतीत के अर्जन की जीती-जागृति मिसाल है। इस गौरवमयी क्षेत्र बुंदेलखण्ड को भारत का हृदय प्रदेश होने का दर्जा प्राप्त है। यह भू-भाग उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के मध्य अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति चहुँओर से घिरे पर्वत प्राकृतिक जल संसाधन आदि के कारण विभिन्न कालों के शासकों, ऋषियों एवं व्यापारियों को अपने विशिष्ट अधिवास के लिए सदैव ही आकर्षित करता रहा है। बुंदेलखण्ड के विस्तृत भू-भाग पर विभिन्न कालों में अनेक राजवंशों ने शासन किया। भारत के जिस भू-भाग को आज बुंदेलखण्ड नाम से संबोधित किया जाता है, वह प्राचीनकाल से ही भ्रमणशील मानवों की क्रीडा स्थली रहा है। बाहर से आने वाली विदेशी जातियाँ इस क्षेत्रीय समाज से मिली और इसी में घुलनशील हो गईं। इस समन्वय ने सभ्यता एवं संस्कृति के इतिहासक्रम को गति दी। यहाँ के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान के क्षेत्र में प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है। प्रस्तुत शोध पत्र ब्रिटिश काल में 1761 से 1842 के मध्य हुए विद्रोह एवं उनका दमन हेतु ब्रिटिशों द्वारा किए गए प्रयास तथा 1857 के विद्रोह हेतु निर्मित पृष्ठभूमि का वर्णन किया है।

प्रस्तावना - 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मराठे ही भारतीय राजनीतिक मंच पर छाये रहे। अंग्रेजों के अधिग्रहण से पूर्व बुंदेलखण्ड मुख्य रूप से मराठे और द्वितीय रूप से बुंदेलो द्वारा संचालित होता था। मराठों के लिए मालवा और बुंदेलखण्ड क्षेत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि ऐसा करने से उनके लिए मालवा से राजपूताना और बुंदेलखण्ड से आगरा दिल्ली तक का रास्ता, खुल जाता था। दूसरा मार्ग इलाहाबाद और आगरा के सूबे उनके लिए खोलकर दिल्ली और दोआब तक का मार्ग प्रशस्त करता था, वह बुंदेलखण्ड से होकर ही था।

इसीलिए बुंदेलखण्ड इस दशक में मराठों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो उठा था।¹ इस समय बुंदेलखण्ड की स्थिति अस्थिर थी, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय बुंदेला राजाओं के कलह व आपसी झगड़ें चलते रहते थे। शुरुआती दौर में तो छत्रसाल के वंशजों के मराठों के साथ अच्छे संबंध रहे, परंतु कालांतर में मुगल मराठा युद्ध में उन्हें घसीटा जाना अखरने लगा। इधर सन् 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध जो मराठों और अफगान अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ। उसमें सेनापति विश्वासराव एवं भाउ साहब सहित अनेक सुयोग्य मराठा सरदार रणक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में मराठा दल का हाल पेशवा के एक पत्र के रूप में इस तरह स्पष्ट हुआ। **‘दो मोती गल गए हैं, 25 सोने की मोहरें खो गयी हैं, तथा चाँदी और ताँबे की तो कोई गिनती नहीं हो सकती।’**² अपने पुत्र की मृत्यु एवं अपनी विशाल सेना के सर्वनाश से पेशवा बालाजी बाजीराव की सदर्मे से मृत्यु हो गई। इस युद्ध में गोविंदपंत बुंदेला और मस्तानी बाजीराव के पुत्र भी रणक्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसी दौरान भारत में फ्रांसीसियों को अंग्रेजो ने तृतीय कर्नाटक युद्ध में परास्त करके अपनी दावेदारी भारत में बना ली थी। भारत में अपनी दावेदारी को बढ़ाते हुए अंग्रेजो ने प्लासी युद्ध 1757 और बक्सर युद्ध 1764 में जीत कर बंगाल, बिहार और उड़ीसा को सीधे अपने प्रभाव में ले लिया।

मराठों के इस कठिन दौर में पूना दरबार में नाना फड़नवीस की मृत्यु ने अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। इस समय दौलतराव सिंधिया और बाजीराव की नीतियों ने मराठा संघ की फूट को उजागर कर दिया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय का पेशवा बनाने का लालच देकर 1802 में उससे बेसीन की संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए।³ इस संधि के कारण मराठा संघ औपचारिक रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। इस संधि के कारण द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ई. में अवश्यंभावी हो गया। इस युद्ध में वेलेजली को कई भारतीय शासकों जैसे अवध, मैसूर, निजाम और बड़ौदा से सहयोग प्राप्त हुआ, वही मराठों को किसी भारतीय शासक ने सहयोग नहीं दिया। दूसरा मराठा संघ की फूट जिसमें सिंधिया और होल्कर प्रमुख थे वह मराठों को ग्रह युद्ध की कगार पर ले गये। बेसिन की संधि से त्रस्त होकर पेशवा बाजीराव भी मुक्त होने का रास्ता ढूँढ रहा था। इन परिस्थितियों के चलते युद्ध प्रारंभ हो गया। वेलेजली ने 1803 में अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। इसके बाद बुरहानपुर, असीरगढ़ और ग्वालियर के किले भी प्राप्त कर लिए। अंग्रेजों ने भोंसले के कटक तथा सिंधिया से बुंदेलखंड तथा गुजरात के प्रदेश भी प्राप्त कर लिए। युद्ध के परिणामस्वरूप भोंसले से अंग्रेजो ने 1803 में देवगाँव की संधि की। इसके बाद 1803 में ही सिंधिया ने सुरजी अर्जुनगाँव की संधि कर ली। द्वितीय आंग्ल युद्ध दुरगामी परिणामों वाला हुआ। अब मराठा संघ अंग्रेजों की कूटनीति के कारण नष्ट हो गया। अंग्रेजी नियंत्रण होने से पेशवा और मुगल सम्राट आश्रित बन कर रह गए। मराठा शक्ति की आश्रित स्थिति को दूर करने के लिए एक बार फिर से पेशवा ने मराठा संघ को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। अप्पा साहब ने भोंसले राज्य के शासन की बागडोर संभालते समय से ही अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने तथा मराठा साम्राज्य की मान प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिये मराठा शासकों के साथ गुप्त संपर्क

* व्याख्याता (इतिहास) राजकीय कन्या महाविद्यालय, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर (राज.) भारत

बनाए रखा। उन्होंने इस हेतु खासकर पेशवा से पत्र व्यवहार किया। पेशवा और अप्पा साहब ने अंग्रेजों पर गुप्त रूप से धावा बोलने की योजना बनाई⁴ परंतु फरवरी 1818 की अष्टी की लड़ाई में बाजीराव द्वितीय की निर्णायक पराजय हुई, लेकिन उसने समर्पण जुन 1818 में ही किया। उनके भू-भाग को अंग्रेजी नियंत्रण में लिया गया।

अप्पा साहब को भी 1817 ई को अंग्रेजों ने सीताबर्डी की लड़ाई में पराजय कर दिया⁵ इस तरह तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध सन् 1818 ई. में समाप्त हो गया। सागर के विनायक राव चांदोकर ने भौंसले और पिण्डारियों को सहायता दी थी, इसलिए अंग्रेजों ने उनका राज छिन लिया। सागर का धामोनी परगना भी भौंसले से अधिग्रहित कर लिया गया। युद्धोपरांत अंग्रेजों ने सिंधिया के अधिकार क्षेत्र में रहे गढ़ाकोटा, मालधौन, देवरी, गौरझामर, नाहरमउ आदि प्रदेश 1821 ई. तक पूर्णतया प्राप्त कर लिए कंपनी सरकार ने मराठा आतंक से परेशान बुंदेलखण्ड के अन्य राज्यों को भी सुरक्षा की गारंटी देकर उनसे संधि या समझौता कराके सनद के माध्यम से अधीन वफादार राज्य बनाया। बुंदेलखण्ड के तीन प्रमुख राज्यों में ओरछा, दतिया तथा समथर को समानता तथा मैत्री का दर्जा देकर संधि राज्य बनाया। इसके अतिरिक्त 27 अन्य छोटी रिसासतों को सनद राज्य बनाया गया। इन सनद राज्यों में थे - पन्ना, चरखारी, अजयगढ़, बिजाबर, छतरपुर, बावनी, बरौधा, अलीपुर, बंका पहाड़ी, बेरी, भैसुण्डा, बीहट, बिजना, धुरवई, गरोली, जर्सौ, जिगनी, कामता-रजौली, खनियाधाना, लुगासी, नेगवां, रिबई, पहरा, पालदेव, सरीला, तरौन, तोडीफतेहपुर⁶ इन राज्यों से समन्वय के लिये 1843 ई. में कंपनी ने नौगाँव में सैन्य छावनी का ऐजेंट पॉलीटिकल ऐजेन्ट कहलाता था। अंग्रेजों के इस प्रशासन को प्रारंभिक दौर में स्थानीय शासकों व आम जनता द्वारा सराहा भी गया, क्योंकि पतनशील मराठा शासकों के कुशासन तथा इसके कारण पिण्डारियों द्वारा की जा रही लूटपाट के चलते असुरक्षा के दौर में उन्हें अंग्रेजों द्वारा जानमाल की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी।⁷ लेकिन कालांतर में भारतीय शासकों व जनमानस को अंग्रेजों का यह भ्रमजाल थोड़े समय में ही उनके द्वारा की जा रही ज्यादतियों, अनिश्चित कराधान व मनमानी के रूप में प्रकट हो गया। प्रशासनिक दृष्टि से 1818 और 1842 के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किये।

बुंदेला विद्रोह के पीछे अनेक सशक्त राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, भौगोलिक, कारण विद्यमान थे। इनमें पहले कारण के अंतर्गत भू-स्वामियों व मालगुजारों से राजनीतिक सत्ता का अधिग्रहण कर लेना था। अपने अधिकारों का इस तरह से छिन जाना इन उच्चवर्गीय लोगों के लिए असहनीय हो गया। इसके अलावा अंग्रेजी शासन ने सत्ता संभालने के उपरांत से ही अधिक से अधिक राजस्व किस तरह वसूला जाए इस पर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया था। जबकि उस परिस्थिति में सरकार का दायित्व राजस्व आंकलन के साथ किसान कल्याण की तरफ ध्यान देना भी था। पर सरकार ने इन बातों की सदैव अनदेखी की। ब्रिटिश भू-राजस्व नीति के विषय में स्लीमेन में कहा कि आकलन दो कारणों से बहुत अधिक रहे। प्रथम ब्रिटिश प्रशासन ने कृषि उत्पादों की माँग में अत्यधिक कमी पर विचार नहीं किया। दूसरा कारण यह था कि सरकार ने यह मान लिया कि किसी संपत्ति की कुछ लगानों की राशि जोखिम और प्रबंधन की लागत की पूर्ति पर्याप्त होगी और सरकार को जमींदारों के पास इससे ज्यादा राशि छोड़ने की जरूरत नहीं है।⁸ 1836 में सदर बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने निर्देश दिया कि जहाँ खेत दो या इससे अधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप से पट्टे पर दिया गया हो, ऐसी स्थिति में एक

की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारियों को जीवित भागीदारी की सहमति के बिना उस खेत में भागीदारी होने का अधिकार नहीं माना जाए। बोर्ड निर्देश का अधिकारियों ने गलत अर्थ लगा लिया और प्रत्येक जिले में वंशानुगत स्वामियों के उत्तराधिकारी अपनी संपत्ति से वंचित हो गए इससे भी हर जगह सरकार के विरुद्ध बहुत गहरी कड़वाहट पैदा हो गई।⁹ सदर बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने यह भी निर्देश दिया कि खेत पट्टे पर दिये जाने वाले सभी मामलों में यह शर्त जोड़ दी जाए कि पट्टेदार अपनी जमीन शिकमी न दे वरना पट्टा रद्द कर दिया जाएगा। प्रत्येक जिले में अनेक भू-धारकों को उनकी जमीन से वंचित किया गया। जिन्होंने जमीन को उस व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया था। जिसने सिर्फ स्वामी बनने के उद्देश्य से जमीन में ली थी इन सब निर्देशनों का किसान और भूपतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और यह असंतोष का कारण बना।

आरंभ में इस अंचल का प्रशासन सफल न हुआ। ब्रिटिश प्रशासकों ने यहाँ भी वही गलती दोहराई जो उन्होंने मद्रास तथा अन्य स्थानों पर की थी। उन्होंने जमीन का मूल्यांकन बहुत बढ़ा-चढ़ा कर किया। असंभव राजस्व की मांग की, लोगों को गरीब बना दिया और इस अंचल की उन्नति रोक दी बाद में जब यह गलती पकड़ी गई तो इसकी निंदा कड़े शब्दों में की गई। इन सभी के अतिरिक्त एक और सबसे बड़ा कारण था कि उस समय ब्रिटिश सेना अफगानिस्तान युद्ध में व्यस्त थी तथा उसे हार का सामना करना पड़ रहा था। अतः सागर नर्मदा क्षेत्र के लोगों को अंग्रेजों के पास सेना की कमी का अहसास हो चला था और उनमें निडरता आने लगी थी। इसी संदर्भ में मेजर डबल्यु एच स्लीमेन ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी दी कि सैनिकों की कमी से असंतुष्ट और आक्रोशित लोगों में एक आम धारणा बन गई कि हमारे पास उन्हें दबाने के साधन नहीं हैं और हमें मजबूरन कमजोर सरकार की तरह उन्हें उनकी संपत्ति तथा गलत तरीके से अर्जित धन वापस देना होगा।¹⁰ इस भावना ने भी विद्रोह को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। इस विद्रोह का आरंभ 1842 में हुआ। अंग्रेजों द्वारा जारी इस व्यवस्था का विरोध सागर के उत्तर में स्थित चंद्रपुरा के ठाकुर जवाहर सिंह तथा नरहट के ठाकुर मधुकर शाह व गणेशजू ने किया।¹¹ रावविजय बहादुर के पुत्र मधुकरशाह व गणेशजू सरकार से नाराज थे। क्योंकि सरकार ने उनकी संपत्ति दो बार कुर्क कर ली थी और सरकार के चपरासी ने उनसे अपमानजनक व असभ्य व्यवहार किया था। सरकार के इस रवैये का उन ठाकुरों पर विपरीत प्रभाव पड़ा और वे बागी हो गए।

इस विद्रोह की शुरुआत चंद्रपुरा के ठाकुर जवाहरसिंह और नरहट के मधुकरशाह ने करते हुए दोनों ठाकुरों ने सरकार के आदेश की अवहेलना की और पुलिस पर हमला कर कुछ पुलिस वालों को मार डाला। इसके बाद इन्होंने पुलिस चौकियों पर धावा बोला और खिमलासा, खुरई, नरियावली, अमोनी और सागर शहर में लूटपाट की।¹² विद्रोह गति पकड़ता गया। यह विद्रोह नरसिंहपुर में काफी सफल रहा। नरसिंहपुर के गौड़ सरदार डिल्लन शाह ने विद्रोह कर देवरी और उसके आस-पास के अंचल तथा नरसिंहपुर के चावर-पाठा अंचल को लूट लिया।¹³ सागर और नरसिंहपुर के उपरांत इस विद्रोह की ज्वाला जबलपुर में भी भड़क उठी। जबलपुर में इस समय विद्रोह के प्रमुख नेता हिरदेशाह थे। हिरदेशाह तथा उसके समर्थकों के साथ गजराज सिंह ने गंजपुरा की चौकी पर हमला कर दिया। इस तरह रास्ते में आने वाले सभी सरकारी महकमों, चौकियों का सफाया करते हुए विद्रोही तेजगढ़ तक पहुँच गए।¹⁴ इन विद्रोहियों को पकड़ने में लगातार ब्रिटिश कोशिशें नाकामयाब हो रही थी, क्योंकि विद्रोहियों का साथ आम जनता भी

दे रही थी। ब्रिटिश कोशिशों को नाकामयाब करते हुए विद्रोही हिरदेशाह बचते-बचाते बुंदेलखण्ड के जैतपुर आ गए जहाँ आने का आमंत्रण उन्हें पूर्व राजा परिक्षित ने दिया था।¹⁵

रारतें में शाहगढ़ के गढ़ार राजा की मदद से कर्नल ऐली ने राजा हिरदेशाह को सपरिवार 22 दिसंबर 1842 को गिरफ्तार कर लिया।¹⁶

हिरदेशाह का इस तरह पकड़ा जाना अन्य विद्रोही नेताओं के लिए बड़ा आघात साबित हुआ जिससे आंदोलनकारियों का मनोबल गिरने लगा। 1843 में मदनपुरा के ठाकुर डिल्लनशाह और धलवाडा के ठाकुर नरवरसिंह ने भी आत्म समर्पण कर दिया। इससे प्रेरित होकर 1843 में ही चंद्रपुरा के दिवान जवाहरसिंह ने भी आत्म समर्पण कर दिया। आगे जाकर 1844 में आगे जाकर 1844 में आंदोलन के प्रमुख नेता मधुकरशाह को बानपुर के ठाकुर मर्दनसिंह ने पकड़वा दिया।¹⁷ सरकार ने मधुकरशाह को फांसी दे दी। फांसी के बाद उसका शव सागर जेल के पीछे जलाया गया।¹⁸ उनकी स्मृति में वहाँ एक चबुतरा बनाया गया, यहाँ पर उनके नाम से एक वार्ड मधुकरशाह वार्ड बनाया गया है। यहाँ उसकी पुजा अब भी होती है और गोपाल गंज मोहल्ले के निवासी उसकी सुरक्षा करते हैं। मधुकरशाह के उपरांत उनके भाई गणेशजू ने भी समर्पण कर दिया। इस तरह सरकार ने कुटनीतिज्ञता व दमन चक्र के द्वारा कुछ नेताओं को या तो पकड़ लिया या कुछ ने स्वयं ने ही समर्पण कर लिया। 1845 के आते-आते अन्य विद्रोही नेताओं को सजा दी गई या उन्हें माफ कर दिया गया। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में तो ले लिया, परंतु इस विद्रोह का परिणाम क्या रहा ? यह ध्यान देने योग्य है।

इस प्रकार सरकारी दमन व चतुराई से 1842 के विद्रोह चिंगारी ही बन कर रह गया, लेकिन यह चिंगारी बहुत दिनों तक दबी नहीं रही, और भारतीय असंतोष और स्वाभिमान 15 वर्षों के अल्प विराम के बाद 1857 की ज्वाला के रूप में भड़क उठा जो आने वाली क्रांति का आगाज बना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गुप्त भगवानदास, झाँसी राज्य का इतिहास और संस्कृति, पृ. संख्या 21

2. सर देसाई गोविंद, मराठों का नवीन इतिहास, द्वितीय खण्ड पृ. संख्या 425
3. पट्टैया शिवअनुराग, बुंदेलखण्ड, पृ. संख्या 80
4. मिश्र द्वारका प्रसाद, मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, स्वराज संस्थान, संचालनालय, 2002 पृ. संख्या 6-7
5. मुखारया पी.एस, 1857 के क्रांति सागर और नर्मदा क्षेत्र, स्वराज संस्थान संचालनालय, 2008, पृ. संख्या 04
6. गुप्त अयोध्याप्रसाद, बुंदेलखण्ड की ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि मध्यप्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद् भोपाल, 2001 पृ. संख्या 12
7. त्रिपाठी काशीप्रसाद, बुंदेलखण्ड का बृहद इतिहास (राजतंत्र से जनतंत्र), समय प्रकाशन नईदिल्ली, पृ. संख्या 27
8. मिश्रा जप्रकाश, बुंदेला विद्रोह, स्वराज संस्थान संचालनालय, 2008, पृ. संख्या 78
9. वही
10. मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, जबलपुर, पृ. संख्या 66
11. मिश्र द्वारका प्रसाद, मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, स्वराज संस्थान, संचालनालय, 2002 पृ. संख्या 6-7
12. मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, सागर, 1970 पृ. संख्या 66
13. मिश्र द्वारका प्रसाद, मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, स्वराज संस्थान, संचालनालय, 2002 पृ. संख्या 37
14. मिश्रा जयप्रकाश, बुंदेला विद्रोह, स्वराज संस्थान संचालनालय, 2008, पृ. संख्या 130
15. वही
16. मिश्र द्वारका प्रसाद, मध्यप्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास, स्वराज संस्थान, संचालनालय, 2002 पृ. संख्या 43
17. मुखारया पी.एस, 1857 की क्रांति सागर और नर्मदा क्षेत्र, स्वराज संस्थान संचालनालय, 2008 पृ. संख्या 43-44
18. मध्यप्रदेश डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, सागर, 1970 पृ. संख्या 66

Knowledge Management 2.0: Charting the Future Frontier

Dr. Shweta Tiwari*

Abstract - This article explores how knowledge management will develop in the future, speculating on how methods and tools may change in the digital age. It examines the idea of Knowledge Management 2.0 and its possible ramifications for businesses with an optimistic viewpoint. The research looks at how new developments in artificial intelligence, machine learning, big data analytics, and knowledge graphs are changing the ways that knowledge is created, shared, and used. It also looks at how virtual reality, collaboration tools, and social media platforms might promote innovation and information sharing. The problems and possibilities brought forth by this paradigm change are also covered in the report, including concerns about cybersecurity, information overload, and worker adaption. This report seeks to provide insights on the trajectory of knowledge management in the future.

Keywords: Knowledge Management, Future Trends, Knowledge Management 2.0, Digital Era, Artificial Intelligence.

Introduction - The rapid evolution of digital technologies and the increasing complexity of the global business landscape have necessitated a paradigm shift in the way organizations manage knowledge. Traditional knowledge management (KM) practices, often characterized by top-down approaches and centralized repositories, have proven inadequate to meet the demands of the 21st century. Knowledge Management 2.0 (KM 2.0) emerges as a transformative approach that leverages the power of Web 2.0 technologies and social collaboration to unlock the collective intelligence of organizations.

KM 2.0 is not merely a technological advancement but a cultural shift that prioritizes the active participation of employees in creating, sharing, and utilizing knowledge. By breaking down silos, fostering a culture of innovation, and leveraging the potential of emerging technologies, KM 2.0 empowers organizations to adapt to change, make informed decisions, and drive sustainable growth.

This paper delves into the core principles, benefits, challenges, and best practices of KM 2.0. We explore the role of social media, artificial intelligence, and other cutting-edge technologies in shaping the future of knowledge management. Through a comprehensive literature review and real-world case studies, we aim to provide valuable insights into how organizations can effectively implement KM 2.0 and realize its full potential.

By understanding the key concepts and strategies outlined in this paper, organizations can embark on a journey towards a more knowledge-driven and innovative future.

Literature Review

The concept of Knowledge Management (KM) has evolved

significantly over the past few decades. Traditional KM approaches often focused on capturing and storing explicit knowledge in centralized repositories. However, with the advent of digital technologies and the rise of the knowledge economy, the emphasis has shifted towards managing tacit knowledge and fostering social collaboration.

Nonaka and Takeuchi's SECI model (Nonaka & Takeuchi, 1995) is a cornerstone of KM theory, highlighting the importance of tacit knowledge and its conversion into explicit knowledge through social interaction. Wiig and Coombs' KM Cycle (Wiig & Coombs, 1993) emphasizes the cyclical nature of KM, including creating, capturing, storing, sharing, and using knowledge.

KM 2.0, a more recent evolution, leverages the power of Web 2.0 technologies to create dynamic and collaborative knowledge environments. It encourages user-generated content, social networking, and collective intelligence. By breaking down silos and fostering a culture of knowledge sharing, KM 2.0 enables organizations to tap into the collective wisdom of their employees and drive innovation. Several studies have explored the benefits of KM 2.0. For instance, Davenport and Prusak (1998) have shown that effective KM can lead to improved decision-making, increased innovation, and enhanced organizational performance. Similarly, Alavi and Leidner (2001) have emphasized the role of KM in fostering organizational learning and adaptability.

However, implementing KM 2.0 also presents challenges. Information overload, data quality issues, and cultural resistance can hinder the successful adoption of KM initiatives. To overcome these challenges, organizations need to develop clear KM strategies, invest in technology

*Assistant Professor, Maharaja Agrasen International College, Raipur (CG) INDIA

infrastructure, and foster a supportive organizational culture. As technology continues to advance, the future of KM 2.0 is promising. The integration of artificial intelligence, machine learning, and blockchain technology offers new opportunities to automate knowledge processes, enhance knowledge discovery, and ensure the security and privacy of knowledge assets.

Knowledge Management 2.0: A Paradigm Shift

Knowledge Management 2.0 (KM 2.0) represents a significant evolution from traditional KM practices. While the latter often focused on capturing and storing explicit knowledge in centralized repositories, KM 2.0 emphasizes the dynamic and social nature of knowledge. It leverages the power of Web 2.0 technologies to foster collaboration, innovation, and continuous learning within organizations. A cornerstone of KM 2.0 is the concept of social collaboration. By encouraging employees to connect, share ideas, and work together, organizations can tap into the collective intelligence of their workforce. Social networking platforms, online forums, and communities of practice play a crucial role in facilitating these interactions. Moreover, the emergence of user-generated content empowers employees to create and share knowledge in various formats, such as blogs, wikis, and videos.

KM 2.0 is deeply intertwined with technology. The adoption of social media platforms, cloud-based tools, and AI-powered search engines has revolutionized the way knowledge is accessed, shared, and utilized. These technologies enable organizations to break down silos, facilitate remote collaboration, and accelerate knowledge transfer.

The theoretical foundations of KM 2.0 draw from various disciplines. Social Constructionism emphasizes the social nature of knowledge creation, highlighting the importance of interaction and shared understanding. Communities of Practice theory underscores the value of informal learning groups, while Distributed Cognition recognizes the distributed nature of knowledge within organizations. Organizational Learning Theory focuses on how organizations learn and adapt, and Information Theory provides insights into the nature and transmission of information.

By embracing KM 2.0, organizations can reap numerous benefits. Improved decision-making, accelerated innovation, enhanced organizational learning, and a stronger organizational culture are just a few examples. Moreover, KM 2.0 can help organizations reduce knowledge silos, increase agility, and improve customer experience. However, implementing KM 2.0 is not without challenges. Information overload, data quality issues, and cultural resistance can hinder the successful adoption of KM initiatives. To overcome these obstacles, organizations need to develop clear KM strategies, invest in technology infrastructure, and foster a supportive organizational culture. As technology continues to advance, the future of KM 2.0 is promising. The integration of artificial intelligence,

machine learning, and blockchain technology offers new opportunities to automate knowledge processes, enhance knowledge discovery, and ensure the security and privacy of knowledge assets. By embracing these emerging technologies, organizations can further optimize their KM practices and achieve even greater results.

Key Characteristics of KM 2.0

- 1. Social Collaboration:** KM 2.0 fosters collaboration and knowledge sharing through social networks, forums, and communities of practice. It encourages employees to connect, discuss, and learn from each other.
- 2. User-Generated Content:** KM 2.0 empowers employees to create and share knowledge in various formats, such as blogs, wikis, and videos. This democratizes knowledge creation and encourages a bottom-up approach to knowledge management.
- 3. Collective Intelligence:** KM 2.0 leverages the collective wisdom of the organization by harnessing the combined knowledge and expertise of its employees. This leads to innovative solutions, improved decision-making, and accelerated problem-solving.
- 4. Agile and Adaptive:** KM 2.0 embraces a flexible and iterative approach to knowledge management. It recognizes that knowledge is constantly evolving and adapts to changing organizational needs and priorities.
- 5. Technology-Enabled:** KM 2.0 relies on technology to facilitate knowledge sharing and collaboration. Social media platforms, cloud-based tools, and AI-powered search engines are essential components of KM 2.0.
- 6. Knowledge Democratization:** KM 2.0 breaks down silos and ensures that knowledge is accessible to all employees, regardless of their role or location. This empowers employees to make informed decisions and contribute to the organization's success.
- 7. Continuous Learning:** KM 2.0 fosters a culture of continuous learning and improvement. By sharing knowledge and experiences, employees can develop new skills and stay up-to-date with industry trends.
- 8. Measurable Impact:** KM 2.0 emphasizes the importance of measuring the impact of knowledge management initiatives. Key performance indicators (KPIs) can be used to track the effectiveness of KM 2.0 programs and identify areas for improvement.

Benefits of KM 2.0

Here are 6 key benefits of Knowledge Management 2.0:

- 1. Enhanced Innovation:** KM 2.0 fosters a culture of innovation by encouraging the sharing of ideas, experiences, and best practices. This leads to the development of new products, services, and processes.
- 2. Improved Decision-Making:** By providing easy access to relevant knowledge and expertise, KM 2.0 enables employees to make informed decisions quickly and confidently.
- 3. Accelerated Organizational Learning:** KM 2.0 promotes a culture of continuous learning and adaptation. By sharing knowledge and experiences, employees can

develop new skills and stay up-to-date with industry trends.

4. Stronger Organizational Culture: KM 2.0 fosters a positive and collaborative work environment. By encouraging knowledge sharing and teamwork, it strengthens employee relationships and enhances organizational culture.

5. Reduced Knowledge Silos: KM 2.0 breaks down silos between departments and teams, facilitating cross-functional collaboration and knowledge sharing. This leads to increased efficiency and innovation.

6. Increased Organizational Agility: KM 2.0 enables organizations to respond quickly to changes in the market and adapt to new challenges. By leveraging the collective knowledge of the organization, businesses can become more agile and competitive.

Social Constructivism and KM 2.0

Social Constructivism, a theoretical framework that emphasizes the social nature of knowledge creation, aligns seamlessly with the principles of KM 2.0. This perspective posits that knowledge is not merely an objective reality but is constructed through social interaction and shared understanding. In the context of KM 2.0, this implies that knowledge is actively created, interpreted, and transformed through collaborative processes.

Social Constructivism underscores the importance of communities of practice, where individuals with shared interests and expertise come together to learn from each other. These communities provide a fertile ground for knowledge sharing, co-creation, and innovation. KM 2.0 facilitates the formation and growth of such communities by leveraging digital technologies to connect individuals across geographical boundaries.

By encouraging social interaction and knowledge sharing, KM 2.0 promotes a culture of collective intelligence. Employees are empowered to contribute their expertise, challenge assumptions, and generate new ideas. This collaborative approach leads to the emergence of shared understandings and innovative solutions.

Furthermore, Social Constructivism highlights the role of language and discourse in shaping knowledge. In KM 2.0, effective communication and knowledge articulation are essential for knowledge transfer and organizational learning. By providing a platform for knowledge sharing, KM 2.0 facilitates the development of a shared organizational language and a common understanding of key concepts and practices.

Moreover, Social Constructivism emphasizes the importance of context in shaping knowledge. KM 2.0 recognizes that knowledge is context-specific and may vary across different organizational units or departments. By fostering a culture of knowledge sharing, KM 2.0 enables employees to access and apply knowledge relevant to their specific context.

In conclusion, Social Constructivism provides a powerful theoretical foundation for KM 2.0. By emphasizing the social nature of knowledge creation, the importance of

communities of practice, and the role of language and context, this perspective helps organizations to harness the collective intelligence of their employees, drive innovation, and achieve sustainable competitive advantage.

Enabling Technologies for KM 2.0

KM 2.0 is heavily reliant on a diverse array of technologies to facilitate knowledge sharing, collaboration, and innovation. Social media platforms, such as LinkedIn, Twitter, and Facebook, can be leveraged to connect employees, share knowledge, and foster a sense of community. Enterprise social networks, designed specifically for organizations, provide a secure and private space for employees to collaborate, share knowledge, and discuss work-related topics.

Knowledge Management Systems (KMS) play a critical role in capturing, storing, and managing knowledge. These software applications often include features like document management, search capabilities, and collaboration tools. Cloud computing offers flexible and scalable access to knowledge resources, enabling remote collaboration, real-time document sharing, and easy access to information from anywhere.

Artificial Intelligence (AI) is revolutionizing KM 2.0 by automating knowledge capture, analysis, and dissemination. AI-powered search engines can help employees quickly find the information they need, while AI-powered chatbots can answer questions and provide support. Machine learning algorithms can analyze large volumes of data to identify patterns and insights, enabling organizations to identify knowledge gaps, predict future trends, and optimize knowledge management processes. Virtual and Augmented Reality technologies offer immersive learning experiences, simulating real-world scenarios and facilitating remote collaboration. By leveraging these technologies, organizations can enhance the efficiency, effectiveness, and impact of their KM 2.0 initiatives.



KM 2.0 leverages a variety of technologies to foster collaboration, innovation, and knowledge sharing.

- 1. Social Media Platforms:** Platforms like LinkedIn, Twitter, and Facebook connect employees, enabling knowledge sharing and community building.
- 2. Enterprise Social Networks:** These platforms provide

secure, private spaces for collaboration, knowledge sharing, and discussions.

3. Knowledge Management Systems (KMS): KMS capture, store, and manage knowledge, often including document management, search capabilities, and collaboration tools.

4. Cloud Computing: Cloud-based solutions offer flexible and scalable access to knowledge resources, enabling remote collaboration and easy information access.

5. Artificial Intelligence (AI): AI-powered tools automate knowledge capture, analysis, and dissemination. AI-powered search engines and chatbots enhance information access and support.

6. Machine Learning: Machine learning algorithms analyze data to identify patterns and insights, optimizing knowledge management processes.

7. Virtual and Augmented Reality: These technologies create immersive learning experiences and facilitate remote collaboration.

Key Trends in KM 2.0

Knowledge Management 2.0 is continually evolving, driven by technological advancements and changing organizational needs. Here are some key trends shaping the future of KM:

1. AI and Machine Learning:

- **Automated Knowledge Capture:** AI-powered tools can automatically extract and categorize knowledge from various sources, such as emails, documents, and social media.

- **Intelligent Search:** AI-driven search engines can understand the context of queries and deliver more relevant results.

- **Predictive Analytics:** By analyzing historical data, AI can predict future knowledge needs and proactively provide relevant information.

2. Blockchain Technology:

- **Secure and Transparent Knowledge Sharing:** Blockchain can ensure the security, integrity, and provenance of knowledge assets.

- **Decentralized Knowledge Management:** By eliminating intermediaries, blockchain can empower individuals to directly share and access knowledge.

3. Internet of Things (IoT):

- **Real-time Knowledge Capture:** IoT devices can capture and share real-time data, providing valuable insights into organizational processes.

- **Contextual Knowledge:** IoT devices can provide context-specific knowledge, enabling employees to make informed decisions.

4. Virtual and Augmented Reality:

- **Immersive Learning Experiences:** VR and AR can create immersive learning environments, enhancing knowledge retention and transfer.

- **Remote Collaboration:** These technologies can facilitate remote collaboration by enabling virtual meetings and shared experiences.

5. Ethical Considerations:

- **Data Privacy and Security:** Organizations must prioritize data privacy and security to protect sensitive knowledge assets.

- **Bias and Fairness:** AI algorithms should be designed to avoid bias and ensure fairness in knowledge management practices.

Challenges in Implementing KM 2.0

- **Cultural Resistance:** Overcoming resistance to change and fostering a knowledge-sharing culture.

- **Information Overload:** Managing the sheer volume of information and ensuring relevance.

- **Data Quality and Integrity:** Ensuring accuracy, completeness, and reliability of knowledge assets.

- **Measuring the Impact of KM 2.0:** Identifying and measuring relevant KPIs to assess effectiveness.

- **Technology Adoption and Integration:** Selecting and integrating KM technologies seamlessly.

- **Privacy and Security Concerns:** Protecting sensitive knowledge assets and complying with regulations.

Future Prospects of KM 2.0

The future of KM 2.0 is bright, with several exciting trends and developments on the horizon:

1. AI and Machine Learning:

- **Automated Knowledge Capture:** AI-powered tools can automatically extract and categorize knowledge from various sources, such as emails, documents, and social media.

- **Intelligent Search:** AI-driven search engines can understand the context of queries and deliver more relevant results.

- **Predictive Analytics:** By analyzing historical data, AI can predict future knowledge needs and proactively provide relevant information.

2. Blockchain Technology:

- **Secure and Transparent Knowledge Sharing:** Blockchain can ensure the security, integrity, and provenance of knowledge assets.

- **Decentralized Knowledge Management:** By eliminating intermediaries, blockchain can empower individuals to directly share and access knowledge.

3. Internet of Things (IoT):

- **Real-time Knowledge Capture:** IoT devices can capture and share real-time data, providing valuable insights into organizational processes.

- **Contextual Knowledge:** IoT devices can provide context-specific knowledge, enabling employees to make informed decisions.

4. Virtual and Augmented Reality:

- **Immersive Learning Experiences:** VR and AR can create immersive learning environments, enhancing knowledge retention and transfer.

- **Remote Collaboration:** These technologies can facilitate remote collaboration by enabling virtual meetings and shared experiences.

5. Ethical Considerations:

- **Data Privacy and Security:** Organizations must prioritize data privacy and security to protect sensitive knowledge assets.
- **Bias and Fairness:** AI algorithms should be designed to avoid bias and ensure fairness in knowledge management practices.

Conclusion: A Knowledge-Driven Future: Knowledge Management 2.0 represents a paradigm shift in how organizations approach the management and utilization of knowledge. By embracing the power of technology and social collaboration, KM 2.0 enables organizations to unlock the collective intelligence of their workforce and drive innovation, improve decision-making, and enhance organizational performance.

As we've explored, KM 2.0 is characterized by its emphasis on social collaboration, user-generated content, and collective intelligence. It leverages technology to facilitate knowledge sharing, break down silos, and foster a culture of continuous learning. By understanding and implementing the key principles of KM 2.0, organizations can create a more agile, innovative, and competitive environment.

However, the journey towards effective KM 2.0 is not without its challenges. Cultural resistance, information overload, data quality issues, and measuring the impact of KM initiatives are some of the hurdles that organizations may encounter. To overcome these challenges, it is crucial to foster a supportive organizational culture, invest in technology infrastructure, and develop robust data governance practices.

The future of KM 2.0 is promising, with emerging technologies such as AI, machine learning, blockchain, and IoT opening up new possibilities. These technologies can automate knowledge capture, enhance knowledge discovery, and provide real-time insights. However, it is essential to address ethical considerations, such as data privacy and bias, to ensure the responsible and equitable use of these technologies.

In conclusion, KM 2.0 is a powerful tool that can help organizations thrive in the digital age. By embracing the principles of social collaboration, technology-enabled knowledge sharing, and continuous learning, organizations can create a knowledge-driven culture that empowers employees, accelerates innovation, and drives sustainable growth. As we move forward, it is imperative to stay abreast of emerging trends and adapt our KM practices to meet the evolving needs of the organization.

References:-

1. Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge management systems: Issues, challenges, and benefits. *Communications of the ACM*, 44(10), 44-51.
2. Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). *Working knowledge: How organizations manage what they know*. Harvard Business Press.
3. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics¹ of innovation*. Oxford University² Press.
4. https://www.researchgate.net/publication/339847885_The_interaction_between_knowledge_management_and_technology_transfer_a_current_literature_review_between_2013-2018/figures?lo=1
5. Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. *MIS Quarterly*, 25(1), 107-136. <https://doi.org/10.2307/3250961>
6. Andriole, S. J. (2010). Business impact of Web 2.0 technologies. *Communications of the ACM*, 53(12), 67-79. <https://doi.org/10.1145/1859204.1859223>
7. Becerra-Fernandez, I., & Sabherwal, R. (2015). *Knowledge management: Systems and processes*. Routledge.
8. Berends, H., Boersma, K., & Weggeman, M. (2003). The structuration of organizational learning. *Human Relations*, 56(9), 1035-1056. <https://doi.org/10.1177/0018726703569002>
9. Bose, R. (2004). Knowledge management metrics. *Industrial Management & Data Systems*, 104(6), 457-468. <https://doi.org/10.1108/02635570410543771>
10. Braganza, A., & Mollenkramer, G. J. (2002). Anatomy of a knowledge management initiative: Analyzing web-based knowledge management tools. *Knowledge and Process Management*, 9(4), 237-253. <https://doi.org/10.1002/kpm.157>
11. Chatti, M. A. (2012). Knowledge management: A personal knowledge network perspective. *Journal of Knowledge Management*, 16(5), 829-844. <https://doi.org/10.1108/13673271211262791>
12. Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). *Working knowledge: How organizations manage what they know*. Harvard Business School Press.
13. Duffy, J. (2001). The tools and technologies needed for knowledge management. *Information Management Journal*, 35(1), 64-67.
14. Easterby-Smith, M., & Lyles, M. A. (Eds.). (2011). *Handbook of organizational learning and knowledge management*. Wiley.
15. Firestone, J. M., & McElroy, M. W. (2005). *Key issues in the new knowledge management*. Routledge.
16. Gloor, P. (2006). *Swarm creativity: Competitive advantage through collaborative innovation networks*. Oxford University Press.
17. Holsapple, C. W. (2003). *Handbook on knowledge management*. Springer.
18. Maier, R., & Remus, U. (2003). Implementing process-oriented knowledge management strategies. *Journal of Knowledge Management*, 7(4), 62-74. <https://doi.org/10.1108/13673270310492958>
19. McAfee, A. (2006). Enterprise 2.0: The dawn of emergent collaboration. *MIT Sloan Management Review*, 47(3), 21-28.
20. Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The knowledge-*

- creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation.* Oxford University Press.
21. O'Reilly, T. (2007). What is Web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software. *Communications & Strategies*, 1(17), 17–37.
 22. Polanyi, M. (1966). *The tacit dimension.* University of Chicago Press.
 23. Tseng, S.-M. (2010). The correlation between organizational culture and knowledge conversion on corporate performance. *Knowledge Management Research & Practice*, 8(4), 398–411. <https://doi.org/10.1057/kmrp.2010.29>
 24. von Krogh, G., Ichijo, K., & Nonaka, I. (2000). *Enabling knowledge creation: How to unlock the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation.* Oxford University Press.

दुर्ग जिले में कृषि पालन की स्थिति का विवेचनात्मक अध्ययन

आबिद हसन खान* केशर परवीन**

शोध सारांश - कृषि, मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें वनस्पतियों और पशुओं की पालन-पोषण, खेती, विविधता प्रबंधन, और खेतों से संबंधित विभिन्न कार्यों का समावेश होता है। यह खेती, पशुपालन, मत्स्यपालन, और अन्य उत्पादों का उत्पन्न होने में मदद करता है जिन्हें मानव आहार, वस्त्र, और अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग करता है। कृषि पृथ्वी पर हर वर्ग के लोगों के लिए जीवन का मुख्य स्रोत है। पशु और मनुष्य जीवनयापन के लिए कृषि पर निर्भर हैं। यह मानव जाति के इतिहास में सबसे पुरानी प्रथा है। कृषि के क्षेत्र में लगातार वृद्धि और विकास देखने को मिल रहा है। खेती में आधुनिक उपकरण और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कृषि के क्षेत्र को बेहतर गुणवत्ता के साथ उच्च पैदावार उत्पन्न करने में मदद मिल रही है। अब हमारा देश घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पैदा करने में सक्षम है। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कुपोषण को खत्म करने और भूख की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है। इस प्रकार, कृषि हमेशा मानव अस्तित्व को बचाये रखेगी और बदलती दुनिया की माँगों को पूरा करती रहेगी।

शब्द कुंजी - आर्थिक विकास में भूमिका, प्रकार, महत्व, उपयोगिता।

प्रस्तावना - कृषि (खेती) मानव का प्राथमिक उद्यम है जिसमें वह प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपनी अनिवार्य भौतिक आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा, मकान) की पूर्ति करता है, जिसके लिए वह फसलें उगाता है, पशुपालन करता है।

Agriculture शब्द लेटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है - ager/agric + culture का अर्थ है मृदा अथवा भूमि। culture का अर्थ है जुताई अथवा उगाना।

भारत का अधिकांश हिस्सा कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। इसलिए इसे कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। इसके अलावा, कृषि भारत में 65 प्रतिशत लोगों का आजीविका का साधन है। खानाबदोश काल से लेकर आज तक पूरी दुनिया हजारों सालों से कृषि कर रही है। कृषि की शुरुआत खाद्य उत्पादन के लिए नवपाषाण क्रांति के दौरान हुई थी। आजकल, कृषि की दुनिया में। उपकरणों और मशीनरी के उपयोग से परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। खेती के पारंपरिक तरीकों को बदलने के लिए नई तकनीकों और AI उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, अब हमारा देश घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पैदा करने में सक्षम है। यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कुपोषण को खत्म करने और भूख की समस्या को दूर करने में भी मदद करता है। इस प्रकार, कृषि हमेशा मानव अस्तित्व की आधारशिला बनी रहेगी और बदलती दुनिया की माँगों को पूरा करती रहेगी। दुनिया भर में लाखों लोग कृषि पर निर्भर हैं, यहाँ तक कि पशु भी अपने चारे और आवास के लिए कृषि पर निर्भर हैं। इसके अलावा, देश के आर्थिक विकास में भी कृषि की अहम भूमिका है क्योंकि देश की तीन चौथाई आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत के कुल खाद्य फसल उत्पादन का 70% निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है। निर्यात की कुछ मुख्य वस्तुएँ हैं चावल, मसाले, गेहूँ, कपास, चाय, तम्बाकू, जूट उत्पाद और कई अन्य।

भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारत में कृषि आज से लगभग 10000 वर्ष पूर्व से की जा रही है। इसलिए ही भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। मगर इसके बाद भी यह कहना सही होगा कि भारत में असली कृषि की शुरुआत हरित क्रांति 1960 के साथ ही हुई। जिसका नेतृत्व डॉक्टर एम. एस. स्वामीनाथ जी के द्वारा किया गया था। और हरित क्रांति को भारत में लाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर AB जोशी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद भारत में कृषि का एक मजबूत ढांचा तैयार हो गया और आज भारत के पास हर वह तकनीक है जिसकी उसे जरूरत है। Dr. MS Swaminathan जमीं जल जलवायु मौसम कृषक कृषि आधार है गुरु आपने ही बनाया यह हरित क्रांति संसार है।

कृषि फसल उगाने या पशु पालने की एक चिरकालिक प्राचीन प्रथा है जो कई साल पहले शुरू हुई थी। दुनिया भर में 600 मिलियन से अधिक किसानों के समर्पण की बढौलत हम हर दिन ताजे फलों, सब्जियों और अनाज से भरे स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन का आनंद ले पाते हैं। यह सिर्फ खेती नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की नींव है। चीन, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश गेहूँ, चावल और कपास जैसे प्रमुख कृषि उत्पादों के अग्रणी उत्पादकों में से हैं।

कृषि का महत्व - कृषि बढ़ती वैश्विक जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने, किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए एक आवश्यक उद्योग है। इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और राष्ट्रीय आय में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। इसके अलावा, हमारे कुल निर्यात में कृषि का हिस्सा लगभग 70% है। मुख्य निर्यात वस्तुएँ चाय, कपास, कपड़ा, तम्बाकू, चीनी, जूट उत्पाद, मसाले, चावल और कई अन्य वस्तुएँ हैं।

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) एसडीएस शासकीय महाविद्यालयब जामगांव आरब भररब, दुर्ग (छ.ग.) भारत

** सहायक प्राध्यापक, पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, दारु श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) भारत

आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका – भारत के आर्थिक विकास में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि देश की 60 से 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर ही निर्भर है। कृषि देश के लोगों लिए आजीविका के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। देश एक हजार साल तक कृषि पर निर्भर रहा। कृषि क्षेत्र उद्योगों को उनके कच्चे माल प्राप्त करने में भी लाभ पहुंचाता है, जो स्पष्ट रूप से प्रतीत है कि कृषि क्षेत्र के बिना भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी ग्रो नहीं कर सकती। भारतीय कृषि से अधिकांश लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होता है, और भारत की 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है जो कि कृषि पर निर्भर है।

कृषि का इतिहास

जीविका खेती – यह खेती किसान के आदिम निर्वाह खेती निर्वाह खेती का वह प्रकार है जो आम तौर पर कुदाल, दाव, खुदाई करने वाली छड़ियों आदि जैसे पारंपरिक औजारों के साथ भूमि के छोटे क्षेत्रों पर की जाती है। यह फसल उगाने का सबसे प्राकृतिक तरीका है, क्योंकि प्राकृतिक जैसे गर्मी, बारिश, हवा और मिट्टी की स्थिति फसलों की वृद्धि में योगदान देती है। आदिम खेती में आगे यह भी शामिल है:

- **स्थानांतरित खेती** : इस आदिम पद्धति में किसान फसल काटने के बाद खेती की जमीन को साफ कर देते हैं और उसे जला देते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, इसलिए जो भी व्यक्ति अगली बार उस जमीन का उपयोग करता है, उसे अच्छी उपज मिल सकती है। इस पद्धति को भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में भी स्थानांतरित खेती की जाती है।

- **खानाबदोश पशुपालन** : इस तरह की खेती पद्धति में चरवाहे और किसान अपने पशुओं के झुंड के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। और, चरवाहे पशुओं से ऊन, मांस, खाल और डेयरी उत्पाद भी प्राप्त करते हैं। राजस्थान, जम्मू और कश्मीर में खानाबदोश पशुपालन बहुत आम है, जहाँ चरवाहे भेड़, बकरी, याक और ऊँट पालते हैं।

गहन निर्वाह खेती आदिम खेती के बिल्कुल विपरीत है, किसान भूमि के अधिक बड़े क्षेत्र पर गहन खेती करते हैं, आधुनिक मशीनरी और औजारों का उपयोग करते हैं तथा बेहतर फसल के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं।

वाणिज्यिक खेती – जब किसान आर्थिक गतिविधि के लिए फसल उगाते हैं और पशु पालते हैं, तो इसे वाणिज्यिक खेती कहा जाता है। अधिक उत्पादन की आवश्यकता के कारण, किसान भारी मशीनरी के उपयोग के साथ भूमि के बड़े क्षेत्रों पर खेती करते हैं। वाणिज्यिक खेती की मुख्य श्रेणियाँ हैं:

इस पद्धति में किसान अनाज उगाते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं। गेहूँ और मक्का वाणिज्यिक अनाज की खेती की सबसे आम फसलें हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदानों के किसान आमतौर पर इस प्रकार की खेती करते हैं।

- **बागान खेती** – बागान खेती कृषि और उद्योग का मिश्रण है और इसे भूमि के एक विशाल क्षेत्र में किया जाता है। बागान मालिक आमतौर पर बागान में केला, कॉफी, चाय आदि जैसी एक ही फसल उगाते हैं और फसल को खेत पर या उससे जुड़ी फैक्ट्री में संसाधित करने के लिए तकनीकी सहायता का उपयोग करते हैं। अंतिम उत्पाद उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में भी काम करता है। उदाहरण के लिए, रबर अपने बागानों से उत्पादित रबर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है।

- **मिश्रित खेती** – इस खेती पद्धति में फसलों की खेती, पशुओं का पालन-पोषण और उनके लिए चारा उगाना शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जीविका के लिए मिश्रित खेती करना एक आम बात है।

भारत की प्रमुख फसलें – विभिन्न प्रकार की कृषि विधियों के साथ, किसान विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं, मुख्य अनाजों से लेकर औद्योगिक फसलों और पौधों तक निम्न फसलों को लगाया जाता है।

- **चावल** – यह दुनिया की मुख्य खाद्य फसल है। भारत में चावल उच्च ताप, आर्द्रता और वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में। दुनिया भर में, चीन चावल का अग्रणी उत्पादक है, उसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और बांग्लादेश हैं।

- **गेहूँ** – यह दुनिया का एक और मुख्य भोजन है जिसे मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूँ को रोपण के दौरान अच्छी बारिश और कटाई के दौरान तेज धूप की आवश्यकता होती है। नतीजतन, भारत में गेहूँ ज्यादातर सर्दियों के मौसम में और देश के उत्तरी राज्यों में उगाया जाता है।

- **मक्का** – गेहूँ की तरह, मक्का को भी मध्यम वर्षा और अच्छी मात्रा में धूप की आवश्यकता होती है। उत्तरी अमेरिका, मैक्सिको, चीन, रूस, ब्राजील, कनाडा और भारत जैसे देश मक्का के प्राथमिक उत्पादक हैं।

- **बाजरा** – इन्हें कम वर्षा और सूखी मिट्टी की आवश्यकता होती है और इनमें ज्वार, बाजरा और रागी जैसे अनाज शामिल होते हैं। बाजरा नाइजीरिया, चीन और भारत के शुष्क क्षेत्रों में आम है।

- **कपास** – एक बागान फसल, कपास सूती कपड़ा उद्योग के लिए मुख्य कच्चा माल है। यह कम वर्षा, बिना बर्फ और तेज धूप वाली काली और जलोढ़ मिट्टी पर सबसे अच्छी तरह से उगता है। मिस्र, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और भारत जैसे देश कपास के प्रमुख उत्पादक हैं।

- **जूट** – जिसे 'गोल्डन क्रॉप' भी कहा जाता है, जूट उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह से उगता है, जहाँ वर्षा अधिक होती है और मौसम नम होता है। इसलिए आप पाएंगे कि भारत और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में जूट की खेती आम है।

- **चाय** – यह एक बागान फसल है और एशिया भर में एक महत्वपूर्ण पेय है। चाय ढलान वाले परिदृश्य में सबसे अच्छी तरह से बढ़ती है जहाँ पूरे साल बारिश होती है और तापमान ठंडा और बहुत अधिक नहीं होता है। चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका दुनिया में सबसे अच्छी चाय का उत्पादन करने वाले प्रमुख देश हैं।

- **कॉफी** – कॉफी गर्म और नम जलवायु और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से उगती है। इसलिए, ब्राजील, कोलंबिया और भारत जैसे देशों में दुनिया में सबसे अच्छे कॉफी बागान हैं।

भारतीय कृषि एक अवलोकन – 2010 संयुक्त राष्ट्र कृषि तथा खाद्य संगठन के विश्व कृषि सांख्यिकी, के अनुसार भारत के कई ताजा फल और सब्जिया, दूध, प्रमुख मसाले आदि को सबसे बड़ा उत्पादक ठहराया गया है। रेशेदार फसले जैसे जूट, कई स्टेपल जैसे बाजरा और अरंडी के तेल के बीज आदि का भी उत्पादक है। भारत गेहूँ और चावल की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत, दुनिया का दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है कई चीजों का जैसे सूखे फल, वस्त्र कृषि-आधारित कच्चे माल, जई और कंद फसले, दाल, मछलीया, अंडे, नारियल, गन्ना और कई सब्जिया। 2010 मई भारत को दुनिया का पाँचवा स्थान हासिल हुआ जिसके मुताबिक उसने 80% से अधिक कई नकदी फसलों का उत्पादन किया जैसे कॉफी

और कपास आदि। 2011 के रिपोर्ट के अनुसार, भारत को दुनिया में पाँचवें स्थान पर रखा गया जिसके मुताबिक व सबसे तेज वृद्धि के रूप में पशुधन उत्पादक करता है।

2008 के एक रिपोर्ट ने दावा किया कि भारत की जनसंख्या, चावल और गेहूँ का उत्पादन करने की क्षमता से अधिक तेजी से बढ़ रही है। अन्य सुत्रों से पता चलता है कि, भारत अपनी बढ़ती जनसंख्या को आराम से खिला सकता है और साथ ही साथ चावल और गेहूँ को निर्यात भी कर सकता है। बस, भारत को अपनी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना होगा जिससे उत्पादक भी बढ़े जैसे अन्य देश ब्राजील और चीन ने किया। भारत 2011 में लगभग 2 लाख मीट्रिक टन गेहूँ और 21 करोड़ मीट्रिक टन चावल का निर्यात अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश और दुनिया भर के अन्य देशों को किया।

जलीय कृषि और पकड़ मत्स्यपालन भारत में सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों के बीच है। 1990 से 2010 के बीच भारतीय मछली फसल दोगुनी हुई, जबकि जलीय कृषि फसल तीन गुना बढ़ा। 2008 में, भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा उत्पादक था समुद्री और मीठे पानी की मत्स्य पालन के क्षेत्र में और दूसरा सबसे बड़ा जलीय मछली कृषि का निर्माता था। भारत ने दुनिया के सभी देशों को करीब 6,00,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादों का निर्यात किया।

भारत ने पिछले 60 वर्षों में कृषि विभाग में कई सफलताएँ प्राप्त की है। ये लाभ मुख्य रूप से भारत को हरित क्रांति, पावर जनरेशन, बुनियादी सुविधाओं, ज्ञान में सुधार आदि से प्राप्त हुआ। भारत में फसल पैदावार अभी भी सिर्फ 30% से 60% ही है। अभी भी भारत में कृषि प्रमुख उत्पादकता और कुल उत्पादन लाभ के लिए क्षमता है। विकासशील देशों के सामने भारत अभी भी पीछे है। इसके अतिरिक्त, गरीब अवसररचना और असंगठित खुदरा के कारण, भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा खाद्य घाटे से कुछ का अनुभव किया और नुकसान भी भुगतना पड़ा।

भारत की स्वतंत्रता को कई दशक बीत चुके हैं, हाल ही में हमने 74वाँ गणतंत्र दिवस मनाया है। 1947 से अब तक देश के हर क्षेत्र ने पर्याप्त विकास किया है। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम विश्व के सफलतम अंतरिक्ष कार्यक्रमों में शामिल है, भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में सम्मिलित है तथा भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की पाँच सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अन्य क्षेत्रों में भी भारत नियमित रूप से विकास की नई कहानियाँ लिख रहा है।

इन उपलब्धियों के बावजूद एक ऐसा क्षेत्र भी है जो आज भी विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गया है। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला कृषि क्षेत्र आज भी उस स्थिति में नहीं पहुँच पाया है जिसे संतोषजनक माना जा सके। इसका परिणाम यह हुआ है कि कृषि पर निर्भर देश के करोड़ों लोग आज भी बेहद अभावों में जीवन जीने को विवश हैं और कई बार ये कृषि के माध्यम से अपनी बुनियादी जरूरतें भी नहीं पूरी कर पाते हैं।

भारतीय कृषि के अपर्याप्त विकास के मूल में कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें दूर किये बिना कृषि का विकास संभव नहीं है, ये समस्याएँ निम्नलिखित हैं।

1. भारत के ज्यादातर किसानों के पास कृषि में निवेश के लिये पूँजी का अभाव/ कमी है। आज भी देश के ज्यादातर किसानों को व्यावहारिक रूप में संस्थागत ऋण सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। कई बार किसानों के पास इतनी भी पूँजी नहीं होती कि वे बीज, खाद, सिंचाई जैसी बुनियादी

चीजों का भी प्रबंध कर सकें। इसका परिणाम यह होता है कि किसान समय से फसलों का उत्पादन नहीं कर पाते अथवा अपर्याप्त पोषक तत्वों के कारण फसलें पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं हो पाती हैं। इसके साथ ही पूँजी के अभाव में किसान को निजी व्यक्तियों से उँची ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता है जिससे उसकी समस्याएँ कम होने की जगह बढ़ जाती हैं। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिये काफी मददगार साबित हो रही है। इससे किसानों की कृषि संबंधी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करने में काफी हद तक सहायता मिल जाती है।

2. भारत के अधिकांश हिस्सों में आज भी सिंचाई सुविधाओं की कमी है। निजी तौर पर सिंचाई सुविधाओं का प्रबंध वही किसान कर पाते हैं जिनके पास पर्याप्त पूँजी उपलब्ध है क्योंकि सिंचाई उपकरणों जैसे ट्यूबवेल स्थापित करने की लागत इतनी होती है कि गरीब किसानों के लिये उसे वहन कर पाना संभव नहीं है। इस प्रकार अधिकांश किसान मानसून पर निर्भर हो जाते हैं और समय पर वर्षा न होने पर उनकी फसलें खराब हो जाती हैं और कई बार निर्वाह लायक भी उत्पादन नहीं हो पाता। इसी तरह अधिक वर्षा होने पर या विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी फसलें खराब हो जाती हैं और किसान गरीबी के दलदल में फँसता जाता है।

3. भारतीय किसानों की एक बड़ी आबादी के पास बहुत कम मात्रा में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। इसका एक बड़ा कारण बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। इसके परिणामस्वरूप कृषि किसानों के लिये लाभ कमाने का माध्यम न होकर महज निर्वाह करने का माध्यम बन गई है जिसमें वे किसी तरह अपना और अपने परिवार का निर्वाह कर पाते हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र प्रछन्न बेरोजगारी की भी समस्या से जूझने वाला क्षेत्र है।

4. किसानों को अक्सर उनकी उपज की पर्याप्त कीमत नहीं मिलती है, इसका एक बड़ा कारण यह है कि वे अपनी फसलों को विभिन्न कारणों से जैसे ऋण चुकाने के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम कीमतों पर ही बेच देते हैं। जिसके कारण उन्हें काफी हानि का सामना करना पड़ता है।

5. कुछ अन्य कारणों में कृषि में आधुनिक उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग न कर पाना, परिवहन सुविधाओं की कमी, भंडारण सुविधाओं में कमी, परिवहन की सुविधाओं में कमी, अन्य आधारभूत सुविधाओं का अभाव तथा मिट्टी की गुणवत्ता में कमी के कारण उपज में आती कमी इत्यादि समस्याएँ शामिल हैं।

भारत सरकार इस क्षेत्र में सुधारों और किसानों की आय दोगुनी करने के लिये 7 सूत्रीय रणनीति पर काम कर रही है।

1. प्रति बूँद-अधिक फसल रणनीति (Per Drop More Crop)- इस रणनीति के तहत सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है। इससे कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले पानी की मात्रा में कमी आएगी, इससे जल संरक्षण के साथ ही सिंचाई की लागत में भी कमी आएगी। ये रणनीति पानी की कमी वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभदायक है।

2. कृषि क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग करने पर बल दिया जा रहा है साथ ही खेतों में उर्वरकों की उतनी ही मात्रा का प्रयोग करने करने के लिये जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है जितनी मात्रा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार प्रयोग करना उचित है। इससे मृदा की गुणवत्ता में सुधार होगा साथ ही उर्वरकों पर होने वाले खर्च में भी प्रभावी कमी आएगी। इससे मृदा और जल प्रदूषण में भी कमी आएगी।

3. कृषि उपज को नष्ट होने से बचाने के लिये गोदामों और कोल्ड स्टोरेज

पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है। इससे उपज की बर्बादी रुकेगी, खाद्य सुरक्षा की स्थिति और मजबूत होगी तथा शेष उपज का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात भी किया जा सकता है।

4. खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएँ निहित हैं।

5. उपज का सही मूल्य दिलाने के लिये राष्ट्रीय कृषि बाजार के निर्माण पर बल दिया गया है। इससे देशभर में कीमतों में समानता आएगी और किसानों को पर्याप्त लाभ मिल सकेगा।

6. भारत में हर साल अलग-अलग क्षेत्रों में सूखे, अग्नि, चक्रवात, अतिवृष्टि, ओले जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इन जोखिमों को कम करने के लिये वहनीय कीमतों पर फसल बीमा उपलब्ध कराया गया है। हालाँकि इसका वास्तविक लाभ अब तक पर्याप्त किसानों को नहीं मिल पाया है, इसका लाभ अधिकांश लोगों तक पहुँचे इसके लिये उपाय किये जाने चाहिये।

7. विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डेयरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन इत्यादि।

कृषि सहायक क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जा रहा है। चूंकि देश के अधिकांश कृषक इन चीजों से पहले से ही जुड़े हुए हैं अतः इसका सीधा लाभ उन्हें मिल सकता है। आवश्यकता है जागरूकता, पशुओं की नस्ल सुधार जैसे कारकों पर प्रभावी तरीके से काम किया जाए।


चूंकि देश की अधिकांश आबादी कृषि पर ही निर्भर है अतः देश में गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि, भुखमरी उन्मूलन इत्यादि तभी संभव है जब कृषि और किसानों की हालत में सुधार किया जाए। उपरोक्त उपायों को यदि प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो निश्चित तौर पर कृषि की दशा में सुधार आ सकता है। इससे इस क्षेत्र में व्याप्त निराशा में कमी आएगी, किसानों की आत्महत्या रुकेगी, और खेती छोड़ चुके लोग फिर से इस क्षेत्र में रुचि लेने लगेगे।

छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र का विश्लेषण

तालिका क्रमांक - 1: कृषि उत्पादन की स्थिति (दुर्ग जिले में)

वर्ष	कृषि उत्पादन (हेक्टेयर में)
2016-2017	110.8
2017-2018	92.6
2018-2019	82.7
2019-2020	80.9
2020-2021	72.9
2016-2017	69.8

उक्त तालिका क्रमांक - 1 वर्ष 2016-2017 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में कृषि उत्पादन दर में कमी प्रदर्शित हो रही है।




चित्र क्रमांक - 1 कृषि उत्पादन की स्थिति (दुर्ग जिले में)

तालिका क्रमांक - 2: कृषि उत्पादन की स्थिति (दुर्ग जिले में) (प्रतिशतता में)

वर्ष	कृषि उत्पादन (हेक्टेयर में)	प्रतिशतता
2016-2017	120.8	96.42
2017-2018	98.6	90.82
2018-2019	82.7	86.75
2019-2020	80.9	84.92
2020-2021	72.9	80.20

उक्त तालिका क्रमांक - 2 वर्ष 2016-2017 की अपेक्षा वर्ष 2020-21 में कृषि उत्पादन दर में कमी प्रदर्शित हो रही है।



चित्र क्रमांक - 2 कृषि उत्पादन की स्थिति (दुर्ग जिले में) (प्रतिशतता में)

कृषि की चुनौतियां - हर साल कृषि क्षेत्र को मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें मौसम की खराब स्थिति शामिल है, चाहे वह सूखा हो या बाढ़ या फिर अत्यधिक गर्मी और ठंडी हवाएं। मिट्टी का क्षरण और मिट्टी का प्रदूषण भी कृषि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये सभी स्थितियां कृषि क्षेत्र में टिकाऊ प्रथाओं को विकसित करने की आवश्यकता पैदा करती हैं।

कृषि में नए प्रयोग - आजकल, कृषि की दुनिया में AI उपकरणों और मशीनरी के उपयोग से परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। खेती के पारंपरिक तरीकों को बदलने के लिए नई तकनीकें और उपकरण विकसित किए जा रहे हैं। AI तकनीकों में से कुछ हैं एकीकृत सेंसर, मौसम पूर्वानुमान, खडि-संचालित कृषि ड्रोन, स्मार्ट छिड़काव, आदि नए उपकरण कृषि के क्षेत्र में प्रयोग किये जा रहे हैं।

निष्कर्ष - कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और भारत का कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा उद्योग है। निरंतर परिवर्तन और विकास तथा नई नीतियों के साथ, यह केवल ऊपर की ओर ही बढ़ेगा। यह हमेशा देश की आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक बना रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अबालु, जी.ओ. 1976 उत्तरी नाइजीरिया में स्वदेशी परिस्थितियों में फसल मिश्रण पर एक नोट। जर्नल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज 12: 212-220।
2. एडीबी खएशियाई विकास बैंक, 1990. सतत विकास के लिए आर्थिक नीतियां। मनीला, फिलिपीन्स।
3. एलेग्रे, जे.सी., कैसल, डी.के. और अमेजकिटा, ई. 1991 लैटिन अमेरिका में जुताई प्रणाली और मिट्टी के गुण। मृदा एवं जुताई अनुसंधान

- 20: 147-16
4. अल्टिएरी, एम.ए. 1988. पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ लघु स्तरीय कृषि परियोजनाएँ, कोडेल/वीटा, आर्लिगटन, वर्जीनिया।
 5. अल्टिएरी, एम.ए. 1988, कृषि पारिस्थितिकी से परे: टिकाऊ कृषि को राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाना। अमेरिकन जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एग्रीकल्चर 3: 142-143।
 6. एंडरसन, जे.आर. और डिलन जे.एल. 1992. शुष्क भूमि कृषि प्रणालियों में जोखिम विश्लेषण। फार्म सिस्टम प्रबंधन शृंखला संख्या 2. एफएओ, रोम, 117 पी.
 7. एंडरसन, जे.आर. और थम्पापिल्लई, जे. 1990, विकासशील देशों में मृदा संरक्षण: परियोजना और नीति हस्तक्षेप। नीति और अनुसंधान शृंखला संख्या 8. विश्व बैंक, वाशिंगटन डीसी।
 8. एंडो, डी. 1983. गेहूं और कपास के विशेष संदर्भ में मोनोकल्चर की सीमा और कीटों की आबादी पर इसका प्रभाव। कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण 9: 25-35.
 9. एंगस, जे.एफ., हसेगावा, एस., हसियाओ, टी.सी., लिबून, एस.पी., और जैडस्ट्रा, एच.जी. 1983। मानसून के बाद शुष्क भूमि फसलों का जल संतुलन। कृषि विज्ञान जर्नल 101: 699-710।
 10. जौ, के.पी. 1959. केंचुए और मिट्टी की उर्वरता। चतुर्थ. लाल-भूरी पृथ्वी के भौतिक गुणों पर केंचुओं का प्रभाव। ऑस्ट. जे. एग्रीक. रेस. 10: 371-376.
 11. बार्टलेट, बी., ब्लेक, बी. और मैककार्ल, बी. 1982. सेनेगल के निर्वाह फार्मों पर लागू बहुआयामी स्केलिंग के माध्यम से लक्ष्य प्रोग्रामिंग। अमेरिकन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स 64:
 12. बेशनो, ए., क्रिश्चियनसन, सी.बी., बैथगेन, डब्ल्यू.ई. और मोकवुने, ए.यू. 1992. नाइजर में बाजरा उत्पादन के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरक के उपयोग और रोपण घनत्व का खेत-स्तरीय मूल्यांकन। उर्वरक अनुसंधान 31: 175-184.

महिला सशक्तिकरण में नैतिक शिक्षा की भूमिका : चुनौतियाँ

डॉ. संगीता शर्मा *

शोध सारांश - प्रत्येक विकसित समाज के निर्माण में स्त्री एवं पुरुष दोनों की सहभागिता आवश्यक है। भावी पीढ़ी के रूप में व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज तथा राष्ट्र तक के बहुमुखी विकास की जिम्मेदारी में पुरुषों के साथ स्त्रियों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी है। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही परिवार की धुरी, महिला का सशक्तिकरण जरूरी है और सशक्तिकरण के लिए शिक्षा आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए पहला और मूलभूत साधन है। स्वतंत्रता के बाद सरकार, महिला संगठनों, महिला आयोगों आदि के प्रयासों से महिलाओं के लिए विकास के द्वार खुले, उनमें शिक्षा का प्रसार बढ़ा जिससे उनमें जागृति आई, आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ परिणामस्वरूप वे प्रगतिपथ पर आगे बढ़ीं। शिक्षित, आत्मनिर्भर, सशक्त महिलाओं के द्वारा ही भारत को एक सशक्त व विकसित देश के रूप में निर्माण कर पाना संभव हो सकेगा। प्रस्तुत शोधपत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण में नैतिक शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। नैतिक मूल्य महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैसे कि सम्मान, आत्मविश्वास, शिक्षा, ईमानदारी, न्याय, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि। साथ ही लघु शोध पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उससे संबंधित कौन कौन सी चुनौतियाँ हमारे भारतीय समाज के समक्ष उपस्थित हैं।

प्रस्तावना - नारी मुक्ति तथा नारी सशक्तिकरण आम विश्व के प्रायः सभी विकासशील देशों की महिला समुदाय का नारा है। सशक्तिकरण का प्रश्न तभी उठता है जब पराधीनता और विवशता होती है। महिलाओं के संदर्भ में 'पराधीनता' तथा 'विवशता' के अर्थ तब स्पष्ट हो जाते हैं जब हम पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में महिलाओं की अवनमित स्थिति एवं सीमित सामाजिक तथा पारिवारिक भूमिकाओं की ओर ध्यान देते हैं। पिछले दो तीन शताब्दियों में महिला और उसकी शिक्षा से सम्बन्धित नई समस्याओं तथा नये प्रश्न प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सामने आते रहे हैं।

सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ है महिला का शक्ति और ज्ञान से सम्पन्न होना। महिला को भी पुरुष के समान शक्ति और अधिकार मिलें। किसी भी राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब स्त्री व पुरुष दोनों को उन्नति के समान अवसर उपलब्ध हों। इसी लिए 73वें सर्विधान संशोधन के माध्यम से जनजातीय समाजों में पुरुष एवं महिला के बीच असमानता और शक्ति वितरण को समाप्त करने की पहल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई।¹

भारतीय सर्विधान में भारतीय स्त्रियों को समानता का दर्जा दिया गया है। सर्विधान की धारा 16 में यह माना गया है कि सरकारी सेवाओं में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। इस देश में महिलाएं बड़े-बड़े ओहदों पर विराजमान हैं। हमारे देश की महिलाएं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक रह चुकी हैं। किन्तु नियमों, कानूनों एवं सामाजिक स्वीकृति में एक लम्बा गहरा अन्तराल है। ऊंचे पदों पर आसीन शिक्षित महिलाओं की संख्या कम ही है। समस्या उन हजारों, लाखों स्त्रियों की है जो पूरी तरह शिक्षा से वंचित हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग भी नहीं हैं।

वास्तव में यहाँ प्रश्न यह उठता है कि महिला शिक्षा में अवरोधात्मक स्थितियाँ कौन सी हैं ? महिला शिक्षा में कौनसी चुनौतियाँ हैं ? शिक्षा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसी के आधार पर यह ज्ञान और कुशलता को अर्जित करके एक महिला अपने समक्ष आई हुई महत्वपूर्ण चुनौतियों को स्वीकार कर सकती है। अपने जीवन की समस्याओं, विकट

परिस्थितियों का डट कर मुकाबला कर सकती है। शिक्षा के आधार पर ही नारी में आत्मवल का विकास हो सकता है। साथ ही कानूनी अधिकारों के प्रति सजग होकर उसे अपने दैनिक जीवन में भी इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही अपने कौशल का उपयोग करके आत्मनिर्भर बन सकती है। इस अर्थ में महिला शिक्षा ही महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

अल्पायु में बालिकाओं का विवाह भी नारी शिक्षा की वृद्धि में बहुत बड़ा अवरोध है। अल्पायु में विवाहादि के कारण वे घर के चौके चूल्हे तक ही सीमित होकर रह जाती हैं। शिक्षा के अभाव के कारण आगे अपनी कन्याओं की शिक्षा आदि में योगदान नहीं दे पाती और एक बड़ा तबका अशिक्षित महिलाओं का समाज में तैयार हो जाता है।

महिला सशक्तिकरण होने और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएँ सरकारी स्तर पर, निजी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही हैं किन्तु वे सभी योजनाएँ अपनी शैशवावस्था में ही समाप्त होकर रह जाती हैं। इस का मुख्य कारण लिंगभेद पर आधारित असमानता मानी जा सकती है। स्त्री पुरुष के बीच यह असमानता विभिन्न रूप ले सकती है।

वस्तुतः लैंगिक असमानता कोई समरूपी परिघटना नहीं, बल्कि विविध लेकिन आपस में जुड़ी, समस्याओं का एक संग्रह है।² बुनियादी सुविधाओं में स्त्री एवं पुरुष के बीच यह असमानता भी महिला प्रगति में बाधक बनती है। जिसके कारण महिला शिक्षा में पर्याप्त सुधार नहीं हो पाता।

महिलाओं की स्वाभाविक प्रतिभाओं या क्षमताओं का समुचित रूप में विकास और सही वातावरण का उपलब्ध होना असंभव हो जाता है। उच्च शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्रों में यह असमानता ही महिला शिक्षा में पिछड़ेपन का मुख्य कारण बन जाती है।

पितृसत्तात्मक समाजव्यवस्था का रूढ़िवादी, मध्ययुगीन दृष्टिकोण, जिसमें पुरुषों को सभी स्रोतों में स्त्री से अधिक श्रेष्ठ मान लिया जाता है

तथा स्वाभाविक रूप से उन्हें ही अधिकारों की प्राप्ति के योग्य समझा जाता है। सामान्य रूप से समाज में भी स्त्रियों की शिक्षा उनके सर्वांगीण विकास की ओर उदासीनता देखी जा सकती है। अनेक क्षेत्रों में शिक्षित तथा अपने कार्यों में अभिज्ञ होने के बावजूद भी उन्हें कई निर्णय परिवार या प्रमुख पुरुष सदस्यों, अभिभावकों के दबाव में आकर लेने पड़ते हैं। नैतिक मूल्यों का ज्ञान और जागरूकता महिलाओं को भेदभाव, उत्पीड़न से शिकार होने से बचने में मदद करता है, सामाजिक सुधारों के प्रति और अधिक जागरूक होकर अपने अधिकारियों के प्रति आवाज उठाने के लिए एक नैतिक बल प्राप्त होता है। उचित -अनुचित की निर्णय शक्ति जागृत होती है जो उन्हें समाज में, राष्ट्र में अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजगता पैदा करती है। अतः महिला के शिक्षित होने के साथ -साथ नैतिक मूल्यों का समुचित ज्ञान और उनके प्रति जागरूकता महिला सशक्तिकरण का एक अनिवार्य पहलू है जिसकी आज के सन्दर्भ में महती आवश्यकता है।

ये सारी परिस्थितियाँ पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था का महिलाओं के प्रति दमनात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। जब तक समाज की इस मानसिकता में सम्पूर्ण परिवर्तन नहीं होता, उसमें संवदेनशीलता और उदारता नहीं आती है तब तक महिला विकास, नारी मुक्ति तथा 'स्त्री सशक्तिकरण' निरर्थक अभिव्यक्तियाँ मात्र रहेगी। वास्तविकताओं के सार्थक प्रतीक नहीं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एस.एस. नाथायत वेल्यू बेरह क्वालिटी ऑफ लाईफ इण्डिया पर्सनल ऑफ साइकोलोजी, 24.2, 1997 पृष्ठ 101-102
2. नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यर्याथ सम्पादन आशा कौशिक पृष्ठ 119
3. अमृत्यसेन : Many faces of Gender Inequality (Front Line, New Delhi, Nov. 9, 2001)
